विश्वज्ञान-भारती

(तीन खण्डों में)

लेखक

रामनारायण यादवेन्दु, बी० ए०, एल-एल० बी०

[राष्ट्रसंघ और विश्वशान्ति, भारतीय शासन-विधान,
नवीन भारतीय शासन और नागरिक जीवन,
भारतीय नागरिकशास्त्र, नागरिकशास्त्र,
आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति
तथा मानवजीवन आदि के
रचयिता तथा संपादक]

प्रकाशक

श्रीअजन्ता प्रेस लिमिटेड

पटना—४

मुद्रक
श्री राजेश्वर झा
श्रीअजन्ता प्रेस लिमिटेड, पटना–४

विषय-सूची

प्रथम खण्ड : विश्व के राष्ट्र

द्वितीय खण्ड : भारत

तृतीय खण्ड : पाकिस्तान

प्रथम खण्ड



अध्याय १

विश्व के राष्ट्र

अफ़गानिस्तान

क्षेत्रफलः—२५०,००० वर्गमील, जन-संख्या १०,०००,०००, राजधानी काबुल।

यह देश भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर है। इसके उत्तर में सोवियत रूस है। इसका शासक मुहम्मद ज़हीर शाह है। इस देश में वैधानिक एकतंत्रीय शासन पद्धति प्रतिष्ठित है। राज्य की सर्वोच्च सत्ता यहाँ की पार्लामेंट में निहित है जिसमें शासक, सिनेट और राष्ट्रीय-परिषद (नेशनल एसेम्बली) सम्मिलित हैं। यह देश पाँच बड़े तथा चार छोटे प्रदेशों में विभाजित है। प्रत्येक प्रान्त के प्रशासक राज्यपाल (गवर्नर) कहलाते हैं। प्रत्येक राजकीय विभाग एक मंत्री के अधीन है।

अफ़गानिस्तान एक पहाड़ी देश है; कहीं कहीं पर मैदान भी हैं। औद्योगिक दृष्टि से यह पिछड़ा है। काबुल नगर की जनसंख्या १२०,००० है। यहाँ एक विश्वविद्यालय भी है। इसमें संस्कृत भाषा की शिक्षा की भी उचित व्यवस्था है। यहाँ फलोत्पादन मुख्य व्यवसाय है। पहाड़ी क्षेत्र होने से भेड़-बकरियों की संख्या अधिक है और उनका माँस भोजन के लिये एक मुख्य खाद्य है। खनिज सम्पत्ति भी पर्याप्त है। किन्तु उसका विकास नहीं हो सका है। अफगानिस्तान में कोयला, लोहा तथा चाँदी की खानें भी हैं। पेट्रोल के भी क्षेत्र हैं। सुवर्ण बहुत कम मात्रा में मिलता है। गंधक की भी खानें हैं।

देश में बहुत कम कल-कारखाने हैं। एक अस्त्र-शस्त्रों का भी कारखाना है। यहाँ की मुख्य बैंक नेशनल बैंक आफ अफगानिस्तान है। व्यापार पर शासन का नियंत्रण है। देश में कोई रेल नहीं है। व्यापारी माल आदि ढोने के लिये ऊँट व टट्टुओं का प्रयोग करते हैं। किन्तु राज्य में डाक तथा तार की व्यवस्था है। पाँच बेतार के स्टेशन भी हैं। एक रेडियो ब्राडकास्टिंग स्टेशन भी है।

अफगान का मुख्य सिक्का रजत-मुद्रा है जो अफ़गानी कहलाती है। अफगानिस्तान के शासन की कुल आय २२ करोड़ अफ़गानी रुपये हैं। राज्य

की आय के मुख्य साधन हैं---आयात-निर्यात, भूमि-कर, आयकर तथा शासन के एकाधिकार।

अफगानिस्तान में सन् १९३२ से नये संविधान के अनुसार शासन-प्रबन्ध हो रहा है। इसके अनुसार दासत्व तथा बेगार प्रथाएँ अवैध ठहरा दी गई हैं। राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गयी है। १८ से ४० वर्ष की आयु के प्रौढ़ पुरुषों के लिये सैनिक सेवा अनिवार्य है। शान्ति-काल में इसकी सेना ६०,००० है। इसकी वायुसेना प्राय ३०० है। अफगानों में बहुसंख्यक सुन्नी मतानुयायी हैं।

अर्जेन्टाइना

क्षेत्रफल : १,०७९,९६५ वर्गमील : जनसंख्या १६,१०४,९२६ (१९४७); राजधानी ब्यूनोइस एअर्स।

यह दक्षिणी अमेरिका में सबसे महान दूसरा प्रजातंत्रीय गणराज्य है। देश की राष्ट्रभाषा स्पेनिश है। राष्ट्रपति का निर्वाचन ६ वर्ष के लिये किया जाता है। वही सेना तथा नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। उसे राज्य में शासन-सत्ता के विशद् अधिकार प्राप्त हैं किन्तु कुछ मामलों में उसे सीनेट से स्वीकृति लेनी पड़ती है। वह मंत्रि-मण्डल की नियुक्ति करता है। उसके मंत्रियों की संख्या ८ है। एक उप-राष्ट्रपति का भी निर्वाचन किया जाता है। उसका मुख्य कार्य सीनेट के अधिवेशनों का सभापतित्व करना होता है। भारत के संविधान में भी ऐसी ही व्यवस्था है। संसद की राज्य-परिषद का सभापति ही उप-राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। राज्य में सर्वोपरि विधान-संस्था नेशनल कांग्रेस है। इसके अन्तर्गत दो सभागृह हैं---एक सीनेट और दूसरा हाउस आफ डिप्टीज—प्रतिनिधि-सभा। पहली सभा का निर्वाचन एक विशेष निर्वाचक-मण्डल द्वारा किया जाता है और दूसरी सभा का निर्वाचन जनता द्वारा। अर्जेन्टाइना में १४ प्रदेश हैं, ६ प्रान्त तथा १ संघीय जिला है। यहाँ की जनसंख्या योरोपीय है। रेड इण्डियन---आदिवासी जाति---के लोग ३०,००० हैं।

यहाँ उद्योग-धंधों की अपेक्षा कृषि-उत्पादन अधिक होता है। गेहूँ, ओट, मक्का, फलेक्स का उत्पादन काफी होता है। चीनी, रूई, मद्य तथा फलों का उत्पादन भी अधिक मात्रा में होता है।

सन् १९३७ में डा० रोबेर्टो आर्टिज़ राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। इसका जर्मनी, इटली, जापान के धुरीराष्ट्रों से सम्पर्क था और इसने अपने देश में भी

फासिस्ट शासन की स्थापना की। युद्ध काल के आरंभिक में वर्षों में इसका फासिस्ट शत्रुराष्ट्रों के साथ कूटनीतिक संबंध कायम रहा। सन् १९४३ में जनरल रामिरेज् सैन्य-बल से शासन-सत्ता प्राप्त करने में सफल हुआ। इसने भी धुरी-राष्ट्रों से अपना संबंध कायम रहने दिया। किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका ने अरजेन्टाइना को अस्त्र-शस्त्र देने से इन्कार कर दिया। अतः सन् १९४४ के प्रारम्भ में जनरल रामिरेज् ने जर्मनी, इटली व जापान से अपना कूटनीतिक सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया। इसके उपरान्त जनरल फारेल और कर्नल पेरों ने उसके शासन को उलट दिया और स्वयं सत्ता हस्तगत कर ली। याल्टा-सम्मेलन के बाद इस नये शासन ने जर्मनी व जापान के विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी और वह संयुक्त राष्ट्रों के पक्ष में हो गया। फरवरी १९४६ में राष्ट्रपति के निर्वाचन में कर्नल पेरों की विजय हुई। उसने अपने दल का मंत्रिमण्डल कायम किया। उसका शासन भी फासिस्ट ढंग का है। अर्जेन्टाइना में साम्यवादियों का दमन किया जा रहा है। उसने सोवियत रूस के साथ व्यापारिक सम्बन्ध-विच्छेद भी कर दिया है। १५ अगस्त १९४८ में देश का नवीन संविधान स्वीकार किया गया। इसके अधीन नागरिकों को पर्याप्त मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। राज्य को व्यापार तथा वाणिज्य में हस्तक्षेप करने के अधिकार भी पहले की अपेक्षा अधिक मिल गये हैं।

अन्दोरा

क्षेत्रफल :—१९१ वर्गमील : जनसंख्या ५,२३१।

अन्दोरा फ्रान्स तथा स्पेन के मध्य में एक छोटा स्वतंत्र राज्य है। यह पहाड़ी प्रदेश है। इस देश का शासन एक परिषद द्वारा किया जाता है, जिसमें २४ सदस्य हैं। इनका निर्वाचन ४ वर्ष के लिये किया जाता है। कुछ विषयों में इस राज्य का सम्बन्ध फ्रान्स से है। शिक्षा, डाक-तार आदि का प्रबन्ध फ्रान्स के शासन द्वारा किया जाता है और अन्दोरा का शासन उसका व्यय उसे अपनी आय में से दे देता है।

अरब

क्षेत्रफल :—१,०००,००० वर्गमील , जनसंख्या १०,०००,०००।

अरब देश में मुख्यतः अरब जाति निवास करती है। इनकी कुल संख्या ५ करोड़ है। अरब निम्न प्रकार अन्य देशों में बसे हुए हैं। ४० लाख अरब

सीरिया में ; ३५ लाख ईराक में ; १० लाख फिलिस्तीन में ; १ करोड़ ४० लाख मिश्र में ; ७ लाख लीबिया में ; २३ लाख ट्यूनिसिया में ; ६० लाख अलजीरिया में ; ७० लाख मरक्को में हैं। केवल अरब देश के निवासी सेमेटिक जाति के हैं ; दूसरे देशों के अरब वर्णशंकर हैं। अरबों में राष्ट्रीयता की भावना सबसे पूर्व सन् १८४७ में सीरिया में उदय हुई। अरबों की स्वाधीनता का संघर्ष पहले-पहल तुर्कों के विरुद्ध आरम्भ हुआ, क्योंकि अधिकांश अरब देशों पर उसका ही प्रभुत्व था।

सन् १९१४–१८ के प्रथम विश्वयुद्ध में अरबों ने तुर्कों के विरुद्ध ब्रिटेन का साथ दिया। अंग्रेजों ने अरबों को स्वाधीनता दे देने की प्रतिज्ञा की। अरब अपनी एकता चाहते थे। किन्तु अंग्रेजों ने अरबों को न तो स्वाधीनता दी और न एकता ही। अरबों को छोटे-छोटे देशों में विभाजित कर दिया गया। कुछ राज्यों को राष्ट्रसंघ के संरक्षण (Mandate) के अन्तर्गत कर लिया गया, जैसे फिलिस्तीन, सीरिया, ईराक, ट्रान्सजोर्डन। इन पर फ्रान्स तथा अंग्रेज़ों ने अधिकार जमा लिया। केवल हैज़ाग प्रदेश ही स्वतंत्र रहा। इस प्रकार विश्व-युद्ध के बाद अंग्रेजों व फ्रेन्चों से अपनी स्वाधीनता के लिये संघर्ष करने लगे। फिलिस्तीन में यहूदियों के अधिवास से स्थिति और भी गंभीर बन गयी। अब यहूदी-अरब संघर्ष ने बड़ा विकट रूप धारण कर लिया। (इसका पूर्ण विवरण फिलिस्तीन देश के अन्तर्गत देखिए।)

अरब में मुख्यतया तीन स्वतंत्र राज्य हैं। ये निम्न प्रकार हैं—सऊदी अरब, यमन, मस्केट और ओमान तथा कुवेत और बेहरीन द्वीप।

सऊदी अरब :—सऊदी अरब-राज्य का शासक अब्दुल अजीज इब्नसऊद है। इसका शासन निरपेक्ष (स्वेच्छाचारी) एकतंत्रीय है। इसका क्षेत्रफल १५०,००० वर्गमील है और जनसंख्या ३,०००,००० है। यहाँ खजूर, गेहूँ, जौ तथा विविध प्रकार के फल उत्पन्न होते हैं। यहाँ अंग्रेजी सोने की मुद्रा प्रचलित है। चाँदी का सिक्का रियाल कहलाता है। इसकी दो राजधानियाँ हैं—रियाध और मक्का। आठ राष्ट्रों के यहाँ राजदूत हैं।

यमन :—इसका शासन भी निरपेक्ष एकतंत्रीय शासन है। शासक इमाम कहलाता है। इसका क्षेत्रफल ७५,००० वर्गमील है। सन् १९४८ में इमाम यहया का वध कर दिया गया। इसके बाद राजगद्दी के लिये संघर्ष चला। इमाम के पुत्र को गद्दी दी गई। २२ मार्च १९४८ को अरब-परिषद (लीग) ने उसे इमाम स्वीकार कर लिया।

मस्केट और ओमान :—यह भी एक स्वतंत्र राज्य है। इसका क्षेत्रफल ८२,००० वर्गमील है और जनसंख्या ५००,००० है। इसका शासक सुल्तान कहलाता है। सर सैयद सैयद बिन तैमूर इसका वर्तमान सुल्तान है। सुल्तान की वार्षिक आय ६-७ लाख रुपये हैं।

कुवेत :—यह भी एक छोटा स्वतंत्र राज्य है। इसका क्षेत्रफल १,९५० वर्गमील है। जनसंख्या ६०,००० है।

बेहरीन द्वीप :—ये द्वीप अरब के तट पर फारस की खाड़ी में स्थित हैं। इसका क्षेत्रफल २५० वर्गमील है। यहाँ की जनसंख्या १२०,००० है। यहाँ का मुख्य उद्योग मोती निकालना है। इस पर ब्रिटेन का संरक्षण है।

अरब देशों में तैल-क्षेत्र भी पर्याप्त हैं। इन पर ब्रिटेन व अमेरिका का अधिकार है।

अलबानिया

क्षेत्रफल :—१०,६२९ वर्गमील ; जनसंख्या १,१२०,५२२ (१९४६) राजधानी तिराना।

यह बाल्कान राष्ट्रों के अन्तर्गत इटली के पूर्व में स्थित है। यह पहाड़ी देश है। यह यूगोस्लाविया, यूनान तथा एड्रियाटिक सागर से घिरा हुआ है। यहाँ की जनसंख्या इस्लाम धर्मानुयायी है।

पहले यह देश तुर्क साम्राज्य के अधीन था। सन् १९१३ में यह देश स्वतंत्र हो गया। सन् १९२५ में अलबानिया गणराज्य बन गया और सन् १९२८ तक यह गणराज्य रहा। अहमद ज़ोग इसका राष्ट्रपति था। सन् १९२८ में संविधान परिषद ने अलबानिया को एकतंत्रीय राज्य घोषित कर दिया और ज़ोग को उसका शासक स्वीकार किया गया।

अप्रैल १९३९ में इटली के फासिस्ट नेता मुसोलिनी ने अलबानिया देश पर अपना अधिकार जमा लिया। सितम्बर १९४२ में अलबानिया के साम्य-वादियों व राष्ट्रवादियों ने देश की मुक्ति के लिये एक संयुक्त मोर्चा स्थापित किया। जब इटली का पतन हो गया, तब जर्मनों ने इस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। राष्ट्रवादियों ने नात्सियों से सहयोग किया। जर्मनों ने द्वितीय युद्ध के बाद अलबानिया को स्वतंत्रता दे देने का वचन दिया। किन्तु साम्यवादी शत्रु का विरोध करते रहे। इसके बाद अन्य दलों के साथ मिलकर उन्होंने प्रजातांत्रिक मोर्चा स्थापित किया। इसमें साम्यवादियों का प्राधान्य था। इस मोर्चे का नेता कर्नल इन्वर होदजा है। जब अक्टूबर सन् १९४४ में जर्मनों का

आधिपत्य समाप्त हो गया तथा होद्जा ने अस्थायी अलबानिया शासन स्थापित किया। सन् १९४५ तक इसे ब्रिटेन, सोवियत रूस तथा अमेरिका ने स्वीकार कर लिया। १२ जनवरी १९४६ को अलबानिया गणराज्य घोषित कर दिया गया।

आइसलैण्ड

क्षेत्रफल :—३९,७५९ वर्गमील ; जनसंख्या १३२,७५० (१९४६)। राजधानी रेकजाविक।

यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक विशाल द्वीप है। इसका बहुत बड़ा भाग उपजाऊ नहीं है। यहाँ बर्फ अधिक जमी रहती है। इसलिये जनसंख्या भी बहुत कम है। यहाँ का मुख्य उद्योग मत्स्य-पालन ही है। पहले यह डेनमार्क के आधिपत्य में था। १ दिसंबर १९१८ से यह स्वतंत्र राज्य है। किन्तु इस पर भी डेनिश शासक का यह प्रभुत्व मानता रहा।

२४ मई सन् १९४४ को जनमत-संग्रह द्वारा इस देश ने डेनमार्क से अपना संबंध त्याग करने का निश्चय किया। १७ जून १९४४ को गणराज्य की घोषणा कर दी गयी। इसे अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत रूस, फ्रान्स आदि ने स्वीकार कर लिया है।

आइसलैण्ड की पार्लामेंट एलथिंग कहलाती है। इसके दो सभागृह हैं। देश की शासनसत्ता का प्रयोग एक राष्ट्रपति के अधीन एक मंत्रि-मण्डल द्वारा किया जाता है। १ अक्टूबर १९४४ को नया मंत्रि-मण्डल ओलाफर थ्रोज के नेतृत्व में निर्माण किया गया। ३० जून १९४६ को नवीन निर्वाचनों का जो फल प्रकाशित हुआ, उसके अनुसार स्वतंत्र-दल के २० सदस्य हैं ; प्रगतिशील दल १३ ; साम्यवादी १० ; मजदूर ९।

१० अक्टूबर १९४६ को ओलाफर थ्रोज के मंत्रिमण्डल ने त्याग-पत्र दे दिया। ओलाफर थ्रोज की सरकार तथा संयुक्तराज्य अमेरिका की सरकार के बीच आइसलैण्ड के केवलाविल वायुयान अड्डे के प्रयोग के संबंध में किये गए समझौते का साम्यवादी दल ने घोर विरोध किया। इसीके फलस्वरूप ओलाफर को त्यागपत्र दे देना पड़ा। इसके पश्चात् तीन मास तक वैधानिक संकट रहा। कोई मंत्रि-मण्डल नहीं बना। ४ फरवरी १९४७ को इस वैधानिक संकट का अन्त हो गया। वहाँ एक संयुक्त मंत्रि-मण्डल स्थापित किया गया। इस के प्रधानमंत्री सामाजिक प्रजातंत्रवादी दल के नेता स्टेफनसन नियुक्त किये गए। इसमें

तीन दलों के सदस्य हैं—स्वतंत्र दल (अनुदार) ; सामाजिक प्रजातंत्रवादी दल तथा कृषक दल ।

आस्ट्रिया

क्षेत्रफल—३२३८८ वर्गमील ; जनसंख्या—६,८१८,५९७ (१६४६); राजधानी—वियाना ।

प्रथम विश्वयुद्ध (१९१४–१९१८) से पूर्व आस्ट्रिया-हंगेरी का एक साम्राज्य था। क्षेत्रफल २६१,२५६ वर्गमील था। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद आस्ट्रिया ने जर्मनी के साथ मिल जाने की घोषणा की। इसमें ब्रिटेन आदि मित्र राष्ट्रों ने बाधा डाली। वह एक स्वाधीन राज्य बना रहा। सन् १६३३–३४ में जब जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का प्रभुत्व स्थापित हो गया, तब आस्ट्रिया में भी नात्सीवाद प्रचलित हो गया। डाल्फस वहाँ का अधिनायक बन गया। उसने मजदूरों का दमन किया और नात्सी-विरोधियों पर भीषण अत्याचार किये। इसी समय उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद शुशनिग से शासन सँभाला। १२ मार्च १९३८ को हिटलर ने आस्ट्रिया पर अपना अधिकार जमा लिया। द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी के पतन के बाद आस्ट्रिया पर मित्रराष्ट्रीय नियंत्रण कमीशन का आधिपत्य हो गया। इस कमीशन में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रान्स व सोवियत रूस हैं। आस्ट्रिया को चार भागों में विभाजित कर दिया गया है। वियाना पर चारों का अधिकार है।

२९ अप्रैल १९४५ को कार्लरेनर के नेतृत्व में अस्थायी शासन स्थापित किया गया। इसके मंत्रि-मण्डल में १३ मंत्री हैं; ३ अदलीय सदस्य; ३ सामाजिक प्रजातंत्रवादी, ४ ईसाई समाजवादी और ३ साम्यवादी हैं। नवम्बर १९४५ में आस्ट्रिया में राष्ट्रीय परिषद् के निर्वाचन हुए। इसमें १६५ सदस्य चुने गये। यह निर्वाचन सन् १९२९ के निर्वाचन नियम के आधार पर हुआ। इस निर्वाचन के परिणामस्वरूप जनता-दल की विजय हुई। इसके ८५ सदस्य हैं; सामाजिक प्रजातंत्रवादी ७६ हैं; साम्यवादी ४ हैं। पिपुल्स पार्टी (जनता-दल) के नेता डा० ल्योपोल्ड फिगल ने एक संयुक्त मंत्रि-मण्डल बनाया, जिसे मित्रराष्ट्रीय नियंत्रण-परिषद् ने भी स्वीकार किया। इसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व है। (१८ दिसंबर १९४५)। १९ दिसंबर १९४५ को वियाना में राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन हुआ। इसमें डा० रेनर को राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। इसे मित्रराष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया।

आस्ट्रेलिया

क्षेत्रफल—२,९७४,५८१ वर्गमील; जनसंख्या—७,५८०,८२० (१९४७); राजधानी—कैनबेरा।

आस्ट्रेलिया ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत एक अधिराज्य है। यह एशिया व अमेरिका के मध्य में प्रशान्त महासागर में एक द्वीप है। इस द्वीप में ४७,००० आदिवासी हैं, जिनकी गणना उक्त जनसंख्या में नहीं की गयी है। यहाँ सबसे प्राचीन ढंग के आदि-वासी मिलते हैं। १५८ वर्ष पूर्व ब्रिटेन में निर्वासित बन्दियों को आस्ट्रेलिया में निर्वासन के लिये भेजा जाता था। १ जनवरी १९०१ को ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत इसे अधिराज्य "डोमिनियन" पद दिया गया। इस देश में संघ-शासन-प्रणाली स्थापित है। आस्ट्रेलियन कॉमनवेल्थ के अन्तर्गत ८ राज्य हैं—न्यू साउथवेल्स, विक्टोरिया, क्वीन्सलैण्ड, दक्षिणी आस्ट्रेलिया, पश्चिमी आस्ट्रेलिया, टसमानिया, उत्तरी प्रदेश और आस्ट्रेलियन राजधानी प्रदेश। २८ सितम्बर १९४६ को आस्ट्रेलिया की प्रतिनिधिसभा का निर्वाचन हुआ था। इसमें कुल ७४ सदस्य निर्वाचित किये गये, जिसमें विविध दलों की संख्या निम्न प्रकार थी—मजदूर दल ४३; उदार ११; स्वतंत्र मजदूर २; लिबरल कन्ट्री पार्टी १; सीनेट में मजदूर-दल के ३३ सदस्य निर्वाचित हुए। १ नवम्बर १९४६ को आस्ट्रेलिया में मजदूर-सरकार का निर्माण किया गया। श्री जे० बी० चीफले इसके प्रधान-मंत्री नियुक्त किये गये। विलियम जान मैकेल यहाँ के गवर्नर-जनरल हैं।

आयरिश स्वतंत्र राज्य

क्षेत्रफल—२७,१३७ वर्गमील; जनसंख्या २,९५३,४५२ (१९४६) राजधानी—डबलिन।

यह ब्रिटेन के पश्चिम में एक द्वीप है। पहले यह महान ब्रिटेन का ही एक अंग था। जब सन् ११५२ में आयरलैण्ड में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गयी, तब से आयरिश जनता तथा अंग्रेजों में संघर्ष होने लगा। आयरिश अंग्रेजी आधिपत्य के सदैव से विरोधी रहे हैं। इस विरोध के दो कारण हैं; एक जातीयता और दूसरा धार्मिक मतभेद। सन् १९१६ में जब कि यूरोप में युद्ध जारी था आयरिश जनता ने विद्रोह किया और स्वतंत्र आयरिश गणराज्य की घोषणा कर दी। युद्ध के बाद ६ दिसम्बर १९२१ को ब्रिटेन व आयरलैण्ड में संधि हो गयी। इसके अनुसार आयरलैण्ड ने औपनिवेशिक स्वराज्य स्वीकार कर लिया। अल्टर प्रदेश को आयरिश स्वतंत्र राज्य से पृथक कर दिया गया।

१४ जून १९३७ को आयरिश स्वतंत्र गणराज्य का नया संविधान स्वीकार किया गया। जनमत द्वारा भी इसे स्वीकार कर लिया गया। यह संविधान पूर्ण स्वाधीनता के आधार पर बनाया गया। २९ दिसम्बर १९३७ से इस नये संविधान के अनुसार शासन हो रहा है। संविधान में आयरलैंड को पूर्ण स्वाधीन, प्रभुत्व-सम्पन्न गणराज्य घोषित किया गया है। इसकी राष्ट्रीय ध्वजा हरित, श्वेत और केशरी रंग की स्वीकार की गयी है। ब्रिटेन की राष्ट्रीय पताका (यूनियन जैक) तथा ब्रिटिश ताज से भी इसका सम्बन्ध नहीं है। यहाँ गवर्नर-जनरल का पद नहीं है। उसके स्थान पर राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। उसकी नियुक्ति सात वर्ष के लिये होती है। वह पार्लमेण्ट के अधिवेशन आमंत्रित करता है तथा उसे भंग भी कर सकता है। वह सेना का प्रधान-सेनापति भी है। पार्लमेंट (डेल आयरेन) के अन्तर्गत दो सभागृह हैं: (१) प्रतिनिधि सभा (Dail Eireann) और (२) सीनेट (Seanad Eireann)। सीनेट में ६० सदस्य हैं। इसमें ४९ तो व्यावसायिक आधार पर निर्वाचित किये जाते हैं; शेष ११ प्रधान मंत्री द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। प्रतिनिधि सभा में १३८ सदस्य हैं। इनका जनता द्वारा निर्वाचन किया जाता है। मंत्रिमण्डल पार्लामेंट के प्रति उत्तरदायी होता है। फर्वरी १९४८ में डी वेलेरा की फियाना फेल पार्टी की हार हुई। उसे नवीन पार्लामेंट के १४७ सदस्यों में से ६८ सदस्यों का समर्थन मिला। दूसरी पार्टी फाइन गायेल के नेता जे० ए० कोस्टेला ने एक संयुक्त शासन ६ फर्वरी १९४८ को स्थापित किया। इस प्रकार डी वेलेरा के १६ वर्षीय शासन का अन्त हो गया। नवम्बर १९४८ में डेल ने एक कानून स्वीकार किया है जिसके कारण ब्रिटिश ताज से उसका सम्बन्ध टूट जायगा।

इथियोपिया

क्षेत्रफल--३५,००० वर्गमील; जनसंख्या--१२,१००,०००; राजधानी--अदीस अबाबा।

यह अफ्रीका का एक प्राचीन देश है। इसका नाम इथियोपिया है; किन्तु इसे अबीसीनिया भी कहते हैं। इसका राजवंश ईसाईधर्म का अनुयायी है। देश की जनसंख्या का बहुमत ईसाई है; मुसलमान अल्पमत में हैं। सम्पूर्ण देश १२ प्रान्तों में विभाजित है और प्रत्येक एक गवर्नर-जनरल के अन्तर्गत है। शासन एकतंत्रीय प्रणाली के अनुसार होता है। वर्तमान सम्राट हेल सलासी प्रथम है।

दिसम्बर १९३४ में सीमान्त पर उलउल नामक स्थान पर इटली तथा इथियोपिया में संघर्ष हो गया। इसके फलस्वरूप २ अक्टूबर सन् १९३५ को दोनों में युद्ध छिड़ गया। हेल सलासी राष्ट्रसंघ का सदस्य था। उसने राष्ट्रसंघ से अपील की कि वह मुसोलिनी की सेनाओं को इथियोपिया के स्वतंत्र राज्य पर आक्रमण करने से रोके। राष्ट्रसंघ ने इटली को आक्रामक घोषित कर दिया। किन्तु ब्रिटेन तथा फ्रान्स के राजनेताओं ने मुसोलिनी के साथ गुप्त सन्धि कर ली कि वे उसका समर्थन करेंगे और इथियोपिया के पक्ष में कोई प्रभावकारी कार्यवाही नहीं करेंगे। फलस्वरूप सम्राट १ मई १९३६ को अपना राज्य छोड़ भाग गये और ९ मई १९३६ को मुसलिनी ने इथियोपिया को इटालियन साम्राज्य में मिला लिया। एक वर्ष के बाद ब्रिटेन, फ्रान्स आदि ने इस अमानुषिक अपहरण काण्ड पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी। १० जून १९४० को इटली ने ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी। ब्रिटिश सेनाओं ने इथियोपिया पर आक्रमण कर दिया और २७ नवम्बर १९४१ तक देश को फासिस्ट आधिपत्य से मुक्त कर दिया। सम्राट हेल सलासी अपने देश में पुनः पहुँच गये। इस प्रकार इस देश ने पुनः स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। इस देश का शासन एक मंत्रि-परिषद द्वारा होता है। एक पार्लमेंट है, जिसमें दो सभागृह हैं। यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का भी सदस्य है।

हिन्देशिया

क्षेत्रफल—७३५,२६८ वर्गमील; जनसंख्या—६०,७२७,२३३ (१९३०) राजधानी—जाकार्त्ता।

२ दिसम्बर १९४९ को हेग-सम्मेलन में हिन्देशिया तथा डच सरकार के बीच जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार हिन्देशिया गणराज्य को एक स्वतंत्र पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य स्वीकार कर लिया गया। यह स्वायत्त शासन प्राप्त राज्यों का एक संघ-राज्य है, जिसमें निम्न लिखित राज्य सम्मिलित हैं—

क—(१) हिन्देशिया का प्रजातंत्र, जिसमें वह भूमि सम्मिलित होगी जो १७ जनवरी १९४८ को हुए रेनविल-समझौते में तत्कालीन स्थिति के अनुसार निर्धारित की गयी हो।

(२) पूर्वी हिन्देशिया का राज्य।

(३) पशुनदान का राज्य (पश्चिमी जावा का राज्य)।

(४) पूर्वी जावा का राज्य।

(५) मदुरा का राज्य।
(६) पूर्वी सुमात्रा का राज्य।
(७) दक्षिणी सुमात्रा का राज्य।

ख—नेगारस की स्वायत्त शासित इकाइयाँ इस प्रकार होंगी—
मध्य जावा, बंका, बेलोतुंग, रियाऊ, पश्चिमी बोर्नियो, बृहत्तर दयाक, बन्दजर क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी बोर्नियो, पूर्वी बोर्नियो।

हेग के उक्त समझौते द्वारा हिन्देशिया गणराज्य का संविधान भी स्वीकार किया गया है। इसके अनुसार एक राष्ट्रपति होगा और वह अपना मंत्रि-मण्डल नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति उन नेताओं की सम्मति से जिन्हें राज्यों ने अधिकार दिया हो, तीन व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त करेगा, जो हिन्देशिया गणतंत्रीय राज्य का मंत्रिमण्डल बनायेगी। राष्ट्रपति इनमें से एक को प्रधान मंत्री नियुक्त करेगा।

हिन्देशिया संघराज्य के अन्तर्गत समस्त राज्यों की एक सीनेट होगी जिसमें प्रत्येक राज्य के दो-दो प्रतिनिधि होंगे। लोकसभा में १५० सदस्य होंगे। इनके एक तिहाई सदस्य हिन्देशिया प्रजातंत्र से लिये जायँगे। लोकसभा में चीनियों, यूरोपियनों व अरब अल्पसंख्यकों के क्रमशः ९, ६ व ३ सदस्य होंगे। हिन्देशिया गणराज्य में एक सर्वोच्च न्यायालय भी स्थापित किया गया है। गण राज्य की राष्ट्रीयध्वजा रक्त एवं श्वेत रंग की होगी और हिन्देशिया की "राया" उसका राष्ट्रीय गान होगा।

नीदरलैण्ड राज्य हिन्देशिया गणराज्य का संयुक्त राज्य कायम होगा। यह राज्य इन दोनों में संघटित सहयोग स्थापित करेगा और इसका आधार अपनी इच्छा तथा समान अधिकार व सम्मान पर होगा।

वैदेशिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विषयों में ये दोनों सहयोग-पूर्वक कार्य करेंगे। संयुक्तराज्य की अधिपति महारानी जुलियाना को स्वीकार किया गया है।

इस समझौते के अनुसार हिन्देशिया में नवीन शासन की स्थापना हो गयी है। डा० हाता उसके राष्ट्रपति निर्वाचित किये गये हैं और डा० सुकर्णो उसके प्रधान-मंत्री।

हिन्देशिया में ८५ प्रतिशत मुसलमान हैं। इनके अतिरिक्त वहाँ चीनी, डच तथा यूरोपियन भी हैं। एक समय ये भारत के उपनिवेश थे। सुमात्रा, जावा, बाली आदि द्वीपों में आज भी हिन्दू संस्कृति तथा सभ्यता के चिह्न मिलते

हैं। वहाँ के आचार-विचार, साहित्य-कला, मन्दिर तथा स्थापत्य पर हिन्दू संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट देख पड़ता है।

इज़राइल

१४ मई १९४८ को फिलिस्तीन के विभाजन के फलस्वरूप यहूदियों के नये राज्य—इज़राइल की स्थापना हुई। फिलिस्तीन अरब का पड़ोसी राज्य था। इसके पश्चिम में भूमध्यसागर तथा पश्चिम व दक्षिण में मिश्र देश है। सन् १९१४ में फिलिस्तीन तुर्की साम्राज्य का एक अङ्ग था। ३०० वर्षों तक तुर्कों का इस पर राज रहा। इससे पूर्व जेरूसलम में ईसाइयों ने भी राज कायम कर लिया था। जब सन् १९१४–१८ के युद्ध में आटोमन (तुर्की) साम्राज्य का पतन हो गया, तब इस पर अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिया। २ नवम्बर १९१७ को ब्रिटेन के वैदेशिक मंत्री बालफोर ने यहूदीसंघ के लिए एक पत्र में यह लिखा कि—"ब्रिटेन की सरकार इस पक्ष में है कि फिलिस्तीन में यहूदी जनता के लिये एक राष्ट्रीय गृह की स्थापना की जाय और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये वह पूरा प्रयत्न करेगी।" प्रथम युद्ध के बाद फिलिस्तीन राष्ट्रसंत्र (League of Nations) के संरक्षण में आ गया और ब्रिटेन को इसका प्रशासक नियुक्त किया गया। इसी प्रथम युद्ध-काल में १४ जुलाई १९१५ से १० मार्च १९१६ तक मिश्र में स्थित ब्रिटिश हाईकमिश्नर सर हेनरी मॅक माहोन ने मक्का के शरीफ हुसेन के साथ लंबा पत्र-व्यवहार अरबों के युद्ध में सहयोग के संबंध में किया। अरबों की ओर से अनेक बार यह माँग की गयी कि समस्त अरब प्रायद्वीप (अदन को छोड़) तथा उन सब प्रदेशों को जो इराक, फिलिस्तीन, ट्रान्सजोर्डन, सीरिया कहलाते हैं, स्वतंत्रता दे दी जाय और उनमें एकता भी स्थापित की जाय। सर हेनरी ने मक्का के शरीफ को यह सूचित किया कि—"ब्रिटिश सरकार उन सब प्रदेशों में, जिनकी माँग मक्का के शरीफ ने की है, अरबों की स्वतंत्रता स्वीकार करने को तैयार है।" किन्तु जब सन् १९२० में पैरिस में संधि की गई, तो अरब देशों को छिन्न-भिन्न कर दिया गया। फिलिस्तीन पर ब्रिटिश आधिपत्य हो गया।

सन् १९२९ से ब्रिटिश सरकार फिलिस्तीन की समस्या का हल करने के लिये कमीशन भेजती रही। सन् १९३९ में विश्वयुद्ध छिड़ गया। सन् १९४७ में ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त राष्ट्रसंघ को यह सूचित कर दिया कि वह इस देश की समस्या का हल करे। ब्रिटेन फिलिस्तीन पर से अपना शासन-प्रबन्ध मई १९४८

में हटा लेगा। अतः संयुक्त राष्ट्रसंघ उसी समय से इस समस्या पर विचार करता रहा। अन्त में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने फिलिस्तीन को दो भागों में विभाजित करने की योजना स्वीकार की। एक भाग में यहूदी राज्य ; दूसरे में अरब राज्य। जेरूसलम में संयुक्त राष्ट्रसंघ की ओर से प्रबन्ध होगा।

इस योजना के अनुसार ही यहूदियों ने इज़राइल स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। तेल अबीब इसकी राजधानी है। इसके राष्ट्रपति डा० वीजमैन हैं और प्रधान मंत्री श्री डेविड बेन गुरियन हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस व ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया है।

इटली

क्षेत्रफल—११६,२३५ वर्गमील ; जनसंख्या—४५,६४५,००० (१६४७) राजधानी—रोम।

इटली में द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व राजा विक्टर इमानुअल का राज्य था। किन्तु वास्तव में मुसोलिनी वहाँ के अधिनायक थे। सन् १९२६ से इटली में फासिस्ट शासन का आरम्भ हुआ और इसका अन्त जुलाई १९४३ में मुसोलिनी के अन्त के साथ हुआ। इसी वर्ष बेडोग्लियो ने मन्त्रि मण्डल बनाया। ३ सितम्बर १९४३ को इटली की नयी सरकार तथा ब्रिटिश सरकार के बीच विराम-सन्धि पर हस्ताक्षर किये गए। १३ अक्टूबर १९४३ को बोडोग्लियो सरकार ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी। ९ जुलाई १९४४ को इस शासन ने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद सिग्नोर बोनामी ने नया शासन स्थापित किया। २६ नवम्बर १९४४ को इसने भी त्यागपत्र दे दिया। १० दिसंबर १९४४ को बोनामी ने नया संयुक्त मन्त्रि-मण्डल बनाया। इसमें उदार, मजदूर, प्रजातंत्रवादी व साम्यवादी सदस्य सम्मिलित थे।

इटली के शासन ने २ जून १९४६ को संविधान परिषद् के लिये साधारण निर्वाचन करने का निश्चय किया। इसी समय यह भी निश्चय करने के लिये मत-संग्रह का आयोजन किया गया कि इटली में गणतंत्र हो या एकतंत्र। २ जून को संविधानपरिषद के निर्वाचन हुए और यह भी निश्चय किया गया कि इटली गणराज्य होगा। निर्वाचन के फलस्वरूप ईसाई प्रजातंत्रवादियों को ३५·२% मत, समाजवादी दल को २०·७% मत ; साम्यवादियों को १८·९% प्रतिशत मत मिले ; शेष अन्य दलों को।

२५ जून १९४६ को संविधान-परिषद का अधिवेशन इटली क[illegible]या

संविधान बनाने के लिये आरम्भ हुआ। १२ जुलाई १९४६ को डी-गेस्पारी ने इटालियन गणराज्य की प्रथम मन्त्रि-परिषद् का निर्माण किया। यह संयुक्त मन्त्रि-मण्डल था। इसमें साम्यवादी भी सम्मिलित थे। समाजवादी दल में मतभेद हो जाने के फलस्वरूप पीट्रोनेनी ने मन्त्रिपद से त्यागपत्र दे दिया। २२ जनवरी १९४७ को मंत्रि-परिषद् का पुनः निर्माण किया गया। गेस्पारी फिर प्रधान मन्त्री बने। संयुक्त मन्त्रि-मण्डल पुनः बना और उसमें समाजवादियों तथा साम्यवादियों को भी शामिल किया गया। मन्त्रि-मण्डल में फिर मतभेद हो गया और ३० मई १९४७ को उसका पुनः संगठन किया गया। इस बार भी गेस्पारी प्रधान मन्त्री बने। संयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाया गया; परन्तु इस बार इसमें केथोलिक डेमोक्रेट और स्वतंत्र सदस्य ही सम्मिलित थे। समाजवादी व साम्यवादी दल इसमें सम्मिलित नहीं किये गए।

देश में आर्थिक संकट तथा गेस्पारी के विरुद्ध राजनीतिक आन्दोलन के कारण उसके शासन की नींव हिलने लगी। सितम्बर १९४७ में मजदूरों ने कारखानों में हड़तालें भी कीं। अतः अपने मन्त्रि-मण्डल में उसने विस्तार किया और दिसम्बर १९४७ में समाजवादी तथा गणतंत्रवादियों को भी प्रतिनिधित्व दे दिया गया।

६ फरवरी १९४८ को इटली के शासन ने १८ अप्रेल १९४८ साधारण निर्वाचन का दिनांक निश्चित किया। ईसाई डेमोक्रेट पार्टी की अल्पमत से विजय हुई और लोकप्रिय मोर्चे की पराजय हुई। इसके नेता साम्यवादी दल के नेता रोगलियाटी थे। गेस्पारी ने पुनः इटली में अपना मन्त्रि-मण्डल स्थापित किया।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि इटली के निर्वाचनों में संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता भी बहुत बड़े पैमाने पर थी। वह इटली को साम्यवादी शासन से सुरक्षित रखना चाहता था। इसलिये इसमें उसने पर्याप्त सहायता दी।

संयुक्त राष्ट्रसंघ ने इटली के पूर्व उपनिवेशों के भाग्य का निर्णय दिसम्बर १९४९ के विश्व परिषद के अधिवेशन में कर दिया है। इसके अनुसार लिब्रिया को १ जनवरी १९५१ तक पूर्ण स्वाधीनता दे दी जायगी। इरीट्रिया के लिये जाँच-कमीशन नियुक्त किया गया है। उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ पुनः निश्चय करेगा। सुमालीलैंड पर दस वर्ष तक संयुक्त राष्ट्रसंघ का संरक्षण रहेगा और इटली उसका प्रशासन-कर्त्ता रहेगा।

इराक़

क्षेत्रफल :—११६,००० वर्गमील ; जनसंख्या—४,६११,६०० (सन् १९४९) राजधानी—बगदाद ।

अंग्रेजों का इस देश पर सन् १९२० से आधिपत्य रहा। यह अरब देश है। इसे राष्ट्रसंघ के संरक्षण में सन् १९२० में ले लिया गया और इसका शासन प्रबन्ध अंग्रेजों को सौंप दिया गया। ब्रिटिश संरक्षण में आने से पूर्व यह तुर्क साम्राज्य का एक प्रदेश था। मक्का के बादशाह हुसेन के पुत्र अमीर फैजल को सन् १९२१ में इराक़ का बादशाह बनाया गया। सन् १९२४ में एक संविधान-परिषद् संविधान बनाने के लिये नियुक्त की गयी। इसने एकतंत्रीय शासन-पद्धति स्वीकार की। एक पार्लमेंट बनाई गई। उसमें दो सभागृह बनाये गए। १६ जुलाई १९२५ को नये संविधान के अधीन बादशाह फैजल ने प्रथम पार्लमेंट का उद्घाटन किया। सन् १९४४ व १९४६ में कुछ संशोधन संविधान में किये गये।

१५ जनवरी १९४८ को इराक-ब्रिटेन-संधि पर पोर्टस्माउथ में बेविन तथा इराकी प्रधानमंत्री सालेहजब्बर ने हस्ताक्षर किये। इस संधि के विरुद्ध इराक में बड़ी अशान्ति और उपद्रव खड़े हो गये। वास्तव में यह संधि इराकी हितों के विरुद्ध थी। इससे मंत्रि-मण्डल को त्यागपत्र दे देना पड़ा और दूसरा मंत्रि-मण्डल सैयद मुहम्मद इल सादर ने बनाया। १९ फरवरी १९४८ को मंत्रि-मण्डल ने वर्तमान इराकी पार्लमेंट को इस आधार पर भंग कर देने का निश्चय किया कि यह जनता की सच्ची प्रतिनिधि नहीं है। ११ जून १९४८ को ये चुनाव हुए। १३८ में से १३१ सदस्य स्वतंत्र चुने गये। नये प्रधानमंत्री इलपचाकी नियुक्त किये गये।

ईरान

क्षेत्रफल—६२८,००० वर्गमील ; जनसंख्या १५,०५५,११५ ; राजधानी तेहरान ।

यह फारस का आधुनिक नाम है। प्राचीन समय में यह बड़ा शक्तिशाली राज्य था। सन् १९०० में इसमें आन्तरिक कलह उत्पन्न हो गया। सन् १९०६ की राज्य-क्रान्ति के बाद इसमें वैधानिक शासन-प्रणाली की स्थापना की गयी। सन् १९०७ में, रूस-ब्रिटेन-संधि के अनुसार, उत्तरी ईरान रूस तथा दक्षिणी भाग ब्रिटेन के प्रभाव क्षेत्र में आ गये।

ईरान में जनता का बहुमत मुस्लिम है। यहाँ १०,००० पारसी, ४०,००० यहूदी, ५०,००० आरमीनियन, २०,००० नेस्टोरियन और ३,०००,००० भ्रमण-शील जातियाँ हैं। ईरान का शाह राज्य का वैधानिक प्रमुख है। देश का शासन एक मंत्रि-परिषद द्वारा किया जाता है, जो मजलिस (ईरानी पार्लमेंट) के प्रति उत्तरदायी है।

जब द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ हुआ, तब ईरान तटस्थ देश था। किन्तु मित्रराष्ट्रों के प्रभाव में आकर उसे ९ सितम्बर १९४३ में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषणा करनी पड़ी। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत रूस अपनी-अपनी सेनायें उसके प्रदेश में कायम रखे रहे। सोवियत रूस ने अपनी सेनायें ईरान के अजेरबेजां के उत्तरी भाग में रखीं। इस भाग में तुदेह पार्टी सोवियत रूस के समर्थन से सितम्बर १९४५ से राज्यशासन के विरुद्ध आन्दोलन कर रही थी। १६ नवम्बर १९४६ को ईरान की सरकार ने वहाँ अपनी सेनायें उसके दमन के लिये भेजीं किन्तु रूसी सेनाओं ने ईरानी सैनिक टुकड़ियों को मार्ग में ही रोक दिया। इससे एक अन्तर्राष्ट्रीय विकट समस्या पैदा हो गयी। यह विद्रोह दबा दिया गया और अजेरबेजां को १२ जून १९४५ को स्वायत्त शासन दे दिया गया और केन्द्रीय शासन की सत्ता वहाँ स्थापित हो गयी। और भी प्रान्तों में विद्रोह हुए; ईरानी सरकार ने उनका भी दमन कर दिया।

५ अक्टूबर १९४६ को शाह ने यह आदेश जारी किया कि नवीन मजलिस (ईरानी पार्लमेंट) का निर्वाचन होगा। इस निर्वाचन के परिणामस्वरूप कुआवाम सुलतानेह के प्रजातांत्रिक दल को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त हो गया। १७ जुलाई १९४७ को तेहरान में शाह ने नवीन मजलिस का उद्घाटन किया। ११ सितम्बर १९४७ को उसने अपना नवीन मंत्रि-मण्डल बनाया। किन्तु १० दिसम्बर १९४७ को उसने प्रजातांत्रिक नीति के सम्बन्ध में मतभेद हो जाने के कारण त्यागपत्र दे दिया। २१ दिसम्बर १९४७ को एम० इब्राहीम हाकिमी प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया। उसने २८ दिसम्बर को अपना मंत्रि-मण्डल स्थापित किया। उसने जून ८, १९४८ को त्यागपत्र दे दिया; क्योंकि मजलिस ने उस पर अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार किया था। मजलिस ने अब्दुल हुसेन हाजिर को प्रधान-मंत्री निर्वाचित किया। इसे प्रजातंत्र-दल ने सहायता दी।

१६ नवम्बर १९४८ को नवीन प्रधान-मंत्री का निर्वाचन किया गया। मुहम्मद सईद मारवे प्रधान मंत्री चुने गये।

ईक्वेडर

क्षेत्रफल—२७५,९३६ वर्गमील ; जनसंख्या ३,२४१,३११ (सन् १९४४) राजधानी क्विटो ।

यह देश दक्षिणी अमेरिका के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है। यह देश १७ प्रदेशों में विभक्त है। इसमें श्वेत वर्ण के लोगों की जन संख्या ८% है ; २७% इंडियन, वर्णसंकर ५४% ; २% नीग्रो तथा शेष अन्य जातियाँ हैं। बहुमत की भाषा स्पेनिश है। यह गणराज्य है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचन किया जाता है। इसकी पार्लमेंट में एक सभागृह है। इसका निर्वाचन दो वर्ष के लिये प्रान्तों की जनता द्वारा किया जाता है। व्यावसायिक, सांस्कृतिक तथा जातीय समुदायों द्वारा विशेष प्रतिनिधियों का भी निर्वाचन किया जाता है। यद्यपि राष्ट्रपति चार वर्ष के लिये चुना जाता है, तथापि गत ४३ वर्षों में २२ राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। अन्तिम राष्ट्रपति सन् १९४० में जनता द्वारा चुना गया था। सन् १९४४ में उसके एक प्रतिद्वन्द्वी ने उसे बलपूर्वक हटाकर स्वयं राष्ट्रपति की सत्ता ग्रहण कर ली।

इसकी कांग्रेस में ४४ उदार, ३५ अनुदार, १६ सामाजिक प्रजातंत्रवादी, ५ साम्यवादी और ६ स्वतंत्र हैं। सन् १९४० के पश्चात् राष्ट्रपति का निर्वाचन ६ जून १९४८ को हुआ। सेनेटर गाला प्लाज़ा इसके राष्ट्रपति चुने गये।

कनाडा

क्षेत्रफल—३,६९५,१८० वर्गमील ; जनसंख्या ११,५०६,६५५ (१९४१) राजधानी ओटावा।

कनाडा एक संघ-राज्य है जो (ब्रिटिश) राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत है। यह राज्य उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर में स्थित है। कनाडा का शासन सन् १८६७ के ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका एक्ट के आधार पर होता है। यहाँ के संघ-शासन के अन्तर्गत एक गवर्नर-जनरल, एक सीनेट और एक लोकसभा (House of Commons) है। सीनेट के सदस्य गवर्नर-जनरल द्वारा आजीवन के लिये नियुक्त किये जाते हैं। लोकसभा का निर्वाचन जनता द्वारा पाँच वर्ष के लिये किया जाता है। पहले लोकसभा में २४५ सदस्य

थे। किन्तु १९४७ में नये कानून के अनुसार यह संख्या बढ़ाकर २५५ कर दी गयी है। सीनेट में सन् १९१७ से ९६ सदस्य रहे हैं।

सन् १९४८ में लोकसभा में विविध दलों की स्थिति निम्न प्रकार थी :—उदार १२७; प्रगतिवादी अनुदार ६६; समाजवादी दल २८; सामाजिक शाख-दल (Social Credit Party) १३, दूसरे १०।

कनाडा के गवर्नर-जनरल फील्ड मार्शल वाइकाउन्ट एलेक्जैंडर हैं। मंत्रि-मण्डल में १६ सदस्य हैं। मैकेन्जी किंग इसके प्रधान-मंत्री हैं।

कनाडा की अपनी जल-नभ-थल सेनाएँ हैं। वहाँ गेहूँ सबसे अधिक पैदा होता है। सोना, ऊन, निकिल आदि भी पैदा होती है। कनाडा का सिक्का डालर है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर के बराबर है। प्रायः एक शताब्दी से संयुक्त राज्य तथा कनाडा के संबंध मित्रतापूर्ण रहे हैं।

क्यूबा

क्षेत्रफल—४६,७३६ वर्गमील; जनसंख्या ४,७७८,५८३ (१९४३) राजधानी हवाना।

क्यूबा एक अमेरिकन द्वीप है। इसके आसपास और भी छोटे-छोटे द्वीप हैं। यह ६ प्रान्तों में विभाजित है। इसकी राष्ट्रभाषा स्पेनिश है।

यहाँ की मुख्य पैदावार तम्बाकू, चीनी, काफी और नरियल है। क्यूबा संसार में अधिक चीनी उत्पन्न करनेवाले राष्ट्रों में द्वितीय स्थान रखता है। यहाँ फलों तथा मधु का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है और उन्हें निर्यात भी किया जाता है। यहाँ कच्चा लोहा अधिक है। इसके ९०% भाग पर अमेरिकन उद्योग-पतियों का अधिकार है।

सन् १९०१ में क्यूबा गणराज्य हो गया। गणराज्य का एक राष्ट्रपति है; एक सीनेट तथा एक प्रतिनिधि सभा है। राष्ट्रपति की एक मंत्रि-परिषद है। इसमें १५ मंत्री हैं; एक प्रधानमंत्री।

सन् १९४० के फर्वरी मास में एक परिषद ने इसके नये संविधान की रचना का कार्य आरंभ किया। अक्टूबर १९४० में यह लागू हो गया। इस संविधान के अधीन मंत्रि-मण्डल विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी है। १ जून १९४४ को डा० सान मार्टिन राष्ट्रपति चुने गये और चार वर्ष तक अपने पद पर रहे। दूसरा चुनाव १ जून १९४८ को हुआ जिसमें डा० कर्टिस सफल रहे।

कोरिया

क्षेत्रफल—८५,२४६ वर्गमील ; जनसंख्या २४,३२६,३२७ ।

द्वितीय युद्ध (१९३९–१९४५) से पूर्व इस देश पर जापान का आधिपत्य था। सन् १९४५ में पोस्टडम (जर्मनी) में चार मित्र राष्ट्रों के सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि कोरिया के उत्तरी भाग पर सोवियत तथा दक्षिणी पर अमेरिका का सैनिक आधिपत्य रहेगा। वहाँ शीघ्र से शीघ्र नागरिक शासन की स्थापना की जायगी और पाँच वर्ष के बाद उसे स्वाधीनता दे दी जायगी।

सन् १९४५ से ही कोरिया पर उक्त दोनों राष्ट्रों की सेनाओं का नियंत्रण रहा है। सन् १९४६ में समस्त कोरिया के लिये एक अन्तरिम शासन स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। किन्तु दोनों राष्ट्रों की सरकारों में इस प्रश्न पर मतभेद हो गया कि निर्वाचनों में कौन-कौन से दलों को सम्मिलित होने का अधिकार है। अतः समूचे देश के लिये शासन की स्थापना नहीं हो सकी। फलतः कोरिया देश दो क्षेत्रों में विभाजित है। उत्तरी भाग में सोवियत रूस ने कोरिया जन-गणराज्य की स्थापना की है, जिसका शासन एक संयुक्त मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। उत्तरी कोरिया के गणराज्य का राष्ट्रपति किम सुंग (साम्यवादी) है। १६ फर्वरी १९४८ को कोरिया में गणराज्य के शासन की स्थापना की गयी।

दक्षिणी कोरिया पर संयुक्त राज्य अमेरिका का सैनिक नियंत्रण सन् १९४५ से रहा है। वहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघ के कमीशन के तत्वावधान में अन्तरिम शासन की स्थापना हो गयी है। इसकी एक अन्तरिम विधान सभा भी है, जिसका प्रथम अधिवेशन १२ दिसम्बर १९४६ को आरम्भ हुआ। इसमें ४५ निर्वाचित तथा ४५ मनोनीत सदस्य हैं।

दक्षिणी कोरिया में साम्यवादियों का प्रभाव अति प्रबल है। अक्टूबर १९४८ में ५००० कोरिया के साम्यवादियों ने विद्रोह किया और अमेरिका-क्षेत्र के कई नगरों पर अधिकार जमा लिया। दक्षिणी कोरिया की जनसंख्या १९,३६६,२७० है। यह कुल देश की जन-संख्या का ८०% है।

कोलम्बिया

क्षेत्रफल—४३६,९९७ वर्गमील; जनसंख्या १०,५४४,६७० । (१९४७) राजधानी वोगोटा ।

कोलम्बिया दक्षिणी अमेरिका का एक गणराज्य है । इस पर सन् १८१९ से पूर्व स्पेन का आधिपत्य था । इसी वर्ष कोलम्बिया ने स्वाधीनता प्राप्त कर ली । इसकी जनसंख्या में १०५,८०७ इंडियन और ३०८ कवाइले हैं । इसकी भाषा स्पेनिश है । इसका वैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है । इसका निर्वाचन चार वर्ष के लिये किया जाता है । विधानमण्डल के अन्तर्गत दो सभाएँ हैं—एक सीनेट और दूसरी प्रतिनिधि सभा । १६ मार्च १९४७ को कांग्रेस (विधानमण्डल) के निर्वाचन हुए । इसके बाद राष्ट्रपति ओस्पेना पेरेज ने नवीन मंत्रि-मण्डल का निर्माण किया ।

कोस्टारिका

क्षेत्रफल—२३,००० वर्गमील ; ४७१,५२५ (१९४५); राजधानी सान जोसे ।

यह केन्द्रीय अमेरिकन गणराज्य है । देश ७ प्रदेशों में विभाजित है । इसकी जनसंख्या यूरोपियन वंश से है । अधिकांश स्पेनिश हैं । आदिवासियों की संख्या कम होती जा रही है ।

यहाँ के विधान-मण्डल में केवल एक ही सभागृह है; इसे वैधानिक कांग्रेस कहते हैं । इसमें ४५ प्रतिनिधि हैं । राष्ट्रपति एक मंत्रि-मण्डल नियुक्त करता है, जिसमें ९ सदस्य होते हैं ।

मार्च १९४८ में कोस्टारिका में यादवीय युद्ध आरम्भ हो गया । इसका कारण राष्ट्रपति का निर्वाचन था । राष्ट्रपति पिकाडो ने ८ फर्वरी १९४८ के राष्ट्रपति के निर्वाचन को रद्द कर दिया । उसमें सेनर ओलिलियो लिटाटिस की सरकारी समर्थन-प्राप्त उम्मीदवार डा० गुआर्दैया पर विजय रही । कर्नल जासो फिगुएरास के कमान में एक मुक्ति सैन्य (Army of liberation) ने शासन के विरुद्ध विद्रोह करना आरम्भ कर दिया । राष्ट्रपति पिकाडो ने बिना शर्त आत्म-समर्पण कर दिया और त्यागपत्र भी दे दिया । २४ अप्रैल १९४८ को सेनर हेरारा ने अस्थायी शासन का निर्माण किया । इसमें कर्नल फिगुएरास वैदेशिक, न्याय तथा आन्तरिक विभाग के मंत्री नियुक्त किये गये । यह घोषणा

की गयी कि वर्षान्त तक देश का शासन क्रान्तिकारियों की समिति द्वारा होगा। यह समिति देश का नया विधान बनायेगी। ८ दिसम्बर को नवीन परिषद् का निर्वाचन होगा। इसी समय कोस्टारिका पर निकारागुआ प्रदेश से आक्रमण किया गया।

ग्रीस (यूनान)

क्षेत्रफल—१५०,१८२ वर्गमील; जन-संख्या ७,३००,०००। (१९४७) राजधानी एथेन्स।

ग्रीस को राष्ट्रभाषा हिन्दी में यूनान भी कहते हैं। यह यूरोप के बालकान प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसका मुख्य उद्योग कृषि है। इसके कुल भाग का एक पंचमांश ही कृषि योग्य है। इसमें खनिज सम्पत्ति भी है। यहाँ की मुद्रा ड्राचमा कहलाती है। यूनान पर पहले तुर्कों का अधिकार था। सन् १८२१–२९ में वह उसके आधिपत्य से मुक्त हो गया। १३ अप्रेल १९२४ को यूनान गणराज्य हो गया। २५ नवम्बर १९३५ तक यह गणराज्य बना रहा। जब जनमत-संग्रह लिया गया, तो जनता ने एकतंत्र राज्य के पक्ष में मत दिया। अगस्त १९३६ से जनवरी १९४१ तक यूनान में जनरल मैकटास के नियंत्रण में अधिनायक-तंत्रात्मक शासन रहा।

जब अप्रेल १९४१ में जर्मन सेनाओं ने ग्रीस पर आक्रमण किया तब राजा लन्दन को भाग गया। यूनान की जर्मन आधिपत्य से मुक्ति के बाद ३० दिसम्बर १९४४ को एथेन्स के पादरी को रीजेंट नियुक्त किया गया। १ सितम्बर १९४६ को ग्रीस में इस प्रश्न पर जनमत-संग्रह किया गया कि ग्रीस में राजा पुनः शासन सँभालें या नहीं। राजा २३ सितम्बर १९४६ को एथेन्स में वापस आये। १ अप्रेल १९४७ को उनकी मृत्यु हो गयी। ३१ मार्च १९४६को यूनान में साधारण निर्वाचनों का आयोजन किया गया। इसमें नृपवादी दल (Populist) की विजय हुई। ३५४ सदस्यों में से २०६ नृपवादी थे। ७ सितम्बर १९४७ को यूनान में जो मंत्रि-मण्डल बना वह संयुक्त मंत्रिमण्डल था। २१ नवम्बर १९४८ को सोफोलिस प्रधान मंत्री नियुक्त किये गये और उन्होंने नवीन मंत्रिमण्डल का निर्माण किया। नृपवादी-दल विरोधी दल के रूप में कार्य कर रहा है।

यूनान में सन् १९४५ से ही दो पक्षों में—साम्यवादी तथा नृपवादियों में संघर्ष हो रहा है। ब्रिटेन का यूनान पर नियंत्रण रहा है; क्योंकि जिस समय देश को जर्मन सेनाओं से मुक्त किया गया उस समय ब्रिटिश सेनाएँ यूनान में

थीं। वे सेनाएँ युद्ध के बाद तक बनी रहीं। उन्होंने यूनान के नृपवादी पक्ष का समर्थन किया और धन तथा सैनिक सहायता उसे दी गयी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी यूनान को धन तथा अस्त्र-शस्त्रों से सहायता दी। गुरिल्ला युद्ध के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्रसंघ में भी उठाया गया। किन्तु उससे कोई लाभ नहीं हुआ।

यूनान के मंत्रिमण्डल ने ब्रिटेन तथा अमेरिका की सहायता से साम्यवादियों के गुरिल्ला सेना का दमन कर दिया है और सभी साम्यवादी कार्यकर्त्ता राजबन्दी शिविर में बन्दी हैं। इस वर्ष (१९५०) के मार्च में यूनानी पार्लमेंट के निर्वाचन होंगे। इनमें साम्यवादियों को भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

गुआटेमाला

क्षेत्रफल—४५,४५२ वर्गमील ; जनसंख्या ३,७०६,२०५ (१६४६)। राजधानी—गुआटेमाला नगर।

इस देश की जनसंख्या का ५४% भाग विशुद्ध रूप से "इंडियन" है ; यह प्राचीन मय जाति की सन्तति है।

शेष इंडियन तथा स्पेनिश जातियों के संमिश्रण से पैदा हुए हैं। इस देश का वर्तमान संविधान १५ मार्च १९४५ को प्रारम्भ हुआ। इस देश में पार्लमेंट में केवल एक सभागृह है ; एक राज्य-परिषद है तथा गणराज्य का एक राष्ट्रपति। जुलाई १६४४ में विद्रोह हो गया और उसके फलस्वरूप तत्कालीन राष्ट्रपति उबीको को पद-त्याग देना पड़ा। इस समय गुआटेमाला के राष्ट्रपति डा० जुआन जोसे अरेवालो हैं।

चिली

क्षेत्रफल—२८६,३२२ वर्गमील ; जनसंख्या ५,१९१,०२७ (सन् १६४३) राजधानी सान्तियागो।

यह दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। इसमें २५ प्रदेश हैं। इसका समुद्र तट २, ४८५ मील लम्बा है। इसमें कई द्वीप हैं। इसकी जनसंख्या का बहुमत योरोपीय है। यहाँ के निवासी रोमन कैथोलिक मतानुयायी हैं। पहले इस देश पर स्पेन का आधिपत्य था। सन् १८१८ में इस देश ने उससे मुक्ति प्राप्त की और यह एक गणराज्य हो गया। अक्टूबर १९२५ में इस देश ने

अपना नवीन संविधान स्वीकार किया। देश की नियामक सत्ता राष्ट्रीय कांग्रेस में निहित है। इसमें एक सीनेट और एक प्रतिनिधि सभा है। इन दोनों के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन ६ वर्ष के लिये जनता द्वारा किया जाता है।

इस राष्ट्र के वर्तमान राष्ट्रपति जेब्राइल गानज़ालज़े विदेला हैं; यह वाम-पक्षीय क्रान्तिवादी हैं और इन्हें साम्यवादियों का सहयोग प्राप्त है। इनका निर्वाचन राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा २४ अक्टूबर १९४६ को किया गया था और ३ नवम्बर १९४६ को इन्होंने पद-ग्रहण किया। ७ जुलाई १९४७ को उन्होंने नवीन मंत्रि-मण्डल का निर्माण किया।

चीन

क्षेत्रफल—४,४८०,९९२ वर्गमील; जनसंख्या ४५५,०००,०००; राजधानी पीकिंग।

चीनी भाषा में इस देश का नाम 'चुंग हुआ मिन को' है। मुख्य चीन में २४ प्रान्त हैं और द्वितीय युद्ध से पूर्व इसका क्षेत्रफल २,९०३,४७५ वर्गमील था। मंगोलिया, सिकियांग तथा तिब्बत सन् १९१२ तक चीन के अन्तर्गत थे। किन्तु अब इन पर चीन का अधिकार नहीं है। ये सब स्वतंत्र राज्य हैं। मुख्य चीन की जनसंख्या जनवरी १९४७ में ४५५,०००,००० थी।

सन् १९११ में चीन में डा० सुनयातसेन के नेतृत्व में चीनी जनता ने मन्चू राजवंश के एकतंत्रीय शासन का अन्त कर दिया और १२ फर्वरी १९१२ को गणराज्य की स्थापना की। चीन स्वतंत्र होने पर भी पाश्चात्य देशों के आधिपत्य में बना रहा। चीन में अंग्रेजों तथा अमेरिकनों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। सन् १९४३ में इन विशेषाधिकारों का अन्त कर दिया गया और उसे पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य स्वीकार किया गया।

सन् १९३७ से १९४५ तक जापान ने चीन के ४४०,००० वर्गमील के प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया और मन्चूखो का कठपुतला राज्य स्थापित कर दिया। युद्ध-काल में चीन की राष्ट्रवादी सरकार ने नानकिंग से अपनी राजधानी हटाकर चुंगकिंग में स्थापित की। क्योंकि इस पर जापान ने अपना अधिकार जमा लिया था। द्वितीय युद्ध की समाप्ति पर चीन को मन्चूरिया आदि सभी प्रदेश पुनः प्राप्त हो गये और नानकिंग में च्यांगकाई शेक ने अपना शासन स्थापित कर लिया।

सन् १९२३ में चीनी गणराज्य के राष्ट्रपिता डा० सुनयातसेन ने सोवियत नेता बोरोडिन के सहयोग से कोमिनतांग—चीन की राष्ट्रीय क्रान्तिकारी संस्था की स्थापना की। उसी समय से सोवियत रूस चीन की राज्य-क्रान्तियों में दिलचस्पी लेता रहा है। अपनी मृत्यु से पूर्व सन् १९२५ में डा० सुनयातसेन ने सोवियत समाजवादी गणराज्यसंघ की केन्द्रीय कार्य-पालिका समिति को यह लिखा—"मैं अपने पीछे एक ऐसे दल को छोड़े जाता हूँ जो चीन की अन्तिम मुक्ति तथा अन्य साम्राज्यवादी देशों के शोषण से मुक्त करने के कार्य में आपसे मिलकर कार्य करेगा। इसलिये मैंने कोमिनतांग को यह कार्य सौंपा है कि वह क्रान्तिकारी राष्ट्रीय आन्दोलन के कार्य को बराबर जारी रखे जिससे चीन स्वतंत्र हो जाय। इस उद्देश्य से मैंने दल को यह आदेश दिया है कि वह आपसे (अर्थात् सोवियत रूस से) बराबर अपना सम्पर्क बनाये रहे। मुझे तो यह दृढ़ आशा है कि आप उस सहयोग और सहायता को बराबर देते रहेंगे, जो आपने इस समय तक दी है।"

डा० सुनयातसेन की मृत्यु के बाद कोमिनतांग में दो दल खड़े हो गये। एक दल साम्यवादी विचारधारा में विश्वास करता था और दूसरा उसके विरुद्ध था। साम्यवादी दल के नेता माओ त्से तुंग थे। माओ ने हुनान प्रान्त में पहुँच सन् १९२७ के बाद साम्यवादी दल का संगठन किया। इस प्रकार च्यांग की सेनाओं और माओ की सेनाओं में संघर्ष आरम्भ हो गया। इस संघर्ष का अन्त गत १ अक्टूबर १९४९ को हो गया। चीन का राष्ट्रवादी नेता, जो चीन में अमेरिका के डालरों की सहायता से उसके क्रान्तिकारी दल से लड़ रहा था, चीन को छोड़कर फारमोसा भाग गया और इस प्रकार सम्पूर्ण चीन पर साम्यवादी नवीन शासन की स्थापना हो गयी।

१ अक्टूबर १९४९ को चीन की नवीन राजधानी पीपिंग में नवीन चीनी जनराज्य की स्थापना हो गयी। चीनी जनराज्य के प्रथम राष्ट्रपति प्रसिद्ध साम्यवादी नेता माओ-त्से-तुंग निर्वाचित किये गये हैं। चीनी जनतंत्र की ५७६ प्रतिनिधियों की एक राष्ट्रीय परिषद है। इस परिषद द्वारा चुने गए ६० प्रतिनिधियों को शासन-सत्ता सौंपी गयी है। माओ-त्से-तुंग इसके अध्यक्ष हैं। इनकी सहायता के लिये ६ अध्यक्ष हैं। इनमें स्वर्गीय डा० सुनयातसेन की पत्नी श्रीमती सुनयातसेन और चीनी सेना के प्रसिद्ध नेता जनरल चूतेह भी हैं। चीनी जनराज्य के प्रधान मंत्री चू एन लाई हैं। यही वैदेशिक मंत्री भी हैं।

इस प्रकार नवीन चीन के साम्यवादी शासन को ब्रिटेन, भारत तथा सोवियत रूस ने मान्यता दी है। किन्तु अभी तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने नवीन चीनी शासन को स्वीकार नहीं किया।

नवीन चीन का संविधान बहुत ही सरल एवं सूक्ष्म है। इसमें केवल ३१ धाराएँ हैं। चीन का शासन एकात्मक है। वह संघ शासन नहीं है। केंद्रीय जन-शासन-परिषद (Central Peoples Government Council) में एक राष्ट्रपति, ६ उपराष्ट्रपति और ५६ सदस्य होंगे। उसके प्रधान-सचिव (Secretary General) का यह परिषद निर्वाचन करेगी। राज्य का शासन-प्रबंध राज्य-शासन-परिषद (State Administration Council) करेगी। यह एक प्रकार की मंत्रि-परिषद है। सेना के लिये "जनक्रांतिकारी सैनिक परिषद" नियुक्त की गयी है; न्याय के लिये सर्वोच्च जन-न्यायालय है।

जर्मनी

क्षेत्रफल १३७,४१६ वर्गमील; जनसंख्या ६६,००३,७१२ (१९४६) राजधानी बर्लिन।

द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व जर्मनी की जनसंख्या ७८,०००,००० थी और क्षेत्रफल २१०,००० वर्गमील था।

प्रथम विश्वयुद्ध (सन् १९१४-१८) में जर्मनी की पराजय के बाद गणतंत्रीय शासन की स्थापना हुई। सन् १९३० में जर्मनी में प्रजातंत्र का पतन होने लगा और नात्सीवाद बढ़ने लगा। सन् १९३३ में एडोल्फ हिट्लर जर्मनी का चांसलर और सर्वेसर्वा बन गया। इस प्रकार देश में पूर्ण अधिनायक-तंत्रीय शासन की स्थापना हो गयी। १ सितम्बर १९३९ को हिट्लर ने पोलैण्ड के डेंजिग नगर पर आक्रमण कर दिया और यूरोप में द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ हो गया जिसका अन्त अप्रैल १९४५ में हुआ। ५ जून १९४५ को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। पोस्टडम (जर्मनी) में चार संयुक्तराष्ट्र नेताओं के निश्चय के अनुसार जर्मनी के नियंत्रण के लिये ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस व सोवियत रूस के सर्वोच्च सेनानायकों की एक नियंत्रण-परिषद बर्लिन में स्थापित की गयी और जर्मनी को चार क्षेत्रों में विभाजित कर प्रत्येक पर एक-एक मित्रराष्ट्र ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। क्षेत्र संबंधी शासन-प्रबन्ध प्रत्येक क्षेत्र में आधिपत्य करनेवाले राष्ट्र (Occupying powers) करते हैं और

समस्त जर्मनी सम्बन्धी मामलों का प्रबन्ध नियंत्रण-परिषद करती है जिसमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रांस के सैनिक नायक हैं। बर्लिन को भी चार भागों में विभाजित कर दिया गया है।

पोस्टडम में यह निश्चय किया गया था कि जर्मनी के प्रत्येक क्षेत्र का प्रशासन पृथक रूप से होगा। किन्तु जिन प्रश्नों का समस्त जर्मनी से सम्बन्ध होगा उन्हें चारों राष्ट्रों की नियंत्रण-परिषद निश्चय करेगी। यह भी निश्चय किया गया कि जर्मनी को निरस्त्र कर दिया जायगा। उसकी समस्त सेनाओं को भंग कर दिया जायगा। समस्त नात्सी संस्थाओं, नात्सी कानूनों व नात्सी व्यवस्था को समूल नष्ट कर दिया जायगा। सार्वजनिक पदों व सेवाओं में से समस्त नात्सियों को निकाल दिया जायगा। जर्मनी में आर्थिक व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण कर दिया जायगा और जितने कल-कारखाने हैं, उन पर मित्रराष्ट्रों का पूरा नियंत्रण रहेगा। कार्टेल व एकाधिकारों को नष्ट कर दिया जायगा।

शिक्षा, न्याय-व्यवस्था तथा स्थानीय स्वशासन का पुनर्सङ्गठन किया जायगा। राजनीतिक क्षेत्र में भी केन्द्रीयकरण को नष्ट कर विकेन्द्रीकरण की ओर अधिक ध्यान दिया जायगा। प्रजातांत्रिक आधार पर स्थानीय शासन का पुनर्निर्माण किया जायगा।

बर्लिन की नियंत्रण-परिषद (Control Council) अपने कार्य में सर्वथा विफल रही है। चारों राष्ट्रों के प्रतिनिधि परस्पर मिलकर कोई निश्चय नहीं कर सके। सन् १९४७ में फ्रेन्च, ब्रिटिश व अमेरिकन क्षेत्र परस्पर मिलकर कार्य करने लगे और सोवियत रूस की नीति इन सबसे अलग रही। वैदेशिक-मन्त्रि-परिषद (Council of foreign Ministers) का कार्य भी इटली आदि के साथ शान्ति-सन्धियाँ करने के बाद गतिरोध के दलदल में फँस गया। इस प्रकार पाँच वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी जर्मनी के साथ शान्ति-संधि नहीं हो सकी है।

आज की जर्मनी—पश्चिमी जर्मनी तथा पूर्वी जर्मनी—इन दो भागों में विभाजित है। पश्चिमी जर्मनी पर अमेरिका व ब्रिटेन का प्रभाव है और पूर्वी जर्मनी पर सोवियत रूस का। पश्चिमी जर्मनी के लिये बौन में संविधान-परिषद ने सन् १९४८ में संविधान तैयार कर लिया है। इसे तीन बड़े राष्ट्रों ने भी स्वीकार कर लिया है। ७ सितम्बर १९४९ को पश्चिमी जर्मनी में गणतंत्रीय शासन की पुनर्स्थापना की गयी। नवीन पश्चिमी जर्मनी की राइख (पार्लमेंट) में ११ राज्यों द्वारा निर्वाचित ४३ सदस्य हैं। इनका कार्य केवल परामर्श देना

व आलोचना करना है। २१ सितम्बर १९४९ को जर्मनी में सैनिक प्रबन्ध का स्थान इस नवीन गणराज्य-शासन ने ले लिया। जर्मनी के नवीन गणराज्य शासन पर ब्रिटेन, अमेरिका व फ्रान्स के तीन सदस्यों द्वारा निर्मित कमीशन का नियंत्रण रहेगा। डा० एडेनार जर्मनी के प्रथम चांसलर अर्थात् प्रधान मंत्री निर्वाचित किये गये हैं। इस प्रकार संघराज्य तथा अन्तर्गत राज्यों को व्यवस्था, शासन तथा न्याय के क्षेत्रों में अधिकार दे दिये गये हैं। परन्तु इन पर उक्त त्रिराष्ट्रीय कमीशन का नियंत्रण रहेगा। १८ मास के बाद पुनः यह विचार किया जायगा कि जर्मनों को जनतंत्रात्मक अधिकार किस सीमा तक और दिये जायँ।

पश्चिमी जर्मनी की जनसंख्या ४ करोड़ ७० लाख है। इसमें ३ करोड़ १० लाख मतदाता हैं। इनमें से २ करोड़ ५० लाख मतदाताओं ने चुनावों में भाग लिया। यहाँ हम चुनाव का परिणाम देते हैं :—

	राजनीतिकदल	मत-संख्या	निर्वाचित सदस्य संख्या
१.	क्रिश्चियन डेमोक्रेट	७५०,०००	१३९
२.	सोशल डेमोक्रेट	७००,०००	१३१
३.	फ्री डेमोक्रेट	२७५,०००	५२
४.	कम्युनिस्ट	१७५,०००	१५

सोवियत रूस ने भी पूर्वी जर्मन क्षेत्र में जनतंत्र शासन की स्थापना की है। इस प्रकार जर्मनी दो भागों में विभक्त हो गया है।

बर्लिन के घेरे के प्रश्न को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रान्स तथा सोवियत रूस में कई मास तक संघर्ष बना रहा। वह घेरा रूस ने हटा लिया। किन्तु वैदेशिक मंत्रि-परिषद के कार्य में फिर भी कुछ प्रगति नहीं हुई और जर्मनी के साथ शान्ति-संधि की कोई योजना नहीं बन सकी है।

जर्मनी में २४ महान नात्सी युद्ध अपराधियों के मुकदमे अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण द्वारा किये गये। १८ अक्टूबर १९४५ को नूरेम्बर्ग में यह मुकदमे आरम्भ हुए और १ अक्टूबर, १९४६ को इनका निर्णय सुनाया गया। इन पर जो दोषारोपण किये गए, वे चार प्रकार के हैं :—

(१) षड्यंत्र करने की सामान्य योजना।
(२) शान्ति के विरुद्ध अपराध।
(३) युद्ध अपराध।
(४) मानवता के विरुद्ध अधिकार।

निम्नलिखित व्यक्तियों को प्राणदण्ड का दण्ड दिया गया :—

गोयरिंग, रिवेन्ट्रोप, कीटल, काल्टेनब्रूनर, रोजेनबर्ग, फ्रान्कफ्रिक, सौकेल, जोडल, स्ट्रिच, सेर-इन्क्वार्ट और वोरमैन ।

निम्नलिखित व्यक्तियों को आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया :—

हेस, फंक तथा रादर ।

निम्नलिखित व्यक्तियों को लम्बी अवधि के लिये कारावास दिया गया :—

स्वीरवेन, स्कीराच, वोन न्यूराथ, डौनिज् ।

निम्नलिखित अभियुक्त मुक्त कर दिये गए :—

डा० शाट, वान पेपन और फ्रिचसे ।

किन्तु डा० शाट और फ्रिचसे को जर्मन अधिकारियों ने पुनः गिरफ्तार कर लिया। उनके मामले पर नात्सी-विरोधिनी अदालत में विचार किया गया। जिन ११ नात्सी नेताओं को प्राणदण्ड दिया गया, उन्होंने नियंत्रण परिषद से दया की अपील की। किन्तु परिषद ने इसे अस्वीकार कर दिया। १६ अक्टूबर १९४६ को इन्हें प्राणदण्ड दे दिया गया। प्राणदण्ड से २½ घन्टे पूर्व गोयरिंग ने विषपान करके आत्मघात कर लिया।

जापान

क्षेत्रफल—१४७,७०२ वर्गमील ; जन-संख्या ७८,६२७,००० । राजधानी टोक्यो ।

सन् १९४५ में संयुक्त राष्ट्रों द्वारा जापान की पराजय से पूर्व उसका विशाल साम्राज्य था। चीन के 'मञ्चूखो' राज्य पर उसका अधिकार था। इसके अतिरिक्त कोरिया पर भी उसका साम्राज्य था। फारमोसा, दक्षिणी साखलिन आदि पर उसका आधिपत्य था।

अगस्त १९४५ में जापान ने अमेरिका को आत्म-समर्पण कर दिया। उसी समय से जापान पर मित्रराष्ट्रीय परिषद का नियंत्रण है। मित्रराष्ट्रीय सर्वोच्च सेना-नायक मैकआर्थर ने वहाँ सैनिक अधिनायकतंत्र स्थापित कर लिया है। जापान में सम्राट की ईश्वर के समान पूजा की जाती है। उसके आदेश को ईश्वरीय आज्ञा मानकर सब जनता उसका पालन करती है। इसीलिये प्रजातंत्र के पुजारी अमेरिका ने जापान के नवीन विधान में, जो उसने सन् १९४६ में प्रचारित कराया, सम्राट को सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। जनरल मैकआर्थर अपने आदेश सम्राट के द्वारा जापानी जनता से बड़ी आसानी के साथ मनवा लेता है।

अप्रैल १९४६ को जर्मनी में निर्वाचन हुए। इनमें सबसे प्रथम बार स्त्रियों को मताधिकार दिया गया। इस निर्वाचन के फलस्वरूप उदार-पंथियों को १४३ सीटें मिलीं। प्रगतिवादियों को ९४ सीटें। समाजवादियों को ९२ ; स्वतंत्र सदस्य ८४ तथा साम्यवादी ४। इसके उपरान्त जापान में उदार नेता योशिदा के नेतृत्व में एक संयुक्त मंत्रि-मण्डल स्थापित किया गया। ७ अक्टूबर १९४६ को जापानी पार्लमेंट के दोनों सभागृहों के संयुक्त अधिवेशन में जापान का नवीन संविधान स्वीकार किया गया। नये विधान के अन्तर्गत २० अप्रैल १९४८ को नये चुनाव हुए। इस चुनाव का परिणाम इस प्रकार है—

दल	हाउस आफ कौंसिलर में स्थान
समाजवादी दल	४७
उदार दल	३९
स्वतंत्र (मुख्यतः अनुदार)	१२८

१९ मई १९४७ को समाजवादियों, उदारवादियों, प्रजातंत्रवादियों तथा जन सहकारी दलों की संयुक्त बैठक में सर्व सम्मति से यह स्वीकार किया गया कि समाजवादी-दल के प्रधानमंत्री श्री कात्यामा, जापानी प्रतिनिधि सभा (House of Represantatives) में सबसे शक्तिशाली दल के नेता की हैसियत से संयुक्त मंत्रि-मंडल का नेतृत्व ग्रहण करें। २३ मई १९४७ को श्री योशिमा ने प्रधान मंत्रित्व से त्यागपत्र दे दिया और श्री कात्यामा इम्पीरियल डायट (जापानी पार्लमेंट) की सर्व सम्मति से सर्वप्रथम समाजवादी प्रधानमंत्री निर्वाचित किये गये। उदार-पंथी मंत्रि-मण्डल में सम्मिलित नहीं हुए। ९ फरवरी १९४८ को कात्यामा मंत्रि-मण्डल ने त्यागपत्र दे दिया। मार्च १९४८ में हितोशी अशीदा के प्रधान मंत्रित्व में नवीन मंत्रि-मण्डल बनाया गया। इसमें ७ डेमोक्रेट, ८ सोशल डेमोक्रेट तथा २ कोआपरेटिव पार्टी के सदस्य लिये गये। ७ अक्टूबर १९४८ को इस मंत्रि-मण्डल को कुछ आर्थिक-मामलों के कारण त्याग-पत्र दे देना पड़ा। १८ अक्टूबर १९४८ को प्रधान-मंत्री योशिदा के नेतृत्व में नया मंत्रि-मण्डल बनाया गया।

जापान में कोई स्थायी शासन अभी तक स्थापित नहीं हो सका है। एक मंत्रि-मण्डल एक वर्ष तक भी कार्य नहीं कर पाता कि उसे त्यागपत्र दे देना पड़ता है। इसका कारण जापान पर अमेरिका का सैनिक नियंत्रण ही है।

जापान की राजधानी टोक्यो में अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण (International military tribunal) ने २५ जापानी युद्ध अपराधियों के

मामलों पर विचार किया। इसमें एक भारतीय विचारपति श्री डा० राधा विनोदपाल भी सम्मिलित थे। १२ नवम्बर १९४८ को इसने अपना निर्णय दे दिया। २५ अभियुक्तों में से ७ को प्राण दण्ड दिया गया; १६ को आजीवन कारावास का दण्ड; १ व्यक्ति को २० वर्ष तक कारावास और दूसरे व्यक्ति को ७ वर्ष तक कारावास। इस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष सर विलियम वेब (आस्ट्रेलिया) ने यह घोषित किया कि तीन न्यायाधीशों ने निर्णय के सम्बन्ध में मतभेद प्रकट किया है। डा० राधाविनोद पाल ने भी बहुमत के निर्णय से मतभेद प्रकट किया।

डेनमार्क

क्षेत्रफल—१७,११५ वर्गमील; जनसंख्या ४,११६,००० (१९४७); राजधानी कोपेनहेगन।

डेनमार्क में तीन प्रदेश (डिवीजन) हैं; कोपेनहेगन का नगर तथा उसके उपनगर; बाल्टिक में स्थित उसके द्वीप तथा पेनिन्सुला का जटलैण्ड। इसमें फारो द्वीप भी शामिल है। इस द्वीप पर सन् १९४० में ब्रिटेन ने अधिकार जमा लिया था। किन्तु यह डेनमार्क का ही प्रदेश है।

डेनमार्क में वैधानिक एकतंत्र शासन पद्धति है। व्यवस्था-सत्ता राजा तथा पार्लमेंट के हाथ में है। कार्य-पालिका सत्ता राजा के हाथ में है और न्याय-पालिका सत्ता न्यायालय के हाथ में है। राजा पार्लमेंट (Rigsdag) की अनुमति के बिना न युद्ध छेड़ सकता है और न सन्धि कर सकता है। पार्लमेंट में दो सभायें हैं—एक साधारण सभा और दूसरी सीनेट। सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है।

शासन-प्रबन्ध की सुविधा के लिये डेनमार्क २२ जिलों में विभाजित है; प्रत्येक जिले का शासन-प्रबन्ध एक गवर्नर द्वारा होता है।

९ अप्रैल १९४० को जर्मन सेनाओं ने डेनमार्क पर आक्रमण किया और दोनों देशों के बीच दस वर्ष के लिये सन्धि हो गयी। बाद में जर्मनों ने संपूर्ण देश पर अधिकार जमा लिया। जर्मनी की पराजय के बाद मई १९४५ में डेनमार्क ने भी स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली।

३० अक्टूबर १९४५ को वहाँ पार्लमेंट के निर्वाचन हुए जिनमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने ४७ सीटों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। किन्तु क्रिस्टेनसेन

उदारदलीय नेता के नेतृत्व में उदारदलीय सरकार स्थापित की गयी। ४ अक्टूबर १९४७ को डेनिश साधारण सभा ने क्रिस्टेनसेन के मन्त्रि-मण्डल में अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार किया। सरकार ने साधारण चुनावों का निश्चय किया। इस चुनाव का परिणाम निम्न प्रकार है—

१—सोशल डेमोक्रेट (समाजवादी)	५७	सदस्य
२—रेडीकल (क्रान्तिवादी)	१०	,,
३—कञ्जरवेटिव (अनुदार)	१७	,,
४—किसानवादी	४६	,,
५—कम्युनिस्ट	६	,,

४ नवम्बर १९४७ को समाजवादियों के नेता हान्स हेडटोफ्ट ने १६ मंत्रियों की एक मंत्रि-परिषद का निर्माण किया।

ट्रान्सजार्डन

क्षेत्रफल—३४,७५०, वर्गमील; जनसंख्या ३४०,०००; राजधानी अमान। यह अरब राज्य है। इसकी जनसंख्या में ३००,००० अरब मुसलिम हैं, ३०,००० अरब ईसाई हैं और शेष १०,००० मुख्यतः काकेशिया के निवासी हैं। यहाँ की राजभाषा अरबी है। गत २३ मार्च १९४८ को लंदन में ब्रिटेन व ट्रान्सजार्डन के शासकों के मध्य एक संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। इसके अनुसार ब्रिटेन ने ट्रान्सजार्डन को एक प्रभुत्व-सम्पन्न स्वतंत्र राज्य स्वीकार कर लिया है। यह पहले तुर्की साम्राज्य का ही अंग था और प्रथम विश्व-युद्ध के उपरान्त यह ब्रिटिश संरक्षण में आगया। सन् १९२३ में राष्ट्रसंघ ने ट्रान्सजार्डन की स्वाधीनता के लिये सिफारिश की थी।

ट्रान्सजार्डन राज्य का शासन बादशाह अबदुल्ला इब्नहुसेन, (यह ईराक के बादशाह फैजल के पुत्र हैं) द्वारा होता है। इनकी सहायता के लिये एक मंत्रि-परिषद भी है। यहाँ एक विधान-मण्डल भी है। इसके निम्न सभा-गृह में २० सदस्य हैं जिनका निर्वाचन प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर होता है। उच्च सभागृह में १० सदस्य हैं। ये बादशाह द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। तवाफिक पाशा अब्दुल हुदा प्रधान-मंत्री तथा रक्षामंत्री हैं। सर्वप्रथम निर्वाचन २० अक्टूबर १९४७ को हुआ।

ट्रिस्ट

क्षेत्रफल—३२ वर्गमील; जनसंख्या ३५५,५६१ (१९४०)।

इस नवीन स्वतंत्र अन्तर्राष्ट्रीय नगर का निर्माण १० फरवरी १९४७ को पेरिस शान्ति-संधि के अनुसार हुआ। इस नगर पर इटली व यूगोस्लाविया दोनों ही अपना-अपना दावा करते थे। इस नगर के भाग्य का अभी तक निर्णय नहीं हो सका है। यूगोस्लाविया की सेनाएँ यहाँ विद्यमान हैं और मित्र राष्ट्रों की सेनाएँ भी हैं।

इस नगर के भाग्य का निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघ (United nations Organization) की सुरक्षा-समिति के हाथ में है।

डोमिनियन रिपबलिक

क्षेत्रफल—१९,३३२ वर्गमील; जनसंख्या २,१२०,०५८ (१९४६); राजधानी : सिउडाड त्रिजिलो।

इस देश की जनता में कई जातियों का संमिश्रण है; ये मुख्यतः यूरोपियन, अफ्रीकन व इंडियन जातियों के लोग हैं। कुछ स्पेनिश भी हैं। शासन प्रबन्ध के लिये देश को १८ प्रान्तों में विभाजित कर दिया गया है।

इस गणराज्य का शासन उस संविधान के अधीन होता है जिसे १० जनवरी १९४७ को स्वीकार किया गया था। इस देश की पार्लमेंट कांग्रेस कहलाती है। उसके अन्तर्गत दो सभाएँ हैं; एक सीनेट और दूसरी प्रतिनिधि-सभा। राज्य की कार्यपालिका सत्ता राष्ट्रपति के हाथ में है जिसका निर्वाचन जनता द्वारा ५ वर्ष के लिये होता है। शासन के विविध विभागों का प्रबन्ध ८ सचिवों के द्वारा होता है। नवीन संविधान के अन्तर्गत साधारण निर्वाचन १६ मई १९४७ को हुए थे। गणराज्य के राष्ट्रपति मोलिना हैं, जिन्होंने १२ मई १९४२ को पद-ग्रहण किया। वह १६ अगस्त १९४७ को पुनः राष्ट्रपति चुने गये।

तिब्बत

क्षेत्रफल—४७०,००० वर्गमील; जनसंख्या ३,०००,०००। राजधानी—ल्हासा।

यह पहाड़ी प्रदेश है जो हिमाचल पर स्थित है। पश्चिम में काश्मीर से लेकर पूर्व में चीन तक इसका विस्तार है। तिब्बत का वास्तविक इतिहास ईसा के जन्म

के बाद सातवीं शताब्दी के मध्य से आरंभ होता है, जब कि राजा गाम्पो ने तिब्बत के राज्य का विस्तार सिन्कियांग तक और नेपाल तक कर लिया था। इस राजा ने अपनी दो पत्नियों के आग्रह से बौद्ध-धर्म स्वीकार कर लिया और उसे राजधर्म स्वीकार किया। १३वीं शताब्दी तक तिब्बत पर मंगोलों का प्रभाव रहा। इसी शताब्दी में मंगोल सम्राट लामा-मतानुयायी बन गया और उसने लामाओं के प्रमुख को तिब्बत की सत्ता प्रदान कर दी। इस प्रकार लामा केन्द्रीय एशिया के धर्माचार्य बन गये। इसीलिये तिब्बत में धार्मिक शासन है। दलाईलामा धर्माचार्य तो है ही। वह शासक भी है। वर्त्तमान दलाईलामा चौदहवें हैं। इनका नाम लोबसांग विशे तेनसिंग ग्यात्सो है।

लामा तिब्बत की जनता का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये तिब्बत में आश्रमों में रहते हैं। ये आश्रम बड़े बड़े ग्रामों के रूप में होते हैं। तिब्बत में ऐसे आश्रम ३००० हैं और सबसे बड़ा आश्रम लासा के निकट ड्रेपुंग में है। तिब्बत की सरकार देपाशुंग कहलाती है और राष्ट्रीय पार्लमेंट को त्सोंग्दु कहते हैं। सब प्रकार की ऐहिक व धार्मिक संस्थाएँ इन आश्रमों में हैं, जिनमें गरीब व अमीर परस्पर मिलते हैं।

तिब्बत पर चीन का कई शताब्दियों तक आधिपत्य रहा। किन्तु तिब्बत इसका प्रतिरोध करता रहा। सन् १९१४ में तिब्बत, चीन व ब्रिटेन के बीच यह समझौता हुआ कि तिब्बत की स्वतंत्रता को स्वीकार किया जाता है।

तिब्बत एक पृथक प्रदेश है। इसमें दूसरे देशवासियों का प्रवेश नहीं हुआ है और न दूसरे देशों की राजनीति या समाजनीति का ही इसने आदान-प्रदान किया है। इस कारण तिब्बत के सम्बन्ध में दूसरे देशों को सच्चा ज्ञान भी नहीं है।

तिब्बत में लामा विदेशियों को स्वतंत्रता से इसलिये नहीं आने देते कि इस प्रकार उनके आगमन से लामाओं का धार्मिक प्रभाव घट जायगा। सन् १९४७ में एशियायी सम्मेलन जो नई दिल्ली में पं० जवाहरलाल नेहरू ने आमंत्रित किया था, उसमें दलाईलामा की ओर से भी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

तिब्बत में सोना, ताँबा, शीसा, बोरेक्स खानों में बहुत है; किन्तु इसका अभी तक विकास नहीं हो सका है। ऊन भी यहाँ की बढ़िया होती है।

तिब्बत में साम्यवाद का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसे रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका तिब्बत के साथ अपना सम्पर्क बढ़ा रहा है और उसे सहायता देने के लिये वचन भी दे दिया है।

थाईलैण्ड

क्षेत्रफल—२००,१४८ वर्गमील ; जनसंख्या १५,७१८,००० ; राजधानी बैंकोक।

इसका दूसरा नाम स्याम है। इस देश में बौद्धधर्म का अधिक प्रचार है। थाईलैण्ड ब्रह्मदेश (बर्मा) के पूर्व में स्थित है। थाईलैण्ड के पूर्व में हिन्द-चीन है।

२४ जून सन् १९३२ तक थाईलैण्ड में स्वेच्छाचारी एकतंत्र शासन रहा। सन् १९३२ में सैनिक वर्ग की उत्क्रान्ति के फलस्वरूप नवीन शासन की स्थापना हुई। २७ जून १९३२ को एक अस्थायी नवीन विधान जारी किया गया। इस संविधान में १० दिसम्बर १९३२ को पुनः संशोधन किया गया। इसके पश्चात् ३० अप्रेल १९४६ को संविधान में संशोधन किया गया। राजा आज भी परिषद की अनुमति से राजसत्ता का प्रयोग करता है। लोक परिषद के कुल सदस्यों की संख्या में से आधे सदस्यों को राजा मनोनीत करता है और शेष का निर्वाचन होता है। ये सदस्य ४ वर्ष के लिये निर्वाचित किये जाते हैं। एक राज्य-समिति भी है। इसके सदस्य तथा अध्यक्ष लोक परिषद में से चुने जाते हैं। परिषद नवम्बर १९३८ को भंग कर दी गयी। ११ मार्च १९४२ को मंत्रिमण्डल नियुक्त किया गया। इसमें २२ सदस्य थे। यह मंत्रिमंडल राज्य-समिति के अधीन कार्य करता है, जिसकी नियुक्ति राजा द्वारा की जाती है।

३१ जनवरी १९४६ को कुआंग अभईवोंगसे को थाईलैण्ड की राष्ट्रीय-परिषद ने अपना प्रधान-मंत्री चुना। इसे राजा ने भी स्वीकार कर लिया। इसका राजा आनन्द महीदल है। यह प्रधान मंत्री सर्व प्रथम निर्वाचित सदस्य है। यह बीस-वर्षीय राजा आनन्द महीदल ९ जून १९४६ को अपने राज-भवन में मृत अवस्था में मिला। इसी दिन राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन हुआ और उसमें आनन्द महीदल के भ्राता फुमिवोल अदुलदेत (१८ वर्षीय) को राजा घोषित कर दिया गया। १६ जून को दो सदस्यों की एक राज-समिति (Regency Council) राजा को परामर्श देने के लिये नियुक्त की गयी। २३ अगस्त १९४६ को नवासत नामक एक दूसरे व्यक्ति को प्रधान-मंत्री चुना गया।

९ नवम्बर १९४७ को थाईलैण्ड में रक्तहीन विद्रोह हुआ। यह विद्रोह युद्ध-कालीन जापान-पक्षीय थाईलैण्ड के प्रधानमंत्री मार्शल लुआंग पिवुल सोंगकरन द्वारा रचा गया। प्रधान-मंत्री भाग गया और मार्शल थाईलैण्ड की सशस्त्र सैन्य का प्रधान-सेनाध्यक्ष बन गया। नवीन मंत्रि-मंडल कुआंग

अभइवोंगसे के प्रधान-मंत्रित्व में बनाया गया और पुरानी पार्लमेंट को भंग कर दिया गया। यह घोषणा कर दी गयी कि ९० दिनों के भीतर नवीन पार्लमेंट के निर्वाचन होंगे, जो नये संविधान की रचना करेगी।

इसके बाद तुरन्त ही एक षडयंत्र का पता लगा, जिसका उद्देश्य इस नवीन शासन को उलटने का था। षड्यंत्रकारी देश में गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे और वे स्विटजरलैण्ड से राजा के स्वदेशगमन में भी बाधा डाल रहे थे। सारे देश में गिरफ्तारियाँ की गयीं। इसी समय एक ऐसे दल को भी गिरफ्तार किया गया जिसके लोग राजा आनन्द की हत्या के दोषी थे।

ब्रिटेन, फ्रान्स, अमेरिका, चीन, भारत और नीदरलैण्ड ने इस नवीन शासन को मान्यता दे दी है। २६ जनवरी १९४८ को थाईलैण्ड की लोकपरिषद् के निर्वाचनों में प्रजातंत्र-दल की विजय हुई। इस दल के नेता वर्तमान प्रधान मंत्री हैं। इसने फील्डमार्शल सोंगकरन के दल को हरा दिया।

७ अप्रैल १९४८ को अभइवोंगसे को मंत्रि-मण्डल से त्यागपत्र दे देना पड़ा। उसके स्थान पर फील्डमार्शल ने अपना नवीन मंत्रि-मण्डल बनाया। इस मंत्रि-मण्डल में सभी दलों के सदस्य हैं।

दक्षिणी अफ्रीका यूनियन

क्षेत्रफल—४१२,४६४ वर्गमील, जनसंख्या ११,२५८,८५८ (१९४६); राजधानी प्रेटोरिया।

यह (ब्रिटिश) राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत एक पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न स्वतंत्र राज्य है। सन् १९१० में इस अधिराज्य (Dominion) का निर्माण हुआ था। इसके अन्तर्गत शुभाशा अन्तरीप (Cape of good hope), नेटाल, ट्रान्सवाल और औरेंज स्वतंत्र राज्य हैं। सन् १९२० में राष्ट्रसंघ ने पश्चिमी दक्षिणी अफ्रीका को यूनियन के संरक्षण में दे दिया था। जब सन् १९४६ में संयुक्त राष्ट्रसंघ की संरक्षण-परिषद ने यूनियन को यह आदेश दिया कि वह इस संरक्षण के अधीन प्रदेश के संबंध में संयुक्त राष्ट्रसंघ से समझौता करे तो उसने ऐसा करना स्वीकार नहीं किया। अब उसने दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका को अपने राज्य के अन्तर्गत कर लिया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ कोरा प्रतिवाद करता रहा और प्रस्ताव स्वीकार करता रहा और वह यूनियन सरकार का कुछ भी न कर सका। दक्षिणी अफ्रीका यूनियन के अन्तर्गत ७७३५ मन्तु जाति के लोग हैं और ६०५,०५० एशियायी हैं।

यहाँ के शासन में ब्रिटिश राजा, एक सीनेट तथा एक परिषद् है। एक गवर्नर जनरल है, जिसे पार्लमेंट को आमंत्रित करने, उसे स्थगित करने तथा भंग करने का अधिकार है। सीनेट में ४८ सदस्य हैं; ८ गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत ४० सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। ये सब सदस्य यूरोपियन हैं! अफ्रीका के आदि निवासियों तथा प्रवासी भारतीयों की ओर से सन् १९३६ के Representation of Native Act के अनुसार चार सदस्य और चुने जाते हैं। एक आदिवासी प्रतिनिधि कौंसिल भी स्थापित की गयी है। प्रतिनिधि सभा में १५० सदस्य हैं। ये सब योरोपियन हैं। आदि निवासियों तथा प्रवासी भारतीयों की ओर से तीन प्रतिनिधि लिये जाते हैं।

सितम्बर १९४५ में संयुक्तदल के नेता फील्डमार्शल स्मट्स ने मंत्रिमण्डल का निर्माण किया। इसी वर्ष दो बार नवम्बर में इसका पुनर्सङ्गठन किया गया। २६ मई १९४८ को पार्लमेंट के साधारण निर्वाचनों में राष्ट्रवादी दल की विजय हुई और उसके नेता डा० मलान ने मंत्रि-मण्डल का निर्माण किया। सीनेट का चुनाव भी बाद में हुआ। इसमें भी राष्ट्रवादी दल की विजय हुई।

संयुक्त दल (United Party) तथा राष्ट्रवादी दल दोनों ही एशिया-विरोधी हैं। दोनों की नीति दक्षिणी अफ्रीका में रहनेवाली एशियायी-भारतीय व पाकिस्तानी तथा अफ्रीकी जातियों को यूरोपियनों से पृथक रखने की है। यूरोपियन इन जातियों का शोषण करते हैं और उनसे घृणा का व्यवहार करते हैं। वे उन्हें मौलिक नागरिक अधिकारों से वंचित रखते हैं। स्मट्स के शासन की अपेक्षा डा० मलान का शासन प्रवासी भारतीयों के लिए अत्यन्त उग्र साबित हुआ है।

नार्वे

क्षेत्रफल—१२४,५५६ वर्गमील ; जनसंख्या ३,१२३,३३८ ; राजधानी ओस्लो।

नार्वे एकतंत्रीय वैधानिक राज्य है। राजा की सत्ता सीमित है। प्रजा ही वास्तव में प्रभुत्व-सम्पन्न है। वह पार्लमेंट (सोर्टिंग) का निर्वाचन करती है। इसका अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है। राजा एक मंत्रि-मण्डल नियुक्त करता है। इसमें एक प्रधानमंत्री और ७ मन्त्री होते हैं।

९ अप्रैल १९४० को जर्मनी ने नार्वे पर आक्रमण किया। राजा तथा मंत्रिमण्डल ने देश त्याग दिया और लन्दन में आवास किया। २५ सितम्बर

१६४० को जर्मनी ने नार्वे पर अपना अधिकार जमा लिया और १३ सदस्यों की एक समिति स्थापित की। इसमें क्वज़्लिंग के दल के सदस्य थे। सन् १६४२ में जर्मन कमिश्नर ने क्वज़्लिंग को नवीन नारवेजियन सरकार का मन्त्री—अध्यक्ष-नियुक्त किया। ७ फर्वरी १६४२ को उसने विधान का खात्मा कर स्वयं अधिनायक के अधिकार ग्रहण कर लिये।

सन् १६४४ के अन्त तक नार्वे जर्मनी के आधिपत्य से मुक्त हो गया। राजा तथा मन्त्रि-मण्डल पुनः स्वदेश में आ गये। सन् १६४५ में नवीन निर्वाचन हुए। इसके परिणाम-स्वरूप मजदूर-दल की विजय हुई। १५० स्थानों में से ७६ मजदूर-दल के अधिकार में आ गये। अनुदार दल में २५ सदस्य हैं और यह विरोधी-दल के रूप में कार्य कर रहा है।

निकारागुआ

क्षेत्रफल—५७,१४५ वर्गमील ; जनसंख्या १,१२२,००० (१६४६) राजधानी मानागुआ।

इस देश के निवासी मिश्रित जातियों के हैं ; कुछ स्पेनिश हैं और कुछ इंडियन। यह देश शासन-प्रबन्ध के लिए १५ प्रान्तों में विभक्त है। १ मार्च १६३९ को नया विधान लागू हुआ था। इस देश में एक कांग्रेस है। उसमें दो सभागृह हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन ६ वर्ष के लिये होता है। वह मन्त्रियों के द्वारा अपनी शासन-सत्ता का प्रयोग करता है। जनरल रामोज़ा इस देश का अधिनायक बन गया है और उसीके द्वारा कोस्टारिका देश पर यह हमला कर रहा है।

नीदरलैण्डस्

क्षेत्रफल—१५,७६५ वर्गमील ; जनसंख्या ६,५४२,६५६ (१६४६) ; राजधानी अमस्टरडम।

ईस्टइन्डीज तथा वेस्टइन्डीज में नीदरलैण्डस् के प्रदेशों का क्षेत्रफल ७९०,००० वर्गमील है। इनकी जनसंख्या ६ करोड़ ६० लाख है।

इस देश में वैधानिक एकतंत्रीय शासन-प्रणाली प्रचलित है। कार्य-पालिका सत्ता राजा तथा पार्लमेंट में निहित है। यहाँ की पार्लमेंट स्टेट्स् जनरल कहलाती है। इसमें दो सभागृह हैं। एक सभागृह का निर्वाचन प्रान्तीय विधान-मण्डलों द्वारा होता है और दूसरे सभागृह का जनता द्वारा। राजा एक मन्त्रिमण्डल द्वारा शासन करता है।

देश का वर्तमान् शासन रानी विल्हेलमिना हेलेना पौलिन मेरिया के हाथ में है। अपने स्वास्थ्य के कारण उन्होंने शासन के अधिकार अपनी पुत्री राजकुमारी जुलियाना को दे दिये हैं।

१० मई १९४० को जर्मनी ने नीदरलैण्ड पर भी आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। रानी तथा उनका मन्त्रिमण्डल लन्दन भाग गये। मई १९४५ में वे पुनः स्वदेश वापस आ गये और रानी ने प्रो० स्केरमैनहार्न (मजदूर) को मन्त्रिमण्डल बनाने का आदेश दिया। सन् १९४६ में नवीन निर्वाचनों में उक्त प्रो० स्केरमैनहार्न की पराजय हुई। डा० वील ने संयुक्त मन्त्रि-मण्डल बनाया। इसमें मजदूर और कैथोलिक दोनों दलों के मन्त्री थे। ७ जुलाई को प्रतिनिधि सभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में १०० प्रतिनिधि निम्न प्रकार चुने गये। कैथोलिक जन-दल ३२; मजदूर २७; क्रान्ति-विरोधी दल १३; ईसाई ९; स्वाधीनता दल (लिबरल) ८; साम्यवादी दल ८, राजनीतिक सुधारवादी दल २; कैथोलिक दल १।

अतः डा० वील, जो कैथोलिक प्रजादल के नेता हैं, को मन्त्रि-मण्डल बनाने का आदेश मिला।

नीदरलैण्ड (डच) सरकार ने अगस्त-सितम्बर १९४९ में हेग में हिन्देशिया के सम्बन्ध में समझौता करने के लिये एक गोलमेज-परिषद् आमंत्रित की; इसमें हिन्देशिया के राष्ट्रीय नेताओं ने भाग लिया। डच-सरकार तथा हिन्देशिया के नेताओं के बीच समझौता हो गया। इसके अनुसार हिन्देशिया को एक स्वतंत्र प्रभुत्व-सम्पन्न गणराज्य स्वीकार कर लिया गया है। किन्तु नीदरलैण्ड राज्य तथा हिन्देशिया गणराज्य का एक संयुक्त राज्य कायम होगा। यह संयुक्त राज्य इन दोनों के बीच सहयोग स्थापित करेगा। यह सहयोग समान अधिकार तथा सम्मान के आधार पर होगा। यह सहयोग वैदेशिक मामलों, अर्थनीतिक तथा सांस्कृतिक मामलों में भी होगा।

नेपाल

क्षेत्रफल—५४,००० वर्गमील; जनसंख्या ६,२८२,००० (१९४१) राजधानी काठमंडू।

यह देश हिमाचल के अंचल में है। इसकी सब से अधिक लम्बाई ५०० मील और चौड़ाई १५० मील है। इसके निवासी गुरखा, मगर, गुरुंग, भोटिया और नेवार जातियों के हैं। देश की अधिक जनसंख्या हिन्दू है।

नेपाल के वर्तमान अधिपति महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव हैं। यहाँ का शासन एकतंत्रीय है। कुलीन वर्ग में से एक मंत्रि-परिषद् भी नियुक्त कर ली जाती है। देश की समस्त शासन-सत्ता प्रधानमंत्री के हाथ में है। प्रधान-मंत्री भी राजवंश में से ही होता है। वर्तमान् प्रधानमंत्री जनरल सर मोहन शमशेर जंगबहादुर राणा हैं। ये इससे पूर्व नेपाली सेना के प्रधान सेनापति थे। नेपाल में वैधानिक सुधार के लिये आन्दोलन हो रहा है।

गत फरवरी १९५० में नेपाल के प्रधान-मंत्री का नई देहली में भारतीय शासन द्वारा राजकीय अभिनन्दन किया गया। नेपाल के साथ व्यापारिक संधि के लिये भी वार्त्ता चल रही है।

संयुक्त राज्य अमेरिका भी नेपाल के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील है।

न्यूफाउण्डलैण्ड

क्षेत्रफल—४२,७०० वर्गमील; जनसंख्या २, ८५,०००।

यह सबसे पुराना ब्रिटिश उपनिवेश है। सन् १९३३ तक यह औपनिवेशिक स्वराज्यभोगी देश रहा। इससे बाद, राजस्व-संबंधी कठिनाइयों के कारण, उसका औपनिवेशिक स्वराज्य पद उससे वापस ले लिया गया। आजकल इसका शासन प्रबन्ध एक ब्रिटिश गवर्नर तथा कमीशन द्वारा किया जाता है। कमीशन में ब्रिटेन तथा न्यूफाउण्डलैण्ड के तीन-तीन प्रतिनिधि हैं।

न्यूजीलैण्ड

क्षेत्रफल—१०३,७२३ वर्गमील; जनसंख्या १,७०२,२९८ (१९४५)।

न्यूजीलैण्ड प्रशान्तसागर में कई द्वीपों का एक समूह है जिनमें दो बड़े द्वीप हैं। यह आस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित हैं। यह ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का स्वतंत्र राज्य है।

शासन के अन्तर्गत एक गवर्नर-जनरल, तथा एक साधारण परिषद है। साधारण परिषद के अधीन दो सभा-गृह हैं; एक विधान-परिषद और दूसरी विधान-सभा। परिषद में ३७ सदस्य हैं; सभा में ८० सदस्य हैं। २७ नवम्बर १९४६ को प्रतिनिधि-सभा (विधान-सभा) के निर्वाचनों का परिणाम निम्न प्रकार रहा—मजदूर सदस्य ४२, राष्ट्रीय-दल सदस्य ३८। प्रधान-मंत्री पीटर फ्रेजर हैं। गवर्नर जनरल सर बर्नार्ड सिरिल फ्रेबर्ग हैं।

पनामा

क्षेत्रफल—२८,५७६ वर्गमील; जनसंख्या ६२२,५१६ (१९४०) राजधानी पनामा।

पनामा केन्द्रीय अमेरिका का एक गणराज्य है। पहले यह कोलम्बिया गण-राज्य का एक प्रदेश था। ३ नवम्बर १९०३ को इसे स्वाधीनता मिल गई। इसकी जनसंख्या में श्वेत, नीग्रो, देशी इण्डियन और अन्य मिश्रित जातियाँ हैं। इसकी राजभाषा स्पेनिश है। गणराज्य का एक राष्ट्रपति है और एक विधान-मण्डल। ३ उपराष्ट्रपति विधान-मण्डल द्वारा चुने जाते हैं। ६ सदस्यों का एक मंत्रिमण्डल है। दिसंबर १९४४ में राष्ट्रपति ने संविधान को स्थगित कर दिया और मई १९४५ में नवीन संविधान परिषद का निर्वाचन नवीन संविधान की रचना करने के लिये आमंत्रित किया गया। नवीन संविधान १ मार्च १९४६ को जारी किया गया।

पाकिस्तान

क्षेत्रफल—३६१,००७ वर्गमील; जनसंख्या ७०,०००,००० राजधानी कराची।

पाकिस्तान (ब्रिटिश) राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत एक पूर्ण सत्ता-सम्पन्न अधि-राज्य है। इसके दो भाग हैं। एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। ये दोनों भारतीय संघ के पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल द्वारा पृथक हो गये हैं। पश्चिमी पाकिस्तान के अन्तर्गत पंजाब, सिंध, सीमाप्रान्त व बिलोचिस्तान हैं। पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल व आसाम का सिलहट जिला है। जो देशी राज्य पाकिस्तान में सम्मिलित हो गये हैं, वे ये हैं (१) बहा-वलपुर (२) खैरपुर, कलात, लासबेला। कुल जनसंख्या में ७२·७ प्रतिशत मुसलिम हैं।

१५ अगस्त १९४७ को पाकिस्तान राज्य की स्थापना हुई। उसके सर्वप्रथम गवर्नर-जनरल कायदेआजम मुहम्मदअली जिना नियुक्त किये गये। ११ सितम्बर १९४८ को उनकी मृत्यु हो गई। इनके स्थान पर ख्वाजा नजीमुद्दीन गवर्नर-जनरल नियुक्त किये गये। पाकिस्तान के प्रधान-मन्त्री श्री लियाकतअली खाँ हैं। वैदेशिक मन्त्री श्री मुहम्मद जफरुल्ला खाँ हैं।

अक्टूबर १९४७ से पाकिस्तान तथा भारतीय संघ में काश्मीर के प्रश्न पर संघर्ष हो रहा है। २६ अक्टूबर १९४७ को काश्मीर महाराजा की प्रार्थना पर काश्मीर को भारतीय संघ में मिला लिया गया। सितम्बर से ही काश्मीर व जम्मू पर सीमान्त की वन-जातियाँ लूट मार व हमले करने लगीं। इन्हें पाकिस्तान सहायता देता रहा। बाद में पाकिस्तान की सेनाएँ भी खुल कर लड़ने लगीं। जनवरी १९४८ में काश्मीर का प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-समिति के समक्ष विचारार्थ है। अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं हो सका है।

पेरागुए

क्षेत्रफल—१५७,००६ वर्गमील; जनसंख्या १,१८२,८७७; राजधानी असुनसियन।

इस देश में कई जातियों के लोग हैं। कुछ स्पेनिश हैं; शेष लाल इंडियन। यह गणराज्य सन् १८११ में स्थापित किया गया। सन् १८७० के संविधान के अन्तर्गत सन् १९३९ तक शासन प्रबन्ध जारी रहा। १८ फर्वरी १९४० को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी कर दिया, जिसके अनुसार शासन का केन्द्रीयकरण कर दिया गया। उसने तीन वकील नया संविधान तैयार करने के लिये नियुक्त किए। यह संविधान ४ अगस्त १९४० को जन-मतसंग्रह द्वारा स्वीकार किया गया। यह संविधान फासिस्ट ढंग का है। पुरानी सीनेट के स्थान पर एक राज्य-परिषद् की स्थापना की गयी है। राष्ट्रपति अपना मन्त्रि-मण्डल निर्माण करता है और समस्त शासन-सत्ता का प्रयोग उसके द्वारा करता है।

देश पेरागुए सरिता द्वारा दो भागों में विभाजित है। दोनों भाग पुनः उपभागों में विभाजित हैं।

मार्च १९४७ में देश में राष्ट्रपति मोरीनिगो के विरुद्ध गृह-युद्ध छिड़ गया। पाँच मास तक लड़ने के बाद विद्रोहियों की पराजय हो गयी। १५ फर्वरी १९४८ को वर्तमान् राष्ट्रपति गोन्जालेज् का निर्वाचन हुआ।

पुर्तगाल

क्षेत्रफल—३५,४९० वर्गमील; जनसंख्या ८,२२२,५६९ (१९४६); राजधानी लिस्बन।

मुख्य पुर्तगाल का क्षेत्रफल ३४,२५४ वर्गमील है; द्वीपों का क्षेत्रफल ६,२३६ वर्गमील है। पुर्तगालियों के अफ्रीका, एशिया और ओसीनिया में

साम्राज्य हैं। अफ्रीका में उनके प्रदेश हैं—केप वर्डे द्वीप, मोज़ाम्बिक, सानटोम व प्रिंसिप द्वीप, अंगोला, पुर्तगाली गिनी। भारत में पुर्तगाली प्रदेश गोआ, डामन और ड्यू हैं। भारत में पुर्तगाली प्रदेशों का कुल क्षेत्रफल १,५३७ वर्गमील है। दूसरे पुर्तगाली प्रदेश हैं—चीन में मैको द्वीप; तिमूर मलय देश में।

पुर्तगाल बारहवीं शताब्दी से स्वतंत्र देश है। सन् १९१० तक यह देश एकतंत्रीय शासन के अधीन रहा। जनक्रान्ति के बाद ५ अक्टूबर १९१० को पुर्तगाल एक गणराज्य घोषित कर दिया गया। १६ मार्च १६३३ को जनमत द्वारा संविधान स्वीकार किया गया। पुर्तगाल में राष्ट्रपति पुरुष मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है। संविधान में ९० प्रतिनिधियों की एक निर्वाचित प्रतिनिधि सभा की व्यवस्था है। एक संस्था का चुनाव गिल्ड संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है। यह संस्था आर्थिक व सामाजिक मामलों पर विचार करती है।

१० सदस्यों की एक प्रिवी कौंसिल राष्ट्रपति को परामर्श देती है। पुर्तगाल का वर्तमान् राष्ट्रपति एन्टोनियो ओस्कर फ्रागोस्को कारमोना है। पुर्तगाल का प्रधान मन्त्री सालाज़ार है। वह पुर्तगाल का डिक्टेटर है।

पुर्तगाल में ६ जुलाई १६४८ को एक सबसे महान् राजनीतिक मुकदमा आरम्भ हुआ। इसमें १०७ अभियुक्तों पर राजद्रोह का दोषारोप लगाया गया। अभियुक्तों में अध्यापक, वकील, पत्रकार, किसान-मजदूर तथा विद्यार्थी सम्मिलित थे।

पेरू

क्षेत्रफल—४८२,२५८ वर्गमील ; जनसंख्या ७,०२३,१११ (१६४०); राजधानी लीमा।

यह दक्षिणी अमेरिका का एक गणराज्य है। इसकी व्यवस्थापन सत्ता सीनेट तथा प्रतिनिधि-सभा में निहित है। कार्यपालिका-सत्ता राष्ट्रपति में निहित है। उसका निर्वाचन पांच वर्ष के लिए किया जाता है। उसकी एक ९ सदस्यों की मंत्रि-परिषद है। नवम्बर १९४५ में देश के संविधान में संशोधन कर कांग्रेस (पार्लमेंट) को अधिक सत्ता दे दी गयी।

समस्त देश २४ प्रदेशों में विभाजित है। ये २४ प्रदेश १३४ प्रान्तों में विभाजित हैं। ये १३४ प्रान्त १,२४३ जिलों में बंटे हुए हैं। प्रत्येक प्रदेश

का शासन प्रीफेक्ट द्वारा किया जाता है। १० जून १६४५ को जोसे लुइस वस्टामैन्टे रिवेरो पांच वर्ष के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित किये गये।

२८ फरवरी १६४८ को नवीन मंत्रि-मण्डल बनाया गया। इसमें सब सेना व नौसेना के अधिकारी हैं। रीअर अडमिरल रोग सलादिस पेरू के प्रधान मंत्री हैं। पेरू की सेना ने विद्रोह किया और उसके फलस्वरूप राष्ट्रपति रिवेरो का शासन उलट गया।

पोलैण्ड

क्षेत्रफल १२१, १३१ वर्गमील; जनसंख्या २३, ६२६, ७५७ (१६४६) राजधानी वारसा।

पोलैण्ड की कुल जन-संख्या का ६८. ९ प्रतिशत भाग पोलिश भाषा-भाषी है; १०·१% यूक्रेनियन हैं; ८. ६% हेब्रू और येदिस हैं; शेष रुमानिया, रूसी, तथा जर्मन आदि भाषाएँ बोलते हैं।

१ सितम्बर १९३६ को जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया। १७ सितम्बर १६३९ को सोवियत रूस की सेनाओं ने पोलैण्ड के पूर्वी भाग पर अधिकार जमा लेने के लिये सैन्य-संचालन किया। २९ सितम्बर को जर्मनी तथा रूस ने पोलैण्ड का विभाजन कर लिया। जून १६४१ में जर्मन सेनाओं ने समस्त पोलैण्ड पर अपना अधिकार जमा लिया। मार्च १९४५ तक सारे पोलैण्ड पर सोवियत रूस का अधिकार हो गया।

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय पोलैण्ड की दो सरकारें स्थापित थीं जो पोलैण्ड के जर्मन आधिपत्य के अधीन सरकार से भिन्न थीं। एक लन्दन में और दूसरी लवलिन में। लन्दन में तो पोलिश मन्त्रिमण्डल था, जो वारसा से भाग कर चला गया था। लवलिन में जो सरकार थी, उसे 'पोलिश राष्ट्रीय मुक्ति समिति' कहा जाता था। ३१ दिसम्बर १९४४ को इस समिति ने स्वतंत्र पोलैण्ड की अस्थायी सरकार का निर्माण किया। १८ जनवरी १६४५ को लवलिन सरकार ने वारसा में प्रवेश किया। जुलाई १६४४ में इसे सोवियत संघ ने मान्यता दी।

२३ जून १६४५ को एक नवीन पोलिश अस्थायी सरकार का निर्माण किया गया। इसमें लवलिन सरकार के भी सदस्य शामिल किये गये।

जनवरी १६४७ को साधारण निर्वाचन हुए, जिनका परिणाम निम्न प्रकार है :—

प्रजातंत्रवादी दल ३९४ ; पोलिश किसान संघ २८ ; क्रिश्चियन मजदूर दल १२ ; विरोधी किसान दल ७ ; अन्य ३ ।

५ फर्वरी १९४७ को पोलिश डाइट ने ४०८ मतों से बोलेस्लो विरुत को ७ वर्ष के लिये राष्ट्रपति निर्वाचित किया । ६ फर्वरी १९४७ को एक मंत्रिमण्डल बनाया गया । जोजेफ (समाजवादी) को प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया ।

१८ फर्वरी १९४७ को पोलिश डाइट (पार्लमेंट) ने अपना अन्तरिम संविधान स्वीकार किया ।

फ्रान्स

क्षेत्रफल—२१२,६५९ वर्गमील ; जनसंख्या ४०,५१८,८८४ ; राजधानी : पैरिस ।

फ्रान्स पश्चिमी यूरोप का एक प्रमुख राज्य है । सन् १८७५ से यह देश गणतंत्रीय शासन-प्रणाली के अधीन रहा है । उसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं । मई सन् १९४० में जब हिटलर ने फ्रान्स पर अपना अधिकार जमा लिया, तब मार्शल पेतां के अधीन नवीन फ्रेञ्च शासन की स्थापना हुई । उसने २० जून १९४० को जर्मनी व इटली के साथ सन्धि की । २ जुलाई १९४० को फ्रेञ्च सरकार की राजधानी विशी बनी । वहाँ ९ जुलाई १९४० को फ्रेञ्च पार्लमेंट ने पेतां को पूरा अधिकार दे दिया कि वह नया संविधान जारी करें । यह नवीन संविधान पार्लमेंट के दोनों सभागृहों द्वारा स्वीकार किया गया । इसमें मार्शल पेतां के अधिनायकत्व में अधिनायक-तंत्र की स्थापना के लिये व्यवस्था की गई थी । फ्रान्स में जर्मन सेना की पराजय के बाद जनरल डी गाल ने १० सितम्बर १९४५ को अस्थायी सरकार का निर्माण किया । २१ अक्टूबर १९४५ को फ्रान्स में साधारण निर्वाचन हुए और एक संविधान-परिषद् का निर्माण किया । यह निश्चय किया गया कि यह परिषद् अपनी प्रथम बैठक (६ नवम्बर १९४५) से सात मास के भीतर फ्रान्स के लिये नवीन संविधान की रचना कर उसे कार्यान्वित करे ।

साधारण निर्वाचन में साम्यवादी दल (Communist party of france) को १५२ स्थान मिले; समाजवादियों को १४६; एम० आर० पी० (Popular Republican Movement) को १३६; रेडीकल समाजवादियों को ३७ स्थान मिले । इस निर्वाचन में सबसे प्रथम बार स्त्रियों ने मताधिकार का प्रयोग किया ।

१६ अप्रैल १९४६ को चतुर्थ गणराज्य की प्रथम राष्ट्रीय संविधान परिषद ने २४६ मतों के विरुद्ध ३०९ मत से संविधान स्वीकार किया। २५ ने अपने मत नहीं दिये। ६ मई १९४६ को जब इस संविधान पर लोकमत (Referendum) किया गया तो इसे अस्वीकार कर दिया गया।

२ जून १९४६ को द्वितीय संविधान परिषद् का निर्वाचन किया गया। इसने नवीन संविधान को १०६ के विरुद्ध ४४० मतों से स्वीकार किया। ३२ सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। लोकमत ने भी इसे स्वीकार कर लिया।

नवीन फ्रेंच संविधान ने सन् १७८९ की अधिकारों की घोषणा को स्वीकार कर मानवों व नागरिकों की स्वाधीनता तथा अधिकारों को पुनः स्वीकृति दी है। उसने कुछ सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सिद्धांतों को भी घोषित किया है।

जब १० नवम्बर १९४६ को नवीन संविधान के अधीन नये निर्वाचन हुए तो राष्ट्रीय परिषद में साम्यवादी दल सबसे विशाल दल था। एम० आर० पी० का दूसरा स्थान था। इन दोनों सबसे बड़े दलों में से किसी की भी सरकार नहीं बन सकी। तब साम्यवादी दल के समर्थन से एम० ब्लुम ने नया मन्त्रि-मण्डल बनाया। १६ दिसंबर १९४६ को नवीन समाजवादी मन्त्रि-मण्डल बनाया गया।

१६ जनवरी १९४७ को वर्साई में राष्ट्रीय-परिषद तथा कौंसिल के संयुक्त अधिवेशन में एम० ओरियोल, समाजवादी नेता, साम्यवादियों के समर्थन से गणराज्य का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया।

१७ जनवरी १९४७ को राष्ट्रपति ने समाजवादी नेता एम० रामादियर को यह आदेश दिया कि वह अपना मंत्रिमंडल बनावें। १७ जनवरी १९४७ को एम० रामादियर ने मंत्रि-मंडल बनाने के आदेश को स्वीकार कर लिया। उसमें सभी दलों ने अपना विश्वास प्रकट किया। केवल एक दक्षिण-पंथी पक्ष उसके विरुद्ध था। उसने अपने मंत्रि-मंडल में समाजवादियों, साम्यवादियों, एम० आर० पी० तथा अन्य दलों को स्थान दिया। उसके मंत्रि-मंडल में २६ सदस्य थे। इनमें ५ साम्यवादी सदस्य थे। ३० अप्रैल १९४७ को मंत्रि-मंडल में संकट उपस्थित हो गया जब कि साम्यवादी मंत्री मंत्रि-मण्डल की बैठक में से उठकर चले गये। वे साम्यवादियों द्वारा अनुमोदित हड़ताल के पक्ष में थे। ४ मई १९४७ को रामादियर मंत्रि-मण्डल में विश्वास का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। साम्यवादी मंत्रियों के त्यागपत्र से जो स्थान रिक्त हो गये उनकी पूर्ति

समाजवादी तथा एम० आर० पी० सदस्यों से की गयी। २२ अक्टूबर १९४७ को रामादियर मंत्रि-मण्डल के सब मंत्रियों ने अपने त्यागपत्र प्रधान-मंत्री एम० रामादियर के हाथ में दे दिये। ये त्यागपत्र इसलिये दिये गये थे कि १९ अक्टूबर को जो म्युनिस्पल निर्वाचन हुए, उनमें एम० आर० पी० (एक सरकारी दल) की पराजय हुई तथा साम्यवादियों द्वारा नियंत्रित मजदूर-संघ ने यह मांग की कि मजदूरों के वेतनों में ५० प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाय। २३ अक्टूबर १९४७ को रामादियर ने अपना नवीन मन्त्रि-मण्डल बनाया, जिसमें पहले के सब मन्त्रियों को भी स्थान दिया। इसके बाद देशभर में हड़तालें हुईं और मारशेल्स में साम्यवादियों के नेतृत्व में उपद्रव हुए। १९ नवम्बर १९४७ को एम० रामादियर ने राष्ट्रपति ओरियोल के हाथ में त्यागपत्र दे दिया, जिससे समस्त गणतंत्रीय दलों का एक सुसंगठित मन्त्रि-मण्डल बनाया जा सके। २० नवम्बर को राष्ट्रपति ने डा० ब्लुम को मन्त्रि-मण्डल बनाने का कार्य सौंपा। डा० ब्लुम को बहुमत का समर्थन नहीं मिला। तब २२ नवम्बर १९४७ को एम० आर० पी० के नेता एम० रोबर्ट शूमैन को प्रधानमन्त्री नियुक्त किया गया। उसे राष्ट्रीय परिषद् का विश्वास भी प्राप्त हो गया। २४ नवम्बर को शूमैन ने अपना मन्त्रि-मण्डल बनाया। यह भी संयुक्त मन्त्रि-मण्डल था। इसमें एम० आर० पी० दल के अधिक सदस्य थे। शूमैन के मन्त्रि-मण्डल को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। वह दस मास तक अपना कार्य करता रहा। शूमैन सरकार को १३ जुलाई १९४८ को त्यागपत्र दे देना पड़ा। इसका कारण यह था कि सरकार ने १५०,००० सरकारी कर्मचारियों को पद से हटा देने के लिये एक बिल पेश किया, जिसका पार्लमेंट में भारी विरोध किया गया। तब एम० मोरी (रेडीकल) ने स्वयं प्रधान-मन्त्रित्व ग्रहण कर मन्त्रि-मण्डल बनाया। यह भी संयुक्त मन्त्रि-मण्डल था। अगस्त १९४८ में इस मन्त्रि-मण्डल का भी पतन हो गया। क्योंकि उसके दल तथा समाजवादियों में घोर मतभेद खड़े हो गये थे। इसके बाद शूमैन ने मन्त्रि-मण्डल बनाने का विफल प्रयास किया। एम० क्यूले (रेडीकल) ने मन्त्रि-मण्डल बनाया। वह प्रधानमन्त्री रहे। शूमैन वैदेशिक मन्त्री बने। सात सप्ताह की अवधि में यह चौथा मन्त्रि-मण्डल बना और जब से फ्रान्स मुक्त हुआ है, तब से यह बारहवां मन्त्रि-मंडल है।

फ्रान्स में बार-बार मन्त्रि-मण्डलों का निर्माण व पतन उसके संविधान का सबसे बड़ा दोष है। फ्रान्स में जनता प्रजातंत्र का दुरुपयोग करती रही है।

वास्तव में स्थिति यह है कि, फ्रान्स की राष्ट्रीय-परिषद (पार्लमेंट) में सबसे विशाल दल साम्यवादी दल है। साम्यवादी दल के अतिरिक्त अन्य समस्त दल मिलकर बहुमत में हैं। इसलिए साम्यवादियों को छोड़कर जो भी मन्त्रि-मण्डल बनाया जायगा, वह कभी स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकेगा। इस नाटक के सूत्रधार डी गाल भी हैं। वह साम्यवादियों के कट्टर विरोधी हैं। वह समस्त दक्षिण-पंथी दलों का नेतृत्व करते हैं। साम्यवादियों तथा अन्य दलों में संघर्ष के कारण वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है।

सन् १९४६ में फ्रान्स का जो नवीन संविधान स्वीकार किया गया है उसके अनुसार फ्रेन्च यूनियन के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रदेश हैं :—

१ संरक्षित प्रदेश—(१) मोरक्को (२) ट्यूनिसिया।

२ हिन्द-चीन का संघ—(१) वियतनाम का गणराज्य (इसमें टोनकिंग व उत्तरी अनाम सम्मिलित हैं) (२) कम्बोडिया का राज्य (३) लाओस का राज्य (४) हिन्दचीन के दक्षिणी प्रदेश (५) कोचीन चीन।

फ्रान्स के साम्राज्य व उपनिवेश : अफ्रीका में

इक्वाटोरियल अफ्रीका—क्षेत्रफल ९५९,२५६ वर्गमील; जनसंख्या १३,७३०,८१७, यूरोपियन ६०,९९; राजधानी ब्राजाविले।

फ्रान्स का यह प्रदेश अटलांटिक तट से लेकर बेलजियम कांगो तक फैला हुआ है। यहाँ एक गवर्नर-जनरल रहता है जो इसके शासन-प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी है। यह तीन प्रान्तों में विभक्त है। इसका एक प्रथम उपनिवेश भी है। यहाँ के प्राकृतिक एवं खनिज साधनों का विकास नहीं हुआ है। इसके ३००,००० वर्गमील में वन हैं, जिनमें रबड़ आदि अधिक पैदा होती है। यहाँ से हाथीदाँत बाहर भेजा जाता है। यहाँ काफी, कोको और रूई की खेती होती है। ताँबा, सोना, हीरा आदि मुख्य खनिज पदार्थ हैं।

मैडागास्कर—क्षेत्रफल २४१,०९४ वर्गमील तथा जनसंख्या ३,७९७,९३६ है। यह अफ्रीका के दक्षिण-पूर्व में एक द्वीप है। यहाँ चावल, गन्ना, काफी, तमाखू, मक्खन, मक्का, आलू, लौंग आदि अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं।

मेयोटे व कामोरो द्वीप—यह मैडागास्कर के अधीन है।

री-यूनियन—क्षेत्रफल ९७० वर्गमील; जनसंख्या २२०,९५५।

यह द्वीप मैडागास्कार से पूर्व में ४२० मील की दूरी पर है। सन् १९४३ से इस पर फ्रान्स का अधिकार बना हुआ है। इसका शासन प्रबंध एक गवर्नर के

द्वारा होता है। उसकी सहायता के लिये एक प्रिवी कौंसिल है। यहाँ फ्रेंच जनता की आबादी २१४, ३८२ है।

सोमालीलैण्ड:—क्षेत्रफल ६,०७१ वर्गमील; जनसंख्या ४४,८०० (१९४६), यह उपनिवेश अदन की खाड़ी में स्थित है। सन् १९४४ में इसमें ६२७ यूरोपियन थे। इसका शासन प्रबंध गवर्नर द्वारा किया जाता है।

पश्चिमी अफ्रीका व सहारा : इसका क्षेत्रफल १,८१५, ७६८ वर्गमील है, जनसंख्या १५,९९६,००० है। फ्रेंच पश्चिमी अफ्रीका में निम्नलिखित उपनिवेश शामिल हैं:—(१) सेनेगाल (२) फ्रेंच गिनी (३) आयवरी कोस्ट (४) दहोमे (५) फ्रेन्च सूडान (६) मोरीटानिया (७) निगर (८) डाकर (९) उसके अधीन राज्य। सहारा का क्षेत्रफल १,५००, ००० वर्गमील है। इसका शासन प्रबंध गवर्नर जनरल के हाथ में है। उसकी सहायता के लिये एक प्रिवी कौंसिल है। प्रत्येक प्रदेश एक गवर्नर के शासन में है।

अल्जीरिया : क्षेत्रफल ८४७, ५०० वर्गमील; जनसंख्या ७,२३४, ६८४ (१९३६) राजधानी अलजीयर्स।

यह उपनिवेश दो भागों में विभाजित है उत्तरी व दक्षिणी। इसका शासन प्रबंध केन्द्रीय है और गवर्नर-जनरल उसका प्रमुख शासक है। दक्षिण का प्रदेश प्रथक उपनिवेश है। यहां के निवासी अधिकांश में मुसलमान हैं। कुछ-एक यहूदी भी हैं। यहां ९८७, २५२ यूरोपियन हैं। यहाँ समुद्रतटीय प्रदेश बड़े उपजाऊ हैं और अच्छी घाटियां भी हैं। इन पर मुख्यतः यूरोपियनों का अधिकार है।

ट्यूनिसिया : क्षेत्रफल ४८, ३०० वर्गमील; जनसंख्या : २,६०८ ३१३; राजधानी ट्यूनिस। सन् १९३६ में यहाँ के निवासियों की जनसंख्या २३९५, १०८ थी; यूरोपियन जनसंख्या २१३, २०५ थी।

ट्यूनिस फ्रेन्च संरक्षित प्रदेश है। यहां का शासन फ्रेन्च वैदेशिक कार्यालय के निर्देशानुसार होता है। यहां का शासक मुस्लिम है। सारा देश १९ जिलों और ६ सैनिक जिलों (छावनियों) में बंटा हुआ है।

फ्रान्स के साम्राज्य-उपनिवेश : आस्ट्रेलिया तथा प्रशान्त में

न्यू केलेडोनिया : इसका शासन प्रबंध गवर्नर द्वारा होता है। उसकी सहायता के लिये एक प्रिवी कौंसिल भी है। इस द्वीप का क्षेत्रफल ८,५४८ वर्गमील है। जन-संख्या ६१, २५० है। इसके अतिरिक्त ३०,०३४ मेलेशियन हैं। अनेक छोटे छोटे द्वीप भी इसके अधीन हैं।

न्यू हेब्रडीज : इन द्वीप-पुंजों पर ब्रिटेन व फ्रान्स दोनों का संयुक्त अधिकार व प्रबंध है। यहां फ्रेंच तथा ब्रिटिश न्यायालय हैं।

ओसिनिया : पूर्वी प्रशान्त सागर में ओसिनिया प्रदेश हैं। बड़े विस्तृत प्रदेश में ये द्वीप हैं। यहां का शासन गवर्नर द्वारा होता है। उसकी सहायता के लिये एक प्रिवी कौंसिल है। यहां की जनसंख्या ५१,२२१ है।

फ्रान्स के उपनिवेशः अन्य क्षेत्रों में

टेरे अडाली : ये द्वीप अटलांटिक महासागर में हैं। इनका क्षेत्रफल ४०,००० वर्गमील है। १ अप्रैल १९३८ को यह प्रदेश फ्रेंच अधिकार में घोषित कर दिये गये।

मार्टिन्क : क्षेत्रफल ३८५ वर्गमील ; जनसंख्या २६१,५९५ (१९४६) यह फ्रान्स के प्रवासी विभाग के अधीन हैं। यह विभाग (प्रदेश) एक प्रीफेक्ट द्वारा शासित है। यहां के तीन प्रतिनिधि फ्रान्स की राष्ट्रीय परिषद में भी हैं।

ग्वाडेलोप और उसके अधीन राज्य : क्षेत्रफल ५८३ वर्गमील; जनसंख्या २२६,९५७ यहां भी एक प्रीफेक्ट शासन प्रबंध करता है।

गाइना : क्षेत्रफल ३४,७४० वर्गमील ; जनसंख्या २८,५३७ (१९४६) यह प्रदेश दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी-पूर्वी भाग में है। यह भी फ्रान्स का प्रवासी प्रदेश है।

फ्रेंच भारत : भारत में फ्रांस के निम्नलिखित उपनिवेश हैं:—पांडिचेरी ; चन्द्रनगर ; कारीकल ; महे ; यनोन ; इन सब प्रदेशों का कुल क्षेत्रफल १९६ वर्गमील है। जनसंख्या ३२३,२९५ है।

उक्त प्रदेशों को भारतीय संघ में मिलाने के संबंध में जन-मत-संग्रह की व्यवस्था की जा रही है।

हिन्द-चीन : क्षेत्रफल २८६,००० वर्गमील; जनसंख्या २६,६४३,०००। राजधानी सेगों।

इस जन-संख्या में ४३,००० फ्रेन्च हैं; ६००,००० अन्य विदेशी। सन् १९४६ तक इसमें ५ राज्य थे—कोचीन-चीन, अनाम, कम्बोडिया, टोंकिंग व लाओस।

वियतनाम के गणराज्य को फ्रेन्च सरकार ने १९४६ में स्वीकार कर लिया। हिन्द-चीन के संघ में एक फ्रेन्च हाई कमिश्नर रहता है। इसकी सहायता के लिये ८ कमिश्नर हैं। एक प्रधान सेनापति भी है।

फिनलैंड

क्षेत्रफल ११७, ९७५ वर्गमील ; जनसंख्या ३,९९३,४३८ (१९४५) राजधानी हेलसिन्की।

सन् १९१७ की बोल्शेविक राजक्रांति से पूर्व फिनलैंड पर रूस का आधिपत्य था। इसी वर्ष वह स्वतंत्र हो गया। सन् १९२८ में इसके संविधान में परिवर्तन किये गये। इसके अनुसार फिनलैण्ड की पार्लमेंट में एक सभागृह है। इसका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार जनता द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जनता एक विशेष निर्वाचक-मण्डल चुनती है। वह ६ वर्ष के लिये चुना जाता है। फिनलैण्ड का मंत्रि-मण्डल 'राज्य-परिषद' कहलाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

मार्च १९४५ में इसके निर्वाचन हुए, जिनमें प्रजातंत्रीय यूनियन (इसमें साम्यवादियों का प्राधान्य है) को ५० स्थान मिले। सामाजिक प्रजातंत्रवादियों तथा किसानवादियों को ४८ स्थान मिले। अनुदार राष्ट्रीय यूनियन को २९ स्थान मिले। स्वीडिश जन-दल को २४ स्थान मिले, अन्य दलों को ११। फिनलैण्ड में २५ मार्च १९४६ को नवीन 'राज्य-परिषद' नियुक्त की गई। इसके प्रधानमंत्री मोनोपेकाला बनाये गये। यह संयुक्त मंत्रि-मण्डल था।

१ व २ जुलाई १९४८ को फिनलैण्ड के विधानमण्डल के जो निर्वाचन हुए, उनका परिणाम इस प्रकार है—किसानवादी ५६ ; सामाजिक प्रजातंत्रवादी ५५ ; प्रजातंत्रवादी परिषद ३८ ; अनुदार ३२ ; स्वीडिश पार्टी १४; उदार ५; इन निर्वाचनों के बाद पेकाला की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। २४ जुलाई १९४८ को कार्ल अगस्त फेगेरहोल्म के प्रधानमंत्रित्व में नवीन मंत्रि-मण्डल बनाया गया। यह सामाजिक-प्रजातंत्रवादी अल्पमत सरकार है। फिनलैण्ड के राष्ट्रपति डा० जे. के. पासिकिवि हैं। राष्ट्रपति ने फिनलैण्ड के साम्यवादियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जब कि उन्हें यह ज्ञात हो गया कि वे फिनलैण्ड के शासन को पलटने के लिये षड्यंत्र रच रहे थे।

फिलस्तीन

क्षेत्रफल १०,२२९ वर्गमील ; जन-संख्या १,९१२,११२ (१९४६) राजधानी जेरूसलम।

यह पश्चिमी एशिया का भूमध्य-सागर के तट पर एक अरब देश है। सन् ६३७ से इस देश पर अरबों का शासन रहा। बाद में जो धर्म-युद्ध हुए

उनमें कभी इसे किसी ने जीत लिया ; कभी किसी ने। सन् १५१७ से यह तुर्की साम्राज्य के अधीन रहा। प्रथम विश्व-युद्ध में यह जुलाई १९२० तक ब्रिटिश सैन्य के अधिकार में रहा। उसके बाद वहाँ शासन की स्थापना की गयी। २३ सितम्बर १९२३ से यह राष्ट्रसंघ के संरक्षण में रहा और ब्रिटेन को इसका शासन-प्रबंध सौंप दिया गया।

यहूदी (Jews) इस देश के प्राचीन निवासी हैं। उनकी प्राचीन संस्कृति तथा धर्म जेरूसलम के निकट प्राचीन समय से अपना प्रभाव रखते आये हैं। कई बार उन्हें निर्वासित किया गया। किन्तु फिर भी यहूदी वहाँ बसे रहे। उन्नीसवीं शताब्दी तक यहूदी जेरूसलम को अपना धर्म-स्थान ही मानते रहे। किन्तु जब संसार के समस्त देशों में ईसाई उन पर नानाप्रकार के अन्याय और अत्याचार करने लगे, तब उन्होंने फिलस्तीन को अपना राष्ट्रीय-गृह बनाने के लिये आन्दोलन आरम्भ किया। यहूदी आन्दोलन (Zionist Movement) का संगठन पहले पहल थ्योडोर और हरज़ेल (वियाना) ने किया। वेसले में सन् १८९७ में प्रथम यहूदी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस संस्था का उद्देश्य फिलस्तीन में यहूदियों के लिये राष्ट्रीय-गृह का निर्माण करना था। इसका निकटतम उद्देश्य यहूदी किसानों तथा औद्योगिक श्रमजीवियों द्वारा फिलस्तीन में उपनिवेश बनाना था। यहूदी-संघ संसार-व्यापी है। विविध देशों में इसकी ५० शाखाएँ हैं। फिलस्तीन में इसका मुख्य कार्यालय है। इसकी साधारण परिषद में ७८ सदस्य हैं। इनमें से ४१ फिलस्तीन में हैं।

फिलस्तीन का महत्व तीन धर्मों के लिये है। जेरूसलम में यहूदियों का महान देवालय है। इसी स्थान पर उनके पैगम्बर रहते थे और वहीं उनके कानून बनाये गये।

जेरूसलम मुसलमानों का भी पवित्र धार्मिक स्थान है। यहाँ मुसलमानों की तीन बड़ी मसजिदें हैं। मुसलमानों का यह विश्वास है कि इसी स्थान से पैगम्बर मुहम्मद स्वर्ग सिधारे।

जेरूसलम समस्त ईसाईयों के लिये भी तीर्थ-स्थान है। यहीं ईसा ने अपना जीवन-काल व्यतीत किया और यहीं वह स्वर्ग सिधारे।

सन् १९२२ से यहूदी एजेंसी नामक संस्था फिलस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना के लिये प्रयत्न करती रही है।

इसी प्रकार अरबों की अरब-लीग है। इसकी स्थापना ३ अप्रेल १९४५ में हुई। इस लीग का तात्कालिक उद्देश्य तो संयुक्त-राष्ट्रसंघ के समक्ष समस्त अरब

देशों की माँग रखना था। इसी लीग में मिश्र, सीरिया, लेबनान, ट्रान्सजोर्डन, सउदी अरब तथा यमन शामिल हैं। सन् १९४६ में फिलस्तीन में विविध जातियों की जनसंख्या निम्न प्रकार थी—

अरब	१.२०३,०००
यहूदी	६०८,०००
अन्य	३५,०००
कुल	१,८४६,०००

सन् १९२२ में यहूदियों की जनसंख्या १२·९१ प्रतिशत थी; सन् १९४६ में यह बढ़कर ३२·९६ हो गयी। इस प्रकार २४ वर्षों में २० प्रतिशत अधिक बढ़ गई। सन् १९२२ में अरब ७५% थे, सन् १९४६ में वे ६०% रह गये। इस प्रकार १५% उनकी संख्या कम हो गयी।

इस प्रकार अरबों को यह भय था कि फिलस्तीन में यहूदियों की जनसंख्या अधिक बढ़ जाने से वे अरबों पर आधिपत्य करेंगे। यही अरब-यहूदी संघर्ष का मूल कारण है।

१७ मई १९३९ को ब्रिटिश उपनिवेश मंत्री मालकम मैकडानल्ड ने फिलस्तीन के संबंध में ब्रिटिश नीति की घोषणा प्रकाशित की। इसके अनुसार यह निश्चय किया गया कि १० वर्षों में फिलस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया जायगा और उसके शासन में अरब तथा यहूदी दोनों का भाग होगा। यदि फिलस्तीन में यहूदियों के प्रवेश से वहाँ की आर्थिक या राजनीतिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, तो उनकी संख्या सीमित कर दी जायगी। इस प्रकार फिलस्तीन में इतने यहूदी रखे जायँगे जिससे वे कुल जनसंख्या के $\frac{1}{3}$ रहें। अगले पाँच वर्षों में ७५,००० यहूदियों को फिलस्तीन में बसाने की आज्ञा दी जायगी। पाँच वर्ष के बाद यहूदियों के प्रवास का निश्चय अरबों की अनुमति से होगा।

इस नीति से अरब तो सन्तुष्ट थे किन्तु यहूदी इसे स्वीकार नहीं करते थे। अतः द्वितीय युद्ध-काल में अरब देशों में इस प्रश्न पर कोई आन्दोलन नहीं चला। उन्हें यह विश्वास था कि ब्रिटेन की सरकार इस नीति के अनुसार ही कार्य करेगी।

जब युद्ध समाप्त हो गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिलस्तीन के मामले में दिलचस्पी लेना आरम्भ कर दिया। इसके दो मुख्य कारण थे। एक तो वह फिलस्तीन को सोवियत रूस के प्रभाव से बचाये रखने की चिन्ता में था; दूसरे

अरब देशों से पैट्रोल लाने का मार्ग फिलस्तीन में होकर था। इसलिए अमेरिका ने अपनी दिलचस्पी दिखलाई। तीसरे जर्मनी की पराजय के बाद यूरोप के देशों के शरणार्थी यहूदियों के पुनर्वास की भी समस्या बड़ी विकट थी। अतः ऐंग्लो-अमेरिकन-कमेटी ने सन् १६४५--४६ में यह सिफारिश की कि फिलस्तीन में तुरन्त १००,००० प्रमाणित यहूदियों को प्रवेश करने दिया जाय। फिलस्तीन में संघ-राज्य स्थापित किया जायगा जिसमें यहूदी तथा अरब दो प्रान्त होंगे। इस योजना का अरबों ने विरोध किया।

तब ब्रिटेन ने फिलस्तीन का प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघ के विचारार्थ सौंप दिया और यह निश्चय भी सूचित कर दिया कि ब्रिटिश सत्ता १ अगस्त १९४८ से पूर्व फिलस्तीन से वापस कर ली जायगी। अतः संयुक्त राष्ट्रसंघ उसके भाग्य का निर्णय समय रहते करे। १९ नवम्बर १९४७ को संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण परिषद् ने फिलस्तीन को दो भागों में विभाजित करने के लिये निश्चय किया और इस आशय से एक कमीशन भी नियुक्त किया। कमीशन ने यह निश्चय किया कि १ सितम्बर १९४७ के उपरान्त दो वर्ष बाद यहूदी व अरब राज्य स्थापित हों अर्थात् १ सितम्बर १६४६ के बाद। इस कमीशन के अल्पमत का यह विचार था कि फिलस्तीन में संघ-राज्य रहे और जेरूसलम में उसकी राजधानी हो।

अरबों ने इन दोनों योजनाओं को अस्वीकार कर दिया। १२ दिसंबर १९४७ को ब्रिटिश सरकार ने यह अन्तिम रूप से सूचित कर दिया कि १५ मई १९४८ को ब्रिटिश फिलस्तीन से अपनी सत्ता वापस कर लेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाँच बड़े राष्ट्रों की एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा, जो फिलस्तीन के प्रश्न पर विचार करेगी। ब्रिटेन ने अपना नाम इस समिति से वापस ले लिया। अब अमेरिका बड़े संकट में पड़ गया। उसकी नीति डाँवाडोल होने लगी।

१८ मार्च १९४८ को, जब फिलस्तीन में अरबों व यहूदियों में घोर संग्राम होने लगा, तो अमेरिका ने यह प्रस्ताव किया कि फिलस्तीन की विभाजन योजना वापस ले ली जाय और अभी वहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघ की संरक्षण-परिषद प्रबंध करे। इस प्रकार अमेरिका ने यहूदियों का समर्थन किया और दूसरी ओर अरबों को यह दिखलाया कि वह उनका समर्थक है।

दूसरी ओर १४ मई १६४८ से पूर्व यहूदियों ने इजराइल स्वतंत्र यहूदी राज्य की घोषणा कर दी। इसके बाद यहूदियों व अरबों में खूब संघर्ष चला। इसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा भेजे गये मध्यस्थ काउंट बर्नाडोटे तथा उनके सह-

योगियों को यहूदी आतंककारियों के हाथों बलिदान होना पड़ा। यहूदियों को अमेरिका तथा सोवियत रूस की नैतिक सहायता मिली। दूसरी ओर मिश्र, सीरिया, ईराक, लेबनान, ट्रान्सजार्डन, अरब आदि सब मिलकर यहूदियों से लड़ने लगे। यहूदियों को पश्चिमी राष्ट्रों ने गुप्त रूप से अस्त्र-शस्त्रों की सहायता की। संयुक्त राष्ट्रसंघ की ओर से २६ मई १९४८ को प्रथम विराम संधि का प्रस्ताव रखा गया। इसके लिए एक मास का समय दिया गया। किन्तु इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। १५ जुलाई १९४८ को दूसरी बार शान्ति प्रस्ताव सुरक्षा-समिति ने स्वीकार किया। नवम्बर १९४८ में विराम सन्धि की स्थापना के लिये प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इस प्रकार दोनों देशों में शान्तिसंधि स्थापित हो गयी। जेरूसलम को अन्तर्राष्ट्रीय नगर बनाने का निश्चय किया गया है।

फिलिपाइन्स

क्षेत्रफल ११५,६०० वर्गमील; जनसंख्या १८,८४६,८०० (१९४६); राजधानी मनीला।

फिलिपाइन्स ७१०० द्वीपों का एक समूह है। इस देश में सबसे अधिक संख्या फिलिपिनों की है। किन्तु चीनी, जापानी, यूरोपियन व अमेरिकन भी पर्याप्त संख्या में हैं। यहाँ ६४ देशी भाषाएँ बोली जाती हैं। इनमें से ८ प्रमुख भाषाएँ हैं।

फिलिपाइन्स पर संयुक्तराज्य अमेरिका का अधिकार था। ४ जुलाई १९४६ को इसे स्वाधीनता प्रदान की गयी और तबसे यह स्वतंत्र गणराज्य है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने फिलिपाइन्स के संविधान को २३ मार्च १९३५ को स्वीकार किया था। इसके बाद फिलिपाइन्स में इस पर मत-संग्रह किया गया और इसे लोकमत ने भी स्वीकार कर लिया। सन् १९४० में इस संविधान में तीन संशोधन किए गए। इनके द्वारा द्विसभागृह-स्थापित किए गए। एक सीनेट जिसमें २४ सदस्य और एक प्रतिनिधि सभा जिसमें ९८ सदस्य निश्चित किए गए। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का कार्य-काल घटाकर ४ वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति की सहायता के लिये ११ विभागीय सचिव हैं।

यद्यपि फिलिपाइन्स ने राष्ट्रीय या राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, तथापि अमेरिका के आर्थिक हितों एवं सैनिक हितों का उस पर आज भी आधिपत्य है। ४ जुलाई १९४६ को फिलिपाइन्स तथा अमेरिका के बीच जो

संधि हुई है, उसके अनुसार अमेरिका फिलिपाइन्स में हर प्रकार के आर्थिक अधिकार प्राप्त कर सकता है। १ मार्च १९४७ को इन दोनों देशों के बीच एक और भी समझौता हुआ है, जिसके अनुसार फिलिपाइन्स ने अपने प्रदेश के ५ बड़े सैनिक अड्डे ९९ वर्ष के पट्टे पर अमेरिका को सेना, नौ सेना व वायुसेना स्थापित करने के लिये दे दिये हैं।

अप्रेल १९४६ को फिलिपाइन्स में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, १६ सिनेटरों तथा ९८ प्रतिनिधियों के निर्वाचन हुए। जनरल रोक्साज राष्ट्रपति चुने गये। उन्होंने अपना मंत्रि-मण्डल बनाया। १५ अप्रेल १९४८ को हृदय गति रुक जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गयी। १७ अप्रेल १९४८ को उनके स्थान पर सेनर इल्पिद्वे क्विरिनो राष्ट्रपति बनाये गये।

फिलिपाइन्स गणराज्य की यह स्वाधीनता देशवासियों के एक विशाल भाग को स्वीकार नहीं है। एक जन मोर्चे का संगठन हो गया है, जो इस प्रकार की अमेरिका द्वारा नियंत्रित स्वाधीनता को स्वीकार नहीं करता। इस संस्था के १,०००,००० सदस्य हैं। इनमें अधिकांश किसान तथा मजदूर हैं। यह मोर्चा फिलिपाइन्स सरकार तथा अमेरिकनों के विरूद्ध गुरिल्ला संघर्ष कर रहा है।

बर्मा (ब्रह्मदेश)

क्षेत्रफल २६१,७५७ वर्गमील ; जनसंख्या १६,८२३,७९८ ; (१९४१) राजधानी रंगून।

बर्मा की इस जनसंख्या में ९,०००,००० बर्मन, १,२००,००० करेन्स, १,०००,००० शान, ३००,००० चिन, १५०,००० काचिन, १५०,००० चीनी, १२०,००० इन्डो बर्मन, ८८७,००० भारतीय हैं।

१ अप्रेल १९३७ से पूर्व बर्मा भारत का ही एक प्रान्त था। सन् १९३५ के बर्मा एक्ट के अनुसार यह भारत से पृथक कर दिया गया। उस समय से बर्मा का शासन पृथक होता रहा। वहाँ एक गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद शासन करती थी। बर्मा में ७ डिवीजन हैं। शान में रियासतों का शासन एक कमिश्नर की देखभाल में होता है। इनके अतिरिक्त बर्मा में कुछ ऐसे भी पहाड़ी प्रदेश हैं, जिनका शासन प्रबंध कमिश्नरों के अधीन सुपरिन्टेन्डेन्ट करते हैं।

मई १९४५ में ब्रिटिश सरकार ने (चर्चिल सरकार) ने यह घोषणा की

कि बर्मा को स्वराज्य दे दिया जायगा। यह सर्वथा अस्पष्ट प्रतिज्ञा थी। उससे कोई भी दल सन्तुष्ट नहीं हुआ।

द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा युद्ध-क्षेत्र बना। जापानियों ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया था। अतः युद्धोपरान्त देश की स्थिति बड़ी अशान्त हो गयी थी। देश में अपराध, हत्याकाण्ड तथा उपद्रव बहुत होने लगे। नई-नई राजनीतिक पार्टियाँ जन्म लेने लगीं। इन दलों का उद्देश्य देश के लिये स्वाधीनता प्राप्त करना था। इन सबमें सबसे सबल दल जनरल यू० आंगसान की फासिस्ट-विरोधी जन-स्वतंत्रता परिषद् है। सितम्बर १९४५ में यह दल बहुत ही लोकप्रिय हो गया था। अन्य दलों के साथ इस दल ने गवर्नर की कार्य-कारिणी परिषद् में सदस्यता स्वीकार कर ली। गवर्नर ने यह आश्वासन दिया कि वह उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

आंगसान कार्यकारिणी-परिषद् का उपाध्यक्ष हो गया। गवर्नर उसका अध्यक्ष था। इस फासिस्ट-विरोधी जन-स्वतंत्रता परिषद् (Anti-fascist Peoples freedom League) तथा अन्य राजनीतिक दलों के प्रभाव से ब्रिटिश मजदूर सरकार ने आंग-सान आदि नेताओं को लन्दन में बर्मा के वैधानिक भविष्य के संबंध में विचार करने के लिये आमंत्रित किया। दोनों पक्षों में समझौता हो गया। इस पर प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर दिये। इस समझौते के अनुसार अप्रेल १९४७ में बर्मा की संविधान-परिषद् का निर्वाचन हुआ। यह निश्चय किया गया कि अन्तरिम काल के लिए सन् १९३५ के एक्ट द्वारा आयोजित लेजिस्लेटिव कौंसिल कार्य करेगी किन्तु उसकी सदस्य संख्या आर्डर-इन-कौंसिल द्वारा ५० से बढ़ाकर १०० कर दी जायगी। गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद् ही बर्मा की अन्तरिम सरकार होगी।

अप्रेल १९४७ में निर्वाचन हुए। संविधान-परिषद् का अधिवेशन १० जून १९४७ को आरम्भ हुआ। बर्मा के २२५ प्रतिनिधियों ने बर्मा के संविधान की रचना का कार्य आरंभ किया। २४ सितम्बर १९४७ को बर्मा का संविधान सर्व-सम्मति से स्वीकार किया गया।

इसके बाद बर्मा के इतिहास में एक महा दुःखान्त घटना हो गई। जनरल आंगसान और उनके ६ साथियों की, जब कि वे कौंसिल भवन में एक बैठक में सम्मिलित हो रहे थे, हत्या कर दी गई। २० जुलाई १९४७ को गवर्नर ने कार्य-कारिणी परिषद् का पुनर्निर्माण किया और थाकिन नू को उसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया।

३० अगस्त १६४७ को बर्मा-ब्रिटेन-रक्षा-संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। २४ अक्टूबर १६४७ को बर्मा-स्वाधीनता बिल तथा संधि की शर्तें प्रकाशित की गईं। बर्मा को एक गणराज्य घोषित किया गया। इस बिल के अनुसार बर्मा ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य नहीं है। वह पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न स्वतंत्र गणराज्य है। इन दोनों देशों में रक्षा-संबंधी जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार ब्रिटेन इंगलैंड में बर्मा-सेना के शिक्षण की व्यवस्था करेगा।

१४ नवम्बर १९४७ को ब्रिटिश पार्लमेंट ने बर्मा स्वाधीनता बिल को कानून का रूप दे दिया। ४ जनवरी १९४८ को बर्मा एक स्वतंत्र गणराज्य हो गया। साओ शवे थेक उसका प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ३ जनवरी १९४८ को संविधान परिषद ने स्वतंत्र बर्मा के प्रथम मंत्रि-मण्डल का चुनाव किया। इसमें १७ मंत्री हैं। थाकिन नू प्रधान-मंत्री हैं। थाकिन नू समाजवादी नेता हैं। कर्नल बो लेट या उप-प्रधानमंत्री तथा रक्षामंत्री हैं। १ मार्च १६४८ को पुनः मंत्रि-मंडल निर्माण किया गया। इस बार भी थाकिन नू प्रधान मंत्री बने।

बर्मा का गृह-युद्ध—बर्मा को स्वाधीनता प्राप्त हुई, उससे पहले से वहाँ थाकिन नू की सरकार का विरोध हो रहा है और ४ जनवरी १६४८ के बाद तो समस्त देश गृह-युद्ध के कारण सर्वनाश के पथ पर अग्रसर है। बर्मा में स्पष्ट रूप में दो बड़े दल हैं। वर्तमान् समय में जिन लोगों के हाथ में शासन-सत्ता है, वे वे लोग हैं जिन्होंने जापानियों का पहले सहयोग किया था, जब कि बर्मा पर उनका आधिपत्य रहा। वे बाद में जापानियों से लड़े, जब ब्रिटिश सेनाओं ने उनको बर्मा से मार भगाया। इस समय जो समाजवादी सरकार का विरोध कर रहे हैं, वे जापानियों से सदैव लड़ते रहे।

बर्मा के साम्यवादियों (Communists) में भी दो दल हैं। एक लालपताका साम्यवादी हैं। ये आरम्भ से अंग्रेजों के विद्रोही हैं और अब समाजवादी सरकार का विरोध कर रहे हैं। अराकान में इन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया। दूसरा दल श्वेतपताका साम्यवादियों का है। यह दल जनरल आंगसान तथा फासिस्ट विरोधी परिषद के सहयोग से अंग्रेजों का उग्र विरोध करने के पक्ष में था।

बर्मा फासिस्ट-विरोधी-परिषद के भीतर भी फूट है। उसका एक दल जन-सेवक दल (Peoples Volunteer Organization) साम्यवादियों की ब्रिटिश विरोधी माँगों के पक्ष में है।

बर्मा में समाजवादी सरकार के विरुद्ध निम्नलिखित विद्रोही दल लड़ रहे हैं :—

१—लालपताका साम्यवादी	४००० सैनिक
२—श्वेतपताका साम्यवादी	५००० ,,
३—जनसेवक-दल (P. V. O.)	३००० ,,
४—विद्रोही सैनिक व पुलिस	२००० ,,
५—करेन्स	५००० ,,
६—अराकान के मुसलमान	१००० ,,
	कुल २०,०००

अभी तक बर्मा में (८ मार्च १९५०) शान्ति स्थापित नहीं हुई है। शान स्टेट्स की राजधानी लाशियो पर विद्रोहियों ने अधिकार जमा लिया है। करेन्स से समझौते की बातें चल रही हैं। करेन्स के नेता ने समझौते के लिये कहा था। संधि के लिये समय व स्थान भी नियत हो गया, किन्तु करेन्स नेता नहीं आये; इसलिये प्रयत्न विफल रहा।

चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हो जाने के कारण बर्मा में साम्यवादियों की शक्ति और भी बढ़ जाने की आशंका है।

बलगेरिया

क्षेत्रफल ४२,८०८ वर्गमील; जनसंख्या ६,५४९,६६४ (१९४८) राजधानी सोफिया।

यहाँ स्लावोनिक भाषा बोली जाती है। गत युद्ध में बलगेरिया जर्मनी के पक्ष में था। उसने अक्टूबर १९४४ में साम्यवादी प्रभाव तथा मित्रराष्ट्रों के प्रभाव में आकर जर्मनी के विरुद्ध युद्धघोषणा कर दी। बलगेरिया में पहले एकतंत्रीय शासन था। ८ सितम्बर १९४६ को इस प्रश्न पर जनमत लिया गया और एकतंत्रीय शासन का अन्त कर दिया गया। २७ अक्टूबर १९४६ को देश में जो चुनाव हुए उनके कारण साम्यवादियों को बहुमत प्राप्त हो गया। एक पितृभूमि मोर्चा कायम किया गया। इसमें साम्यवादी, समाजवादी, किसानवादी तथा मजदूर थे। इन्हें ३६४ स्थान पार्लमेंट में मिले। इनमें २७७ स्थान साम्यवादियों को मिले। विरोधी दल की संख्या १०१ थी। नवम्बर १९४६ में जार्ज दि मित्रोव ने एक मंत्रि-मण्डल बनाया। इस मंत्रि-मण्डल में ९ साम्यवादी, ५ किसानवादी, २ समाजवादी, २ गणतंत्रवादी और १ स्वतंत्र सदस्य था।

४ दिसंबर १९४७ को नवीन पार्लमेंट ने नवीन बलगेरियन संविधान को स्वीकार कर लिया।

इस नवीन संविधान के अनुसार राष्ट्रीय परिषद राज्य की सर्वोपरि संस्था है। वह एक शासन-समिति (Presidium) का निर्वाचन करती है। ६ दिसंबर १९४७ को इसका निर्वाचन किया गया। डा० मिन्को नेटचेफ (साम्यवादी) उसके अध्यक्ष चुने गये। इस शासन-समिति में १५ सदस्य हैं। बलगेरिया में विरोधी दल गुप्त रूप से कार्य करता है। उसके नेता एम. पैकोफ को पहले गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसे फांसी दे दी गई।

ब्राजील

क्षेत्रफल ३,२७५,५१० वर्गमील; जनसंख्या ४६,२००,००० (१९४५) राजधानी: (रियो डी जानेरो)।

यह दक्षिणी अमेरिका का देश है। इसमें २९ राज्य और प्रदेश हैं। ब्राजील के चारों ओर एक पट्टी २००,००० वर्गमील की दूसरे देशों की थी, उसे ब्राजील-सरकार ने १ अक्टूबर १९४३ को अपने राज्य में मिला लिया। इसे पांच प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया।

ब्राजील की भाषा पुर्तगाली है। दक्षिणी प्रदेशों में जर्मन व इटालियन भाषाएँ भी प्रचलित हैं। ब्राजील देश में अधिकांश प्रवासी हैं। इनमें इटालियन, जर्मन, पुर्तगाली, जापानी, लाल इंडियन तथा आदिवासी जातियां हैं।

ब्राजील देश में ६३·५% गोरी जातियां हैं; १४·६% नीग्रो हैं और २१°% मुलाटो हैं। अधिकांश लोग रोमन कैथोलिक मतानुयायी हैं।

ब्राजील कृषि-प्रधान देश है; किन्तु उसका बहुत थोड़ा भाग कृषि के उपयोग में है। यहां संसार की कुल काफी की पैदावार का तीन-चौथाई भाग पैदा होता है। रबड़, कोको, अण्डी, तम्बाकू, रूई, केला, चीनी, सन्तरे तथा शराब अधिकता से पैदा होती है। यहां खाने भी पर्याप्त हैं तथा वन-सम्पत्ति भी पर्याप्त है। यहां संसार की सबसे बड़ी कच्चे लोहे की खानें हैं। यहां कच्चा क्रोम व अबरक भी बहुत है। कोयला भी पर्याप्त है। सूती, ऊनी वस्त्रों तथा जूट का व्यवसाय होता है। पैट्रोल का भी बड़ा उद्योग है।

ब्राजील का नया संविधान १६ जून १९३४ को स्वीकार किया गया। १० दिसंबर १९३७ को वह स्थगित कर दिया गया। उसके स्थान पर राष्ट्रपति वर्गास ने नया विधान प्रचलित किया। २८ मई १९४५ को राष्ट्रपति ने यह आदेश

दिया कि २ दिसंबर १६४५ को राष्ट्रपति तथा कांग्रेस के निर्वाचन होंगे। २६ अक्टूबर १६४५ को ब्राजील में रक्तहीन क्रान्ति के फलस्वरूप राष्ट्रपति वर्गास का फासिस्ट शासन जो १५ वर्ष से कायम था समाप्त हो गया। युद्धमंत्री जनरल मोन्टेरियो तथा अन्य उच्च सेनाधिकारियों ने इस क्रांति का आयोजन किया। आगामी निर्वाचनों तक जनरल मोन्टेरियो राष्ट्रपति बनाये गये और एक अस्थायी मंत्रि-मण्डल स्थापित किया गया।

जनरल डुतरा (समाजवादी-दल) राष्ट्रपति चुने गये। १८ सितम्बर १६४६ को ब्राजील का जो नया संविधान जारी किया गया, उसने पुनः प्रजातंत्रीय शासन की स्थापना कर दी। शासन को पुनः कार्य-पालिका, न्याय-पालिका तथा विधान-पालिका में विभाजित कर दिया गया। १६ जनवरी १९४८ को नवीन निर्वाचन हुए। ब्राजील में साम्यवादी दल का भी प्रभाव बढ़ता जा रहा है।

ब्रिटेन (संयुक्त राज्य)

क्षेत्रफल ८६,०४१ वर्गमील; जनसंख्या ४८,४०६,००० (१६४७) उत्तरी आयरलैण्ड का क्षेत्र ५,२३६ वर्गमील तथा जनसंख्या १,२७९,७४५। राजधानी—लन्दन।

ग्रेट ब्रिटेन के अन्तर्गत इंगलैण्ड, वेल्स, स्काटलैण्ड है। उत्तरी आयरलैण्ड भी उसी के अन्तर्गत है। यद्यपि उत्तरी आयरलैण्ड की अपनी पार्लमेंट है, तथापि वह ग्रेट ब्रिटेन का ही भाग है।

ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोपरि राज-संस्था ब्रिटिश पार्लमेंट है। पार्लमेंट के अन्तर्गत दो सभागृह हैं—एक कामन-सभा है और दूसरी लार्डसभा। लार्ड-सभा में सब सदस्य स्थायी होते हैं और वे सब लार्ड होते हैं। इनकी संख्या १,०४० है। कामन सभा का निर्वाचन जनता द्वारा होता है; इसके सदस्य ६४० हैं।

शासन राजा के नाम से होता है; किन्तु वास्तव में शासन मंत्रि-मंडल द्वारा किया जाता है। कामन-सभा (पार्लमेंट) में जो दल बहुमत में होता है, उसका नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त किया जाता है। ब्रिटेन का अधिपति उसकी नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अपने दल के सदस्यों में से प्रधान-मन्त्री करता है।

द्वितीय युद्धकाल में ब्रिटेन में संयुक्त मन्त्रि-मण्डल का शासन था। उसमें विन्स्टन चर्चिल (अनुदार दल) प्रधानमन्त्री थे। मजदूर-दल तथा उदार-दल के भी सदस्य थे। एटली, बेविन तथा क्रिप्स संयुक्त मन्त्रि-मण्डल के सदस्य

थे। युद्ध-काल में मजदूर-दल की शक्ति बढ़ गई। चर्चिल का दल अपनी नीति के लिये देशभर में कुख्यात हो गया। इस कारण जुलाई १९४५ में, जब यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया, तब पार्लमेंट के निर्वाचन हुए। इनमें मजदूर-दल की विजय हुई। कामन-सभा में उसका बहुमत हो गया। क्लेमेंट आर० एटली मजदूर दल के नेता मन्त्रि-मण्डल के प्रधानमन्त्री नियुक्त किये गये और राजा ने उन्हें यह आदेश दिया कि वह मन्त्रि-मण्डल बनावें।

मजदूर-सरकार ने सन् १९४५ से देश का शासन किया और समाजवादी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के प्रयत्न किये। ब्रिटेन की समाजवादी सरकार ने गत पाँच वर्षों में ब्रिटेन में अनेक परिवर्तन किये हैं। बैंक आफ इंगलैंड का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। कोयला उद्योग का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया है। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया है। जो भवन तथा सरकारी कार्यालय युद्ध में नष्ट हो गये थे, उनका पुनर्निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त मजदूरों की दशा सुधारने के लिये अनेक कार्य किये हैं। सन् १९४६ में ब्रिटेन की सरकार ने अमेरिका से १,१००,०००,००० पौंड का ऋण लिया। उसी से वह अपने निर्माण कार्य को पूरा कर सका। जिस समय ब्रिटेन का युद्ध प्रयत्न समाप्त हुआ, उस समय उस पर ३,५००,०००,००० पौंड का विदेशों का ऋण था। इस प्रकार बाद में सन् १९४७ में ब्रिटेन को मार्शल योजना के अधीन भी अमेरिका से आर्थिक सहायता मिली है।

वैदेशिक विषयों में समाजवादी शासन की नीति अनुदार शासन की नीति से कुछ भिन्न नहीं रही। इसीलिए उसे चर्चिल का भी समर्थन मिलता रहा। चर्चिल मजदूर सरकार की गृहनीति का कटु आलोचक रहा है। मजदूर-सरकार ने समाजवादी नीति में कुछ परिवर्तन अवश्य किया और वह उसकी भारत, ब्रिटेन, लंका, बर्मा तथा फिलस्तीन के संबंध में प्रयोग की गयी नीति से स्पष्ट है। २३ फरवरी १९५० को ब्रिटेन की पार्लमेंट का निर्वाचन हुआ। इसका परिणाम निम्न प्रकार रहा :—

दल	कामनसभा (पार्लमेंट) में सदस्य संख्या	प्राप्तमत
(१) मजदूर दल	३१५	१३,२४८,९५७
(२) अनुदार दल	२९६	१२,४५०,४०३
(३) उदार दल	९	२,६३४,४८२
(४) आयरिश राष्ट्रवादी	२	... ...
(५) स्वतंत्र उदार	१	... ...

इस प्रकार मजदूर-दल को केवल ७ का बहुमत प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि मजदूर-दल ने मन्त्रि-मण्डल बनाया, तो उसका जीवन संकट में रहेगा। क्योंकि अनुदार-दल बड़ी आसानी के साथ ८–१० सदस्यों को मजदूर-दल में से अपनी ओर मिलाकर मजदूर सरकार को पराजित कर सकता है। मजदूर-दल के नेता एटली ने अपनी सरकार बना ली है। उनका मन्त्रि-मण्डल निम्न प्रकार है:–

(१) क्लेमेंट आर० एटली : प्रधानमन्त्री।
(२) सर स्टेफर्ड क्रिप्स : अर्थमन्त्री।
(३) बेविन (अरनेस्ट) : वैदेशिक-मन्त्री।
(४) हरबर्ट मोरीसन : लार्ड प्रेजीडेंट आफ कौंसिल।
(५) इमेनुअल शिनवेल : रक्षामन्त्री।
(६) एनुरिन विवेन : स्वास्थ्यमन्त्री।
(७) जेम्स ग्रिफिथ : औपनिवेशिक मन्त्री।
(८) पैट्रिक गार्डन वाकर : राष्ट्रमण्डल सम्बन्ध-मन्त्री।
(९) फिलिप नोएलवेकर : कोयला व विद्युत् विभाग-मन्त्री।
(१०) जान स्ट्रेची : युद्धमन्त्री।
(११) डा० एडिथ समरस्किल : मन्त्री राष्ट्रीय बीमा।
(१२) हेक्टर-मैकनील : स्काटलैंड-मन्त्री।
(१३) सर हार्टले शा क्रॉस : एटोर्नी-जनरल (विधान मन्त्री)।
(१४) मौरिस वेब : खाद्य-मन्त्री।
(१५) ह्यूज गेट्सकेल : आर्थिक विषयों के मन्त्री।
(१६) ह्यूज डाल्टन : नगर व ग्राम-नियोजन-मन्त्री।
(१७) लार्ड एडीसन : लार्ड प्रिवीसील।
(१८) लार्ड मिल्स वोरो : लंकास्टर की उची के चान्सलर।
(१९) लार्ड जोवियट : लार्ड चान्सलर।
(२०) जेम्स च्युटर इडे : गृहमन्त्री।
(२१) जार्ज एलफ्रेड आइजेक्स : श्रम-मन्त्री।

उपर्युक्त सभी मंत्री मंत्रि-मण्डल (Cabinet) के सदस्य हैं। निम्न-लिखित मन्त्री हैं, किन्तु वे मन्त्रि-मण्डल के सदस्य नहीं हैं। इन्हें मन्त्रि-मण्डल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने का अधिकार नहीं है।

(१) लार्ड हाल : नौसेना-मन्त्री।
(२) जान सेंट लाये स्ट्रेची : युद्ध-सचिव।

(३) आर्थर हेंडरसन : वायु-सेना-सचिव ।
(४) फिलिफ जान नोयल बेकर : विद्युत व कोयला विभाग-सचिव ।
(५) एलफ्रेड बर्नीज : यातायात सचिव ।
(६) जार्ज रसल स्ट्रौस : रसद सचिव ।
(७) ह्यून टोड नेलोर गेट्सकेल : आर्थिक विषय सचिव ।
(८) लार्ड पेकिनहाम : नागरिक नभ यातायात ।
(९) प्रो० हिलर एडेयर मारक्वेन्ड : पेंशन सचिव ।
(१०) एडवर्डस् : पोस्टमास्टर जनरल ।
इनके अतिरिक्त १५ पार्लमेंटरी सेक्रेटरी भी नियुक्त किये गये हैं ।

ब्रिटिश साम्राज्य : अफ्रीका में

पूर्वी अफ्रीका—केनिया क्षेत्रफल २२४,९६० वर्गमील ; जनसंख्या ३,५३४,८६२ (१९४०)। राजधानी नेरोबी। यहाँ भारतीय भी रहते हैं। यूरोपीय तथा अंग्रेज भी पर्याप्त संख्या में है ।

यूगांडा—क्षेत्रफल ९३,३८१ वर्गमील ; जनसंख्या ३,९३०,७२४ ।

टँगानिका—क्षेत्रफल ३६०,००० वर्गमील ; जनसंख्या ५,४१७,५९४ (१९४३) यह पहले जर्मन उपनिवेश था। यह राष्ट्रसंघ के संरक्षण में आ गया और इसका शासन प्रबन्ध ब्रिटेन को सौंप दिया गया।

न्यासालैण्ड—क्षेत्रफल ३७,३७४ वर्गमील ; जनसंख्या १,६८४,१९४ ।

ब्रिटिश दक्षिणी अफ्रीका—दक्षिणी रोडेशिया : क्षेत्रफल १५०,३३३ वर्गमील, जन-संख्या १,४४८,३९३ (१९४१)। यहाँ ६२,३०३ यूरोपियन हैं। इसमें ही संसार-प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात है। यहाँ गवर्नर शासन करता है। एक विधान-सभा तथा गवर्नर की सहायता के लिये एक कार्य-पालिका सभा भी है ।

पश्चिमी अफ्रीका—नाइजेरिया : क्षेत्रफल ३७२,७६४ वर्गमील; जनसंख्या २१,३२९,३२८ (१९४३)। यह संरक्षित राज्य है। यहाँ एक गवर्नर रहता है। यहाँ लोहे, टिन और शीशा की खानें हैं।

केमेरुन्स—क्षेत्रफल ३४,०८१ वर्गमील ; जनसंख्या ८६८,६३७। यहाँ की भूमि उपजाऊ है ; हाथीदाँत बहुत पैदा होता है। गवर्नर यहाँ का शासन करता है ।

ब्रिटिश गेम्बिया—क्षेत्रफल ४,०६८ वर्गमील ; जनसंख्या १९९,५२० (१९३९)।

ब्रिटिश सेराल्योन—क्षेत्रफल २७,६९९ वर्गमील ; जनसंख्या १,६७२,००० ।

गोल्ड कोस्ट—क्षेत्रफल ९९,९०२ वर्गमील ; जनसंख्या ३,९६२,६९२ यहाँ सोना, हीरा, रबड़ मुख्य पैदावार है ।

टोगोलैण्ड—क्षेत्रफल १३,०४१ वर्गमील ; जनसंख्या ३९१,४७३ । यह संयुक्त राष्ट्रसंघ के संरक्षण में है और इसका प्रबन्ध ब्रिटिश सरकार करती है ।

उत्तरी रोडेशिया—क्षेत्रफल २९०,३२० वर्गमील ; जनसंख्या १,३८५,१८६ ।

बसुतोलैण्ड—क्षेत्रफल ११,७१६ वर्गमील ; जनसंख्या ६६०,६५० ।

बेचुनालैण्ड—क्षेत्रफल २७५,००० वर्गमील ; जनसंख्या २६५,७५६ ।

स्वाजीलैण्ड—क्षेत्रफल ६,७०५ वर्गमील ; जनसंख्या १५६,७१५ ।

ब्रिटिश साम्राज्य : अटलांटिक द्वीप

बरमुदा—बरमुदा ३६० छोटे छोटे द्वीपों का समूह है । ये न्यूयार्क से ६७७ मील की दूरी पर अटलांटिक महासागर में हैं । इनकी जनसंख्या सन् १९४६ में ३४,९६५ थी । इसका क्षेत्रफल २१ वर्गमील है । यहाँ ब्रिटिश तथा अमेरिकन सैनिक अड्डे हैं । यहाँ का शासन एक गवर्नर द्वारा होता है । एक विधान सभा भी है तथा गवर्नर की सहायता के लिये एक कार्य-कारिणी सभा है ।

फाकलैण्ड द्वीप-समूह—यह द्वीपसमूह दक्षिणी अटलांटिक में हैं । यहाँ ऊन, व्हेल मछली का तेल, कोयला तथा तेल मुख्य चीजें हैं । चिली तथा अर्जेन्टाइना देशों ने इन द्वीपों पर अपना दावा किया है ।

न्यूफाउण्डलैण्ड और लाब्रेडर—क्षेत्रफल ४२,७३४ वर्गमील; जनसंख्या ३२०,१०१ ; राजधानी सेंट जान्स । यह कनाडा के निकट अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है । इस द्वीप की खोज सन् १४९७ में जान केबोट ने की थी । यह अँग्रेजों का सबसे पुराना उपनिवेश है ।

प्रथम विश्वयुद्ध के उपरान्त न्यूफाउन्डलैण्ड को अधिराज्य (Dominion) का पद मिल गया । २ दिसंबर १९३३ को न्यूफाउन्डलैण्ड ने डोमीनियन का पद त्याग दिया । उस समय से इसका शासन प्रबंध ब्रिटेन के राजा द्वारा नियुक्त ६ सदस्यों के एक कमीशन द्वारा होता है । सन् १९४६ में इस देश की एक

राष्ट्रीय-परिषद का अधिवेशन हुआ जिसमें यह विचार किया गया कि देश का भावी शासन किस प्रकार का होगा। जैसा भी निश्चय किया जायगा, उस पर लोकमत लिया जायगा। ३ जून १६४८ को लोकमत लिया गया। लोकमत (Referendum) ने न तो उत्तरदायी शासन के पक्ष में मत दिया और न उसने कनाडा के साथ मिल जाने में और न कमीशन द्वारा शासन को जारी रखने के पक्ष में।

ब्रिटिश साम्राज्य : वेस्ट इन्डीज में

बहामा—वेस्ट इन्डीज में बहामा कई द्वीपों का एक समूह है। इसका क्षेत्रफल ४,४०४ वर्गमील तथा जनसंख्या ६९,६६१ है। इनमें ८५% रंगीन जातियों की जनसंख्या है। यहाँ गवर्नर का शासन है; उसकी एक कार्यकारिणी सभा है और एक विधान-परिषद्।

बारबोडोज—क्षेत्रफल १६६ वर्गमील; जनसंख्या १६५,३९८ (१९४६)। यहाँ गवर्नर द्वारा शासन होता है; एक विधान-परिषद भी है और एक कार्य-कारिणी सभा।

जमैका—क्षेत्रफल ४,४०४ वर्गमील, इनसे मिले हुए दूसरे द्वीप भी हैं—इनमें तुर्क तथा केकोज द्वीप २२४ वर्गमील हैं। यहाँ की कुल जनसंख्या १,२३७,०६३ है। इनमें से १४,७०३ गोरे हैं, २१६,२५० रंगीन हैं; ६६५,९४४ कृष्ण जातियाँ हैं; २१,३६६ ईस्ट इंडियन हैं; ६८६६ चीनी हैं। इसकी राजधानी किंगस्टन है। यहाँ की मुख्य पैदावार हैं—गन्ना, काफी, केला, नरियल, कोको।

सन् १९४४ से नवीन संविधान लागू हो गया है। इसके अनुसार गवर्नर के अतिरिक्त विधान-मण्डल भी है। निम्न सभागृह (House of Representatives) में ३२ सदस्य हैं। इनमें २२ मजदूर दल के हैं।

लीवार्ड द्वीप—इन द्वीपों का कुल क्षेत्रफल ४२२½ वर्गमील है। जन-संख्या १०८,८४७ है। इसके संविधान के अनुसार गवर्नर द्वारा शासन होता है। एक संघीय कार्यकारिणी-परिषद भी है, जिसको सम्राट नियुक्त करता है। एक विधान-सभा भी है जिसमें १८ सदस्य हैं। आधे सदस्य गैर-सरकारी हैं।

ट्रिनीडाड—क्षेत्रफल १,६६४ वर्गमील; इससे मिले हुए टोबागो द्वीप का क्षेत्रफल ११६ वर्गमील है। इसकी कुल जनसंख्या ४१२,७८३ है। यहाँ के निवासी अधिकांश में अफ्रीकनों के वंशज हैं। यहाँ भी गवर्नर द्वारा शासन होता है। एक विधान परिषद तथा एक कार्य-कारिणी समिति है।

ब्रिटिश साम्राज्य : प्रशान्त महासागर में

फिजी द्वीप—फिजी द्वीप-समूह में २५० द्वीप हैं। बड़े-बड़े द्वीपों में विटीलेबू; वान्ना लेबू और रोटांग हैं। इनका कुल क्षेत्रफल ७,०८३ वर्गमील है। सन् १९४६ में इन द्वीपों की कुल जनसंख्या २५९,६३८ थी। इनमें ४,५९४ यूरोपियन हैं, ११८,०८३ फिजीवासी, १२०,४१४ भारतीय, २,८७४ चीनी, ६,१२८ मिश्रित जातियाँ सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त और भी जातियाँ हैं। राजधानी सुवा है। यहाँ गवर्नर का शासन है तथा प्रशांत सागर के हाई कमिश्नर का भी नियंत्रण है। एक गवर्नर की कार्यकारिणी समिति है, जिसमें सभी सरकारी सदस्य हैं; एक विधान-सभा भी है जिसमें मनोनीत तथा निर्वाचित सरकारी व जनता के प्रतिनिधि हैं। इसमें पाँच भारतीय प्रतिनिधि भी हैं; तीन निर्वाचित तथा दो मनोनीत हैं। यहाँ चावल, केला, नरियल, गन्ना आदि पैदा होते हैं।

माइनर द्वीप—प्रशान्त महासागर में ब्रिटिश प्रदेशों में निम्नलिखित हैं—गिलबर्ट एलिस द्वीप; ब्रिटिश सोलोमन द्वीप; न्यू हेब्रेडीज; टोंगा द्वीप; पिटकेरन; स्टारवक द्वीप; माल्डन द्वीप; केरोलिन और बोस्टोक द्वीप।

पश्चिमी समोआ—यह पश्चिमी प्रशान्त में ९ द्वीपों का समूह है। ये जर्मन उपनिवेश थे। राष्ट्रसंघ के संरक्षण में इन द्वीपों का शासन-प्रबंध ब्रिटेन को सौंप दिया गया। सन् १९४६ से संयुक्त राष्ट्रसंघ की संरक्षण-परिषद् की व्यवस्था के अधीन ब्रिटेन के अधिकार में हैं।

नारू द्वीप—क्षेत्रफल ५,२६३ एकड़ है। यह प्रवाल द्वीप है। इसका शासन प्रबंध राष्ट्रसंघ के संरक्षण में है। ११ नवम्बर १९४७ से यह संयुक्त राष्ट्रसंघ की संरक्षण-व्यवस्था के अधीन है। सन् १९४७ में इसकी जनसंख्या २,७९४ थी। इनमें २०६ यूरोपियन, १,१५८ चीनी, १,३७९ नौरू आदि थे।

बोर्नियो – ब्रिटिश उत्तरी बोर्नियो का क्षेत्रफल २९,३८२ वर्गमील; जनसंख्या २७०,२३३ (सन् १९३१)। यहाँ अधिकांश मुस्लिम प्रवासी तथा आदि-निवासी हैं। यहाँ गवर्नर द्वारा शासन होता है। एक सलाहकार कमेटी भी है।

बोर्नियो के पश्चिम में ६ मील की दूरी पर लबुआन नामक एक द्वीप है। इसका क्षेत्रफल ३५ वर्गमील है।

ब्रूनी नामक द्वीप बोर्नियो के उत्तर पश्चिम में है। इसका क्षेत्रफल २,२२६ वर्गमील है। जनसंख्या ४८,०३४ है। यहाँ का शासक सुल्तान है। यहाँ एक ब्रिटिश रेज़ीडेंट भी रहता है।

सारावाक—क्षेत्रफल ५०,००० वर्गमील ; जनसंख्या ५००,००० । यहाँ मलयी, डायक, मिलानो, कयान, मारुत, चीनी आदि रहते हैं। यह ब्रूनी का ही एक भाग था । सन् १८४१ से सर जेम्स ब्रूक सारावाक का राजा कहलाता था । सन् १८८८ में यह ग्रेटब्रिटेन के संरक्षण में आगया । यह अब अंग्रेजों के अधिकार में है ।

सिंगापुर—१ अप्रेल १९४६ को सिंगापुर पृथक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया । इससे पूर्व भी यह अंग्रेजों के अधिकार में था । इसका क्षेत्रफल २२० वर्गमील है । इसमें सिंगापुर द्वीप, क्रिस्मस द्वीप तथा कोको द्वीप हैं। इसकी कुल जन-संख्या ९५३,३३६ (१९४७) है। इनमें ११७,८११ मलयवासी हैं । इसकी एक विधान-सभा है । २० मार्च १९४८ को इसका निर्वाचन हुआ । इसमें प्रगतिवादी दल को ३ स्थान मिले ; स्वतंत्र ३ स्थान हैं। सिंगापुर के गवर्नर व प्रधान सेनापति सर फ्रांकलिन गिम्सन हैं ।

हॉगकांग—यह चीनी सागर में केन्टन नदी के मुहाने पर एक द्वीप है । इसका क्षेत्रफल ३२ वर्गमील है । सन् १९४७ में इसकी जनसंख्या १,७५०,००० थी। इसमें ७००० ब्रिटिश नागरिक हैं । सन् १८४१ में यह द्वीप चीन से अंग्रेजों ने प्राप्त किया था । जापानी आधिपत्य में रहने के बाद यह सन् १९४५ में पुनः अंग्रेजों के हाथ में आ गया ।

इस समय इस द्वीप पर साम्यवादी चीनी सरकार का नियंत्रण है ।

ब्रिटिश साम्राज्य : भूमध्य-सागर

साइप्रस—यह भूमध्य-सागर में एक द्वीप है । क्षेत्रफल ३,५७२ वर्गमील है; जनसंख्या ४५०,११४ । इसमें यूनानी, मुस्लिम तथा अन्य जातियाँ रहती हैं । प्रथम विश्वयुद्ध में यह द्वीप ब्रिटिश सरकार ने तुर्की से हड़प लिया था । अब ब्रिटिश उपनिवेश है । यहाँ एक गवर्नर का शासन है । उसकी सहायता के लिए एक कार्यकारिणी समिति है और एक सलाहकार समिति भी है ।

बेलजियम

क्षेत्रफल—११,७७५ वर्गमील ; जनसंख्या ८,४५२,५८४ । राजधानी ब्रूसेल्स ।

इस देश में यूपेन तथा मालमन्डी के जिले भी सम्मिलित हैं । इसमें ८ प्रान्त हैं और २,६७० ग्राम-समितियाँ हैं । प्रत्येक को स्वशासन के अधिकार

हैं। यहाँ रोमन कैथोलिक मतानुयायियों का बहुमत है। यहाँ वैधानिक एकतंत्रीय शासन प्रणाली प्रचलित है। एक संसद् (पार्लमेंट) भी है जिसमें एक प्रतिनिधि-सभा व दूसरी सीनेट है।

यहाँ फ्रांक मुद्रा प्रचलित है; किंतु वेलगा का प्रयोग विदेशी विनिमय के लिये अनिवार्य है। एक वेलगा पाँच कागजी फ्रांकों के बराबर होता है।

सन् १६४० में जर्मनी ने बेलजियम पर आक्रमण किया। राजा तथा सेनापति ने आत्म-समर्पण कर दिया; किन्तु मन्त्रि-मण्डल भागकर लन्दन चला गया। सितम्बर १६४४ में बेलजियम ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली। मंत्रि-मण्डल लन्दन से स्वदेश आ गया। २१ सितम्बर १९४४ को बेलजियन पार्लमेंट ने प्रिंस चार्ल्स को (शासक) रीजेंट नियुक्त किया। बेलजियम की पार्लमेंट के दोनों सभागृहों ने राजा ल्योपोल्ड को देश में नहीं आने दिया।

बेलजियम में सन् १६३६ में पार्लमेंट में कैथोलिकों का बहुमत था। दूसरा विशाल दल समाजवादियों का था। ३१ जुलाई १९४५ को बेलजियन मंत्रि-मंडल के ६ कैथोलिक सदस्यों ने लन्दन से राजा के पुनरागमन के प्रश्न पर त्यागपत्र दे दिये। इससे देश में एक गम्भीर संकट उपस्थित हो गया। ९ जनवरी १९४६ को मन्त्रि-मण्डल की प्रार्थना पर रीजेंट ने पार्लमेंट के भङ्ग करने का आदेश दे दिया। १७ फर्वरी १९४७ को पार्लमेंट के निर्वाचन हुए। बेलजियम की प्रतिनिधि-सभा (House of Representatives) में विविध दलों की स्थिति निम्न प्रकार है—

१ क्रिश्चियन सोशलिस्ट (कैथोलिक)	९२	सदस्य।
२ समाजवादी ··· ···	६८	,,
३ साम्यवादी ··· ···	२३	,,
४ उदार ··· ···	१८	,,
५ प्रजातन्त्रवादी ··· ···	१	,,

सीनेट में इन दलों की स्थिति निम्न प्रकार है—

१ कैथोलिक ··· ···	८३	सदस्य।
२ समाजवादी, साम्यवादी, उदार	८४	सदस्य।

१९ मार्च १६४७ को मन्त्रि-मण्डल का निर्माण किया गया। पौल हेनरी स्पाक (समजवादी) प्रधान-मन्त्री नियुक्त किये गये। उन्होंने १९ सदस्यों का मन्त्रि-मण्डल बनाया। १९ नवम्बर १९४८ को स्पाक सरकार का पतन हो गया।

बेलजियन कांगो

क्षेत्रफल—९०२,०८२ वर्गमील ; जनसंख्या १०,५२१,१७९ । राजधानी उसुम्बुरा । यह देश ६ प्रान्तों तथा १६ जिलों में विभाजित है । प्रत्येक प्रान्त का एक गवर्नर है । समस्त उपनिवेश एक गवर्नर-जनरल के अधीन है । यह बेलजियम के राजा द्वारा नियुक्त किया जाता है । यहाँ के असली निवासियों की संख्या १०,४८६,२६१ है । ये बन्तू व सूदानी हैं । यहाँ सोना,हीरा, ताँबा, चाँदी, शीशा, लोहा आदि खनिज सम्पत्ति है ।

बोलिविया

क्षेत्रफल ४६,५६१ वर्गमील; जनसंख्या ३,७८७,८०० (१९४७) । राजधानी ला पाज़ ।

बोलिविया दक्षिणी अमेरिका का एक देश है । यहां रेड इंडियन* सबसे अधिक संख्या में हैं । गोरी तथा अधगोरी जातियां भी हैं । यहां का राजधर्म कैथोलिक ईसाई धर्म है । रेड इन्डियनों का अपना पृथक धर्म है । सन् १९३८ के बोलिवियन संविधान के अधीन प्रति चार वर्ष बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है । जनता उसका प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचन करती है । यहां एक कांग्रेस है—पार्लमेंट है जिसमें एक सीनेट व एक चेम्बर है । राष्ट्रपति के मंत्रिमण्डल में ९ मंत्री हैं ।

बोलिविया में राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन के फलस्वरूप मेजर विलारोल ने २० दिसंबर १९४३ को राजसत्ता बलपूर्वक ले ली । ६ अगस्त १९४६ को कांग्रेस ने उसे राष्ट्रपति चुन लिया । २१ जुलाई १९४६ को जनक्रान्ति के फलस्वरूप उसे अपने पद से हटना पड़ा । २२ जुलाई को डा० नेस्वर गिलने ने अपनी सरकार बनायी । ९ मार्च १९४७ को नये चुनाव हुए । इस समय डा० हर्टज़ोग को ४ वर्ष के लिये राष्ट्रपति चुना गया । १० मार्च १९४७ को उसने पद ग्रहण किया ।

भारतीय गणराज्य

इसके संबंध में अन्यत्र देखिये ।

---

* दक्षिणी अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका में 'रेड इंडियन' (लाल भारतीय) नामक एक जाति मिलती है । जिस समय कोलम्बस ने अमेरिका की खोज की उस समय यह जाति वहां मिली । उस समय से आजतक यह अमेरिका में मिलती है । इसका स्पेनिश आदि जातियों के साथ रक्तमिश्रण भी हो गया है । इंडियन वहाँ पर्याप्त संख्या में आज भी हैं । इनका भारतीयों से कोई जातीय सम्बन्ध नहीं है ।

भूटान

क्षेत्रफल १८,००० वर्गमील; जनसंख्या ३००,००० ; राजधानी पुनखा।

भूटान हिमाचल में एक राज्य है। इसकी लम्बाई १९० मील और चौड़ाई ६० मील है। यहां मंगोलिया जाति के लोग हैं। यह बौद्धधर्म को मानते हैं। यहां लाख, चावल आदि होते हैं। वन भी काफी हैं। यहां एकतंत्रीय शासन है। वर्तमान् शासक महाराजा ज़िग मी वांगचुक है। भारतीय सरकार भूटान की सरकार को २००,००० रुपये वार्षिक सहायता देती है। वह उसकी वैदेशिक नीति तथा रक्षा पर नियंत्रण रखती है।

मलय देश

क्षेत्रफल ५०,६५० वर्गमील ; जनसंख्या ४,८६७,४६१ (१९४७)। राजधानी कुआला लुम्पुर।

इस देश की जनता में निम्नलिखित जातियों के लोग हैं। मलयी २,३९५,१२३ ; चीनी १,८८०,४५२ ; भारतीय ५३३,६६१ ; यूरेशियन ९,९८६ ; यूरोपियन ६,१५०।

सन् १९४१–४२ में जापानी आक्रमण से पूर्व मलय प्रायद्वीप का एकभाग, कुछ द्वीप मिलकर स्ट्रेट सेटिलमेंट कहलाते थे। यह ब्रिटिश उपनिवेश था। जब मलय देश ने जापानी आधिपत्य से मुक्ति प्राप्त कर ली, तब अँग्रेजों ने पूर्ववत् इस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। किन्तु मलयवासी पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए अपनी मांग रख रहे हैं। अँग्रेजों ने उनकी पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग को स्वीकार नहीं किया। किन्तु १० अक्टूबर १९४५ को अपनी विभाजन की नीति का यहाँ भी प्रयोग किया। सिंगापुर का उपनिवेश पृथक कर दिया गया और मलयसंघ भी पृथक कर दिया गया। इसका सुल्तानों और पान-मलय कांग्रेस ने विरोध किया। इसके फलस्वरूप मलयसंघ योजना में परिवर्तन कर दिये गये।

दो-ढाई वर्ष तक इस सम्बन्ध में बड़ा विवाद रहा और अन्त में ९ मलय राज्यों, पिनांग व मलाका के मलयसंघ तथा ब्रिटिश सरकार के बीच २१ जनवरी १९४८ को संधि हो गयी। १ फरवरी १९४८ को मलय संघ का नवीन संविधान प्रारम्भ हुआ। मलय यूनियन का जो गवर्नर था वह मलयसंघ का हाईकमिश्नर हो गया।

इस संविधान के अनुसार मलय-संघ में शक्तिशाली केन्द्रीय शासन की व्यवस्था की गयी है। सब राजसत्ता सुल्तानों ब्रिटिश सरकार तथा स्थापित स्वार्थों

के हाथों में है। यह संविधान प्रतिक्रियावादी है। इसका मन्तव्य जनता के हाथों में शासन-सत्ता जाने से रोकना है। जब वैधानिक प्रश्नों पर विचार किया गया था, तब अखिल मलय कौंसिल से परामर्श नहीं किया गया। यह मलय देश की प्रतिनिधि संस्था है। इस संस्था की मुख्य मांगें निम्न प्रकार हैं :—

(१) मलय जातीयता (Nationality) का निर्माण; जो अपने को मलय मानते हैं, उन सबों को एक जातीयता में संगठित किया जाय।

(२) सिंगापुर को मलय देश के साथ पूर्ववत् मिला दिया जाय।

(३) देश में प्रजातंत्रीय संस्थाओं की शीघ्र स्थापना की जाय। इस संस्था के अन्तर्गत सबसे अधिक प्रभाव पाने मलय मजदूर संघ का है। इस पर साम्यवादियों का नियन्त्रण है। मलय-हितों की प्रतिनिधि संस्था मलय-राष्ट्रीय दल है। मलय भारतीय कांग्रेस भी महत्वपूर्ण संस्था है। यह ६½ लाख भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है। मलय डेमोक्रेटिक यूनियन समाजवादी दल है।

इस नये संविधान की प्रतिक्रिया यह हुई कि समस्त मलय देश और सिंगापुर में हड़तालें हुईं। उग्र क्रांतिकारियों ने हिंसात्मक तथा आतंककारी कार्य भी किये। ये हिंसात्मक आंदोलन शीघ्र ही देशव्यापी हो गया और गुरिल्ला युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। ब्रिटिश सरकार को इंगलैण्ड से सेनाएँ यहाँ लानी पड़ीं, जिससे जनांदोलन को कुचल दिया गया।

आॅल मलय कौंसिल इस हिंसात्मक कार्यों के लिये उत्तरदायी नहीं है। किंतु उसमें जो साम्यवादी हैं, उसका यह विश्वास है कि बिना हिंसा के प्रजातंत्र की स्थापना नहीं हो सकेगी।

मंगोलिया

मंगोलिया (भीतरी) : क्षेत्रफल ४००,००० वर्गमील; जनसंख्या २,५०,०००। यह चीन को उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित है। यह विशेष रूप से खानाबदोश मंगोलियों से बसा हुआ है। अनेक राजाओं ने इसपर शासन किया। इसपर नाम-मात्र के लिये चीन का शासन था। किन्तु यह स्वतंत्र है।

मंगोलिया (बाहरी) यह मंगोलियन प्रजातंत्र कहलाता है। क्षेत्रफल १,५००,००० वर्गमील। जनसंख्या ५५०,०००। राजधानी उलानबतोर। १९११ तक यह देश चीन के अधीन था। बाद में स्वतंत्र हो गया। यहाँ लामा महन्तों का शासन था। सन् १९२४ में सोवियत रूस की सहायता से मंगोलिया के प्रजादल ने क्रान्ति की और प्रजातंत्र की स्थापना कर ली। तब से बाहरी

मंगोलिया एक प्रकार से रूस के आश्रित है। चीन बराबर इसका दावा करता है। सन् १९२४ की चीन-रूस-संधि में इसे मान भी लिया गया। यहाँ एक छोटी, पर आधुनिक ढंग की सेना भी है। शासन-प्रणाली सोवियत ढाँचे की है। मंगोलियन चीनी से भिन्न हैं और वे तुर्की से मिलती-जुलती भाषा बोलते हैं। साइबेरिया की सीमा से मिला हुआ होने के कारण यह देश रूस के लिये विशेष सामरिक महत्व का है।

मिस्र

क्षेत्रफल ३८६,१०८ वर्गमील; जनसंख्या १९,०९०,४०४८ (१९४७)। राजधानी काहिरा। राजभाषा अरबी।

सन् १८४१ से १९१६ तक मिस्र तुर्की साम्राज्य के अधीन एक पराधीन राज्य था। तुर्की साम्राज्य की ओर से एक वायसराय यहाँ शासन करता था। सन् १८८२ में अंग्रेजों ने इस देश पर अपना अधिकार जमा लिया। १८ दिसंबर १९१४ को यह ब्रिटिश छत्रछाया में एक संरक्षित राज्य (Protectorate) घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों ने हुसेन कमाल को इसका वायसराय बना दिया। वह सन् १९१७ में मर गया। तब उसका भाई फुआद वायसराय बना दिया गया। सन् १९२२ में इसे मिस्र का बादशाह घोषित कर दिया गया। मिस्र में प्रथम विश्वयुद्ध के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये घोर आन्दोलन छिड़ गया। २६ अगस्त १९३६ को लन्दन में मिस्र और ब्रिटेन के बीच संधि हो गयी। इसके अनुसार ब्रिटेन ने मिस्र को स्वतंत्रता दे दी। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने अपनी सेनाएँ मिस्र से हटा लीं; परन्तु उन्हें यह अधिकार मिल गया कि वह स्वेज नहर पर १०,००० फौज और ४००० वायुयान रख सकते हैं; सिकन्दरिया और सईद बन्दरगाह को अपनी नौसेना का अड्डा बना सकते हैं और युद्ध व युद्ध के खतरे के समय मिस्र में होकर वे अपनी सेनाएँ ले जा सकते हैं। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने मिस्र की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। सूदान को मिस्र के शासन प्रबंध से पृथक रखा गया।

मिस्र में शासन एकतंत्रीय है। संविधान के अनुसार यहाँ विधान-मण्डल के अधीन दो सभाएँ हैं; एक मजलिसुश्शय्यूक (बड़ी) जिसके १५० सदस्यों का ५ वर्ष के लिये निर्वाचन होता है; दूसरी मजिलिसुल् नवाब (छोटी), जिसके १०० सदस्य हैं। इनमें से ६० को बादशाह नामजद करता है और ४० को चुना जाता है। बादशाह की एक मंत्रि-परिषद है। इसकी नियुक्ति बादशाह करता है; परन्तु वह विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी है।

८ जनवरी १९४५ को विधान-मण्डल के निर्वाचन हुए। इनके फलस्वरूप विविध दलों की स्थिति निम्न प्रकार है—सादो १२४; उदार ७४; वफ़्द दल ३०; स्वतंत्र २६; राष्ट्रवादी ७; वफ़्द १; २४ फर्वरी १९४५ को महमूद अल नोकराशी पाशा (समाजवादी) के प्रधान मंत्रित्व में मंत्रि-मण्डल बनाया गया। यह संयुक्त मंत्रि-मण्डल था। १७ फर्वरी १९४७ को पुनः मंत्रि-मण्डल बनाया गया। इस बार भी नोकराशी पाशा प्रधान मंत्री बने। २८ दिसंबर १९४८ को इनकी हत्या कर दी गयी।

सूदान : क्षेत्रफल ९६७,५०० वर्गमील; जनसंख्या ७,४९८,०९०। राजधानी खारतुम। सूदान के उत्तरी भाग की जनता मुस्लिम है और दक्षिणी भाग की निलोटिक तथा नीग्रो।

१९ जनवरी १८९९ को काहिरा में सूदान के संबंध में ब्रिटेन व मिस्र के मध्य यह समझौता हुआ कि इस पर ब्रिटेन व मिस्र दोनों का शासन रहेगा। सन् १९३६ की संधि में भी इसका उल्लेख था। सूदान को ब्रिटेन ने अपने शोषण के लिये सुरक्षित रख लिया है। यहाँ तक कि उसके शासन प्रबंध में मिस्रियों का सहयोग नहीं लिया जाता। सन् १९४६ से मिस्र तथा ब्रिटेन के बीच सूदान के प्रश्न पर समझौते की वार्ता चल रही है। कहा जाता है कि मिस्र के प्रधान-मंत्री सिदकी पाशा और ब्रिटिश वैदेशिक मंत्री बेविन के बीच १९४६ में समझौता हो गया और ब्रिटेन ने उसे स्वाधीनता दे देने की प्रतिज्ञा कर दी। इसकी शर्तें प्रकाशित नहीं हुईं। किन्तु अंग्रेज यह कहते हैं कि सूदान को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जायगी। मिस्र वाले यह कहते हैं कि सूदान मिस्र का ही प्रदेश है। इसलिए उसे स्वराज्य दिया जा सकता है; पूर्ण स्वतंत्रता नहीं।

सूदान में इस संबंध में मतभेद है। वहाँ राजनीतिक जाग्रति अधिक नहीं हुई है। वहाँ के दो धार्मिक संप्रदायों में परस्पर घोर संघर्ष है। एक दल अशिग्गा है। यह ब्रिटेन का विरोधी है और मिस्र से संबंध रखना चाहता है। यह सूदान के लिए स्वराज्य चाहता है। दूसरा दल उम्मा है। यह दल सूदान के लिये पूर्ण स्वराज्य चाहता है। यह ब्रिटेन और मिस्र दोनों से स्वतंत्र होना चाहता है।

मैक्सिको

क्षेत्रफल : ७६३,९४४ वर्गमील। जनसंख्या २२,७७६,०४१ (१९४६)। राजधानी : मैक्सिको सिटी।

यह उत्तरी अमेरिका का एक देश है। यहाँ रेड इंडियन तथा अन्य जातियों के लोग रहते हैं। किंतु इंडियन ११,०००,००० हैं। इंडियन ग्रामोद्योगों में

निपुण हैं। किंतु मिल-कारखानों में ये काम नहीं कर सकते। इनमें शिक्षा का भी बड़ा अभाव है। ये अपनी भाषा बोलते हैं। स्पेनिश भाषा बोल नहीं सकते।

५ फरवरी १९१७ को मैक्सिको का संविधान स्वीकार किया गया। सन् १९२६ व १९३३ में इसमें कुछ संशोधन किये गये। यह गणराज्य है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा ६ वर्ष के लिये किया जाता है। गणराज्य संघीय है। इसके अधीन २८ राज्य हैं। प्रत्येक को स्वशासन प्राप्त है। प्रत्येक राज्य का एक गवर्नर होता है। गणराज्य का एक विधान मण्डल (कांग्रेस) है जिसमें दो सभागृह हैं। एक सीनेट है और एक प्रतिनिधि-सभा। राष्ट्रपति मंत्रि-मण्डल की नियुक्ति करता है। मंत्री कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

मोनाको

क्षेत्रफल—३७० एकड़, जनसंख्या १९,२४२ (१९४६)।

यह भूमध्यसागर में एक छोटा-सा राज्य है। इसका शासक लुइस द्वितीय है। ५ जनवरी १९११ को इसका एक संविधान स्वीकार किया गया। इसके अनुसार एक विधान सभा की स्थापना की गयी। इसमें सभी सदस्य प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं।

मोरक्को

क्षेत्रफल—१७२,१०४ वर्गमील; जनसंख्या ८,६००,००० (१९४७)।

मोरक्को तीन भागों में विभाजित है; फ्रेन्च मोरक्को (१५३,८७० वर्गमील) स्पेनिश मोरक्को (१८,००९) वर्गमील, टैंजियर (२२५ वर्गमील)। यहाँ अरब तथा मुसलिम अधिक संख्या में हैं। यूरोपियन भी पर्याप्त संख्या में हैं।

यहाँ सुल्तान का शासन है। वह फ्रेन्च क्षेत्र में रहता है। उसकी एक मंत्रि-परिषद भी है। किन्तु ये सब संरक्षक राज्यों (Protecting Powers) के नियंत्रण में हैं। स्पेनिश क्षेत्र में सुल्तान के सब अधिकार खलीफा को दे दिये गये हैं। टैंजियर क्षेत्र को स्थायी रूप से निःशस्त्र कर दिया गया है।

यूगोस्लाविया

क्षेत्रफल—९५,५५८ वर्गमील; जनसंख्या १५,३२४,५०० (१९४७)। राजधानी : बेलग्रेड।

इस राज्य की स्थापना प्रथम विश्वयुद्ध के उपरान्त सर्विया तथा मोन्टेनेग्रो राज्यों के विलीनीकरण से हुआ।

६ अप्रैल १९४१ को जर्मनी ने यूगोस्लाविया पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद यूगोस्लाविया के कुछ भाग जर्मनी आदि ने अपने राज्य में मिला लिये। जो भाग बचा उसे दो भागों में विभाजित कर क्रोटिया व सर्विया राज्य बना दिये। यह सब जर्मन सैनिक अधिकारियों के हाथों में चले गये। मार्च १९४५ के मध्य तक रूसी सेनाओं ने जर्मन आधिपत्य से यूगोस्लाविया को स्वतंत्र कर दिया। जब यूगोस्लाविया राज्य स्थापित हुआ, तो वहाँ का शासन केन्द्रीभूत कर दिया गया। जनवरी १९२९ को बादशाह अलेक्जेण्डर ने अधिनायक-तंत्र स्थापित कर दिया। यह अधिनायक-तंत्र जर्मन आक्रमण तक जारी रहा।

२९ नवम्बर १९४५ को यूगोस्लाविया गणराज्य घोषित कर दिया गया। इसमें पार्लमेंट में साम्यवादियों का बहुमत हो गया। यह संघीय जन-गण-राज्य कहलाता है। यह नवीन शासन भी मित्रराष्ट्रों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। जनवरी १९४८ को नवीन मन्त्रि-मण्डल का संगठन किया गया। इसमें भी साम्यवादियों का आधिपत्य है। इसके अध्यक्ष मार्शल जोसफ ब्रोज़ टिटो (साम्यवादी) हैं।

यूगोस्लाविया का नवीन संविधान ३१ जनवरी १९४६ को स्वीकार किया गया। इसके अनुसार जन-तंत्र-राज्य की स्थापना की गयी। एक पार्लमेंट की स्थापना भी की गयी है। यह पार्लमेंट ४ वर्ष के लिये एक शासन-समिति (Presidium) नियुक्त करती है। पार्लमेंट में दो सभागृह हैं। एक 'फेडरल असेम्बली' और दूसरी 'हाउस आफ पिपुल्स'। दोनों का निर्वाचन ४ वर्ष के लिये किया जाता है। शासन-समिति का जो अध्यक्ष होता है, वह गणराज्य का राष्ट्रपति भी होता है। शासन-समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त ६ उपाध्यक्ष, एक सचिव तथा ३० सदस्य होते हैं।

नवीन संविधान के अन्तर्गत जमींदारी प्रथा नष्ट कर दी गयी है और जमीन पर किसानों का स्वामित्व हो गया है। विदेशी व्यापार पर राज्य का नियंत्रण हो गया है। २८ अप्रेल १९४७ को यूगोस्लाविया के औद्योगीकरण के लिये एक पंच-वर्षीय योजना स्वीकार की गयी।

यूरोप के समस्त साम्यवादी दलों का एक संघटन कामिनफोर्म के नाम से हुआ है। यूगोस्लाविया का साम्यवादी दल भी इसका सदस्य था। किन्तु युगोस्लाविया तथा कामिनफोर्म में मतभेद पैदा हो गये। कामिनफोर्म ने यूगोस्लाविया के साम्यवादी दल पर निम्न प्रकार के दोषारोप किये हैं :—

(१) यूगोस्लाविया साम्यवादी दल में जनतन्त्रात्मक पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया और निर्वाचन नहीं किये गये।

(२) संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चे के सम्बन्ध में पार्टी का भाग गौण रखा गया है और इस प्रकार वह मार्क्सवाद-लेनिनवाद से पृथक हो गयी है।

(३) भूमि-कानून में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया है और मध्यम वर्गीय किसान कुलकों के प्रति उदारता का व्यवहार किया गया।

(४) सोवियत संघ के प्रति सन्देह और विरोध का व्यवहार किया गया।

इसके फलस्वरूप सोवियत रूस तथा यूगोस्लाविया के पारस्परिक सम्बन्ध बड़े कटुतापूर्ण बन गये हैं और दोनों के बीच ऐसा संघर्ष जारी है कि वह किसी भी समय यूरोप की शक्तियों में महायुद्ध का कारण बन सकता है। यूगोस्लाविया की इस स्थिति से ब्रिटेन तथा अमेरिका लाभ उठाने के लिये प्रयत्नशील हैं। उनका ऐसा विश्वास है कि पूर्वी साम्यवादी देशों में टिटो की भाँति विद्रोही भावना जाग्रत हो जायगी। इसलिए अमेरिका यूगोस्लाविया को आर्थिक एवं शस्त्रास्त्रों की सहायता देने के लिये युक्ति सोच रहा है।

यूनान (ग्रीस)

क्षेत्रफल—१५०,१८२ वर्गमील; जनसंख्या ७,३००,००० (१६४७) राजधानी : एथेन्स।

(इसके संबंध में 'ग्रीस' के अन्तर्गत देखिए)

यूरूग्वे

क्षेत्रफल—७२,१५३ वर्गमील; जनसंख्या २,२३५,००० (१९४४) राजधानी : मोन्टेविदेव।

यह सबसे छोटा दक्षिणी अमेरिका का गणराज्य है। किन्तु यह अत्यन्त प्रगतिशील है। सन् १९३४ में इसका नवीन संविधान स्वीकार किया गया। इसके अनुसार एक सीनेट है और एक प्रतिनिधि सभा। राष्ट्रपति तथा इन सभाओं के सदस्यों का निर्वाचन ४ वर्ष के लिये होता है। राष्ट्रपति ६ सदस्यों का एक मंत्रि-मण्डल नियुक्त करता है।

रूमानिया

क्षेत्रफल—९१,६७१ वर्गमील। जनसंख्या १६,४०६,३६७ (१९४५) राजधानी : बुखारेस्ट।

इनमें ७२% रूमानियन हैं; ८% मगायार; ४% जर्मन और शेष यहूदी आदि हैं। मई १८७७ में रूमानिया ने रूस की सहायता से तुर्की से युद्ध करके

स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। पहले यह तुर्की साम्राज्य के अधीन था। ६ अप्रैल १६१८ को रूस का बेसारबिया प्रदेश तथा अन्य प्रदेश भी रूमानिया को मिल गये। सन् १९४० में रूस ने रूमानिया को चुनौती दी और उससे अपनी १७% भूमि पुनः वापस ले ली। जब २२ जून १९४१ को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया, तो उसमें रूमानिया की सेना ने भी भाग लिया। रूमानिया ने अपने सन् १९४० में रूस को दिये गये प्रदेशों को वापस ले लिया और कुछ रूसी प्रदेशों पर भी अधिकार जमा लिया। मार्च १९४४ तक रूस ने पुनः इन प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर ली और २३ अगस्त १९४४ को रूमानिया ने रूसी विराम-सन्धि की शर्तों को स्वीकार कर लिया। रूमानिया में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गयी और जर्मनी के विरुद्ध उसने युद्ध-घोषणा कर दी।

३१ अगस्त १६४४ को पुरातन संविधान को पुनः लागू कर दिया। १६ नवम्बर १६४६ को साधारण निर्वाचन हुए। इनके परिणाम स्वरूप संयुक्त मंत्रि-मण्डल का निर्माण किया गया। डा० पेट्रो ग्रोज़ा प्रधान मन्त्री बनाये गये।

३० दिसम्बर १६४७ को बादशाह माइकेल ने साम्यवादी आतंक के कारण राज-त्याग दिया और वह स्वदेश त्याग कर चले गये। उसी दिन रूमानिया की पार्लमेंट ने रूमानिया को गणराज्य घोषित कर दिया। २८ मार्च १६४८ को नवीन राष्ट्रीय परिषद के चुनाव हुए और देश का नवीन विधान स्वीकार किया गया। १५ अप्रैल १६४८ को नवीन मंत्रि-मण्डल का पुनर्संगठन किया गया। इसके प्रधान-मन्त्री डा० पेट्रो ग्रोज़ा बने। नवीन पार्लमेंट में सरकारी पक्ष में ४०५ सदस्य हैं। विरोधी दल में ९ सदस्य हैं। ७ सदस्य राष्ट्रीय किसान दल के हैं। इस दल पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया है।

लंका

क्षेत्रफल—२५,३३२ वर्गमील; जनसंख्या ६,६६५,६०९; राजधानी कोलम्बो।

यह भारत के दक्षिण में एक द्वीप है। इसे अंग्रेजी में Ceylon कहते हैं। हिन्दी में लंका तथा इसका पुराना नाम सिंहलद्वीप है। सिंहली जनसंख्या ४,६३७,००० है। इनके अतिरिक्त भारतीय तथा यूरोपियन भी हैं। यहाँ बौद्ध मतानुयायी बड़ी संख्या में हैं। लंका ९ प्रदेशों में विभाजित है। सन् १५०५ में पुर्तगाली इसके पश्चिमी व दक्षिणी समुद्र-तटीय प्रदेश में बस गये। सोलहवीं शताब्दी के मध्य में इस पर डचों का आधिपत्य हो गया। सन् १७९६ में

ब्रिटिश सरकार ने इसे मद्रास प्रान्त में मिला लिया। सन् १८०२ में लंका को भारत से पृथक कर दिया गया। उसी समय से यह अंग्रेजों का उपनिवेश बना रहा।

२० मार्च १९३१ के ब्रिटिश सम्राट के आदेश के अनुसार लंका का शासन प्रबंध एक गवर्नर द्वारा होने लगा। उसकी सहायता के लिये एक राज्य परिषद है। उसी समय से ७ मंत्रियों के द्वारा शासन प्रबंध होता है। स्त्री-पुरुषों को सम्पति व साक्षरता के आधार पर मताधिकार दे दिया गया। राज्य परिषद में ५० सदस्य निर्वाचित, ८ मनोनीत तथा ३ राज्य के अधिकारी होते हैं।

द्वितीय युद्ध के बाद लंका में वैधानिक सुधार के लिये आन्दोलन आरम्भ हो गया। सोल्सबरी कमीशन के आधार पर नया संविधान बनाया गया जिसे सन् १९४५ में लंका राज्य-परिषद ने स्वीकार कर लिया। १५ मई १९४६ से यह संविधान प्रारम्भ हो गया। इस प्रकार लंका को ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना लिया गया। आन्तरिक शासन-प्रबंध में सिंहली जनता को पूरे अधिकार मिल गये। रक्षा तथा वैदेशिक संबंधों पर ब्रिटेन का नियंत्रण बना रहा। इस संविधान के अनुसार लंका की पार्लमेंट में दो सभागृह हैं; एक सीनेट कहलाता है और दूसरा प्रतिनिधि सभा। एक मंत्रि-मण्डल भी है, जो पार्लमेंट के प्रति उत्तरदायी है।

नवीन संविधान के अधीन निर्वाचन २३ अगस्त से २० सितम्बर १९४६ तक हुए। कुल १०१ स्थानों में से ६ स्थानों के लिये गवर्नर द्वारा सदस्य मनोनीत किये गये। ९५ स्थानों के लिए निम्न प्रकार सदस्य चुने गये :—

१—राष्ट्रीय दल ४२ सदस्य।
२—स्वतंत्र २२ सदस्य।
३—लंका सम समाज दल १० सदस्य।
४—लंका तामिल कांग्रेस ७ सदस्य।
५—भारतीय तामिल कांग्रेस ६ सदस्य।
६—बोल्शेविक-लेनिनवादी दल ५ सदस्य।
७—साम्यवादी ... ३ सदस्य।
८—मजदूर ... १ सदस्य।

प्रायः १,५००,००० स्त्री-पुरुषों ने मतदान किया। श्री स्टीफन सेनानायक राष्ट्रीय दल के नेता हैं। अतः उन्हें प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया और उन्होंने १४ सदस्यों का मंत्रि-मण्डल बनाया।

१३ नवम्बर १९४७ को ब्रिटिश पार्लमेंट में लंका स्वाधीनता बिल प्रस्तुत किया गया और १० दिसंबर १९४७ को वह पार्लमेंट द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार लंका को भारत के समान पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो गयी है। किन्तु वह ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य अब भी है। ४ फरवरी १९४८ को स्वाधीनता दिवस मनाया गया।

लक्सेमबर्ग

क्षेत्रफल—९९९ वर्गमील; जनसंख्या २८१,५७२ (१९४५); राजधानी लक्सेमबर्ग।

यह पश्चिमी यूरोप का एक छोटा-सा राज्य है। यह जर्मनी के पश्चिम में है। यहाँ का शासन वैधानिक एकतन्त्र है। यह देश चार जिलों में विभाजित है। यहाँ एक विधान-सभा है, जिसमें ५१ सदस्य हैं। इनका निर्वाचन ६ वर्ष के लिये होता है। यहाँ के बादशाह को शासन के संगठन का अधिकार है। इस मन्त्रि-मण्डल में ४ सदस्य होते हैं। एक राज्य-परिषद् भी है, जिसमें १५ सदस्य हैं। इन्हें बादशाह मनोनीत करता है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय जर्मनी ने इस देश पर भी आक्रमण किया और इसे जर्मनी में मिला लिया। १० सितम्बर १९४४ को यह अमेरिकन सेनाओं द्वारा मुक्त किया गया। १ मार्च १९४७ को नवीन मन्त्रि-मण्डल का संगठन किया गया।

लाइबेरिया

क्षेत्रफल—४३,००० वर्गमील; जनसंख्या १,५००,०००। राजधानी मोनरोविया।

यह देश उत्तरी-पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। यह स्वतन्त्र राज्य है। सब जनता अफ्रीकन है। इस स्वतन्त्र राज्य की स्थापना संसार की अनेक मानववादी संस्थाओं के उद्योग से हुई। वे अमेरिका के मुक्त दासों के लिये एक राज्य बनाना चाहते थे, जहाँ वे स्वतन्त्रता के साथ रह सकें। सन् १८२२ में यह उपनिवेश अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थापित किया गया। २६ जुलाई १९४७ में यह एक स्वतन्त्र गणराज्य के रूप में संगठित किया गया। इसका संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के ढंग का है। उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। एकराष्ट्रपति होता है और उसका एक मन्त्रि-मण्डल। एक विधान-मण्डल

है, जिसमें दो सभागृह हैं—एक सीनेट और एक प्रतिनिधि-सभा। मतदाता नीग्रो होने चाहिए और वे भूमि के स्वामी हों। ६ मई १९४३ को राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया।

लाइचटेन्स्टीन

क्षेत्रफल—६२ वर्गमील; जनसंख्या १२,१९७ (१९४५)।

यह छोटा-सा राज्य है जो आस्ट्रिया और स्विटज़रलैंएड के बीच में स्थित है। यह सन् १३४२ से स्थापित है। यहाँ का राजा राजकुमार फ्रान्सिस जोसफ है।

वज़ीरिस्तान

पाकिस्तान राज्य के अन्तर्गत पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त के उत्तरी भाग में वज़ीरिस्तान स्थित है। यह प्रदेश पूर्व से पश्चिम में ६० मील है और उत्तर से दक्षिण में १६० मील है। पश्चिमी भाग के आधे भाग में सुलेमान पहाड़ हैं, जो ५००० से १०,००० फीट ऊँचे हैं। यहाँ सिंधु नदी भी बहती है। एक ड्यूरंड रेखा खींच दी गई है, जो पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में विभाजक रेखा है। इसके पूर्व में सिंधु नदी है। उत्तर में कुराम नदी है। कुराम नदी बन्नू से बीस मील दूरी पर पश्चिम पूर्व में है। यह वजीरिस्तान को कोहाट से पृथक करती है। दक्षिण भाग में ड्यूरंड रेखा (Durand Line) है। यह स्पष्ट अस्पष्ट है। यह रेखा वाना तथा बिलोचिस्तान में सेंडेमन किले के बीच में है; दक्षिण की ओर यह रेखा सिंधु तक जाती है। ड्यूरंड पंक्ति से उत्तर की ओर १५ व २० मील की दूरी पर क्रमशः वाना व रज़मक हैं।

यहाँ के निवासी कोई उद्योग व्यापार नहीं करते। वे अपने पड़ोस के धनी व्यक्तियों को लूटमार कर ले जाते हैं। एक वजीर नामक व्यक्ति था, जिसके नाम पर इसका नाम वजीरिस्तान पड़ा। ये लोग परस्पर लड़ते रहते हैं।

इन लोगों की अपने मालिकों (मुखियाओं) के प्रति बड़ी भक्ति होती है। आरम्भ में अंग्रेजों की नीति इनके मामले में हस्तक्षेप न करने की थी। किन्तु जब इनके सीमा प्रान्त के हिन्दुओं व अंग्रेजों पर आक्रमण होने लगे, तो अंग्रेजों ने इस प्रदेश में किले बनाये तथा वहाँ अपनी सैनिक टुकड़ियाँ रखीं। राजनीतिक अफसरों ने सन् १९०४ के बाद ३००० लोगों की नागरिक सेना बनायी। यह ब्रिटिश अधिकारियों की सहायता के लिये थी। बन्नू तथा डेरा इसमाइलखाँ में ब्रिटिश सेनाएँ इनकी सहायता के लिये रखी जाती थीं। अफरीदियों को ब्रिटिश

सरकार कुछ इनाम तथा भत्ते देती थी, जिससे वे लूटमार न करें और लुटेरों को पकड़ कर उनके हवाले कर दें।

अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में सड़कें आदि भी बनवाईं। १४० मील लम्बी सड़कें हैं। इनके सिवा कई किले तथा चौकियाँ भी हैं। ४६०० खसादार रखे जाते हैं। खसादार सड़कों पर पुलिस का कार्य करते हैं।

रजमक ६५०० फीट ऊँची पहाड़ी है। यहाँ से उत्तरी वजीरिस्तान को देख सकते हैं। अंग्रेज यहाँ अपनी सेना रखते थे।

सन् १९३० से वजीरिस्तान में बड़ी अशान्ति रही है। वे पेशावर, बन्नू आदि स्थानों में लूट-पाट करते रहे हैं। सरकार ने इनके दमन के लिए वायुयानों द्वारा बमों की वर्षा की थी। द्वितीय युद्ध-काल में इस प्रदेश में बड़ी अशान्ति रही।

युद्ध की समाप्ति पर सन् १९४६ में भारत में ब्रिटिश सरकार ने मंत्रि-मिशन भारत को स्वराज्य प्रदान करने के उद्देश्य से भेजा। उस समय मुसलिम लीग ने पाकिस्तान की माँग को रखा। सीमा-प्रान्त में खान साहेब का मंत्रि-मण्डल शासन कर रहा था। अतः सीमा-प्रान्त पाकिस्तान में मिलने के विरुद्ध था। सीमान्त गांधी खान अब्दुल गफ्फार खाँ ने सीमाप्रान्त में पठानिस्तान की स्थापना के लिए आन्दोलन आरंभ कर दिया। इस आन्दोलन में वजीरिस्तान के अफरीदियों ने भी सहयोग दिया।

जिस समय सन् १९४७ में सीमा-प्रान्त में जनमत-संग्रह द्वारा यह निश्चय किया जा रहा था कि वह पाकिस्तान में मिले या भारतीय संघ में, उस समय खान-बंधुओं तथा उनके दलवालों ने जनमत-संग्रह में भाग नहीं लिया और पठानिस्तान का समर्थन किया। पठानिस्तान का अर्थ यह है कि सीमाप्रान्त, बिलोचिस्तान और वजीरिस्तान के समस्त पठानों का एक स्वतंत्र राज्य हो। अफगानिस्तान की सरकार भी पठानिस्तान आन्दोलन का समर्थन कर रही है।

नई दिल्ली स्थित अफगान राज-दूतावास के प्रकाशन विभाग द्वारा १० मार्च १९५० को प्रकाशित वक्तव्य से यह प्रकट होता है कि इस समय पाखतून राष्ट्र (यह वजीरिस्तान के लिये एक नवीन नाम रखा गया है) और पाकिस्तान में सशस्त्र संघर्ष हो रहा है। पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाएँ वजीरिस्तान में बम-वर्षा कर रही हैं, जिनसे सैकड़ों अफरीदियों की मृत्यु हो गयी है। अफरीदियों का नेता ईपी का फकीर है। यह वजीरिस्तान की स्वाधीनता चाहता है।

वियतनाम

यह हिन्द-चीन का वह प्रदेश है, जहाँ की जनता का बहुमत अन्नाम जाति का है। सन् १९४५ के आरम्भ में वियतनामियों ने यूरोपीय सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया और समस्त यूरोपियन अधिकारियों को सत्ताहीन कर उनके स्थान पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार सन् १९४५ में वियत-नाम नामक गणराज्य का नवोदय हुआ। इस देश पर पहले फ्रेंचों का अधिकार था। इसका जन्म भूतपूर्व सम्राट बाओ दाई के नेतृत्व में हुआ। इसके बाद तुरन्त ही 'वियत-मिना' (यह इण्डो-चीन साम्यवादियों तथा अन्य राष्ट्रीय दलों के मेल से बनाई गई) के नेता डा० हो ची मिना ने अपना मंत्रिमण्डल बना लिया।

यद्यपि वियतनाम-क्रान्ति पूर्ण सफल रही ; किंतु फ्रेंच साम्राज्यवादियों ने सेगों में स्थित मिना राष्ट्रीय सेनाओं के पीछे से वियत-नाम पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया। डा० हो ची मिना ने शान्तिमय ढंग से कार्य किया। ६ मार्च व १४ सितम्बर १९४६ को जो समझौते फ्रान्स के साथ हुए उनसे यह स्पष्ट है कि वियतनामी युद्ध नहीं चाहते थे।

इस पर भी २० नवम्बर १९४६ को फ्रेंच सेनाओं ने हेफोंग पर हमला कर दिया। यहाँ हजारों वियतनाम नागरिकों का नृशंसता के साथ वध किया गया। १९ दिसम्बर १९४६ को वियतनाम की राजधानी होनोद की हंगवन सड़क पर भीषण अग्निकाण्ड किया और सैकड़ों लोगों को मशीनगन से भून डाला। इसी दिन रात्रिकाल में होनोद पर चारों ओर से हमले आरम्भ कर दिये। वियतनामी भी विद्रोह करने लगे। इसके बाद कई बार फ्रान्स तथा वियतनाम के बीच समझौते हुए। किंतु अभी तक अन्तिम रूप से कोई समझौता नहीं हो सका है। वियतनाम कोचीन-चीन को भी चाहते हैं। कोचीन-चीन फ्रान्स का एक प्रान्त है। वहाँ से प्रतिनिधि चुनकर फ्रेंच पार्लमेंट में जाते हैं। इस कारण फ्रेंच के नागरिक भी इसका विरोध करते हैं।

२६ अगस्त १९४५ को बाओदाई सम्राट ने प्रजा के इच्छा के अनुसार राज त्याग दिया और एक साधारण नागरिक बन गया।

सितम्बर १९४७ में नियतनाम राष्ट्रीय परिषद ने इस आशय का एक प्रस्ताव स्वीकार किया कि सम्राट बाओ दाई फिर राज-सिंहासन पर बैठें।

दिसम्बर १९४७ में बाओ दाई लन्दन में अपनी आँखों की चिकित्सा कराने गये थे। वहाँ फ्रेंच राजदूतावास में उन्होंने बातचीत की। बाद में वह फ्रेंच

राष्ट्रपति से मिले और समझौते की बातें होती रहीं। अप्रैल १९४२ को वाओ दाई वियतनाम को वापस आ गये। वह राज्य के प्रमुख हैं। फरवरी १९५० को फ्रेंच राष्ट्रपति ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये।

वेटीकन सिटी

क्षेत्रफल—१०८·७ एकड़; जनसंख्या १,०२५ (१९३९)।

यह स्वतंत्र नगर है; इस पर रोम के पोप का प्रभुत्व है। उसे पूर्ण व्यवस्था, शासन व न्याय के अधिकार हैं। एक गवर्नर शासन प्रबंध करता है। वह पोप के प्रति उत्तरदायी होता है। वेटीकन में अनेक सुन्दर राजभवन हैं, किन्तु पोप एक साधारण कमरे में बहुत सादे ढंग से रहता है। वेटीकन में एक राज्य की भाँति बेतार, रेडियो, टकसाल, डाक विभाग, डाक टिकट तथा रेलवे हैं। यहाँ अन्य देशों के राजदूत भी रहते हैं।

वेनेजुएला

क्षेत्रफल—३५२,१४३ वर्गमील; जनसंख्या ४,२८६,०००। राजधानी काराकास।

इस गणराज्य की स्थापना सन् १८३० में हुई। यह केन्द्रीय अमेरिकन राज्य है। यहाँ १००,००० इंडियन हैं। इस देश की राष्ट्रभाषा स्पेनिश है। यह गणराज्य २० राज्यों में विभाजित है। प्रत्येक राज्य स्वशासित इकाई है। प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर तथा एक विधान सभा है। यहाँ गणराज्य का एक राष्ट्रपति भी है। ५ जुलाई १९४७ को नवीन संविधान प्रारम्भ किया गया। यहाँ के विधानमण्डल में दो सभाएँ हैं; एक सीनेट और दूसरी प्रतिनिधिसभा। १४ दिसंबर १९४७ को राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा किया गया। सेनोर रोमुलो गेलेगोज राष्ट्रपति चुने गये।

संयुक्त राज्य अमेरिका

क्षेत्रफल—३,७३५, २२३ वर्गमील; जनसंख्या १४२,६७३,००० (१९४७) राजधानी : वाशिङ्गटन।

संयुक्त राज्य अमेरिका एक गणतंत्रात्मक संघ-राज्य है। इसके अन्तर्गत ४८ राज्य हैं। अमेरिकन संघ-राज्य के अन्तर्गत निम्नलिखित राज्य हैं। राजधानियाँ कोष्ठक में उल्लिखित हैं :—

(१) अलाबामा (मोन्टगोमरी), (२) अरिजोना (फोनिक्स), (३) अरकानसास (लिटिल रौक), (४) केलिफोर्निया (स्कामेन्टो), (५) कोलोराडो (डेनवर), (६) कानेक्टीकर (हार्टफोर्ड); (७) डेलावोर (डोवर), (८) कोलम्बिया का जिला। इसी में वाशिंगटन स्थित है। (९) फ्लोरिडा (ताल्हासी), (१०) जार्जिया (अटलान्टा), (११) इदाहो (बोइसे), (१२) इलिनोइस (स्प्रिंगफील्ड), (१३) इन्डियाना (इंडियानोपोलिस), (१४) आओवा (डेस मोनीज), (१५) कन्सास (टोपेका), (१६) केन्टुकी (फ्रांकफोर्ट), (१७) लुशियाना (वेटन रोज), (१८) मेन (अगस्ता), (१९) मेरीलैंएड (अनापोलिस), (२०) मसाचुस्सेट्स (वोस्टन), (२१) मिशीगन (लोनसेंग), (२२) मिनेसोटा (सेंटपाल), (२३) मिसिसिपी (जेक्सन), (२४) मिसोरी (जेफरसन), (२५) मोन्टाना (हेलेना), (२६) नेब्रस्का (लिंकन), (२७) नेवादा (कारसन सिटी), (२८) न्यू हेम्पशायर (कोनकोर्ड), (२९) न्यू जेरेसी (ट्रेन्टन), (३०) न्यू मेक्सिको (सान्ताई), (३१) न्यूयार्क (एलबेनी) (३२) नार्थ केरोलिना (रेले), (३३) नार्थ डाकोटा (बिस्मार्क) (३४) ओहियो (कोलम्बस) (३५) ओकलाहोमा (ओकलाहोमा नगर), (३६) ओरेगोन (सालेम), (३७) पेनीसिलवानिया (हैरिसबर्ग). (३८) रोडे द्वीप (लिटिल रोडी), (३९) साउथ केरोलिना (कोलम्बिया), (४०) साउथ डाकोटा (पियरे), (४१) टेनेसी (नाशिविले), (४२) टेक्साज (आस्टिन), (४३) उताह (साल्ट लेक सिटी), (४४) वरमोन्ट (मौंट पेलिमर), (४५) वरजीनिया (रिचमोण्ड), (४६) वाशिंगटन (ओलिम्पिया), (४७) वेस्ट वरजीनिया (चारलेस्टन), (४८) विस्कोन्सिन (मेडीसन)।

इनके अतिरिक्त अमेरिका महाद्वीप से अलग भी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्य हैं, जो निम्न प्रकार हैं : (१) अलास्का (जुनेड), (२) हवाई (होनोलुलु)।

अमेरिका के साम्राज्य व उपनिवेश : प्रशान्त महासागर में वेक तथा मिडवे द्वीप ; केन्द्रीय अमेरिका में केनाल क्षेत्र व पनामा केनाल ; अटलांटिक में पुअर्टो रिको ; वेस्ट इन्डीज में वरजीनिया द्वीप, प्रशान्त सागर में अमेरिकी समोआ ; गुआम (प्रशान्त)।

संयुक्त राज्य अमेरिका गणराज्य है। यहाँ एक राष्ट्रपति है, जिसका निर्वाचन साधारण मतदाताओं द्वारा निर्वाचित निर्वाचक-मण्डल करता है। शासन के तीन विभाग हैं : (१) विधान मण्डल (२) कार्यपालिका तथा

(३) न्याय-पालिका। इसका संविधान १७ सितम्बर १७८७ को प्रारम्भ हुआ और तब से इसमें २१ संशोधन हो चुके हैं।

गणराज्य की कार्य-पालिका सत्ता राष्ट्रपति के हाथ में है। एक उपराष्ट्रपति भी निर्वाचित किया जाता है। दोनों का कार्यकाल ४ वर्ष का है। राष्ट्रपति को अपना मन्त्रि-मण्डल नियुक्त करने का अधिकार है। यह मंत्री शासन के विभागों के अध्यक्ष होते हैं।

गणराज्य की समस्त विधायनी सत्ता (Legislative power) अमेरिकन कांग्रेस में निहित है। इसमें दो सभागृह हैं। एक सीनेट और दूसरा प्रतिनिधि सभा।

सीनेट में प्रत्येक राज्य के दो-दो प्रतिनिधि होते हैं। ये प्रत्येक राज्य की जनता द्वारा ६ वर्ष के लिये चुने जाते हैं। प्रति दो वर्ष के बाद तृतीयांश अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके रिक्त स्थानों पर नये सदस्यों का निर्वाचन होता है। सीनेट में हर प्रकार के बिल (विधेयक) रखे जा सकते हैं। किन्तु मुद्रा-विधेयक प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। सीनेट प्रतिनिधि सभा द्वारा स्वीकृत किसी भी विधेयक को अस्वीकार कर सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है।

वैदेशिक मामलों में (जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संधि, समझौता, शान्ति संधि, युद्ध आदि) राष्ट्रपति द्वारा किये गये कार्य तथा राष्ट्रपति द्वारा महत्वपूर्ण पदों पर की गयी नियुक्तियों पर सीनेट $\frac{2}{3}$ बहुमत से अपनी स्वीकृति देती है। यदि $\frac{2}{3}$ बहुमत से किसी कार्य को स्वीकृति नहीं मिलती है, तो सरकार उसे स्वीकार नहीं करती।

प्रतिनिधि-सभा में ४३५ सदस्य हैं। इनका निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। किन्तु मताधिकार सीमित है। अनेक राज्यों में नीग्रो जाति के लोगों को मताधिकार नहीं है।

अमेरिका में दो सबसे महान् राजनीतिक दल हैं; एक है प्रजातंत्रवादी दल (Democratic Party) और दूसरा है गणतंत्रवादी (Republican Party) हेनरी वालेस ने एक तीसरा दल (प्रगतिवादी दल) स्थापित किया है।

५ नवम्बर १९४६ को १० वीं कांग्रेस का निर्वाचन निम्न प्रकार किया गया। सीनेट में प्रजातंत्रवादी ४५ और गणतंत्रवादी ५१ सदस्य निर्वाचित किये गये। प्रतिनिधि सभा में १८८ प्रजातंत्रवादी तथा २४६ गणतंत्रवादी निर्वाचित किये गये। १ मजदूर तथा २ नीग्रो भी चुने गये।

गत १४ वर्षों में इसी निर्वाचन में गणतंत्रवादियों ने बहुमत प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सन् १९३२ से प्रजातंत्रवादी ही सफलता प्राप्त करते रहे हैं।

नवम्बर १९४८ में अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ। इसमें हेरी एस. ट्रूमैन राष्ट्रपति निर्वाचित किये गये। ट्रूमैन प्रजातंत्रवादी हैं। उनकी यह सफलता वास्तव में एक आकस्मिक घटना है। क्योंकि गणतंत्रवादियों का बहुमत था। ट्रूमैन के प्रतिद्वन्दी दो थे—गवर्नर डिवे (गणतंत्रवादी) तथा हेनरी वालेस (प्रगतिवादी)। अब कांग्रेस में भी प्रजातंत्रवादियों का बहुमत है।

अमेरिकन कांग्रेस में विविध दलों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

	१—प्रजातंत्रवादी	२४० सदस्य।
	२—गणतंत्रवादी	१९४ सदस्य।
	३—मजदूर	१ ,,
सीनेट में—	१ प्रजातंत्रवादी	५२
	२ गणतंत्रवादी	४१

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय युद्ध के बाद संसार का सबसे महान देश माना जाता है। सैनिक तथा आर्थिक दृष्टि से भी वह सबसे सम्पन्न और शक्तिशाली है। संसार के प्रायः सभी राष्ट्रों को (सोवियत संघ और उसके साथी राष्ट्रों को छोड़) अमेरिका ने ऋण तथा आर्थिक सहायता दी है। सन् १९४७ से पश्चिमी यूरोप के देशों को मार्शल योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता मिल रही है।

सोवियत संघ और अमेरिका के पारस्परिक संबंध बड़े कटुतापूर्ण हो गये हैं। सन् १९४६ से इन दोनों के सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण होते जा रहे हैं और दोनों एक दूसरे पर सन्देह करते हैं। इस सन्देह-पूर्ण वातावरण का यह परिणाम है कि दोनों पक्षों के राष्ट्र युद्ध की तैयारियाँ कर रहे हैं। समस्त संसार दो भागों में विभाजित हो गया है। पूर्वी यूरोप के देशों—पोलैण्ड, रूमानिया, चैकोस्लोवाकिया, बलगेरिया, हंगेरी, अलबानिया, फिनलैण्ड, चीन आदि देशों तथा पूर्वी आस्ट्रिया तथा पूर्वी जर्मनी पर साम्यवाद का प्रभाव है। पश्चिमी यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका पर अमेरिका का प्रभाव है।

६ जनवरी १९५० को राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिकन कांग्रेस को अपना वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। इस बजट पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जायगा कि अमेरिका किधर जा रहा है।

अमेरिका का वार्षिक बजट ४२ अरब डालर अर्थात् १२६ अरब रुपये का है। (यह १ डालर = ३ रुपये के विनिमय के अनुसार है)।

(१) राष्ट्रीय रक्षा के लिये ३२%।

(२) अन्तराष्ट्रीय मामलों के लिए (मार्शल योजना के अन्तर्गत सहायता आदि) ११%।

(३) राष्ट्रीय ऋण का ब्याज १३%।

(४) पेंशन आदि १५%।

(५) सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि ६%।

(६) अन्य कार्यों के निमित २३%।

अमेरिका अपनी सेना आदि पर १३½ अरब डालर सन् १६५१ में व्यय करेगा। रुपयों में यह रकम ४२ अरब डालर से भी अधिक होगी।

अटलांटिक समझौते पर जिन देशों ने हस्ताक्षर किये हैं उनकी सैनिक सहायता के लिये १०० करोड़ डालर दिये जायँगे।

राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सन् १६५०–५१ के लिये जो बजट पेश किया है उसका ७१ प्रतिशत भाग गत युद्धों व राष्ट्रीय रक्षा से सम्बन्ध रखता है। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक सहायता तथा मार्शल योजना के अन्तर्गत सहायता सम्मिलित है।

सानमारिनो

क्षेत्रफल—३८ वर्गमील ; जनसंख्या २२१०० (१६४७)।

यह इटली में एक स्वतन्त्र गणराज्य है। द्वितीय युद्ध से पूर्व इसमें फासिस्ट शासन की स्थापना हो गयी थी। किन्तु १६४३ में फासिस्ट शासन का अन्त कर दिया गया। यहाँ एक विधान सभा है जिसमें ६० निर्वाचित सदस्य हैं।

स्पेन

क्षेत्रफल—१६५,५०५ वर्गमील ; जनसंख्या २७,५५२,४८४ (१६४७) राजधानी मैड्रिड। यह फ्रान्स के पश्चिम में है। पिरेनीज पर्वतमाला—इसे फ्रान्स से पृथक कर देती है। यह प्रदेश पठार है।

स्पेन में गणतन्त्रीय राज्य की स्थापना १६३१ में हुई थी। जामोरा के नेतृत्व में स्थायी सरकार कायम की गई। २८ जून १६३१ को स्पेन की पार्लमेंट

का निर्वाचन किया गया। यह पार्लमेंट संविधान-परिषद् के रूप में परिवर्तित हो गई। ज़ामोरा ६ वर्ष के लिये राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। इस नवीन संविधान ने राज्य और धर्म दोनों को पृथक कर दिया।

सन् १९३४ में ज़ामोरा ने स्पेनिश पार्लमेंट को भङ्ग कर दिया। जब उसके निर्वाचन दुबारा हुए तब पॉपुलर मोर्चे (Popular front) का बहुमत हो गया। पार्लमेंट ने ज़ामोरा को पद से हटा दिया और मेनुअल अज़ाना जो प्रधान मन्त्री था राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। क्वेगा ने मन्त्रि-मण्डल बनाया।

जुलाई १६, १९३६ से स्पेन में गृहयुद्ध छिड़ गया। पॉपुलर मोर्चे के विरुद्ध जनरल फ्रांको ने विरोध आरम्भ कर दिया। २८ मार्च १९३८ को मैडरिड के पतन के बाद गृह-युद्ध समाप्त हो गया। फ्रांको ने स्पेन में अपना फासिस्ट शासन कायम कर लिया। ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रान्स ने फ्रांकों के शासन को मान्यता दे दी। अगस्त १९३९ में फ्रांको ने अपनी नवीन सरकार बनाई। स्वयं प्रधान-मंत्री, प्रधान सेनापति तथा राष्ट्रीय दल का प्रमुख बन गया। सितम्बर १९४२ में फ्रांको स्पेन का पूरा अधिनायक बन गया।

सन् १९४५ में स्पेन में जन-अशान्ति उत्पन्न हो गई जब कि २० जुलाई को १३ मंत्रियों में से ९ मंत्रियों ने त्याग-पत्र दे दिये। नया मंत्रि-मण्डल बनाया गया। इसमें जनरल फ्रांकों प्रधान-मंत्री बना रहा। मार्टिन आर्टेगो वैदेशिक-मंत्री नियुक्त किया गया। ३१ मार्च १९४७ को जनरल फ्रांको ने यह घोषणा की कि स्पेन एकतंत्रीय राज्य हो गया है।

स्वीडेन

क्षेत्रफल १७३,३७८ वर्गमील; जनसंख्या ६,७६३, ६८५ (१९४६) राजधानी : स्टाकहोम।

यह उत्तरी पश्चिमी यूरोप का एक देश है। उत्तर में एक पर्वतमाला इसे नार्वे से अलग कर देती है। यहाँ वैधानिक एकतंत्रीय शासन पद्धति स्थापित है। वर्तमान् नरेश गस्टाफ पंचम है। वह अपनी सत्ता का प्रयोग राज्य-परिषद के सहयोग से करता है। पार्लमेंट में दो सभा-गृह हैं। एक सभागृह में १५० सदस्य हैं; दूसरे सभागृह में २३० सदस्य हैं।

निम्न सभागृह में समाजवादियों (Social Democrats) का बहुमत है।

स्विटज़रलैण्ड

क्षेत्रफल १५,९४४ वर्गमील; जनसंख्या ४,२६५,७०३ (१९४१) राजधानी : बर्न।

स्विटज़रलैण्ड एक अपूर्ण संघ राज्य है। यहाँ एक पार्लमेंट है। उसमें दो सभागृह हैं। उसे सर्वोपरि सत्ता प्राप्त है।

यहाँ कार्यपालिका सत्ता एक संघीय समिति के हाथ में है। इसमें ७ सदस्य होते हैं, जो ४ वर्ष के लिये चुने जाते हैं। संघीय सरकार को शासन के सब अधिकार प्राप्त हैं। वह शान्ति, युद्ध तथा वैदेशिक संबंधों का नियमन करती है।

प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रति ४ वर्ष के बाद होता है। प्रत्येक २१ वर्ष या अधिक आयु के नागरिक को मत देने तथा निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार है; किन्तु पादरी चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। संघ के राष्ट्रपति तथा संयुक्त समिति के उपाध्यक्ष का निर्वाचन राष्ट्रीय परिषद तथा राज्य-समिति के संयुक्त अधिवेशन में होता है। २६ अक्टूबर १९४७ को जो निर्वाचन हुए, उनके परिणाम स्वरूप विविध दलों की राष्ट्रीय परिषद् में स्थिति निम्न प्रकार थी :—

१. रेडीकल	५२।
२. समाजवादी	४८।
३. अनुदार	४४।
४. किसान दल	२१।
५. अन्य	२६।

सीरिया और लेबनान

क्षेत्रफल ५७,००० वर्गमील; जनसंख्या ३,९१८, १५६ (१९४३) राजधानी : डेमास्कस।

ये दोनों देश पहले फ्रेन्च शासन के नियंत्रण में थे। यहां की बहुसंख्या मुसलिम है। अरबी यहां की राजभाषा है।

सीरिया अब एक गणराज्य है। यह ६ राज्यों में विभाजित है। लेबनान स्वतंत्र एवं पृथक गणराज्य है। सीरिया प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग को लेब-नान कहते हैं। द्वितीय युद्ध काल में ये दोनों देश ब्रिटेन के अधिकार में आ गये। २७ सितम्बर १९४७ को स्वतन्त्र फ्रान्स के प्रधान सेनापति जनरल केटरोक्स

ने सीरिया को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। इससे पूर्व २७ दिसंबर १९४३ को सीरिया-लेबनान तथा फ्रेन्च स्वतंत्रता-समिति के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार सीरिया और लेबनान पर से फ्रान्स ने संरक्षण वापस ले लिया।

सीरिया के गणराज्य का राष्ट्रपति शुकरी बे अल कुवातली हैं। अप्रैल १९४८ में इसका निर्वाचन हुआ। लेबनान का राष्ट्रपति बसारा अल-खोरी है। यह सन् १९४३ में निर्वाचित किया गया।

सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ

क्षेत्रफल—८,१६९, ७९१, वर्गमील; जनसंख्या १९३, १९५,००० । राजधानी : मास्को।

सन् १९३९ में (द्वितीय युद्ध से पूर्व) सोवियत संघ का क्षेत्रफल ८,१७३, ५५० वर्गमील था और जनसंख्या १७०,४६७,५७२ थी। युद्ध के बाद सोवियत राज्य क्षेत्र में विस्तार हो गया है, क्योंकि उसे पोलैण्ड, रूमानिया, इस्टोनिया, लैटविया, लिथूनिया आदि देशों के प्रदेश भी मिल गये हैं। इस प्रकार युद्ध के बाद सोवियत संघ का क्षेत्र ८९६,२४१ वर्गमील बढ़ गया और जनसंख्या १ करोड़ २६ लाख बढ़ गयी।

सोवियत संघ के अन्तर्गत निम्नलिखित राज्य हैं :—

कोष्टक में राजधानी का नाम है।

(१) रूसी सोवियत फेडरल समाजवादी गणराज्य (मास्को) (२) यूक्रेनियन सोवियत समाजवादी गणराज्य (कीव) (३) वायलो-रशियन सोवियत समाजवादी गणराज्य (मिंस्क) (४) अरमीनियन सोवियत समाजवादी गणराज्य (इरिवान) (५) उजवेक सोवियत समाजवादी गणराज्य (तस्कंत) (६) कज्जाक गणराज्य (अलमा आता) (७) जार्जियन गणराज्य (तिबिलिसि) (८) अजेरवेजां गणराज्य (वाकू)। (९) लिथूनिया (१०) मोलडाविन (किसिनेव) (११) लटेविया (रीगा) (१२) किरगीज़ (फ्रुनेज़) (१३) तादज़िख (स्टालिनाबाद) (१४) तुर्कमैन (अशारवाबाद) (१५) इस्टोनिया (तालिन) (१६) करेला फिनिश (पैट्रोजा वोस्टस्क)।

सन् १९३६ में स्टालिन ने सोवियत-संघ के लिये नवीन संविधान की रचना करायी और इस समय इसी संविधान के अनुसार शासन होता है।

सोवियत संघ की सर्वोपरि संस्था है—सुप्रीम कौंसिल। यह सोवियत संघ की पार्लमेंट है। सुप्रीम कौंसिल के अन्तर्गत दो सभागृह हैं; एक है कौंसिल आफ दी यूनियन। इसमें ३ लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना जाता

है। दूसरा सभागृह है कौंसिल आफ नेशनलिटीज़। दोनों सभाओं का चुनाव ४ वर्ष के लिये होता है। उन्हें समान अधिकार हैं। कौंसिल आफ नेशनलिटीज में प्रत्येक गणराज्य के २५ सदस्य होते हैं, ११ प्रतिनिधि प्रत्येक स्वायत्त शासित प्रदेश के होते हैं।

प्रशासन करने वाली सर्वोपरि संस्था मन्त्रि-परिषद है। संघ के प्रत्येक गणराज्य को अपना पृथक रक्षा-मन्त्री तथा वैदेशिक मन्त्री रखने का अधिकार है। प्रत्येक गणराज्य को वैदेशिक मामलों में स्वतंत्रता है। प्रत्येक गणराज्य को संघ से पृथक हो जाने का भी अधिकार है।

सोवियत रूस मार्क्सवादी सिद्धान्त के आधार पर लेनिन और स्टालिन की विचारधारा के अनुकूल अपने देश की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था करता है।

उसका ध्येय समाजवादी व्यवस्था के द्वारा साम्यवाद की प्रतिष्ठा है। सोवियत रूस में साम्यवादी दल ही एकमात्र राजनीतिक संस्था है। सोवियत रूस ने जमींदारी व जागीरदारी की प्रथा को समूल नष्ट कर दिया है। वहाँ मिल, कारखाने, फैक्टरी, चिकित्सालय, विद्यालय, दूकान, रेल, बस आदि सब समाज की सम्पत्ति है। वहाँ राज्य ही विदेशी व्यापार करता है।

सोवियत रूस में यद्यपि अभी पूर्ण साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना नहीं हो सकी है; फिर भी उसने समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की ओर पर्याप्त प्रगति की है। सोवियत रूस ने किसी भी देश से ऋण या आर्थिक सहायता नहीं ली है; लेकिन फिर भी सन् १९३९-४५ के विश्वयुद्ध में उसका जो भारी विनाश हुआ, उसका वह पुनर्निर्माण बड़ी तीव्र गति से करने में सफल हुआ है।

१२ फर्वरी १९४६ को सोवियत संघ की सुप्रीम-कौंसिल के निर्वाचन समस्त राज्य में हुए। सोवियत संघ में कुल १०१,७१७,६८६ मतदाताओं में से १०१,४५०,९३६ मतदाताओं ने अर्थात् ९९.७ प्रतिशत ने मत दिये। इनमें से १०१,६१२,२२५ मत साम्यवादी दल को मिले। इनमें ८१८,९५५ मत विरुद्ध दिये गये तथा २८,४१४ अवैध मत थे।

१९ मार्च १९४६ को सुप्रीम सोवियत की शासन परिषद के अध्यक्ष एम. कालिनिन ने त्यागपत्र दे दिया। उनके स्थान पर शवर्निक को अध्यक्ष चुना गया।

मार्शल स्टालिन सोवियत संघ की मंत्रि-परिषद के अध्यक्ष हैं और वह रक्षामन्त्री भी हैं। मन्त्रि परिषद में ५० से भी अधिक सदस्य हैं। एम. विंशिंकी सोवियत संघ के परराष्ट्र मन्त्री हैं। सोवियत संघ की शासन-समिति (Presidium) में ३२ सदस्य हैं।

हंगेरी

क्षेत्रफल—३५,९०२ वर्गमील (१९४०); जनसंख्या ६,३१९,६१२ (१९४१); राजधानी : बुडापेस्ट।

यहाँ ७५% प्रतिशत मगयार हैं। ४% रूमानियावासी; ३% क्रोट; २% स्लोवाक तथा १% यहूदी हैं। द्वितीय युद्धकाल में हंगेरी पर जर्मनी का अधिकार हो गया था।

फर्वरी १९४५ तक रूसी सेनाओं ने हंगेरी के एक बड़े भाग से जर्मनों को परास्त कर स्वयं अपना अधिकार जमा लिया। २० जनवरी १९४५ को हंगेरी की मैकलोन सरकार ने रूस की सरकार के साथ विराम-संधि कर ली। इस संधि के अनुसार हंगेरी की सीमाएँ वे ही मानी गईं जो १ जनवरी १९३८ को थीं। १० फरवरी १९४७ को जो संधि हुई, उसमें भी यह शर्त मान ली गई। १५ सितम्बर १९४७ से हंगेरी पर मित्र राष्ट्रों का कोई सैनिक आधिपत्य नहीं है।

फरवरी १९४६ को हंगेरी की राष्ट्रीय परिषद ने हंगेरी को गणराज्य घोषित कर दिया।

३१ अगस्त १९४७ को हंगेरी में जो निर्वाचन हुए उनके परिणाम स्वरूप पार्लमेंट में साम्यवादी दल के १०० सदस्य चुने गये। ६८ सदस्य किसानदल; समाजवादी ६७; राष्ट्रीय किसान ३६; ये सब दल मिल गये हैं और २७१ सदस्यों के दल की एक सरकार कायम हो गई है। ६३ सदस्यों का एक विरोधी दल है।

२३ सितम्बर १९४७ को हंगेरी के नवीन मंत्रि-मण्डल का निर्माण निम्न प्रकार किया गया; ५ साम्यवादी; ४ किसानदल; ४ समाजवादी; २ राष्ट्रीय किसान। हंगेरी के राष्ट्रपति डा० जोल्टान टिल्डी हैं। ३० जुलाई १९४८ को इन्होंने त्यागपत्र दे दिया।

हेटी

क्षेत्रफल १०,२०४ वर्गमील; जनसंख्या ३,००२,००० (१९३९) राजधानी; पोर्ट आफ प्रिंस। यहाँ २००० गोरे भी रहते हैं। लेकिन बहुमत में नीग्रो हैं।

१८ मई १९४६ को संविधान परिषद में नवीन संविधान की रचना आरम्भ हुई। २३ दिसंबर १९४६ से नवीन संविधान लागू हो गया। राष्ट्रीय परिषद

६ वर्ष के लिये राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। राष्ट्रीय परिषद् के अन्तर्गत एक सीनेट और एक प्रतिनिधि सभा है।

हौन्डूरास

क्षेत्रफल ४४,२७५ वर्गमील; जनसंख्या १,२००,५४२ (१९४५); राजधानी टेगुसीगयला।

यहाँ की जनसंख्या में ३५,००० आदिवासी हैं जो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। यहाँ केवल एक विधानसभा है। इसमें ३८ सदस्य हैं, जो ६ वर्ष के लिये चुने जाते हैं। राष्ट्रपति जनता द्वारा ४ वर्ष के लिये चुना जाता है।

अध्याय २

विश्व की राजनीतिक विचारधाराएँ

जनतंत्रवाद

जनतंत्रवाद विश्व की सबसे पुरातन विचारधारा है जो आज भी प्रचलित है। जनतंत्रवाद तीन शब्दों से मिलकर बना है अर्थात् जन + तंत्र + वाद। इसकी सबसे सरल परिभाषा है वह शासन-प्रणाली अथवा सामाजिक व्यवस्था जो जनता द्वारा, जनता के लिये और जनता की हो।

जन-तंत्र का मूल सिद्धान्त यह है कि सब व्यक्तियों को स्वतंत्रता, समता और आनन्द का उपभोग करते हुए समाज का कल्याण करना चाहिए। समाज के कल्याण के लिए यह परम आवश्यक है कि सब जनता का सहयोग प्राप्त हो। प्राचीन यूनान में छोटे-छोटे नगर-राज्य होते थे। इसलिये नगर की सब जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने नागरिक मामलों पर विचार करती थी और उसके निश्चय के अनुसार कार्य किया जाता था। यह प्रत्यक्ष जनतंत्र था। भारत के प्राचीन ग्रामों में भी इस प्रकार का प्रत्यक्ष जनतंत्र था, जिसमें सभी वयस्क स्त्री-पुरुष समान रूप से ग्राम-सभा में भाग लेते थे। वैदिक युग में भी राज्य में सभा व समितियाँ होती थीं जो शासक का निर्वाचन करती थीं। किन्तु आधुनिक समय में जहाँ जन-संख्या लाखों-करोड़ों की है, प्रत्यक्ष जनतंत्र व्यवहार्य नहीं है। अतः निर्वाचन-प्रणाली द्वारा प्रतिनिधित्व की प्रथा चल पड़ी।

अतः जन-तंत्र प्रणाली में निर्वाचन का महत्व है। नागरिक निर्वाचन द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनकर विधान-परिषद, संसद या पार्लमेंट में भेज देते हैं। वह प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों की इच्छा को पार्लमेंट में प्रकट करता है अथवा करना चाहिए। इस प्रकार राज्य में शासन जनता की इच्छा से होता है।

जनतंत्रवाद के तीन मूल-तत्व हैं। पहला तो यह कि उसकी दृष्टि में सब व्यक्तियों का मूल्य समान है। इसका अर्थ यह नहीं कि जनतंत्र अंधा है, वह मूर्ख और विद्वान में कोई भेद नहीं मानता। इसके विपरीत जनतंत्र बड़ा न्यायकारी है। वह किसी भी व्यक्ति को अयोग्य नहीं समझता। व्यक्ति में शक्तियाँ छिपी रहती हैं और वे सुयोग पाकर विकसित होती हैं। इसलिये

जनतंत्र समस्त व्यक्तियों को अपने सर्वतोमुखी विकास के लिए समान सुयोग प्रदान करता है। अतः समता—सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक—जनतंत्र का सार है। किन्तु समता का उस समय तक कोई मूल्य नहीं जबतक कि व्यक्ति या नागरिक को स्वतंत्रता न हो। इसलिए स्वतंत्रता उसका दूसरा मूलतत्व है। स्वतंत्रता भी केवल राजनीतिक न होनी चाहिए। एक व्यक्ति को निर्वाचन के समय मत देने की स्वतंत्रता हो; किन्तु उसे आर्थिक व सामाजिक स्वतंत्रता न हो, तो उसकी स्थिति दास के समान होगी। अत: नागरिक को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तीनों प्रकार की स्वतंत्रता हो।

इसके साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति को कल्याण प्राप्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

अतः जिस समाज में जनता को व्यावहारिक रूप में समान सुयोग प्राप्त हैं; जहाँ तीनों प्रकार की समता का सब व्यक्ति भोग करते हैं और जहाँ तीनों प्रकार की स्वतंत्रता का भी वे भोग करते हैं और ऐसा करते हुए वे समूचे समाज का अभ्युदय करते हैं, किसी एक जातीय, धार्मिक या सांस्कृतिक समुदाय या वर्ग का नहीं; वहीं सच्चे जनतंत्रवाद की विजय होती है। ऐसे सच्चे जनतंत्रीय समाज में किसी व्यक्ति का किसी दूसरे द्वारा न शोषण होता है और न दमन ही।

किन्तु वर्तमान् समय में इस प्रकार का जनतंत्र पाश्चात्य देशों में अमेरिका व ब्रिटेन में नहीं मिलता। वहाँ जनतंत्र में व्यक्ति-स्वातंत्र्य के नाम पर पूँजीवाद के साथ उसका गठ-बंधन कर दिया गया है। अतः पाश्चात्य जनतंत्रीय राज्यों में हम विशुद्ध जनतंत्र का रूप नहीं देखते। जनतंत्र वास्तव में सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। इसका विरोध फासिस्टों के सिवा किसी ने भी नहीं किया। सोवियत संघ के नेता तथा साम्यवादी भी जनतंत्र के समर्थक हैं।

व्यक्तिवाद

जनतंत्र की भावना के विकास के फलस्वरूप व्यक्तिवाद का जन्म हुआ। व्यक्तिवाद का जन्म यूरोप में उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ। सबसे पहले बैथम और जेम्स मिल ने अपने ग्रंथों में इसका प्रतिपादन किया। बाद में जान स्टुअर्ट मिल तथा हरबर्ट स्पेंसर ने भी इसकी व्याख्या की।

जान स्टुअर्ट मिल ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'स्वाधीनता' (On Liberty) तथा 'प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन' (Representative Government) में व्यक्तिवाद (Individualism) की विशद व्याख्या की है। मिल का

यह विचार था कि केवल राज्य में ही व्यक्ति पूर्ण सुख का भोग कर सकते हैं। उसके सिद्धान्त का सारांश यह है कि राज्य का कर्तव्य व्यक्तियों का सुख संपादन है और यदि राज्य इसमें विफल रहता है, तो उसके स्थान पर कोई और सामाजिक संघटन स्थापित होना चाहिये।

अतः राज्य व्यक्तियों के सुख की वृद्धि उनके कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करके ही कर सकता है। मिल व्यक्ति की स्वतंत्रा के महान समर्थक थे। उन्होंने अपने 'स्वाधीनता' नामक ग्रन्थ में इस विषय का बड़ा युक्तिसंगत विवेचन किया है।

मिल का यह विचार है कि यदि लोकमत किसी प्रश्न के संबंध में प्रतिकूल विचार रखता है और वह अल्पमत में है, तो बहुमत सम्मत शासन का यह कर्तव्य नहीं है कि वह उसका दमन करे। क्योंकि शासन का कर्तव्य कल्याण की अभिवृद्धि करना है और चूँकि कल्याण का अर्थ है व्यक्तियों का कल्याण, और व्यक्तियों में अल्पमत और बहुमत दोनों सम्मिलित हैं; अतः शासन को सब व्यक्तियों को विचार तथा प्रकाशन की स्वतंत्रता देनी चाहिये।

मिल ने व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया है; एक स्वार्थ-मूलक कार्य और दूसरे परमार्थ-मूलक कार्य। मिल का यह विचार था कि स्वार्थ-मूलक कार्यों के संपादन में व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता हो।

मिल के अतिरिक्त हरबर्ट स्पेन्सर ने भी व्यक्तिवाद की व्याख्या की है। उसने विकासवाद की सहायता से इसकी व्याख्या बड़े विचित्र रूप में की है। स्पेंसर का यह विचार है कि जीवन संग्राम में योग्यतम की विजय का सिद्धान्त ही सर्वोपरि एवं श्रेष्ठ है। शासन को चाहिये कि वह सबल और योग्यतम व्यक्तियों को उन्नति का सुयोग दे और दुर्बल, पिछड़े तथा अयोग्य व्यक्तियों को नष्ट हो जाने दे। स्पेंसर ने शासन की इस कार्य के लिये निन्दा की है कि वह गरीबों, पीड़ितों तथा दुखियों की सहायता के लिये कोष एकत्रित करता है। बेंथम का यह विचार था कि मनुष्य स्वार्थी होता है। इसलिए उसपर विश्वास किया जा सकता है कि वह अपने हितों की भलीभाँति रक्षा कर सकेगा। इसमें सन्देह नहीं कि व्यक्तिवाद के इस सिद्धान्त के आर्थिक क्षेत्र में बड़े भयानक परिणाम निकले और इसके गर्भ से पूँजीवाद का जन्म हुआ। उद्योगपति और पूँजीपति यह विश्वास करने लगे कि पण्य उत्पादन व्यक्तिगत कार्य है। इसे प्रत्येक पूँजीपति स्वयं कर सकता है। शासन को इस कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

पूंजीवाद

'पूंजी' और 'पूंजीवाद' शब्दों का प्रयोग प्रायः समाचार-पत्रों व लेखों में किया जाता है; किन्तु इनके वास्तविक अर्थ से कम लोग परिचित हैं। पूंजी का अर्थ लोग रुपया-पैसे तथा सोने से लेते हैं, किन्तु वास्तव में पूंजी में कल, कारखाने, भूमि, खानें, मशीनें औजार आदि सब आ जाते हैं। अब 'पूंजीवाद' शब्द से क्या प्रयोजन है? इस पर विचार करना है। पूंजीवाद एक सामाजिक प्रणाली का नाम है। इस प्रणाली में मानव-समाज स्वामी और सेवक में विभाजित हो जाता है। समाज का एक अल्प भाग सम्पत्ति-भूमि, कल-कारखाने, उद्योग व्यापार आदि—का स्वामी होता है। इन्हें पूंजीपति कहते हैं। दूसरे भाग में वे मनुष्य होते हैं, जिनके पास कोई पूंजी नहीं होती। वे अपनी श्रम-शक्ति को पूंजीपतियों को बेचकर अपनी जीविका प्राप्त करते हैं। इन्हें मजदूर, श्रमजीवी व सर्वहारा कहते हैं।

आधुनिक पूंजीवाद का उदय औद्योगिक क्रान्ति (Industrial Revolution) सन् १७५०–१८५० के समय हुआ।

उत्पादन के मुख्य साधन चार हैं—भूमि, श्रम, पूंजी (धन) और संघटन। इन चारों से जो आय पूंजीपतियों को होती है, वह लगान, वेतन, व्याज तथा लाभ कहलाती है। पूंजीपतियों का भूमि, धन तथा संघटन और इनके द्वारा आय पर अधिकार होता है। सर्वहारा का केवल अपने श्रम पर अधिकार होता है। अतः इन दोनों के हितों में भी अन्तर है। पूंजीपति सर्वहारा को न्यूनतम वेतन देकर अधिकतम काम चाहते हैं। सर्वहारा दिन रात कठिन परिश्रम करके वस्तुएँ तैयार करते हैं; वे यह चाहते हैं कि उनके परिश्रम से जो वस्तुएँ तैयार हों, उनकी आय में सर्वहारा का भी भाग है। इस प्रकार वे वेतन वृद्धि, मँहगाई के भत्ते, औद्योगिक प्रबन्ध में मजदूरों के हिस्से, स्वास्थ्यप्रद निवास-गृहों, स्वास्थ्य के साधनों तथा शिक्षा आदि की सुविधाओं के लिए आन्दोलन करते हैं। पूंजीवाद के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार हैं:—

(१) पूंजीवादी अर्थनीति की सबसे प्रथम विशेषता यह है कि उसकी दृष्टि में प्रत्येक वस्तु को पण्य माना जाता है। पण्य का तात्पर्य है, बाज़ार में बेचने व खरीदने की वस्तु। प्रत्येक वस्तु का विनिमयार्घ (Exchange value) होता है। इसका तात्पर्य यह है कि बाजार में प्रत्येक वस्तु का मूल्य रूपये–पैसे में आँका जाता है। मिट्टी, सोना, चांदी, कोयला,

कला कृषि, पुस्तक, श्रम, मस्तिष्क की शक्ति आदि सब का मूल्य रुपये-पैसे में आँका जाता है। अतः यह सब रुपये-पैसे में बेची-खरीदी जाती हैं। प्राचीन समय में, जब पूंजीवादी व्यवस्था का नाम तक नहीं था हमारे देश में वस्तुओं का उत्पादन व्यक्तियों के लाभ के लिये, उपयोग के लिये, किया जाता था। वस्तुओं का आदान-प्रदान किया जाता था।

(२) पूंजीवादी व्यवस्था में धन का स्थान सर्वोपरि है। यह पहली विशेषता का ही प्रतिफल या परिणाम है। पूंजीवाद ने धन का आविष्कार नहीं किया; क्यों कि यह पूंजीवाद के जन्म से पूर्व भी समाज में अपना स्थान रखता था, किन्तु धन का इतना महत्व पहले कभी नहीं रहा। पहले समय में आज के से बैंक, मुद्रा–विनिमय, नोटों का प्रचलन आदि नहीं था। आज के युग में विद्या, बुद्धि, प्रतिभा, ज्ञान-विज्ञान, शील-सदाचार, धर्म, सदाचार, नैतिकता आदि सबके ऊपर धन का शासन है। इन सब का रुपये में मूल्य आँका जाता है।

(३) पूंजीवाद में धन का उपयोग केवल विनिमय के माध्यम के रूप में ही नहीं होता, वरन् उसका उपयोग पूंजी के रूप में भी होता है। धन को कच्चे माल, मशीन, श्रम आदि में परिवर्तित किया जा सकता है और इस उत्पादन को पुनः धन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार परिवर्तन से पूंजी में जो वृद्धि होती है वह लाभ कहलाता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया बिना किसी प्रकार की अनैतिकता का आश्रय लिये चलती है और इस प्रकार पूंजीपति लाभ पर लाभ उठाते हैं।

(४) पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन व्यक्तियों के उपयोग की दृष्टि से नहीं वरन् पूंजीपतियों को लाभ (Profit) की दृष्टि से होता है। वस्त्र-व्यवसायी अपने सूती वस्त्र के कारखाने का संचालन इसलिए नहीं करते कि जो लोग नंगे फिरते हैं उन्हें वस्त्र मिल जाय, जो लोग बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, उन्हें सुन्दर, अच्छा और टिकाऊ वस्त्र अपेक्षाकृत सस्ते दामों पर मिल जाय अथवा कारखाना चलाने से कुछ हजार व्यक्तियों को काम मिल जाय। इन सब प्रश्नों से उद्योगपति का कोई सम्बन्ध नहीं। उसके समक्ष तो केवल एक ही प्रश्न होता है और वह यह कि कारखाने में जो वस्त्र तैयार होते हैं, वे बाजार में लाभ के

साथ बिक सकते हैं। यदि लाभ के साथ बिकते हैं, तो कारखाना चलता है, वरना वह बन्द हो जाता है।

(५) पूँजीवादी अर्थनीति की पाँचवीं विशेषता यह है कि इस में समय समय पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार के संकट अन्य व्यवस्था या अर्थनीति में बहुत कम होते हैं। मन्दी, बेकारी, अधिक उत्पादन, कम उत्पादन आदि अनेक प्रकार के संकट पैदा हो जाते हैं।

(६) पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादन का नियमन बाजार द्वारा होता है। राज्य की ओर से भी नियंत्रण किया जाता है; किन्तु वह बड़े सीमित क्षेत्र में कार्य करता है।

(७) पूँजीवादी व्यवस्था मानव-समाज को दो वर्गों में विभाजित कर देती है। एक वर्ग में वे व्यक्ति होते हैं जो भूमि, कल-कारखानों, खानों आदि के स्वामी होते हैं और दूसरे वर्ग में सर्वहारा होते हैं, जो अपने श्रम को वेतन के लिये बेच कर अपनी जीविका प्राप्त करते हैं।

साम्राज्यवाद

पूँजीवादी-व्यवस्था की राजनीतिक प्रणाली या संघटन किस प्रकार का होता है इस पर भी यहाँ विचार कर लेना अत्यन्त आवश्यक है। पूँजीवाद के विकास के साथ साथ राष्ट्रीयता का विकास हुआ। राष्ट्र का तात्पर्य यह नहीं है कि उसके अन्तर्गत एक प्रजाति (Race), धर्म या संस्कृति के मानने वाले ही हों, वरन् राष्ट्र के अन्तर्गत विविध प्रजातियों, धर्मों व संस्कृतियों के माननेवाले होते हैं। राष्ट्र का सम्बन्ध भौगोलिक सीमाओं से होता है। उन सीमाओं के अन्तर्गत जो भी रहते हैं, वे सब राष्ट्र (Nation) कहलाते हैं। आज के युग में राष्ट्रीय राज्य (National States) हैं। प्रत्येक राष्ट्र का एक राज्य है और प्रत्येक राष्ट्र आत्म-निर्णय के अधिकार का दावा कर अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता का अधिकारी मानता है।

प्रत्येक राष्ट्र पूर्ण स्वाधीनता तथा प्रभुत्व का दावा करता है। इसका अर्थ यह है कि वह अपने से उच्चतम और कोई सत्ता नहीं मानता। नागरिक राष्ट्र का अंग होता है और उसे राष्ट्र के प्रति भक्ति रखनी आवश्यक होती है।

राजसत्ता के प्रयोग का अधिकार राज्य को होता है और एक राष्ट्रपति, शासक,

नरेश या अधिनायक से लेकर पूँजीपतियों द्वारा नियंत्रित संसद या विधान-सभा द्वारा राज-सत्ता का प्रयोग किया जाता है। नागरिक संसद आदि के लिये प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं। इन निर्वाचनों में प्रायः धनी व्यक्ति ही उम्मीदवार खड़े होते हैं; क्योंकि इनमें धन का भारी व्यय होता है। इस कारण पूँजीपतियों द्वारा इन निर्वाचनों पर भी प्रभाव डाला जाता है।

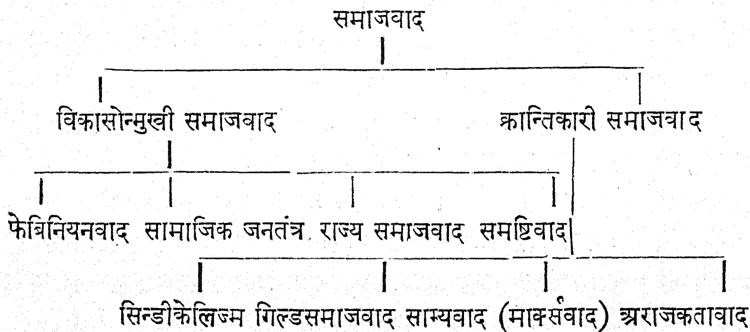
पूँजीवादी राष्ट्र अपने देश की औद्योगिक प्रगति, व्यापार तथा वाणिज्य, एवं कच्चामाल (रूई, जूट, लोहा, पेट्रोल) प्राप्त करने के लिये पूँजीपति राज्य-शासन की सहायता प्राप्त करते हैं और इस प्रकार राज्य औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े प्रदेशों पर अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे उन प्रदेशों में अपना तैयार माल लाभ के साथ बेच सकें और उनसे कच्चा माल सस्ते दामों में प्राप्त कर सकें। पूँजीपति ऐसे पिछड़े देशों में अनेक उद्योगों में अपनी पूँजी भी लगाते हैं। इस प्रकार पूँजीपति अपने उद्योग-व्यवसाय की रक्षा के लिए अपनी सरकार से यह अपील करते हैं कि वह पिछड़े प्रदेशों पर अपना शासन स्थापित करें, उनकी सहायता के लिये वहाँ केवल नागरिक शासन ही नहीं, वरन् विशाल सेना व सैनिक व हवाई सैनिक अड्डे भी हों। इस प्रकार पूँजीवाद की अन्तिम अवस्था साम्राज्यवाद है। पूँजीवादी राज्य इसी कारण साम्राज्यवाद का पोषण करते हैं। इसी कारण वह पूँजीपतियों का समर्थन करता है, उनकी सहायता करता है और अन्त में उनके हित में कार्य करता है।

पूँजीपतियों को जब दूसरे राष्ट्रों की प्रतियोगिता के कारण लाभ कम होता है तब वे सबल राष्ट्र पर यह दोषारोप करते हैं कि वह हम पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। इस प्रकार वे अपने देश में भी युद्ध की तैयारियाँ कराने के लिये राज्य-शासन को बाध्य कर देते हैं। युद्ध के छिड़ने पर वे अपना माल बड़े लाभ के साथ बेचते हैं। इस प्रकार वे युद्ध में मालामाल हो जाते हैं।

बीसवीं शताब्दी के गत १०-१५ वर्षों में साम्राज्यवाद ने नवीन रूप धारण किया है और इसके अन्तर्गत पूँजीवादी राष्ट्र दूसरे प्रदेश पर अपना राजनीतिक आधिपत्य स्थापित न कर केवल आर्थिक आधिपत्य या नियंत्रण स्थापित करता है। यह राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में अपनी पूँजी लगाता है और उससे व्यापारिक संधि कर उसका आर्थिक दोहन करता है। इसे आर्थिक साम्राज्यवाद कहते हैं। इस प्रणाली के विकास में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे आगे बढ़ा हुआ है।

समाजवाद

समाजवाद (Socialism) शब्द का अधिक प्रचार है; किन्तु समाजवाद शब्द के अर्थ क्या हैं, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार जनतंत्र (Democracy) शब्द का दुरुपयोग किया गया, वैसे ही, इस शब्द का भी दुरुपयोग किया गया। समाजवाद शब्द की मनमानी व्याख्याओं के कारण उसके अनेकों रूप विद्यमान हैं। समाजवाद शब्द इतना लोकप्रिय और आकर्षणयुक्त है कि प्रायः सभी इसके समर्थक बनने में गौरव अनुभव करते हैं। अनेक पूँजीपति भी अपने को समाजवादी कहने में गौरव अनुभव करते हैं। अतः इस संबंध में स्पष्ट रूप से विचार करना उचित होगा।



फेबिनियनवाद : फेबिनियनवाद की स्थापना सबसे पहले इंगलैण्ड में हुई। ४ जनवरी सन् १८८४ को इंगलैण्ड में "फेबियन समाज" (Fabian Society) की स्थापना हुई। इस समाज ने अपने सामने यह उद्देश्य रखा।

"हम लोगों को उचित अवसर के लिये उसी प्रकार प्रतीक्षा करनी चाहिये जिस प्रकार फेबियन ने हेनीबाल से युद्ध करते समय अत्यन्त शान्तिपूर्वक की थी यद्यपि बहुतों ने उसपर आक्षेप किया। परन्तु समय आनेपर हमको फेबियस की भाँति अत्यन्त दृढ़ता से कार्य करना चाहिए, नहीं तो प्रतीक्षा का कुछ भी परिणाम नहीं होगा।"

चार वर्ष के बाद इस समाज ने अपने सिद्धान्त निम्न प्रकार स्थिर किये :—

(१) भूमि तथा व्यावसायिक पूंजी से व्यक्तिगत तथा वर्गीय स्वामित्व हटा कर उनपर राष्ट्र के कल्याण के लिये राष्ट्र का स्वामित्व स्थापित करना।

(२) भूमि में व्यक्तिगत सम्पत्ति और उसके फलस्वरूप लगान में व्यक्तिगत अधिकार का अन्त कर दिया जाय।

(३) राज्य द्वारा भलीभाँति चलाये जा सकने वाले उद्योगों को शासन के अधिकार में दे दिया जाय।

(४) समाज समाजवाद का प्रचार करेगा जिससे जनता उसके प्रति आकर्षित हो जाय। सन् १८८४ में सुप्रसिद्ध साहित्यकार बर्नार्ड शा उसके सदस्य बन गये। सन् १८८५ में सिडनी वेब्र इसके सदस्य बन गये। इनके बाद एच-जी वेल्स, रामजे मैकडानल्ड, जी० डी० एच० पोल, इसके सदस्य बन गये।

फेबियन पूंजीवाद से समाजवाद की ओर प्रगति को एक स्वाभाविक क्रिया समझते हैं। इस परिवर्तन में शान्तिमय आर्थिक व राजनीतिक कार्यों से काम लिया जाय, ऐसा उनका मत है। वे मुख्यतः मध्यम वर्ग में समाजवाद का प्रचार करके उनकी सहायता से लोकमत पर अधिकार कर, वैधानिक ढंग से राज्य-शासन पर अधिकार कर लेना चाहते हैं।

राज्य-समाजवाद (State Socialism) विकासोन्मुखी समाजवाद का एक रूप है। राज्य समाजवादी क्रान्ति तथा हिंसा में विश्वास नहीं करते। वे राज्य अथवा शासन में परिवर्तन करके समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं। ये समाजवादी पार्लमेंट के द्वारा राज्य यंत्र पर अधिकार करना चाहते हैं। फेबियन समाज की विचारधारा तथा राज्य-समाजवाद में कोई अन्तर नहीं है। राज्य समाजवादी पार्लमेंट के द्वारा कानून बना कर क्रमशः उद्योगों व सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। ब्रिटेन में इस समय मजदूर-सरकार राज्य-समाजवादी कार्यक्रम के अनुसार कार्य कर रही है।

समष्टिवाद (Collectivism) समाज मूल्यों का निर्माण करता है, अतः जिनका समाज निर्माण करता है, उन पर उसे नियंत्रण भी करना चाहिए। इस विचार से एक पग आगे साम्यवादी हैं, जिनकी यह धारणा है कि समाज का उत्पादन के समस्त साधनों पर स्वामित्व होना चाहिए और समाज ही रेल, कारखानों तथा खानों आदि का प्रबंध करे। इस दशा में उत्पादन के साधनों का उपयोग समाज के हित के लिये होगा। किन्तु यहाँ यह स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि समाज इन कार्यों को नहीं कर सकता। उसकी कोई प्रतिनिधि संस्था होनी चाहिये जो उसकी (समाज की) आकांक्षा को प्रकट करे तथा समाज के हित में कार्य करे। यह संस्था समष्टिवादियों की दृष्टि में राज्य है। यहाँ राज्य से तात्पर्य ग्राम-सभा, जिला-सभा, नगरपालिका, राज्य-परिषद, राष्ट्र से है। समष्टिवादी यह चाहते हैं कि जनतंत्रीय राज्य में समाज के अर्थ-विशेषण, शासनाधिकारी तथा

उद्योग-वेत्ता समाज के हितों के अनुसार आर्थिक व्यवस्था करेंगे। राज्य वास्तव में सर्वहारा होना चाहिए। उसी दशा में जिन मजदूरों से राज्य काम लेगा, वे स्वयं मजदूरों के हितचिंतक होंगे। राज्य-समाजवादी तथा फेबियन समाजवादी भी एक प्रकार से समष्टिवादी ही हैं।

सामाजिक जनतंत्र (Social Democracy) सामाजिक जनतंत्र श्रमिकों की जनता का वर्गीय आन्दोलन है। यह आन्दोलन श्रमिकों की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिये ही प्रयत्न नहीं करता वरन् उनके राजनीतिक संघर्ष के लिए भी प्रयत्न करता है। यह आन्दोलन केवल वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना ही नहीं, वरन् जनतंत्र की प्रतिष्ठा के लिये भी कार्य करता है। सामाजिक जनतंत्रीय दलों की उन्नीसवीं सदी में जर्मनी, फ्रान्स, रूस आदि में स्थापना की गयी और इनके द्वारा औद्योगिक मजदूरों में समाजवादी तथा जनतंत्रीय विचारधारा का प्रचार किया गया।

सिन्डीकेलिज्म (श्रमसंघवाद) इसका जन्म फ्रान्स में हुआ। फ्रान्स में सिन्डीकेट मजदूर-सभा को कहते हैं। इसी से सिन्डेकेलिज्म का प्रादुर्भाव हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि श्रमसंघ (Trade Union) ही नवीन समाज का आधार होगा और इसी के द्वारा नवीन समाज की स्थापना होगी। यह वाद समाजवादी है। यह पूँजीवाद का विनाश करना चाहता है और इसके लिये यह वर्गयुद्ध का आश्रय लेता है। उत्पादन के साधनों पर समस्त समाज का अधिकार स्थापित करना चाहता है। प्रोधों फ्रांस का एक बड़ा दार्शनिक हुआ है। वह एक स्वतंत्र समाज की स्थापना को समाज का लक्ष्य मानता था। उसके सिद्धांत अराजकतावाद से मिलते जुलते हैं। फ्रान्स के मजदूर-संघ आन्दोलन पर प्रोधों का बड़ा प्रभाव पड़ा।

सिन्डीकेलिज्म का यह आशय है कि मजदूर मूल्यों का निर्माण करते हैं और जो मूल्यों का निर्माण करते हैं, उन्हीं का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में भी मजदूरों का ही प्रभुत्व होना चाहिए। सिन्डीकेलिस्ट हिंसा, हड़ताल तथा सम्पत्ति विनाश में विश्वास करते हैं और वे इन साधनों के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं।

गिल्ड समाजवाद : इसका जन्म भी इंगलैण्ड में हुआ। सन् १९०६ में पेंटी ने अपनी (Restoration of the Guild System) "गिल्ड प्रणाली का पुनरुद्धार" नामक पुस्तक प्रकाशित की। उनका यह विचार है कि मध्यकालीन गिल्ड प्रणाली की पुनर्स्थापना से पूंजीवादी व्यवस्था स्वतः नष्ट हो

जायगी। मध्यकाल में प्रत्येक व्यवसाय के अपने अपने स्वशासित संघ होते थे। जो कारीगर इनके सदस्य होते थे, वे अपने औजारों के स्वामी होते थे। उत्पादन की प्रकृति तथा परिमाण के सम्बन्ध में वे निश्चय करते थे। गिल्ड समाजवादी सिद्धान्ती लोगों का एक समूहमात्र है।

गिल्ड समाजवाद के प्रचार के लिए इंगलैण्ड में सन् १९१५ में राष्ट्रीय गिल्ड्स लीग की स्थापना की गयी। इसका उद्देश्य मजदूरी की प्रथा का अन्त कर मजदूरों द्वारा उद्योग में स्वशासन की स्थापना करना है। यह समाज के दूसरे प्रजातंत्रीय व्यावसायिक समुदायों के साथ मिलकर काम करना चाहती है।

साम्यवाद (मार्क्सवाद) : अंग्रेजी शब्द 'कम्युनिज्म' तथा 'कम्युनिस्ट' को हिन्दी में 'साम्यवाद' तथा 'साम्यवादी' कहते हैं। सन् १८४७ में समाजवाद के वैज्ञानिक व्याख्याकार एवं विवेचनकर्त्ता कार्ल मार्क्स और ऐंगेल्स ने 'साम्यवादी घोषणा-पत्र' लिखा। यह साम्यवादियों के लिए वेद के समान पवित्र एवं प्रामाणिक है। इसमें उन्होंने साम्यवादी कार्यक्रम पर प्रकाश डाला है। संक्षेप में साम्यवाद वह दर्शनशास्त्र है, जो पूंजीवाद से समाजवाद की ओर ले जाने के सिद्धान्तों का विवेचन करता है।

साम्यवादियों तथा दूसरे समाजवादियों में एक सबसे महत्व-पूर्ण अन्तर यह है कि विभिन्न देशों के मजदूरों के राष्ट्रीय संघर्षों में वे समस्त सर्वहारा वर्ग के सामान्य हितों को आगे रखते हैं और इस सम्बन्ध में वे जातीयता का भेद-भाव नहीं करते। समाजवादी समस्त मज़दूरों का संघटन कर एक वर्गीय आधार पर संघर्ष कर मजदूरों का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में मार्क्स ने यह लिखा है कि जब पूँजीवाद का पतन हो जायगा तब और जब पूर्ण साम्यवादी व्यवस्था स्थापित होगी, उसके मध्य में जो समय होगा वह संक्रमण-काल होगा और इस काल में सर्वहारा वर्ग का क्रान्तिकारी अधिनायकत्व होना चाहिये। इस प्रकार सबसे प्रथम बार प्रजातंत्र की स्थापना हो जायगी। क्यों कि सर्वहारा वर्ग बहुमत में है ; जब राज्य पर उसका अधिकार हो जायगा, और सर्वहारा के शोषण करनेवालों का पतन हो जायगा तो सच्चे जनतंत्र का उदय होगा।

इस प्रकार जब पूँजीपतियों का पूर्ण निष्कासन हो जायगा, जब सब वर्ग नष्ट हो जायँगे, जब उत्पादन के साधनों की दृष्टि से समाज के सदस्यों में कोई भेद नहीं रहेगा, सब समान रूप से स्वतंत्र हो जायँगे, तब राज्य का

अन्त हो जायगा। उसी समय समाज में सच्ची स्वतंत्रता तथा जनतंत्र का उदय होगा।

साम्यवादी समाज की दो अवस्थाएँ होंगी। साम्यवादी समाज का जन्म पूँजीवादी समाज के उदर से होगा। इसलिए उस समाज पर पूँजीवादी समाज के संस्कार कुछ अंश में रहेंगे। इनका सर्वनाश करने में समय लगेगा। क्योंकि पूँजीपति के अधिकारों का पूर्ण नाश नहीं होता। इसलिए यह समाजवादी व्यवस्था है। इसमें "जो काम नहीं करता, उसे खाने को भी नहीं मिलता" यह सिद्धांत तो स्थिर हो जाता है। साथ ही "समान कार्य के लिये समान उत्पादन" का नियम भी प्रतिष्ठित हो जाता है।" किन्तु यह साम्यवाद नहीं है। साम्यवादी समाज की स्थापना तो उस समय होगी जब कि श्रम को शोषण का साधन न मानकर उसे जीवन की अजेय शक्ति का स्रोत माना जायगा। मानसिक व शारीरिक श्रम का भेद नष्ट हो जायगा और व्यक्ति के सर्वतोमुखी विकास के साथ-साथ उत्पादन में वृद्धि होगी और सहकारी ढंग से वस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन होगा। उस समय यह आदर्श होगा—"प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार काम करे और अपनी आवश्यकता के अनुसार भोग करे।"*

इस प्रकार साम्यवादी व्यवस्था में राज्य का अन्त हो जायगा। जब समाज में कोई वर्ग नहीं रहेगा, तब शोषण का अन्त हो जायगा। समाज में नियम एवं व्यवस्था तो रहेगी परन्तु बल-प्रयोग व हिंसा नहीं रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेगा और अपने अधिकारों का उपभोग इस प्रकार करेगा कि समाज का अहित न हो। "सब नागरिक समाज के वेतनभोगी स्वामी बन जायँगे; सब नागरिक एक राष्ट्रीय राज्य के स्वामी व श्रमिक बन जायँगे।"

साम्यवादी राज्य में विश्वास नहीं करते। इसलिये वह वर्त्तमान पूँजीवादी राज्य का अन्त कर देना चाहते हैं। उनका यह विश्वास है कि शान्तिमय साधनों से पूँजीवादी व्यवस्था का अन्त नहीं होगा। इसलिए वे क्रान्ति तथा क्रान्तिकारी उपायों में विश्वास करते हैं।

मार्क्स और लेनिन ने विद्रोह के सम्बन्ध में यह विचार प्रकट किया है कि विद्रोह की सफलता दल या षड्यंत्र पर निर्भर नहीं है; वरन् वह प्रगतिशील वर्ग पर निर्भर है। जनता की क्रान्तिभावना पर ही उसे निर्भर रहना चाहिये। क्रान्तिकाल में एक ऐसे क्षण की प्रतीक्षा करना चाहिए जब कि विद्रोह का संगठन

---

* From each according to his ability & to each according to his needs.

किया जा सके। यह ऐसा समय हो जब कि प्रगतिशील वग अपने चरम विकास की अवस्था में हो और शत्रु की स्थिति अत्यन्त दुर्बल हो।

अराजकतावाद (Anarchism)—यह एक राजनीतिक सिद्धान्त है जो राज्य का अन्त करके वर्ग-विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। अराजकतावादी यह मानते हैं कि शासन चाहे वह एकतन्त्र हो या प्रजातंत्र, गणतंत्र हो या समाजवादी अत्याचार का माध्यम है। वे व्यक्तियों का स्वतंत्र समाज स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें न पुलिस हो, न सेना, न न्यायालय हों और न कारागार ही।

वास्तव में देखा जाय तो साम्यवाद ऐसे समाज की स्थापना के लिये मार्ग दिखलाता है और जब पूँजीवादी समाज का अन्त हो जाय, तब कैसी समाज-व्यवस्था हो, इसके सिद्धान्त अराजकतावाद स्थिर करता है। यह एक ही चित्र के दो रूप हैं।

प्रसिद्ध अराजकतावादी निम्नलिखित हैं—विलियम गाडविन (अँग्रेज १७५६–१८३६); मैक्स स्टर्नर जर्मन अध्यापक (१८०६–१८५६); पियरे-जोसेफ प्रोधों (फ्रेन्च मजदूर नेता १८०६–१८६५); माइकेल बाकूनिन (रूसी क्रान्तिकारी १८१४–१८७६); प्रिंस पीटर क्रोपाटकिन, रूसी भूगोलवेत्ता व क्रान्तिकारी (१८४२–१९२१); काउंटल्योट ालस्टाय (१८२८–१९१०) रूसी साहित्यकार व विद्वान।

मार्क्सवाद

मार्क्सवाद का अर्थ है वैज्ञानिक समाजवाद। यह समाजवाद की अन्य धाराओं से मौलिक रूप से भिन्न है। इसलिये हम इसपर यहाँ विचार करेंगे। कार्लमार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के आचार्य माने जाते हैं। इनका जन्म ५ मई सन् १८१८ को ट्रेव्से नगर (प्रशा) में हुआ। मार्क्स के पिता एक यहूदी वकील थे जिन्होंने १८२४ में ईसाई मत ग्रहण कर लिया। यह परिवार कुलीन तथा सुसंस्कृत था; किन्तु क्रान्तिकारी नहीं था। मार्क्स ने बोन और बर्लिन विश्वविद्यालयों में कानून, विज्ञान, इतिहास तथा दर्शन का अध्ययन किया। सन् १८४१ में मार्क्स ने अपनी शिक्षा समाप्त की। पहले वह बोन विश्वविद्यालय में गया। वह प्रोफेसर बनना चाहता था किन्तु अधिकारियों ने उसे स्थान नहीं दिया। कारण वह हेगेल के दर्शन शास्त्र की बड़ी उग्र व्याख्या करता था। सन् १८४४ में मार्क्स अपने विवाह के एक वर्ष बाद पेरिस में गया। वहाँ उसकी फ्रेडरिक ऐंगेल्स से

भेंट हो गई। उसी समय से दोनों में प्रगाढ़ मित्रता हो गयी और आजीवन वे मित्र बने रहे। कम्युनिस्ट लीग नामक एक गुप्त संस्था थी। इसके सन् १८४७ में मार्क्स सदस्य बन गये। इस लीग की प्रार्थना पर मार्क्स ने "कम्युनिस्ट मेनीफेस्टो" 'साम्यवादी घोषणापत्र' तैयार किया जो फरवरी १८४८ में प्रकाशित हुआ। इस घोषणा-पत्र में कार्लमार्क्स ने पूँजीवाद का विश्लेषण किया है और साम्यवादी कार्यक्रम पर विचार-पूर्वक प्रकाश डाला है। साम्यवादियों में ही नहीं समाजवादियों में मार्क्स के इस ग्रन्थ का बड़ा आदर है और इसे साम्यवादियों का वेद कहा जा सकता है। समाजवाद के सम्बन्ध में मार्क्स के विचार उनके कई ग्रन्थों तथा पत्रों में हैं, जो उन्होंने समय समय पर लिखे। साम्यवादी घोषणापत्र के अतिरिक्त उनके निम्नलिखित ग्रन्थ अति प्रसिद्ध हैं; 'पूँजी' (केपीटल), 'राजनीतिक अर्थनीति की आलोचना' (Critique of Political Economy), "गोथा कार्यक्रम" "फ्रांस में गृह-युद्ध" आदि।

मार्क्स के निम्नलिखित सिद्धान्त मुख्य हैं—द्वंद्वात्मक भौतिकवाद (Dialectical Matuialism); इतिहास की आर्थिक व्याख्या; श्रेणी-युद्ध; अर्थ-सिद्धान्त।

मार्क्स के अनुसार : "भौतिक जीवन के उत्पादन की रीतियाँ सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक जीवन की प्रक्रिया का निर्धारण करती हैं। मानव की अन्तरात्मा उनके जीवन का निर्धारण नहीं करतीं।" समाज में आर्थिक सम्बन्ध ही सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक सम्बन्धों का निर्धारण करते हैं और आर्थिक सम्बन्धों में परिवर्तन होने से अन्य सब अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाते हैं। मार्क्स का यह मन्तव्य है कि "समाज में अब तक जो इतिहास प्राप्त है उससे यही सिद्ध है कि वह वर्ग-संघर्ष का ही इतिहास है।" समाज में स्वामी—दास, जागीरदार—कृषक, महाजन—ऋणी, अत्याचारी तथा पीड़ित के सम्बन्ध रहे हैं और पूँजीवाद में पूँजीपति तथा मजदूर के वर्ग हैं। इस प्रकार एक वर्ग दूसरे का दोहन करता रहा है।

कार्लमार्क्स का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त है अतिरिक्तार्थ (Surplus Value)। मजदूर कारखाने में पण्य उत्पादन करते हैं। इसे पूँजीपति धन के रूप में बदल लेते हैं; फिर इस धन को पण्य में बदल दिया जाता है। पूँजीपति धन से पण्य और पण्य से धन पैदा करते हैं। उत्पादन इसलिए करते हैं कि उसे बेचकर अधिक लाभ प्राप्त करें। अब प्रश्न यह है कि पूँजीपतियों को लाभ कहाँ से

प्राप्त होता है। यह मजदूर के अतिरिक्त श्रम का ही फल है। इसलिए मजदूर को यह मिलना चाहिए। किन्तु पूँजीपति इसे ले लेता है। पूँजीपति जो अतिरिक्तार्थ प्राप्त करता है, उसे वह अपने व्यक्तिगत उपयोग में नहीं लाता; वरन् उसे पूँजी का रूप दे देता है। इस प्रकार पूँजी का विशाल संग्रह हो जाता है।

पूँजीवाद में आन्तरिक विरोध होता है; उसके फलस्वरूप अनेक प्रकार की समस्याएँ पैदा हो जाती हैं; अधिक मशीनों के प्रयोग के फलस्वरूप मजदूरों को कम काम मिलता है, मन्दी, बेकारी तथा देश में आर्थिक संकट पैदा हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि देश के अन्य व्यक्तियों के पास अपार सम्पत्ति जमा हो जाती है; जनता, किसान व मजदूर गरीब हो जाते हैं।

अतः मार्क्स का यह उद्देश्य है कि समस्त सर्वहारा वर्ग को अपना संगठन करके क्रान्ति का आयोजन करना चाहिए और उत्पादन, वितरण व विनिमय के समस्त साधनों पर अपना अधिकार जमा लेने के उद्देश्य से शासन पर अधिकार जमा लेना चाहिए।

सोवियत रूस में बोलशेविक क्रान्ति का नेता मार्क्स का अनुयायी एक भक्त था। उसने मार्क्स के उपदेशों के आधार पर क्रान्ति द्वारा सोवियत रूस में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना सन् १९१७ में की।

नात्सीवाद

नात्सीवाद का उदय जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के अभ्युदय के साथ हुआ। हिटलर इसे 'राष्ट्रीय समाजवाद' (National Socialism) के नाम से संबोधन करता था। किन्तु वास्तव में इसमें 'समाजवाद' का कुछ भी तत्व नहीं है। इसलिए हमने इसका विवेचन समाजवाद के अन्तर्गत नहीं किया। नात्सीवाद जर्मनी का एक राष्ट्रीय आन्दोलन था, जिसका संस्थापक हिटलर था। नात्सीवाद के कुछ मूल सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—

(१) जर्मन जाति ही संसार में सर्वश्रेष्ठ आर्य जाति है। अतः संसार में उसे साम्राज्य स्थापित करने का और रंगीन जातियों पर शासन करने का अधिकार है। आर्य जाति का जन्म ही संसार पर शासन करने के लिये हुआ है।

(२) यहूदी सबसे जंगली जाति है। इससे इनका विनाश कर देना चाहिए।

(३) जर्मन जाति को अपनी रक्त की शुद्धता के लिये जर्मनी से गैर-जर्मनों को निकाल देना चाहिए और उनसे कोई रक्त संबंध नहीं करना चाहिए।

(४) नात्सी ईसाई मत की भी निन्दा करते हैं।

(५) नात्सी प्रजातंत्र, निर्वाचन, पार्लमेंट आदि में विश्वास नहीं करते।

(६) वह अधिनायक-तंत्र में विश्वास करते हैं। एक नेता के आदेश का राष्ट्र को आँख मूँदकर पालन करना चाहिए।

(७) नात्सी बल-प्रयोग, हिंसा तथा युद्ध में विश्वास करते हैं। इनका यह विश्वास है कि संसार में सबल जातियाँ ही शासन करती हैं।

मई १९४५ में जर्मनी की पराजय के बाद मित्रराष्ट्रों ने जर्मनी पर अधिकार जमा लिया और इस प्रकार नात्सीवाद का अन्त कर दिया।

फैसिज्म

सन् १९१९ में मुसोलिनी ने इटली में फैसिज्म आन्दोलन आरम्भ किया। फैसिसियो (fascio) कुछ लकड़ियों के एक बंडल तथा कुल्हाड़ी को कहते थे। यह इटली में प्राचीन रोम का प्रतीक था जिसे कुछ लोग लेकर कौंसिल के आगे आगे चलते थे। इसी पर से मुसोलिनी ने फैसिज्म शब्द की कल्पना की।

फैसिज्म और नात्सीवाद में कोई विशेष अन्तर नहीं है। नात्सीवाद की भाँति फैसिज्म का लक्ष्य भी राज्य को सर्वोपरि मान कर एक व्यक्ति या नेता के अधिनायकतंत्र की स्थापना करना है। फैसिज्म जनतंत्र, समाजवाद तथा साम्य-वाद का विरोधी है। वह नागरिक स्वतंत्रता का भी विरोधी है। हिंसा, युद्ध तथा बलप्रयोग द्वारा वह साम्राज्य की स्थापना में विश्वास करता है। फैसिज्म की विचारधारा पर नीत्शे और मैकियावली के विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा है।

फैसिस्ट दल ही एकमात्र राजनीतिक दल था। इस दल की सर्वोपरि संस्था फैसिस्ट ग्रांड कौंसिल थी जिसकी नियुक्ति मुसोलिनी करता था। इस कौंसिल को मुसोलिनी का उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार था। नात्सी प्रभाव में आने से पूर्व फैसिस्ट यहूदियों के विरोधी नहीं थे। मुसोलिनी की मृत्यु के बाद इटली से इस विचारधारा का अन्त हो गया।

११०

सर्वोदयवाद गांधीवाद

महात्मा गांधी जब दक्षिणी अफ्रीका में थे, तब उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान रस्किन की "अन्टू दिस लास्ट" नामक पुस्तक पढ़ी और वे उससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इस पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर 'सर्वोदय' नाम से किया। इस पुस्तक में यह दिखलाया है कि "नैतिक नियमों के पालन में ही मनुष्य जाति का कल्याण है।" सर्वोदय शब्द 'सर्व' और 'उदय' इन दो शब्दों से बना है। इस प्रकार सबका उदय, विकास, अभ्युदय एवं प्रगति सर्वोदयवाद का लक्ष्य है। गांधीजी स्वयं गांधीवाद शब्द को पसंद नहीं करते थे। वह यह कहा करते थे कि गांधीवाद नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने कोई नयी चीज संसार के सामने नहीं रखी। सत्य अहिंसा के सिद्धान्त अटल हैं और ये प्राचीन वेद-शास्त्रों में मिलते हैं। इस प्रकार 'सर्वोदय' का प्रचार गांधीजी के बलिदान के बाद देशव्यापी हो गया है। गांधीजी के निर्वाण-दिवस को भी सर्वोदय-दिवस कहा जाता है। वास्तव में सर्वोदय शब्द के द्वारा गांधीजी का सारा जीवन-दर्शन अभिव्यक्त होता है।

गांधीजी अद्वैतवादी ईश्वर-निष्ठ थे। वे यह अनुभव करते थे कि संसार के सब मानवों में ही नहीं, पशु-पक्षियों में भी ईश्वर का अस्तित्व है। वे प्रत्येक मानव में ईश्वर का अस्तित्व मानते थे। उनके विचार में ईश्वर और आत्मा में कोई भेद नहीं था। अतः वह यह मानते कि मानव मात्र की सेवा करना ही ईश्वर प्राप्ति का साधन है। ईश्वर पर उनका अटल विश्वास था। वह प्रत्येक कार्य अन्तर्प्रेरणा से करते थे और जबतक उन्हें किसी कार्य के लिये अन्तर्ज्योति का प्रकाश नहीं मिलता था वह कोई नया कार्य या आन्दोलन आरम्भ नहीं करते थे। उनका यह दावा था कि उनके प्रत्येक आन्दोलन का मार्ग-दर्शन ईश्वर की प्रेरणा से हुआ था। ईश्वर पूर्ण है। अतः उनका यह भी विश्वास था कि सत्याग्रह कभी विफल नहीं जाता; क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर पूर्ण एवं सर्वशक्तिमान है। अतः उसकी प्रेरणा से किया गया कार्य कभी विफल या वृथा नहीं जाता। यही कारण है कि उन्होंने यह कभी स्वीकार नहीं किया कि उनका कोई भी सत्याग्रह विफल रहा। भौतिक वादी आलोचक अपने दृष्टिकोण से उनके किसी सत्याग्रह को विफल भले ही कहें, किन्तु गांधी जी की दृष्टि में वह विफलता नहीं। वे यह कहा करते थे कि सत्य, अहिंसा आदि पूर्ण हैं; व्यक्ति उनका जब ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं करते तो साधारणतया लोग अहिंसा, सत्य या सत्याग्रह

को दोष देते हैं; किन्तु वास्तव में दोष व्यक्ति की अपूर्णता के कारण होता है।

गांधी जी बड़े उच्च कोटि के निष्ठावान् थे। नैतिकता की दृष्टि से वे प्रत्येक कार्य की परीक्षा करते थे। उनका लक्ष्य वास्तव में एक वर्ग-हीन, जाति-विहीन सर्वोदय अहिंसक समाज की स्थापना करना था, जिसमें कोई व्यक्ति किसी का शोषण न करे। साम्यवादी भी ऐसे ही समाज की स्थापना करना चाहते हैं। जहां तक साध्य या लक्ष्य का प्रश्न है, गांधी जी तथा साम्यवादी में कोई अन्तर नहीं है। किन्तु ऐसे अहिंसक समाज की स्थापना कैसे की जाय, किन साधनों से की जाय, इसी प्रश्न पर गांधी-दर्शन और मार्क्स के दर्शन में अन्तर देख पड़ता है। गांधी जी का यह अटल विश्वास था कि हिंसा के द्वारा अहिंसक समाज की स्थापना संभव नहीं। हिंसा-अहिंसा के प्रश्न पर गांधी जी के विचार बहुत ही आदर्श थे। वे मन, वचन तथा कर्म से प्रत्येक व्यक्ति को अहिंसक बनाना चाहते थे। अहिंसा का सिद्धान्त केवल निष्क्रिय सिद्धान्त नहीं है वरन् वह एक जीवित सिद्धान्त है। वह यह कहते थे कि प्रत्येक मानव को दूसरे मानव के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। जीवन में से घृणा, लोभ, मोह, काम आदि दुर्गुणों को सर्वथा दूर कर देना चाहिए।

इस प्रकार गांधी जी नैतिकता पर विशेष जोर देते थे। उनका यह अटल विचार था कि पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिये पवित्र साधन भी होने चाहिए। गांधी जी की अहिंसा-वृत्ति ने ही उनके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दर्शन के निर्माण में विशेष योगदान दिया। इस प्रकार हम यह स्पष्ट देखते हैं कि गांधी जी की अहिसा का क्षेत्र सीमित नहीं था, वरन् वह विश्व व्यापी था और मानव-जीवन एवं समाज का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें उसका अस्तित्व न हो। गांधी जी अपनी दैनिक प्रार्थना में निम्नलिखित ११ व्रतों को दुहराया करते थे—

(१) सत्य (२) अहिंसा (३) अस्तेय (४) ब्रह्मचर्य (५) अपरिग्रह (६) शरीरश्रम (७) अस्वाद (८) निर्भय (९) सर्वधर्म समभाव (१०) स्वदेशी (११) अस्पृश्यता निवारण।

सर्वोदय का लक्ष्य—सर्वोदय का लक्ष्य है एक पूर्ण अहिंसक वर्गहीन समाज की स्थापना, जिसमें सबों का सर्वोच्च हित साधन हो और कोई मानव किसी का शोषण न करे। ऐसे समाज में कोई ऊँचा होगा और कोई नीचा।

सब समुदाय परस्पर प्रेम-पूर्वक रहेंगे। ऐसे समाज में अस्पृश्यता के लिये कोई स्थान नहीं होगा और न मादक-द्रव्यों का ही प्रयोग किया जायगा। ऐसा समाज सब राष्ट्रों के साथ सहयोग से कार्य करेगा। इसलिए सेना छोटी से छोटी होनी चाहिए। अन्त में सर्वोदय का लक्ष्य संपूर्ण मानवता का कल्याण है। वह विश्व-शान्ति की स्थापना करना चाहता है।

सर्वोदय का कार्यक्रम—महात्मा गांधी ने ऐसे अहिंसक समाज की स्थापना के लिये एक कार्य-क्रम निर्धारित किया, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया। संक्षेप में यह कार्य-क्रम निम्न प्रकार है:—(१) साम्प्रदायिक एकता (२) अस्पृश्यता-निवारण (३) मादकद्रव्य निषेध (४) खादी (५) ग्रामोद्योग (६) ग्रामों की सफाई (७) नवीन शिक्षा (८) प्रौढ़ शिक्षा (९) महिलाओं की उन्नति (१०) स्वास्थ्य व सफाई की शिक्षा (११) राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार (१२) मातृभाषा प्रेम (१३) आर्थिक समता (१४) विद्यार्थी-संगठन (१५) मजदूरों का संगठन (१६) आदिवासी जातियों का सुधार।

सर्वोदय की आर्थिक नीति—गांधी जी की अर्थ-नीति भी अहिंसात्मक आधार पर है। वह आर्थिक जीवन में विकेन्द्रीकरण के समर्थक थे। इसीलिये उन्होंने ग्रामों को गणतंत्र बनाने पर जोर दिया और ग्रामों में ग्रामोद्योगों तथा खादी के विकास के लिये अधिक जोर दिया। गांधी जी का यह विचार है कि ग्रामों की सब जनता देश के बड़े कल-कारखानों में कार्य नहीं कर सकती। इसलिए उन्हें अपने अपने ग्राम में रहकर ग्रामोद्योगों तथा हस्तकौशल का विकास करना चाहिये। गांधी जी यंत्रों—मशीनों—के विरोधी नहीं थे और न वे विद्युत के विरुद्ध थे। वे तो यह चाहते थे कि मशीनों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे मनुष्य निरा यंत्र बन जाय और वह उद्योग तथा व्यवसाय पर अपने व्यक्तित्व का प्रभाव न डाल सके। वे बड़े-बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में थे। वे पूँजीपतियों का बलपूर्वक नाश नहीं चाहते थे और न मिलों का सर्वनाश करना। उनका उद्देश्य था कि मिल-मालिक अपनी पूँजी व सम्पत्ति को समाज की धरोहर समझकर उसे अपने पास रखें और जब समाज को उसकी जरूरत पड़े तब उसे वे समाज-हित में दे दें। यह उनका संरक्षकता का सिद्धांत कहलाता है।

गांधी जी जमींदारी तथा जागीरदारी के विरुद्ध थे। किन्तु वे बलपूर्वक इनका विनाश नहीं चाहते थे। उनका यह स्पष्ट मत था कि सब भूमि गोपाल की है। भूमि पर सबका समान अधिकार है।

गांधी जी मजदूरों व पूँजीपतियों में सहयोग स्थापित करना चाहते थे। वे वर्ग-युद्ध के विरुद्ध थे। इसमें सन्देह नहीं कि वे हड़ताल को मजदूरों का अमोघ अस्त्र मानते थे। परन्तु उसके प्रयोग के संबंध में अनेक मर्यादाओं पर जोर देते थे।

सर्वोदय की समाज-नीति—सर्वोदय का लक्ष्य था समाज में से जल-परक जातपाँत की प्रथा को समूल नष्ट कर देना। अस्पृश्यता को वह मानवता एवं ईश्वर के विरुद्ध मानते थे और इसके निवारण के लिये उन्होंने आजीवन प्रयत्न किया। वह समाज में किसी जाति का शोषण नहीं चाहते थे। समाज में स्त्री-पुरुष का समान दर्जा हो इस पर उन्होंने सदैव जोर दिया। उनका यह विचार था कि "स्त्री और पुरुष का दर्जा समान है, किन्तु वे समान नहीं हैं; वह एक दूसरे के अनुपूरक हैं। वह एक दूसरे को सहायता देते हैं व सहयोग देते हैं।" गांधी जी स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे। गांधी जी बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह तथा दहेज आदि के प्रबल विरोधी थे। वे विधवा-विवाह के पक्ष में थे। जातपाँत तोड़ कर विवाह करने के भी पक्ष में थे। वह सब धर्मों का आदर करते थे और उनका यह विश्वास था कि प्रत्येक धर्म के मौलिक सिद्धान्तों में एकता है।

सर्वोदय की राजनीति—गांधी जी राजनीति में अहिंसा तथा सत्य के पालन पर अधिक जोर देते थे। वह जनतंत्र अथवा प्रजातंत्र (Democracy) के प्रबल समर्थक थे और पार्लमेंटरी कार्य-क्रम के भी समर्थक थे। उनका विचार यह था कि ग्रामों को स्वाश्रयी गण-राज्य बना दिया जाय। ग्रामों में ग्राम-पंचायतें शासन करें। इनमें स्त्री-पुरुष सब भाग लें और पाँच पंचों का निर्वाचन प्रतिवर्ष हो। इन्हीं पंचों को नियामक, प्रशासन तथा न्याय-सत्ता होनी चाहिए।

गांधी जी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। देश में भी वह पंचायती राज्य चाहते थे। किन्तु इस संबंध में उन्होंने अपने विचार स्पष्ट रूप में व्यक्त नहीं किये हैं।

गांधी जी की राज्य-कल्पना 'रामराज्य' शब्द से स्पष्ट हो जाती है। वह वास्तव में ईश्वरीय राज्य या धर्म-राज्य स्थापित करना चाहते थे।

अध्याय ३

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति

सोवियत-अमरीकी संघर्ष

द्वितीय विश्व-युद्ध अगस्त १९४५ में समाप्त हो गया। इसमें संयुक्त राष्ट्रों की विजय हुई और जर्मनी व जापान की पराजय। जर्मनी पर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन व रूस ने सैनिक अधिकार स्थापित कर लिया। जापान पर जनरल मैक-आर्थर ने अपना अधिकार जमा लिया। युद्ध में संयुक्त राष्ट्रों ने एकता का जैसा परिचय दिया, यदि वैसी ही एकता युद्धोपरान्त भी कायम रहती तो वास्तव में संयुक्तराष्ट्र शान्ति पर भी विजय प्राप्त कर लेते। जून १९४५ में संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना का निश्चय सैनफ्रान्सिस्को सम्मेलन में किया गया और प्रायः ५० राष्ट्रों ने उसके विधान (चार्टर) पर अपने हस्ताक्षर कर दिये। जुलाई १९४५ में ब्रिटेन में एक नवीन घटना घटित हुई। ब्रिटेन के इतिहास में सबसे प्रथम बार मजदूर दल की पार्लमेंट के निर्वाचनों में भारी बहुमत से विजय हुई। इस प्रकार इंगलैण्ड में समाजवादी शासन की स्थापना की गई। एटली प्रधान मंत्री बने; बेविन परराष्ट्र मंत्री। संसार को यह आशा हुई कि अब युद्ध का भय एक लम्बे समय के लिए टल गया।

युद्ध के कारण संसार के सब राष्ट्र परिश्रान्त थे; उनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब हो गयी थी। युद्ध के कारण कृषि, उद्योग, यातायात आदि भयंकर रूप में अस्तव्यस्त हो गये थे। सब देशों के सामने पुनर्निर्माण की समस्या बड़े विकट रूप में उपस्थित थी। सोवियत रूस ने संयुक्त राज्य अमेरिका से ऋण लेने के लिये प्रार्थना की। अमेरिका की सरकार ने रूस की प्रार्थना अस्वीकार कर दी। परन्तु सन् १९४६ में ब्रिटेन को अमेरिका से ऋण मिल गया। यही नहीं, अमेरिका की सरकार ने दूसरा काम यह किया कि अणु-बमों के रहस्य को कनाडा तथा ब्रिटेन को बतला दिया और उन्होंने परस्पर में ऐसा समझौता कर लिया कि युद्ध के समय अमेरिका इन दोनों देशों को अणुबम देगा।

इन दो घटनाओं से यह सबसे प्रथम बार प्रकट हो गया कि रूस व अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं हैं। अमेरिका ने आरम्भ में सोवियत रूस

के साथ ऐसा व्यवहार करके विश्व को दो भागों में विभाजित करने की नींव डाल दी।

सन् १६४६ में मिसोरी राज्य (संयुक्तराज्य अमेरिका) में अनुदार दल के साम्राज्यवादी नेता चर्चिल ने एक सभा में भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने सोवियत रूस के विरुद्ध विष उगला और यहाँ तक कहा कि सोवियत रूस तृतीय युद्ध की तैयारियाँ कर रहा है। इसलिये अमेरिका और ब्रिटेन को मिल कर साम्यवाद से मुकाबला करने की शक्तिशाली सैनिक व्यवस्था करनी चाहिए। चर्चिल की इस विषैली विचारधारा ने अमेरिका में एक आग लगा दी और राष्ट्रपति ट्रूमन तथा उनकी सरकार ने अब साम्यवाद को संसार की शान्ति के लिए एक भयानक खतरा कहना आरम्भ कर दिया। सत्य तो यह है कि साम्यवादी विचार धारा संसार में सन् १८४८ से प्रचलित है और सन् १९१७ से सोवियत रूस साम्यवादी व्यवस्था का समर्थक रहा है। तब साम्यवाद से संसार की शान्ति के लिये कोई खतरा नहीं था। उस समय तो नात्सीवाद और फैसिज्म संसार की शान्ति के लिए खतरे कहे जाते थे। चर्चिल ने ट्रूमन को मार्ग दिखलाया। अमेरिका मनरो सिद्धान्त के अनुसार विश्व-राजनीति की उलझन से सदैव अलग रहा। प्रथम विश्वयुद्ध में तो अमेरिका कूदा, पर युद्ध समाप्त होते ही वह घोंघे के समान सीप में छिप गया। द्वितीय विश्वयुद्ध में वह फिर मित्रराष्ट्रों का नेता बन कर आगे आया। अब युद्ध भी जीत लिया। युद्ध जीतने के बाद वह संसार का नेतृत्व कैसे करता? इसके दो ही साधन थे। एक तो, जैसा कि बैन्डल विलकी ने 'एक दुनिया' का आदर्श बतलाया था, जो संसार में एकता स्थापित कर युद्ध के भय से मानवता को मुक्त करने का था। दूसरा यह था कि दुनिया को दो भागों में विभाजित कर तृतीय युद्ध के लिए तैयारियाँ करना। चर्चिल ने अपने मिसोरी के भाषण में अमेरिका को यह दूसरा मार्ग दिखलाया। उसने बैन्डल विलकी के 'एक दुनिया' के आदर्श को समाधि दे दी। चर्चिल ने अमेरिका को कहा—"अमेरिका अपने आदर्शवाद को त्याग और संसार पर अपना आधिपत्य कायम करने के लिये साम्यवाद के विरुद्ध धर्म-युद्ध छेड़ दे।" बस, अमेरिका को अपनी नेतागीरी के लिये यह एक साधन मिल गया और अब सारे संसार में यह प्रचार किया जाने लगा कि "साम्यवाद संसार की शान्ति के लिये खतरा है।" इसलिए संसार के राष्ट्रो, विशेषतः पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रो! तुम सैनिक पैक्ट करके और सैनिक ढंग से पूर्वी यूरोप का मुकाबला करो।

दूसरी ओर सोवियत रूस को अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रान्स इन तीनों के प्रति संदेह है। वह यह भलीभाँति जानता है कि ये सब पूंजीवादी राष्ट्र हैं और इस कारण सोवियत रूस के जन्म-काल से ही शत्रु रहे हैं। द्वितीय युद्ध में भी विवशता के कारण मित्रराष्ट्रों ने सोवियत रूस को सहयोग दिया। किन्तु हृदय से साम्राज्यवादी अमेरिकन व ब्रिटिश यही चाहते थे कि सोवियत रूस का युद्ध में सर्वनाश हो जाय।

इस प्रकार सोवियत रूस ने यूरोप के पूर्वी राष्ट्रों में पूर्वी जमनी, पोलैण्ड, यूगोस्लाविया, रूमानिया, अलबानिया, बल्गेरिया, फिनलैण्ड तथा हंगेरी में साम्यवादी विचारधारा का प्रचार किया और उनमें साम्यवादी शासनों की स्थापना के लिए उद्योग किया तथा सहायता दी। पश्चिमी यूरोप में फ्रान्स में साम्यवादी दल सबसे बड़ा दल है। इसी प्रकार इटली में भी साम्यवादी-दल बड़ा शक्तिशाली है।

युद्ध में ब्रिटेन की सत्ता क्षीण हो गयी, उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही नाजुक हो गई। इधर यूरोप में सन् १९४६ में सोवियत रूस सबसे शक्तिशाली शक्ति बन गया। ब्रिटेन के हाथ में विश्व-राजनीति की कुञ्जी रहती थी। अब सत्ता एक साम्यवादी राष्ट्र के हाथों में चली गई। अतः ब्रिटेन स्वयं तो नेतृत्व कर नहीं सकता था। स्वाभाविक रूप से देखा जाय तो यूरोप का नेतृत्व सोवियत रूस के हाथों में होता। किन्तु ब्रिटेन ने अमेरिका का पल्ला पकड़ा और अमेरिका को यूरोप में नेतृत्व स्थापित करने में सहायता दी।

यूरोप में युद्ध के कारण जनता अधिक पीड़ित थी; वहाँ गरीबी तथा भयंकर बेकारी थी और उद्योग, कृषि तथा यातायात के साधन नष्ट हो चुके थे। यदि पश्चिमी यूरोप में साम्यवाद की बाढ़ को रोकना अभिप्रेत था, तो यह अत्यन्त आवश्यक था कि यूरोप के देशों की आर्थिक सहायता के लिये कुछ किया जाता। अमेरिका ने यह अनुभव किया कि यदि यूरोप को सोवियत के चंगुल से बचाना है तो इन देशों के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए कोई कार्यक्रम आरम्भ करना चाहिए।

मार्शल योजना—संयुक्त राज्य अमेरिका के परराष्ट्र मंत्री मार्शल ने ५ जून १९४७ को यह घोषणा की कि यदि यूरोप के राष्ट्र आर्थिक पुनरुद्धार के लिये मिलकर काम करें और एकता स्थापित कर लें तो अमेरिका उनकी सहायता करेगा। फ्रान्स तथा ब्रिटेन ने मार्शल योजना का स्वागत किया और इस पर विचार करने के लिये रूस को भी आमंत्रित किया। पेरिस में इन तीनों राष्ट्रों के बीच

इस विषय में वार्ता हुई ; परन्तु कोई समझौता नहीं हुआ। ब्रिटेन व फ्रान्स ने १२ जुलाई १९४७ को पेरिस में समस्त यूरोपीय राष्ट्रों (स्पेन को छोड़कर) का एक सम्मेलन आमंत्रित किया। इसमें यह निश्चय करना था कि पुनर्निर्माण के लिये किस देश को कितनी-कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी।

इस सम्मेलन में निम्नलिखित राष्ट्रों ने भाग लिया। ब्रिटेन, फ्रान्स, आस्ट्रिया, बेलजियम, डेनमार्क, आयर, ग्रीस, आइसलैण्ड, इटली, लक्सेमबर्ग, नीदरलैण्ड, नार्वे, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विटजरलैण्ड, तुर्की।

पेरिस सम्मेलन में निम्नलिखित राष्ट्र सम्मिलित नहीं हुए :—अलबानिया, बलगेरिया, जेकोस्लोवाकिया, फिनलैण्ड, हंगेरी, पोलैण्ड, रूमानिया और यूगोस्लाविया तथा सोवियत रूस।

इस सम्मेलन की कार्य-कारिणी समिति ने १३ जुलाई १९४७ को सर्व-सम्मति से आर्थिक सहयोग समिति की स्थापना के लिये निश्चय किया। इस सहयोग-समिति में समस्त देशों के प्रतिनिधि होंगे। एक विशेष समिति कृषि, खाद्य, इस्पात, कोयला व विद्युत के सम्बन्ध में विचार करने के लिये होगी। यह संस्था यूरोप की आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में कार्यक्रम तैयार करेगी और यह १ सितम्बर १९४७ तक अमेरिका की सरकार को भेज दिया जायगा। १५ जुलाई को यह सम्मेलन समाप्त हो गया। सम्मेलन ने कार्य-समिति के निश्चय पर स्वीकृति की मुहर लगा दी।

आर्थिक सहयोग समिति की रिपोर्ट २८ सितम्बर १९४७ को प्रकाशित हुई। इसमें राष्ट्रों के पुनर्निर्माण के लिये चार वर्षों का कार्यक्रम तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट में यह बतलाया गया कि इन यूरोपीय देशों के पुनरुद्धार के लिये आगामी चार वर्षों में २२० अरब डालर (६६० अरब रुपये) व्यय किये जायँगे।

अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की। इसके अध्यक्ष व्यापार मंत्री अवरैल हैरीमैन थे। ८ नवम्बर १९४७ को इस समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट के आधार पर यूरोपीय आर्थिक पुनरुद्धार की योजना बनाकर अमेरिका की कांग्रेस को सौंप दी गयी। अमेरिकन कांग्रेस में इस यूरोपीय सहायता-कार्यक्रम की बड़ी आलोचना की गयी। दूसरे देशों में भी इसकी बड़ी चर्चा रही। अन्त में २० जून १९४८ को अमेरिकन कांग्रेस ने यूरोपीय सहायता के लिये १५ महीनों के लिये ६,०३०,७१०,२८८ डालर की सहायता स्वीकार की। यह १८ अरब ३० करोड़

रुपये के बराबर होती है। यह रकम १६ पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों को सहायता तथा ऋण के रूप में दी जायगी।

राष्ट्रों ने माँग क्या की और उन्हें क्या मिल रहा है, इसका भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। उदाहरण के लिये ब्रिटेन को ६२ करोड़ ५० लाख पौंड की सहायता मिली है। इसमें से २६ करोड़ २० लाख पौंड की तमाखू इंगलैण्ड को अमेरिका से मँगानी पड़ेगी। २० लाख पौंड की स्टील व लोहा मिलेगा। ब्रिटेन ने खेती की मशीनें माँगी परन्तु नहीं मिलीं।

इस्पात की जितनी माँग थी, उससे कम मिला। चीनी, काफी, मछली, ताँबा, शीशा, न्यूजप्रिंट बिना माँगे मिल गए। ब्रिटेन को अमेरिका ने २ करोड़ २० लाख डालर मूल्य का न्यूजप्रिंट दिया है। ४ करोड़ २० लाख डालर मूल्य की मछलियाँ मिली हैं। इससे यह स्पष्ट है कि अमेरिका यूरोप को ऐसी वस्तुएँ भेज रहा है, जिनका वहाँ उत्पादन अधिक है और उनके लिए वहाँ बाजार नहीं है।

यह केवल 'सहायता' नहीं है, इसके लिये उन देशों को नकद रुपया देना होगा और कच्चा माल आदि भी देना होगा।

कामिनफोर्म—जब सोवियत रूस तथा पूर्वी यूरोप के अन्य देश अमेरिकन प्रभाव से इस प्रकार अलग हो गये, तो उन्होंने अपना पृथक संघटन स्थापित किया। युद्ध-काल में तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय-संघ (Third International) का अन्त कर दिया गया था। तब से विश्व के साम्यवादियों की कोई अन्तर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी। अतः यूरोप में बढ़ते हुए अमेरिकन पूँजीवाद से मोर्चा लेने के लिये २३ अक्टूबर १९४७ को बेलग्रेड में कोमिनफोर्म (Cominform) की स्थापना की। यह कम्युनिस्ट इन्फॉरमेशन ब्यूरो (साम्यवादी सूचना कार्यालय) का संक्षिप्त नाम है। इसके ९ साम्यवादी दल सदस्य हैं। ये दल निम्नलिखित देशों के हैं—रूस, पोलैण्ड, रूमानिया, हंगेरी, बलगेरिया, यूगोस्लाविया, जेकोस्लाविया, फ्रान्स व इटली। बाद में फिनलैण्ड का साम्यवादी दल इसका सदस्य बन गया और यूगोस्लाविया ने उससे अपना संबंध-विच्छेद कर लिया। वारसा में कोमिनफोर्म ने अपना जो घोषणा-पत्र स्वीकार किया है; उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि साम्राज्यवादी जनतंत्रीय शिविरों को अपना कार्य संगठित रूप में करना चाहिये और अमेरिकन साम्राज्यवाद तथा उसके मित्र ब्रिटेन व फ्रान्स तथा उनके दक्षिण-पंथी समाजवादियों के विरुद्ध एक सामान्य कार्यक्रम बना कर कार्य करना चाहिए। कोमिनफोर्म वास्तव में मार्शल योजना का सोवियत रूस ने

जवाब दिया है। रूस वास्तव में कामिन्टर्न (तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संघ) का नये रूप में पुनर्जीवन कर रहा है।

ब्रूसेल्स की संधि—दुनिया को दो भागों में विभाजित करने का कार्य केवल प्रचार तथा आर्थिक सहायता तक ही सीमित नहीं रहा; वरन् कूटनीति तथा सैनिक क्षेत्र में भी इसके परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे हैं। १७ मार्च १९४८ को ब्रूसेल्स में पाँच पश्चिमी राष्ट्रों के परराष्ट्र मंत्रियों ने (बेलजियम, फ्रान्स, लक्सेम्बर्ग, नीदरलैण्ड व ब्रिटेन) ५० वर्षों के लिये आर्थिक सहयोग तथा सैनिक सहायता के लिए संधि-पत्र पर हस्ताक्षर किये। अन्य राष्ट्र भी इसमें सम्मिलित किये जा सकेंगे। इस संधि-पत्र में यह शर्त है कि यदि इन राष्ट्रों में से किसी पर आक्रमण हुआ तो दूसरे सब राष्ट्र उसकी सहायता करेंगे।

बर्लिन का घेरा—सोवियत रूस तथा अमेरिका के बीच इतना अधिक संघर्ष बढ़ता गया कि जर्मनी पर नियंत्रण करनेवाले राष्ट्रों ने पोस्टडम (जर्मनी) में निश्चय किये गये उन सिद्धान्तों को ठुकरा दिया जिन्हें जर्मनी के सम्बन्ध में तय किया था। अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रान्स इन तीनों राष्ट्रों ने पश्चिमी जर्मन राष्ट्र के लिये एक योजना तैयार करने का उपक्रम किया। तीनों क्षेत्रों को मिला दिया गया। इन तीनों के लिये संयुक्त आर्थिक तथा शासन प्रबन्ध की योजना तैयार की और बोन में संविधान-परिषद् का चुनाव करके पश्चिमी जर्मनी का संविधान भी तैयार करा लिया। अब यह संविधान लागू भी हो गया है। अमेरिका ने अपने मिले हुए क्षेत्र में नवीन मुद्रा भी जारी कर दी। जर्मनी में सोवियत रूसी क्षेत्र ने बर्लिन का घेरा बना दिया और उसमें होकर अन्य तीनों क्षेत्रों को रास्ता नहीं दिया। इस प्रकार अमेरिका हवाई जहाजों से सामग्री लाने लगा। सोवियत क्षेत्र में नवीन मुद्रा भी प्रचलित कर दी गई। इससे संसारभर में बड़ी सनसनी फैल गई। लोग समझने लगे कि अब दोनों में युद्ध छिड़ जायगा। स्टालिन से मिलने के लिए ब्रिटेन व अमेरिका से दूत दौड़ने लगे। २९ सितम्बर १९४८ को ब्रिटेन, अमेरिका व फ्रान्स ने बर्लिन के घेरे का मामला संयुक्त राष्ट्रसंघ को सौंप दिया।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण परिषद्, सुरक्षा परिषद् तथा प्रधान-सचिव ने बर्लिन की समस्या के समाधान के लिये समझौते का प्रयत्न किया। इसका एक परिणाम यह निकला कि बर्लिन की मुद्रा की समस्या पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की गयी। इससे कोई हल नहीं हो सका। तब अप्रैल १९४९ में लेकसक्सेस (संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रधान कार्यालय) में सोवियत रूस

व अमेरिका के प्रतिनिधियों ने मिलकर इस प्रश्न पर विचार किया। इसके बाद ब्रिटेन व फ्रान्स के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। मई १९४९ में इसमें परस्पर समझौता हो गया और बर्लिन का घेरा तोड़ दिया गया। परराष्ट्र-सचिव परिषद की पेरिस में बैठक हुई। इस प्रकार १६ महीनों से जो गत्यावरोध जारी था, उसका अन्त हो गया।

उत्तरी अटलांटिक संधि—मार्शल-योजना पश्चिमी यूरोप के देशों के आर्थिक पुनरुद्धार की योजना थी। संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी यूरोप के लिये साम्यवाद से रक्षा-योजना के लिये उसे सैनिक सहायता देना चाहता था। इस उद्देश्य से ४ अप्रैल १९४९ को वाशिंगटन में उत्तरी अटलांटिक संधि पर निम्नलिखित राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किये; संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रान्स, इटली, नार्वे, नीदरलैण्ड, डेनमार्क, आइसलैण्ड तथा पुर्तगाल।

स्पेन को अभी इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है; किन्तु उसे भी इसमें सम्मिलित करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। इस संधि की भूमिका में इसके उद्देश्य निम्नप्रकार बतलाये हैं:—

संधि पर हस्ताक्षर करने वाले समस्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के सिद्धान्तों व प्रयोजनों में विश्वास रखते हैं और अभी इच्छा समस्त राष्ट्रों व सरकारों के साथ शान्तिपूर्वक रहने की है। वे दृढ़प्रतिज्ञ हैं कि अपने राष्ट्रों की स्वाधीनता, सामान्य देन तथा सभ्यता की रक्षा करेंगे; वे उत्तरी अंटलांटिक क्षेत्र में प्रजातंत्र के सिद्धान्तों, वैयक्तिक स्वतंत्रता और कल्याण की अभिवृद्धि के लिये कार्य करेंगे।…वे सुरक्षा व शान्ति रक्षा के लिये सामूहिक रूप से रक्षा करेंगे।"

इस संधि की धारा ३ में यह स्वीकार किया गया है कि ये सब राष्ट्र व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से सशस्त्र आक्रमण के प्रतिरोध के लिये प्रयत्न करेंगे।

धारा ४ में यह उल्लेख है कि यदि किसी एक राष्ट्र की स्वाधीनता के लिये कोई खतरा होगा, तो सब मिल कर विचार करेंगे।

धारा ५ में यह उल्लेख है कि यदि उत्तरी अटलांटिक के किसी राज्य पर आक्रमण किया गया, तो वह सब राष्ट्रों पर आक्रमण माना जायगा। ऐसे आक्रमण से रक्षा करने के लिये सब मिलकर सशस्त्र बल का प्रयोग करेंगे। इसकी सूचना संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-परिषद को दे दी जायगी।

इस प्रकार यह संधि सोवियत रूस के विरुद्ध एक सैनिक योजना है।

३१ मार्च १९४९ को सोवियत रूस की सरकार ने इस संधि का विरोध करते हुए इसके प्रति निम्नप्रकार आक्षेप किये—

(१) उत्तरी अटलांटिक संधि में रक्षात्मक कोई भी बात नहीं है। वह आक्रमणात्मक है और यह संधि सोवियत रूस के विरुद्ध की गयी है। यह बात इस संधि पर हस्ताक्षर करनेवाले राष्ट्रों के नेताओं के अपने वक्तव्यों से भी प्रकट है।

(२) यह संधि संयुक्त राष्ट्रसंघ के सिद्धान्तों व उद्देश्यों के विरुद्ध है। इससे विश्वशान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के स्थान पर विश्व में अशान्ति पैदा होगी।

(३) यह संधि सन् १९४२ में सोवियतसंघ व ब्रिटेन के बीच हुई संधि के विरुद्ध है।

यूरोप की कौंसिल—बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में दो विश्व-युद्ध हो चुके हैं और इन दोनों युद्धों का जन्म यूरोप में हुआ। अब यूरोप में तृतीय युद्ध की तैयारियाँ हो रही हैं। तृतीय युद्ध के अवरोध के लिये उत्तरी अटलांटिक संधि की गयी है। यूरोप के पश्चिमी राष्ट्रों को अमेरिका सैनिक अस्त्र-शस्त्रों की सहायता दे रहा है। किन्तु इससे क्या यूरोप में एकता हो सकेगी? आज से ४०० वर्ष पूर्व फ्रान्स के राजा के प्रधान-मंत्री सले ने सबसे पहले यह विचार रखा कि यूरोप में एकता होनी चाहिए। उसे एक राज्य का रूप दे दिया जाय। वह फ्रान्स के अधिपति के अधीन अखिल यूरोप का संगठन चाहता था। यूरोप के झगड़ों से तंग आकर अन्य लोगों ने भी इसी प्रकार यूरोपीय एकता के संबंध में विचार प्रकट किये। विलियम पेन, सेंट पियरे और रूसो ने भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किये। विक्टर ह्यूगो ने संयुक्त यूरोप की एक योजना तैयार की। इसके बाद भयंकर युद्ध हुए। सन् १९२२ में राष्ट्रपति विल्सन के आत्म-निर्णय के सन्देश को सुनकर यूरोपीय एकता की बात भूल गए। सन् १९२२ में हंगेरी के एक कुलीन-वर्गीय लेखक रिचार्ड कोडेनहोव कालेरगी ने पान-यूरोप नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें उसने यूरोप में संघ-राज्य की स्थापना के लिये योजना प्रस्तुत की। किन्तु उस समय फ्रान्स, जर्मनी, जेकोस्लोवाकिया आदि के नेताओं ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अनेक बार यूरोपीय एकता पर विचार किया गया किन्तु व्यर्थ। सन् १९३९ में यूरोप में युद्ध छिड़ गया। युद्ध-काल में चर्चिल ने यह प्रस्ताव रखा कि फ्रान्स तथा ब्रिटेन को मिल जाना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं हो सका।

सन् १९४५ में युद्ध समाप्त हो गया। उसी समय से चर्चिल सोवियत रूस के विरुद्ध आन्दोलन कर रहा है। वह यूरोप की एकता का पैगम्बर बनकर संसार में अशान्ति के बीज बो रहा है। किन्तु वास्तव में देखा जाय तो वह यूरोप की एकता नहीं चाहता, वरन् यूरोप को दो भागों में विभाजित करना चाहता है। इस प्रकार चर्चिल ने संयुक्त यूरोप के संबंध में जो आंदोलन खड़ा किया है उसका एकमात्र उद्देश्य है पश्चिमी यूरोप को सोवियत-रूस के विरुद्ध संगठित करना।

चर्चिल ने संयुक्त यूरोप आन्दोलन की स्थापना की और वह उसका अध्यक्ष बन गया। इस प्रकार से यूरोपीय एकता के लिये कई संस्थाएँ कार्य कर रहीं थीं।

ये संस्थाएँ निम्नप्रकार हैं :—

(१) संघवादियों का यूरोपीय संघ (European Union of Fedualists)।

(२) यूरोपीय सहयोग के लिये आर्थिक परिषद (Economic League for European Cooperation)।

(३) संयुक्त यूरोप के लिये फ्रेन्च कौंसिल।

(४) संयुक्त राज्य यूरोप के लिये समाजवादी आन्दोलन।

इन सब संस्थाओं ने मिलकर मई १९४८ को हेग में "यूरोप की कांग्रेस" आमंत्रित की। इसमें यूरोप के देशों के ८०० प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ब्रिटिश मजदूर सरकार ने इसमें भाग नहीं लिया और उसने यह प्रतिबंध लगा दिया कि मजदूर दल का कोई भी सदस्य इसमें भाग न ले। इस पर भी २५ मजदूर एम० पी० इसमें भाग लेने गये। इस कांग्रेस का उद्देश्य चर्चिल के संयुक्त यूरोप आन्दोलन को संगठित करना था।

इस कांग्रेस ने यूरोप के पश्चिमी राष्ट्रों की सरकारों से यह प्रार्थना की कि वे यूरोप की पार्लमेंट स्थापित करें। २५ अक्टूबर १९४८ को पेरिस में ब्रूसेल्स संधि करनेवाले राष्ट्रों के परराष्ट्र मंत्रियों को एक आवेदन पत्र इस संबंध में दिया गया। चर्चिल (ब्रिटेन), पाल हेनरी स्पाक (बेलजियम); ल्योन ब्लुम (फ्रांस), तथा गोस्पारी (इटली के प्रधान मंत्री) इस आन्दोलन के प्रमुख बन गये।

मई १९४९ में कौंसिल आफ यूरोप की स्थापना की गयी और लन्दन में इसका विधान १० राष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया। यूरोप की कौंसिल के अन्तर्गत दो संस्थाएँ हैं। एक है मंत्रियों की समिति और दूसरी है परामर्शदात्री परिषद।

पहली में १० राष्ट्रों की सरकारों के प्रतिनिधि हैं जो परस्पर परामर्श करते हैं। दूसरी में १० राष्ट्रों की पार्लमेंटों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं।

यूरोप की कौंसिल का उद्देश्य - "अपने सदस्यों के आदर्शों व सिद्धान्तों की रक्षा के लिये परस्पर अधिक एकता प्राप्त करना है; इस प्रकार उनकी आर्थिक व सामाजिक प्रगति हो सके।" परामर्शदात्री परिषद में १०१ सदस्य हैं। ये प्रायः सभी दलों के हैं। इनमें साम्यवादी नहीं हैं। फ्रान्स, ब्रिटेन व इटली के १६-१६ सदस्य हैं, तुर्की के ७ सदस्य, ग्रीस के ६ सदस्य और आइसलैण्ड के ३ सदस्य हैं।

यूरोप की कौंसिल ने सन् १९४९-५० के लिए ११०,००० पौंड का बजट स्वीकार किया। ब्रिटेन, फ्रांस व इटली ने ७५,००० पौंड चंदा दिया है। इसका प्रधान सचिव जेक्स इमिले पारिस है।

इस कौंसिल का प्रथम अधिवेशन स्ट्रासबोर्ग में हाल ही में समाप्त हुआ है। एक ब्रिटिश एम० पी० के अनुसार इस अधिवेशन में जो विचार-विमर्श हुआ, उससे तीन बातें स्पष्ट हैं :—

(१) यूरोप में आर्थिक संकट बड़े वेग से आ रहा है और उसका निवारण क्रान्तिकारी निर्णय द्वारा ही हो सकता है।

(२) ये आर्थिक निर्णय राजनीतिक सत्ताधारियों द्वारा, जिन्हें वास्तविक सत्ता प्राप्त है, हो सकते हैं।

(३) पश्चिमी यूरोप में लोकमत, विशेषतः ब्रिटेन का लोकमत, इन निर्णयों के लिये तैयार नहीं है।

पूर्वी यूरोप की आर्थिक परिषद् (The Council for Economic Mutual Assistance) :—मास्को में जनवरी १९४९ में बलगेरिया, हंगेरी, पोलैण्ड, रूमानिया, सोवियत रूस और जेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधियों का एक आर्थिक सम्मेलन हुआ। इस परिषद ने यह अनुभव किया कि अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों की सरकारों ने सोवियत रूस तथा पूर्वी जनतंत्रों का व्यापारिक बहिष्कार कर दिया है और उनके साथ अपना व्यापारिक सम्बन्ध विच्छेद कर दिया है ; क्योंकि ये देश 'मार्शल-योजना' को स्वीकार नहीं करते।

उक्त देशों के बीच आर्थिक सम्बन्ध को दृढ़ बनाने के लिये सम्मेलन ने पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद (The Council for Economic Mutual Assistance) की स्थापना की है। इसमें उक्त सभी देशों का

समान प्रतिनिधित्व होगा और इसका मुख्य उद्देश्य परस्पर औद्योगिक सहायता देना, कच्चा माल देना तथा खाद्य, रसद व यंत्रों आदि का आदान-प्रदान है। इस परिषद में इन देशों के अतिरिक्त अन्य देश भी सम्मिलित हो सकते हैं।

एशिया में क्रान्ति और स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय: द्वितीय युद्ध के उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण घटना है—एशिया में क्रान्ति और एशियायी राष्ट्रों की स्वाधीनता। एशियायी देशों पर शताब्दियों से यूरोपीय राष्ट्रों—ब्रिटेन, फ्रांस, डच का साम्राज्यवादी आधिपत्य था। युद्ध से पूर्व अकेला जापान ही स्वतन्त्र राज्य था। चीन पर भी ब्रिटिश तथा अमेरिका का आर्थिक साम्राज्य था। बर्मा, भारत, मलय पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी अधिकार था। हिन्द चीन पर फ्रान्स का अधिकार था। हिन्देशिया पर डच साम्राज्य का अधिकार था। अरब देशों पर भी फ्रेंच तथा अंग्रेजी आधिपत्य था। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम यह निकला कि उक्त समस्त साम्राज्यवादी राष्ट्र शक्तिहीन हो गये। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी गिर गयी कि वे एशिया के देशों में अपने सुविशाल साम्राज्यों को कायम रखने में असमर्थता का अनुभव करने लगे। यदि अमेरिका इनकी सहायता नहीं करता, तो इनकी संसार में क्या स्थिति होती! द्वितीय युद्ध में साम्राज्यवादी शक्तियों के दुर्बल हो जाने और एशियायी राष्ट्रों में स्वाधीनता के लिए प्रबल आन्दोलन तथा राष्ट्रीयता के विकास का यह परिणाम हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने एशिया के बड़े-बड़े साम्राज्यों का विनाश कर दिया। भारत को दो भागों में विभाजित किया गया और भारतीय संघ तथा पाकिस्तान दो स्वतन्त्र राज्य स्थापित किये गये। १५ अगस्त १९४७ को भारत तथा पाकिस्तान राज्य स्थापित हुए। सन् १९४८ के आरम्भ में बर्मा को भी स्वतन्त्रता दे दी गयी। बर्मा ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल के बाहर गणराज्य बन गया। इसी वर्ष लंका को भी स्वतन्त्रता दे दी गयी।

दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशों में भी स्वाधीनता के लिये संघर्ष होने लगा। हिन्देशिया में डचों ने स्वराज्य देने की प्रतिज्ञा करके भी उसे स्वराज्य नहीं दिया। तब हिन्देशियावासियों ने डचों के विरुद्ध विद्रोह ठाना। हिन्देशिया के प्रश्न को भारतीय सरकार ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के संमुख रखा और जनवरी १९४९ में नई दिल्ली में भारत के प्रधान-मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने एशियायी राष्ट्रों का सम्मेलन हिन्देशिया के प्रश्न पर विचार करने के लिये आमंत्रित किया। इससे अमेरिका व यूरोप के क्षेत्रों में यह समझा जाने लगा कि अब एशिया में एक नया आन्दोलन खड़ा होगा। इस प्रकार यह पाश्चात्य देशों

की प्रभुता के लिये एक गम्भीर चुनौती है। सुरक्षा-परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों ने हिन्देशिया की स्वाधीनता का समर्थन किया। १ जनवरी १९५० को हिन्देशिया को भी स्वाधीनता मिल गई। हिन्द-चीन पर फ्रेन्चों का आधिपत्य रहा है। एक बार उन्होंने वियतनाम (हिन्द-चीन) को स्वराज्य देने के लिये समझौता कर लिया। फिर उन्होंने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। अभी वियतनाम के भाग्य का निर्णय नहीं हुआ है। वियतनाम राष्ट्र ने अपनी स्वाधीनता के लिये वास्तव में भारी संघर्ष किया है।

मलय देश में अंग्रेजों ने विभाजन किया। सिंगापुर को पृथक् कर दिया और उसे पूर्णतः अंग्रेजी उपनिवेश बना दिया गया है। मलय में सुल्तानों तथा अंग्रेजों के हाथ में सत्ता है। कोरिया देश को दो भागों में विभाजित कर सोवियत रूस व अमेरिका उस पर अपना सैनिक आधिपत्य कायम किये रहे और अब प्रत्येक ने अपने-अपने क्षेत्र में नागरिक शासन की स्थापना कर दी है; परन्तु कोरिया देश की एकता अब भी संकट में है।

चीन को साम्यवादी दल ने अपने अधिकार में ले लिया है और पेपिंग में चीनी जनतंत्र शासन की स्थापना हो गई है। मार्शल च्यांगकाई शेक की कोमिन्टांग में पराजय हो गयी और वह चीन देश को त्याग कर फारमोसा द्वीप में पहुँच गया है। चीन के साम्यवादी शासन को ब्रिटेन, भारत व सोवियत रूस ने स्वीकार कर लिया है। किन्तु अमेरिका ने साम्यवादी शासन को स्वीकार नहीं किया।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि युद्धकाल में और युद्ध के बाद अमेरिका ने च्यांगकाई शेक की सरकार को साम्यवादियों को पराजित करने के लिये करोड़ों डालर की सहायता दी। अपनी सेनाएँ वहाँ लड़ने भेजीं तथा अस्त्र-शस्त्र भेजकर भी सहायता की; किन्तु अमेरिकन डालर नवीन चीन के अभ्युदय को रोक न सके।

जापान पर अभी तक अमेरिका का सैनिक नियंत्रण है। जनरल मैक-आर्थर वहाँ के सर्वोच्च सैनिक अधिकारी हैं, जो वहाँ के नागरिक शासन पर नियंत्रण रखते हैं। सन् १९४६ में जापान का नवीन शासन विधान बनाया गया। उसी के अनुसार वहाँ शासन प्रबन्ध होता है। किन्तु अभी तक जापान के साथ मित्र राष्ट्रों की संधि नहीं हुई है।

अरब देशों को भी स्वाधीनता मिल गई। सीरिया, लेबनान, ट्रान्सजोर्डन, ईराक, फिलस्तीन स्वतन्त्र राष्ट्र हो गये हैं। फिलस्तीन का भी दो भागों में

विभाजन हो गया है। एक भाग यहूदी राज्य है, दूसरा अरब राज्य। जेरूसलम को अन्तर्राष्ट्रीय नगर बना दिया गया है।

इस प्रकार हम यह देखते हैं कि एशिया के प्रायः सभी देश स्वतन्त्र हो गये हैं। अभी मलय देश और सिंगापुर पर अंग्रेजों का अधिकार है। इसी प्रकार हिन्दचीन और हिन्देशिया पर फ्रान्स तथा डचों की छाया है, यद्यपि उन्हें स्वतन्त्रता दे दी गयी है।

एशिया और 'असैनिक युद्ध'—एशिया के ये राष्ट्र स्वतंत्र हो गये हैं। किन्तु ये सभी देश आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े हैं और इस कारण अब भी साम्राज्यवादी राष्ट्रों की दृष्टि इन हाल में स्वतंत्र हुए देशों पर है। १९४९ के मध्य में अमेरिका की सरकार ने एक श्वेतपत्र प्रकाशित कर चीन के सम्बन्ध में अपन नीति स्पष्ट कर दी। अमेरिका ने यह घोषणा कर दी कि चीन पर साम्य वादी राज्य स्थापित हो जायगा। किन्तु अमेरिका चीन के बाहर एशिया के दूसरे देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकेगा। अमेरिका के परराष्ट्र-मंत्री एचेसन ने सोवियत रूस तथा चीन की साम्यवादी सरकार को चेतावनी देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है—

"एक बात स्पष्ट है। यदि चीन में साम्यवादी शासन ने सोवियत रूसी साम्राज्यवाद के उद्देश्यों को मान लिया और चीन के पड़ोसी राष्ट्रों पर आक्रमण करने का प्रयास किया तो हमारे तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के दूसरे सदस्यों के सामने ऐसी स्थिति उपस्थित होगी कि जिसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ के सिद्धान्तों तथा विश्व सुरक्षा व शान्ति के लिये खतरा पैदा हो जायगा।" अमेरिकन मन्त्री ने साम्यवादी चीन के प्रजातंत्रीय दलों से यह आग्रह किया है कि वे विद्रोह करें और मास्को के विदेशी आधिपत्य का खात्मा कर दें। उसने यह भी प्रतिज्ञा की है कि वह चीन में उन सब शक्तियों को सहायता देगा जो साम्यवादी शासन को उलट देंगी।

अमेरिका की यूरोप के सम्बन्ध में क्या नीति है, इस पर विचार किया जा चुका है। अब हमें एशिया के सम्बन्ध में अमेरिका की नीति पर विचार करना है। जब से चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई है (अगस्त १९४९) तब से अमेरिका ने एशिया के राष्ट्रों में दिलचस्पी लेना आरम्भ कर दिया है। अक्टूबर-नवम्बर १९४९ में भारत के प्रधान-मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति ट्रूमन के निमंत्रण पर अमेरिका की यात्रा की और इस यात्रा-काल में उन्होंने वहाँ की संस्थाओं, नेता, राजनीतिज्ञों के समक्ष जो वक्तव्य आदि दिये

हैं, उनके कारण भी अमेरिका में एशिया और विशेषतः भारत के प्रति बड़ी रुचि बढ़ गई है। इस समय हम एशिया के सम्बन्ध में अमेरिकन नीति तथा यूरोपीय राष्ट्रों की नीति के सम्बन्ध में निम्नलिखित उल्लेखनीय बातें देखते हैं—

एक ओर यूरोप के साम्राज्यवादी राष्ट्र एशिया के देशों पर से अपना राजनीतिक आधिपत्य शिथिल करते जा रहे हैं और एशियायी राष्ट्रों की राजनीतिक स्वाधीनता स्वीकार करते जा रहे हैं। दूसरी ओर वे ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि एशियायी राष्ट्र उनके राजनीतिक गुट में बने रहें। अभी इन साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने पूर्ण रूप से अपनी साम्राज्य लिप्सा का परित्याग नहीं किया है।

इस समय दुनिया दो गुटों में विभाजित है। एक गुट में अमेरिका ब्रिटेन के नेतृत्व में उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के देश, पश्चिमी यूरोप के देश, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड आदि हैं। इस गुट के अधीन संसार के अधिक देश हैं। दूसरा गुट सोवियत रूस का है। सोवियत रूस के गुट में पौलैण्ड, हंगेरी, जेकोस्लोवाकिया, रूमानिया, बलगेरिया, अलबानिया तथा साम्यवादी चीन हैं।

इन दोनों गुटों में परस्पर असैनिक युद्ध (Cold War) छिड़ा हुआ है; ये दोनों गुट प्रत्येक क्षेत्र में परस्पर संघर्ष करते हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ इन दोनों के वाक्-युद्ध का अखाड़ा बना हुआ है और संसार की कोई अन्तर्राष्ट्रीय समिति या सम्मेलन ऐसा नहीं है, जिसमें इन दोनों गुटों में झगड़ा न होता हो। प्रत्येक गुट युद्ध की तैयारियां कर रहा है। इनमें न व्यापारिक संबंध है और न वाणिज्य आदि का संपर्क।

इस गुटबन्दी में भारत तटस्थ है। भारतीय प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका यात्रा के समय यह स्पष्ट कर दिया कि दुनिया के दो गुटों में विभाजित हो जाने से संसार में शान्ति की स्थापना नहीं हो सकेगी। इसलिए भारत किसी भी गुट में सम्मिलित होना नहीं चाहता। नेहरू जी ने यह भी कहा कि अमेरिका को चाहिए कि वह किसी एशियायी राष्ट्र को गुट में शामिल होने के लिये बाध्य न करे। किन्तु प्रश्न यह है कि भारत की इस तटस्थता की नीति के व्यवहार में क्या परिणाम निकलेंगे। जिस समय तृतीय युद्ध होगा, उस समय भारत की यह तटस्थ नीति कैसे स्थिर रह सकेगी इसमें सन्देह है।

इस समय एशिया की राजनीति में एक और धारा देख पड़ती है। अमेरिका तथा ब्रिटेन एशिया पर आर्थिक आधिपत्य की स्थापना करने के लिये प्रयत्न कर

रहे हैं और एशिया आर्थिक दृष्टि से अ-उन्नत है। इसलिये यह संभव है कि एशियायी राष्ट्र इसका स्वागत करेंगे।

राष्ट्रमण्डल परराष्ट्रमंत्रि-सम्मेलन : इस समय एशिया की आर्थिक स्थिति पर अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ और राष्ट्रमण्डल तीनों का ध्यान जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन्हें यह भय है कि यदि एशियायी राष्ट्रों का आर्थिक पुनरुद्धार नहीं हुआ, तो इन पर साम्यवाद का प्रभाव पड़ने में देर नहीं लगेगी। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े देशों में ही साम्यवाद का प्रभाव देख पड़ता है। जनवरी १९५० के आरम्भ में लंका की राजधानी कोलम्बो में राष्ट्रमण्डल के देशों के परराष्ट्र-मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में यूरोप, मध्य-पूर्व-एशिया की राजनीतिक स्थिति पर विचार किया गया १४ जनवरी १९५० को सम्मेलन की समाप्ति पर जो विज्ञप्ति प्रकाशित की है उसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि—

"कोलम्बो का यह सम्मेलन राष्ट्रमण्डल के परराष्ट्र मंत्रियों का पहला सम्मेलन है। यह वास्तव में उपयुक्त सिद्ध हुआ है कि वैदेशिक मामलों पर विचार करने के लिए लंका में यह अधिवेशन हुआ है। चूँकि यद्यपि विश्व की समस्याएँ अविभाज्य हैं, एशिया इस समय हित का मुख्य केंद्र-विन्दु बना हुआ है और यह आवश्यक महत्व का क्षेत्र है।"

"यह स्वीकार किया गया कि इस क्षेत्र में हाल में जो नवीन घटनाओं के विचार के फलस्वरूप नयी स्थितियाँ पैदा हो गयी हैं, उनमें प्रगति मुख्य तथा आर्थिक अवस्थाओं के सुधारने पर निर्भर है।"

इस सम्मेलन में विचार विनिमय के फलस्वरूप यह निश्चय किया गया कि इस विषय में आगे कार्य करने के लिये राष्ट्रमण्डल के देशों की एक परामर्श-दात्री समिति स्थापित की जाय। इसकी प्रथम बैठक आस्ट्रेलिया में होगी। इसी सम्मेलन में बर्मा को आर्थिक सहायता देने का भी निश्चय किया गया।

बैंकाक सम्मेलन—१३ व १४ फरवरी १९५० को बैंकाक में दक्षिणी पूर्वी एशिया में आर्थिक सहायता के कार्यक्रम के संबंध में राष्ट्रमण्डल के देशों तथा अमेरिका के बीच संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से एक सम्मेलन हुआ। इसमें १७ अमेरिकन राजदूतों तथा एशियायी देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि लंका सम्मेलन में जो आर्थिक सहायता के लिये कार्य क्रम निश्चय किया गया है, वही ठीक है। इस सम्मेलन में यह भी निश्चय किया गया कि ट्रूमन की योजना के अंतर्गत पिछड़े प्रदेशों को किस

प्रकार की आर्थिक सहायता दी जायगी। इसी समय अमेरिका के राजदूत डा० फिलिप जोसफ एशियायी राष्ट्रों में दौरा करके स्वदेश गये हैं। उन्होंने एशियायी देशों को आर्थिक सहायता देने का वचन दिया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के उप-परराष्ट्र-मंत्री जार्ज मैकघी ने न्यूयार्क में व्यापार तथा वाणिज्य सुदूर-पूर्वी अमेरिकन परिषद के समक्ष ३१ जनवरी १६५० को अपने भाषण में कहा :—

"दक्षिणी एशिया की आर्थिक विकास की इच्छा और अमेरिकन पूंजी की उत्पादन की इच्छा समानान्तर है।"

"अमेरिकी पूंजी की इच्छा किसी विदेशी देश पर आधिपत्य जमाने की नहीं है; इसके विपरीत हमारे पूंजीपति सामाजिक उद्देश्यों तथा विदेशों के कानून के अनुसार कार्य करते हैं। यदि वे कानून इतने प्रतिबंधकारी हैं, तो वे यह समझ लेते हैं कि उन देशों को पूंजी की आवश्यकता नहीं है और वहाँ से वे कूच कर जाते हैं।"

ब्रिटेन तथा अमेरिका के बीच संघर्ष—द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति इतनी शोचनीय हो गयी कि उसे अमेरिका का पलड़ा पकड़ना पड़ा। प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व और उसके बाद भी विश्व राजनीति की कुंजी ब्रिटेन के हाथ में थी। वह संसार में सबसे महान पूँजीपति राष्ट्र माना जाता था। सैनिक दृष्टि से भी वह महान् था। किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध में उसकी गौरव-हानि हो गई।

उसे स्थिति से विवश होकर अमेरिका का नेतृत्व मानना पड़ा और यूरोप में सोवियत प्रभाव को सीमित करने के लिये उसे स्वयं मार्शल योजना स्वीकार करनी पड़ी।

इसके बाद अटलांटिक संधि में भी सम्मिलित होना पड़ा, किन्तु वह अपने गौरव की पुनः प्रतिष्ठा के लिये अब राष्ट्रमण्डल को अधिक गौरव का स्थान देकर राष्ट्रमण्डल के देशों का नेतृत्व करना चाहता है। अटलांटिक संधि के अन्तर्गत ब्रिटिश अमेरिकन सैनिक संधि करनी पड़ेगी। ४ नवम्बर १६४९ को इस संधि का प्रारूप लन्दन में भेज दिया गया। कुछ दिन हुए वाशिंगटन में ब्रिटिश राजदूत ने यह कहा कि ब्रिटेन इस संबंध में कोई वार्त्ता नहीं करेगा। कुछ करोड़ डालर के मूल्य के अस्त्रशस्त्रों के बदले में ब्रिटेन को यह कहा गया है कि वह अपने यहाँ अमेरिकन सैनिक मिशन को आने दे, वह सैनिक निरीक्षण

करेगा; ब्रिटेन को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि इन हथियारों का प्रयोग यूरोप से बाहर नहीं किया जायगा। और अमेरिकन वायुयान सेना के ७००० सैनिकों को स्थायी रूप से इंगलैण्ड में रखा जायगा। उनका खर्चा इंगलैण्ड के सिर पड़ेगा। साम्यवादी चीन को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यह अमेरिकन विरोध के बावजूद किया गया। अमेरिका इससे बड़ा लज्जित तथा क्रुद्ध भी है कि उसकी नीति चीन में विफल रही और अब वह उस शासन को कैसे स्वीकार करे जिसके विनाश के लिये उसने अरबों डालर स्वाहा कर दिये। व्यापार-वाणिज्य के प्रश्नों पर इन दोनों देशों में मतभेद है। फिलस्तीन में तेल के सम्बन्ध में इन दोनों के स्वार्थों में संघर्ष है। ब्रिटेन का ईराक पर प्रभाव है और अमेरिका का सीरिया पर। इस प्रकार ब्रिटेन की नीति यह है कि इन दोनों देशों में मेल न हो।

अफ्रीका में जातिवाद का अभिशाप—दक्षिणी अफ्रीका यूनियन में डा० मलान की सरकार है। दक्षिणी अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों व पाकिस्तानियों की बड़ी दुर्दशा है। उन्हें वहाँ न नागरिकता के अधिकार हैं और न उनके साथ मनुष्य का सा व्यवहार किया जाता है।

प्रवासी भारतीयों की दुर्दशा के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्रसंघ में सन् १९४६ में श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने उठाया था। किन्तु अफ्रीका यूनियन सरकार राष्ट्रसंघ की उपेक्षा करती रही है। अन्त में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि पाकिस्तान, भारत तथा यूनियन सरकार की एक गोलमेज परिषद हो। इसकी पहली बैठक अभी समाप्त हुई है।

पाकिस्तान और भारत के सम्बन्ध—पाकिस्तान तथा भारत के व्यापारिक, राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध पाकिस्तान के जन्म के समय से ही बड़े स्पर्द्धापूर्ण रहे हैं। १५ अगस्त १९४७ को पाकिस्तान का जन्म हुआ। सितम्बर में पंजाब, सिंध, बिलोचिस्तान तथा सीमाप्रांत में भयानक साम्प्रदायिक उपद्रव हुए, जिनके कारण ९० लाख व्यक्तियों का पश्चिमी पाकिस्तान तथा भारत के बीच परिवर्तन किया गया। लाखों हिन्दू नरनारी मारे गये; करोड़ों की सम्पत्ति लूट ली गयी और हजारों स्त्रियाँ अपहृत की गयीं। इसी प्रकार मुसलमानों का भी वध किया गया और उनकी सम्पत्ति भी नष्ट की गयी। यह विवाद शान्त नहीं हुआ था कि काश्मीर में पाकिस्तान सरकार ने अफरीदियों को भेजकर उनसे वहाँ लूट-मार करायी। बाद में पाकिस्तान ने स्वयं काश्मीर में प्रवेश कर युद्ध करना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार काश्मीर के प्रश्न पर भारत तथा पाकिस्तान

सरकार का विवाद आज तक तय नहीं हो सका। व्यापारिक समझौतों को भी पाकिस्तान ने तोड़ दिया है।

गत १० फर्वरी १९५० से पूर्वी पाकिस्तान (बंगाल) में मुसलमान हिन्दुओं को लूट रहे हैं; उनकी हत्या कर रहे हैं। इस प्रकार २५ लाख व्यक्ति पूर्वी बंगाल छोड़ कर भारत में आ गये हैं।

अणुबम तथा हाइड्रोजनबम—अमेरिका के पास अणुबम हैं और वह उन्हें बनाने में अरबों रुपये व्यय कर रहा है। उसे विश्वास था कि इसके भेद को सोवियत रूस नहीं जानता। किन्तु सन् १९४९ में अमेरिका को यह पता लग गया कि रूस ने भी अणुबम बना लिये हैं।

अतः, अब ट्रूमैन ने यह घोषणा की है कि अमेरिका अणुबम से भी अधिक भयानक बम, हाइड्रोजन बम बना रहा है। किन्तु सत्यता यह है कि भयानक से भयानक अस्त्रों के निर्माण करने से संसार में शान्ति स्थापित नहीं हो सकेगी।

———

अध्याय ४

विश्व की आर्थिक स्थिति

द्वितीय विश्वयुद्ध का घातक और नाशकारी प्रभाव संसार के प्रायः सभी देशों पर पड़ा। जिन देशों ने युद्ध में भाग लिया उनका आर्थिक जीवन तो अस्तव्यस्त हो ही गया और दूसरे तटस्थ देशों की स्थिति भी बहुत ही शोचनीय हो गयी। केवल एक ही ऐसा देश बचा जिसकी आर्थिक स्थिति युद्ध के कारण पहले की अपेक्षा कहीं अधिक समृद्धिशाली हो गयी।

आर्थिक पृष्ठ-भूमि

युद्ध का भीषण दुष्प्रभाव प्रत्येक विग्रही देश के उद्योग-वाणिज्य, यातायात तथा कृषि पर पड़ा। युद्ध-काल में कारखानों आदि में मशीनें बहुत काम करने के कारण बिगड़ गईं और इस प्रकार युद्धोपरान्त नवीन मशीनों का उत्पादन कम होने से उद्योग-धन्धे की अवस्था बड़ी शोचनीय हो गयी। जनता की उत्पादन-शक्ति का भी ह्रास हो गया; खाद्यान्नों की न्यूनता तथा युद्ध में औद्योगिक शक्ति के अधिक प्रयोग के कारण अनेक समस्याएँ खड़ी हो गयीं। प्रत्येक देश में मुद्रा-स्फीति हो जाने से वस्तुओं की कीमतें अत्यधिक बढ़ गईं। यह दशा अधिक उत्पादन करने वाले तथा पिछड़े या कम उत्पादन करने वाले दोनों प्रकार के देशों में हो गयी। उत्पादन की न्यूनता के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ गयीं और इसके साथ साथ उद्योगपति माल जमा करने लगे तथा उसे चोर बाजार में बेच कर मालामाल होने लगे।

इस प्रकार संसार के देशों के समक्ष सब से महान समस्या उत्पादन में वृद्धि की थी। इसके लिये कोयला, लोहा तथा खाद्यान्न—यह अत्यन्त आवश्यक थे। इन तीन के बिना औद्योगिक प्रगति अथवा मानव-जीवन का अस्तित्व संभव नहीं। मानव-शक्ति खाद्यान्न पर ही निर्भर है और कल-कारखाने तथा मशीनें लोहा व कोयला के बिना चल नहीं सकते। इन सब से ऊपर पूँजी की बड़ी आवश्यकता थी।

कोयला—यूरोप में युद्ध के फलस्वरूप कोयला की कमी हो गयी। युद्ध से

पूर्व यूरोप में कोयला पर्याप्त था और उसकी आवश्यकताओं के लिए बाहर से कोयला मँगाने की आवश्यकता नहीं थी।

जर्मनी, ब्रिटेन और पोलैण्ड—ये तीन देश युद्ध से पूर्व यूरोप के कुल कोयला उत्पादन का ८०% भाग पैदा करते थे। किन्तु सन् १६४७ में समस्त यूरोप (रूस को छोड़) युद्ध से पूर्व कोयला उत्पादन का ८४% भाग ही पैदा कर सका। इस कमी को पूरा करने के लिए उसे अमेरिका से कोयला मांगना पड़ा। भारत में सन् १६३८ में २३ करोड़ टन कोयला पैदा होता था। युद्ध काल में २ करोड़ ९५ लाख टन कोयला पैदा हुआ। सन् १९४७ में इस उत्पादन में १०००,००० टन की कमी हो गयी।

इस्पात—यूरोप के देशों में इस्पात की न्यूनता भी औद्योगिक विकास में बाधक रही है। युद्ध से पूर्व यूरोप में संसार के इस्पात उत्पादन का ४०% भाग पैदा होता था। सन् १६३७ में यूरोप में ५ करोड़ ६० लाख टन इस्पात पैदा हुआ (इसमें रूस का १ करोड़ ८ लाख टन इस्पात शामिल नहीं है।) किन्तु युद्ध के बाद १९४७ में ३ करोड़ ५० लाख टन (रूस को छोड़) इस्पात ही पैदा हुआ। युद्ध से पूर्व यूरोप की आवश्यकता ३ करोड़ २० लाख टन इस्पात से पूरी हो जाती थी।

जो देश युद्ध के कारण नष्ट हो गये हैं, उनमें मशीनों की बड़ी आवश्यकता है।

श्रमिकों की समस्या—संसार के अनेकों भागों में श्रमिकों की भी न्यूनता है। आज की दुनिया में श्रमिकों की समस्या ने बड़ा महत्व प्राप्त कर लिया है। युद्ध-काल में सब लोगों को रोजगार मिलता रहा। युद्ध के बाद भी साल दो साल तक रोजगार अच्छा रहा। किन्तु बाद में बेकारी फैल गयी। अनेक देशों में, जैसे भारत में, दक्ष श्रमिकों की न्यूनता औद्योगिक विकास में बाधक बनी हुई है।

यातायात—युद्ध-काल में यातायात के साधनों को भारी क्षति पहुँची! यूरोप के देशों में ३० प्रतिशत जलयानों की कमी हो गयी। मोटरें भी अधिक संख्या में नष्ट हो गयीं। १५% रेल-इंजिन नष्ट हो गये। ४० प्रतिशत बिगड़ गये; ६००००० वैगन नष्ट हो गये। हजारों मील रेल लाइन, छोटे बड़े स्टेशन, रेल-कारखाने तथा पुल आदि नष्ट हो गये। चीन, फिलिपाइन्स, बर्मा, मलय, हिन्देशिया में भी रेल यातायात को क्षति पहुँची।

खाद्यान्न—युद्धोपरान्त खाद्यान्न की स्थिति अधिक संकटपूर्ण हो गयी। गत दस वर्षों में दुनिया में १७३ करोड़ की जन-वृद्धि हुई है। खाद्य की कमी प्रायः संसार के अधिकांश देशों में है।

खाद्य की कमी के प्रमुख कारण हैं : खाद की कमी, मशीनों की कमी, यूरोप में कृषि-श्रमिकों की कमी। युद्ध काल में खेती के जानवरों का भी बड़ा विनाश हुआ है और ट्रैक्टरों तथा हलों का भी नाश हुआ है।

व्यापार तथा वाणिज्य : युद्ध से पूर्व संसार के देशों में व्यापार वाणिज्य बड़े सरल ढंग से होता था। दक्षिणी अमेरिका के देश संयुक्त राज्य अमेरिका से माल मंगाते थे। वे अपने आयात माल की कीमत देने के लिये यूरोप के देशों को निर्यात माल भेजते थे। एशिया के देश यूरोप व अमेरिका से तैयार माल मंगाते थे और उसके परिवर्तन में वे कच्चा माल उन्हें भेजते थे। यूरोप में कुछ देश जहाजरानी बीमा तथा अन्य साधनों से पर्याप्त आय प्राप्त कर लेते थे। युद्ध ने यह सब व्यवस्था नष्ट कर दी।

संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक स्थिति

वर्तमान् विश्व की आर्थिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विश्व-युद्ध के समय जहां अन्य देशों में आर्थिक संकट पैदा हुए वहां अमेरिका में अत्यधिक आर्थिक समृद्धि हुई है। युद्ध-काल में संयुक्त राज्य अमेरिका के उद्योगों में ५०% की वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन में ८०% की वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन में ३६% की वृद्धि हुई है। अमेरिका का राष्ट्रीय सम्पूर्ण उत्पादन सन् १९३५–३७ में ८४५ अरब डालर मूल्य का था। सन् १९४७ में यह बढ़कर २३६० डालर हो गया। अमेरिका के उद्योगों में सन् १९३९ में साप्ताहिक वेतन २३ ८६ डालर था (७२ रुपये साप्ताहिक वेतन); जून १९४७ में ४८ ९१ डालर हो गया (१३७ रुपये साप्ताहिक)। मकान तथा भूमि के लगानों से आय तिगुनी हो गयी; कंपनियों व कारखानों के मुनाफे पांच गुने बढ़ गये। (४८ अरब डालर से बढ़कर २३५ अरब डालर हो गयी।)

संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिक उत्पादन

सन् १९३९–जून से अगस्त १९४७
(१९३५ = १००) उत्पादन

सन्	कुल औद्योगिक उत्पादन	टिकाऊ	साधारण	खनिज
१९३९	१०९	१०९	१०९	१०६
१९४४	२३५	३५३	१७१	१४०
१९४६	१७०	१९२	१६५	१३४
१९४७ (जून से अगस्त)	१८१	२११	१६८	१४८

अमेरिका में कृषि-उत्पादन में, कृषकों की संख्या में कमी होने पर भी वृद्धि हुई है। सन् १९३९ में ९५ लाख कृषक काम करते थे। सन् १९४६ में ८३ लाख किसान काम करते थे। किन्तु कृषि-उत्पादन में १०% की वृद्धि हुई। कृषि में मशीनों का प्रयोग अधिक किया गया; कृषि के तरीकों में सुधार किया गया और मौसम भी अच्छा रहा।

अमेरिका का निर्यात व्यापार भी सन् १९३७ से बढ़ गया और आयात माल में और भी कमी हो गयी।

अमेरिका तथा विश्व-उत्पादन

	अमेरिका में	शेष दुनियाँ में
१—कोयला, पेट्रोल, विद्युत	१३८	१००
२—कोयला	१३३	८१
३—विद्युत	२११	१३८
४—कच्चा लोहा	१४२	६१
५—इस्पात	१४७	६५
६—तांबा	१०३	९६

चीन सम्मिलित नहीं है। सोवियत रूस के अंक भी नहीं हैं।

अन्य देशों की आर्थिक सहायता—सन् १९४५ में युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद अमेरिका ने विविध देशों को १ जुलाई १९४५ से ३० सितम्बर १९४७ तक १३४० करोड़ डालर ऋणों के रूप में दिये। इनमें से ७९० करोड़ डालर नकद तथा सम्पत्ति की साख के रूप में थे और ५५० करोड़ डालर सहायता के रूप में दिये गये, जिनकी अदायगी नहीं की जायगी।

१ अक्टूबर १९४७ तक अमेरिका ने विदेशों को १६,९० करोड़ डालर ऋण व सहायता के रूप में दिये।

अमेरिका में वस्तुओं के मूल्य—अमेरिका में उत्पादन में जो वृद्धि हुई है और उद्योगपतियों ने जो लाभ प्राप्त किया है, उसका यह तात्पर्य नहीं कि यह सब नोटों की वृद्धि या वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप हुआ है।

अमेरिका में अन्य देशों की अपेक्षा वस्तुओं के मूल्यों में अधिक वृद्धि नहीं हुई है।

वस्तुओं के मूल्य का मान

(१९३९ = १००)

वस्तु	सन् १९४६	सन् १९४७
१—सब प्रकार की वस्तुएँ	१३२·०	१५६·४
२—वस्त्र	१५५·८	१८५·२
३—खाद्य	१४३·३	१८८·७
४—कोयला, विद्युत और बर्फ	११०·४	११७·९
५—गृह का फरनीचर	१५३·६	१८२·३
६—भाड़ा; किराया (मकानों का)	१०८·५	१०९·२
७—यातायात, चिकित्सा, मनोरंजन आदि	१२७·३	१३६·१

सबसे अधिक वृद्धि खाद्यान्न में हुई है। मांस के दाम ५५·८ प्रतिशत बढ़ गये। इस वृद्धि का कारण यह है कि पहले सरकार किसानों को जो आर्थिक सहायता देती थी, वह बन्द कर दी गयी; गृहों में भी खाद्य की माँग राशन बन्द हो जाने से अधिक बढ़ गयी और विदेशों से भी खाद्य की माँग अधिक होने लगी। खाद्यों के मूल्य बढ़ जाने से श्रमिकों ने वेतन वृद्धि की माँग की और श्रमिकों के वेतनों में वृद्धि हो जाने से अन्य तैयार माल की कीमतें भी बढ़ गयीं।

यूरोप की आर्थिक अवस्था

ब्रिटेन : यूरोप के देशों में ब्रिटेन का स्थान महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन (ब्रिटिश) राष्ट्रमण्डल के देशों का नेता है और आर्थिक नीति की कुंजी भी उसके हाथ में है। स्टर्लिंग क्षेत्र के व्यापार-वाणिज्य की स्थिति ब्रिटेन पर निर्भर है। स्टर्लिंग क्षेत्र में ब्रिटेन तथा राष्ट्रमण्डल के समस्त राष्ट्र, आइसलैण्ड, ईराक आदि सम्मिलित हैं। किंतु आज की स्थिति में ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति अमेरिका पर निर्भर है। द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व ब्रिटेन का ४२% निर्यात स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों को जाता था और उनसे ३१·५% आयात प्राप्त होता था। ब्रिटेन मुख्यतः तैयार माल भेजता था और कच्चे व खाद्यान्न प्राप्त करता था। विदेशों में

ब्रिटेन की ४०० करोड़ पौंड की पूँजी लगी हुई थी। ब्रिटेन कोयला तथा इस्पात भी पर्याप्त मात्रा में बाहर भेजता था। युद्ध के कारण ब्रिटेन जो संसार में सबका महाजन था, ऋणी देश बन गया। जून १९४५ तक ब्रिटेन ने विदेशों में लगी अपनी पूँजी व सम्पत्ति १११ करोड़ ८० लाख पौंड में बेच दी। सन् १९३९ में ब्रिटेन के पास ८६ करोड़ ४० लाख पौंड का सोना व डालर थे। ये कम होकर ४५ करोड़ ३० लाख के रह गये। सन् १९३८ में ब्रिटेन पर विदेशों का ७६ करोड़ पौंड ऋण था। यह युद्ध के बाद २७९ करोड़ ५० लाख पौंड हो गया।

युद्ध से पहले जो निर्यात था उसका ४१% ही रह गया। विदेशों में अंग्रेजों की जो पूँजी लगी हुई थी उससे आमदनी घटकर सन् १९४७ में ५ करोड़ १० लाख पौंड रह गई।

सन् १९३८ में ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय ४६० करोड़ पौंड थी। उस समय जनसंख्या ४७,६००,००० थी। इस प्रकार औसत प्रति व्यक्ति आय ९६ पौंड थी। यहाँ हम एक तालिका देते हैं जिससे सन् १९३८ व १९४६ में राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में ज्ञान हो जायगा।

ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय के साधन

आय के साधन	सन् १९३८ करोड़ पौंड	कुल का प्रति शत	सन् १९४६ करोड़ पौंड	कुल का प्रति शत
(१) (मजदूरी)	१७८·५	३७·६	२८४·०	३३·५
(२) वेतन	११०·०	२३·९	१५८·५	१८·७
(३) सेना के वेतन व भत्ते	७·८	१·७	१२२·८	१४·५
(४) भूमि व भवनों के लगान भाड़े	३८·०	८·२	३८·५	४·५
(५) व्याज, मुनाफे तथा व्यावसायिक आय	१३१·७	२८६	२४४·५	२·८८
	४६१·०	१००	८४८·३	१००

ब्रिटेन सन् १९३८ में खाद्य-पेय तथा तमाखू आदि दूसरे देशों से, ४०३,०००,००० पौंड के मँगाता था। इसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है—

	पौंड में
(१) मांस तथा खाद्य के लिये पशु	९२,७००,०००
(२) अन्न तथा आटा	५७,८००,०००
(३) मक्खन व पनीर	५५,८००,०००
(४) मक्का तथा अन्य खाद्य	२६,६००,०००
(५) ताजे फल	२५,८००,०००
(६) चाय	२४,३००,०००
(७) अंडे	१३,५००,०००
(८) सूखे फल	१२,५००,०००
(९) ताजी सब्जी	९,६००,०००
(१०) मछली	९,४००,०००
(११) शराब	७,२००,०००
(१२) तेल तथा घृत	५,८००,०००
(१३) कोको व काफी	५,२००,०००
(१४) दूध	३,०००,०००
	४०३,०००,०००

इस प्रकार ब्रिटेन युद्ध से पूर्व विदेशों से ५ अरब ३७ करोड़ पौंड से भी अधिक की खाद्य-सामग्री खरीदता था।

युद्ध से पूर्व ब्रिटेन अपनी आवश्यकता का एक पाँचवाँ भाग गेहूँ अपने देश में पैदा करता था। मांस की आधे भाग की अपने देश से पूर्ति करता था। दूध, पनीर तथा मक्खन $\frac{1}{3}$ पैदा करता था और $\frac{1}{4}$ चीनी। आलू ही केवल एक ऐसा खाद्य था जो ब्रिटेन में पर्याप्त पैदा होता था।

फ्रान्स—द्वितीय युद्ध में फ्रान्स का आर्थिक विनाश बड़े भयंकर रूप में हुआ। उसकी क्षति का अनुमान २१० अरब डालर का किया गया है। २६०० सहस्र टन जहाजों में से केवल १,२०० सहस्र टन जहाज ही रह गये। खाद्य युद्ध से पूर्व की अपेक्षा ६०% रह गया; इस प्रकार फ्रान्स में जहाँ खाद्य पर्याप्त मात्रा में मिलता था वहाँ खाद्य ४०% कम हो गया।

फ्रान्स की मुख्य पैदावार

(हजार मैट्रिक टनों में)

अन्न	सन् १६३०-९	सन् १६४६	सन् १६४७	युद्ध से पूर्व का प्रतिशत
गेहूँ	८,०५०	६,७५९	३,२७५	४०
राई	७८८	४६२	३७४	४७
ओट	४,७४६	३,७७०	२,७७०	५८
जौ	१,१०४	१,०६३	१,१११	१०१
आलू	१६,९३२	१२,५४२	१२,५४०	७४
चुकन्दर	६,११७	६,६२६	६,६००	७६

इस प्रकार फ्रान्स का कृषि उत्पादन युद्ध पूर्व से बहुत कम है। फ्रान्स ने औद्योगिक उत्पादन में कृषि की अपेक्षा अधिक प्रगति की। युद्ध से पूर्व की अवस्था को वह प्राप्त हो गया। इस्पात उद्योग ७३% तक पहुँच गया।

सितम्बर १६४७ में फ्रान्स के विविध उद्योगों की प्रगति निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है—

फ्रान्स की औद्योगिक प्रगति

उद्योग	सितम्बर १६४७
गैस	१३८
भवन निर्माण	१३०
विद्युत	१२६
ग्लास	१२३
खनिज	११७
तमाखू	११६
रबड़	११३

उद्योग	सितम्बर १९४७
रसायन	१११
धातुओं के उद्योग	१०४
केमिक	१०४
ईंट, सीमेंट आदि	१०४
वस्त्र	९३
कोयला	९२
कागज	८३
छपाई	७५
चमड़ा	६३
तेल	५४

युद्ध से पूर्व फ्रांस विदेशों से जो माल मँगाता था उसका ६०% भाग कच्चा माल था, जैसे कोयला, कोक, पेट्रोल, वस्त्र। २५% भाग खाद्यान्न का होता था। १५% तैयार माल मँगाता था। युद्ध के बाद फ्रांस ३०% तैयार माल मँगाने लगा। इनमें रेल के इंजिन तथा कृषि की मशीनें शामिल हैं। सन् १९४७ में फ्रांस को १४०२९ सहस्त्र टन कोयला अमेरिका से मँगाना पड़ा।

सन् १९४७ में फ्रांस ने ११६ करोड़ डालर के मूल्य की वस्तुएँ विदेशों को भेजीं। इससे जो माल बाहर से मँगाया उसका ६१% मूल्य अदा कर दिया। फ्रांस को बाहर से जो माल मँगाना पड़ता है उसके लिये उसके पास पर्यात डालर नहीं है और दूसरे देश से उत्पादन भी पर्यात नहीं है। इन कारणों से युद्ध के बाद वहाँ वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सन् १९४५ में वहाँ चीजें ३·७ गुनी महँगी थीं। १९४६ में युद्ध से पूर्व की अपेक्षा ८·५ गुनी महँगी हो गईं; सन् १९४७ में ६·० गुनी हो गईं।

नीदरलैण्ड, बेलजियम व लक्सेमबर्ग

इन देशों में औद्योगिक व कृषि संबंधी विकास पर्यात हुआ है। युद्ध से पूर्व इन देशों में, यूरोप में, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति खाद्य का उपभोग करता था। सन् १९४७ तक इन देशों ने खाद्य के संबंध में युद्ध से पूर्व की स्थिति प्राप्त कर ली। नीदरलैण्ड और बेलजियम युद्ध से पूर्व जर्मनी से व्यापार करते थे। व्यापार भी इनका चढ़ा-बढ़ा था। बेलजियम प्रधान औद्योगिक देश है और

नीदरलैण्ड कृषि प्रधान है। बेलजियम में मुख्य चीजें निम्नलिखित हैं, जिन्हें वह विदेशों में भेजता है—लोहा-इस्पात, तांबा, पीतल, खाद, फ्लेक्स, रूई, ऊन, चमड़ा, हीरा। किन्तु वह इन वस्तुओं के लिये कच्चा माल बाहर से मँगाता है। बेलजियम को खाद्यान्न भी मँगाने पड़ते हैं।

युद्ध से पूर्व बेलजियम विदेशों से जो माल मँगाता था, उसका ९०% मूल्य अपने तैयार माल भेजकर अदा करता था। १०% का जो अन्तर होता था उसे अपने जहाजों के भाड़े से पूरा कर देता था। नीदरलैण्ड का निर्यात व्यापार घाटे का था। उसे अन्य साधनों से उसकी पूर्ति करनी पड़ती थी।

ये दोनों देश युद्ध के बाद अमेरिका से अधिक माल मँगाने लगे हैं। इसलिये इनके पास डालरों की कमी है। सन् १९४७ में बेलजियम ने जो निर्यात व्यापार किया उससे आयात व्यापार ३७ करोड़ ४० लाख डालर अधिक था।

सन् १९४७ में बेलजियम का व्यापार
(१० लाख डालरों में)

आयात		निर्यात	
आयात वस्तुएँ—		निर्यात वस्तुएँ—	११४० डालर
खाद्य पदार्थ	४२० डालर	दूसरी प्राप्तियाँ	१३० ,,
अन्य उपभोग्य पदार्थ	३८३ ,,		
कृषि रसद	७१ ,,		
कोयला तथा पेट्रोल	२४२ ,,		
कच्चा माल	४२४ ,,	कमी	३७० ,,
दूसरी अदायगी	१०० ,,		
	१६४० डालर		१६४० डालर

नीदरलैण्ड का आयात व्यापार १७३९ लाख डालरों का था और निर्यात ८४५ लाख डालर कम था। युद्ध में बेलजियम के उद्योगों व कृषि को २० अरब डालर की क्षति पहुँची। किन्तु दोनों देशों ने उद्योग क्षेत्र में युद्ध से पूर्व की अपेक्षा ६०% प्रगति कर ली है और कृषि में ८०%।

स्केन्डीनेविया और आइसलैण्ड—स्वीडेन, नार्वे, डेनमार्क, फिनलैण्ड और आइसलैण्ड यूरोप के उत्तरी देश हैं। ये सब कृषि प्रधान हैं। इनकी

अर्थनीति में जहाजरानी का मुख्य स्थान है। फिनलैण्ड, नार्वे व स्वीडेन में कच्चे लोहे की खानें हैं। यहाँ कोयला व पेट्रोल का अभाव है; किन्तु यहाँ जल-शक्ति की प्रचुरता है, जिससे विद्युत तैयार की जा सकती है। इन देशों में उत्पादन युद्ध के पूर्व की अपेक्षा अधिक है। युद्ध के बाद से कीमतें भी स्थिर रही हैं। युद्ध से पहले ये देश ब्रिटेन व जर्मनी से व्यापार करते थे। अतः युद्ध के बाद अब ये देश परस्पर व्यापार करते हैं। बेलजियम व फ्रांस के साथ भी ये व्यापार करते हैं। फिनलैण्ड युद्ध के बाद रूस से अधिक व्यापार करने लगा। आइसलैण्ड भी ब्रिटेन जेकोस्लोवाकिया व रूस के साथ व्यापार करता है।

स्वीडन औद्योगिक दृष्टि से सब से आगे है। युद्ध के पूर्व की अपेक्षा यहाँ औद्योगिक प्रगति १२६% रही है। यहाँ सबसे अधिक निर्यात लकड़ी का होता है। कागज व कागज की वस्तुओं का दूसरा स्थान है। कच्चा लोहा भी बाहर भेजा जाता है। स्वीडन की जहाजरानी में १२० टन प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यहाँ युद्ध से पूर्व विद्युत का जितना उत्पादन था उससे सन् १९४८ में १८५% अधिक हो गया।

नार्वे का जहाजी बेड़ा युद्ध से पूर्व यूरोप में दूसरा स्थान रखता था। नार्वे को आयात से जो आय होती थी उसका ३६% जहाजरानी से मिलता था। जून १९४७ तक जहाजरानी की स्थिति ७६% हो गयी है। सन् १९५१ तक वह युद्ध से पूर्व की स्थिति प्राप्त कर लेगा।

डेनमार्क की उत्पादन शक्ति को कोई क्षति नहीं पहुँची है। किन्तु युद्ध के बाद डेनमार्क का कृषि उत्पादन और निर्यात युद्ध पूर्व की अपेक्षा कम रहा और १९४६ में व्यापार में घाटा रहा।

फिनलैण्ड की अर्थनीति पर युद्ध का घातक प्रभाव पड़ा। सन् १९४६-४७ में फिनलैण्ड में खाद्यान्न का उत्पादन युद्ध से पूर्व की अपेक्षा ५७% ही हुआ। मांस का उत्पादन भी ७०% तक होता है। सन् १९४७ में औद्योगिक उत्पादन सन् १९३७ की अपेक्षा २०% कम था।

आइसलैण्ड ही एक ऐसा देश है जिसके सामने कोई उत्पादन की समस्या नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा निर्यात मछली का है। यह निर्यात व्यापार का ९० प्रतिशत है। शेष चमड़ा आदि का व्यापार है। मछली का व्यापार युद्ध-पूर्व की अपेक्षा उन्नत है। युद्ध से पहले १६३,००० टन मछलियाँ विदेशों में भेजी जाती थीं। सन् १९५१ तक ४७०,००० टन मछलियाँ भेजी जायँगी।

स्विटजरलैंड—यह बड़े परिश्रमी श्रमजीवियों तथा मध्य-वर्गीय व्यापारियों का देश है। इसकी अर्थनीति बहुत ही अच्छी स्थिति में है। यूरोप के देशों में इस देश का जीवनस्तर सर्वोच्च है। यह चारो ओर पर्वतमाला से आवृत है और सदैव से तटस्थ देश रहा है। इसलिये युद्ध में इसे कोई क्षति नहीं पहुँची। इसका आयात कम हो गया है। इसलिये वस्तुओं के दाम बढ़ गये हैं। इसकी राष्ट्रीय आय युद्ध से पूर्व के स्तर के बराबर ही है। यहाँ गेहूँ के उपयोग में २०% की कमी हो गई है। किन्तु यहाँ का भोजन-मान यूरोप के देशों में सबसे बढ़कर है।

स्विटज़रलैण्ड की जीविका का प्रधान स्रोत व्यापार है। वह आयात व निर्यात दोनों व्यापार करता है। सन् १९४६ में उसे १७ करोड़ २० लाख डालर का व्यापार में घाटा रहा। इसकी पूर्ति वह यात्रियों, बीमा तथा विदेशों में पूँजी लगाकर कर लेता है। स्विटज़रलैण्ड में सोना काफी है, इसी कारण से उसकी विनिमय स्थिति बहुत ही मजबूत है। दिसम्बर १९३८ में स्विटज़रलैण्ड में ६५ करोड़ ५३ लाख डालर का सोना था। जुलाई १९४७ में यह बढ़कर ११९ करोड़ ३० लाख डालर का हो गया। स्विटज़रलैण्ड दूसरे देशों को ऋण देता है। उसने मार्शल-योजना के अन्तर्गत अमेरिका से आर्थिक सहायता भी नहीं ली है।

जेकोस्लोवाकिया—यह मध्य यूरोप का एक देश है। प्राकृतिक तथा औद्योगिक दोनों दृष्टियों से इसकी भूमि बहुत ही मूल्यवान है। ४० प्रतिशत जनता अपनी जीविका कृषि व वनों से प्राप्त करती है। यहाँ के मुख्य उद्योग खनिज, लोहा, इस्पात, इञ्जीनियरी, रसायन, लकड़ी का काम, ईंटें, सीमेंट, ग्लास, कपड़ा, चमड़ा, कागज, बिजली, गैस तथा जल है। यद्यपि युद्ध के कारण प्रत्यक्ष हानि कम हुई; किन्तु व्यापर का माध्यम मिट जाने तथा जर्मनों द्वारा मानव-शक्ति के विनाश से इसकी आर्थिक स्थिति पर घातक प्रभाव पड़ा। सन् १९३८ में इसकी जो राष्ट्रीय आय थी, वह १९४६ में ७५% रह गयी। सन् १९४६-४७ में खाद्यान्न का उत्पादन युद्ध से पूर्व की अपेक्षा ६७% ही रहा। चिकनाई का उत्पादन ५५% तथा माँस का उत्पादन ७१% रहा।

युद्ध की समाप्ति पर यहाँ युद्ध से पूर्व की अपेक्षा वस्तुओं के मूल्य १५० प्रतिशत बढ़े थे। किन्तु बाद में ३००% तक बढ़ गये। युद्ध से पहले जेकोस्लोवाकिया जर्मनी तथा अमेरिका से व्यापार करता था किन्तु बाद में यह घट गया। अब वह पोलैण्ड, यूगोस्लाविया तथा बलगेरिया के साथ व्यापारिक संधियां करके निर्यात व्यापार करता है।

यूगोस्लाविया—यह देश यूरोप के देशों में सबसे अधिक पिछड़ा है। यहाँ ताँबा, क्रोम, शीशा और जस्ता की पर्याप्त खानें हैं। यहाँ कोयला नहीं है। परन्तु पेट्रोल यहाँ की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। यूगोस्लाविया में युद्ध के कारण यातायात के साधनों को पर्याप्त क्षति पहुँची। यहाँ ७६% रेल के इंजिन नष्ट हो गये; ८४% मोटरकारें नष्ट हो गयीं; समस्त पुल नष्ट हो गये।

२८ अप्रेल १९४७ को यूगोस्लाविया की पार्लमेंट ने एक पंच-वर्षीय योजना स्वीकार की है। इसके अनुसार राष्ट्रीय आय का २७·३% भाग महान उद्योगों के विकास के लिये व्यय किया जायगा।

पोलैण्ड—पोलैण्ड की युद्ध में हर प्रकार की क्षति हुई है। उसके भवन, सरकारी कार्यालय, सड़कें तथा यातायात के साधनों को भारी क्षति पहुँची है। पोलैण्ड में ३०% रेलवे लाइनें, ७०% बड़े पुल, ४२% रेल के इंजिन, ६८% माल गाड़ियाँ, सर्वथा नष्ट हो गईं। पोलैण्ड में आलू मुख्य खाद्य है। सन् १९४५ में उसका उत्पादन सन् १६३८ के उत्पादन का ४१% था। सन् १९४५ में औद्योगिक उत्पादन भी ५०% रहा। पोलैण्ड में १९३८ में ६ करोड़ ९० लाख टन कोयले का उत्पादन था। सन् १६४६ में ४ करोड़ ७३ लाख टन ही रह गया। स्टील का उत्पादन भी ८६% रह गया। पोलैण्ड के निर्यात व्यापार को भी क्षति पहुँची है।

पोलैण्ड ने सन् १९४७ में ७६ करोड़ ४० लाख डालर का माल विदेशों से मँगाया और अपने यहाँ से २९ करोड़ ४० लाख डालर का माल बाहर भेजा।

पोलैण्ड को जर्मनी से ३९,००० वर्गमील का प्रदेश मिल गया है। इससे उसके कोयले में ७६% की वृद्धि हो गई है, शीशा व जस्ता में १४७% की वृद्धि हो गयी है तथा नये कोक की ११ मशीनें मिल गई हैं। कई खानों पर भी उसका अधिकार हो गया है।

इटली—इटली की स्वाधीनता के बाद से वहाँ आर्थिक पुनरुद्धार बड़ी तीव्र गति से हुआ है। किन्तु अभी तक इटली की ऐसी स्थिति नहीं है कि जिससे वहाँ की बेकारी दूर हो जाय और ऐसा व्यापार व वाणिज्य हो कि जिससे वह सम्पन्न देश बन जाय। सितम्बर १६४७ में उसका औद्योगिक उत्पादन सन् १६३९ के स्तर से २७% कम था। इसका कारण है वहां कच्चे माल की कमी। अन्न का उत्पादन भी ३२% कम था। युद्ध से पूर्व भी इटली अपनी आवश्यकता का ⅓

खाद्यान्न विदेशों से मँगाता था। ६० प्रतिशत कोयला व पेट्रोल भी विदेशों से आता था। इटली का आयात व्यापार निर्यात की अपेक्षा सदैव कम रहा है। सन् १९२९ से १९३८ तक प्रति वर्ष औसतन २५ करोड़ ३० लाख डालर का व्यापार में घाटा रहा। युद्ध के बाद तो इटली की व्यापारिक स्थिति और भी कठिन हो गयी; उसे युद्ध से पहले जो बाजार व्यापार के लिये प्राप्त थे वे बाद में नहीं रहे और अब तो वह अमेरिका से ही माल मँगाता है और वही उसका बाजार भी है। इटली के उपनिवेश भी उससे ले लिये गये। इससे भी उसके व्यापार पर प्रभाव पड़ा है। सन् १९३८ में इटली का २७% आयात जर्मनी से होता था और वह १९% निर्यात जर्मनी के साथ करता था। सन् १९४६ में यह कम होकर ०.५% तथा १.०% ही रह गया। सन् १९४६ में अमेरिका ने ६०% माल इटली को दिया और उससे १८% माल लिया। सन् १९४७ में इटली को व्यापार में ८७ करोड़ ७० लाख डालर का घाटा रहा।

इटली में मूल्य नियंत्रण की समुचित व्यवस्था न होने तथा मुद्रा-स्फीति होने के कारण जुलाई १९४७ में वस्तुओं की कीमतें सन् १९३९ की अपेक्षा ५८ गुनी अधिक हो गयीं।

इटली के समक्ष सबसे महान समस्या जनसंख्या की है। उसके बाद खाद्यान्न, औद्योगिक कच्चे माल और पूंजी की भी समस्याएँ हैं। इटली में सन् १९४५ की अपेक्षा १९४७ में बेकारों की संख्या बढ़ गई और उस समय वहां २,०००,००० व्यक्ति बेकार थे। यह तो सरकारी आँकड़े हैं। वास्तव में वहां बेकारी इससे भी अधिक है। अनुमान है कि इटली में ३,०००,००० व्यक्ति बेकार हैं।

यूनान—युद्ध में इस देश को भारी क्षति पहुँची है। क्योंकि यह युद्ध का मोर्चा रहा। युद्ध के बाद पुनरुद्धार में गृह-युद्ध के कारण बड़ी बाधा पड़ी। युद्ध से पूर्व भी इस देश का जीवन-स्तर बहुत नीचा था। यहां गेंहू, तमाखू, किशमिश, मुनक्के, ताजे फलों व ताजी सब्जी का उत्पादन होता है। औद्योगिक उत्पादन युद्ध से पूर्व की अपेक्षा ७५% ही हो सका है।

यहाँ के मुख्य उद्योग रसायन, चमड़ा, धातु, कागज, छपाई, लकड़ी का काम, तमाखू, वस्त्र-व्यवसाय आदि हैं। युद्ध से पूर्व यूनान को अपने जीवन-निर्वाह की अधिकांश सामग्री बाहर से मँगानी पड़ती थी। खाद्यान्न का $\frac{1}{3}$ भाग बाहर से आता था। कोयला, पेट्रोल तथा मशीनें भी बाहर से आती थीं। लोहा, स्टील, चीनी, ऊन आदि वह भी बाहर से मँगाता था। ये सब वस्तुएँ वह रूमानिया, जेकोस्लोवाकिया, इङ्गलैण्ड तथा अमेरिका से मँगाता था। यूनान का निर्यात व्यापार भी घाटे का है।

यूगोस्लाविया—यह देश यूरोप के देशों में सबसे अधिक पिछड़ा है। यहाँ ताँबा, क्रोम, शीशा और जस्ता की पर्याप्त खानें हैं। यहाँ कोयला नहीं है। परन्तु पेट्रोल यहाँ की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। यूगोस्लाविया में युद्ध के कारण यातायात के साधनों को पर्याप्त क्षति पहुँची। यहाँ ७६% रेल के इंजिन नष्ट हो गये; ८४% मोटरकारें नष्ट हो गयीं; समस्त पुल नष्ट हो गये।

२८ अप्रेल १९४७ को यूगोस्लाविया की पार्लमेंट ने एक पंच-वर्षीय योजना स्वीकार की है। इसके अनुसार राष्ट्रीय आय का २७·३% भाग महान उद्योगों के विकास के लिये व्यय किया जायगा।

पोलैण्ड—पोलैण्ड की युद्ध में हर प्रकार की क्षति हुई है। उसके भवन, सरकारी कार्यालय, सड़कें तथा यातायात के साधनों को भारी क्षति पहुँची है। पोलैण्ड में ३०% रेलवे लाइनें, ७०% बड़े पुल, ४२% रेल के इंजिन, ६८% माल गाड़ियाँ, सर्वथा नष्ट हो गईं। पोलैण्ड में आलू मुख्य खाद्य है। सन् १९४५ में उसका उत्पादन सन् १९३८ के उत्पादन का ४१% था। सन् १९४५ में औद्योगिक उत्पादन भी ५०% रहा। पोलैण्ड में १९३८ में ६ करोड़ ९० लाख टन कोयले का उत्पादन था। सन् १९४६ में ४ करोड़ ७३ लाख टन ही रह गया। स्टील का उत्पादन भी ८६% रह गया। पोलैण्ड के निर्यात व्यापार को भी क्षति पहुँची है।

पोलैण्ड ने सन् १९४७ में ७६ करोड़ ४० लाख डालर का माल विदेशों से मँगाया और अपने यहाँ से २९ करोड़ ४० लाख डालर का माल बाहर भेजा।

पोलैण्ड को जर्मनी से ३९,००० वर्गमील का प्रदेश मिल गया है। इससे उसके कोयले में ७६% की वृद्धि हो गई है, शीशा व जस्ता में १४७% की वृद्धि हो गयी है तथा नये कोक की ११ मशीनें मिल गई हैं। कई खानों पर भी उसका अधिकार हो गया है।

इटली—इटली की स्वाधीनता के बाद से वहाँ आर्थिक पुनरुद्धार बड़ी तीव्र गति से हुआ है। किन्तु अभी तक इटली की ऐसी स्थिति नहीं है कि जिससे वहाँ की बेकारी दूर हो जाय और ऐसा व्यापार व वाणिज्य हो कि जिससे वह सम्पन्न देश बन जाय। सितम्बर १९४७ में उसका औद्योगिक उत्पादन सन् १९३९ के स्तर से २७% कम था। इसका कारण है वहाँ कच्चे माल की कमी। अन्न का उत्पादन भी ३२% कम था। युद्ध से पूर्व भी इटली अपनी आवश्यकता का $\frac{3}{4}$

खाद्यान्न विदेशों से मँगाता था। ६० प्रतिशत कोयला व पेट्रोल भी विदेशों से आता था। इटली का आयात व्यापार निर्यात की अपेक्षा सदैव कम रहा है। सन् १९२९ से १९३८ तक प्रति वर्ष औसतन २५ करोड़ ३० लाख डालर का व्यापार में घाटा रहा। युद्ध के बाद तो इटली की व्यापारिक स्थिति और भी कठिन हो गयी; उसे युद्ध से पहले जो बाजार व्यापार के लिये प्राप्त थे वे बाद में नहीं रहे और अब तो वह अमेरिका से ही माल मँगाता है और वही उसका बाजार भी है। इटली के उपनिवेश भी उससे ले लिये गये। इससे भी उसके व्यापार पर प्रभाव पड़ा है। सन् १९३८ में इटली का २७% आयात जर्मनी से होता था और वह १९% निर्यात जर्मनी के साथ करता था। सन् १९४६ में यह कम होकर ०.५% तथा १.०% ही रह गया। सन् १९४६ में अमेरिका ने ६०% माल इटली को दिया और उससे १८% माल लिया। सन् १९४७ में इटली को व्यापार में ८७ करोड़ ७० लाख डालर का घाटा रहा।

इटली में मूल्य नियंत्रण की समुचित व्यवस्था न होने तथा मुद्रा-स्फीति होने के कारण जुलाई १९४७ में वस्तुओं की कीमतें सन् १९३९ की अपेक्षा ५८ गुनी अधिक हो गयीं।

इटली के समक्ष सबसे महान समस्या जनसंख्या की है। उसके बाद खाद्यान्न, औद्योगिक कच्चे माल और पूंजी की भी समस्याएँ हैं। इटली में सन् १९४५ की अपेक्षा १९४७ में बेकारों की संख्या बढ़ गई और उस समय वहां २,०००,००० व्यक्ति बेकार थे। यह तो सरकारी आँकड़े हैं। वास्तव में वहां बेकारी इससे भी अधिक है। अनुमान है कि इटली में ३,०००,००० व्यक्ति बेकार हैं।

यूनान—युद्ध में इस देश को भारी क्षति पहुँची है। क्योंकि यह युद्ध का मोर्चा रहा। युद्ध के बाद पुनरुद्धार में गृह-युद्ध के कारण बड़ी बाधा पड़ी। युद्ध से पूर्व भी इस देश का जीवन-स्तर बहुत नीचा था। यहां गेंहू, तमाखू, किशमिश, मुनक्के, ताजे फलों व ताजी सब्जी का उत्पादन होता है। औद्योगिक उत्पादन युद्ध से पूर्व की अपेक्षा ७५% ही हो सका है।

यहाँ के मुख्य उद्योग रसायन, चमड़ा, धातु, कागज, छपाई, लकड़ी का काम, तमाखू, वस्त्र-व्यवसाय आदि हैं। युद्ध से पूर्व यूनान को अपने जीवन-निर्वाह की अधिकांश सामग्री बाहर से मँगानी पड़ती थी। खाद्यान्न का $\frac{1}{3}$ भाग बाहर से आता था। कोयला, पेट्रोल तथा मशीनें भी बाहर से आती थीं। लोहा, स्टील, चीनी, ऊन आदि वह भी बाहर से मँगाता था। ये सब वस्तुएँ वह रूमानिया, जेकोस्लोवाकिया, इङ्गलैण्ड तथा अमेरिका से मँगाता था। यूनान का निर्यात व्यापार भी घाटे का है।

ब्रिटिश सरकार, अमेरिका तथा संयुक्त राष्ट्रीय पुनरुद्धार व सहायता व्यवस्था के अधीन सन् १६४७ तक यूनान को ७५ करोड़ डालरों की सहायता मिल चुकी थी। मई १९४७ में अमेरिका ने ३० करोड़ डालर की सहायता देना स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त यूनान को संयुक्त राष्ट्रीय पुनरुद्धार व सहायता व्यवस्था से पर्याप्त सहायता मिल रही है। जो सहायता अमेरिका ने दी है, उसका ५७·५% भाग सैनिक आवश्यकताओं के लिये है ; ४१·०% आर्थिक कार्यक्रम के लिये है। यूनान में मुद्रा-स्फीति की समस्या भी बड़ी विकट है और वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ रही हैं। इसका कारण यह है कि वहाँ सैनिक व्यय अनाप-सनाप हो रहा है। यूनान का सिक्का ड्राचमा है। इसका विनिमय मूल्य युद्ध के बाद बड़े आश्चर्यजनक ढंग से गिरता जा रहा है। नवम्बर १९४६ में ड्राचमा-डालर का अनुपात १५० : १ था। जून १६४५ में यह विनिमय दर ५०० : १ हो गयी। जनवरी १९४६ में एक डालर का मूल्य ५००० ड्राचमा हो गया। अब इसका मूल्य ८,५०० ड्राचमा है।

स्पेन और पुर्तगाल—इन दोनों देशों में अनेक बातों में समानताएँ हैं। दोनों देश पठार हैं। कृषि यहाँ का मुख्य उद्योग है। यूरोप में यहाँ के लोगों का जीवन-स्तर सब से नीचा है। प्रति व्यक्ति औसत आय भी बहुत कम है। युद्ध के बाद पुर्तगाल की आर्थिक स्थिति में महान अन्तर हो गया है। पुर्तगाल संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य है। वह पश्चिमी यूरोप की राजनीति में भी सक्रिय भाग लेता है। यही नहीं युद्ध के बाद उसने अपनी आर्थिक स्थिरता प्राप्त कर ली है। उसकी औद्योगिक स्थिति युद्ध-पूर्व के समान है। उसके पास सोना भी पर्याप्त है। स्पेन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाया गया है। वह अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भाग नहीं ले सकता। क्योंकि वह फैसिस्ट राज्य है। वहाँ जनरल फ्रांको का अधिनायक तंत्र है। कृषि उत्पादन विशेषतः गेहूँ का उत्पादन सन् १९४६ व १९४७ में क्रमशः ९३% तथा ७३% तक पहुँच गया। औद्योगिक उत्पादन में भी वह प्रगति कर रहा है।

जर्मनी—सन् १९३७-३८ में जर्मनी में समस्त यूरोप (रूस को छोड़) के कोयला उत्पादन का ४०·२ प्रतिशत तथा इस्पात उत्पादन का ३४·४ प्रतिशत था। इनके अतिरिक्त जर्मनी में ये उद्योग भी थे—अलमोनियम, रसायन, मोटरकारें, मशीनें, यंत्र, व्यापारिक जलयान, सीमेंट, शीशा, तांबा, जस्ता और लकड़ी का गुद्दा। जर्मनी समस्त यूरोप ही नहीं दुनिया के देशों को तैयार माल भेजता था और वह बालकन तथा पूर्वी यूरोप के देशों से कृषि उत्पादन मंगाता था। आज

जर्मनी का विश्वव्यापार में कोई भी स्थान नहीं है। समस्त साइलेशिया और प्रशा का अधिक भाग पोलैण्ड में मिला दिया गया है। पूर्वी प्रशा का एक भाग सोवियत रूस में मिला दिया गया है। जर्मनी तथा उसकी राजधानी को चार क्षेत्रों में विभाजित कर उस पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स तथा रूस का सैनिक नियंत्रण है। सोवियत रूस के क्षेत्र में कृषि की प्रधानता है। उत्तरी पश्चिमी भाग ब्रिटेन के अधिकार में है। यहाँ कोयले की खानें हैं और यह जर्मनी का औद्योगिक केन्द्र है। रूर इसी क्षेत्र में है। दक्षिणी-पश्चिमी भाग अमेरिका के नियंत्रण में है। यहाँ कृषि तथा छोटे उद्योग-धंधे होते हैं। फ्रेन्च क्षेत्र भी ऐसा ही है। सार प्रधान औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ कोयले की खाने हैं और लोहे, रसायन तथा ग्लास की मिलें हैं।

मुद्रा सुधार के बाद पश्चिम जर्मनी की औद्योगिक प्रगति विशेष रूप से हुई है। अमेरिकन क्षेत्र में सन् १९३७ के उत्पादन की तुलना में १९४७ में ५०% था। ब्रिटिश क्षेत्र में ३७% था। फ्रेन्च क्षेत्र में (सार को छोड़) सन् १९३८ की तुलना में १९४६ में उत्पादन ३३% था। कोयले का उत्पादन ६२% है। इस्पात के उत्पादन की स्थिति भी ऐसी ही है।

पश्चिमी जर्मनी में खाद्य उत्पादन कम होता है। वह पूर्वी जर्मनी के कृषि उत्पादन तथा विदेशों के आयात पर निर्भर रहता था। किन्तु चार क्षेत्रों में विभाजन के कारण जर्मनी के समक्ष सबसे विकट समस्या खाद्यान्न की है। नगरों की जनता को आज युद्ध से पूर्व की अपेक्षा ¾ खाद्यान्न से अपनी आवश्यकता पूरी करनी पड़ती है।

सरकारी वेतन तथा मूल्यों में कम वृद्धि हुई है। किन्तु धन का विनिमय साधन के रूप में महत्व एक बड़ी सीमा तक नष्ट हो गया है। वस्तुओं के स्वामी अपनी वस्तुओं को वस्तुओं से विनिमय कर लेते हैं।

जर्मनी में बेकारी भी बढ़ती जा रही है। यह निम्नलिखित तालिका से प्रकट हो जायगा :—

बेकारों की संख्या

नवम्बर १९४८	—	७०१,०००
जनवरी १९४९	—	९३८,०००
फर्वरी १९४९	—	१,००१,०००
मई १९४९	—	१,२१५,६८२

इस अवधि में २००,००० शरणार्थी पश्चिमी जर्मनी में आये।

रोजगारियों की संख्या

मार्च १६४८	—	१७,२०८,०००
दिसंबर १९४८	—	१७,६६१,०००
मार्च १९४९	—	१७,४०९,०००

आस्ट्रिया—आस्ट्रिया की जनसंख्या ७० लाख है। यह एक छोटा-सा देश है किन्तु इसका महत्व अधिक है। यह डेन्यूब नदी के किनारे पर है। यह नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। आस्ट्रिया पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोप की श्रृंखला है। इस पर भी चारों मित्र राष्ट्रों का सैनिक नियंत्रण है। यहाँ शासन व्यवस्था आस्ट्रियावासियों के हाथ में है; किन्तु इन पर चारों राष्ट्रों का नियंत्रण है।

यहाँ की आर्थिक स्थिति भी बड़ी शोचनीय है। पहले यह जर्मनी पर निर्भर था। अब इसका उससे सम्बन्ध टूट चुका है। देश को चार क्षेत्रों में बाँट देने से भी इसकी व्यवस्था ठीक नहीं रही है। अप्रेल १६४५ से जनवरी १९४७ तक अमेरिका, ब्रिटेन तथा संयुक्त राष्ट्रीय पुनर्वास व सहायता व्यवस्था की ओर से आस्ट्रिया को २८ करोड़ १० लाख डालर सहायता तथा ऋण मिला है। आस्ट्रिया में आयात इतना कम है कि जिससे जनता का भरण-पोषण हो सकता है; किन्तु पुनर्निर्माण का कार्य नहीं हो सकता। सन् १९४५ में आस्ट्रिया का औद्योगिक उत्पादन सन् १६३६ की अपेक्षा २५% था। सन् १६४७ तक यह ५०% हो गया। युद्ध से पूर्व कृषि उत्पादन इतना था कि देश की ७०% आवश्यकता पूरी हो जाती थी; किन्तु सन् १६४७ में यह उत्पादन पूर्व की अपेक्षा ५०% और ६०% के बीच में था।

आस्ट्रिया में मुद्रा-स्फित की समस्या भी बड़ी विकट है और वहाँ चोर बाजार भी व्यापक है। चोर-बाजार में वस्तुओं का मूल्य १०० गुना अधिक है।

विद्युत के उत्पादन में देश ने बहुत प्रगति की है। सन् १९३७ की अपेक्षा १९४७ में १७० प्रतिशत अधिक विद्युत का उत्पादन हुआ। साधारण लोहा व इस्पात का उत्पादन भी सन् १९३७ की अपेक्षा बढ़ा हुआ है। यह आशा की जाती है कि सन् १९५१–५२ में आस्ट्रिया की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जायगी।

मध्य-पूर्व की आर्थिक स्थिति

मध्य-पूर्व से तात्पर्य तुर्की, ईरान, इराक, सऊदी अरब, इजराइल अरब राज्य तथा मिश्र से है। इन देशों में ४७ लाख व्यक्ति रहते हैं। ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका के मध्य में हैं। इन देशों में संसार की सबसे अधिक तेल सम्पत्ति है। इन देशों में औद्योगिक उत्पादन कम होता है। इस दृष्टि से ये सब देश पिछड़े हैं। ये सब देश अरब लीग के सदस्य हैं और युद्ध के बाद से परस्पर व्यापार-वाणिज्य की व्यवस्था कर रहे हैं। तुर्की और ईरान का युद्ध-काल में आयात तथा निर्यात व्यापार बराबर रहा। इन सब देशों में मुद्रा-प्रसार भी अधिक हुआ है। क्योंकि इनमें सेना पर व्यय काफी हुआ है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। किन्तु कृषि भी बहुत अ-उन्नत दशा में है। युद्ध-काल में तुर्की में कोयला के उत्पादन में वृद्धि हुई है। सन् १९३९ में २२५,००० टन से १९४६ में ३१९,००० टन हो गया। ईरान, इराक, सऊदी अरब, बेहरीन और कुवेत में तेल (पेट्रोल) के उत्पादन में वृद्धि हो गई। कच्चे लोहे के उत्पादन में कमी रही तथा ताँबे के उत्पादन में वृद्धि रही।

मध्य-पूर्व में पेट्रोल उत्पादन (हजार बैरलों में)

देश	१९३९	१९४६
मिश्र	४,६६६	८,६१३
ईरान	७८,१५१	१४४,८९६
इराक	३०,७९१	३२,७७७
सऊदी अरब	३,९३४	६०,३४१
बेहरीन	७,५८९	८,०१०
कुवेत	......	५,९९०
	१२५,१३१	२६०,९२७

एशिया की आर्थिक स्थिति

एशिया और सुदूरपूर्व १२२ करोड़ की जनसंख्या है। यह संसार की कुल जनसंख्या के अर्द्धांश से भी अधिक है। यहाँ खनिज व प्राकृतिक साधनों का प्राचुर्य है; औद्योगिक पाश्चात्य देशों के लिए यहाँ बड़ा बाजार है। इस क्षेत्र में आर्थिक विकास की बड़ी आवश्यकता है। एशिया में तीन चौथाई

जनता कृषि पर निर्भर है। यूरोप की अपेक्षा एशिया का जीवन-स्तर निम्न था ही; युद्ध के कारण जो भारी क्षति हुई; उत्पादन में न्यूनता हुई और रसद में कमी तथा यातायात के साधनों में न्यूनता हुई, उसके कारण उनकी स्थिति और भी शोचनीय हो गई।

जल-वर्षा के करण बाढ़, सूखा, महामारी और यातायात की कठिनाइयों के कारण लाखों नहीं करोड़ों व्यक्ति भूखों मर रहे हैं। इनके अतिरिक्त सारे महाद्वीप में एक राजनीतिक भूकम्प बड़ी प्रचण्डता के साथ जनता के दु.खों को बढ़ा रहा है। जनसंख्या की वृद्धि भी एक बड़ी समस्या है।

एशिया में युद्ध से पूर्व खाद्यान्न पर्याप्त होता था। वह उसे दूसरे देशों को भेजता था। आज वह अमेरिका आदि देशों से स्वयं खाद्यान्न मंगाता है। जापान की स्थिति ने एशिया की आर्थिक स्थिति में और भी परिवर्तन कर दिया है। जापानी आधिपत्य के समय सुदूर-पूर्व में चीन, भारत व लंका को छोड़, निर्यात व्यापार तो बन्द ही हो गया। यही कारण है कि एशियायी देश सोना जमा नह कर सके। आवश्यक वस्तुओं की न्यूनता तथा सैनिक व्यय की वृद्धि ने वस्तुओं के मूल्य बढ़ा दिये। लंका, भारत तथा मलय में खाद्यान्न का मूल्य सन् १९३९ की अपेक्षा ६००% बढ़ गया है। बर्मा व फिलिपाइन्स में ३७५% बढ़ गया है। स्याम में, १,३००%; हिन्देशिया में १,५०० प्रतिशत; हिन्दचीन में २७०० प्रतिशत; उत्तरी बोर्नियो में ३,६०० प्रतिशत कीमतें बढ़ गई हैं। जापान व चीन में तो इससे भी अधिक वृद्धि हो गई। सन् १९३९ की अपेक्षा जनसंख्या ११ करोड़ बढ़ गई है। चावल एशिया की ३/४ जनता का भोजन है। किन्तु इसका उत्पादन भी सन् १९३९ की तुलना में ७ प्रतिशत कम है, जब कि ११ करोड़ जनता और बढ़ गयी है।

एशिया के देशों में चावल का उत्पादन

(१,०००,००० मैट्रिक टनों में)

देश	सन् १९३५-१९३९	सन् १९४६-४७	सन् १९४७-१९४८
बर्मा	७-४	३-९	४-६
चीन (२२ प्रान्त)	५०-१	४७-४	४८-१
फारमोसा	१-७	०-८	१-४
भारत	३८-६	४२-९	४०-४

हिन्द चीन	६-३	४-१	३-६
हिन्दएशिया (जावा-मदुरा)	६-४	५-६	५-५
जापान	११-५	११-५	११-२
कोरिया (दक्षिणी)	३-९	२-२	२-७
मलय यूनियन	०-५	०-४	०-५
मन्चूरिया	०-६	०-८	०-३
फिलिपाइन्स	२-२	२-०	२-२
स्याम	४-४	३-७	४-२
योग	१३३-६	१२५-३	१२५ ३

चीनी का उत्पादन भी युद्ध से पूर्व जितना था, उतना १६४७-४८ में नहीं था।

"युद्ध से पूर्व सुदूर-पूर्व प्रति वर्ष ४,३००,००० टन खाद्यान्न यूरोपीय देशों को भेजता था। सन् १६४७ में सुदूरपूर्व स्वयं ६,५००,००० टन खाद्यान्न अमेरिका आदि से मँगाने लगा।

चाय का उत्पादन भारत में तो युद्ध के पूर्ववत् रहा किन्तु चीन, बर्मा, जापान में इसकी कमी हो गई। भारत व चीन में संसार की कुल चाय के उत्पादन का ६६% भाग होता है। १९४६-४७ में चाय का ६८ करोड़ ४० लाख पौंड था जब कि दुनियाँ को ८६ करोड़ पौंड चाय की आवश्यकता थी। इस प्रकार १५ करोड़ पौंड (वजन) की कमी है। भारत और चीन में रूई के उत्पादन में भी कमी रही है। भारत और पाकिस्तान में दुनियाँ के जूट उत्पादन का ९८% भाग होता है। परन्तु इसमें भी कमी हो गई है।

व्यापारिक व औद्योगिक क्षेत्र से जापान के निष्कासन से एशिया की आर्थिक स्थिति में महान परिवर्तन हो गया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका पर एशिया अपने व्यापार के लिये निर्भर हो गया है।

एशिया में आस्ट्रेलिया का व्यापार भी बढ़ रहा है। सन् १९३८ में आस्ट्रेलिया एशिया को ४ करोड़ ७६ लाख डालरों का माल भेजता था। सन् १६४६-४७ में उसने १६ करोड़ २२ लाख का माल भेजा।

एशिया के समस्त देशों पर यूरोपीय देशों का आधिपत्य रहा। इसलिये वहाँ के सभी देशों के उद्योग-व्यवसायों में यूरोपीय पूँजीपतियों की पूँजी लगी

हुई थी। भारत, बर्मा, मलय तथा लंका में अंग्रेजी पूँजी लगी हुई है। फिलिपाइन्स में अमेरिका की पूँजी लगी हुई है।

आर्थिक विकास की योजनाएँ—एशिया के सभी देशों ने अपने अपने क्षेत्रों में आर्थिक विकास की योजनाएँ बनायी हैं। संयुक्त राष्ट्रीय पुनरुद्धार एवं सहायता व्यवस्था की सहायता से पीत नदी का जो पहला मार्ग था, उसे अब पुनः बना दिया है। इससे २३ लाख एकड़ भूमि का उपयोग खेती के लिये किया जा सकेगा। इसी संस्था ने मत्स्य-पालन-व्यवसाय की वृद्धि में चीन को सहायता दी है और एक राष्ट्रीय कृषि-इन्जीनियरी निगम की स्थापना भी की है। इसके द्वारा कृषि के औजार, हल आदि तैयार किये जाते हैं। २७०,००० हैक्टर भूमि की सिंचाई के लिये तीन-वर्षीय योजना बनाई गई है। इससे २००००० टन चावल का उत्पादन बढ़ जायगा।

भारत में भी खाद्यान्न के उत्पादन पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है। भारत सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि सन् १९५१ के बाद भारत विदेशों से अन्न नहीं मँगायेगा। सन् १९५२ तक भारत ३,०००,००० टन अधिक अन्न का उत्पादन कर सकेगा। इस सम्बन्ध में जो योजना तैयार की गयी है, उसमें अन्वेषण, खाद में सुधार, औजारों में सुधार, सिंचाई की वृद्धि, आदि सम्मिलित हैं। जमींदारी-प्रथा का भी उन्मूलन किया जा रहा है।

एशियायी देशों में व्यापारिक जलयानों का निर्माण भी किया जा रहा है। चीन के आंतरिक जल में विदेशी जलयान नहीं जा सकते। भारत में सन् १९४५ में एक कमीशन इस बात की जाँच करके नियुक्त किया गया था कि भारत में व्यापारिक जलयानों के निर्माण के लिये क्या किया जाय। भारत सरकार ने इस कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार कर ली। यह निश्चय किया गया है कि भारत के सामुद्रिक व्यापार के लिये भारतीय जलयानों का प्रयोग किया जाय।

भारत में रेलवे, राजपथ तथा बांध एवं औद्योगिक विकास के लिये बड़ी योजनाएँ तैयार की गई हैं। जलीय विद्युत के निर्माण के लिए भी कई योजनाएँ कार्य रूप में परिणत हैं। खाद्य-निर्माण के लिये भी एक सरकारी कारखाना स्थापित किया गया है।

भारतीय सरकार प्रौद्योगिक शिक्षण के लिए भी प्रयत्न कर रही है। सन् १९४७-४८ में भारतीय सरकार ने विदेशों में इन्जीनियरी, कृषि, पशु चिकित्सा व पशुपालन के अध्ययन के लिये १८० छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दीं। वैज्ञानिक मानवशक्ति समिति की सिफारिशों के अनुसार विश्वविद्यालयों में औद्योगिक

शिक्षण के लिए व्यवस्था की गयी है तथा कारखानों को यह कानून द्वारा आदेश दिया गया है कि वे व्यावहारिक शिक्षण के लिये शिक्षणार्थियों को अपने यहाँ स्थान दें। जनवरी १६४६ से एक दूसरी योजना भी जारी है। इसके अनुसार ३०,००० विसर्जित सैनिकों (Demobilized Soldiers) को कृषि, ग्रामोद्योग, कुटीर शिल्प तथा वाणिज्य की शिक्षा दी जाती है।

अफ्रीका की आर्थिक दशा

अफ्रीका में १४८,०००,००० निवासी रहते हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या पराधीन विदेशी सत्ता द्वारा शासित प्रजा की है। अफ्रीका पर विशेषतः बेलजियम, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली का आधिपत्य है। इसका आर्थिक सुधार इन पराधीन जातियों की राजनीतिक व आर्थिक मुक्ति पर ही निर्भर है।

अफ्रीका के कुछ देश ऐसे हैं जिन पर युद्ध का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा और इस कारण उनकी क्षति हुई। इनमें ट्यूनिशिया, त्रिपोलिटानिया, सिरेनेना, इथियोपिया, इरिट्रिया, ब्रिटिश सोमालीलैण्ड तथा इटालियन सोमालीलैण्ड हैं।

अफ्रीका का आयात व निर्यात व्यापार यूरोप के देशों पर निर्भर है। युद्ध के कारण यूरोप के देशों की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में अफ्रीका के आर्थिक पुनरुद्धार की बात भी खटाई में पड़ गई है। यूरोपीय देश पहले स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने की चिन्ता में हैं। फ्रांस तथा ब्रिटेन की सरकारों ने अपने उपनिवेशों में आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ बनाई हैं।

दक्षिणी अमेरिका की स्थिति

दक्षिणी अमेरिका के २० राष्ट्रों की आर्थिक अवस्था तथा ढाँचे में गत युद्ध के कारण अपेक्षाकृत कम परिवर्तन हुआ है। इन देशों की जनता का दो तिहाई भाग कृषि-व्यवसाय पर निर्भर है। इन देशों में मुख्य निर्यात खाद्यान्नों का ही होता है। कुछ थोड़े देशों को छोड़ सब देशों में कृषि बड़ी पिछड़ी अवस्था में है। वे लोग आधुनिक साधनों तथा वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग नहीं करते। युद्धकाल में कृषि उत्पादन में थोड़ी वृद्धि अवश्य हुई, किन्तु इस पर भी इन देशों की जनता का एक बड़ा भाग पुष्ट भोजन के अभाव के कारण दुःखी है। पहले ये देश एशिया से चावल मँगाते थे। परन्तु युद्ध-काल में एशिया में चावल कम होने लगा। इस कारण इन देशों ने स्वयं चावल उत्पादन में वृद्धि कर ली। सन् १६३८-३६ में ये देश २६ लाख टन चावल पैदा करते थे। सन् ४६-४७ में ५४ लाख टन चावल पैदा करने लगे।

इन देशों में जौ, राई और ओट का उत्पादन १६४७ में ३५ लाख टन था। युद्ध से पूर्व २३ लाख टन था।

सन् १६३६ में मक्का १ करोड़ ७४ लाख टन हुई। सन् १६४७ में २ करोड़ टन हो गई। मक्का की अधिक वृद्धि के बावजूद भी इन्होंने इनका निर्यात कम किया। क्योंकि इसे ये पशुओं को खिलाते हैं। इन देशों में गन्ने की खेती भी बहुत बढ़ गयी है। संसार में इसकी खेती २ करोड़ ७८ लाख टन होती है। इसमें १ करोड़ ८ लाख टन ये देश पैदा करते हैं। दक्षिणी अमेरिका में दुनिया की ८० प्रतिशत काफी पैदा होती है। ब्राजील तथा कोलम्बिया में सबसे अधिक इसकी पैदावार होती है।

दक्षिणी अमेरिका में खनिज उद्योग भी बड़ा महत्वपूर्ण है। संसार में टिन का उत्पादन जितना है उसका एक तिहाई यहाँ पैदा होता है। संसार में चाँदी के उत्पादन का एक तिहाई यहाँ होता है। संसार का एक चौथाई तांबा यहाँ होता है। संसार का एक सातवाँ भाग पेट्रोल यहाँ मिलता है। ब्राजील में कच्चे लोहे की सबसे बड़ी खानें हैं और यहाँ हीरा भी पैदा होता है। चिली में नाइट्रेट स्वाभाविक रूप में उत्पन्न होती है।

ये प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हैं। यहाँ छोटे उद्योग बहुत से हैं जिनसे स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है।

इन देशों में मुद्राप्रसार के कारण वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गये हैं। सन् १९३७ की अपेक्षा मूल्य १७१% से लेकर ६५० प्रतिशत तक बढ़ गये हैं। वेतन तथा आमदनी में उतनी वृद्धि नहीं हुई। कोई प्रभावकारी मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था नहीं थी। लोगों ने माल इकट्ठा करके रखा।

संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी अमेरिका के बाजार पर पूरा नियंत्रण है। सन् १९४६ में उसने २१ अरब डालर का माल दक्षिणी अमेरिका में भेजा। सन् १६४७ में यह बढ़कर ३९ अरब डालर हो गया।

सन् १९४६ में दक्षिणी अमेरिका का आयात निर्यात से ३४ करोड़ डालर अधिक था। सन् १९४७ में यह और भी बढ़कर १८ अरब डालर हो उठा।

इस प्रकार इन देशों की व्यापारिक स्थिति बहुत ही संकट-पूर्ण है। ये सर्वथा अमेरिका के चंगुल में हैं। इनमें से कुछ देशों ने (अरजेन्टाइन, बोलिविया, मैक्सिको ने) पंचवर्षीय आर्थिक योजनाएँ बनाई हैं और ये संयुक्त राज्य अमेरिका की (वाशिंगटन आयात-निर्यात बैंक) से ऋण लेकर अपनी आर्थिक दशा को सुधारने के लिये प्रयत्नशील हैं।

सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति

द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जितना विनाश सोवियत रूस का हुआ है, उतना अन्य किसी देश का नहीं हुआ। सोवियत यूनियन ने सन् १९४२ में एक कमीशन युद्ध द्वारा क्षति की जाँच के लिये नियुक्त किया था। इस कमीशन ने जाँच करने के बाद जो रिपोर्ट प्रकाशित की उसीसे निम्नलिखित तालिका दी जाती है।

औद्योगिक विनाश

उद्योग	सोवियत उत्पादन १९४०	कितनी शक्ति नष्ट की गयी (वार्षिक उत्पादन के रूप में)	सन् १९४० के उत्पादन प्रतिशत क्षति
१—कोयला (१० लाख टनों में)	१६५·५	१००	६०
२—पेट्रोल (१० लाख टनों में)	३१·०	५	१६
३—विद्युत शक्ति (१० लाख)	१०·५	५	४८
४—कच्चा लोहा ,,	१४·९	११	७४
५—स्टील ,,	१८·३	१०	५५
६—स्टील रोल्ड ,,	१३·१	८	६१
७—माल ढोने की गाड़ियाँ (हजार में)	४३ १	२३	४७
८—इंजिन (रेलवे) (हजार में)	१·६	०·८	५०
९—सीमेंट (१० लाख टनों में)	५·८	३	५२
१०—कागज (१० लाख कार्टन)	...	४	...

निम्नलिखित वस्तुएँ भी विनष्ट कर दी गईं :—

१—राज्य के कृषिक्षेत्र	...	...	१८७६
२—ट्रेक्टर स्टेशन	...	...	२८९०
३—घोड़े	...	...	७,०००,०००
४—अन्य पशु	...	...	१७,०००,०००
५—शूकर	...	...	२०,०००,०००
६—बकरी तथा भेड़ें	...	...	२७,०००,०००
७—मुर्गियाँ	...	...	१०,१०,०००,०००

इस कमीशन ने सोवियत संघ की कुल हानि ६७६० अरब रूबल को आँकी है। इसमें राज्य तथा नागरिक दोनों की हानि सम्मिलित है।

जी० एम० मालेनकोव के अनुसार द्वितीय विश्वयुद्ध में ७,०००,००० व्यक्ति मारे गये। इस प्रकार मानव-शक्ति का भी भारी विनाश हुआ है।

युद्धोत्तर आर्थिक विकास

१८ मार्च १९४६ को सोवियत संघ की सर्वोपरि नियामक संस्था सुप्रीम सोवियत ने सन् १९४६-५० के लिये आर्थिक विकास के सम्बन्ध में एक पंच-वर्षीय योजना के लिये कानून स्वीकार किया।

सोवियत शासन के प्रमुख स्टालिन ने इस योजना का उद्देश्य निम्न प्रकार बतलाया है :—

"नवीन पंच-वर्षीय योजना का आधारभूत उद्देश्य देश के उन प्रदेशों का पुनरुद्धार करना है, जिन्हें क्षति पहुँची है। कृषि तथा उद्योग का ऐसा विकास करना है, जिससे वे युद्ध से पहले की अवस्था में आ जायँ और युद्ध-पूर्व स्तर से भी आगे बढ़ जायँ।"

हम यहाँ सोवियत रूस के सरकारी पत्र 'प्रवदा' से एक तालिका उद्धृत करते हैं, जिससे सोवियत संघ की प्रगति स्पष्ट रूप से प्रकट हो जायगी।

उद्योग-व्यवसाय में प्रगति

(सन् १९४६-४७ का उत्पादन)

उद्योग	सन् १९४६ में वास्तविक उत्पादन सन् १९४५ का प्रतिशत	सन् १९४७ में वास्तविक उत्पादन सन् १९४६ का प्रतिशत	सन् १९४७ का आयोजित उत्पादन सन् १९४६ का प्रतिशत	सन् १९४७ में आयोजित उत्पादन की पूर्ति का प्रतिशत
१ खान से निकला लोहा	११२	११४	१२१	९४
२ इस्पात	१०९	१०९	११९	९२
३ रोल्ड इस्पात	११३	११५	१२१	९५
४ तांबा	१०६	१०९	११७	९३
५ जस्ता	१०८	११६	...	...
६ शीशा (Lead)	११९	१२६	१३२	९५
७ कोयला	११०	११२	११६	९७

उद्योग	सन् १९४६ में वास्तविक उत्पादन सन् १९४५ का प्रतिशत	सन् १९४७ में वास्तविक उत्पादन सन् १९४६ का प्रतिशत	सन् १९४७ का आयोजित उत्पादन सन् १९४६ का प्रतिशत	सन् १९४७ में आयोजित उत्पादन की पूर्ति का प्रतिशत
८ तेल	११२	११९	११८	१०१
९ गेसोलिन	...	१३६	१३४	१०१
१० मिट्टी का तेल	...	१२५	१२०	१०४
११ प्राकृतिक गैस	११४	१२२	११८	१०३
१२ विद्युत् शक्ति	११०	११५	११६	९९
१३ इंजिन (रेल)	२०००	२७७	२८८	९६
१४ मोटरें	१२६	१३०	१५७	८३
१५ बाष्पचालित जल-चक्की	१३०	२५७	३४२	७५
१६ विद्युतचालित मोटर	१६९	१५२	१७७	८६
१७ कातने की मशीनें	२४३	२६३	२७८	९५
१८ हल (ट्रेक्टर)	१७२	२०९	२८७	७३
१९ खनिज खाद	१५२	१३५	...	...
२० रंग	१२९	१४४	...	...
२१ कागज	१६१	१२५	...	...
२२ सीमेंट	१८५	१४०	१७१	८२
२३ स्लेट	१९८	१३९	१३०	१०७
२४ खिड़कियों के शीशे	१६५	११९	१४२	८४
२५ सूती वस्त्र	११७	१३३	१४२	९४
२६ ऊनी वस्त्र	१३०	१३३	१३०	१०२
२७ चमड़े के जूते	१२८	१४०	१४२	९९
२८ रबड़ के जूते	१९७	१६८	१६२	१०४
२९ चर्बी	१६९	११२	११२	१००
३० वनस्पति	११९	१२४	११७	१०६
३१ मछली	११०	११८	१३३	९६
३२ चीनी	१००	२१०	१९४	१०८
३३ साबुन	...	१२८	१२८	१००

सोवियत संघ के प्रतिनिधि एम. अरूति यूनियन ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की सामाजिक-आर्थिक परिषद् के समक्ष २४ फर्वरी १६४८ को अपने भाषण में यह कहा कि—

"हमारे देश की औद्योगिक प्रगति तथा उत्पादन युद्ध से पूर्व की स्थिति को पहुँच गया है। सन् १६४६ में जो पंचवर्षीय योजना स्वीकार की गयी थी उसके अनुसार युद्ध से पूर्व की स्थिति सन् १६४८ में प्राप्त करनी चाहिये थी। इस प्रकार इस योजना की पूर्ति समय से पहले हो गयी है।"

सन् १९४६ व १९४७ में सोवियत रूस ने १,६०० नवीन उद्योग खड़े किये अथवा पहले के उद्योगों का पुनर्निर्माण किया। कोयला उत्पादन युद्ध के पूर्व की अपेक्षा ६% बढ़ गया है; विद्युत स्टेशन ४% बढ़ गये हैं। छोटे उद्योग व खाद्य ३०% बढ़ गये हैं। यातायात ८% बढ़ गया है। जिन प्रदेशों पर शत्रु का अधिकार रहा, उनके पुनर्वास के लिये सोवियत संघ शासन ने १९४६ में १७५० करोड़ रूबल (रूसी मुद्रा) व्यय किये और सन् १९४७ में १८०० रूबल व्यय किये। इनके अतिरिक्त संघ के राज्यों व स्थानीय संस्थाओं ने अलग व्यय किया।

कृषि-उत्पादन में भी सोवियत संघ ने पर्याप्त प्रगति की है। सन् १६४७ में ही उसका कृषि उत्पादन सन् १६४० के बराबर हो गया था। सन् १९४६ की अपेक्षा १६४७ में खाद्यान्न का उत्पादन ५८% बढ़ गया; रूई का उत्पादन २१% बढ़ गया; आलू का उत्पादन ३०%; चुकन्दर १९०%; हेम्प ७८%।

कृषि सन् १९४६ में जितनी भूमि पर होती थी, उसमें सन् १६४७ में ८,०००,००० हैक्टर की वृद्धि कर दी गयी।

युद्ध-काल में सोवियत रूस में मुद्रा-प्रसार भी हो गया था। युद्ध से पूर्व की अपेक्षा मुद्रा-प्रसार २·४ गुना अधिक बढ़ गया था। इससे वस्तुओं के दाम भी बढ़ गये थे। युद्ध-काल में रूस में खाद्य-राशन की प्रणाली प्रचलित थी। अतः सन् १९४७–४८ में रूस में मुद्रा-प्रणाली में सुधार किया गया और खाद्य राशन की व्यवस्था उठा दी गयी। इससे वस्तुओं के मूल्य बहुत गिर गये और इससे जनता को ५७,०० रूबलों का लाभ हुआ।

सोवियत आर्थिक विकास की एक सबसे मुख्य विशेषता यह है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उसने पुनर्निर्माण का कार्य किया और इस दिशा में इतनी प्रगति की है; किन्तु उसने साथ ही साथ सब मनुष्यों को काम भी दिया है। इससे सोवियत संघ में बेकारी किसी भी रूप में नहीं है।

सोवियत रूस में श्रमिकों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। सन् १९४६ में ३,०००,००० श्रमिक और बढ़ गये। सन् १९४७ में १,२००,००० व्यक्ति और बढ़ गये। इस प्रकार इन दो वर्षों में ४,२००,००० व्यक्ति सोवियत आर्थिक उद्योग व्यवसायों में बढ़े हैं।

मजदूरों की मजदूरी में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। युद्ध में जो मकान आदि नष्ट हो गये थे, उनके पुनर्निर्माण का कार्य भी बड़ी तेजी से हो रहा है। सन् १९४७ में जो प्रदेश जर्मन अधिकार से लिये गये, उनमें ५,०००,००० वर्ग मीटर भूमि पर (नगरों में) मकान बनाये गये हैं। ग्रामों में ३७०,००० मकान बनाये गये।

सांस्कृतिक तथा स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं जैसे स्कूलों, आमोद-गृहों, चिकित्सालयों, आरोग्य-गृहों, विश्राम-गृहों बाल-शालाओं की पुनर्स्थापना की जा रही है। प्रत्येक संस्था में छात्रों की संख्या बढ़ रही है। सन् १९४८ में ३ करोड़ ३२ लाख छात्र-छात्राएँ शिक्षा पा रहे थे। सन् १९४८ में ६२०,००० छात्र-छात्राएँ विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा पा रहे थे।

सन् १९४७ में सोवियत सरकार की पूर्ण आय का एक तिहाई भाग जनता के सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यों में व्यय किया गया।

सोवियत रूस अपनी औद्योगिक उन्नति और आर्थिक विकास के साथ-साथ सोवियत रूस की आर्थिक स्वाधीनता भी चाहता है। युद्ध से पूर्व वह ब्रिटेन, जर्मनी तथा अमेरिका के साथ व्यापार करता था, किन्तु युद्ध के बाद स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया। अमेरिका तथा ब्रिटेन से उसका अब कोई व्यापारिक संबंध नहीं है। सोवियत रूस ने पोलैण्ड, फिनलैण्ड, बल्गेरिया, रूमानिया, हंगेरी, यूगोस्लाविया, जेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी के अतिरिक्त फ्रान्स, इटली, आइसलैण्ड, ग्रेट ब्रिटेन, स्वीडन, आयरलैण्ड, नार्वे, डेनमार्क तथा बेलजियम के साथ व्यापारिक संधियां की हैं।

———

अध्याय ५

संयुक्त राष्ट्रसंघ

यूरोप में द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हो गया था, किन्तु जापान के साथ अभी युद्ध हो रहा था कि इसी वर्ष मई में अमेरिका के नगर सेनफ्रान्सिस्को में संयुक्त राष्ट्रसंघ (United Nations Organization) की स्थापना के लिये एक संयुक्त-राष्ट्र-सम्मेलन आमन्त्रित किया गया। इस सम्मेलन को अमेरिका, ब्रिटेन, रूस तथा फ्रान्स ने आमन्त्रित किया। इसमें ४५ राष्ट्रों के ८५० प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन प्रतिनिधियों, इनके सलाहकारों तथा सचिवालय के कर्मचारियों को मिलाकर ३५०० विश्व के नर-नारी इस विश्वसंस्था का विधान रचने के लिये एकत्रित हुए। इनके अतिरिक्त संसार के पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो आदि के २५०० प्रतिनिधि इस नगर में जमा हो गये। विश्व इतिहास में यह सम्मेलन न केवल सबसे महत्वपूर्ण ही था, वरन् सबसे महान् भी था। इस प्रकार दो मास तक विचार-विनिमय तथा विचार-विमर्श के बाद २६ जून १९४५ को संयुक्त राष्ट्रसंघ का विधान, जिसे अंग्रेजी में चार्टर कहते हैं, स्वीकार किया गया। २४ अक्टूबर १९४५ को संयुक्त राष्ट्रसंघ की नियमपूर्वक स्थापना की गयी।

संयुक्त राष्ट्रसंघ का विधान

संयुक्त राष्ट्रसंघ के विधान में १११ धाराएँ हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ के अंतर्गत संस्थाओं के कर्तव्यों एवं कार्यों की व्याख्या की गयी है। इसके अन्तर्गत एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। इसका विधान पृथक है। वह भी इसी सम्मेलन में स्वीकार किया गया था।

प्रस्तावना—इस विधान की प्रस्तावना निम्न प्रकार है—

"हम, संयुक्त राष्ट्रों की जनता का यह दृढ़ संकल्प है कि हम भावी सन्तति को युद्ध के अभिशाप से बचायेंगे। जिसने हमारे जीवन काल में दो बार मानव जाति पर असीम कष्ट ढाये हैं, और मूल मानव अधिकारों में आस्था, व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव, पुरुष-स्त्री एवं छोटी-बड़ी जातियों के समानाधिकार के प्रति अपने विश्वास को दुहरायेंगे और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करेंगे

जिनके अन्तर्गत सन्धि-पत्रों और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय कानून संबंधी कर्तव्यों के प्रति न्याय एवं आदर की भावना जाग्रत हो और स्वतन्त्रता के विस्तृत क्षेत्र में सामाजिक उत्थान एवं जीवन-स्तर की उन्नति को प्रोत्साहित करेंगे और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये—

* श्रेष्ठतम पड़ोसियों की भांति एक दूसरे के प्रति सहनशील बनने एवं शान्ति से रहने की भावना को अपनायेंगे, और

* अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा कायम रखने के लिए अपनी शक्ति को संघटित करेंगे, और

* सिद्धान्तों एवं उत्तम कार्य-प्रणाली के प्रयोग द्वारा विश्वास दिलायेंगे कि सामान्य हित की रक्षा के अतिरिक्त और कभी शस्त्र-बल का प्रयोग नहीं करेंगे, और

* सब की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित करेंगे।

हमने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये संयुक्त रूप से उद्योग करने का संकल्प किया है।

अतः हमारी सरकारों ने सनफ्रान्सिस्को नगर में एकत्र हुए अपने प्रतिनिधियों द्वारा, जिन्होंने अपने पूर्ण अधिकारों को ठीक एवं उचित रूप में प्रयोग किया है, संयुक्त राष्ट्रों के वर्तमान् विधान (चार्टर) पर स्वीकृति प्रदान की है और हम इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ के नाम से एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करते हैं।"

उद्देश्य—(१) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा कायम रखना, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये शान्ति भंग करने वाला खतरा रोकने और उसे दूर करने के लिये आक्रमणात्मक कार्यवाहियों या शान्ति भंग करने वाले अन्य कार्यों को बलपूर्वक दबाने के लिये, ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय विवादों या परिस्थितियों का, जो शान्तिभंग करा सकती हों—शान्तिपूर्ण साधनों और अन्तर्राष्ट्रीय विधान तथा न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार, निपटारा या सुधार करने के लिये प्रभावकारी सामूहिक कार्यवाहियाँ करना;

(२) जनता के समान अधिकारों और आत्म-निर्णय के सिद्धान्तों के प्रति सम्मान के आधार पर राष्ट्रों के बीच में मैत्री भाव बढ़ाना और विश्व-शान्ति को दृढ़ बनाने के लिये अन्य उचित उपायों को काम में लाना।

(३) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में एवं मानव अधिकारों और जाति, लिंग, भाषा और धर्म के भेदभाव के बिना सब के लिये मौलिक स्वतन्त्रताओं के लिये सम्मान के भाव की अभिवृद्धि करने और उसे प्रोत्साहित करने में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना।

(४) इन सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के सम्बन्ध में विभिन्न देशों के कार्यों में अनुरूपता लाने के लिये केन्द्र रूप में कार्य करना।

सिद्धान्त—संयुक्त राष्ट्रसंघ की नींव निम्नलिखित सिद्धान्तों पर रखी गयी है :—

(१) सब राष्ट्र प्रभुत्व-सम्पन्न और समान हैं।

(२) सब राष्ट्र इस विधान के अनुसार अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये वचन-बद्ध हैं।

(३) सब राष्ट्र अपने अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शान्तिपूर्ण ढंग से इस प्रकार करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सुरक्षा तथा न्याय खतरे में न हो जाय।

(४) अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कोई भी सदस्य राष्ट्र किसी प्रदेश या किसी देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध न तो शक्ति का प्रयोग करेगा और न उसे धमकी देगा और न ऐसा आचरण करेगा जो संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों के विपरीत हो।

(५) जब विधान के अनुसार राष्ट्रसंघ कोई कार्यवाही करेगा, तो सब सदस्य राष्ट्र उसे सब प्रकार की सहायता देने के लिये वचन-बद्ध हैं और वे किसी ऐसे देश को सहायता नहीं देंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघ शान्ति और सुरक्षा के लिये कोई कार्यवाही कर रहा हो।

(६) शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिये जहाँ तक आवश्यक होगा यह संस्था यह व्यवस्था करेगी कि जो राष्ट्र सदस्य नहीं हैं, वे भी विधान के सिद्धान्तों के अनुसार आचरण करें।

(७) शान्ति-रक्षा के लिये जब तक आवश्यक नहीं होगा संयुक्त राष्ट्रसंघ उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो किसी देश के आन्तरिक कार्यक्षेत्र (Domestic matters) में आते हों।

राष्ट्रसंघ के सदस्य सभी शान्तिप्रिय राष्ट्र हो सकते हैं, जो विधान द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को स्वीकार करते हों और जिन्हें यह संस्था इन कर्तव्यों का पालन करने के उपयुक्त समझती है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के विभाग

संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य ६ संस्थाएँ हैं :—

१—साधारण परिषद (General Assembly).

२—सुरक्षा-समिति (Security Council).

३—आर्थिक व सामाजिक परिषद (Economics Social Council).

४—संरक्षण-परिषद (Trusteeship Council)

५—अन्तर्राष्ट्रीय-न्यायालय (International Court of Justice).

६—सचिवालय (Secretariat).

साधारण-परिषद—यह संयुक्त राष्ट्रसंघ की 'पार्लमेंट' है। इसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के प्रतिनिधि होते हैं। इसका कार्य १० जनवरी १६४६ से आरम्भ हुआ। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र इसमें अपने पांच तक प्रतिनिधि भेज सकता है। किन्तु प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार है। महत्व-पूर्ण विषयों में उपस्थित सदस्यों के ⅔ मत से निर्णय होते हैं, जैसे, शान्ति एवं सुरक्षा कायम रखना ; अन्य विभागों के सदस्यों का निर्वाचन ; सदस्यों को संस्था से निकाल देना, संरक्षण संबंधी प्रश्न, बजट संबंधी मामले। साधारण मामलों में बहुमत से विचार किया जाता है। इस संस्था का मुख्य कार्यालय लेक-सक्सेस, न्यूयार्क में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रधान नगर है। वहीं इसके वार्षिक अधिवेशन होते हैं। साधारण परिषद में उसके विधान के अनुसार प्रत्येक विषय पर विचार किया जा सकता है। वाद-विवाद के पश्चात् वह अपने निर्णय प्रस्ताव के रूप में देती है और वह सदस्य राष्ट्रों व किसी विभाग के लिये सिफारिशों के रूप में होते हैं। संघ का बजट भी इसी के द्वारा स्वीकार किया जाता है।

सुरक्षा-समिति—विश्व शान्ति एवं सुरक्षा का पूरा दायित्व इस समीति का है। इसमें ११ सदस्य हैं। पाँच सदस्य स्थायी हैं—अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रान्स व चीन। अन्य ६ सदस्य अस्थायी हैं। इनका निर्वाचन साधारण परिषद २ वर्ष के लिये करती है। सुरक्षा-समिति के अधिवेशन सदैव होते रहते हैं और वह सुरक्षा व शान्ति के किसी न किसी प्रश्न पर विचार करती रहती है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अपना एक स्थायी प्रतिनिधि न्यूयार्क में रखता है, जो उसके अधिवेशन में ठीक समय पर भाग ले सके। समिति के अधिवेशन एक मास

में दो बार होते हैं। प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार है। यदि ७ सदस्य किसी प्रश्न के पक्ष में हों, तो वह स्वीकृत समझा जाता है। किन्तु इन ७ सदस्यों में ५ स्थायी सदस्यों के मत भी होने चाहिए। यह सर्व सम्मति का नियम कहलाता है और इसे ही साधारणतया प्रतिनिषेध सत्ता (Veto Powers) कहते हैं। जब किसी राष्ट्र (सदस्य) के संबंध में किसी मामले पर विचार किया जाता है, तो वह मत नहीं देता।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के विधान में सदस्यों का यह कर्तव्य स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि उन्हें अपने अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का हल शान्ति-पूर्ण ढंग से करना चाहिए। शान्तिपूर्ण ढंग से समाधान के कई प्रकार हैं, जैसेः—

(१) विवाद करने वाले राष्ट्र परस्पर मिल कर विवाद का निपटारा कर लें (Negotiation)।

(२) जब विवाद करने वाले दो पक्षों के विवाद के निर्णय के लिये कोई एक व्यक्ति मध्यस्थ नियुक्त कर दिया जाता है, तब वह दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयत्न करता है। वह उन पर अपने निर्णय को नहीं लाद देता। बस दोनों में मेल कराने का प्रयत्न करता है। इसे मध्यस्थता (Mediation) कहते हैं।

(३) जब दो पक्षों के विवाद के निर्णय के लिये पंच नियुक्त कर दिया जाता है, तब दोनों पक्षों को पंच द्वारा किये गये निर्णय को मान्यता देनी पड़ती है। इसे पंच निर्णय (Arbitration) कहते हैं।

(४) जब दो विवादी पक्षों के मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के विचारार्थ सौंप दिया जाता है, तब उसे न्यायिक निर्णय (Judicial decisim) कहते हैं। इसे दोनों पक्षों को मानना अनिवार्य है।

इस प्रकार सुरक्षा-समिति उपर्युक्त साधनों के द्वारा राष्ट्रों के विवादों का निर्णय करने का प्रयत्न करती है।

विश्व शान्ति तथा सुरक्षा की रक्षा के लिये सुरक्षा-समिति के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :—

(१) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों की जाँच करना।

(२) ऐसे मामलों की जाँच करना जिनसे भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिये खतरा हो।

(३) विवादों के निर्णय के लिये उपाय बतलाना।

(४) आक्रमणकारी को रोकने का प्रयत्न तथा शान्ति स्थापन।

(५) शस्त्रों तथा अणुबमों पर नियंत्रण।

यदि सुरक्षा-समिति को यह विश्वास हो जाय कि शान्ति भंग हो गयी है या आक्रमण की आशंका है, तो उसे तुरन्त ही कार्यवाही करने का अधिकार है। वह निम्नलिखित कार्य कर सकती है—

(१) वह विवादी पक्षों को अल्प-काल के लिये शान्ति स्थापित करने के लिये आदेश दे सकती है। जैसे, वह किसी राष्ट्र को सेनाएँ वापस कर लेने के लिए आदेश दे सकती है, "युद्ध बंद करने के लिये आदेश (Cease fire order) दे सकती है।

(२) वह सदस्य राष्ट्रों को विग्रही राष्ट्रों से कूटनीतिक संबंध विच्छेद कर लेने का आदेश दे सकती है।

(३) वह राष्ट्रों से रेल, समुद्र, वायु, डाक, तार, रेडियो आदि के संबंध-विच्छेद करने के लिये कह सकती है।

(४) वह आर्थिक व व्यापारिक सम्बन्ध तोड़ने के लिये आदेश दे सकती है।

(५) यदि इन साधनों से भी शान्ति की स्थापना न हो तो समिति सैनिक कार्यवाही कर सकती है। वह जल, थल वं वायु-सेना द्वारा कार्यवाही कर सकती है।

प्रत्येक राष्ट्र को धारा ४३ के अधीन समिति को सैनिक सहायता देनी चाहिये।

आर्थिक-सामाजिक परिषद्—संयुक्त राष्ट्र-संघ का एक उद्देश्य समस्त राष्ट्रों की सामाजिक (शिक्षा, संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान, स्वास्थ्य आदि) तथा आर्थिक उन्नति करना है। इस कार्य का संपादन साधारण परिषद तथा उसके अधीन सामाजिक-आर्थिक परिषद् का है। इस परिषद् में १८ सदस्य होते हैं। प्रति वर्ष ६ सदस्यों का निर्वाचन साधारण परिषद द्वारा किया जाता है। सदस्य का कार्य-काल ३ वर्ष का होता है। मतदान की प्रणाली यह है कि प्रत्येक प्रतिनिधि एक मत देता है। इस परिषद के कार्य एवं अधिकार निम्न लिखित हैं—

(१) परिषद् अपने अधिकार के अन्तर्गत किसी भी विषय के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करती है। इसके लिये वह कमीशन नियुक्त करती है।

(२) जब वह किसी प्रश्न की जाँच कर लेती है, तो उसके आधार पर साधारण-परिषद् या किसी अन्य संस्था व राष्ट्र से सिफारिश करती है।

(३) वह साधारण-परिषद् को किसी विषय पर अभिसमय (Convention) का मसौदा भी दे सकती है।

(४) जब यह अभिसमय साधारण परिषद् द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तब यह सदस्य राष्ट्रों की सरकारों के पास उनकी स्वीकृति के लिये भेजा जाता है।

(५) परिषद् को किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिये संस्था स्थापित करने या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था को सम्बद्ध करने का अधिकार है।

संरक्षण परिषद्—संसार में जो देश पराधीन हैं उनके सम्बन्ध में संयुक्त-राष्ट्र संघ ने व्यवस्था की है। इसमें यह घोषणा की गयी है कि ऐसे पराधीन देशों की संस्कृतियों का पूरा-पूरा ध्यान रखकर उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा सम्बन्धी सुधार के लिये गारंटी दी जायगी और उनकी रक्षा के लिये भी समुचित व्यवस्था की जायगी। इन देशों में स्वराज्य या स्वाधीनता जनता की आकांक्षा के अनुसार स्थापित करने की दिशा में स्वतन्त्र राजनीतिक संस्थाओं का विकास किया जायगा।

जिन राष्ट्रों पर इन पराधीन देशों के शासन का दायित्व है, उन्हें प्रतिवर्ष अपने अधीन देश की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रधान सचिव को भेजनी पड़ती है। प्रधान-सचिव इन रिपोर्टों को साधारण-परिषद् के समक्ष रखता है।

सन् १९२० में राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत शासनादेश पद्धति (Mandate System) की स्थापना की गयी थी। इसके अन्तर्गत जर्मनी आदि के उपनिवेशों का शासन-प्रबन्ध राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत ब्रिटेन, फ्रान्स, आस्ट्रेलिया आदि द्वारा किया जाता था। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने इस प्रणाली के स्थान पर संरक्षण-परिषद् की स्थापना की है। ऐसे प्रत्येक राष्ट्र ने संघ के साथ समझौते कर लिये हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय—संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक कर्त्तव्य यह भी है कि वह "न्याय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निर्णय करे।" इसी कारण उसे इस कार्य के संपादन के हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की भी स्थापना करनी पड़ी। सन् १९२० में राष्ट्रसंघ (League of Nations) ने भी एक स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की हेग में स्थापना की थी। इसने बहुत अच्छा कार्य किया और अन्तर्राष्ट्रीय विधान के विकास में योगदान दिया। सनफ्रान्सिस्को में एक नवीन न्यायालय के संघटन के लिये विधान बनाया गया।

जो सदस्य-राष्ट्र न्यायालय के विधान को स्वीकार कर लेते हैं, वे अपने विवादों का निर्णय इस न्यायालय से करा सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में १५ न्यायाधीश होते हैं। इनका निर्वाचन साधारण-परिषद् तथा सुरक्षा-समिति स्वतंत्र रूप से करती है। इसके अध्यक्ष का निर्वाचन तीन वर्ष के लिये होता है। ९ न्यायाधीशों का कोरम होता है और वे बहुमत से किसी भी प्रश्न का निर्णय करते हैं। इसका न्याय-भवन शान्तिमन्दिर कहलाता है, जो हेग में है।

सचिवालय—संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्य के संचालन एवं संपादन के लिए न्यूयार्क-लेक-सक्सेस में एक सचिवालय है। इसके लिये एक नवीन कार्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है।

इस सचिवालय का मुख्य संचालक प्रधान-सचिव (Secretary General) कहलाता है। सचिवालय आठ विभागों में विभाजित है और प्रत्येक विभाग एक सहायक प्रधान-सचिव के अधीन है। ये आठ विभाग हैं:—

(१) सुरक्षा-समिति विभाग।
(२) आर्थिक विभाग।
(३) सामाजिक विभाग।
(४) संरक्षण तथा सूचना विभाग
(५) सार्वजनिक सूचना विभाग।
(६) कानूनी विभाग।
(७) सम्मेलन तथा साधारण सेवा विभाग।
(८) प्रशासन तथा राजस्व विभाग।

इस सचिवालय में संसार के सभी सदस्य राष्ट्रों के कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों को अपनी देश भक्ति त्याग कर इस संस्था के प्रति भक्ति की शपथ लेनी पड़ती है। इस संस्था की ओर से ही उन्हें वेतन, भत्ते आदि मिलते हैं। इन कर्मचारियों को राजदूत—जैसे अधिकार तथा विमुक्तियाँ उपलब्ध हैं।

विशिष्ट संस्थाएँ

संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा कायम रखना है किन्तु यह उद्देश्य इतना महान है कि इसे अकेली यह संस्था पूरा नहीं कर सकती। अतः इसके कार्य की अभिवृद्धि के लिये अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ स्थापित की गयी हैं, जो स्वतंत्र हैं, किन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघ से अपना संबंध रखती हैं। यहाँ हम उन संस्थाओं के संबंध में सूक्ष्म उल्लेख मात्र करेंगे।

संयुक्त राष्ट्रसंघ खाद्य व कृषि-संघ : (United Nations Food and Agricultural Organization) इसकी स्थापना १९४१ में क्यूबेक में हुई। आरम्भ में इसके ५८ राष्ट्र सदस्य थे।

इसके मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं—

१. राष्ट्रों को अपना जीवन-स्तर उच्च बनाने में सहायता देना।

२. समस्त देशों के पुष्ट भोजन में सुधार करना।

३. कृषि, वन-संपत्ति तथा मत्स्य-पालन का सुधार।

४. ग्रामों की जनता की अवस्था सुधारना।

यह संस्था कृषि, वन-सम्पत्ति तथा मत्स्य-पालन के संबंध में उपयुक्त आँकड़े तथा सूचनाएँ संग्रह कर उन्हें प्रकाशित करती है और इस सम्बन्ध में टेकनिकल सहायता देती है।

इसका मुख्य कार्यालय वाशिंगटन में है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ : (International Labour Organization)—इसकी स्थापना सन् १९२० में हुई थी। इसका मुख्य कार्यालय स्विटजरलैण्ड के सुन्दर नगर जिनेवा में है। इस संस्था ने वास्तव में श्रमिकों के सुधार के लिये महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। इसके तीन विभाग हैं। एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन (Conference); दूसरा कार्य-कारिणी समिति (Governing Body) तथा तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-कार्यालय। यह संस्था संसार के मजदूरों की दशा में सुधार, औद्योगिक संबंधों में सुधार तथा सामाजिक सुरक्षा के प्रश्नों पर निश्चय करती है। इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम की पूर्ति करना है—

१. सबके लिये काम की व्यवस्था तथा जीवन-वेतन।

२. सामाजिक सुरक्षा तथा चिकित्सा की व्यवस्था।

३. प्रसूता श्रमजीवियों की सहायता व शिशुमंगल।

४. मजदूरों के निवास, खाद्य तथा मनोरंजन की समुचित व्यवस्था।

५. मजदूरों को अपना संगठन करने की सुविधा।

६. शिक्षा तथा व्यवसाय के लिये समान सुयोग।

७. स्वास्थ्य-रक्षा के लिए प्रबन्ध।

संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा, विज्ञान व सांस्कृतिक संघ—(United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization) १६ नवम्बर १९४५ को लन्दन में इसका विधान स्वीकार किया गया। इसमें

४४ राष्ट्रों ने भाग लिया। इसके तीन भाग हैं। (क) साधारण परिषद; (ख) प्रबंध-समिति; (ग) कार्यालय।

इस संस्था के तीन मुख्य कार्य हैं:—

(१) ज्ञान की वृद्धि में पारस्परिक सहयोग।

(२) लोकप्रिय लोक शिक्षा को नूतन प्रेरणा व प्रोत्साहन देना।

(३) ज्ञान का अधिकाधिक प्रसार करना।

इसका प्रधान कार्यालय पैरिस में है।

विश्व डाक यूनियन: इसकी स्थापना ९ अक्टूबर १६४७ को एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय द्वारा हुई थी। इस संस्था का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय डाक यातायात की अनिश्चयता, गड़बड़ और अत्यधिक महंगाई को दूर करना है। यह संघ सब प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय डाक-व्यय का मूल्य निर्धारित करती है। इसके निश्चयानुसार युद्धबन्दियों को भेजे जाने वाले मनीआर्डर अब डाक-व्यय से मुक्त होते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि (International Monetary fund): २७ दिसम्बर १६४५ को वाशिंगटन में इस निधि की स्थापना हुई, जब २९ सरकारों ने इसके विधान को स्वीकार कर लिया। इस संस्था के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:—

(१) ऐसा प्रयत्न करना जिससे अन्ततोगत्वा विदेशी विनिमय के संबंध में लगाये गये सभी प्रतिबन्ध हटा लिये जायँ।

(२) विनिमय दर की एक तालिका बना लेना अर्थात् विभिन्न देशों की मुद्राओं का मूल्य सोने या अमेरिकन डालरों के रूप में निर्धारित करना, जिससे वे व्यापारी, जो विदेशों से माल खरीदना चाहें, पहले से ज्ञात और स्थिर भाव से उन देशों की मुद्राएँ प्राप्त कर सकें।

(३) इस बात का प्रयत्न करना कि विदेशी विनिमय दर में यदि कोई बड़ा परिवर्तन करना हो, तो उसे कार्य में लाने से पहले सब राष्ट्रों से परामर्श कर लिया जाय। इस निधि में प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र चन्दा देता है। वह सोने के रूप में तथा अपनी मुद्रा के रूप में होता है। ३१ अक्टूबर १९४८ को इसकी निधि में निम्न प्रकार पूँजी थी।

१४०·३ करोड़ डालर का सोना।

५४४·८ करोड़ डालर के विभिन्न देशों के सिक्के।

११८·२ करोड़ डालर सदस्यों के चन्दे का धन।

कुल ८०३·५ करोड़ डालर

इसका प्रबन्ध गवर्नरों के बोर्ड के अधीन है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक गवर्नर होता है। एक कार्यकारिणी बोर्ड भी है जिसमें १९ सदस्य होते हैं। यह संचालक (Directors) कहलाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक : (International Bank for Reconstruction & Development)। इस संस्था की स्थापना सन् १९४४ में की गयी। इसका उद्देश्य उत्पादक कार्यों में पूँजी लगाया जाना सुलभ करके सदस्य-राष्ट्रों के प्रदेशों के पुनर्निर्माण और विकास में सहायता करना है। इसमें युद्ध के कारण विनष्ट या छिन्नभिन्न अर्थ-व्यवस्था को फिर से कायम करना, शान्तिकालीन आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन संबंधी सुविधाओं तथा अपेक्षाकृत कम विकसित देशों के साधनों के विकास को प्रोत्साहन देना है। यह बैंक ऋणों की गारंटी देकर या उसमें भागीदार बनकर निजी विदेशी पूँजी लगाये जाने और व्यक्तिगत पूँजी लगानेवालों को प्रोत्साहन देना है।

इसके सदस्य बनने के लिये मुद्रानिधि का सदस्य बनना आवश्यक है। इसका कार्यालय वाशिंगटन में है। इसके प्रबंध के लिये "बोर्ड ऑफ गवर्नर्स" है। इसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक प्रतिनिधि होता है। एक कार्यकारिणी संचालकों (Executive Directors) का बोर्ड भी है, जो इसका प्रबंध करता है। इसमें १४ सदस्य हैं।

बैंक की पूँजी सदस्य राष्ट्रों के हिस्सों से बनी है। प्रत्येक सदस्य अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार हिस्से लेता है। इसकी स्वीकृत (प्राप्य) पूँजी ८ अरब डालर है।

विश्व-स्वास्थ्य-संघ (World Health Organization)— जुलाई १९४६ में न्यूयार्क में इस संघ की स्थापना की गयी। इसमें संसार के ५० देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस संस्था का उद्देश्य "समस्त राष्ट्रों की जनता द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना है।"

इस संघ के विधान में स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है—

"स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पूर्ण कल्याण की अवस्था का नाम है; केवल रोग या दुर्बलता के अभाव का नाम स्वास्थ नहीं है।"

"इस प्रकार का स्वास्थ्य बिना किसी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, तथा जातीय भेदभाव के प्रत्येक मानव का मौलिक अधिकार है।"

शांति एवं सुरक्षा की प्राप्ति के लिये समस्त राष्ट्रों की जनता का स्वास्थ्य परम आवश्यक है। और यह समस्त व्यक्तियों तथा राज्यों के सहयोग पर निर्भर है।

यह संघ निम्न प्रकार के कार्य करता है—

(१) मलेरिया, क्षय, मौनरोग, प्रसूता व बालक का स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन, और वातावरण संबंधी शुद्धता के संबंध में अन्वेषण करता है।

(२) सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंध की समस्याओं पर विचार करता है और योजनाएँ बनाता है।

(३) कुछ विशेष घातक रोगों के संबंध में जांच।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ : (International Trade Organization), मार्च १९४८ में इस संघ की स्थापना के लिये हवाना में विधान स्वीकार किया गया। इसमें ५८ राष्ट्रों ने भाग लिया। इस संघ का उद्देश्य वैयक्तिक और सामूहिक रूप से सबके लिये रोजगार प्राप्त करना और स्थिरता के साथ वास्तविक आय को उत्तरोत्तर बढ़ाना है। इसके साथ कर घटाने और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में विभेदात्मक व्यवहार का अन्त करने पर ज़ोर दिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट निधि : (United Nations Childrens Emergency Fund) इस निधि की स्थापना ११ दिसंबर १९४६ को की गयी। युद्ध के कारण संसार में दो करोड़ बालकों की बड़ी बुरी दशा है। इन बालकों को भोजन, वस्त्र आदि की सहायता देने के उद्देश्य से यह निधि स्थापित की गयी। यह निधि ५० लाख से भी कम बालकों व प्रसूताओं की सहायता कर सकी है।

यूरोप में इस निधि के द्वारा १२ देशों, अलबानिया, आस्ट्रिया, बलगोरिया, जेकोस्लोवाकिया, फिनलैण्ड, फ्रान्स, यूनान, हंगेरी, इटली, पौलैण्ड, रूमानिया और यूगोस्लाविया के ४,०००,००० से ६,०००,००९ बालकों व गर्भवतियों को प्रतिदिन पूरक भोजन दिया गया। इन्हें 'दूध' घी और मछली का तेल दिया जाता है। इस कार्य में ६,०००,००० डालर व्यय किया गया। जर्मनी के चारों क्षेत्रों में १,०००,००० डालर व्यय किये गये।

एशिया के देशों में इस निधि ने कोई उल्लेखनीय सहायता नहीं की है। भारत, चीन, लंका, पाकिस्तान आदि में क्षय-निरोधक टीका लगाने का कार्य किया गया है। मध्य-पूर्व में यहूदियों तथा अरब शरणार्थियों के ५००,००० बालकों को भोजन दिया गया। दक्षिणी अमेरिका के लिये ४,०००,००० डालर व्यय करने का कार्य-क्रम तैयार किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ (International Civil Airation Organization)—इस संघ की स्थापना ४ अप्रेल १९४७ को की गयी। इस संघ के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :—

(१) अन्तर्राष्ट्रीय नभ-यातायात सुरक्षित रूप से हो।

(२) यह इस उद्देश्य से नभ सम्बन्धी कार्रवाई को एक मानदण्ड के अनुसार बनाने के लिये संदेश-वाहन, मौसम की रिपोर्ट, नभ यातायात नियंत्रण, मान-चित्र तथा तालिकाओं तथा लाइसेंस आदि के सम्बन्ध में व्यवस्था करता है।

(३) वायुयानों के निर्माण में सुरक्षा के लिये स्टैंडर्ड निर्धारित करता है।

(४) सब प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय नभ यातायात सम्बन्धी समझौतों की रजिस्ट्री करता है।

(५) देशों की सीमाएँ पार करने में जो कठिनाइयाँ हैं उन्हें कम करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय शरणार्थी संघ—२० अगस्त १९४८ को इसकी स्थापना की गयी। यह अस्थायी संस्था है। इस संघ का कार्य अधिकांश में यूरोप तथा मध्य-पूर्व तक ही सीमित रहा। यह शरणार्थियों के भोजन, वस्त्र, निवास तथा काम की व्यवस्था करता है। यह संघ २ लाख ८२ हजार व्यक्तियों को यूरोप के बाहर के देशों में यूरोप से भेजकर बसा चुका है।

———

अध्याय ६

पारिभाषिक शब्द-कोष

अटलांटिक चार्टर—अटलांटिक महासागर में ता० १४ अगस्त १९४१ को ब्रिटिश युद्ध-कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल तथा राष्ट्रपति रूजवेल्ट (संयुक्त राज्य अमेरिका) जलयानों द्वारा मिले और उन्होंने संयुक्त राज्य से एक घोषणा की, जिसमें आठ बातों का उल्लेख किया। उन्होंने यह घोषित किया कि उनकी सरकारें (१) किसी देश पर विजय नहीं चाहतीं और न किसी देश पर अधिकार जमाना। (२) सम्बन्धित प्रदेश या राज्य की जनता की इच्छा के बिना कोई प्रादेशिक परिवर्तन नहीं किया जायगा। (३) प्रत्येक राष्ट्र की प्रजा को स्वशासन के रूप का निर्माण करने का अधिकार है। (४) उन देशों को पुनः पूर्ण स्वाधीनता तथा प्रभुत्व के अधिकार प्राप्त होंगे, जिन्हें बलपूर्वक उनसे वंचित कर दिया गया है। (५) संसार के कच्चे माल तथा व्यापार में सब को समान सुयोग मिलेगा। (६) आर्थिक क्षेत्र में सब राष्ट्र मिलकर कार्य करेंगे। (७) नात्सी अत्याचार की पराजय के बाद स्थायी शान्ति की स्थापना की जायगी। (८) बलप्रयोग की नीति का परित्याग और निरस्त्रीकरण।

अटलांटिक (उत्तरी) सन्धि—यह संधि ४ अप्रैल १६४९ को वाशिंगटन में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रान्स, नार्वे, बेलजियम, नीदरलैण्ड इटली आदि देशों के बीच हुई है। इसके अनुसार यदि किसी एक राष्ट्र पर कोई राष्ट्र आक्रमण करेगा, तो वह आक्रमण इन समस्त राष्ट्रों पर आक्रमण माना जायगा और वे सब मिलकर उसके निवारण के लिये सशस्त्र बल का प्रयोग करेंगे। (विशेष 'विश्व राजनीति' अध्याय देखिये।)

अधिराज्य—'राष्ट्र-मण्डल' के पूर्ण स्वाधीन तथा प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य, जो ब्रिटिश मुकुट से अपना सम्बन्ध रखते हैं। इन्हें 'डोमीनियन' कहते हैं।

अधिनायक-तंत्र—राज्य को जनता की सम्मति या आकांक्षा के बिना एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह का शासन।

अन्तर्राष्ट्रीयता—इससे तात्पर्य उस विचारधारा से है जो संसार के समस्त राष्ट्रों में पारस्परिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और

व्यापारिक सहकारिता एवं मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहती है और इसके लिये वह समस्त राष्ट्रों के संघटन पर जोर देती है।

अन्तर्राष्ट्रीय गायन—यह समस्त समाजवादियों और साम्यवादियों का अन्तर्राष्ट्रीय गायन है। यह सोवियत रूस का राष्ट्रीय गायन भी है। सन् १८७१ में एक बेलजियन मजदूर ने इसकी रचना की थी। सन् १९३४ में उसकी मृत्यु पेरिस में हो गयी। इसके प्रथम छंद का हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है—

"उठो ! ऐ बुभुक्षित ! अपनी घोर निद्रा का त्याग कर !
उठो ! ऐ अभाव—आवश्यकता के बन्दी !
क्योंकि अब बुद्धि ने विद्रोह का बीड़ा उठाया है।
अब आखिर में पुरातन–युग का अन्त होता है।
अब तुम अपने सब अन्धविश्वासों का अन्त कर दो।
दासता के बन्धन में जकड़ी मानवता जाग जा, जाग जा ?
हम तुरन्त ही पुरानी दशा को बदल देंगे—
और धूल को पदप्रहार कर पुरस्कार जीतेंगे।
आओ, साथियो ! आओ 'रैली' करें।
हमें अन्तिम संघर्ष का सामना करना है।
ऐ अन्तर्राष्ट्रीय गीत ! मानव-जाति एकता के सूत्र में पिरोदे !"

अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ—यह नभ-यातायात सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है। (इसका विशेष विवरण अध्याय ५ देखें।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय—यह संसार के ३ राष्ट्रों के बीच होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निर्णय करने वाली संस्था है। इसका कार्यालय हेग-नीदरलैण्ड में है।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक—यह संसार के राष्ट्रों के पुनर्निर्माण तथा विकास के कार्यों में सहायता देने वाली बैंक है। यह सदस्य राष्ट्रों को ऋण देती है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि—यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि सदस्य राष्ट्रों को विदेशी विनिमय की सुविधा प्रदान कर व्यापार वाणिज्य में सहायता प्रदान करती है। सदस्य राष्ट्र इस कोष में मुद्रा जमा करते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय रेड-क्रास—यह अन्तर्राष्ट्रीय रेड-क्रास समिति स्विस नागरिकों ने बनायी है। यह सर्वथा तटस्थ होते हैं। इसका स्थायी मुख्य कार्यालय जिनेवा (स्विटजरलैण्ड) में है। इसका सम्मेलन चार वर्ष बाद होता है, जिसमें

इसकी नीति निर्धारित की जाती है। इसमें समस्त राष्ट्रों के रेडक्रास समितियों के प्रतिनिधि तथा उक्त समिति के प्रतिनिधि भाग लेते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विधान—अन्तर्राष्ट्रीय विधान से तात्पर्य ऐसे नियमों से है, जो किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, परिषद या संस्था द्वारा राष्ट्रों के पारस्परिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक सम्बन्धों व व्यवहारों के लिये निर्धारित किये गये हैं। इनमें युद्ध तथा युद्धबन्दियों के नियम तथा युद्ध अपराधों के नियम भी सम्मिलित हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ—इस संघ की स्थापना सन् १९२० में राष्ट्रसंघ के साथ ही उसके विधान की धारा २३ (अ) तथा वर्साई की संधि की धारा ३८७-४८७ के अन्तर्गत हुई थी। इस संस्था का काम मजदूरों की दशा में सुधार करने के लिये उपाय सोचकर संसार के राष्ट्रों को उनकी सिफारिश करना है।

अनिवार्य सैनिक-सेवा—सेना अथवा नौ-सेना में अनिवार्य रूप से भरती करने का नियम।

अनुदार-दल—यह ब्रिटेन का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। इसे अंग्रेजी में कंजरवेटिव पार्टी कहते हैं। यह दल पूँजीवाद तथा व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक है। यह राष्ट्रीयता में भी अति उग्र तथा साम्राज्यवाद का पोषक है। यह देश में समाजवादी व्यवस्था नहीं चाहता। इस दल के नेता विन्स्टन चर्चिल हैं।

अरब-लीग—मिश्र की राजधानी काहिरा में २२ मार्च १९४५ को अरब देशों ने परस्पर मिलकर इस संस्था की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य अरब देशों का इस्लाम के आधार पर संगठन है और विश्व-समस्याओं पर अपना दृष्टिकोण संयुक्त रूप से प्रकट करना है। इसमें मिश्र, ईराक, ट्रान्स-जोर्डन, सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान और यमन सम्मिलित हैं।

अराजकतावाद—यह एक राजनीतिक सिद्धान्त है जिसके अनुसार प्रत्येक संगठित राज्य-सत्ता या राज्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिये बन्धन है। इसलिये राज्य का विनाश कर देना चाहिए और एक राज्य-विहीन समाज की स्थापना करनी चाहिये। अराजकतावादियों का यह विचार है कि शासन का चाहे जो भी रूप क्यों न हो वह बल-प्रयोग पर आधारित है, इसलिये त्याज्य है।

अवमूल्यन—मुद्रा की विनिमय दर में कमी। गतवर्ष (१९४९) में ब्रिटेन की सरकार ने पौंड के मूल्य में कमी कर दी। पहले १ पौंड ४·०३ अमेरिकन

डालर के बराबर होता था। किन्तु पौंड की ३३½ प्रतिशत कीमत घटा दी गयी। अतः अब एक पौंड २-८० डालर के बराबर है। रुपये का संबंध पौंड से है। इसलिये भारत सरकार ने रुपये का विनिमय मूल्य भी उसी हिसाब से कम कर दिया है।

अमेरिका की चतुःसूत्री योजना—अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने २० जनवरी १६४६ को अमेरिकन कांग्रेस के समक्ष चतुःसूत्री योजना पर अपने भाषण में प्रकाश डाला। इसके चार अंग निम्न प्रकार हैं:—(१) संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा उसकी विशिष्ट संस्थाओं का समर्थन व उनसे सहयोग; (२) विश्व के आर्थिक पुनरुद्धार के लिये प्रयत्न जारी रखना; (३) आक्रमण के खतरे के विरुद्ध हम स्वाधीनता प्रेमी राष्ट्रों को सबल बनायेंगे। (४) संसार के अविकसित प्रदेशों के आर्थिक विकास के लिये सहायता।

इस चतुर्थ उद्देश्य के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका के पिछड़े देशों के आर्थिक विकास के लिये सहायता दे रही है। संयुक्त राष्ट्रसंघ भी इनके सुधार के लिये योजना तैयार कर रहा है।

असहयोग—सन् १६२० में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत में अंग्रेजी राज के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन आरंभ किया। गांधी जी का यह विचार था कि यदि कोई शासन जनहित में कार्य नहीं करता, तो जनता का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे शासन के साथ सहयोग न करे। असहयोग में समस्त सरकारी पदों का बहिष्कार, सरकारी कर न देना, न्यायालयों का बहिष्कार तथा सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार सम्मिलित था।

आतंकवाद—राजनीतिक हत्याओं, डकैतियों, सम्पत्ति विनाश तथा षड्यंत्रों द्वारा सरकार तथा सरकारी अधिकारियों को सत्ताहीन कर देने का प्रयत्न कर स्वयं अपने हाथों सत्ता लेलेना। अराजकतावाद के सिद्धान्त को ठीक ठीक रूप में न समझने वाले व्यक्तियों ने आतंकवाद का सहारा लिया और इसे अराजकतावाद कहने लगे। परन्तु वास्तव में इसका अराजकतावाद से कोई संबंध नहीं है।

आत्म-निर्णय—इस सिद्धान्त की प्रतिष्ठा सन् १६१४-१६४८ के युद्ध के बाद अमेरिका के स्वर्गीय राष्ट्रपति विल्सन ने की। इसके अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को अपने देश की स्वाधीनता के प्रश्न, उसकी शासन-प्रणाली तथा राजनीतिक भाग्य का निर्णय करने का अधिकार है।

आर्थिक राष्ट्रीयता—जो देश अपने उद्योगधंधों का विकास इस सीमा तक करना चाहता है कि वह स्वाश्रयी हो जाय और अतिरिक्त माल दूसरे देशों में बेचे; परन्तु उनसे कोई वस्तु न खरीदे अथवा कच्चा माल ही खरीदे।

आर्थिक साम्राज्यवाद—इस व्यवस्था के अन्तर्गत साम्राज्यवादी देश दूसरे देशों पर राजनीतिक आधिपत्य किये बिना ही उनके आर्थिक जीवन का नियंत्रण करते हैं। वे उन देशों में उद्योग-व्यवसाय खड़े कर अपनी पूँजी लगा देते हैं। एकाधिकार तथा ट्रस्ट और कार्टेल द्वारा देशों के आर्थिक जीवन पर अपना अधिकार जमा लेते हैं।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व—यह एक प्रकार की निर्वाचन-पद्धति है। निर्वाचन में उम्मीदवार की सफलता के लिये कम से कम मत निर्धारित कर दिये जाते हैं। जितने उम्मीदवार किसी निर्वाचन के लिये खड़े होते हैं उनमें से मतदाता नाम चुनकर जिसे वह चुनना चाहता है उनके नाम के सामने संख्या १ लिख देता है। इसके बाद दूसरे उम्मीदवार के नाम के सामने जिसे वह इसके बाद चाहता है संख्या २ लिख देता है। अपनी पसंद के तीसरे उम्मीदवार के नाम के सामने ३। इसी प्रकार वह संख्या लिख देता है।

मतगणना करते समय यह विदित हो जाय कि उम्मीदवार सं० १ को निर्धारित मत-संख्या से अधिक मत मिले हैं, तो उसके अधिक मत उस उम्मीदवार के मतों में जोड़ दिये जायेंगे, जिसे सबसे अधिक मतदाताओं ने सं० २ दी है। इसी प्रकार इसे निर्धारित मत-संख्या से अधिक जो मत मिलेंगे, वे उस उम्मीदवार को दे दिये जायेंगे, जिसे सबसे अधिक मतदाताओं ने सं० ३ दिया है।

यह प्रणाली बहुत ही उपयुक्त है। इसके द्वारा अल्प मत के भी प्रतिनिधियों को सुयोग मिलता है।

उत्तरदायी शासन—उत्तरदायी शासन-प्रणाली में सरकार या मंत्रि-मण्डल विधान-सभा या संसद के द्वारा जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसे मंत्रि-मण्डल प्रणाली भी कहते हैं।

उपनिवेश—उपनिवेश से प्रयोजन ऐसे देश या प्रदेश से है, जिस पर किसी राज्य के नागरिक आवास करने लगते हैं और कालान्तर में वहाँ की पिछड़ी प्रजा पर अपना शासन भी स्थापित कर लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि जो आज स्वतंत्र देश हैं, आरम्भ में उपनिवेश ही थे।

उदार-दल—यह ब्रिटेन की एक राजनीतिक पार्टी है, जिसे लिबरल पार्टी कहते हैं। हमारे देश में भी पहले लिबरल पार्टी थी। किन्तु अब तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहा है। सर तेजबहादुर सप्रू, श्री सी. वाई, चिन्तामणि आदि इस दल के थे।

एकाधिकार—यह आधुनिक आर्थिक जगत की एक प्रणाली है जिसके अनुसार संसार में एक या दो बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ या कम्पनियों का समूह किसी उद्योग या व्यवसाय पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। संसार भर में पेट्रोल पर दो महान कम्पनियों का एकाधिकार है—ऐंग्लोपर्सियन कम्पनी तथा रायल डच कम्पनी।

ऐहिक राज्य या शासन—ऐसा राज्य या शासन जिसकी नींव किसी धर्म के आधार पर या धार्मिक सिद्धान्तों के आधार पर न हो। अर्थात् ऐसे राज्य या शासन में सब धर्मों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है; राज्य के द्वारा किसी भी धर्म का समर्थन नहीं किया जाता। इसी कारण राज्य द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देना निषिद्ध होता है। भारत का शासन ऐहिक है। पाकिस्तान का शासन इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुसार होने से धार्मिक शासन है।

कांग्रेस--भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस—यह भारत की सबसे महान राष्ट्रीय संस्था है। सन् १८८५ में इसकी स्थापना बम्बई में हुई। सन् १६२० में महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व ग्रहण किया और सन् १६२९ में इसका लक्ष्य भारत के लिये पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना घोषित किया गया। सन् १६४७ के १५ अगस्त को राष्ट्रपिता गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तान्तर की। उस समय के बाद से कांग्रेस का ध्येय भारत में आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति करके सहकारी राष्ट्रमण्डल, (Co-operative Commonwealth) की स्थापना करना है। (इसका विशेष विवरण द्वितीय खण्ड में यथास्थान देखिए।)

अमेरिकन-कांग्रेस—अमेरिका में कांग्रेस के प्रयोजन वहां के संघीय विधान मण्डल (Federal Legislature) से है।

कामिन्टर्न—सन् १९२० में मास्को में तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी संघ की स्थापना की गयी। इस संघ का उद्देश्य संसार भर में साम्यवादी विचारधारा का प्रचार व प्रसार करना था। द्वितीय युद्ध काल में इसका अन्त कर दिया गया।

कामिन्फोर्म—सितम्बर १६४७ में पोलैण्ड में साम्यवादी दलों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में एक साम्यवादी सूचना कार्या-

लय (Communist Information Bureau) की स्थापन की गयी। कामिन्फोर्म इसी का संक्षिप्त नाम है। इसका मुख्य कार्यालय बेलग्रेड में है। (विशेष 'विश्व की राजनीति' अध्याय में पढ़ें।)

कोमिन्टांग—यह चीन देश की राष्ट्रीय सभा है। इसकी स्थापना सन् १९०५ में डा० सुनयातसेन ने की थी। इसका उद्देश्य चीन की स्वाधीनता की रक्षा तथा चीन में गणतंत्र की स्थापना था। इस दल के नेता च्यांग काई शेक हैं। चीन पर साम्यवादी दल की सरकार की स्थापना हो जाने से इस संस्था का गौरव भी नष्ट हो गया है।

कार्य-पालिका—राज्य का वह विभाग जो उसकी नीति को कार्यान्वित करता है तथा शासन का कार्य करता है।

कूटनीति—"स्वतंत्र राज्यों की सरकारों के मध्य राजकीय संबंधों के नियमन में बुद्धि तथा चातुर्य के प्रयोग का नाम कूटनीति है।" एक स्वतंत्र राज्य दूसरे स्वतंत्र राज्य के साथ जो राजनीतिक व्यवहार करता है और यह व्यवहार जिन राजनीतिक सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है, उसे ही कूटनीति कहते हैं।

कूटनीतिज्ञ—वर्तमान समय में प्रत्येक स्वतंत्र राज्य की सरकार अन्य स्वतंत्र राज्यों में अपना एक कूटनीतिक प्रतिनिधि रखती है। ये प्रतिनिधि अपनी श्रेणी के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे उच्च श्रेणी के प्रतिनिधि को राजदूत (Ambassador) कहते हैं; दूसरी श्रेणी के प्रतिनिधि को राज-प्रतिनिधि (Envoy) कहते हैं। तीसरे कूटनीतिक मंत्री (Minister Resident) कहलाते हैं। इन तीनों को राज्य के प्रमुख नियुक्त करते हैं, जैसे राष्ट्रपति या राजा। चौथे प्रकार के कूटनीतिक प्रतिनिधि चार्ज-डी-एफेयर कहलाते हैं। ये कूटनीति मिशन के अध्यक्ष होते हैं। ये अस्थायी व स्थायी दो प्रकार के होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्य-प्रमुख करता है किन्तु इनके प्रमाण-पत्र आदि की परीक्षा परराष्ट्र मन्त्री करते हैं।

खादी—यह महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग है। जो वस्त्र, चाहे ऊनी हों, सूती या रेशमी, हाथ के कते-बुने हों, वे खादी कहलाते हैं। अखिल भारतीय चर्खा संघ इस खादी उत्पादन की प्रामाणिक संस्था है। इसकी शाखाएँ प्रत्येक राज्य में हैं और प्रत्येक बड़े नगर में खादी-भंडार हैं।

गणतंत्र—गण-तंत्र शासन-प्रणाली वह है जिसमें शासन-सत्ता या प्रभुत्व जनता में निहित होता है और जनता मतदाताओं द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनकर

शासन-प्रबन्ध की व्यवस्था करती है। ऐसी प्रणाली में कोई राजा नहीं होता। चार या पाँच वर्ष के लिये राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है।

गणतंत्रवादी-दल—यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। इसे रिपब्लीकन पार्टी करते हैं। दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी है। गणतंत्रवादी दल का जन्म १८५४ में हुआ। यह दल दासत्व-विरोधी था। लिंकन के काल में १८६० में यह दल सत्ताधारी था। इसने सन् १९१२ तक शासन किया।

यह सन् १९२० में फिर सत्तारूढ़ हो गया। यह साम्राज्यवादी है तथा इसने विल्सन के राष्ट्रसंघ में सम्मिलित होने के प्रस्ताव का विरोध किया।

गुट—राजनीतिक दलों अथवा राज्यों द्वारा बनाया गया एक संघटन जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये कार्य करता है।

गेस्टापो—यह नात्सी जर्मनी की गुप्त पुलिस का नाम है। हिटलर ने इसका संघटन नात्सी विरोधियों का दमन करने के लिये किया था। गेस्टापो का प्रधान संचालक हेनरिक हिमलर था।

जन-तंत्र—जनतंत्र प्रणाली से तात्पर्य ऐसी प्रणाली से है जिसमें जनता द्वारा, जनता के लिये, जनता का शासन हो। इसे लोक तंत्र तथा प्रजातंत्र भी कहते हैं। जन-तंत्र प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रकार का होता है। परोक्ष से तात्पर्य यह है कि जनता के द्वारा निर्धारित मतदाता प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और वे प्रतिनिधि शासन-व्यवस्था में भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष जनतंत्र आजकल के बड़े राज्य में संभव नहीं है।

जनमत-संग्रह—किसी प्रश्न को स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये जनता का मत प्राप्त करने के लिये सौंपना।

जातीयता—(Nationality) एक राष्ट्र के अन्तर्गत प्रजातीय समुदाय।

डम्बरटन ओक्स-सम्मेलन—वाशिंगटन (अमेरिका) में डम्बरटन ओक्स नामक एक स्थान पर ९ अक्टूबर १९४४ को अमेरिका, ब्रिटेन, रूस व चीन के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना के लिये निश्चय किया गया था।

डालर-क्षेत्र—संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशों का वह क्षेत्र; जहाँ किसी माल की अदायगी डालरों व सोने में की जाती है।

डालरडिप्लोमेसी—डालर-कूटनीति—इसका तात्पर्य यह है कि अमेरिका किसी देश की भूमि पर अपना आधिपत्य न कर अपने डालरों से नियंत्रण करता

है। आज सारे संसार में 'डालर कूटनीति' काम कर रही है। 'डालर' अमेरिका की सुवर्ण मुद्रा है।

तटकर या सीमाकर—जो माल दूसरे देशों से निज देश में लाया जाता है या दूसरे देशों में भेजा जाता है उसे तटकर (Tariff) कहते हैं।

तटावरोध—अन्तर्राष्ट्रीय विधान में इस शब्द का अर्थ यह है कि शत्रु राष्ट्र को कोई भी माल भेजने से रोक लगा देना और न उससे कोई माल मँगाना।

तटस्थता—अन्तर्राष्ट्रीय विधान में ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें कोई राज्य युद्ध में भाग नहीं लेता और न वह विग्रही राष्ट्रों की किसी प्रकार से सहायता करता है।

दलितवर्ग—इस शब्द का प्रयोग परिगणित जातियों के लिये किया जाता है। इससे उनकी आर्थिक तथा सामाजिक दुरवस्था का बोध होता है।

देशीयकरण—अन्य राज्य के किसी नागरिक को अपने राज्य की नागरिकता प्रदान करना। इसके लिये प्रत्येक राज्य के कुछ नियम होते हैं, जिनके अनुसार देशीयकरण किया जाता है।

दक्षिण-पक्ष—विधान-सभा में ऐसी परम्परा है कि अनुदार दल के सदस्य अध्यक्ष के दक्षिण की ओर और समाजवादी तथा प्रगतिशील दल के लोग वामपक्ष में बैठते हैं। इसी कारण दक्षिणपक्ष अनुदार दल का बोधक है और वामपक्ष प्रगतिशील दल का।

दुर्लभ मुद्राक्षेत्र—(Hard Currency area) ब्रिटिश स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों में दुर्लभ मुद्रा से आशय ऐसी मुद्रा से होता है जिसके हाथ व्यापारिक सन्तुलन न हो अर्थात् जिसके माल का पूरा मूल्य चुकाने में सुवर्ण या डालरों की आवश्यकता हो।

निरस्त्रीकरण—राज्यों की सेनाओं में इतनी कमी कर देने तथा शस्त्रों में भी कमी कर देने की योजना, जिससे राज्य अपनी रक्षा भर कर सकें और दूसरे देशों पर आक्रमण न कर सकें।

परमवीर चक्र—यह पदक भारतीय सेना में सबसे वीरता-पूर्ण कार्य के लिये प्रदान किया जाता है।

परिगणित जातियाँ—यह नाम सन् १९३५ के शासन-विधान द्वारा उन जातियों के लिये दिया गया है जो हिन्दू-समाज के अन्तर्गत नागरिक अधिकारों से वंचित हैं। भारत के गणराज्य के संविधान द्वारा इन जातियों को संरक्षण

दिये गये हैं, जिससे इनकी राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार हों, और इन्हें समान सुयोग प्राप्त हों। इन जातियों की सूची भारतसरकार ने निश्चित कर दी है। जो जातियाँ सूची में आ गई हैं, उन्हे ही ये सुविधाएँ प्राप्त हैं।

पान-अमरीकन यूनियन—यह अमेरिका के २१ गणराज्यों का एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ है जिसका उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, औद्योगिक व सामाजिक क्षेत्रों में परस्पर सहयोग स्थापित करना है। यह एक प्रकार का प्रादेशिक संघ है।

प्रवास—एक राज्य के नागरिक जब दूसरे राज्य में रहते हैं और उन्हें वहाँ नागरिकता के अधिकार प्राप्त नहीं होते, तो वे प्रवासी कहलाते हैं।

प्रवासी—किसी भी राज्य में ऐसे व्यक्ति जिन्हें नागरिकता के अधिकार न हों, वे अपने राज्य द्वारा प्रवासी कहलाते हैं।

प्रत्यर्पण—(Extradition) जब कोई अपराधी एक राज्य से भागकर दूसरे राज्य में चला जाता है, तो उसे उसी राज्य में जहाँ से वह भागकर आया है न्याय के लिये भेज दिया जाता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय नियम है।

पंचम स्तम्भ—(Fifth Column) इस शब्द का प्रयोग सन् १९३६–३९ के स्पेन के गृह युद्ध के समय से होने लगा है। राष्ट्रवादियों ने जनरल फ्रांको के नेतृत्व में चार स्तम्भ बनाकर बाहर से गणतंत्रवादियों पर हमला किया। उनके अनुयायी जो गणतंत्रवादी दल में गुप्त रूप से विद्यमान थे, उन्होंने भीतर से विद्रोह किया। ये गुप्त विद्रोही पाँचवाँ कालम कहलाये। उसी समय से इस शब्द का प्रयोग किसी दल या देश के भीतर विद्रोहियों के लिये किया जाता है।

पूँजीवाद
पूँजीपति } देखिए अध्याय ५

प्रजातिवाद—(Racialism) एक प्रजाति को दूसरी की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर दूसरी प्रजातियों के साथ भेद-भावपूर्ण व्यवहार करना।

प्रतिषेधाधिकार—(Veto-Power) इससे तात्पर्य ऐसे अधिकार से है, जिसके द्वारा किसी भी योजना, व्यवस्था या प्रस्ताव को व्यर्थ किया जा सके।

फैसिज्म—देखिए अध्याय ५

फैसिस्ट-विरोधी जन-स्वातंत्र्य परिषद (Anti-Fascist Peo-

ple's Freedom League)। यह बर्मा की राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना १६४५ में जनरल आंगसान ने सन् १९४५ में की थी।

ब्रूसेल्स संधि—देखिए अध्याय ३ ।

भद्रजनोचित समझौता—राजनीतिज्ञों के बीच जो कूटनीतिक समझौता होता है, उसे भद्रजनोचित समझौता कहते हैं। ऐसा समझौता किसी कागज-पत्र पर नहीं लिखा जाता।

मध्यम वर्ग—आर्थिक स्थिति के आधार पर साधारणतया समाज कई वर्गों में विभाजित है। इसमें से निम्नलिखित वर्ग महत्वपूर्ण हैं। उच्चवर्ग वह है जो उद्योग-व्यवसाय करते हैं अथवा जागीरदार, जमींदार या बड़े-बड़े ठेकेदार तथा कंपनियों के संचालक हैं। इन्हें पूँजीपति कहते हैं। दूसरा वर्ग वह है जो साधारणतया मजदूरी करता है, इसमें कल-कारखानों व खेतों पर मजदूरी करनेवाले करोड़ों लोग सम्मिलित हैं। इन्हें सर्वहारा या निम्न वर्ग कहते हैं। इन दोनों के बीच का एक वर्ग है इसे मध्यम वर्ग कहते हैं। इस वर्ग के अन्तर्गत छोटे व्यापारी, दुकानदार, सरकारी कार्यालयों में कार्य करनेवाले छोटे कर्मचारी, क्लर्क, अध्यापक, प्रोफेसर, डाक्टर, वकील आदि सम्मिलित हैं।

मध्यवर्ती राज्य—(Buffer State) दो बड़े राज्यों के बीच एक छोटे राज्य की स्थापना, जिससे उन दोनों के बीच संघर्ष न हो।

म्युनिक समझौता—इस समझौते पर जर्मनी, ब्रिटेन, इटली व फ्रान्स ने म्युनिक (जर्मनी) में २९ सितम्बर १९३८ को हस्ताक्षर किये। इस समझौते के अनुसार जेकोस्लोवाकिया के सुडेटन-प्रांत जर्मनी को दे दिये जाने का निश्चय किया गया। मार्च १६३९ में हिटलर ने समग्र देश पर ही अपना अधिकार जमा कर इस समझौते का उल्लंघन कर दिया।

मजदूर-दल (ब्रिटेन)—यह ब्रिटेन की समाजवादी पार्टी है। इसमें मजदूर-संघ, समाजवादी तथा सहकारी समितियाँ सम्मिलित हैं। सन् १६०६ में इसकी स्थापना हुई। सन् १९४५ में इस दल की ब्रिटिश पार्लमेंट के निर्वाचनों में विजय हुई और इसने क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में ब्रिटेन में सबसे प्रथम बार समाजवादी सरकार की स्थापना की। फरवरी १९५० के चुनावों में भी इसी दल की विजय हुई है।

एम. आर. पी. (Movement Republican Popularie) —यह फ्रान्स की एक राजनीतिक पार्टी है जिसमें कैथोलिक किसान, छोटे पूँजीपति और ईसाई ट्रेड यूनियन के मजदूर सम्मिलित हैं।

महावीर-चक्र—यह भी भारतीय सेना का वीरता का पदक है।

मार्शल-योजना—यह सन् १९४७ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता देने के लिये स्थापित यूरोपीय आर्थिक पुनरुद्धार कार्यक्रम का नाम है। तत्कालीन अमेरिकन परराष्ट्र-मंत्री जार्ज मार्शल ने इस योजना की स्थापना की थी। अतः उन्हीं के नाम से यह संसार में प्रसिद्ध है।

मुद्रा-प्रसार या मुद्रा-स्फीति—मुद्रा-प्रसार उस स्थिति का नाम है, जब कि नागरिकों के पास धन तो अधिक होता है और बाजारों में वस्तुएँ कम होती हैं। इस कारण वस्तुओं के मूल्य अधिक बढ़ जाते हैं; रुपये का मूल्य घट जाता है। ऐसा प्रायः अधिक नोटों के छापने से होता है।

मुद्रा-संकोच—ऐसी स्थिति जिसमें नोटों का प्रचलन कम हो जाय, ऋण लेने की सुविधा में कमी, क्रय-शक्ति का ह्रास, तथा चीजों के सस्ते दाम हों।

युद्ध प्रचारक—जो व्यक्ति युद्ध चाहते हैं और इसलिये युद्ध की तैयारियाँ करने के लिये सरकार तथा जनता से यह अपील करते हैं कि अमुक राष्ट्र हम पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है। इसलिये हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए। चर्चिल संसार-प्रसिद्ध युद्ध-प्रचारक है।

युद्ध-विरोधी—युद्ध छिड़ने से पूर्व और बाद में जो युद्ध का विरोध करते हैं तथा युद्ध में अपनी सरकार को किसी प्रकार की सहायता या सहयोग देने का विरोध करते हैं। महात्मा गांधी जी ने सन् १९४०-४१ में युद्ध-विरोधी-सत्याग्रह आन्दोलन जारी किया था।

राजदूत—(Ambassador) सर्वोच्च कूटनीतिक प्रतिनिधि जो एक स्वतन्त्र राज्य द्वारा दूसरे स्वतन्त्र राज्य में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है।

राष्ट्र—'राष्ट्र' (Nation) शब्द का हिन्दी पर्याय है। इससे ऐसे मानव समुदाय का बोध होता है, जो किसी निश्चित प्रदेश पर आवास करता है और जिसके सदस्यों में भाषा, संस्कृति, आचार, विचार, धर्म तथा ऐतिहासिक परम्परा के बन्धन होते हैं अथवा जो परस्पर ऐसी भावना का अनुभव करते हैं, जिससे एक राष्ट्र कहे जा सकें। आजकल के युग में राज्य राष्ट्र-राज्य हैं। इसलिए राष्ट्र और राज्य में बहुत ही कम अन्तर प्रतीत होता है।

राज्य—जब किसी राष्ट्र की अपनी सरकार होती है तब उसे राज्य (State) कहते हैं। राज्य का सम्बन्ध प्रभुत्व से है।

राज्य-क्रान्ति—(Coup Detat) राज्य में—शासन में—सैन्यबल द्वारा सहसा परिवर्तन को राज्य-क्रान्ति कहते हैं। इसके विपरीत जन-क्रान्ति (People's Revolution) में जनता शासन के विरुद्ध विद्रोह करके शासन-सत्ता हस्तगत करती है।

राष्ट्रीय—इस शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। एक भाव में इसका अर्थ है ऐसी कोई प्रवृत्ति, आन्दोलन या योजना अथवा संस्था जिसका सम्बन्ध समूचे राष्ट्र से हो, किसी प्रदेश या संघ के अन्तर्गत राज्य से न हो। उदाहरणार्थ संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकन कांग्रेस द्वारा जो विधान या कानून स्वीकार किये जाते हैं, वे राष्ट्रीय कहलाते हैं और उसके राज्यों के कानून स्थानीय कानून कहलाते हैं। इसका दूसरा अर्थ यह है कि कोई योजना कानून या प्रवृत्ति ऐसी है जो राष्ट्र की भावना से पूर्ण है; उसमें राष्ट्र का अहित नहीं है।

राष्ट्रीय-ऋण—वह ऋण जिसे सरकार जनता से प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त विदेशों से प्राप्त ऋण भी इसमें सम्मिलित होता है। इनमें ट्रेजरी बिलों, पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक की जमा, कैश सार्टिफिकेट आदि सम्मिलित हैं। मार्च १९४९ में भारत का राष्ट्रीय ऋण २४०८ करोड़ रुपये था।

राष्ट्रीय आय—इसमें समस्त राष्ट्र की जनता की एक वर्ष की आय सम्मिलित होती है, जो कृषि, उद्योग-धंधों तथा सेवा-कार्य से प्राप्त होती है। सन् १९४८–४९ में भारतीय संघ के प्रान्तों की राष्ट्रीय आय ४,४६० करोड़ रुपये थी। इस प्रकार प्रति व्यक्ति औसत आय १८६ रुपये सालाना हुई।

राज्य क्षेत्रातीतता—(Extra territoriality)—इस शब्द का अर्थ है कुछ व्यक्तियों, सम्पत्तियों या स्थानों का उस राज्य की अधिकार-सीमा से विमुक्ति जिसके अन्तर्गत वे स्थित हैं। उदाहरणार्थ, चीन में ब्रिटिश नागरिकों को चीनी न्यायालय की अधिकार-सीमा से विमुक्ति प्राप्त थी।

रामराज्य—गांधी जी ने अपनी राज्य-कल्पना या स्वराज्य का आदर्श 'रामराज्य' शब्द द्वारा व्यक्त किया है। इसका अर्थ है ऐसा स्वराज्य जिसमें किसी प्रकार का जाति-भेद, अस्पृश्यता और आर्थिक विषमता न हो। कोई गरीब न हो और न कोई मानव किसी दूसरे का शोषण करे। देश में पंचायती राज्य हो; प्रजा के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की पंचायत देश का शासन करे। शासन-सत्ता किसान-मजदूर-प्रजा के हाथों में हो।

राज्य-पाल—भारतीय संघ के अन्तगत राज्य के शासक को राज्यपाल कहते हैं। यह राज्य 'अ' श्रेणी के अन्तर्गत राज्य होने चाहिए। जैसे उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश, मद्रास, बंबई, पंजाब, बिहार आदि।

राज्य-प्रमुख—भारतीय संघ के अन्तर्गत 'ब' श्रेणी के राज्यों के शासक 'राज्य-प्रमुख' कहलाते हैं। जैसे राजस्थान संघ, मध्य भारत संघ, सौराष्ट्र संघ, हैदराबाद आदि।

राष्ट्रसंघ—(League of Nation) वर्साई की संधि के फलस्वरूप सन् १९२० में इसकी स्थापना संसार में विश्व शान्ति की स्थापना के लिये हुई थी। द्वितीय विश्वयुद्ध में इसका पतन हो गया। सन् १९४५ में इसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना की गयी।

राष्ट्रीय-करण—राज्य द्वारा देश के उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, यातायात के साधनों, खानों, लोक-सेवाओं आदि पर से व्यक्तिगत स्वामित्व को प्रतिकर देकर या बिना प्रतिकर दिये राज्य के स्वामित्व में ले लेना।

राष्ट्रमण्डल (कॉमनवेल्थ)—ब्रिटेन की सरकार सन् १९११ से अपने साम्राज्य के अन्तर्गत डोमीनियनों, अधिराज्यों के सम्मेलन समय-समय पर साम्राज्य के प्रश्नों पर विचार विनिमय के लिये आमन्त्रित करती रही है। इसे पहले साम्राज्य-परिषद कहते थे। १९११, १९१७, १९१८, १९२१, १९२३, १९२६, १९३० में इसके सम्मेलन हो चुके हैं। अक्टूबर १९४८ में लन्दन में इसका सम्मेलन हुआ। पहले इसे ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल कहते थे। किन्तु सन् १९४७ से इसमें ऐसे राष्ट्र भी सदस्य हैं, जो ब्रिटिश नहीं हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, लंका। अतः अब इसे केवल राष्ट्रमण्डल ही कहा जाता है। राष्ट्र-मण्डल एक प्रकार की स्वतंत्र देशों की सभा है, जिसमें राष्ट्र-मण्डल के देशों की समस्याओं पर विचार-विनिमय किया जाता है और उसमें जो निश्चय किये जाते हैं, वे एक विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित कर दिये जाते हैं। यह आवश्यक नहीं होता कि वे निर्णय किसी राज्य पर बंधनकारी हों। इस प्रकार यह विचार-विनियम के लिये माध्यम है।

वर्ग संघर्ष—विविध आर्थिक वर्गों में परस्पर हित-विरोध।

वित्त विधेयक—ऐसा 'बिल' जिसका धन से सम्बन्ध हो।

वीर चक्र—यह भारतीय सेना का वीरता के लिये सबसे छोटा पदक है।

विधान-परिषद—(Legislative Council of State)

विधान-सभा—(Legislative Assembly of State)

विराम सन्धि—युद्ध बन्द कर देने के लिये विद्रोही राष्ट्रों में अस्थायी समझौता।

रोजगार केन्द्र या कार्यालय—भारत-सरकार ने प्रत्येक राज्य के प्रमुख नगरों में श्रम विभाग के अधीन रोजगार-कार्यालय (Employment Exchange) स्थापित किये हैं। इन कार्यालयों में बेरोजगार व्यक्तियों के नाम लिखे जाते हैं और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार काम दिलाने के लिये प्रबन्ध किया जाता है।

शान्तिवाद—शान्तिवाद का यह प्रयोजन है कि संसार में शान्ति स्थापना के लिये किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया जाय। शान्तिवाद युद्ध तथा शस्त्रबल दोनों का विरोधी है। ये विश्व शान्ति के लिये संसार में एक सरकार की स्थापना में विश्वास करते हैं। दिसंबर १९४९ में शान्तिनिकेतन (बोलपुर) तथा सेवाग्राम में शान्तिवादी सम्मेलन के दो अधिवेशन हुए। इनमें ३४ देशों के ९० प्रतिनिधि (६३ विदेशी, २४ भारतीय, ३ पाकिस्तानी) सम्मिलित हुए और उन्होंने विश्वशान्ति की समस्याओं पर विचार विनिमय किया। महात्मा गांधी जी की यह हार्दिक इच्छा थी कि इस प्रकार का सम्मेलन भारत में आमंत्रित हो; किन्तु उनके जीवन-काल में उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी।

समष्टिवाद या समूहवाद—(Collectivist)—समष्टिवादी पूर्ण रूप से समाजवादी नहीं होता। किन्तु वह व्यक्तिगत सम्पत्ति के समर्थन के साथ-साथ कुछ उद्योग-धन्धों को राज्य के अधिकार में रखना चाहता है, जैसे शिक्षा, यातायात, भूमि, खानें आदि।

समाजवाद—इससे तात्पर्य ऐसी सामाजिक नीति अथवा व्यवस्था से है जो केन्द्रीय जनतन्त्रात्मक सत्ता द्वारा, सम्पत्ति का सर्वोत्तम ढङ्ग से उत्पादन तथा वितरण करना चाहती है। समाजवाद समाज की समस्त सम्पत्ति पर सब व्यक्तियों का अधिकार मानता है और सब व्यक्तियों द्वारा उसके उत्पादन तथा उपभोग की व्यवस्था करता है।

सर्वोदय—गांधी जी की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विचारधारा तथा व्यवस्था।

सर्वोदय-दिवस—३० जनवरी १९४८ को सायंकाल ५ बजे नई देहली में बिरला-भवन में प्रार्थना के समय नाथूराम नामक एक आततायी ने राष्ट्रपिता गांधी जी की, पिस्तौल से गोली दाग कर, हत्या कर दी। उसी समय से ३०

जनवरी की पुण्य तिथि सर्वोदय-दिवस के रूप में देश भर में मनायी जाती है। इस अवसर पर गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का विशेष रूप से आयोजन किया जाता है तथा राजघाट में सर्वोदय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है।

सर्वोदय-समाज—राष्ट्रपिता गांधीजी के अनुयायियों तथा भक्तों ने गांधीजी के सिद्धान्तों के अनुसार वर्ग-हीन अहिंसक समाज की स्थापना करने के लिये इसे स्थापित किया है। इसका मुख्य कार्यालय वर्धा में है और श्रीमन्नारायण अग्रवाल इसके वैदेशिक प्रचार मंत्री हैं। उन्होंने १९४९ में यूरोप व अमेरिका और एशिया के विविध देशों में भ्रमण कर सर्वोदय विचारधारा का प्रचार किया है। श्री आचार्य विनोबा भावे, दादा धर्माधिकारी, काका कालेलकर, श्री किशोरलाल, मश्रूवाला, आदि इसके प्रमुख नेता हैं। वर्धा से 'सर्वोदय' नामक एक मासिक पत्र भी निकलता है।

संसद्—भारतीय गणराज्य की कानून बनाने वाली सर्वोपरि संस्था।

संविधान—राज का मौलिक कानून।

संविधान-परिषद्—राज्य के मौलिक कानून का निर्माण करनेवाली संस्था।

संयुक्त-दल—कई राजनीतिक दलों को मिलाकर बनाया हुआ राजनीतिक दल।

संयुक्त मंत्रि-मंडल—ऐसा मंत्रि-मण्डल जिसमें कई दलों के सदस्य सम्मिलित हों।

संघवाद—शासन की ऐसी पद्धति जिसमें शासन-सत्ता राष्ट्रीय (केन्द्रीय) सरकार तथा उसके अंगों (राज्यों व प्रान्तों) के मध्य विभाजित होती है। इस सत्ता विभाजन का उल्लेख संविधान में होता है।

सम्पत्ति-विनाश— (Sabotage) सबसे पूर्व इस शब्द का प्रयोग कारखाने में मजदूरों द्वारा मालिक की सम्पत्ति का नाश करने के लिये प्रयोग किया जाता था। अब इस शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से शत्रुद्वारा तथा विद्रोहियों द्वारा राज्य की सम्पत्ति विनाश के लिये होता है।

सर्वनाशी नीति— यह युद्ध-कालीन नीति है जिसके अनुसार जब किसी देश पर शत्रु चढ़ाई करते थे तो रक्षा-सैन्य देश की सम्पत्ति तथा युद्ध-साधनों व सामग्री का नाश कर देती थी जिससे शत्रु उनसे लाभ न उठा सकें।

साम्यवाद (कम्युनिज्म)—साम्यवाद ऐसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है जिनके आधार पर पूँजीवाद से समाजवाद की ओर अग्रसर हो सकते हैं।

इसके दो मुख्य सिद्धान्त वर्ग-युद्ध तथा बलपूर्वक शासन-सत्ता पर अधिकार जमाकर सर्वहारा वर्ग का अधिनायक-तंत्र स्थापित करना है। यह अधिनायक-तंत्र केवल संक्रमण-कालीन व्यवस्था है। इसके बाद वर्गहीन समाज की स्थापना हो जायगी; जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सर्वहित के लिये अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार उपभोग करेगा। साम्यवाद समस्त राष्ट्रों की समानता को स्वीकार कर मानव एकता में विश्वास करता है और वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन करता है।

सोवियत रूस की सामाजिक व्यवस्था को साम्यवादी व्यवस्था कहा जाता है। किन्तु वास्तव में अभी वहाँ साम्यवाद की स्थापना नहीं हुई है। वहाँ तो अभी समाजवादी व्यवस्था ही स्थापित है।

सामूहिक सुरक्षा—इसका अर्थ यह है कि संसार के सब राष्ट्र मिलकर प्रत्येक राष्ट्र की रक्षा की व्यवस्था करें। एक राष्ट्र पर आक्रमण समस्त राष्ट्रों पर आक्रमण माना जाय।

साम्प्रदायिकता—राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में जातीय, धार्मिक अथवा सांस्कृतिक या भाषिक आधार पर समुदायों या सम्प्रदायों द्वारा अपने प्रतिनिधान व संरक्षण की माँगें करना।

सोवियत—सोवियत का अर्थ 'सभा' (Council) से है। रूस में स्थानीय सभा को सोवियत कहते हैं। इसमें किसान, मजदूर और सैनिक होते हैं। ये अपने प्रतिनिधि कांग्रेस में भेजते हैं।

स्टर्लिंग क्षेत्र—इस क्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रमण्डल के देश तथा यूरोप के कुछ और भी देश हैं। ये देश ब्रिटिश विनिमय विभाग में डालरों का कोष जमा रखते हैं और जब डालर-क्षेत्र के साथ व्यापार वाणिज्य करते हैं तब वे उसका उपभोग करते हैं।

स्टर्लिंग पावना—खजाने की हुंडियों, बैंक में जमा रकमों, तथा सरकारी कागजों में लगी रकम के रूप में ब्रिटेन के समुद्र पार के देशों का तथा उनके निवासियों का जो धन लगा रहता है, उसे स्टर्लिंग पावना या पौंड कहते हैं। इसे स्टर्लिंग ऋण भी कहा जाता है। क्योंकि यह ब्रिटेन के लिये एक प्रकार का ऋण ही है जिसकी उसे अदायगी करनी पड़ती है। लन्दन को ४ अरब पौंड दूसरे देशों को देना है।

सुवर्ण-संचय—(Gold Reserve) इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक देश अपने कोष में कुछ सुवर्ण संचित कर रखता है, जिससे उसने अपने देश में

नोटों (करैंसी) का जो प्रचलन कर रखा है, उसकी साख बनी रहे। विदेशों को अदायगी भी सुवर्ण में करनी पड़ती है।

सुवर्ण-मान—ऐसी मुद्रा-प्रणाली जिसके अन्तर्गत बैंक के नोट एक नियत दर पर सुवर्ण में परिवर्तित किये जा सकते हैं। इसके तीन तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि केन्द्रीय बैंक नोटों के परिवर्तन में सुवर्ण मुद्राएँ देने तथा सुवर्ण एक नियत दर से लेने व बेचने के लिये बाध्य है। दूसरा तरीका यह है कि देश में कोई सुवर्ण मुद्रा प्रचलित नहीं होती; किन्तु केन्द्रीय बैंक एक नियत दर पर सुवर्ण बेचने व खरीदने के लिये बाध्य है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, हालैण्ड, बेलजियम और स्विट्ज़रलैण्ड में दूसरी प्रणाली प्रचलित है।

सैन्य-संचालन—(Mobilization)

सैन्य-विसर्जन—(De-mobilization)

मुद्रक—वासुदेव, आर्यभूषण प्रेस, ब्रह्मघाट, बनारस।

अध्याय ७

भारत की भौगोलिक स्थिति

वर्तमान समय में भारत के अन्तर्गत भारतीय गणराज्य के प्रदेशों के अतिरिक्त पुर्तगाली तथा फ्रेंच प्रदेश भी हैं। पुर्तगाली प्रदेश निम्न लिखित हैं—गोआ, अमन, ड्यू तथा फ्रेंच प्रदेश हैं— महे, काराकेल, पांडिचेरी, यनाम तथा चन्द्रनगर। भारत का आकार एक त्रिकोण के समान है, जिसकी एक भुजा हिमाचल के अंचल पर है और दो भुजाएँ उत्तर में विस्तृत होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अन्तरीप में मिल जाती हैं और उसके चरणों में भारतीय महासागर की तरंगें नृत्य करती हैं। कन्याकुमारी से कुछ अन्तर पर लंका द्वीप है। इस संबंध में विद्वानों में आज मतभेद है कि यह वास्तव में वही लंका है, जिसका अधिपति रावण था।

भारत के शीर्ष पर हिमाच्छादित और सुरम्य काश्मीर है, जिसके भाग्य का निर्णय सुरक्षा-समिति के हाथ में है। काश्मीर के उत्तर-पश्चिम की सीमा पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और रूस मिलते हैं। पूर्वी पंजाब भारत के अन्तर्गत है, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के अन्तर्गत है। पूर्व में बंगाल दो भागों में विभाजित है। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में है; पश्चिमी भारत में। आसाम की सीमा पर वर्मा देश है। भारत की समुद्रतट-सीमा अधिक लम्बी है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है; दक्षिण में भारतीय महासागर और पश्चिम में अरब-सागर। उत्तर में हिमाचलपर्वतमाला है। यह दुनिया में सबसे उच्च पर्वतमाला है।

पूर्व से पश्चिम में भारत का विस्तार २००० मील है और उत्तर से दक्षिण में भी २००० मील है। भारत की भौमिक सीमा ५,५०० मील लम्बी है और सामुद्रिक सीमा ४७०० मील लम्बी है। भारत

का क्षत्रफल १,२२०,०६६ वर्गमील और कुल जनसख्या ३१८,६१२,५०६ । यह संसार की जनसंख्या का एक छठा भाग है ।

भारत में केवल बंबई और गोआ प्राकृतिक बन्दरगाह हैं । भारत के मुख्य बन्दरगाह निम्नलिखित हैं—

बेदी बन्दर, पोर्ट ओखा, पोरबन्दर, सूरत, बंबई, भारभुगाओ, मंगलौर, कालीकट, कोचीन, एलेपी, क्वीलोन, टलीकोरिन, धानुष-कोडी, नेगापट्टम, कारीकल, कुदालोर, पांडिचेरी, मद्रास, मछलीपट्टम, कोकनाडा, विजगापट्टम, कलकत्ता ।

हिमाचलपर्वतमाला संसार में सबसे ऊँची है । इसमें कई चोटियाँ हैं जो संसार में सर्वोच्च मानी जाती हैं । एवरेस्ट चोटी २६,००० फीट ऊँची है; गोडविन अस्टेन चोटी २८,२५० फीट है और किंचिनजिगाँ चोटी २७,८१५ फीट ऊँची है । हिमालय की पर्वतमाला भारत के उत्तर में एक अभेद्य दीवार की भाँति है, जिसमें बीच में कोई भी मार्ग या द्वार नहीं है । काश्मीर से एक छोटा मार्ग उत्तर की दिशा में है ।

भारत के उत्तर में अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक गंगा का हरित मैदान है । यह भूमि समतल है और इसके बीच में कोई भी पर्वत, झील या सागर आदि नहीं है । यह समतल भूमि १५०० मील लम्बी और १५० से २०० मील चौड़ी है । यह समतल भूमि ऐतिहासिक तथा आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि यह बहुत उर्वरा भूमि है और दूसरे इसी भूमि पर भारत का इतिहास निर्मित हुआ है ।

प्राचीनकालीन आर्यजाति का आदि-निवास काश्मीर से लेकर पंजाब तक रहा और गंगा-यमुना के बीच की भूमि पर भी आर्यों का निवास रहा । इसीलिए इसे प्राचीन समय में आर्यावर्त्त कहते थे ।

हिमाचल से तीन महान सरिताएँ निकली हैं; पश्चिमी भाग से सिंधु नदी निकलती है; व्यास और सतलज, इसकी शाखाएँ हैं । यह नदी अरबसागर में गिरती है । इसके निकट कराची सबसे बड़ा

नगर है । दूसरी महान सरिता गंगा ह । इसकी शाखाएँ यमुना, घाघरा, राप्ती आदि हैं । यह कलकत्ता से आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है । हिमाचल के पूर्वी भाग से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है । यह भी गंगा में मिल जाती है ।

इन सरिताओं से तीन लाभ हैं; एक तो इनसे जल पर्याप्त मात्रा में मिलता है । दूसरे इनसे भूमि बड़ी उर्वरा हो गई है और सिंचाई में सहायता मिलती है । इनमें नौका आदि द्वारा यातायात भी हो सकता है । क्योंकि इनमें जल सदैव रहता है ।

इस उत्तरी समतल भू-प्रदेश को प्राकृतिक दृष्टि से तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं । एक भाग में पूर्वी पंजाब व उत्तर-प्रदेश राज्य हैं । इनकी जलवायु समशीतोष्ण है । प्रदेश सूखा रहता है । नहरों से सिंचाई होती है । दूसरा प्रदेश बिहार का है । यहाँ तर तथा सूखा दोनों होती हैं । और पश्चिमी बंगाल नें तर मौसम है । यहाँ वर्षा पर्याप्त होती है । इस उत्तरी समतल भूमि के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वतमालाएँ हैं जो दक्षिण भारत को उत्तर भारत से पृथक् कर देती हैं । इन पर्वतमालाओं को विंध्य, सतपुरा और अजंता कहते हैं । ये १५०० से ४००० फीट तक ऊँची हैं । किन्तु ये पर्वतमालाएँ हिमाचल के समान अभेद्य दीवार के समान नहीं हैं । अनेक स्थानों पर रेलें तथा राज-मार्ग उसे वेध कर जाते हैं ।

दक्षिणी भारत में पठार हैं । इसके दोनों ओर पश्चिम तथा उत्तर में पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट ह । पूर्वी घाट मद्रास राज्य में है और पश्चिमी घाट बंबई राज्य में । पश्चिमी घाट ३००० से ५००० फीट तक ऊँचे हैं । कहीं-कहीं ६००० फीट भी ऊँचे हैं । पूर्वी घाट १५०० फीट ऊँचे हैं । दक्षिण में ये दोनों घाट मिल जाते हैं । यहाँ पर्वतमाला ४००० फीट ऊँची है । इसी पर नीलगिरि प्रदेश है । यहीं पर मद्रास की ग्रीष्मकालीन राजधानी ओक्टामंड है । दक्षिण भारत की मुख्य सरिताएँ निम्न प्रकार हैं :—महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी । विन्ध्य-प्रदेश से लेकर त्रावनकोर तक

कई प्रकार की जलवायु है और उसी के अनुसार भूमि भी है। विन्ध्य-प्रदेश, मध्य-प्रदेश और हैदराबाद की भूमि काली है। यहाँ रूई की खेती अच्छी होती है। वर्षा भी पर्याप्त होती है। उत्तरी मद्रास व उत्कल प्रदेश में भी पर्याप्त वर्षा होती है। किन्तु दक्षिण मद्रास और पश्चिमी भाग में वर्षा अधिक होती है।

भारत में पर्वतों पर बड़े वन हैं। ३००० से ५००० तक की ऊँचाई पर काफी अच्छे वन हैं। अधिक ऊँचाई पर वृक्ष शीत के कारण उत्पन्न नहीं होते। भारत में शाल, देवदार तथा सागवान के वन हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, ज्वार तथा मूँग, अरहर, उड़द आदि की पैदावार काफी होती है। सरसों, राई, मूँग-फली आदि की भी पैदावार होती है। आम, नारियल, नीबू, सन्तरा आदि के फल मैदानों में होते हैं। पहाड़ी प्रदेशों में अखरोट, सेब, नाशपाती आदि फल पैदा होते हैं। पूर्वी पर्वतों पर चाय के बाग हैं। दक्षिण में मिर्च, इलायची तथा लौंग की खेती होती है।

सौराष्ट्र के अन्तर्गत जूनागढ़ राज्य के वनों में सिंह पाये जाते हैं। चीते और तेंदुए तथा भेड़िये वन-पशु यहाँ के वनों में मिलते हैं। पहाड़ी वनों में रीछ भी मिलते हैं। सुन्दरवन तथा ब्रह्मपुत्र की घाटियों में गेंडे मिलते हैं। नदियों में घड़ियाल मिलते हैं। ये बड़े खतरनाक होते हैं।

मृग तथा बारहसिंघे अनेक प्रकार के सर्वत्र मिलते हैं। साँवर पहाड़ी प्रदेशों में मिलता है। पश्चिमी घाटों, आसाम के वनों और मध्य-प्रदेश में जंगली साँड (Bison) मिलता है। यह बड़ा भयानक पशु है और इसका शिकार करना चीते के शिकार के समान बड़ा दुरूह है। आसाम में जंगली भैंस मिलती है। चूहे तो यहाँ अत्यधिक हैं; जो घरों में एक प्रकार की बीमारी हैं। इस देश में साँप भी सहस्रों प्रकार के होते हैं। इनके काटने से लाखों व्यक्ति मर जाते हैं। पहाड़ों पर बिच्छू बड़े और काले रंग के होते हैं। ये भी बड़े विषैले होते हैं।

वन्य पशुओं में सबसे उपयोगी और सुविशाल पशु है हाथी। यह बड़ी आसानी के साथ सिखाया जा सकता है। क्योंकि यह बड़ा समझदार होता है। बर्मा में युद्ध-काल में हाथियों से बड़े-बड़े लकड़ी के शहतीर उठवाने का काम लिया गया था। भारी वस्तुओं के उठाने में वे बड़े उपयोगी हैं। वनों में यातायात के साधनों के रूप में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है।

अब हम घरेलू जानवरों के संबंध में विचार करते हैं। हमारे देश में घरेलू जानवरों में सर्वोच्च स्थान गौ का है। गाय से बैल पैदा होते हैं और बैल का कृषि-उत्पादन में बड़ा महत्व है। गाय के दूध से घृत, मक्खन आदि प्राप्त होते हैं। भैंस भी बड़ा उपयोगी जानवर है। बकरी, भेड़, घोड़ा, टट्टू, खच्चर तथा गधा भी बड़े उपयोगी पशु हैं। ऊँट रेगिस्तानों का वायुयान है।

इन पशुओं के अतिरिक्त भारत के उड़नेवाले पक्षी भी बहुत ही सुन्दर हैं; इनमें तोता, मैना, कोयल बहुत ही प्रिय हैं। इन्हें लोग पालते हैं। तीतर तथा कबूतरों को भी लोग पालते हैं। बाज बड़ा खतरनाक है। यह साधारण चिड़ियों को पकड़कर खा जाता है। गृद्ध पशुओं का मेहतर है जो मुर्दा-मांस का सफाया कर देता है।

हमारे देश में मधुमक्षिका भी बहुत होती हैं, जिनसे हम मधु प्राप्त करते हैं। तितलियाँ और भ्रमर तो हमारे काव्य के विषय रहे हैं। मच्छड़ों के कारण देश में लाखों व्यक्ति मर जाते हैं। और टिड्डी-दल जब उड़ते हैं, तब लाखों मन फसल को बर्बाद कर देते हैं।

हमारे देश में मत्स्य-पालन का उद्योग अभी विकसित नहीं है। समुद्रतट के प्रदेशों में मछली मुख्य भोजन है। यहाँ ताजा मछली खाने का चलन है।

ऋतु तथा जलवायु

भारत में सभी-प्रकार की जलवायु मिलती है। काश्मीर तथा हिमाचल के अन्य नगरों में सबसे अधिक शीत जलवायु रहती है।

दिसंबर व जनवरी म वहाँ साधारणतया हिम श्वेत चादर के स मान बिछ जाती है । कभी-कभी यह इतनी कठोर हो जाती है कि रेल का आना-जाना भी बन्द हो जाता है; नलों में, तालाबों में और घड़ों में पानी बर्फ के रूप में परिणत हो जाता है ।

उत्तरी भारत में मुख्यतः तीन ऋतुएँ होती हैं—वर्षा, शीत और ग्रीष्म । जून से सितम्बर तक वर्षा होती है । अक्टूबर से जनवरी तक शीत और फर्वरी से मई तक ग्रीष्म । मैदान में सारे देश में इसी प्रकार की जलवायु मिलेगी । समुद्र के निकट होने अथवा पहाड़ी प्रदेश के कारण जहाँ-तहाँ थोड़ा-बहुत परिवर्तन हो गया है । उदाहरणार्थ बंबई नगर तथा मद्रास नगर में कभी न अधिक शीत पड़ता है और न अधिक गरमी ।

मद्रास में जून से सितम्बर तक १६·३६ इंच वर्षा होती है और अक्टूबर से दिसंबर तक ३१·४५ इंच । उत्तर भारत में शीत ऋतु में एक-दो बार अल्प वर्षा होती है । दक्षिण भारत के समान वर्षा नहीं होती । पश्चिमी घाट, दार्जिलिंग, शिलांग व शिमला में वर्षा अत्यधिक होती है । उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार में कम होती है । राजस्थान में तो और भी कम होती है । यहाँ हम एक तालिका देते हैं, जिससे विभिन्न प्रदेशों में सन् १९४८ में जलवायु (वर्षा) का परिचय मिल जायगा —

वर्षा सन् १९४८ (जून से सितम्बर)

(इंचों में)

प्रदेश	*वास्तविक वर्षा*	*औसत*
१. आसाम	५९·८	६१·७
२. पूर्वी पाकिस्तान	६६·०	६२·०
३. पश्चिमी बंगाल	४८·४	५१·३
४. उड़ीसा	३८·४	४३·०
५. छोटा नागपुर	४४·५	४३·०
६ बिहार	४३·०	४५·५

प्रदेश	वास्तविक वर्षा	औसत
७. उत्तर-प्रदेश (पूर्व)	४६·६	३८·१
८. उत्तर-प्रदेश (पश्चिम)	४५·६	३६·३
९. पंजाब (पूर्व)	२१·६	२०·६
१०. पंजाब (पश्चिम)	१५·२	११·३
११. काश्मीर		
१२. राजस्थान (पश्चिम)	८·५	९·५
१३. राजस्थान (पूर्व)	२८·८	२४·६
१४. गुजरात	११·५	२३·६
१५. मध्य भारत (पश्चिम)	४३·८	३८·१
१६. मध्य भारत (पूर्व)	४८·१	४१·७
१७. विदर्भ	३०·४	२७·९
१८. मध्य-प्रदेश (प०)	५०·४	४३·१
१९. मध्य प्रदेश (पू०)	४५·८	४७·५
२०. बंबई	२३·०	२०·६
२१. हैदराबाद (द) उत्तरी	२४·८	२७·९
२२. हैदराबाद (द) दक्षिण	२०·०	२३·१
२३. मैसूर	१८·२	१५·३
२४. मालावार	७९·४	७६·०
२५. मद्रास (दक्षिण-पूर्व)	८·३	११·२
२६. मद्रास (डेकन)	१३·४	१५·६
२७. मद्रास (उत्तर)	१८·५	२०·४
काश्मीर तथा पाकिस्तान को छोड़कर भारत में औसत वर्षा	३३·४	३२·९ इञ्च

भारत में भूकम्प

भारत में समय-समय पर अनेकों बार भूकम्प हुए हैं: कभी-कभी तो महाभयंकर भूकम्प हुए और कभी भूकम्प ऐसे हुए कि

जिनस कोई क्षति नहीं हुई अथवा कम क्षति हुई ह । भकम्प की दृष्टि से भारत को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है । एक क्षेत्र उत्तर में है । यह हिमालय-क्षेत्र है । इसमें पर्वतमालाएँ हैं, जिनमें वृद्धि होती रहती है । यह क्षेत्र सबसे अधिक अस्थिर है और प्राय: इस भाग में भूकम्प अधिक होते हैं ।

दूसरा क्षेत्र इससे मिला हुआ सिन्धु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का सुविशाल उत्तरी समतल क्षेत्र है । इस क्षेत्र में भी भूकम्प अधिक होते हैं । तीसरा क्षेत्र दक्षिण भारत के पठार हैं । इस क्षेत्र में भूकम्प बहुत कम होते हैं । भूकम्प के दो कारण होते हैं, जब ज्वालामुखी पर्वतों से बड़े वेग से लावा निकलता है, तब प्राय: भूकम्प होते हैं । दूसरे भूगर्भ-वेत्ताओं के अनुसार पृथ्वी की बाहरी परत में संधि-भंग हो जाने से उसकी गति में भी अवरोध होने लगता है; अत: पृथ्वी में कंपन होने लगता है । पृथ्वी के परत हिमालय के दक्षिणी भाग में अधिक हैं । इसलिए इस भाग में उनके संधि-भंग हो जाने से भूकम्प हो जाते हैं । यद्यपि भूकम्प का सन्निकट कारण परत के समानान्तर पृथ्वी की गति होता है, तथापि अन्तिम और प्रमुख कारण ढालू पर्वतश्रेणियों का वेग के साथ नग्नीकरण ह जिसके कारण पृथ्वी का समतुलन नष्ट हो जाता है । जब पृथ्वी अपना समतुलन ठीक करती है, तब उस समय वह हिलने लगती है । सन् १९०५ में कांगड़ा में इसी कारण भूकम्प हुआ था । डेल्टा के क्षेत्र में जब भूमि का विशाल भाग कटकर गिर जाता है अथवा एक भयंकर तूफान के कारण समुद्र में डेल्टा अधिक बन जाते हैं और भूमि का स्तर ऊँचा उठ जाता है, तब भी भूकम्प हो जाते हैं । सन् १९२७ में रंगून में इसी कारण भूकम्प हुए थे । जिन पहाड़ी प्रदेशों में पर्वत-श्रेणियाँ बड़े घुमाव के साथ होती हैं, उनमें अत्यधिक मीड़ होते हैं, इसलिए इनमें अधिक भूकम्प होते हैं । क्वेटा में सन् १९३५ म भयंकर भूकम्प इसी कारण हुआ था ।

हमने ऊपर यह उल्लेख किया है कि अनेक बार भूकम्प ऐसे होते हैं कि जनसाधारण को अनुभव भी नहीं होते और उनसे कोई

क्षति नहीं होती। सन् १६३४ म बिहार में जो भूकम्प हुआ उसका प्रभाव अन्य नगरों में भी देख पड़ा। आगरा, दिल्ली आदि नगरों में स्पष्ट ही सब वस्तुएँ और आदमी तथा वृक्ष, मकान आदि हिलते देख पड़े।

सन् १६४६ में भारत में कई स्थानों पर भूकम्प हुए, किन्तु इनसे कहीं कोई क्षति नहीं हुई। आसाम में दिगवोई में ७ मार्च १६४६ को भूकम्प हुआ। २५ फर्वरी १६४६ को श्रीनगर (काश्मीर) में भूकम्प हुआ। १६ जनवरी १६४६ को मध्य-प्रदेश में जबलपुर में हुआ तथा ४ सितम्बर १६४६ को देहरादून (उत्तर-प्रदेश) में भूकम्प हुआ। फरीदपुर में १२ सितम्बर १६४६ को भूकम्प हुआ। यहाँ सरोवरों तथा सरिताओं का जल इस कारण दो फीट ऊँचा हो गया। यह दशा १५ सेकेंड तक रही। परन्तु इससे कोई क्षति नहीं हुई।

यहाँ हम महत्वपूर्ण भूकम्पों का उल्लेख करेंगे। ८६४ ईस वी सन् से पूर्व के भूकम्पों का उल्लेख नहीं मिलता। सबसे पहला भूकम्प ८६४ में हुआ।

भूकंप (दिन व वर्ष)	*स्थान*	*प्रभाव-क्षेत्र*	*क्षति-विशेष*
सन् ८६४	देपुल (भारतीय महासागर के तट पर)—		१५०,००० व्यक्ति मर गये।
सन् १५५२	काश्मीर	...	... ...
२६ मई १६१८	बंबई	...	२००० व्यक्ति मर गये।
मई १६६८	समावानी नगर	संपूर्ण नगर नष्ट हो गया	३०,००० व्यक्ति मर गये।
१७ जुलाई १७२०	देहली	देहली	फतेहपुरी मसजिद को क्षति पहुँची और १ मास तक भूकंप होता रहा।
अक्तूबर १७३७	कलकत्ता	कलकत्ता	३००,००० व्यक्ति मर गये।
२ अप्रैल १७६२	चिटगाँव	बंगाल. वर्मा, अराकान तट	चटगाँव में ६० वर्गमील भूमि नीचे धँस गई।

भूकंप (दिन व वर्ष)	स्थान	प्रभाव-क्षेत्र	क्षतिविशेष
१ सितम्बर १८०८	मथुरा	मथुरा, दिल्ली, कमाऊँ, गढ़वाल	मथुरा में कई मसजिदों के गुम्बज गिर गये। गढ़वाल में कई गाँव नष्ट हो गये। कुतुबमीनार का ऊपर का भाग इससे गिर गया।
१६ जून १८१६	भुज (कच्छ)	अहमदाबाद, भड़ौच, सूरत तथा पूना	भुज नगर पूरा नष्ट हो गया। २००० व्यक्ति मर गये। सिन्दरी नगर जलप्लावित हो गया।
२६ अक्टूबर १८२६	काठमांडू, पाटन	नेपाल	अनेक मकान गिर गये।
सितम्बर १८२७	कोलितारन (लाहौर)	लाहौर	१००० व्यक्ति मर गये।
६ जून १८२८	काश्मीर	काश्मीर	१००० व्यक्ति मर गये। इसके बाद २ मास तक प्रतिदिन भूमि १ से १०० बार तक हिलती रही।
२६ अगस्त १८३३	काठमांडू	नेपाल व उत्तरी बिहार	काठमांडू में १०० घर नष्ट हो गये। २४ घण्टे तक भूकंप होता रहा।
१६ फर्वरी १८४२	काबुल	पेशावर, जलालाबाद	३ मिनट तक भूकंप रहा। जलालाबाद एक तिहाई नष्ट हो गया। गरम पानी के स्रोत ठंढे पानी के हो गये और जल सूख गया।
मार्च-अप्रैल १८४३	वेलारी (दक्षिण)	शोलापुर, वेलगाँव, कुरनूल	इससे भारी क्षति हुई। इतना भयंकर भूकंप दक्षिण में प्रथम बार ही हुआ।
२४ जनवरी १८५२	उत्तरी सिंध	...	इसमें काहन का किला नष्ट हो गया। ३५० व्यक्ति मर गये।

भूकंप (दिन व वर्ष)	स्थान	प्रभाव-क्षेत्र	क्षति-विशेष
१० जनवरी १८६९	कोचार (आसाम)	२५०,००० वर्ग-मील में इसका प्रभाव हुआ।	
२१ दिसंबर १८८१	बंगाल की खाड़ी	८०० मील के क्षेत्र में विनाश हुआ और इसका प्रभाव २०००,००० वर्ग-मील तक हुआ।	
३० मई १८८५	श्रीनगर	काश्मीर	३००० व्यक्ति मर गये।
१४ जुलाई १८८५	ढाका	यह बंगाल, छोटा-नागपुर, आसाम व भूटान में अनुभव किया गया।	
१२ जून १८९७	आसाम	इससे शिलांग, गोहाटी, कलकत्ता, नौगाँव और सिलहट में भारी हानि हुई।	१६०० व्यक्ति मर गये।
४ अप्रैल १९०५	कांगड़ा	... ...	२०,००० व्यक्ति मर गये।
२१ अक्टूबर १९०९	बिलोचिस्तान (कच्छी मैदान)	... ...	२०० व्यक्ति मर गये।
८ जुलाई १९१८	पूर्वी बंगाल, आसाम, बर्मा	८००,००० वर्ग मील तक	
१ फर्वरी १९२९	रावलपिंडी, पेशावर, अटक		
३ जुलाई १९३०	आसाम	३५०,००० वर्ग मील	धुबरी नगर काफी नष्ट हो गया, परन्तु कोई जीवहानि नहीं हुई।
२७ अगस्त १९३१	विलोचिस्तान	इसमें २०० व्यक्ति मर गये।	

भूकंप (दिन व वर्ष)	*स्थान*	*प्रभावक्षेत्र*	*ज्ञातविशेष*
१५ जनवरी १९३४	उत्तरी बिहार	१,९००,००० वर्ग मील क्षेत्र में अनुभव किया गया	१०,००० व्यक्ति मर गये; करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हो गई। यह सबसे भयंकर भूकंप था।
३१ मई १९३५	क्वेटा		इसमें २५,००० व्यक्ति मर गये, करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हो गई।

नोट:—इसके बाद भी कई बार भूकम्प हुए हैं; परन्तु उनमें कोई जनहानि नहीं हुई।

अध्याय ८

संवत्, वर्ष, मास व वार

काल-गणना में कल्प, मन्वन्तर, युग आदि के पश्चात् संवत्सर का नाम आता है। भारत में अनेक संवत् प्रचलित हुए, किन्तु उनमें विक्रम-संवत् का ही अधिक प्रचलन है।

भारतीय संवत्

भारतीय संवत् निम्नलिखित हैं—

नाम	वर्त्तमान् वर्ष
१. कल्पाब्द	१,९७,२९,४९,०५०
२. सृष्टि-संवत्	१,९५,५८,८५,०५०
३. वामन-संवत्	१,९६,०८,८९,०५०
४. श्रीराम-संवत्	१,२५,६९,०५०
५. श्रीकृष्ण-संवत	५,१७५
६. युधिष्ठिर-संवत्	५,०५०
७. बौद्ध संवत्	२,५२४
८. महावीर (जैन) संवत्	२,४७६
९. श्रीशंकराचार्य-संवत्	२,२२९
१०. विक्रम-संवत्	२,००७
११. शालिवाहन-संवत्	१,८७१
१२. कलचुरी संवत्	१,७०१
१३. वलभी	१,६२९
१४. फसली	१,३६०
१५. बंगला	१,३५६
१६. हर्षाब्द	१,३४२

विदेशी संवत्

१.	चीनी संवत्	९,६०,०२,२४७
२.	पारसी संवत्	१,८९,९१७
३.	मिस्री संवत्	२७,६०३
४.	तुर्की ,,	७,५५६
५.	ईरानी ,,	५,९५४
६.	यहूदी ,,	५,७१०
७.	यूनानी ,,	३,५२२
८.	रोमन ,,	२,७००
९.	ब्रह्मा (वर्मा)	२,४९०
१०.	ईस्वी	१,९५०

इन सब संवतों में कल्पाब्द संवत् सबसे प्राचीन है। सृष्टि-संवत् को १,९५,५८,८५,०५० वर्ष पूरे हो गये। इतने वर्षों से सृष्टि चली आ रही है। हमारे देश में महापुरुषों तथा नरेशों के नाम पर संवत् प्रचलित हैं। किन्तु वर्तमान समय में विक्रम-संवत् ही सबसे अधिक प्रचलित है। यह संवत् इस समय २,००७ है। उज्जैन का सम्राट् विक्रामादित्य ने इस संवत् को चलाया अथवा उनकी गौरव-गरिमा को प्रकाशित करने के लिए राज्य की ओर से चलाया गया। जिस प्रकार भारत में विक्रम-संवत् की मान्यता है उसी प्रकार अमेरिका, यूरोप आदि पाश्चात्य देशों में ईसवी सन् को मान्यता है। हमारे देश में भी ईसवी सन् का राजकीय व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। विवाह आदि धार्मिक कृत्यों का संपादन संवत्, तथा मास और तिथि के अनुसार किया जाता है।

ईसवी सन् का मूल रोमन संवत् है। पहले यूनान में ओलिम्पियद् संवत् था। इसके अनुसार ३६० दिन का वर्ष माना जाता था। रोम नगर की प्रतिष्ठा के दिन से वही रोमन संवत् माना जाने लगा। ईसवी सन् की गणना ईसा मसीह के जन्म से ३ वर्ष बाद से की जाती है। रोम के सम्राट् जुलियस सीजर ने ३६० दिन के स्थान पर ३६५$\frac{1}{4}$ दिन के वर्ष को प्रचलित किया। छठी शताब्दी में आयोनिसियस

ने इस सन् में पुनः संशोधन किया; किन्तु फिर भी प्रतिवर्ष २७ पल, ५५ विपल का अन्तर पड़ता रहा। सन् १७३६ में यह अन्तर बढ़ते-बढ़ते ११ दिन का हो गया। तब पोप ग्रेगरी ने यह आज्ञा निकाली कि "इस वर्ष २ सितम्बर के पश्चात् ३ सितम्बर को १४ सितम्बर कहा जाय और जो ईसवी सन् ४ की संख्या से विभाजित हो सके उसका फर्वरी मास २६ दिन का हो। वर्ष का प्रारम्भ २५ मार्च के स्थान पर १ जनवरी से हो।" इस संशोधन को सभी देशों ने मान लिया। किन्तु इसपर भी सूर्य की गति के अनुसार प्रति वर्ष एक पल का अन्तर पड़ता है।

संवत् की उत्पत्ति वर्ष-गणना के लिए होती है। वर्ष में मास, तिथि, दिन, घड़ी, पल आदि होते हैं। ब्राह्म, पित्र्य, दैव, प्राजापत्य, गौरव, सौर, सावन, चान्द्र और नाक्षत्र—इन भेदों से नौ प्रकार की वर्षगणना होती है। ब्राह्म, पित्र्य, दैव व प्राजापत्य वर्ष कल्प और युग की गणना में प्रयुक्त होते हैं। भारत में सौर वर्ष से गणना की जाती है। मुस्लिम देशों में चान्द्र वर्ष होता है। विभिन्न ज्योतिषाचार्यों के मतानुसार विभिन्न वर्षों के कालमान की नीचे एक तालिका दी जाती है। इससे वर्षों का अन्तर स्पष्ट हो जायगा :—

सिद्धान्त	*कालमान*										
१. सूर्यसिद्धान्त	वर्ष	३६५	दिन	१५	घड़ी	३१	पल	३१	विपल	२४	प्रतिविपल
२. वेदाङ्ग ज्योतिष	,,	३६६	,,	०	,,	०	,,	०	,,	०	,,
३. आर्यभट्ट	,,	३६५	,,	१५	,,	३१	,,	१२	,,	०	,,
४. लाक्रियर	,,	३६५	,,	१५	,,	२२	,,	५२	,,	३०	,,
५. कोपरनिकस	,,	३६५	,,	१४	,,	३६	,,	५५	,,	०	,,
६. चान्द्र	,,	३५४	,,	२२	,,	१	,,	२३	,,	०	,,
७. सावन	,,	३६०	,,	०	,,	०	,,	०	,,	०	,,
८. बार्हस्पत्य	,,	३६१	,,	१	,,	३६	,,	११	,,	०	,,
९. नाक्षत्र	,,	३७१	,,	३	,,	५२	,,	३०	,,	०	,,
१०. सौर(यह प्रचलित वर्ष)		३६५	,,	१५	,,	३१	,,	३०	,,	०	,,

मास

वर्षगणना के जैसे कई भेद हैं, वैसे ही मास-गणना के भी कई भेद हैं—(१) सौर (२) सावन (३) चान्द्र और (४) नाक्षत्र। इनमें नाक्षत्र और सावन मास विशेषत:—वैदिक कार्यों में देखे जाते हैं। सौर एवं चान्द्र मासों का व्यवहार लोक में चलता है। इनमें सौर मास खगोल तथा भूगोल से संबंध रखते हैं। यह गणना करने में सर्वथा ठीक रहते हैं। इसमें घटा-बढ़ी नहीं होती। इनके नाम भी आकाशीय नक्षत्रों के समान हैं। आकाश में २७ नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों के १०८ पाद हैं। इनमें ९ पादों की आकृति के अनुसार मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन, और कुम्भ—ये बारह सौर मास होते हैं।

जैसे सौर मास का संबंध सूर्य से है, वैसे ही चान्द्र मास का संबंध चन्द्रमा से है। उदाहरणार्थ, अमावस्या के पश्चात् चन्द्रमा जब मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में प्रकट होकर प्रतिदिन एक–एक कला बढ़ता हुआ १५वें दिन चित्रा नक्षत्र में पूर्णता को प्राप्त करता है, तब वह मास चित्रा नक्षत्र के कारण 'चैत्र' कहलाता है। जिस पक्ष में चन्द्रमा का प्रकाश क्रमश: बढ़ता है, उसे शुक्ल पक्ष और जिस पक्ष में उसका प्रकाश क्रमश: क्षीण होता है, उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। मास का नाम उस नक्षत्र के अनुसार होता है, जो महीने भर सायंकाल से प्रात:काल तक दिखलाई पड़े और जिसमें चन्द्रमा पूर्णता को प्राप्त करे। चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, आषाढ़ा, श्रवणा, भाद्रपदा, अश्विनी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुष्य, मघा, और फलगुनी नक्षत्रों के अनुसार ही चान्द्र मासों के नाम क्रमश: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्त्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन हैं।

चान्द्र वर्ष सौर वर्ष से ११ दिन, ३ घड़ी ४८ पल कम होता है। सौर वर्ष से चान्द्र वर्ष का सामंजस्य करने के लिए ३२ महीने १६ दिन और ४ घड़ी पर एक चान्द्र मास की वृद्धि मानी जाती है।

वार (दिन)

हमारे यहाँ अतिप्राचीन समय से सात दिन प्रचलित हैं और इसी क्रम से सारे संसार में वार माने जाते हैं; देखिए—

१.	रविवार	(सूर्य)	Sunday—Sun
२.	चन्द्रवार	(चन्द्र)	Monday—Moon
३.	मंगलवार	(मंगल)	Tuesday—Mars
४.	बुध	(बुध)	Wednesday—Mercury
५.	बृहस्पति	(बृहस्पति)	Thursday—Jupitor
६.	शुक्र	(शुक्र)	Friday—Venus
७.	शनि	(शनि)	Saturday—Saturn

इससे यह स्पष्ट है कि इन सातो दिनों के नामों में कितनी समता है—यह समता क्रम में भी है।

एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का काल अहोरात्र कहलाता है। इसका प्रथम भाग दिन और द्वितीय भाग रात्रि कहलाती है। काल की सूक्ष्म गणना के लिए दिन और रात्रि में से प्रत्येक के ६-६ भाग माने गये हैं, जिन्हें लग्न कहते हैं। इस प्रकार १२ लग्नों का एक अहोरात्र हुआ। लग्न के आधे भाग को होरा (Hour) कहते हैं। होरा का स्वामी सूर्य माना जाता है।

ब्रह्माण्ड के मध्य में आकाश है। उसमें सबसे ऊपर नक्षत्र-कक्षा है। फिर क्रम से शनि, वृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, और चन्द्रमा। उनसे नीचे सिद्ध, विद्याधर और मेघ हैं। ऊपर के ग्रहों की कक्षा नीचे के गृहों की अपेक्षा बड़ी है। प्रथम होरा के स्वामी सूर्य हुए तब द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम के स्वामी शुक्र, बुध, चन्द्रमा, शनि, वृहस्पति व मंगल ये ६ गृह हुए। चौबीसवें होरा (घंटे) का स्वामी बुध होता है और यहीं प्रथम अहोरात्र समाप्त हो जाता है। पच्चासवें होरा का (दूसरे दिन के प्रथम होरा—घंटा—का) स्वामी चन्द्रमा हुआ। अतः उसका नाम चन्द्रवार या सोमवार हुआ। इसी प्रकार से दिनों के नाम हैं।

भारतीय ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार दिन सूर्योदय स माना जाता है। मुसलमान दिन का प्रारम्भ सायंकाल से मानते हैं। पाश्चात्य देशों में अथवा जो पाश्चात्य देशों के दिन को मानते हैं, वे मध्यरात्रि से मध्य-दिन तक दिन और मध्य दिन-से मध्यरात्रि तक रात्रि-काल मानते हैं

सौर वर्ष में ३६५ दिन ५ घंटे ४८ मिनट ४६·७ सेकेंड होते हैं और कलेण्डर वर्ष में ३६५ दिन।

काल-मान

जब पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेती है, तब एक दिन (२४ घंटे का) होता है। जब चन्द्रमा भूमि के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी कर लेता है, तब एक मास होता है और जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेती है, तब एक वर्ष होता है। एक दिन में २४ घंटे होते हैं; एक घंटे में ६० मिनट और १ मिनट में ६० सेकेंड होते हैं।

भारत का स्टेंडर्ड समय ग्रीनविच के समय से ५½ घंटे आगे होता है। १ जनवरी १९०६ से इसी का प्रयोग हो रहा है। द्वितीय युद्ध-काल में ग्रीनविच से ६½ घंटे आगे का समय स्टेंडर्ड समय स्वीकार किया गया और उसी समय यह प्रयोग में आता था। अब फिर ५½ घंटे आगे है।

अध्याय ९

ब्रह्माण्ड

सौर-मण्डल

सौर-मण्डल के अन्तर्गत सूर्य, पृथ्वी तथा नक्षत्र एवं ग्रह है। ये सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनमें सूर्य सबसे प्रकाशमान और महान है। यह सूर्य-मण्डल के अन्य सब तारों, ग्रहों व पृथ्वी से १०० गुना बड़ा है। पृथ्वी से सूर्य ९२,९००,००० मील दूर है। निम्नलिखित नवग्रह प्रसिद्ध हैं—(१) मंगल (२) बुध (३) वृहस्पति (४) शुक्र (५) शनि (६) रवि (७) चन्द्र (८) राहु (९) केतु।

पाश्चात्य ज्योतिष-विज्ञान ने चन्द्र के स्थान पर पृथ्वी को ग्रह माना है और राहु, केतु को छोड़कर यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो इन तीन ग्रहों को लेकर १० ग्रह माने हैं।

ग्रह का नाम	*सूर्य से दूरी (मीलों में)*	*औसत व्यास (मीलों में)*	*परिक्रमा की अवधि (दिनों में)*	*(मीलों में)—दूरी व्यास*	*(पृथ्वी=१)*
१. बुध	३६,०००,०००	३,०००	८७·९७	३,००८	०·७०
२. शुक्र	६७,०००,०००	७,०००	२२४·७०	७,५७६	०·८८
३. पृथ्वी	९३,०००,०००	७,९२०	३६५·२६	७,९१८	१·००
४. मंगल	१४१,०००,०००	४,२००	६८६·९८	४,२१६	०·७२
५. वृहस्पति	४८३,०००,०००	८७,०००	४,३३२·५९	८६,६८३	०·२४
६. शनि	८८६,०००,०००	७१,५००	१०,७५९·२०	७२,३३२	०·१३
७. यूरेनस	१,७८२,०००,०००	३२,०००	३०,६८५·९३	३०,८७८	·२३
८. नेपच्यून	२,७९३,०००,०००	३३,०००	६०,१८७·६४	३२,९३२	·०२९
९. प्लूटो	३,६८०,०००,०००	४,०००	९०,४७०·२३	३,७५०	·२९

सूर्य

सूर्य आग और गैस का एक सुविशाल गोला है जिसका व्यास ८६४,००० मील है। यह पृथ्वी से ९२,९००,००० मील की दूरी पर है। सूर्य अपनी आकर्षण-शक्ति से ग्रहों तथा नक्षत्रों को अपने-अपने स्थान पर रखता है। वैज्ञानिकों का यह मत है कि जो वस्तु प्रकाश देती है, वह प्रकाश के साथ अपनी शक्ति का क्षय करती है और उसका वजन भी कम हो जाता है। प्रति मिनट सूर्य का वजन ३००,०००,००० टन घट जाता है। इस पर भी वह लाखों वर्षों से इसी प्रकार प्रकाशवान् है। सूर्य की सतह पर तापमान ६,००० डिग्री सेंटीग्रेड है या ११,००० डिग्री फारेन हाइट।

पृथ्वी

पृथ्वी ठोस है। कहीं-कहीं यह मधुमक्षिका के छत्ते-जैसी है और उस-उस स्थान पर उसमें द्रव भरा हुआ है। पृथ्वी का हृदय-प्रदेश बड़ा कठोर है; वह लोहे का बना है। इसके चारों ओर एक सहस्र मील मोटी पर्वतमालाएँ हैं—पहाड़ हैं तथा चट्टान हैं। इसके ऊपर फिर चट्टानों का (granitc rocks) परत है और इन दोनों के बीच में सागर-महासागर हैं। पृथ्वी का व्यास २५,००० मील विषुवत् रेखा पर है। यद्यपि पृथ्वी स्थिर लगती है; तथापि वास्तव में यह गतिमान है। अपनी धुरी पर २४ घंटे में एक बार घूम जाती है और ३६५$\frac{1}{4}$ दिन में सूर्य के चारों ओर घूम लेती है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने से ही ऋतुएँ होती हैं।

अन्य ग्रह

सौर-मण्डल में बुध सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के चारों ओर ८८ दिन में परिक्रमा कर लेता है। शुक्र पृथ्वी की भाँति है। इसका आकार-प्रकार पृथ्वी-जैसा है। यह २२५ दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह पृथ्वी के अधिक निकट है। यह पृथ्वी

से ३५,०००,००० मील की दूरी पर ह। यह ६८६ दिन म सूय की परिक्रमा कर लेता है। वृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर घूमने में १२ वर्ष का समय लेता । शनि को सूर्य की परिक्रमा करने में ३० वर्ष लगते हैं। यूरेनस ग्रह की खोज सन् १७८१ में सर विलियम हरशेल ने की थी। यह ८४ वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। नेपचून ग्रह की खोज १८४५ में की गई। यह सूर्य की परिक्रमा १६५ वर्ष में करता है। सन् १९३० म प्लूटो ग्रह की खोज की गई। यह २४९ वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है।

चन्द्रमा

चन्द्रमा पृथ्वी से २३९,००० मील की दूरी पर है। यह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में २९ दिन १२ घंटे ४४ मिनट और ५ सेकेंड समय लेता है। इसका व्यास २,१६० मील है। चन्द्रमा में स्वयं प्रकाश नहीं है; वरन् वह दूसरे तारों से प्रकाशित होता है। चन्द्रमा की किरणों से जल में ज्वार आता है; अनेक वनस्पतियों तथा पुष्पों को अमृत दान देता है। पूर्णमासी को समुद्र में जो तरंगें उठती हैं, उनका कारण चन्द्रमा का प्रकाश और आकर्षण होता है।

उपग्रह

उपर्युक्त ग्रहों के अतिरिक्त भी बहुत-से उपग्रह हैं, नक्षत्र हैं, जिनके संबंध में खोज नहीं की गई है। मंगल और वृहस्पति के मध्य में सूर्य की परिक्रमा करनेवाले ऐसे छोटे उपग्रह २००० से भी अधिक हैं।

केतु

वराहमिहिर की बृहत्संहिता में केतु अर्थात् पुच्छल ताराओं का वर्णन आता है। उन्होंने पहले शुभ-केतु और धूमकेतु नाम से दो भेद किये हैं और छोटे आकार के, देखने में शोभनीय, सीधे और श्वेतवर्ण के केतु को, जो थोड़े समय में ही अस्त हो जाता है, शुभ-

केतु नाम दिया है। इसके विपरीत अशुभ दर्शनवाले धूमकेतु हैं। इस पुस्तक में सूर्य आदि ग्रहों और पृथ्वी तथा विभिन्न नक्षत्रों से उत्पन्न होनेवाले सहस्रों केतुओं का वर्णन मिलता है, जिसमें उनकी गति, स्थिति और उनके उदय से होनेवाले शुभाशुभ परिणामों का भी वर्णन किया गया है।

उल्का

ये आकाश में छोटे-छोटे धातुखण्ड होते हैं, जो वेग के साथ गिरते समय प्रकाशवान् हो जाते हैं। अधिकांश में ये उल्काएँ पृथ्वी पर आते-आते जल जाती हैं।

सप्तर्षि

आकाश में एक तारा सर्वथा स्थिर होता है। इसे ध्रुव तारा कहते हैं। इसके चारों ओर सात तारे और भी होते हैं। ये भी स्थिर होते हैं। इन्हें सप्तर्षि-मण्डल कहते हैं।

तारे

ये आकाश में प्रकाशवान् छोटे-छोटे तारे सौर-मण्डल से बड़ी दरी पर होते हैं। कुछ तारे तो इतने दूर हैं कि उनका प्रकाश १८६,००० मील प्रति सेकेंड की गति से पृथ्वी तक आने में चार वर्ष लग जाते हैं। इससे आप यह सहज अनुमान कर सकते हैं कि ये तारे कितनी दूरी पर हैं। ग्रह स्वयं प्रकाशवान् नहीं हैं। परन्तु ये तारे स्वयं प्रकाशवान् हैं। ये तारे ३ या ४ अरब की संख्या में होंगे। इनमें ६००० तो ऐसे हैं, जो विना सूक्ष्मवीक्षण-यंत्र तथा दूरदर्शक यंत्र के देखे जा सकते हैं।

ध्रुवप्रदेश में प्रकाशपुंज

उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव-प्रदेशों में यह प्रकाश होता है। यहाँ पृथ्वी से ५० से १०० मील के ऊपर के वातावरण में विद्युत के कारण यह प्रकाश होता है। यह बड़ा सुन्दर और मनोरम प्रतीत होता ह। इन्द्रधनुष के समान रंग-बिरंगी रोशनी देख पड़ती है—कहीं लाल,

कहीं पीत, कहीं नीली ! कहीं वह किरणों क रूप में, कहीं धनुष के रूप में और कहीं मेघ-खण्डों के रूप में देख पड़ती है।

अकाश-गंगा

आकाश में तारों के प्रकाश के कारण एक प्रकाश-रेखा-सी खिंच जाती है। इसे आकाश-गंगा (Milky way) कहते हैं। जब आकाश स्वच्छ होता है, तब यह स्पष्ट देख पड़ती है। जब चन्द्रमा का प्रकाश न हो और ग्रीष्म की रातें हों, तब विमल आकाश में यह प्रकाश-रेखा उत्तर की ओर दिखलाई देती है।

अध्याय १०

जनसंख्या

भारतीय गणराज्य की जनसंख्या ३१८,६१२,५०६ है। भारत में समय-समय पर अनेक प्रजातियाँ आईं और यहीं पर स्थायी रूप से रहने लगीं। उनमें तथा यह के निवासियों में रक्त का मिश्रण हो गया। परिणामस्वरूप यहाँ प्रजातियों का मिश्रण हो गया।

भारत की सबसे प्राचीन जाति आर्य है। आज इन्हीं आर्यों की संतान हिन्दू नाम से प्रसिद्ध है। किन्तु भारत के समस्त हिन्दुओं को विशुद्ध आर्य-सन्तान मानना अथवा उन्हें केवल एक-एक ही प्रजाति (Race) मानना मानव-जाति-विज्ञान के विरुद्ध होगा। काश्मीर से लेकर कुमारी अन्तरीप तक और अमृतसर से लेकर आसाम तक आपको अनेक प्रजातियों के लोग देखने में मिलेंगे। दक्षिण भारत के व्यक्ति, संयुक्तप्रान्त के व्यक्ति तथा पंजाब और काश्मीर के व्यक्ति में आप स्पष्टरूप से भेद कर सकेंगे। गुरखा को सभी पहचान लेंगे और इसी प्रकार मराठों व गुजरातियों में भी आप भेद कर सकेंगे। बंगाली को भी आप आसानी के साथ जान सकेंगे।

आर्य-जाति के संबंध में विद्वानों के विभिन्न विचार हैं। आर्य-जाति की उत्पत्ति भारत में हुई या अन्य किसी स्थान पर—इस संबंध में भारतीय विद्वानों में बड़ा मतभेद है। बालगंगाधर तिलक ने आर्यों का आदि-निवास उत्तरी ध्रुव प्रदेश माना है। आर्य-समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द ने तिब्बत को आदि-निवास माना है; क्योंकि वह सबसे ऊँचा स्थान है। वही भाग सबसे पहले जल में से बाहर निकला होगा, जहाँ मानव रह सकते हैं। रागोजिन ने अपनी (Vedic India) 'वैदिक भारत' पुस्तक में आर्यों का

आदि निवास काश्मीर तथा उत्तरी पजाब को माना ह। डाक्टर अविनाशचन्द्र दास (कलकत्ता विश्वविद्यालय) ने भी सप्तसिन्धु (पंजाब) को आर्यों का आदि-निवास माना है।

इसके उपरान्त भारतीय तथा विदेशी विद्वानों में इस विषय में भी मतभेद है कि आर्यों से पूर्व यहाँ कोई जाति विद्यमान थी या नहीं। एक पक्ष का यह मत है कि आर्यों से पूर्व यहाँ कोई जाति नहीं थी। आर्यों ने ही आर्यावर्त्त को बसाया। आजकल जहाँ पंजाब है, इसी को आर्यावर्त कहते थे। जहाँ आज गंगा-यमुना का मैदान है, वहाँ आरम्भ में सागर था। और जहाँ राजस्थान है, यहाँ बड़ा समुद्र था। इस प्रकार दक्षिण भारत मध्य में समुद्र द्वारा पृथक् हो गया था।

दूसरे पक्ष का यह मत है कि भारत में आर्यों का अन्य प्रदेश से जब आगमन हुआ तब यहाँ आदि-वासी रहते थे। यह आदि-वासी कौन थे? इस विषय में भी मतभेद है। वे वर्तमान काल की शूद्र-जातियों को आदि-वासी मानते हैं। यह कहा जाता है कि आर्यों ने इस आदि-जाति पर विजय प्राप्त कर ली और इन्हें शूद्र बनाकर अपनी समाज-व्यवस्था में स्थान दिया।

भारत में मुख्य प्रजातियाँ

भारत में वर्तमान समय में अनेक प्रजातियों का ऐसा संगम बन गया ह कि यह नहीं कहा जा सकता कि किस जाति में आर्य-जाति का विशुद्ध रक्त है और कौन जाति वर्णसंकर है। अतः आज कोई यह दावा नहीं कर सकता कि हिन्दू जाति विशुद्ध आर्य-जाति है; क्योंकि हिन्दू-समाज में अनेक प्रजातियों का रक्त है। अतः हम इस विषय में अधिक न लिखकर मानव-जाति-विज्ञान के अनुसार भारत की प्रमुख प्रजातियों के संबंध में वर्णन करेंगे।

भारतीय आर्य :—इस प्रजाति के लोग पंजाब, राजस्थान और काश्मीर में मिलते हैं। इस प्रजाति के लोग प्राचीन आर्यों के रूप-रंग, आकार-प्रकार से मिलते हैं। इनका कद लम्बा, रंग श्वेत, आँखें काली, सिर लम्बा और नासिका न अधिक लम्बी और न अधिक चौड़ी होती है। शरीर के सब अंग-प्रत्यंग ठीक अनुपात से होते हैं।

सिथियन-द्रविड़ —– इस प्रजाति के लोग मराठ ब्राह्मण, कुन्वी, और पश्चिमी भारत के कुर्ग हैं। ये सीथियन व द्रविड़ प्रजातियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई हैं। इनका कद छोटा, सिर कुछ बड़ा, मस्तक चौड़ा तथा नासिका छोटी होती है।

आर्य-द्रविड़—– आर्य तथा द्रविड़ प्रजातियों के संमिश्रण क फलस्वरूप जो प्रजाति बनी उसके लोग उत्तर भारत, बिहार, राजस्थान में मिलते हैं। यहाँ के लोगों का कद न पंजाबियों-जैसा है और न द्रविड़ों-जैसा। उनके मध्य का है। रंग भी न पंजाबियों-जैसा गौर है और न द्रविड़ों-जैसा कृष्ण। नासिका भारतीय आर्यों से कुछ चौड़ी होती है। इस प्रजाति के लोगों में जो उच्च स्तर के हैं, वे भारतीय आर्यों से मिलते हैं और निम्न स्तर के दक्षिण के लोगों से।

मंगोल-द्रविड़ —– इस प्रजाति के लोग पश्चिमी बंगाल व उड़ीसा में मिलते हैं। यहाँ के ब्राह्मण तथा कायस्थ इसी प्रजाति के हैं। ये लोग मंगोल व द्रविण के मिश्रण से पैदा हुए हैं। इनके उच्च स्तर में आर्यरक्त ही हैं। इनका सिर चौड़ा होता है। रंग काला। कद छोटा। नासिका भी मध्यम होती है। इस प्रजाति के लोग आसानी के साथ जाने जा सकते हैं।

मंगोल—–मंगोल-जाति के लोग हिमालय, नेपाल, आसाम, सिक्किम, तिब्बत आदि में मिलते हैं। इनका सिर चौड़ा, रंग कुछ पीला, कद छोटा, मुखाकृति कुछ चपटी-सी और आँखों के पलक टेढ़े-से होते हैं।

द्रविड़—– इस जाति के लोग मध्य-भारत, मध्य-प्रदेश, छोटा-नागपुर, हैदराबाद तथा मद्रास राज्य में मिलते हैं। लंका में भी इस जाति के लोग हैं। इनका क़द छोटा, रंग अत्यन्त काला, केश पर्याप्त, आँखें काली, सिर लम्बा,नासिका बहुत चौड़ी। कुछ विद्वानों के अनुसार भारत की यह सबसे प्राचीन जाति है, जिसपर आर्यों ने विजय प्राप्त की।

धार्मिक सम्प्रदाय

भारतीय गणराज्य में धार्मिक सम्प्रदाय तथा उनकी जन-संख्या के संबंध में नीचे एक तालिका देते हैं—

जनसंख्या

सम्प्रदाय		भारत में (१०००,००० में) १९४१ की जनगणना	रियासतों में (१,०००,००० में) १९४१ की जनगणना
हिन्दू	परिगणित जातियाँ	३७·०२	६·६४
	अन्य हिन्दू-जातियाँ	१५१·२२	४४·२४
मुसलिम ...	...	३२·५३	१०·१७
भारतीय इसाई ...	...	२·८७	२·७३
सिक्ख ...	...	२·६६	१·४१
जैन ...	...	०·८०	०·६८
आदिवासी जातियाँ	..	२०·५६	४·२३
अन्य ...	...	०·६६	०·१२

भारत में सबसे बड़ी संख्या हिन्दुओं की है; परिगणित जातियाँ हिन्दुओं के अन्तर्गत हैं। सन् १९४१ की जनगणना के अनुसार भारत में १९,५४,६६,००० हिन्दू तथा ४,३१,१४,००० परिगणित जातियाँ हैं। हिन्दू तथा परिगणित जातियाँ प्रायः सभी प्रदेशों में मिलते हैं। सिक्ख पूर्वी पंजाब में ही अधिक हैं। पाकिस्तान की स्थापना के फलस्वरूप सिक्ख प्राय: प्रत्येक स्थान में थोड़ी-बहुत संख्या में मिलते हैं। जैन राजस्थान, अजमेर, सहारनपुर आदि में बड़ी संख्या में मिलते हैं। इसाइयों की आधी से अधिक जनसंख्या दक्षिण भारत तथा हैदराबाद में है। शेष सारे देश में बिखरे हुए हैं, विशेषत: उत्तर भारत, पश्चिमी बंगाल, बिहार, बंबई। पारसी और यहूदी बंबई राज्य में अधिक संख्या में रहते हैं। भारतीय

इसाइयों की संख्या ५६ लाख है। सन् १९३१ म इनकी जितनी संख्या थी, उसमें ६°/॰ की वृद्धि हो गई है। मद्रास में प्रति १००० व्यक्तियों में ४० इसाई हैं; कोचीन में २९ प्रतिशत और त्रावनकोर में ३२°/॰ इसाई हैं।

भारत में इस समय ४ करोड़ ३७ लाख से भी अधिक मुसलमान हैं।

भारत में सन् १९४१ की गणना के अनुसार हिन्दुओं के अन्तर्गत कुछ प्रमुख जातियों की जन-संख्या निम्नप्रकार है——

१. ब्राह्मण	१४,२५०,०००
२. चमार	११,२६०,०००
३. राजपूत	९,८००,०००
४. कुरमी	८,३००,०००
५. जाट	७,४००,०००
६. मराठा	६,६००,०००
७. तेली	४,२००,०००
८. कुम्हार	३,३५०,०००
९. कहार	३,०००,०००
१०. नाई	२,९००,०००
११. गोंड	२,९००,०००
१२. बनिया	२,८००,०००
१३. कोली	२,५००,०००
१४. लिंगायत	२,७००,०००
१५. कायस्थ	२,३००,०००

यह जनसंख्या के क्रमानुसार कुछ प्रमुख जातियों की जनसंख्या है। भारत में सबसे अधिक संख्या ब्राह्मणों की है; वे १ करोड़ ४२½ लाख हैं। दूसरा स्थान चमार जाति का है। ये १ करोड़ १२ लाख से अधिक हैं। इसके बाद राजपूतों का स्थान है। वैश्य २८ लाख हैं।

भारत की प्रमुख भाषाएँ

राज्य-भाषा	*जनसंख्या (भाषाभाषियों की जनसंख्या)*
१ हिन्दी (राष्ट्रभाषा)	❀ ७६,०००,०००
२ बँगला	✢ ५४,०००,०००
३ तेलगू	२६,०००,०००
४ मराठी	२१,०००,०००
५ तामिल	२०,०००,०००
६ पंजाबी	१६,०००,०००
७ राजस्थानी	१४,०००,०००
८ कनाड़ी	१२,०००,०००
९ उड़िया	११,०००,०००
१० गुजराती	११,०००,०००
११ मलयालम	१०,०००,०००
१२ सिंधी	४,०००,०००
१३ आसामी	२,०००,०००
१४ काश्मीरी	१,५००,०००
१५ मुंडा भाषा	४,०००,०००

नगरों की जनसंख्या

भारत कृषि-प्रधान देश है। इसलिए यहाँ सबसे अधिक जनता ग्रामों में रहती है। यहाँ के नगरों में १३·९% व्यक्ति रहते हैं और ८६% व्यक्ति ग्रामों में रहते हैं। नीचे की तालिका में प्रत्येक राज्य की नगरों में रहनेवाली जनता की प्रतिशत संख्या बतलाई गई है—

नगरों की जनसंख्या

राज्य	*नगरों में प्रतिशत संख्या*
१ देहली	७५·७८
२ अजमेर	३६·६८

❀ राष्ट्रभाषा के सम्बँध में ये आँकड़े सही नहीं हैं। राष्ट्रभाषा बोलनेवाले १५–१६ करोड़ हैं।

✢ पश्चिमी बंगाल में २ करोड़ ११ लाख ही जनसंख्या है।

३	बीकानेर	२६·०
४	सौराष्ट्र	२५·६
५	बड़ौदा	२५·१६
६	बंबई	२३·६२
७	पश्चिमी बंगाल	२१·७६
८	कच्छ	१८·०
९	कोचीन	१८·८
१०	मैसूर	१८·४
११	भोपाल	१७·७२
१२	जयपुर (राजस्थान)	१७·२
१३	मद्रास	१५·९७
१४	मध्य–भारत	१५·३३
१५	पूर्वी पंजाब	१५·०९
१६	पंजाब-राज्य-संघ	१४·५७
१७	हैदराबाद	१३·४
१८	जोधपुर	१३·८
१९	मत्स्य-राज्य	१२·७४
२०	उत्तर-प्रदेश	१२·४६
२१	मध्य-प्रदेश	११·२९
२२	त्रावनकोर	११·४
२३	काश्मीर	१०·३
२४	राजस्थान	१०·०४
२५	आसाम-राज्य	९·०
२६	बिहार	५·२७
२७	आसाम	३·०
२८	उड़ीसा	२·९९
२९	हिमाचल-प्रदेश	३·४

भारत के प्रमुख नगर और उनकी जनसंख्या

	नगर	जनसंख्या १९४१ में	जनसंख्या १९३१ में
१	कलकत्ता (हावड़ा सहित)	२,४८८,०८३	१,३८८,६४४
२	बंबई	१,४८९,८८३	१,१६१,३८२
३	मद्रास	७७७,४८१	६४७,२८०
४	हैदराबाद	७३९,१५९	४४६,८९४
५	देहली	५२१,८४९	३४७,५३९
६	अहमदाबाद	५९१,२६७	३१०,०००
७	बंगलोर (छावनी सहित)	४०६,७६०	३०६,४७०
८	लखनऊ	३८७,१७७	२७४,६५९
९	अमृतसर	३७७,०१०	२६४,८४०
१०	नागपुर	३०१,९५७	२१५,१६५
११	कानपुर	२८७,३२४	२४३,७५५
१२	आगरा	२८४,१४९	२२९,७६८
१३	बनारस	२६३,१००	२०५,३१५
१४	इलाहाबाद	२६०,६३०	१८३,९१४
१५	पूना	२५८,१९७	१९८,०७८
१६	मदुरा	२३९,१४४	१८२,०१८
१७	शोलापुर	२१२,६२०	१४४,६५४
१८	श्रीनगर	२०७,७८७	१७३,५७३
१९	इन्दौर	२०३,६९५	१४७,१००
२०	जबलपुर	१७८,३३९	१२४,३८२
२१	पटना	१७५,७०६	१४५,४३२
२२	जयपुर	१७५,८१०	१५०,५७९
२३	बरेली	१९२,६८८	१४४,०३१
२४	मेरठ	१६९,२९०	१३६,७०९
२५	त्रिचनापल्ली	१५९,५६६	१४२,८४३
२६	अजमेर	१४७,२५८	११९,५२४
२७	बड़ौदा	१५३,३०१	११२,८६०

२८ मुरादाबाद	१४२,४१४	११०,५६२
२९ मैसूर	१५०,५४०	१०७,१४२
३० सलेम	१२९,७०२	१०२,१७९
३१ लश्कर	१८२,४९२	१२६,९४९
३२ सूरत	१७१,४४३	९८,९३६
३३ जमशेदपुर	१४८,७११	८३,७३८
३४ जलंधर	१३५,२८३	८९,०३०
३५ कोलार	१३३,८५९	८५,१०३
३६ कोयम्बटूर	१३०,३४८	९५,१९४
३७ त्रिवेन्द्रम	१२८,३६५	९६,०१६
३८ वीकानेर	१२७,२२६	८५,९२७
३९ जोधपुर	१२६,८४२	९४,७३६
४० कालीकट	१२६,३५२	९९,२७३
४१ अलीगढ़	११२,६५५	८३,८७८
४२ लुधियाना	१११,६३९	६८,५८६
४३ शाहजहाँपुर	११०,१६३	८३,७६४
४४ सहारनपुर	१०८,२६३	७८,६५५
४५ गया	१०५,२२३	८८,०८५

सन् १९३१ की अपेक्षा सन् १९४१ में नगरों की जनसंख्या ९,१००,००० से बढ़कर १ करोड़ ६५ लाख हो गई। इनमें ८१°/॰ की वृद्धि हो गई। गत १० वर्षों में नगरों की जनसंख्या में काफी वृद्धि हो गई है। जब सन् १९५१ में जनगणना होगी, उस समय इसका ठीक ज्ञान हो सकेगा। वर्तमान समय में कलकत्ता की जनसंख्या ४,०००,००० तथा बंबई की ३,०००,००० की है। कलकत्ता भारत का सबसे बड़ा नगर है। राष्ट्रमण्डल में लन्दन के बाद इसका दूसरा स्थान है।

साक्षरता

भारत में सन् १९४१ की जनगणना के अनुसार प्रति १०००

की जन-संख्या पीछे १२० व्यक्ति साक्षर हैं। इस प्रकार १२% व्यक्ति साक्षर हैं। साक्षरता सभी राज्यों में एक समान नहीं है।

भारत में स्त्री-पुरुषों की संख्या

भारत की कुल जनसंख्या ३८८,९९७,९५५ है। इनमें से २०१,०२५,७२६ पुरुष हैं और १८७,९७२,२९९ स्त्रियाँ हैं। इनमें ३३९,३०१,९०२ व्यक्ति ग्रामों में रहते हैं। ४९,६९६,०५३ नगरों में रहते हैं। जो व्यक्ति ग्रामों में रहते हैं, उनमें १७३, ६३८,०८९ पुरुष हैं और १६५,६६३,८१३ स्त्रियाँ हैं। और जो नगरों में रहते हैं, उनमें २७,३८७,६३७ पुरुष हैं और २२,३०८,४१६ स्त्रियाँ हैं।

भारतीय गणराज्य की जनसंख्या

(सब अंक '००० हजार में हैं)

राज्य	वर्गमीलों में क्षेत्रफल	कुल जनसंख्या	जनसंख्या प्रति मील	पुरुष	स्त्री	ग्रामों में	नगरों में
१. मद्रास	१२७,७६८	४९,८४१	३९०	२४,८००	२५,०४०	४१,३७९	७,९६१
२. बंबई	१०१,८६४	२६,०६९	२४६	१३,४७८	१२,५९३	१९,९२२	६,१४७
३. बंगाल (पश्चिमी)	२८,१५५	२१,१९६	७५२	११,४९३	९,७०३	१६,५८३	४,६१४
४. उत्तर-प्रदेश	१०६,२४७	५५,०२१	५१८	२८,८६०	२६,१६०	४८,१६५	६,८५५
५. पंजाब (पूर्वी)	३७,४२८	१२,६९७	३३९	६,८५२	५,८४४	१०,७८२	१,९१६

६. बिहार	७०,३६८	३६,५४६	५१६	१८,३२५	१७,२५२	३४,५८३	१,९९२
७. मध्य-प्रदेश	१३०,३२३	१९,६४८	१५१	९,८४५	९,८०२	१७,४२९	२,२१९
८. आसाम	५०,२९९	७,४७२	१४९	३,९५९	३,५१२	७,२४७	२२५
९. उड़ीसा	५९,८६९	१३,७०८	२३०	६,७०७	७,०९२	१३,२५६	४४२
राज्य-कुल	७१२,३४८	२४२,२५७	३४०	१२४,३१९	११७,९३८	२०६,९४६	३२,३११
१. अजमेर–	२,४००	५८४	२४३	३०७	२७७	३७०	२१४
२. अन्दमान–	३,१४३	३४	११	२१	१२	३४	——
३. बिलासपुर––	४५३	११०	२४३	५७	५३	१०७	३
४. कुर्ग–	१,५९३	१६९	१०६	९२	७६	१५८	११
५. कच्छ–	८,४६१	५०१	६९	२३९	२६२	४११	९०
६. देहली––	५७४	९१८	१५९९	५३५	२८३	२२२	६९६
७. हिमाचल-प्रदेश–	१०,६००	९३५	८८	४९५	४४१	९०३	३२
८. पंथ पिपलादो–	२५	५	२११	३	३	५	––
९. भोपाल––	६,९२१	७८५	११३	४१०	३७५	६४६	१३९

जनसंख्या

(क्रमागत)

राज्य	क्षेत्रफल वर्गमीलों में	कुल जन-संख्या	प्रति वर्गमील जन-संख्या	पुरुष	स्त्री	ग्रामों में	नगरों में
१. मध्यभारत-संघ–	४६,७४२	१,७४३	१५३	३,७३५३	,४०८	६,०४८	१,०९५
❀२. मत्स्य-संघ–	७,५३६	१,८३८	२४४	९८७	८५१	१,६०४	२३४
३. पंजाब राज्य-संघ–	१०,०९९	३,४२४	३३९	१,८६८	१,५५७	२,९२५	४९९
✤४. राजस्थान-संघ–	२९,९९७	४,२६४	१४२	२,१९९	२,०६५	३,८३७	४२७
५. सौराष्ट्र-संघ–	२५,३४५	४,०१४	१५१	२,०४३	१,९७१	२,९८५	१०,२९
६. विन्ध्य-प्रदेश–	२४,६००	३५,६५	१४५	१,८१९	१,७५०	३,३७३	१९६
७. हैदराबाद	८२,३१३	१६,३३९	१९८	८,३४७	७,९९२	१४,१४९	२,१९४
८. काश्मीर व जम्मू–	८२,२५८	४,०२२	४९	२,१३०	१,८९२	३,६०७	४१४
९. मैसूर	२९,४५८	७,३२९	२४९	३,७६३	३,५६६	३,८१९	४,०३१
१०. केरल-संघ (कोचीन त्रावनकोर)	९१,५५	७,४९३	८००	३,७४२	३,७५१	४,३९५	३,५२३

❀ मत्स्य-संघ के धौलपुर, अलवर तथा भरतपुर राज्य राजस्थान-संघ में मिल गये हैं।

धर्मों के अनुसार जनसंख्या❀

(जनसंख्या ,००० में)

राज्य	हिन्दू परिगणित जातियाँ	अन्य जातियाँ	मुस्लिम	भारतीय ईसाई	सिक्ख	जैन	आदिवासी जातियाँ	अन्य	कुल संख्या
१ मद्रास	८,१५२	३५,०६५	३,८२७	२,०२२	...	३०	५६२	५२	४६,८४१
२ बंबई	२,२५२	१८,३५१	२,२२३	३६२	...	३६१	२,३३३	१४९	२६,०६८

✤ राजस्थान में जयपुर, जोधपुर आदि राज्य मिल गये हैं।

❀ यह जनसंख्या सन् १९४१ की जनगणना के आधार पर है। सन् १९४७ में आबादी के परिवर्तन के फलस्वरूप जो परिवर्तन हुआ है उसकी इसमें गणना नहीं है।

	बंगाल (पश्चिमी)	३,३१४	११,०१७	५,३०२	६०	१५	६	१,३६६	१११	२१,१
४	उत्तर-प्रदेश	११,७१७	३४,०६५	८,४१६	१३१	२३२	१०३	२,८६	३७	५५,०२१
५	पंजाब (पूर्वी)	१,०२८	४,४८६	४,४२७	११६	२,३३६	३०	—	२७३	१२,६६७
६	बिहार	४,३४४	२२,२६३	४,७१६	२५	१३	५	५१६५	११	३६,५४६
७	मध्य-प्रदेश	३,३१०	१०,६२०	८११	५२	१५	८६	४४४०	१३	१६,६४८
८	आसाम	३७७	२,८६१	१,७५२	३५	३	६	२२४१	१६	७,४७२
९	उड़ीसा	१८६५	८,१८७	१६६	३७	—	१	३५०९	३	१३,७०८
१०	अजमेर	... ...	३७६	६०	४	१	१६	६१	२	५८४
११	अन्दमान	... ...	८	८	१	१	—	११	४	८४
१२	कुर्ग	२६	१०२	१५	३	...	—	२०	...	११०
१३	कच्छ	३६	२७६	११७	...	...	६४	—	...	१६६
१४	देहली	१२३	४४५	३०५	१०	१०	११	—	...	५०१
१५	हिमाचल-प्रदेश	२२६	६७२	२६	..	४	४	—	८	६१८
१६	बिलासपुर	१६	६३	१	—	...	—	१	१	६३५

आयु के अनुसार जन-संख्या

नीचे की तालिका में १०,००० स्त्री-पुरुषों की जनसंख्या को १० वर्षीय विभागों में निम्न प्रकार विभाजित किया गया है—

आयु	सन् १९२१		सन् १९३१	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
१० से २० वर्ष	२,०८७	१,८९६	२,०८६	२,०६२
२० से ३० वर्ष	१,६४०	१,७६६	१,७६८	१,८५६
३० से ४० वर्ष	१,४६१	१,८३९	१,४३१	१,३५१
४० से ५० वर्ष	१,०१३	९६७	९६८	८९१
५० से ६० वर्ष	६१९	६०६	५६१	५४५
६० से ७० वर्ष	३४७	३७७	२६९	२८१
७० से ऊपर	१६०	१८०	११५	१२५
औसत आयु	२४·८	२४·७	२३·२	२२·८

आयु के अनुसार स्त्री-पुरुषों का अनुपात निम्न प्रकार है—

आयु-अवधि	पुरुष	स्त्री
१—४	१४·७	१५·९
५— ९	१३·२	१२·८
१०—१४	१२·०	११·९
१५—१९	८·९	९·४
२०—२४	९·१	९·८
२५—२९	८·६	८·७
३०—३४	७·९	७·६
३५—३९	६·४	५·९
४०—४४	५·५	५·०
४५—४९	४·२	३·०

५०—५४	३·३	३·२
५५—४६	२·३	२·३
६०—६४	१·८	१·६
६५	२·१	२·३

इस तालिका से यह स्पष्ट है कि इस देश की जनसंख्या में किशोर-किशोरियों की संख्या अधिक है। १४ वर्ष तक की आयु के ३६.६% पुरुष और ४०.६% स्त्रियाँ हैं। इंगलैंड में इसी आयु के पुरुष २५.२% और स्त्रियाँ २२·६% हैं।

हमारे देश में ५० वर्ष से ऊपर के स्त्री-पुरुष ६·७% और ६·० % हैं। किन्तु इंगलैंड में इस आयु के स्त्री-पुरुष २३·६% और २२·८ % हैं।

भारत में औसत पुरुष की आयु २३·२ वर्ष है और स्त्री की २२·८ है।

जन-संख्या में वृद्धि

गत ६० वर्षों में भारत तथा पाकिस्तान की जनसंख्या में किस प्रकार वृद्धि हुई है, इसका स्पष्ट ज्ञान निम्नलिखित तालिका से हो जायगा—

वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि	प्रतिशत
सन् १,८८१	२५३,८९६,३३०	४७,७३३,९७०	२३·२
१,८९१	२८७,३१४,६७१	३३,४१८,३४१	१३·२
१,६०१	२६४,३६१,०५६	७,०४६,३८५	२·५
१९११	३१५,१५६,३९६	२०,७९५,३४०	७·१
१६२१	३१८,९४२,४८०	३,७८६,०८४	१·२
१९३१	३५२,८३७,७७८	३३,८९५,२९८	१०·६
१९४१	३८८,९९७,९५५	५०,८७८,८०१	१५·०
कुल		१४६,८२०,२४०	३६·०

इस प्रकार सन् १८८१ से १९४१ तक ६० वर्षों में १५ करोड़ की जन-वृद्धि हुई और गत १० वर्षों में भी जन-संख्या में ५–६ करोड़ की वृद्धि हुई होगी।

यद्यपि भारत में गत ६० वर्षों में ३९°/॰ के हिसाब से आबादी बढ़ी है और यह वृद्धि भारत की आर्थिक समस्या बन गई है। परन्तु इसी काल में यूरोप और जापान में इससे भी अधिक जन संख्या बढ़ गई है। रूस को छोड़ यूरोप में ६० °/॰ संख्या बढ़ी है और जापान में ११३% ।

मृत्यु और जन्म

प्रत्येक देश की जनसंख्या उसकी जीवन-मरण की स्थिति पर निर्भर है; कितने व्यक्ति जन्म लेते हैं, कितने मर जाते हैं तथा बाल-मृत्यु कितनी होती है। हम यहाँ गत १० वर्षों (सन् १९३० से १९४०) तक की मृत्यु , जन्म तथा बाल-मृत्यु के आँकड़े देते हैं:–

१००० पीछे

वर्ष	जन्म	मृत्यु	शिशु-मृत्यु
१९३०	३३	२५	१८९
१९३१	३५	२५	१७९
१९३२	३४	२२	१६९
१९३३	३६	२३	१७१
१९३४	३४	२५	१८७
१९३५	३५	२४	१६४
१९३६	३६	२३	१६२
१९३७	३५	२२	१६२
१९३८	३४	२४	१६७
१९३९	३४	२२	१५६
१९४०	३३	२२	१६०

भारत में जन्म तथा मृत्यु के आँकड़े ठीक-ठीक रूप में नहीं लिखाये जाते। ऐसे भी हजारों मामले हैं कि लोग जन्म-मृत्यु को दर्ज नहीं कराते। ग्रामों में प्रायः ऐसा होता है। इसलिए यदि हम

यह अनुमान करें कि सन् १९४० में १००० पीछे ४८ जन्म हुए तो यह अत्युक्ति नहीं होगी। संसार में सबसे अधिक जन्म-संख्या १००० पीछे ५२ है। किसी-किसी देश में २० है, किसी की ४०।

सन्तानोत्पादन-शक्ति कई महत्त्व-पूर्ण बातों पर निर्भर है। पहली बात तो यह है कि सन्तानोपादन की आयु की स्त्रियों की संख्या कितनी है; उनका विवाह किस आयु में होता है। स्त्रियों में प्रजनन-शक्ति सन्तानोत्पादन-काल के पूर्वार्द्ध में उत्तरार्द्ध की अपेक्षा अधिक होती है।

स्त्रियों की प्रजनन-शक्ति १५ वें वर्ष से आरम्भ होकर ४५ वें वर्ष तक रहती है। इस प्रकार स्त्रियों की कुल जनसंख्या में ४६·-४७% ही प्रजनन-शक्ति-सम्पन्न है। सन् १९३१ में १५ से ४५ वर्ष की आयु की ७ करोड़ ५४ लाख स्त्रियाँ थीं। १९२१ में इसी आयु की स्त्रयाँ ७ करोड़ ९९ लाख थीं। इस प्रकार १० वर्ष में ४५००,००० स्त्रियाँ कम हो गई! इंगलैंड में इस आयु की स्त्रियों की संख्या पुरुषों से १७ लाख अधिक है।

विवाह और विवाह-वय

(*विवाहित स्त्रियाँ*)

आयु	१९३१ में प्रति १००० पीछे	१९२१ में प्रति १००० पीछे
१५–२० वर्ष	८१८	७७१
२०–२५ "	८८६	८७७
२५–३० "	८६९	८६३
३०–३५ "	८२४	७९७
३५–४० "	७०३	७२७
४०–४५ "	६२७	५९९
४५–५० "	४७३	५२७

सन् १९३१ में ४९·३% स्त्रियाँ विवाहित थीं। इंगलैंड में ४१·३% स्त्रियाँ विवाहित थीं। भारत में अधिक विवाहित स्त्रियाँ

हैं। इसके कई कारण हैं। हमारे देश में विवाह को एक धार्मिक कृत्य माना जाता है और प्रत्येक माता यह चाहती है कि उसकी कन्या का विवाह हो जाय, चाहे वह शारीरिक या मानसिक दृष्टि से विवाह के अयोग्य ही क्यों न हो। देश में बालविवाह की भी प्रथा है। इस कारण भी विवाह अधिक होते हैं।

विविधि आयु की स्त्रियों में १००० पीछे कितनी अविवाहित होती हैं, इसकी तालिका नीचे दी जाती है।

अविवाहित स्त्रियाँ

आयु	१००० पीछे
०—४	९९९
५—९	८०२
१०—१४	६०९
१५—१९	१४८
२०—२९	४४
३०—३९	१७
४०—६०	११
६० स ऊपर	१०

६० वर्ष की आयु से ऊपर १% स्त्रियाँ अविवाहित होती हैं। इंगलैंड में १३·६% स्त्रियाँ अविवाहित होती हैं। २९-३० वर्ष की आयु में प्रायः सभी लड़कियों के विवाह हो जाते हैं।

१५ वर्ष से २५ या ३० वर्ष तक की अवधि में स्त्रियों की प्रजनन-शक्ति ३० वर्ष से ४५ वर्ष की अवधि की अपेक्षा अधिक होती है। भारत में १५ से ३० वर्ष तक की आयु की ६४% स्त्रियाँ होती हैं। इसलिए भारत में स्त्रियों की प्रजनन-शक्ति अधिक है।

मृत्यु

भारत में मृत्यु का अनुपात भी अन्य देशों से बढ़ा हुआ है। आयु और लिंग के अनुसार भी मृत्यु अधिक होती है। नीचे की तालिका में प्रति १०००० स्त्री-पुरुषों की मृत्यु की संख्या दी जाती है—

आयु	पुरुष	स्त्री	पुरुषों की प्रति-शत स्त्रियाँ
०— १ वर्ष	१,८४४	१,६७१	९५·५
१— ४ ,,	३७६	३४६	९२·०
५— ९ ,,	१००	९९	९९·०
१०—१४ ,,	६३	६३	१००·०
१५—१९ ,,	८९	१०६	११९·०
२०—२९ ,,	९५	११९	१२५·०
३०—३९ ,,	१२६	११३	१०५·६
४०—४९ ,,	१८७	१६३	८७·२
५०—५९ ,,	३१८	२८३	८९·०
औसत	२३६	११९	

भारत में शिशु-मृत्यु अधिकता से होती है। जन्म के बाद पहले सप्ताह में ६०% शिशु मर जाते हैं। एक से ४ वर्ष तक के बालकों की मृत्यु अपेक्षाकृत कम होती है; परन्तु अन्य देशों की तुलना में यह भी अधिक है। ३० वर्ष तक कम रहती है। इसके बाद फिर बढ़ जाती है। लिंग की दृष्टि से विचार करने से यह स्पष्ट है कि शैशव तथा बाल्य-काल में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की मृत्यु कम होती है। १० से १४ वर्ष तक की आयु के बालक-बालिकाओं की मृत्यु-संख्या समान है। १,००० में ६३ बालक व बालिकाएँ मर जाती हैं।

भारत में प्रसूताओं की मृत्यु-संख्या भी अधिक है। यहाँ १००० प्रसूताओं में २४ की मृत्यु हो जाती है। इंगलैंड में केवल ४ प्रसूताओं की मृत्यु होती है।

यहाँ हम शिशु के जन्मकाल से लेकर ७० वर्ष की आयु तक के प्रति १००० के आँकड़े देते हैं जिनसे यह प्रकट हो जायगा कि भारत में और इंगलैंड में कितने बालक-बालिकाएँ जीवित रहकर वृद्धावस्था प्राप्त करने में समर्थ होते हैं—

आयु—	भारत म		इगलड म	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
१ वर्ष	७५१	७६८	९२८	९४५
५ वर्ष	६०२	६२८	९०१	९२०
१० वर्ष	५६५	५९३	८९०	९११
१५ वर्ष	५४१	५६८	८८३	९०४
२० वर्ष	५१२	५२८	८७२	८९४
२५ वर्ष	४७८	४७९	८५८	८८१
३० वर्ष	४३९	४२७	८४४	८६८
३५ ,,	३९५	३७३	८२९	८५३
४० ,,	३४६	३१८	८०९	८३७
४५ ,,	२९४	२६४	७८४	८१७
५० ,,	२४३	२१५	७५०	७९०
६० ,,	१४९	१३२	६३६	७०२
७० ,,	७०	६६	४३४	५३१

अब आर्थिक दृष्टि से इन आँकड़ों पर विचार करना है। ऊपर के आँकड़ों से यह प्रकट है कि जबतक पुरुष की आयु २० की होती उनकी आधी संख्या मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। २० से ५० वर्ष की आयु में पुरुष उद्योग-व्यवसाय आदि द्वारा धनोपार्जन करता है। लेकिन इस अवधि में १००० व्यक्तियों में से ३६० व्यक्ति ही जीवित रहते हैं।

दूसरी ओर आप इंगलैंड के आँकड़े देखिए। वहाँ १ से ५ वर्ष तक बाल-मृत्यु बहुत कम होती है। १००० में ९९ बालकों और ८० बालिकाओं की मृत्यु होती है। इसी वयस में हमारे देश में ३९८ बालकों और ३७२ बालिकाओं की मृत्यु होती है। २० से ५० वर्ष की आयु के वहाँ १००० व्यक्ति पीछे ७५० पुरुष जीवित रहते हैं, जो देश के विविध उद्योग-धंधों में भाग लेते हैं।

भारत म १५ वष की आयु म ४४२ लड़कियाँ मर जाती ह। केवल ३४६ स्त्रियाँ ५० वर्ष तक रहती हैं। बालविवाह के फलस्वरूप बालविधवाओं की संख्या भी अधिक है। सन् १९३१ में १५.५°/, विधवाएँ थीं।

मृत्यु के कारण : रोगों की व्यापकता

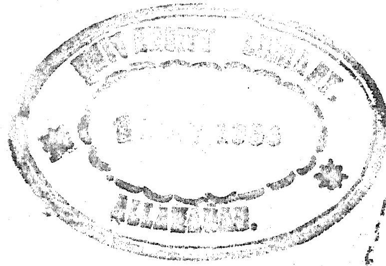
भारत में अत्यधिक मृत्यु का कारण रोगों की व्यापकता है। भारतीयों का स्वास्थ्य इतना दुर्बल है कि उनपर रोगों का आक्रमण तुरन्त हो जाता है और वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वे स्वास्थ्य तथा शुद्धता के नियमों से अनभिज्ञ रहते हैं और अनेक बार उन नियमों का पालन भी नहीं करते। हमारे देश में अधिक मृत्युएँ चेचक, मोतीझरा, पेचिश, संग्रहणी, हैजा और मलेरिया से होती हैं। सन् १९३९ में इन रोगों से निम्न प्रकार मृत्युएँ हुईं:—

रोग	मृत्यु-संख्या
मलेरिया	१,४११,६१४
अतिसार, आमातिसार	२६०,३००
हैजा	९७,५६६
चेचक—	४८,१०३

भारत में आजकल सबस भयानक रोग है—राजयक्ष्मा। इसके कारण बड़े-बड़े नगरों में ही नहीं, ग्रामों तक में अधिक मृत्युएँ होती हैं

भारत में रोगों का एक बड़ा कारण यह है कि लोगों को। स्वास्थ्यप्रद एवं पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इस कारण उनके शरीर में रोगनिवारक शक्ति कम हो जाती है।

अत: भारत में जहाँ एक ओर जनता के लिए चिकित्सा-संबंधी सुविधाएँ यथेष्ट रूप में दी जायँ, वहाँ राज्य को जनता की गरीबी तथा बेकारी दूर करके जनता के जीवनस्तर को उच्च बनाना चाहिए। यही जनता के स्वास्थ्य की रक्षा का एकमात्र उपाय है।



अध्याय ११

व्रत, पर्व और त्यौहार

भारतीय जीवन में, विशेषतः हिन्दू-जीवन में व्रतों, पर्वों और त्यौहारों का विशेष महत्त्व है। हिन्दुओं में व्रतों, त्यौहारों की विशेष मान्यता है; क्योंकि उनका न केवल धार्मिक महत्त्व है, वरन् सामाजिक और राष्ट्रीय महत्त्व है। हमारे त्यौहारों की अपनी एक विशिष्टता है। उनके द्वार भारतीय संस्कृति की बड़े सुन्दर रूप में व्याख्या की गई है। त्यौहार हर्षोत्सव होते हैं। इन अवसरों पर जनता में नाना प्रकार के गीत-मंगल तथा नृत्यों का आयोजन किया जाता है। यह सत्य है कि वर्तमान काल में हमारे इन राष्ट्रीय पर्वों का रूप बिगड़ गया है और यह भी खेद की बात है कि इनके सुधार के लिए कोई आन्दोलन संगठित रूप में नहीं किया गया है। वास्तव में, यदि हमें अपने सामाजिक जीवन का पुनर्निर्माण करना है, तो इन जातीय पर्वों व त्यौहारों का भी सुधार करना होगा।

हमारे विचार में तो एक अखिलभारतीय राष्ट्रीय पर्व-परिषद् की स्थापना करके पर्वों, त्यौहारों व उत्सवों की रूपरेखा निश्चित की जाय और उसके अनुसार ही उत्सव व पर्व मनाने का प्रयत्न किया जाय। यदि ऐसा किया गया तो समाज का अधिक धन नष्ट होने से बच जायगा, जनता की रुचि में सुधार होगा, समाज में सदाचार की प्रतिष्ठा होगी, अनेकों अंध-विश्वासों का नाश होगा और जनता अपने गौरव-पूर्ण अतीत की एक सच्ची झाँकी कर सकेगी।

यहाँ हम पहले हिन्दुओं के व्रतों, उत्सवों व त्यौहारों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे और उसके बाद मुसलमानों तथा अन्य सम्प्रदायों के उत्सवों का।

हिन्दुओं के पर्व व त्यौहार

व्रत

व्रत तथा उपवास में निराहार रहना पड़ता है। व्रत वास्तव म एक आध्यात्मिक व्यायाम है। शरीर, मन तथा आत्मा की शुद्धि के लिए इससे उत्तम और कोई साधन नहीं है।

व्रत तीन प्रकार के होते हैं---

१. *कायिक व्रत*---शस्त्राघात, मर्माघात, व्यभिचार, कार्य-हानि जनित हिंसा का त्याग।

२. *वाचिक व्रत*---सत्य, हित, मधुर भाषण करने तथा कटु वाणी, पिशुनता तथा निन्दा का त्याग।

३. *मानसिक व्रत*---प्राणिमात्र के प्रति निर्वैर रहने और मन को शान्त करने की दृढ़ता।

पर्व तथा त्यौहार

१. *संवत्सर-व्रत*---चैत्र की अमावस्या के बाद प्रतिपदा से हिन्दुओं का नवीन वर्ष आरम्भ होता है। यह बड़ा पवित्र दिन माना जाता है। अतः इस दिन व्रत रखते हैं।

२. *रामनवमी*---भगवान राम का जन्म चैत्र-शुक्ल-नवमी को हुआ था। यह एक प्रकार से राम की जयन्ती है। इस दिन व्रत रखा जाता है। राम की पूजा के अतिरिक्त सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की भी पूजा की जाती है। इस दिन आचार्य या पुरोहित राम के जीवन की महत्त्व-पूर्ण घटनाओं का व्याख्यान करते हैं। कथा-वार्त्ता तथा सत्संग होता है। जगन्नाथपुरी में इस दिन राम की मूर्ति को बड़े भव्य रूप में सज्जित करते हैं और बड़े समारोह के साथ उसका पूजन किया जाता है।

३. *रक्षाबंधन*---यह बड़ा सात्त्विक पर्व है। इस दिन यज्ञ होता था और साधु-संन्यासी तथा देवगण वर्षारम्भ के कारण अपना प्रवास स्थगित कर एक ही स्थान पर रहते थे। इसी उपलक्ष्य में यह उत्सव होता था। किन्तु बाद में यह राखी-बंधन के रूप में मनाया

जानें लगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों क सीध में राखी बाँधती हैं और भाई उन्हें अपने सामर्थ्यानुसार भेंट–दक्षिणा देते हैं।

४. *श्रीकृष्णजन्माष्टमी* ——यह उत्सव योगिराज श्रीकृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बृजभूमि और विशेषत: मथुरा में भाद्रपद में इसका बड़ा समारोह रहता है। भाद्रपद कृष्णाष्टमी को हिन्दू लोग व्रत रखते हैं और नवमी को अपना व्रत समाप्त करते हैं। इस दिन मन्दिरों में कीर्तन तथा रास होते हैं और मूर्तियों का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है। इस दिन गीता पर व्याख्यान तथा गीता की कथाओं का भी आयोजन किया जाता है।

५. *विजयादशमी : दुर्गापूजा*——

यह उत्सव या पर्व आश्विन-शुक्ला १० वीं को मानाया जाता है। इस दिन राजा रामचन्द्र ने राक्षास रावण पर विजय पाई थी। अत: उसी के उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है। बंगाल में इसे दुर्गाष्टमी या दुर्गापूजा कहते हैं। दुर्गा ने महिसासुर को भस्म किया था। इसलिए इस दिन बंगाल में दुर्गा-पूजा की जाती है। लोग दुर्गा की मूर्तियों का श्रृंगार कर उनका बाजारों में जुलूस निकालते हैं। यह बंगालियों का सबसे महान पर्व है। इससे पूर्व नवरात्र होती है। अर्थात् विजय-दशमी से ९ दिन पूर्व की रात्रियों में बंगाली पूजा-अर्चन करते हैं और दसवें दिन दुर्गा की पूजा की जाती है। इसे दशहरा भी कहते हैं। इस दिन उत्तर-भारत, दिल्ली, भरतपुर, ग्वालियर मैसूर आदि में 'रामलीला' होती है। राम-रावण युद्ध होता है और रावण की प्रतिमा बनाकर उसमें आग लगा दी जाती है।

राजपूतों तथा क्षत्रियों एवं अन्य जातियों में इस दिन शस्त्र-पूजा की जाती है। अनेक जातियों में अपने काम के औजारों की पूजा की भी प्रथा है।

६. *दीपमालिका*—— इसे दीवाली भी कहते हैं। यह उत्सव श्रीकृष्ण द्वारा नरकासुर पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कार्तिक-कृष्णा १४ को श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध किया।

नरकासुर श्रीकृष्ण का बड़ा भक्त भी था। और उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़ी तपस्या भी की, किन्तु उसने १६,००० स्त्रियों का अपहरण किया। अत: उसका वध करना पड़ा। उसकी धार्मिकता का विचार करके ही यह दिन पवित्र माना गया। अमावस्या को रात्रि के समय सारे देश में हिन्दू-गृहों, मन्दिरों, बाजारों आदि में दीपमालिका का दृश्य बड़ा ही दर्शनीय होता है। इस दिन आर्य-समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द की मृत्यु हो गई थी। अत: आर्यसमाजी निर्वाण-दिवस मनाते हैं।

७. *स्वाधीनता-दिवस*—१५ अगस्त १९४७ को, भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। अत: इसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष यह पुण्य-दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का कार्यक्रम सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है। नगर में जुलूस निकाले जाते हैं; ध्वजारोहण किया जाता है; पुलिस व सेना के प्रदर्शन होते हैं और सायंकाल को सार्वजनिक सभाओं तथा प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया जाता है।

८. *गाँधी-जयन्ती*—२ अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रपिता गाँधीजी के जन्म के उपलक्ष्य में गाँधी-जयन्ती का समारोह होता है। एक सप्ताह पूर्व से जयन्ती का आयोजन किया जाता है और इन दिनों में प्रतिदिन सूत्र-यज्ञ भी होता तथा गाँधीजी के रचनात्मक कार्यों पर विशेष ज़ोर दिया जाता है।

९. *वसन्तोत्सव*—यह ऋतु-संबंधी उत्सव है। वसन्त ऋतु के आरम्भ के उपलक्ष्य में माघ-शुक्ल-पंचमी को यह उत्सव मनाया जाता है। इस दिवस में लोग पीले रंग के वसन्ती वस्त्र पहनते हैं और अपने-अपने गृह में आनन्द-उत्सव मनाते हैं। कवि-सम्मेलनों तथा संगीत का भी आयोजन किया जाता है। प्राचीन काल में इस अवसर पर एक विशेष यज्ञ होता था।

१०. *शिवरात्रि*—यह व्रत फाल्गुन-शुक्ल १४ को रखा जाता है। इस दिन शिवजी की पूजा की जाती है।

११. *होलिकोत्सव*—यह भी ऋतु-संबंधी पर्व है। इस दिन प्राचीन समय में यज्ञ होते थे। ये पर्व तथा त्यौहार विशेष समारोह

के साथ मनाये जाते हैं । इनके अतिरिक्त तीर्थ-यात्रा का भी बड़ा महत्त्व है । भारत में हरिद्वार, काशी, गया, पुरी आदि प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान हैं । यहाँ लाखों लोग स्नान के लिए जाते हैं ।

मुस्लिमों के त्यौहार

मुसलमानों के निम्नलिखित त्यौहार महत्त्व-पूर्ण हैं—

१. *बारावफात*—यह पैगम्बर मुहम्मद के जन्म-दिवस के रूप में मनाई जाती है । कहते हैं, पैगम्बर का जन्म और मृत्यु एक ही दिन हुई । इसलिए इसे निर्वाण तथा जयन्ती दोनों ही कहा जा सकता है । इस दिन मुसलमान उपवास रखते हैं और पैग़म्बर के चरित्र का मुल्ला-मौलवियों द्वारा श्रवण करते हैं । प्रार्थना तथा उपवास के साथ-साथ गरीबों को भोजन भी बाँटा जाता है ।

२. *इदुलजुहा*—इसका शाब्दिक अर्थ है वलिदानोत्सव । यह उत्सव एक स्मृति के रूप में मनाया जाता है । अब्राहम ने अपने पुत्र का (इसमाइल का) वलिदान मक्का के पास माउर मिना में किया था । हज के लिए इसका मानना बहुत आवश्यक है । मुसलमान इसीलिए इस दिन पशु की वलि देते हैं । बकरी आदि के अतिरिक्त गौ आदि की भी वलि देते हैं । इसी कारण हिन्दू-मुसलमानों में इसपर साम्प्रायिक झगड़े हो जाते थे । अल्ला का नाम लेकर प्रार्थना की जाती है और वलि के पशु की आत्मा को उसी को समर्पित करके उसको वध कर दिया जाता है । मांस परिवार के सब लोगों, सम्बन्धियों व मित्रों में बाँट दिया जाता है ।

३. *इदुल फितर*—यह शाव्वल के प्रथम दिवस मनाया जाता है । इससे एक मास पूर्व मुस्लिम व्रत रखते हैं । सूर्योदय से पूर्व भोजन करते हैं और सायंकाल को सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं । व्रत के दिनों में वे मिष्टान्न खाते हैं; मांस आदि सेवन नहीं करते । इदुल फितर के दिन यह व्रत समाप्त होता है । इस दिन सब मुसलमान नहा-धोकर नये वस्त्र पहनते हैं । मीठे चावल

और सिंवई खाते ह और भूखों को अन्न बाँटते हैं । शाम को ईदगाह में सब नमाज के लिए जाते हैं ।

४. *मुहर्रम*—इसका शाब्दिक अर्थ है—अत्यन्त पुनीत । यह हसन और हुसेन, मुसलमानों के सर्वप्रथम शहीदों, की स्मृति में मनाया जाता है । सैयद इन्हीं के वंशज हैं । मुहम्मद के चचेरे भाई अली बिन अवितालिब और उसकी पुत्री फातिमा के उक्त दो पुत्र थे । मुसलमानों में दो बड़े दल हैं । शिया और सुन्नी । शिया अली और हसन-हुसेन को मानते हैं और सुन्नी खलीफाओं को मानते हैं । मुहर्रम के अवसर पर इन दोनों सम्प्रदायों में बड़े झगड़े होते हैं ।

हज—मक्का (अरब) में मुसलमानों का तीर्थ-स्थान है । इसकी यात्रा करना मुस्लिम सबसे पवित्र कृत्य मानते हैं ।

पारसियों के त्यौहार

पारसियों के प्रमुख त्यौहार निम्नलिखित हैं—

गहम्बर—ये ईरान की परम्परा से प्रचलित त्यौहार हैं जिन्हें पारसियों ने भी स्वीकार कर लिया है । ये वर्ष की षट् ऋतुओं में मनाये जाते हैं, यथा १५ अक्टूबर, १४ दिसंबर, २७ फर्वरी, २६ मार्च, १७ जून और ३१ अगस्त को यह पर्व मनाये जाते हैं । इनका कृषि से संबंध है । इन दिनों पारसी सार्वजनिक प्रीतिभोज का आयोजन करते हैं ।

नवरोज—जमशेद ने पारसी वर्ष की प्रतिष्टा की । पारसियों में नववर्ष २० या २१ मार्च से आरंभ होता है । ईरान में शाह जलालुद्दीन ने अपना शासन-वर्ष भी इसी दिन आरंभ किया था । अतः मुसलमानों में (ईरान में) भी यह दिन एक पर्व के रूप में मनाया जाता है । शिया इसे ईदेखिलाफत के रूप में मनाते हैं । ईरान में आजकल भी यह राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है ।

इसाइयों के त्यौहार

क्रिसमास——यह त्यौहार प्रतिवर्ष २५ दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन महात्मा ईसा का जन्म हुआ था। यह इसाइयों में सबसे पवित्र दिन माना जाता है। गिर्जों में इस दिन विशेष प्रार्थना की जाती है।

ईस्टर——यह इसाइयों का त्यौहार है जो ईसा के पुनरुत्थान की स्मृति में ३१ मार्च के बाद या अनुगामी पूर्णचन्द्र के बाद रविवार को मनाया जाता है। शुक्रवार व सोमवार के दिन भी ईस्टर मनाया जाता है।

अध्याय १२

आर्य-वाङ्मय

वेद

वेद संसार में सबसे प्राचीन ग्रन्थ हैं। वेद चार हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्व-वेद और सामवेद। वेद के दो भाग हैं। एक संहिता और दूसरे ब्राह्मण-ग्रन्थ। संहिता में मंत्रों का संग्रह है और ब्राह्मण उनकी व्याख्याएँ हैं। वेद अनादि, अपौरुषेय, एवं स्वतःप्रमाण हैं। वेदों के द्वारा परमात्मा ने मनुष्यों को लौकिक तथा पारलौकिक ज्ञान दिया। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक चार ऋषियों द्वारा यह ईश्वरीय ज्ञान सृष्टि की आदि में प्रकट हुआ। चारों वेदों की ११३१ शाखाएँ हैं। इनमें ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद की १०१, सामवेद की १००० और अथर्ववेद की ९ शाखाएँ हैं।

उपवेद

इन चारों वेदों में से प्रत्येक का एक-एक उपवेद है। ये उपवेद निम्न प्रकार हैं—

वेद	उपवेद	अंग्रेजी पर्याय
१. ऋग्वेद	आयुर्वेद	Science of Medicine
२. यजुर्वेद	धनुर्वेद	Science of military
३. अथर्ववेद	अर्थवेद	Science of Economics
४. सामवेद	गान्धर्व वेद	Music

वेदाङ्ग

षट् वेदाङ्ग निम्न प्रकार हैं—

१. शिक्षा (Science of Phonetics)—उदात्त आदि स्वर-भेद से, ह्रस्व, दीर्घ आदि कालभेद से, कंठ, तालु आदि स्थानभेद

स एवं वाह्य, आभ्यन्तर प्रयत्नों के साथ वेदमंत्रों के पढ़ने की विधि को शिक्षा कहते हैं ।

२. *कल्प*—इसके दो भेद हैं; एक श्रौत और दूसरा स्मार्त । श्रौत कल्प में ब्राह्मण नामक वेदमंत्र में कहे गये कर्मों के प्रयोग की विधियाँ बतलाई गई हैं । स्मार्त कल्प में उपनयन आदि संस्कार एवं अन्यान्य स्मृति-कर्मों की विधियाँ बतलाई गई ह ।

३. *व्याकरण* (Grammar)—इसमें धातु, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग आदि भेदों से शब्दों का साधन किया गया है । इसके ज्ञान से शब्दों की शुद्धि-अशुद्धि का ज्ञान होता है ।

४. *निरुक्त*—(Philology) में शब्दों का निर्वचन किया गया है और वाक्यों के अर्थों का यथार्थ रूप में संग्रह किया गया है । यह वेदों के शब्दों का ठीक-ठीक अथ बतलाता है ।

५. *छन्द* (Prosody) छंद वेद का पाँचवाँ अंग है । छन्द के ग्रन्थों में पिंगल-कृत सूत्र प्रधान हैं ।

६. *ज्योतिष* (Astronomy) इसमें नक्षत्र-ग्रहों की गतियों से संहिता-होरा एवं गणित आदि द्वारा प्रथम-प्रथम काल का निर्देश किया गया है ।

दर्शन

दर्शन से प्रयोजन तत्त्व-निरूपण से है । ये जगत एवं जीव तथा परमात्मा के संबंध पर प्रकाश डालते हैं । यह जगत क्या है ? इसे किसने बनाया ? इसके क्या नियम हैं ? हम किसलिए जगत में आये हैं ? यह जिज्ञासा स्वाभाविक है और हमारे दर्शन-शास्त्र इसको सन्तुष्ट करते हैं । दर्शन को अंग्रेजी में (Philosophy) कहते हैं । हमारे यहाँ ६ दर्शन हैं—जो निम्न प्रकार हैं :—

१. *वैशेषिक दर्शन*—(Physics)—ईश्वर और जीव ये नित्य तत्त्व हैं । जगत में जीव का कर्तव्य है—धर्म का

पालन करना। धर्म क्या है? धर्म वही है जिससे अभ्युदय (लौकिक कल्याण) तथा निःश्रेयस (मोक्ष या मुक्ति) की सिद्धि हो। धर्म का विधान वेदों में है। वैशेषिक दर्शन की रचना कणाद मुनि ने की है। उनका यह विचार है कि सात पदार्थों के ज्ञान से ही सत्य का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वे सात पदार्थ निम्न प्रकार हैं—(१) द्रव्य (२) गुण (३) कर्म (४) सामान्य (५) विशेष (६) समवाय (७) अभाव। इन सात पदार्थों की व्याख्या इस प्रकार की गई है।

(१) *द्रव्य*—(Substance) द्रव्य नौ हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, काल, दिक्, मन तथा आत्मा।

(२) *गुण*—(quality); गुण २४ प्रकार के माने गये हैं—स्पर्श, रूप, रस, गंध, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, सुख, दुःख, बुद्धि, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द।

(३) *कर्म*—(Action) कर्म पाँच प्रकार के होते हैं—(१) उत्सर्पण (२) अपसर्पण (३) आकुंचन (४) प्रसारण और (५) गति।

(४) *सामान्य*—सब पदार्थों में जो एकता है, वह सामान्य तत्त्व है।

(५) *विशेष*—परमाणुओं में स्थित अतीन्द्रिय तत्त्व, जो उनकी प्रथमता का कारण है, विशेष है।

(६) *समवाय*—पदार्थों का नित्य संबंध समवाय है।

(७) *अभाव*—अभाव चार प्रकार के हैं—प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव तथा अत्यन्ताभाव।

२. *न्याय-दर्शन* (Logic)— गौतम मुनि का न्याय-दर्शन एक महत्त्व-पूर्ण दर्शन है। गौतम ने इस दर्शन में निःश्रेयस की प्राप्ति का साधन ज्ञान को माना है। दुःखों का कारण आत्मा का प्रकृति से संबंध है। मनुष्य के कर्म ही उसे इस संसार में लिप्त बनाये रखते हैं। अज्ञान के कारण ही मनुष्य दुःख उठाता है। अतः

आत्मा, प्रकृति तथा परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करके ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति और निगृह-स्थान---इन सोलह पदार्थों का ज्ञान ही मुक्ति का साधन है।

३. *सांख्य* (Philosophy of Nature)—महर्षि कपिल ने परमाणुवाद से ऊपर उठकर प्रकृति का प्रतिपादन किया। सांख्य में जाकर जगत की विवेचना अपनी सीमा पर पहुँच गई है। आजकल सांख्य-दर्शन के जो सूत्र मिलते हैं, उन्हें विद्वान प्रामाणिक नहीं मानते। सांख्य-दर्शन पर ईश्वरकृष्ण की कारिका ही प्रामाणिक मानी जाती है। मूलतः तीन अनादि तत्त्व हैं, प्रकृति, आत्मा और ईश्वर। जगत में चार प्रकार के पदार्थ हैं---प्रकृति, विकृति, प्रकृति-विकृति और उभय-मित्र। प्रकृति से महत्तत्व, उससे अहंकार और अहंकार से पञ्चतन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं। तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। महत्तत्व, अहंकार और तन्मात्राएँ प्रकृति-विकृति-स्वरूप हैं। ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, पंच महाभूत और मन---ये केवल विकृति हैं। जीव उभय-मित्र है। वह निर्लिप्त है। पुरुष चेतन है और प्रकृति अचेतन। पुरुष के सामीप्य से प्रकृति में चेतना प्रतीत होती है। प्रकृति-पुरुष के विवेक से अपने निर्लिप्त स्वरूप का ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। सत्, रज, तम–इन तीनों गुणों की साम्यावस्था (Perfect Harmony) का नाम प्रकृति है।

सांख्य २५ तत्त्व मानता है, जो निम्न प्रकार हैं---

(१) प्रकृति
(२) महत् (बुद्धि)
(३) अहंकार
(४) से (८) तक तन्मात्राएँ
(९) से (१३) पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ
(१४) से (१८) पाँच कर्मेन्द्रियाँ

(१६) मन
(२०) अग्नि
(२१) जल
(२२) वायु
(२३) आकाश
(२४) पृथ्वी
(२५) पुरुष (आत्मा)

४–योग–दर्शन (Psychic Training)—योग-दर्शन तथा सांख्य-दर्शन में कम भेद है। ऋषि पतंजलि ने सांख्यकार के २५ तत्त्वों को माना है। उन्होंने ईश्वर को २६ वाँ तत्त्व माना है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये जीव के पाँच क्लेश हैं। इनसे मुक्ति पाना ही ईश्वर-साक्षात्कार है। संसार दुःखमय है। चित्त की वृत्तियों के कारण ही संसार में कर्म-बंधन है। अतः योग में चित्त की वृत्तियों के निरोध के उपाय बतलाये गये हैं।

योग उस अवस्था का नाम है, जिसमें मन सर्वथा निश्चेष्ट हो जाता है। इसमें आत्मा का शरीर से संबंध-विच्छेद हो जाता है। मुक्ति प्राप्त करने के योग-दर्शन में आठ साधन बतलाये गये हैं।

(१) यम (२) नियम (३) आसन (४) प्राणायाम (५) प्रत्याहार (६) ध्यान (७) धारणा (८) समाधि।

५—*पूर्वमीमांसा*— (Philosophy of duty)— यह जैमिनि-कृत दर्शन है। इसमें वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म की मीमांसा है। कर्म, कर्म-फल तथा यज्ञ—इनके संबंध में इसमें विचार किया गया है।

६—*वेदान्त या उत्तरमीमांसा*— (Metaphysics) — इसके रचयिता व्यास हैं। वेदान्त का अर्थ है—वेद का अन्त। इसका आधार उपनिषद हैं। वेदान्त में ब्रह्म की व्याख्या की गई है। ब्रह्म क्या है ? आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है और इसकी प्राप्ति के क्या साधन हैं ? वेदान्त पर अनेकों भाष्य हुए

है और उन्होंने उसकी व्याख्या भिन्न-भिन्न रूप में की है। इसी कारण वेदान्त के माननेवालों के अनेक सम्प्रदाय हो गये हैं—जैसे, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद।

(१) *अद्वैतवाद*—इसके अनुसार दृश्य जगत केवल माया है। यह माया केवल अज्ञान के कारण है। एक ही ब्रह्म सत्य है। दृश्य जगत उससे भिन्न नहीं है। वह उसी ब्रह्मसत्ता में अध्यस्त है। समस्त जगत अनित्य है। शंकराचार्य इसी मत के पोषक थे। वर्तमान समय में स्वामी विवेकानन्द ने इसी का समर्थन किया है। महात्मा गाँधी भी अद्वैतवादी थे।

(२) *विशिष्टाद्वैतवाद*—महाप्रभु रामानुजाचार्य ने इस मत की स्थापना की। उनका यह विचार है कि चित्-अचित्-विशिष्ट समग्र तत्त्व ही ब्रह्म है। ब्रह्म के चेतन-अंश से चित् (जीव) और अचित् से प्रकृति हुई है। ब्रह्म जगत का निमित्त और उपादान कारण है। जीव ब्रह्म का ही अंश है। भगवान नारायण ही इस समस्त जड़ चेतन सत्ता के स्वामी हैं। उनकी शरण में जाने से मुक्ति मिलती है।

(३) *द्वैतवाद*—श्री मध्वाचार्य ने द्वैतवाद की प्रतिष्ठा की। इस मत का सार यह है कि जीव और ब्रह्म ये दो पृथक् और नित्य सत्ताएँ हैं। जीव अणु एवं दास है और ब्रह्म सगुण तथा सविशेष व स्वतंत्र है। भक्ति, त्याग और ध्यान द्वारा वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है।

(४) *द्वैताद्वैतवाद*—श्री निम्बार्काचार्य ने द्वैत और अद्वैत दोनों का समन्वय कर इस मत की स्थापना की। इसके अनुसार जगत ब्रह्म का परिणाम है। ब्रह्म में परिणाम होने पर भी वह विकृत नहीं होता। ब्रह्म सर्वशक्तिमान है। उसका सगुण भाव मुख्य है—जीव तथा जगत ये दोनों ब्रह्म के परिणाम हैं। ये ब्रह्म से पृथक् हैं और अपृथक् भी। इसके अनुसार मुक्ति का साधन उपासना है।

(५) *शुद्धाद्वैतवाद*—श्रीवल्लभाचार्य ने जगत के मिथ्यात्व का खण्डन करके उपासना की प्रतिष्ठा की। उनके विचार में श्री-

कृष्ण ही ब्रह्म ह। वे निर्गुण, निर्विकार, कर्त्ता, भोक्ता, निर्विशेष, गुणातीत, समस्त विरुद्ध धर्मों के आश्रय, संसार के धर्मों से रहित तथा जगत के उपादान हैं। जगत सत्य है। जगत ब्रह्म से भिन्न है। जीव ब्रह्म से पृथक् है। जीव के लिए ब्रह्म से प्रीति करना ही मुक्ति का साधन है।

उपनिषद्

उपनिषदें वेदों की व्याख्याएँ हैं, जो समय-समय पर ऋषियों ने कीं। वेदों के सूत्रों को इनमें बड़े सुन्दर ढंग से उपाख्यान आदि द्वारा समझाया है। श्री पं० रामगोविन्द त्रिवेदी का यह मत है कि चारों वेदों की ११३० शाखाएँ हैं। प्रत्येक शाखा की एक उपनिषद् है। इस प्रकार ११३० उपनिषदें होनी चाहिए। सुप्रसिद्ध अध्यात्म-पत्र 'कल्याण' (गोरखपुर) ने सन् १९४९ के जनवरी मास में अपना उपनिषद्-अंक प्रकाशित किया। इसमें २२० उपनिषदों की सूची दी है। किन्तु मुख्य और प्रसिद्ध उपनिषदें १० हैं, जो निम्नलिखित हैं— (१) ईशोपनिषद् (२) केनोपनिषद् (३) कठोपनिषद् (४) प्रश्नोपनिषद् (५) मुण्डकोपनिषद् (६) माण्डूक्योपनिषद् (७) ऐतरेयोपनिषद् (८) तैत्तिरीयोपनिषद् (९) श्वेताश्वतरोपनिषद् (१०) छान्दोग्योपनिषद्

पाश्चात्य विद्वान मैक्समुलर ने उपनिषदों के विषय में यह लिखा है——

"उपनिषदें वेदान्त के आदि स्रोत हैं और ये ऐसे निबंध हैं, जिनमें मुझे मानवीय उच्च भावना अपने उच्चतम शिखर पर पहुँची हुई मालूम पड़ती है।"

पुराण-इतिहास

आर्य-साहित्य के अन्तर्गत १८ पुराणों की भी गणना है। पुराण वास्तव में इतिहास हैं। इनके रचयिता व्यास हैं। पुराणों में अनेक बातें ऐसी कपोल-कल्पित हैं कि जिनपर विवेकी मनुष्य का

विश्वास नहीं हो सकता। किन्तु उनमें ऐतिहासिक महत्त्व की बातें भी भरी पड़ी हैं। पुराणों के संबंध में अबतक दो ही दृष्टिकोण रहे हैं। एक दृष्टिकोण आर्य-समाजी विद्वानों का है, जो उन्हें सर्वथा त्याज्य मानते हैं। इसलिए उन्होंने इनके संबंध में विशेष अन्वेषण नहीं किया। दूसरा दृष्टिकोण ऐसे विद्वानों का है जो पुराणों को वेदों के समान सत्य मानते हैं। इस कारण वे इस विषय में अन्वेषण की आवश्यकता नहीं समझते। हमारे विचार में पुराणों के ऐतिहासिक महत्त्व को स्वीकार कर इनके अन्वेषण के लिए विद्वानों को प्रयत्न करना चाहिए।

यहाँ हम १८ पुराणों के नाम और उनकी श्लोक-संख्या देते हैं—

संख्या	*पुराण*	*श्लोकों की संख्या*
१	ब्रह्म-पुराण	१०,०००
२	पद्म-पुराण	५५,०००
३	विष्णुपुराण	२३,०००
४	शिवपुराण	२४,०००
५	श्रीमद्भागवत	१८,०००
६	नारदीय पुराण	२५,०००
७	मार्कण्डेय पुराण	९,०००
८	अग्निपुराण	१५,४००
९	भविष्यपुराण	१४,५००
१०	ब्रह्मवैवर्तपुराण	१८,०००
११	लिंगपुराण	११,०००
१२	वराहपुराण	२४,०००
१३	स्कन्दपुराण	८१,१००
१४	वामनपुराण	१०,०००
१५	कूर्मपुराण	१७,०००
१६	मत्स्यपुराण	२४,०००
१७	गरुडपुराण	१९,०००
१८	ब्रह्माण्डपुराण	१२,०००

इन पुराणों के अतिरिक्त महर्षि वाल्मीकि-कृत रामायण तथा वेदव्यास-कृत महाभारत--ये दो इतिहास के ग्रंथ हैं। ये दोनों संस्कृत-काव्य हैं। पहले में भगवान रामचन्द्र और दूसरे में श्रीकृष्ण के चरित तथा पाँडव-कौरव-युद्ध का वर्णन है। एक अध्याय में गीता का उपदेश है।

स्मृतियाँ अथवा धर्मशास्त्र

विविधि राजाओं के शासन-काल में राज्य-शासन के नियमों का प्रतिपादन करने के लिए स्मृतियों की रचना की गई। ये एक प्रकार के नियमों के संग्रह हैं। जिस प्रकार वर्तमान राष्ट्रीय राज्यों में संविधान-परिषद् शासन के आधारभूत नियमों का निर्माण कर 'संविधान' की रचना करती है, वैसे ही प्राचीन-काल में विद्वान ऋषि-मुनि राज्य-शासन के नियमों की रचना करते थे। मनुस्मृति मनु महाराज की स्मृति है। यह सबसे अधिक मान्य है। किन्तु इन स्मृतियों में, जो आजकल उपलब्ध हैं, प्रक्षिप्त अंश अधिक हैं, जो उनकी परस्पर-विरोधी बातों से प्रकट हैं। अतः इन स्मृतियों में जो कुछ भी लिखा है उसे आँखें मूँदकर मान लेना सर्वथा मूर्खता होगी। इसीलिए इस विषय में बड़ी सतर्कता की आवश्यकता है।

(१) मनुस्मृति (२) गौतमस्मृति (३) बोधायनस्मृति (४) आपस्तम्बस्मृति (५) नारदस्मृति (६) विष्णुस्मृति (७) याज्ञवल्क्यस्मृति (८) पराशरस्मृति ।

प्राचीन भारत में विविध शास्त्रों की विद्यमानता

सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान पं० भगवद्दत्तजी ने अपने एक खोजपूर्ण लेख में यह लिखा है कि भारत के प्राचीन ग्रन्थों में निम्नलिखित शास्त्रों का उल्लेख मिलता है। इससे यह प्रकट है कि प्राचीन-काल में भारत में ये विद्याएँ बड़ी उन्नति पर थीं। क्योंकि शास्त्र प्रायः कला-कौशल की उन्नति के बाद ही तैयार किये जाते हैं। यहाँ हम कुछ प्रमुख शास्त्रों का उल्लेखमात्र ही करेंगे—

१ लोकायतशास्त्र (Political Science) इसकी रचना ब्रह्मा तथा गार्ग्य आदि ने की ।
२ व्यूह-शास्त्र (Military Science and Strategy)
३ शालिहोत्र-ग्रन्थ (Veterinary)
४ यंत्र-सूत्र (Mechanical Science)
५ वाणिज्य-शास्त्र (Commerce)
६ गंध-शास्त्र
७ कृषि-शास्त्र (Science of Agriculture)
८ पशुपालन-शास्त्र (Animal Husbandary)
९ गोवैद्य
१० वृक्ष-आयुर्वेद
११ तक्ष-शास्त्र—अगस्त्य मुनि ने रचा ।
१२ मल्ल-शास्त्र
१३ वास्तु-शास्त्र—इन्द्र ने रचा ।
१४ काम-शास्त्र—नंदीश ने रचा ।
१५ चित्र-सूत्र—प्रजापति
१६ लिपि-शास्त्र
१७ मानशास्त्र
१८ धातुशास्त्र
१९ संख्या-शास्त्र
२० शिल्प-शास्त्र
२१ द्रव्य-शास्त्र
२२ मत्स्य-शास्त्र
२३ वायस-विद्या
२४ सर्प-विद्या
२५ चौर-शास्त्र

अध्याय १३

भारतीय संगीत–कला

प्राचीन-काल में भारत में संगीत-कला का व्यापक प्रचार था। ऋषियों के आश्रमों में उत्सवों तथा यज्ञादि के अवसरों पर साम-गान की प्रथा थी। सामवेद को संगीत का आदि-स्रोत माना जाता है।* ईसा की तीसरी या चौथी शताब्दी में भरत मुनि ने नाट्य-शास्त्र की रचना की। यह नाट्य-शास्त्र ही भारतीय संगीत पर प्राचीन गृन्थ है। इस गृन्थ में मुख्यतया नाटकों के सिद्धान्तों पर ही प्रकाश डाला गया है; किन्तु गौणरूप में इसमें संगीत कला पर भी विचार किया गया है। इसके बाद १३ वीं शताब्दी में काश्मीर के शारंगदेव ने 'संगीतरत्नाकर' नामक गृन्थ लिखा। संगीत-कला पर यह बड़ी प्रामाणिक पुस्तक है और उस समय से अबतक संगीतज्ञों ने इससे प्रेरणा प्राप्त की है। चौदहवीं शताब्दी में लोचन कवि ने 'रागतरंगिणी' की रचना की। इसमें भी संगीत-कला पर विवेचन किया गया है। अकबर के शासनकाल में खानदेश में पुंडरीक विट्ठल का जन्म हुआ। उन्होंने 'सद्रागचन्द्रोदय', 'रागमाला', 'रागमंजरी' और 'नर्तन-निर्णय' नामक गृन्थ लिखे। सत्रहवीं शताब्दी में अहो-वाला ने 'संगीत-पारिजात' की रचना की। इसी समय गढ़देश के राजा महाराजा हृदयनारायणदेव ने भारतीयसंगीत पर 'हृदय-प्रकाश' नामक एक बड़ी पुस्तक लिखी। शाहजहाँ के शासन-काल में भाव-भट्ट ने संगीत पर तीन पुस्तकें लिखीं—अनूपसंगीतरत्नकार, अनूपकुषा, और अनूप-विलास। इसके बाद हमें इस कला पर कोई उल्लेखनीय रचना प्राप्त नहीं होती।

आधुनिक काल में श्री वी० ए० भारतखण्डे ने संस्कृत में संगीत-कला पर दो गृंथ लिखे हैं—लक्ष्यसंगीतम् और अभिनव-राग-मंजरी।

इस प्रकार हम यह देखते हैं कि भारत म संगीत-कला का बड़ा आदर रहा है और उसका प्रचार भी बड़ा व्यापक रहा है। इसीलिए समय-समय पर आचार्यों ने उसके लिए शास्त्रों की रचना की।

प्राचीन भारतीय आचार्य यह भली-भाँति जानते थे कि ध्वनि का जलवायु तथा वातावरण से घनिष्ट संबंध है। इसलिए उन्होंने प्रत्येक समय के अनुसार रागों की सृष्टि की।

भारतीय संगीत में भाव, रस, स्वाभाविकता तथा काल का विशेष ध्यान रखा जाता है। कला में कलाकार की भावना की अभि-व्यक्ति होना आवश्यक है। संगीत इसका अपवाद नहीं है। भावों की अभिव्यक्ति प्रभावकारी ढंग से हो, इसीलिए संगीत में रस का प्रधान स्थान है। संगीत में नव रस प्राचीन-काल से माने गये हैं—शृंगार, करुण, शान्ति, वीर, हास्य, अद्भुत, भयानक, रौद्र और बीभत्स। इन्हीं रसों के अनुसार राग-रागिनियाँ भी होती हैं। शृंगार रस के लिए भैरवी, बंगाली, वरारी, सैंधवी, गौरी और श्रीराग हैं। करुण रस के लिए जोगिया, भैरव, मालकोश, पूरिया इत्यादि हैं। प्रत्येक संगीतज्ञ को इसका ज्ञान होना आवश्यक है कि किस राग का किस रस से संबंध है और वह किस समय गाया जाता है। भारत में ६ ऋतुएँ होती हैं और प्रत्येक ऋतु के लिए ६ राग हैं:—

राग	ऋतु	मास
हिंडोल	वसन्त	चैत्र-वैशाख
दीपक	ग्रीष्म	ज्येष्ठ-आषाढ
मेघ	वर्षा	श्रावण-भाद्रपद
भैरव	शरद्	आश्विन-कार्तिक
श्री	हेमन्त	मार्गशीर्ष-पौष
मालकोश	शिशिर	माघ-फाल्गुन

सगीतज्ञों ने एक दिन-रात्रि को एक वर्ष मानकर संगीत के लिए उसका ६ ऋतुओं में विभाजन किया है। इस प्रकार प्रत्येक काल-भाग के लिए भी एक-एक राग निर्धारित किया गया है—

भैरव राग प्रातः ४ बजे से ८ बजे तक

हिंडोल	प्रातः ८ बजे से १२ बजे तक
मेघ	मध्याह्न-काल से शाम ४ बजे तक
श्री	सायंकाल ४ बजे से ८ बजे तक
दीपक	रात्रिकाल ८ बजे से १२ तक
मालकोश	मध्यरात्रि से प्रातःकाल ४ बजे तक

भारत में प्राचीन काल से दो प्रकार के संगीत प्रचलित हैं। मौखिक (Vocal) तथा वाद्य-यंत्र द्वारा (Instrumental Music)। मुख्य वाद्ययंत्र निम्नलिखित हैं—*वीणा, तबला, (मृदंग), जलतरंग, सरोज, पखावज, मुरली, †वंशी आदि हैं।

आधुनिक काल में भारतीय संगीत के पुनरुत्थान एवं प्रचार में दो आचार्यों ने सबसे अधिक प्रयास किया है। वे हैं—महाराष्ट्र के संगीताचार्य पं० विष्णुदिगम्बर पलुस्लकर और संगीत-कला-विशारद श्री भातखण्डे। प्राचीन प्रणाली की संगीत-कला के आचार्य बंबई के श्री अल्लादिया खाँ और श्री फैयाज खाँ हैं। लाहौर के प्रसिद्ध प्रो० दिलीपचन्द्र वेदी भारत के सर्वश्रेष्ठ ख्याल-गायक हैं। प्रोफेसर नारायणराव व्यास तथा श्री वी ० एन० पटवर्द्धन प्राचीन संगीत के आचार्य हैं। उस्ताद अल्लाउद्दीन खाँ भारत में सर्वश्रेष्ठ सरोद-गायक हैं। तबला में आविद हुसेन अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के कलाविद् हैं। इलाहाबाद के श्री गगनचन्द्र चट्टोपाध्याय, जो गगन बाबू के नाम से प्रसिद्ध हैं, वायलिन के सर्व-श्रेष्ठ गायक हैं।

भारत में संगीत-कला के पुनजीवन के लिए जो प्रयत्न हो रहा है, वह प्रशंसनीय है। विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा-संस्थाओं द्वारा समय-समय पर संगीत-परिषदों का आयोजन तथा छात्रों व छात्राओं की संगीत-प्रतियोगिताएँ इस दिशा में प्रशंसनीय उद्योग है। अनेक विश्वविद्यालयों व हाइस्कूल-बोर्डों ने संगीत-कला को पाठ्यक्रम में स्थान दे दिया है। किन्तु यह बड़े दुःख का विषय है कि आज-

---

* संगीत-दामोदर ग्रन्थ में वीणा के २६ भेद बतलाये गये हैं।

† वंशी के १२ भेद हैं।

कल की चित्र-पट-कंपनियाँ सिनेमा के द्वारा संगीत-कला की हत्या कर रही हैं और संगीत के नाम पर जिन गीतों व गायनों का प्रचार किया जा रहा है, उनसे भारतीय संगीत के पुनरुद्धार को एक बड़ी ठेस पहुँच रही है।

सिनेमा के 'संगीतों' (यदि उन्हें यह नाम दिया जा सकता है) में न भाव होता है और न कोई रस और न राग-रागिनियों का निर्वाह। वे कोरे शब्द-जाल होते हैं, जिनमें आजकल के सिनेमा-शौकीनों के लिए कोई आकर्षक और चुभती हुई शब्दावली रख दी जाती है। बस, सिनेमा देखने के बाद वे चौराहों पर, गलियों में और बाजारों में बड़ी शान के साथ दुहराते फिरते हैं!!

संगीत और राष्ट्रीय पुनरुत्थान

यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने अपनी पुस्तक Republic में राज्य के अधिकारियों को यह सलाह दी है कि वे राष्ट्र के संगीत पर अपना पूरा ध्यान रखें।

इसका कारण यह है कि जो गायन, गीत या कविताएँ जनता द्वारा सदैव गाई जाती हैं, उनका उसके जीवन एवं चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। श्रेष्ठ गायनों तथा काव्य से मानव का चरित्र विमल और पवित्र बन जाता है। दूसरी ओर अश्लील गायनों से मनुष्य कुपथगामी बनकर अपने चरित्र और जीवन से हाथ धो बैठता है। संगीत का समस्त ललित कलाओं में सर्वोच्च स्थान है। उसका प्रभाव मानव ही नहीं, प्राणिमात्र पर पड़ता है। इसलिए राष्ट्र-निर्माण में इसका महत्त्व-पूर्ण स्थान है।

आज हमारे देश में जनता को ऐसे संगीत, ऐसे गायनों की आवश्यकता है, जो उनमें देशभक्ति, राष्ट्रीयता के भावों के साथ-साथ मानव-प्रेम तथा विश्वबन्धुत्व के भावों का उदय कर सकें। उनमें वलिदान, साहस, सत्यता, वीरता और परोपकार के भावों की सृष्टि कर सकें। यद्यपि संगीत को स्कूलो में पाठ्य-क्रम में स्थान दे दिया गया है; किन्तु अभी तक संगीत के शिक्षण की कोई उत्तम

पद्धति स्थापित नहीं हुई है। वे कुछ गिने-चुने पक्के गाने याद कर लेते हैं--उन्हें सीख लेते हैं।

राष्ट्रीय गायन

भारत के राष्ट्रपति ने यह घोषणा कर दी है कि भारत का राष्ट्रीय-गान "जनमनगण" होगा और उसके साथ "वन्देमातरम्" को भी गाया जायगा। अर्थात् दोनों को समान स्थान दिया जायगा।

वन्देमातरम् गायन वास्तव में बहुत ही सुन्दर, उपयुक्त और देशभक्ति-पूर्ण गायन है। इसकी रचना बंकिमचन्द्र चटर्जी ने की थी। जनमनगण की रचना कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। राष्ट्रीय ध्वजा के लिए अभी तक कोई श्रेष्ठ गायन तैयार नहीं हुआ है।

रेडियो-संगीत

आजकल के युग में रेडियो द्वारा भी संगीत का आयोजन किया जाता है। भारत-सरकार ने मुख्य-मुख्य नगरों में रेडियो-स्टेशन स्थापित कर दिये हैं, जहाँ से प्रतिदिन संगीतज्ञों को आमंत्रित कर संगीत, गीति-नाट्य तथा ध्वनि-नाट्य की व्यवस्था की जाती है। किन्तु रेडियो द्वारा संगीत का आयोजन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। श्रेष्ठ संगीतज्ञों तथा कलाकारों को आमंत्रित न कर साधारण कोटि के गायकों द्वारा साधारण संगीतों का ही कार्यक्रम चलता है। अथवा अधिकांश में सिनेमा के गायनों को ही दुहराया जाता है। रेडियो को इस दिशा में बहुत सुधार करने की गुंजाइश है।

ग्राम्य गीत

भारत के जन-साधारण में लोक-गीतों का प्रत्येक राज्य में प्रचार है। भारत की प्रत्येक भाषा में लोक-गीतों का अक्षय भाण्डार मिलेगा। ये लोग-गीत (Folk songs) वास्तव में हृदय का संगीत है, जो अपने स्वाभाविक रूप में आज भी विद्यमान है। सभी समाजों, सभी वर्गों की स्त्रियाँ पर्व, उत्सव तथा विवाह आदि समारोहों के समय नाना प्रकार के गीत गाती हैं। वसन्त ऋतु

में, सावन में तथा शरद् ऋतु में उनके गायन भी विभिन्न ढंग के होते हैं। चक्की पीसते समय, कुँए से जल खींचते समय, चर्खा चलाते समय, धान कूटते समय और पुत्री को विदा करते समय नाना प्रकार के भाव-पूर्ण गाने गाती हैं।

"आजकल" के यशस्वी संपादक तथा सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्रीदेवेन्द्र सत्यार्थी ने प्रायः सभी प्रदेशों के लोक-गीतों का संग्रह किया है। उनका यह कार्य वास्तव में प्रशंसनीय है। इसी प्रकार पं० रामनरेश त्रिपाठी ने भी कुछ वर्षों पूर्व ग्राम-गीतों का एक संग्रह प्रकाशित किया था।

अध्याय १४

भारतीय नृत्य-कला

भारतवर्ष में संगीत के समान ही नृत्य-कला भी बहुत प्राचीन-काल से प्रचलित है। एक समय था, जब भारत में नृत्य-कला उत्कर्ष की चरमसीमा पर पहुँच चुकी थी। नटराज शंकर तो इस कला के आचार्य थे। महाभारत-युग में अर्जुन भी नृत्य-कला के बड़े विशेषज्ञ माने जाते थे। अर्जुन ने अज्ञातवास के समय राजा विराट की कन्या उत्तरा को नृत्यकला की शिक्षा दी थी।

किन्तु भारत के अधःपतन-काल में नृत्य-कला का भी पतन हो गया। समाज में नृत्य को एक घृणित कृत्य समझा जाने लगा। वेश्याओं ने नागरिकों के आकर्षण के लिए नृत्य और संगीत को अपना लिया। जब इस प्रकार नृत्य-कला को वेश्याओं ने अपना लिया, तो समाज में यह और भी घृणा की वस्तु बन गई।

इसपर भी नृत्य की परम्परा को स्त्रियों ने कायम रखा है। जिन जातियों को असभ्य तथा आदिम जाति माना जाता है (जैसे नागा, गोंड, भील व कोल) उनमें नृत्य तथा संगीत का बड़ा प्रचार है।

भारत में राष्ट्रीय पुनर्जीवन के लिए जो आन्दोलन सन् १९२० में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के नेतृत्व में आरम्भ हुआ, उसने भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए भी नवचेतना एवं स्फूर्ति प्रदान की। उसी के फलस्वरूप भारत में प्राचीन नृत्यकला का पुनर्जीवन करने के लिए प्रयास किया जाने लगा।

भारतीय नृत्य के तीन भेद हैं, (१) नाट्य (२) नृत्य और नृत्त।

(१) नाट्य में नर्तक या नर्तकी रंगमंच पर अन्य पात्रों के साथ नृत्य करता या करती है।

(२) नाट्य में राग, ताल और भाव तीनों की आवश्यकता होती है; परन्तु नृत्य में भाव का प्राधान्य होता है। नर्तक ऐतिहासिक या पौराणिक काल के किसी वीर नायक या नायिका के जीवन की किसी सामान्य घटना को अभिव्यक्त करता है।

(३) नृत्त दो प्रकार का होता है—ताण्डव और लास्य। शिवजी के नृत्य को ताण्डव और पार्वती के नृत्य को लास्य कहते हैं। इसी कारण पुरुष ताण्डव तथा स्त्रियाँ लास्य नृत्य करती हैं।

नृत्य में भाव, राग, ताल और अभिनय ये चार तत्त्व होते हैं। नर्तक अपने भावों को किसी-न-किसी रस द्वारा स्वर और ताल के साथ अभिव्यक्त करता है।

भावों का अभिनय चार प्रकार से किया जाता है—

(१) आंगिक (२) सात्त्विक (३) वाचिक (४) वाह्य।

(१) आंगिक अभिनय में नर्तक मुद्रा-प्रदर्शन अर्थात् अंगों और विशेषरूप से हाथों के संकेतों द्वारा भाव प्रदर्शित करता है।

(२) सात्त्विक अभिनय में नर्तक आँसू, कंपन, स्वरभेद, भय, मूर्छा, मुस्कान आदि शारीरिक अवस्थाओं द्वारा भाव प्रदर्शित करता है।

(३) वाचिक अभिनय में शब्द या ध्वनि द्वारा भाव-प्रदर्शन किया जाता है।

(४) वाह्य अभिनय में वस्त्रालंकार तथा अन्य अस्त्र-शस्त्रों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है।

भारतवर्ष में नृत्य के पुनरुत्थान का गौरव विश्वकवि कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ को प्राप्त है। उन्हीं की प्रेरणा से शान्ति-निकेतन विश्व-भारती में नाट्य-कला तथा नृत्य का पुनरुत्थान किया गया। रवीन्द्र स्वयं एक उच्च कोटि के साहित्यकार ही नहीं, वरन् नर्तक भी थे।

कवीन्द्र रवीन्द्र के बाद विश्व-विख्यात नर्तक श्रीउदयशंकर ने नृत्य-कला के परिष्कार तथा पुनर्जीवन के लिए महान साधना की है। उन्होंने नृत्य के प्राचीन रूपों का पुनरुद्धार ही नहीं किया, वरन्

नूतन एवं आधुनिक नृत्यों की भी सृष्टि की। श्रीउदयशंकर ने नृत्य का आधुनिक जीवन से जो समन्वय स्थापित किया है, वह वास्तव में स्तुत्य है। उनकी स्त्री श्रीमती अमलानन्दी भी स्वयं उच्च कोटि की नर्तकी हैं।

श्रीरामगोपाल, श्रीमती लीला, श्रीनटराज वंशी, श्रीमती प्रवीणा, श्रीमती रुक्मिणी देवी भारत के सुप्रसिद्ध नृत्यकला-विशेषज्ञ हैं।

दक्षिण-भारत में भारत-नाट्य, मालावार में कथाकली, गुजरात में गरवा, राजस्थान में मारवाड़ी, उत्तरी भारत में कथक और बंगाल तथा आसाम में मणिपुरी नृत्य विशेषरूप से प्रसिद्ध हैं।

अध्याय १५

चित्रकला

भारत में चित्रकला का इतिहास भी बहुत प्राचीन है। यों तो चित्रकला के संबंध में वर्णन अनेक संस्कृत-ग्रन्थों में मिलता है, परन्तु विष्णुधर्मोत्तरपुराण के "चित्रसूत्र" अध्याय में उसका विस्तृत और सरस वर्णन है। डा० स्टेला क्रामरिश ने अंग्रेजी भाषा में इस अध्याय का अनुवाद किया है। डा० आनन्दकुमार स्वामी ने भी इसका अनुवाद किया है। श्रीनान्हालाल चमनलाल मेहता (आई०-सी० एस०) के मतानुसार "शिल्प, नृत्य और चित्र-कला का महत्त्व समझने के लिए चित्रसूत्र इतने महत्त्व का ग्रन्थ है कि उसका हिन्दी में किसी योग्य व्यक्ति द्वारा प्रामाणिक अनुवाद तुरन्त कराना चाहिए।" (देखिए, उनकी "भारतीय चित्रकला")

उक्त ग्रन्थ के आरम्भ में मार्कण्डेय मुनि ने लिखा है—"विना तु नृत्यशास्त्रेण चित्रसूत्रं सुदुर्विदम् ।" नृत्यशास्त्र के अभ्यास के विना "चित्र-सूत्र" समझना कठिन है।

ईसा-जन्म के बाद सन् ३२० में पटना में चन्द्रगुप्त ने गुप्तवंश की स्थापना की। इस वंश का भारत में २५० वर्षों तक शासन रहा और इस अवधि में कला-साहित्य की पर्याप्त प्रगति हुई। इस शासन-काल में हिन्दुत्व का पुनर्जीवन हुआ और सारे देश में कला तथा साहित्य का पुनरुद्धार होने लगा। देवगढ़, वदामी, उदयगिरि (साँची के समीप), ग्वालियर तथा अन्य स्थानों में कला-कृतियों का निर्माण होने लगा। इस युग की कला आध्यात्मिक थी। मथुरा और सारनाथ में भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनाई गई, वे आध्यात्मिकता में संसार भर में अद्वितीय धार्मिक मूर्तिकला के नमूने हैं। उदयगिरि में विष्णु की मूर्ति बड़ी भव्य और विराट् है।

यद्यपि छठी शताब्दी में गुप्त-वंश का अन्त हो गया था; किन्तु उस युग की भावना ६ ठी व ७ वीं शताब्दी तक बनी रही। अतः इन शताब्दियों में जिन कलाकृतियों का निर्माण हुआ, वे गुप्त-काल की कही जाती हैं। इस काल में चित्रकला अपनी उन्नति की चरमसीमा पर पहुँच गई थी। इस काल में अजन्ता, वाग (बौद्ध-कला) तथा वदामी (ब्राह्मण-कला) की कलाकृतियों का निर्माण हुआ, जो आज भी भारत में विद्यमान हैं। किन्तु इसी काल में सित्तनावासल (दक्षिणी भारत) में जैन-चित्र-कला, तिरूमलयपुरुप में ब्राह्मण चित्रकला, तथा सिगरिया (लंका) में सिंहली चित्रकला के उदाहरण भी मिलते हैं।

यह सब चित्रकारी धार्मिक है। चित्रकारों ने धार्मिक कथाओं को अत्यन्त सरल रूप में अपनी तूलिका तथा वर्ण-विधान द्वारा चित्रित किया है। अजन्ता में ये रंग हरे, लाल, भूरे, पीले, काले और नीले हैं।

कुछ लोगों का विश्वास है कि अजन्ता की चित्रकारी के बाद भारत में से चित्र-कला लुप्त हो गई और मुगल-काल में इसका पुनरुद्धार हुआ। किन्तु यह धारणा निर्मूल है। मध्य-काल में चित्रकारी के उदाहरण मिलते हैं। परन्तु इनमें से बहुत-से नष्ट हो गये हैं। मध्य-काल में चित्र-कला बहुत ही उत्कृष्ट हो गई थी। चित्र की सजावट पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। ८–१० वीं शताब्दी की चित्रकला इलौरा की चित्र-कारी में तथा १२ वीं शताब्दी की तंजोर की चित्रकारी में सुरक्षित है। गुजरात तथा राजपूताना में जैन-चित्रों में इस काल की चित्र-कला के उदाहरण मिलते हैं। १६ से १६ वीं शताब्दी के चित्र—केरल-चित्र—त्रावनकोर व कोचीन में उपलब्ध हैं। १७ वीं व १८ वीं शताब्दी में कंजीवाराम के जैन-चित्रों में हमें दीवारों पर की चित्रकारी तथा कागज पर की चित्रकारी में सामंजस्य मिलता है।

सोलहवीं शताब्दी के मध्य में राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्रकारी का आरम्भ हुआ। पूर्वकालीन राजस्थानी चित्रकारी रागमाला

कहलाती थी। क्योंकि इसमें संगीतमय भावों की अभिव्यक्ति थी। वैष्णव-सम्प्रदाय के प्रादुर्भाव के कारण इस काल की चित्रकारी में हमें भक्ति-भावना तथा संगीत का पुट मिलता है। उत्तर में पहाड़ी चित्रकारी का अधिक प्रचार रहा। इसमें तथा राजस्थानी में बहुत कम अन्तर है।

सोलहवीं शताब्दी में मुगल-चित्रकला का भी प्रादुर्भाव हुआ। अकबर ने चित्रकला के लिए काफी प्रोत्साहन दिया। जहाँगीर तथा शाहजहाँ के काल में इसने भारी उन्नति की। मुगल-चित्रकला को फारस से प्रेरणा मिली। फारस के चित्रकारों की सरंक्षकता में ही इस कला को पोषण प्राप्त हुआ। मुगल-कला दरबारी कला है। उसका क्षेत्र भी सीमित है। वह गिने-चुने दृश्यों को उपस्थित करती है; परन्तु पूर्णता के साथ। भारतीय कलाकारों ने मुगल-चित्रकारी में हिन्दू-विषयों का समावेश नहीं किया; किन्तु कालान्तर में उसमें हिन्दू-भावना का समावेश हो गया। भारत में मुगल-सत्ता के पतन तथा अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के बाद कला भी लुप्त हो गई। अब शिक्षा-संस्थाओं में कला-कौशल की शिक्षा दी जाने लगी।

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में कलकत्ता-आर्ट-स्कूल के आचार्य हावेल तथा श्रीअवनीन्द्रनाथ ठाकुर और उनके अनुयायियों ने भारत की प्राचीन चित्र-कला के पुनर्जीवन के लिए प्रयत्न आरम्भ किया। अजन्ता के ढंग की चित्रकारी को अपनाकर और उसका मध्यकालीन चित्रकारी से सामंजस्य स्थापित कर कला के पुनर्जीवन के लिए आन्दोलन आरम्भ किया। यह बंगाल-कला-सम्प्रदाय कहलाने लगा। धीरे-धीरे इसका समस्त भारत में प्रचार हो गया। इस कला-सम्प्रदाय के सबसे प्रमुख चित्रकार शान्ति-निकेतन के श्रीनन्दलालबोस हैं। श्रीअवनीन्द्रनाथ के शिष्यों में स्वर्गीय सुरेन्द्रगंगुली, असित-हाल्दर, हितीन्द्रनाथ मजूमदार उल्लेखनीय हैं। आज भारत में श्रीजैमिनिराय अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं।

उपर्युक्त चित्रकारों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी चित्रकार हैं, जो प्रकृति के पुजारी हैं और अपने चित्रों में स्वाभाविकता लाने का प्रयत्न करते हैं। इनमें जे० पी० गंगुली, एच० मजूमदार और अतुल बोस प्रसिद्ध हैं।

वात्स्यायन ने अपने 'कामसूत्र' ग्रंथ में चित्र के अंग बतलाये हैं—

(१) रूपभेद—आकार तथा रूप का ज्ञान
(२) प्रमाण—चित्र में वर्णित वस्तु का अनुपात।
(३) भाव—भावों की अभिव्यक्ति।
(४) लावण्य— चित्र का सौंदर्य।
(५) सादृश्य— प्रत्येक अंग में सादृश्य।
(६) वर्णिक-भाग—तूलिका द्वारा रंगों का प्रयोग।

चित्र चार प्रकार के होते हैं—

१ भित्ति-चित्र (Mural Painting)—यह चित्र भवनों, मन्दिरों तथा यक्षशालाओं की दीवारों पर बनाये जाते हैं; जैसे अजन्ता की गुफाओं में इसी प्रकार के चित्र हैं।

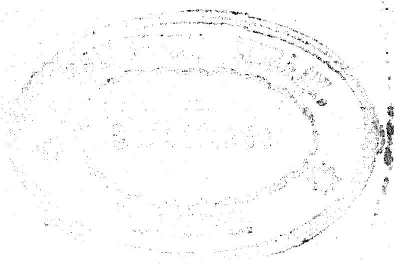
२ चित्रपट—यह चित्र लकड़ी अथवा कपड़े पर बनाये जाते हैं। जैसे रंगशाला के पर्दे आदि।

३ चित्रफलक—ये चित्र पत्थर या लकड़ी पर बनाये जाते हैं।

४ धूलि-चित्र—ये चित्र रंगों से पृथ्वी पर बनाये जाते हैं। विवाहादि मंगल-अवसरों में द्वार के सामने आटे से बनाये गये चित्र।

वर्तमान समय में उक्त चित्रकारों के अतिरिक्त निम्नलिखित चित्रकार भी विशेषोल्लेखनीय हैं:—श्रीसमर घोष, श्रीमनीषी दे, श्रीमती शीला सुबावाल, श्रीवभेश सान्याल, श्रीप्राणनाथ यागी, श्रीधीरेन्द्र गाँधी, श्रीललितमोहन सेन, शीला उदेन, एस० एच० राजा, भानुस्मति, मुरारजी सम्पत आदि।

अन्त में हम स्वर्गीय सुप्रसिद्ध विश्वकलाकार चित्रकार निकोलस रोरिच के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किये बिना नहीं रहेंगे, जिन्होंने यूरोप और अमेरिका का परित्याग कर भारत के हिमाचल पर गत १९ वर्षों तक अपना जीवन योगी की भाँति बिताया। वह बड़े उच्च कोटि के चित्रकार थे। वह प्रकृति तथा भारतमाता के अनन्य भक्त और पुजारी थे।



अध्याय १९

भारतीय वास्तु-कला

भारत में वास्तु-कला (Architecture) ने भी बड़ी उन्नति की है। मोहनजोदारो की जो खुदाई हुई है, उससे सिंधु की सभ्यता आज से ५००० वर्ष पहले की निश्चित हुई है। उसमें जैसे भवन, पाकशालाएँ, स्नानागार और अन्य वस्तुएँ निकली हैं, उनसे यह प्रकट है कि आज से ५००० वर्ष पूर्व , जबकि यूरोप की जातियाँ वनों में वन्य जातियों के समान जीवन बिता रही थीं, तब भारत की सभ्यता कितनी ऊँची थी।

आजकल प्राचीन भारतीय वास्तुकला के उदाहरण हमें प्राचीन हिन्दू-मन्दिरों, स्मारकों तथा दुर्गों के रूप में ही मिलते हैं। जन-साधारण कैसे भवनों में रहते थे, इसका हम केवल अनुमान ही कर सकते हैं। यहाँ हम कुछ प्रसिद्ध मन्दिरों के संबंध में वर्णन करने का प्रयत्न करेंगे।

हिन्दू-मन्दिरों का आरम्भ

भारत में मन्दिरों का निर्माण कब से आरम्भ हुआ, इस विषय में अनेक मत हैं। श्रीरायकृष्णदास का यह मत है कि' 'मन्दिर-स्थापत्य का विकास स्वतंत्ररूप से और अशोक के पहले ही हुआ जान पड़त है।" (भारतीय मूर्ति-कला पृ० ४४)। अर्थ-शास्त्र (कौटिल्य-कृत) में नगर के भीतर देवताओं के मन्दिर बनाने का विधान है। इससे यह प्रकट है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन-काल में हिन्दू-मन्दिर थे। श्रीकृष्ण की पूजा पाणिनि (ईसा-पूर्व ८ वीं सदी) और चन्द्र-गुप्त-काल में भी प्रचलित थी। ईसवी सन् से पूर्व दूसरी व तीसरी शताब्दी में हिन्दू-मन्दिरों का काफी प्रचार था।

इलोरा के मन्दिर

पूर्व मध्य-काल (सन् ६०० से ९०० ई०) के मन्दिरों में वेरूल (इलोरा) के मन्दिर अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। हैदराबाद-राज्य के अन्तर्गत औरंगाबाद जिले में वहाँ से २० मील की दूरी पर इलोरा ग्राम स्थित है।

यह इलोरा ग्राम अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। इसमें ३४ मुख्य गुफाएँ हैं और छोटी गुफाएँ भी अनेक हैं। यहाँ हिन्दू, बौद्ध तथा जैन-मन्दिर हैं। बौद्ध मन्दिर प्राचीनतम हैं। किन्तु कला की दृष्टि से हिन्दू-मन्दिर सर्वश्रेष्ठ हैं। इनमें कैलास-मन्दिर सबसे विशाल एवं सुन्दर है। इसकी लम्बाई १४२ फुट, चौड़ाई ६२ फुट और ऊँचाई १०० फुट है। स्थान-स्थान पर द्वारों, झरोखों, सीढ़ियों तथा अलंकृत स्तम्भों की पंक्तियाँ निर्मित की गई हैं। मन्दिरों से लगे हुए तीन प्रतिमा-मण्डप हैं, जिनमें ४२ पौराणिक दृश्य उत्कीर्ण हैं। एक दृश्य में रावण कैलास-पर्वत को उठा रहा है, भय-त्रस्त पार्वती शिव के विशाल भुजदण्ड की शरण ले रही हैं और उनकी सखियाँ भाग रही हैं। इस मन्दिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण ने (७६०-७७५ ई०) कराया था। इलोरा में अठारहवीं शताब्दी में औरंगाबाद के एक व्यापारी ने ७०० फुट ऊँचा एक जैन-मन्दिर बनवाया।

ऐलिफेंटा-गुफा-मन्दिर

इस काल का दूसरा गुफा-मन्दिर बंबई से ६ मील की दूरी पर ऐलिफेंटा-गुफा-मन्दिर है। यहाँ शिव-पार्वती के विवाह का दृश्य इलोरा के दृश्य से बढ़कर है।

कांची

दक्षिण में कांची के सामने समुद्रतट पर मामल्लपुरम में चट्टानों से काटे गये विशाल मन्दिर-रथ हैं। इन्हें संसार की अद्भुत वस्तुओं में गिना जाता है। इनके सात मन्दिरों के एक समूह को 'सप्त

रथम्' कहते ह। इन मन्दिरों को पल्लवराज महेन्द्रवर्मा प्रथम (लगभग ६००-६२५ ई०) और उसके पुत्र नरसिंह वर्मा ने बनवाया था। धर्मराज-रथ शैव-सम्प्रदाय का सर्वोत्तम मन्दिर का नमूना है। भीमरथ सातवीं सदी का एक उत्कृष्ट वास्तुकला का नमूना है।

उत्तर मध्य-काल (६००-१३००) के मन्दिर-निर्माता ललित कला की विशेषता त्याग कर शिल्पमात्र रह जाते हैं। उनकी कला रूढ़िग्रस्त हो गई और उसमें से मौलिकता का लोप हो गया। इसी समय से मन्दिर-वास्तु की अत्यन्त अलंकृत शैली का क्रमिक विकास दृष्टिगोचर होता है।

भुवनेश्वर-मन्दिर

उड़ीसा-राज्य में भुवनेश्वर में लिंगराज-मन्दिर के पूर्व में स्थित सहस्त्रलिंग तालाब के चारों ओर लगभग १०० मन्दिर हैं। इनमें ७७ अब भी अच्छी दशा में हैं। ये मन्दिर १० वीं व १२ वीं शताब्दी के बने हैं। इनमें लिंगराज-मन्दिर अन्य मन्दिरों से बड़ा है। यह हिन्दू-कला-पद्धति का सर्वोत्तम नमूना है।

जगन्नाथपुरी का मन्दिर

इस मन्दिर का बड़ा महत्त्व है। इसपर बौद्ध-कला का प्रभाव पड़ा है। बौद्धों के त्रिरत्न-बुद्ध, धर्म और संघ की भाँति मन्दिर में जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियाँ हैं। इस मन्दिर के आसपास और भी मन्दिर हैं। यह भी उड़ीसा में है।

कोणार्क-मन्दिर

कोणार्क-क्षेत्र जगन्नाथपुरी के उत्तर-पूर्व में २१ मील की दूरी पर है। इस क्षेत्र से दो मील की दूरी पर समुद्र है।

खजुराहो-मन्दिर

बुंदेलखण्ड के छतरपुर-राज्य के अन्तर्गत खजुराहो ग्राम में शिवसागर झील के पास ८५ मन्दिर थे। अब २० शेष बचे हैं। इनमें

चौसठ रागनियों का मन्दिर प्रसिद्ध है। यह नवीं शताब्दी का बना हुआ है।

सोमनाथ का मन्दिर

सोमनाथ का मन्दिर गुजरात में है। यह मन्दिर बहुत प्राचीन है। भीमदेव प्रथम ने (१०२२–१०७२) में इसका जीर्णोद्धार किया था। महमूद गजनवी ने इसी मन्दिर को लूटा था और वह यहाँ से लूट का माल लेकर चला गया।

भारत-सरकार ने इस मन्दिर के जीर्णोद्धार के लिए प्रयत्न किया है।

तिरुवल्लूर के मन्दिर

दक्षिण में हिन्दू-स्थापत्य-कला का नया रूप देख पड़ता है, जिसका विकास ठीक उसी प्रकार हुआ है, जैसे यूनानी शिल्प-कला का विकास इटली में हुआ था।

दक्षिण के मन्दिरों में द्राविड़-पद्धति अर्थात् शैव-सम्प्रदाय के मन्दिरों का प्रचुरता से निर्माण हुआ है। मद्रास से ३० मील की दूरी पर तिरूवल्लूर है। यहाँ एक लम्बा चौड़ा परकोटा है, जिसमें चारों ओर मन्दिरनुमा गोपुरम् या द्वार बने हुए हैं, जिनमें से होकर भीतर मन्दिर में जाया जाता है। यह परकोटा ६४० फुट × ७०१ है। इस मन्दिर के परकोटा के मध्य में मन्दिर है, जिसमें शिव-पार्वती की मूर्तियाँ हैं।

श्रीरंगपट्टन

यहाँ का मन्दिर दक्षिण के मन्दिरों में बड़ा और वास्तुकला का सर्वोत्तम नमूना है। यहीं पर मन्दिर में एक सहस्त्र १६ × ७० स्तम्भों-वाला मण्डप है, जिसका कमरा ४५० फुट × १३० फुट है।

चिदम्बरम्

यह दक्षिण का अत्यन्त प्राचीन मन्दिर है। इसमें चिदम्बर शिव की मूर्ति स्थापित है। मन्दिर एक बड़े परकोटे के भीतर है, जिसके

मध्य में एक तालाब है। इसके उत्तरी पार्श्व में पार्वती-मन्दिर है, दक्षिणी पार्श्व में सहस्र स्तम्भ-मण्डप और पश्चिमी पार्श्व में शिव-गर्भ-गृह।

रामेश्वरम्

दक्षिण में द्राविड़-कला का सर्वोत्तम प्रतिनिधि रामेश्वरम् का बहुश्रुत शिव-मन्दिर है। यह ११ या १२ वीं शताब्दी में बना था। इस मन्दिर में रामचरित्र की दृश्यावलियाँ मन्दिर की भित्तियों पर बाहर-भीतर अंकित हैं। इसमें बड़े-बड़े दालान, बरामदे व बारादरियाँ हैं। कहीं-कहीं ४००० फुट तक लम्बी बारादरियाँ हैं।

मीनाक्षी-मन्दिर (मदुरा)

यह राजा तिरुमल्ल नामक (१६२१-१६५७) द्वारा निर्मित मदुरा (मद्रास) का एक अत्यन्त वैभवशाली मन्दिर है, जिसकी बारादरियाँ और स्तम्भ उल्लेखनीय हैं। एक बारादरी ३३३ फुट × १०५ फुट है। यह मन्दिर २२ वर्षों में बनकर तैयार हुआ।

अध्याय १७

आधुनिक भारतीय साहित्य

इस अध्याय में हम आधुनिक भारतीय राज्य-भाषाओं तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी के साहित्यों के सिंहावलोकन का प्रयत्न करेंगे जो परिचयात्मक होगा। इस अवलोकन में साहित्य की गंभीर आलोचना या विवेचना के लिए स्थान नहीं है। अत: हम केवल कुछ प्रमुख लेखकों तथा कवियों के संबंध में ही उल्लेख करेंगे। यहाँ हमारी चेष्टा रहेगी कि साहित्य की वे मान्य प्रवृतियाँ भी उल्लेख में आ जायँ, आज जिन्हें महत्त्व दिया जा रहा है। पर इसमें पूर्णता की संभावना उतनी नहीं है, जितनी प्रामाणिकता की।

आसामी साहित्य

आधुनिक आसामी साहित्य जोनाकी पत्रिका से प्रारम्भ होता है, जो सन् १८९९ में प्रकाशित हुई। इसका संचालन एवं संपादन श्रीलक्ष्मीनाथ वेज बरुआ, श्रीचन्द्रकुमार अग्रवाल तथा श्रीहेमचन्द्र गोस्वामी करते थे। इन त्रिमूर्ति ने साहित्य के सभी अंगों की पूर्ति के लिए प्रयत्न किया। इनके पश्चात् सर्वश्री कमलाकान्त, श्रीअम्बिका गिरि तथा श्रीमती नलिनीबालादेवी-जैसे साहित्यकारों ने आधुनिक काव्य-रचना में योगदान दिया। श्रीरजनीकान्त, श्रीपद्मनाथ गोसेन बरुआ, श्रीशरतचन्द्र गोस्वामी, श्रीपजिरुद्दीन अहमद तथा मौलवी माफिजुद्दीन-जैसे उपन्यास-लेखकों ने सुन्दर उपन्यासों की रचना की। वर्तमान समय में आसामी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार निम्नलिखित हैं—अबदुल मलिक लोकप्रिय कहानी-लेखक हैं। श्रीदीनानाथ भी लोकप्रिय कहानी-

लेखक हैं। यह उपन्यास भी लिखते हैं। इनका 'उषा' नामक उपन्यास सुन्दर रचना है। श्रीदण्डीनाथ कलिता बड़े प्रतिभाशाली प्रमुख साहित्यकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं—साधना, फूल, दीप्ति, अग्नि-परीक्षा आदि। श्रीधरणीधर युद्धोत्तर-कालीन प्रतिभाशाली कवि हैं जिनके साहित्य में जन-वर्ग की प्रमुखता है। इनकी रचनाओं पर प्रगतिवाद का प्रभाव पड़ा है। उनमें क्रांति का सन्देश है। शिखा इनकी कविताओं का सकलन है। आपकी यह कृति बँगला के कवि नजरुल इस्लाम की अग्निवीणा की भावनाओं की निकटता रखती है। श्रीहेम बरुआ, श्रीयतीन्द्रनाथ, श्रीज्योति अग्रवाल तथा श्रीप्रसन्न लाल चौधुरी तथा श्रीरघुनाथ चौधुरी प्रमुख कवि हैं। श्रीयतीन्द्र ने उमरखैयाम की कविताओं का अनुवाद भी किया है। हिन्दी में जो स्थान महादेवी का है, वही आसामी साहित्य में सुश्री नलिनी बाला देवी का है। आपके काव्य पर रहस्यवाद का प्रभाव पड़ा है। ज्योति अग्रवाल कवि व नाटक-कार ही नहीं, वरन् चित्र-पट-कला के भी सफल निर्देशक हैं। आसामी भाषा के सर्वप्रथम चित्र 'जयमति' का निर्देशन भी इन्होंने किया है।

बँगला-साहित्य

बँगला-साहित्य का आदि-काल ईसा के जन्म के बाद दसवीं शताब्दी से लेकर तेरहवीं शताब्दी तक है। इस काल की सर्वप्रथम रचना अभिनन्द-कृत रामचरित है। बँगला-गद्य का आदि युग सन् १८०० से आरम्भ होता है, जबकि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना की गई। इसमें एक प्राच्यविभाग खोला गया, जिसके अध्यक्ष पादरी विलियम केरी थे। उन्होंने बँगला में गद्य की पाठ्य-पुस्तकों की रचना का कार्य आरम्भ किया। सन् १८१८ में उन्होंने बँगला भाषा में 'दिग्दर्शन' नामक सबसे पहला मासिक पत्र भी निकाला। उनके इस कार्य में राजा राममोहन राय, राजा राधाकान्तदेव, राजा कालीकृष्णदेव आदि ने विशेष योग दिया। बँगला-गद्य के वास्तविक पिता श्रीईश्वरचन्द्र विद्यासागर हैं। उन्होंने

बँगला-गद्य के लिए वही कार्य किया जो हिन्दी-साहित्य में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने किया। उन्हीं दिनों विद्यासागर ने बँगला में श्रीकृष्ण-चरित्र पुस्तक प्रकाशित कराई थी जिसके संबंध में लोगों का अनुमान है कि वह प्रेमसागर का रूपान्तर है। प्रेमसागर फोर्ट विलियम-कालेज के पाठ्यक्रम में थी। श्रीकृष्णचरित्र भी बँगला के पाठ्यक्रम में आ गई। सन् १८४७ ई० में विद्यासागर ने हिन्दी वैताल-पच्चीसी को बँगला में वेताल-पंचविंशति शीर्षक के साथ प्रकाशित किया। 'वेताल-पंचविंशति' बँगला भाषा की प्रथम गद्यरचना है जिसकी चर्चा बँगला उपन्यास के सभी इतिहास करते हैं, और जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, वेताल-पंचविंशति का आधार हिंदी 'वैताल-पच्चीसी' था। विद्यासागर के समकालीन लेखकों में मृत्युञ्जय विद्यालंकार, भवानीचरण वन्द्योपाध्याय और कृष्णमोहन वन्द्योपाध्याय के नाम उल्लेख्य हैं। विद्यासागर के कार्य को आगे बढ़ाने में राजा राजेन्द्रलाल मित्र, श्रीताराशंकर तर्करत्न, श्रीभूदेव मुखोपाध्याय तथा महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर (विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के पिता) ने योगदान दिया। बँगला में सबसे प्रथम नाटक विश्वनाथ न्यायरत्न ने अनूदित किया। यह है "प्रबोध-चन्द्रोदय"। यह सन् १८३९ में लिखा गया। किन्तु उसके ३२ वर्ष बाद सन् १८७१ में प्रकाशित हुआ। नीलमणि पाल की "रत्नावली" नाटिका ही बँगला का सबसे प्रथम मुद्रित नाटक है, जो सन् १८४९ में प्रकाशित किया गया। बँगला के आदि नाटककारों में श्रीरामनारायण, माइकेल मधुसूदन दत्त तथा दीनबन्धु के नाम विशेषोल्लेखनीय हैं।

आधुनिक बँगला साहित्य के निर्माण में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, शरतचन्द्र, कवि माइकेल मधुसूदन दत्त, उपन्यासकार बंकिम चन्द्र जिन्होंने बन्देमातरम् गायन की रचना की है; नाटककार गिरीशचन्द्र घोष, तथा नाटककार द्विजेन्द्रलाल राय ने विशेष अनुदान दिया है। महर्षि देवेन्द्रनाथ ब्राह्म-समाज के अग्रगण्य नेता थे। उन्होंने अपने सभी पुत्र-पुत्रियों को उच्च शिक्षा

तथा संस्कृति प्राप्त कराने में पूरा उद्योग किया। उनके पाँच पुत्र थे। वे सभी उच्चकोटि के कलाकार, दार्शनिक, कवि और साहित्यकार हुए। उनकी एक कन्या स्वर्णकुमारी बँगला-साहित्य की सर्वश्रेष्ठ स्त्री-लेखिका हैं। विश्वकवि रवीन्द्रनाथ का जन्म सन् १८६१ में कलकत्ता में हुआ। वह १३ वर्ष के थे, तभी से लिखने लगे। आगे चलकर वह बँगला ही नहीं, विश्व के एक महान कवि तथा साहित्यकार हो गये।

उन्होंने साहित्य के प्राय: सभी अंगों पर उच्च कोटि के साहित्य की रचना की है। उनकी निम्नलिखित रचनाएँ विशेषोल्लेनीय हैं–

चित्रागंदा, सोनार तरी, आकाशदीप, कल्पना, क्षणिका, चित्रा, वीथिका तथा गीताञ्जलि। ये सभी काव्य-ग्रंथ हैं। गीताञ्जलि का सन् १९१३ में अँगरेजी में अनुवाद किया गया और उसपर संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबुल प्राइज, जो १ लाख रुपये से भी अधिक का है, विश्व-कवि रवीन्द्र को प्रदान किया गया। उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे हैं; करुणा इनका पहला प्रयत्न है। बहू ठकुरानी की हाट, राजर्षि, आँख की किरकिरी, नौका डूबी, गोरा और घर-बाहर इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कहानियाँ (गल्प) भी काफी लिखी हैं। आपने 'जीवन-स्मृति' नामक एक ग्रंथ लिखा है, जो एक प्रकार के आत्म-संस्मरण हैं।

रवि बाबू विश्वबंधुत्व के कायल थे। उनमें विश्वजनीनता इतनी थी कि अपनी भावनाओं को मूर्त्त रूप देने के लिए आपने विश्व-भारती नाम की संस्था कायम की जो 'शान्तिनिकेतन' नाम से प्रसिद्ध है। यह बंगाल के 'बोलपुर' गाँव में है।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर के समकालीन साहित्यकार द्विजेन्द्रलालराय (नाटककार), रामेन्द्रसुन्दर त्रिवेदी (निबंध-लेखक), राखालदास वंद्योपाध्याय (उपन्यास-लेखक) तथा शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय हैं। इन चारों लेखकों ने आधुनिक बँगला-साहित्य को मूल्यवान अनुदान दिया है।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर के अतिरिक्त उपन्यास-सम्राट् श्री बंकिमचन्द्र और शरच्चन्द्र इन दो उपन्यासकारों का बँगला-साहित्य चिर ऋणी रहेगा। राष्ट्रीयता के क्षेत्र में न केवल बंगाल अपितु समस्त भारत बंकिम का आभारी है। आपकी प्रसिद्ध कृति आनन्दमठ उपन्यास में ही 'वंदे मातरम्' राष्ट्रीय गान की सृष्टि हुई है। अँगरेज शासकों के अनाचारों (इष्ट इंडिया कंपनी-काल) का वास्तविक निदर्शन आपके उपन्यासों की अपनी विशेषता है। चन्द्रशेखर, कृष्णकांतेर विल, कपालकुंडला आदि उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं।

शरच्चन्द्र के उपन्यासों में मध्यवित्त (मिड्लक्लास) व्यक्तियों के समाज का सजीव चित्रण है। आपके उपन्यास मनोवैज्ञानिक होते हैं। पात्रों का विकास इतनी सूक्ष्म, किंतु प्राणवंत परिस्थति में हुआ है कि पाठक अपने सारे मनोयोगों के साथ आपकी कृतियों को पढ़ता है। यथार्थवाद के चित्रण में आप अद्वितीय हैं। भारतीय उपन्यास-साहित्य को प्रेमचंद और आपपर अभिमान है। आपके ये उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं:—देवदास, चरित्रहीन, पंडित मशायँ, गृहदाह, श्रीकान्त आदि। आधुनिक हिन्दी उपन्यासकार आपसे बहुत ही प्रभावित हैं—अज्ञेय, जोशी तक।

बँगला के वर्तमान जीवित लेखकों का यहाँ संक्षेप में परिचय दिया जाता है—

१ अचिंत्यसेन गुप्त—(जन्म १९०३)—इनकी प्रारम्भिक कुछ रचानाएँ अश्लील थीं। इस कारण सरकार ने उन्हें जब्त कर लिया (विवाहेर छेये बारहो और प्राचीर ओ प्रान्तर नामक उपन्यास)। बाद में इन्होंने अपने वर्ण्य विषय और शैली में परिवर्तन कर दिया। आजकल यह बंगाली समाज के निम्न-वर्ग के जीवन को अपने साहित्य द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। रूस की कहानियों का अनुवाद भी किया है। इनकी प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं—अमावस्या, प्रिया औ पृथ्वी, इन्द्राणी, साकेतमयी, आशामुद्रा आदि।

२. आनन्दशंकर राय (जन्म १९०४)—यह आई० सी० एस० होते हुए भी बड़े प्रतिभाशाली उपन्यास-लेखक तथा निबंध-

लेखक हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं——नूतनराधा; सत्यासत्य; पाथे-प्रवास ।

३. व्लाईचाँद मुखोपाध्याय; (जन्म १८९९)–यह बँगला के प्रसिद्ध गल्प-लेखक व उपन्यासकार हैं। छोटी गल्प लिखने में बड़े सिद्धहस्त हैं। इनका उपनाम "वनफूल" है। इसी नाम से इन्होंने कई पुस्तकों के नाम भी रखे हैं–जैसे वनफूल की कविता; वनफूल की गल्पें; श्रीमधुसूदन; विद्यासागर; रात्रि; जंगम; दाना आदि आपके उपन्यास कलात्मक टेकनीक के लिए प्रसिद्ध हैं। आपका 'मानदंड' उपन्यास काफी ख्याति पा चुका है। बँगला में उसका चित्रपट भी बन चुका है।

४. विष्णु दे (जन्म १९०९)–यह बँगला के सर्वश्रेष्ठ कवियों में हैं; किन्तु इनकी कविता हरिऔध की 'प्रिय-प्रवास'-जैसी है जिसे समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है।

५. बुद्धदेव वसु (जन्म १९०८)–आधुनिक बँगला-साहित्य के प्रसिद्ध समालोचक, कवि, उपन्यास-लेखक तथा निबंधकार हैं। इस समय "कविता" का संपादन करते हैं।

६ जीवानन्द दास (जन्म १८९९)–बँगला के प्रसिद्ध रोमांच कवि।

७ काजी नज़रुल इस्लाम (जन्म सन् १८९९)– यह बँगला के बड़े लोकप्रिय कवि हैं। इनकी कविताओं में क्रान्ति का अमर संदेश है। इसलिए इन्हें विद्रोही कवि कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने इनकी अनेक रचनाओं को जब्त कर लिया था। इस समय काजी साहब विक्षिप्त अवस्था में हैं। इनकी स्त्री को पक्षाघात का रोग है। ग्रन्थ——नज़रुल-गीतिका; पाथेर दान; अग्निवीणा; विशेर वंशी।

८ माणिक वंद्योपाध्याय–(जन्म १९०८)– यह बँगला के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकारों में से हैं। यह बहुत ही समर्थ प्रगतिशील कलाकार हैं। पद्मा नदीर माँझी; प्रागैतिहासिक; जनानी; शहताली आदि इनकी रचनाएँ हैं।

नदीतटवर्ती ग्रामों पर आधारित आपका प्रसिद्ध उपन्यास है। पूँजीवादियों के विरोध में आपकी तीव्र विद्रोहात्मक भावना का वह परिचायक है।

९ मनोज वसु–यह बँगला के लोकप्रिय नाटककार, उपन्यास-कार तथा गल्पकार हैं। भूली नदी; नूतन प्रभात; सैनिक आदि इनकी रचनाएँ हैं।

१० प्रमेन्द्र मित्र (जन्म १९०४)– बँगला के एक महाकवि। इन्होंने कहानियाँ तथा उपन्यास भी लिखे हैं। इनकी रचनाएँ निम्नलिखित हैं–प्रथमा, सम्राट्, उपनयन आदि।

११ राजेश्वर वसु (परसुराम)––(जन्म १८८०)––यह बँगला के इस युग के सर्वश्रेष्ठ हास्य-रस के लेखक हैं। अनुवादक भी ऊँचे दर्जे के हैं। रचनाएँ––गद्यालिका; कज्जली; हनुमान का स्वप्न; मेघदूत; रामायण इत्यादि।

१२ शैलजानन्द मुखोपाध्याय (जन्म १९०१)– आरम्भ में कहानी-लेखन का कार्य किया। बाद में चित्रपट के लिए कथानक लिखने तथा निर्देशन का काम करने लगे। रचनाएँ:– नरमेध, केलाकुटी, नन्दिनी आदि।

१३ सुभाष मुखोपाध्याय–(जन्म १९१९)– यह मार्क्सीय प्रगतिवादी कवि हैं। रचनाएँ अग्निकोण आदि।

१४ ताराशंकर वंद्योपाध्याय– (जन्म १८९८) सुप्रसिद्ध बँगला-उपन्यासकार। बंकिम और शरद के बाद आपका नाम उनकी तीसरी कड़ी में आता है। सामंतशाही के खिलाफ आपने भी आवाज बुलंद की है। कट्टर रूढ़िवादिता और अंधपरम्परा का यह विद्रोही कलाकार अपनी औपन्यासिक विशेषता के बल पर बहुत ही ऊँचे स्तर पर खड़ा है। तामस तपस्या, हाँसुलि, बाँकेर उपकथा, मन्वंतर आदि आपकी प्रख्यात कृतियाँ हैं। धात्री देवता, रायकमल का हिन्दी अनुवाद भी हो चुका है। रचनाएँ––कालिन्दी, धात्री देवता, कवि, रायकमल, दुई पुरुष आदि।

१५ प्रतिभा वसु (जन्म १९१५)– बुद्धदेव वसु की पत्नी। ये गल्प-लेखिका हैं। रचनाएँ––महावीर, यज्ञ। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित भी लोकप्रिय लेखक हैं:–अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, अमिया चक्रवर्ती; अनुरूप देवी; आशापूर्ण देवी वाणी राय, विभूतिभूषण

वंद्योपाध्याय; विभूतिभूषण मुखोपाध्याय; विधायक भट्टाचार्य; दक्षिनरंजन मित्र मजूमदार; दुरजाति प्रसाद मुखोपाध्याय; दलीप कुमार राय; जशिमुद्दीन; ज्योतिर्मयी राय; कालीदास राय; केदारनाथ वंद्योपाध्याय; कुमुदरंजन मलिक; मोतीलाल मजूमदार; नारायण गंगोपाध्याय; नरेन मित्र; नरेशसेन गुप्त; प्रबोध-कुमार सान्याल ; प्रमथ विशी; रामेश सेन; सचीन्द्र नाथ सेन-गुप्त; संजय भट्टाचार्य, शरदेन्द्र वंद्योपाध्याय; सरोजकुमार-राय चौधरी; शिवराय चकवर्त्ती, श्रीकुमार वंद्योपाध्याय; सुबोध-वसु; सुबोध घोष; विनय घोष; सुधीन्द्रनाथ दत्त, श्रीसत्येन्द्रनाथ-मजूमदार, सुबोधचन्द्र सेनगुप्त, गोपाल हालदार आदि। श्रीकुमार वंद्योपाध्याय की समालोचनात्मक पुस्तक—बंग-साहित्ये उपन्यासेर धारा—का विशिष्ट महत्त्व है।

गोपाल हालदार समालोचना-पत्र 'परिचय' के यशस्वी संपादक भी रह चुके है। 'एकदा' आपका उपन्यास ख्याति पा चुका है। समालोचकों में आपका सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। रामानन्द चट्टोपाध्याय को भुलाया नहीं जा सकता। 'प्रवासी' (बँगला)' मौर्डन रिव्यू (अँगरेजी) 'विशाल भारत' (हिन्दी) इन तीनों मासिक पत्रों के आप प्रवर्त्तक हैं। इनके अतिरिक्त विश्व-भारती के अध्यापक एकान्त किंतु, विश्रुत विद्वान् आचार्य क्षिति-मोहन सेन बँगला और हिन्दी के प्रतिष्ठित साहित्यिक हैं। बँगला में 'दादू' आपका श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। प्रसिद्ध भाषा-तत्त्वविद् श्री सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या बँगला की सीमा के बाहर भी सुपरिचित हैं।

गुजराती साहित्य

गुजरात के आधुनिक साहित्य के निर्माण में महात्मा मोहनदास कर्मचन्द गाँधी ने सबसे अधिक अनुदान दिया है। गाँधीजी अपनी रचनाएँ गुजराती में लिखते थे और उनका अनुवाद अन्य भाषाओं में किया जाता था। गाँधीजी ने गुजराती गद्य के निर्माण में अधिक योग दिया। आधुनिक गुजराती साहित्य की रचना में नर्मदाशंकर,

रणछोड़ भाई,दलपतराय, महीपतराय न सबसे अधिक योग दिया है। इनके अतिरिक्त महादेव लाल देसाई, बंबई-विश्वविद्यालय के स्नातक गोवर्द्धन राय, मणिलाल, नरसिंह राव, केशव लाल, रमणभाई, माणिशंकर, आनन्दशंकर, बलवन्त राय आदि ने गुजराती साहित्य के निर्माण में योग दिया। केशवलाल ध्रुव ने संस्कृत के अनेक ग्रंथों का गुजराती में अनुवाद किया है। रमणभाई की 'भद्रम भद्रा' तथा 'कविता और साहित्य' गोविन्द राय की 'सरस्वती-चन्द्रिका', कालपी की 'केकारावा', बलवन्त राय की "पृथ्वी छंद" आदि साहित्य के रत्न हैं। इन लेखकों के बाद कवि नानालाल तथा कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और महात्मा गाँधी आदि ने गुजराती साहित्य को अपने योगदान से परिपुष्ट किया। इस उत्थान में काका कालेलकर, रामनारायण पाठक, गौरीशंकर जोशी, रमणदेसाई, झावेरचन्द मेघाणी, किश्नलाल झावेरी, सुन्दरम्, उमाशंकर जोशी, चन्द्रवदन मेहता, विद्या गौरी, सुमति त्रिवेदी, दीपिका देसाई, ज्योत्स्ना शुक्ल, लीलावती मुंशी तथा हेमामेहता गुजराती साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक व लेखिकाएँ हैं।

इनमें श्री मुंशी का विशेष स्थान है। गुजराती साहित्य इनकी कृतियों से जितना समृद्ध, सम्पन्न बना है, उतना अन्य किसी साहित्यिक की कृतियों से नहीं। आपकी कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ लुपामुद्रा, जय सोमनाथ, परशुराम, पृथ्वीवल्लभ आदि हैं। अन्तिम उपन्यास का चित्रपट भी तैयार हो चुका है।

तामिल साहित्य

भारतीय साहित्य में बँगला तथा तामिल-साहित्य बहुत ही उच्च कोटि का है। बँगला-साहित्य पर विचार करने के बाद हम तामिल-साहित्य के संबंध में विचार करते हैं। तामिल-साहित्य का आदिकाल ईसा के जन्म से १०० वर्ष पूर्व माना जाता है। इस प्रकार तामिल-साहित्य एवं भाषा संस्कृत, पाली को छोड़ अन्य समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन है। तामिल-साहित्य को जो आज उच्च

स्थान प्राप्त है, इसका श्रेय प्राचीन काल के तिरुवल्लुवर, मध्य काल के कम्बन् और नूतन युग के सुब्रह्मण्य भारती को है। तिरु-वल्लुवर ने "तिरुव कुरल" नामक अमर काव्य की रचना की। इस ग्रंथ का अनुवाद संसार की प्रमुख भाषाओं में हो चुका है।

आधुनिक काल में काव्य-क्षेत्र में सुब्रह्मण्य भारती ने युगान्तर उपस्थित कर दिया है। सरल शैली में उच्च-से-उच्च भावों की अभि-व्यंजना उनका लक्ष्य रहा है। वे पहले जनता के कवि और बाद में साहित्यिकों के कवि हैं। उनके राष्ट्रीय गीत जनता में नवीन स्फूर्ति पैदा करते हैं। उनके प्रसिद्ध काव्य हैं– "कृष्णगीत" ,"पांचाली-शपथ" और "कोपल" । इनके बाद बालभारती सुब्रह्मण्य योगी, देशिक विनायकम् पिल्ले, स्वामी शुद्धानन्द भारती, आदिसूर पद्मनाभ पिल्ले और जगन्नाथ अय्यर श्रेष्ठ कवि हैं।

तामिल का गद्य-काल भी ईसवी सन् से २०० वर्ष पहले आरम्भ होता है। अभिनूतन गद्य की नींव श्रीसुब्रह्मण्य भारती और सुब्र-ह्मण्य अय्यर ने डाली। नवीन तामिल-साहित्य में भारती ने सभी विषयों पर लिखा है। उन्होंने कविता के अतिरिक्त विज्ञान, योग-शास्त्र, वेद, उपनिषद्, धर्मशास्त्र, उपन्यास, कहानियाँ, समाज-सुधार, राष्ट्रीय आन्दोलन आदि सभी विषयों पर लिखा है। भारती की गद्यरचनाओं में 'ज्ञानरथ' 'षष्ठमांश' शीर्षक कहानी, "दृश्य" नामक गद्यगीत, तराजू तथा चन्द्रमा नामक अधूरे उपन्यास प्रसिद्ध हैं। सुब्रह्मण्य अय्यर अच्छे समालोचक और विद्वान् थे। उनकी 'गांगेय' तथा "तालाब का पीपल बाबा" की गणना तामिल की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में की जाती है।

आधुनिक निबंध-लेखकों में नवशक्ति–संपादक कल्याणसुन्दर मुदालियर, डा० स्वामीनाथ अय्यर, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, मीनाक्षिसुन्दरम्, पिल्ले प्रसिद्ध हैं। उपन्यासकारों में रंगराजु, वडुवूर दुरैस्वामी आय्यंगार और कौदेनायकी अय्याल सुप्रसिद्ध हैं। श्रीराजगोपालाचार्य, श्रीपिच्चमूर्ति, श्रीरामय्या, श्री पुदुमैप्पित्तन्, श्रीजगन्नाथ अय्यर , श्री वारू तामिल

भाषा के श्रेष्ठ कहानी-लेखक हैं। आपकी कहानियों में कलात्मक विशेषता के साथ-साथ दाक्षिणात्य ग्रामीण सामाजिक चित्रण की सजीवता अधिक महत्त्व रखती है। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य अँगरेजी साहित्य के भी मर्मज्ञ हैं। काल्कि और तुमिलन हास्य-रस के श्रेष्ठ लेखक हैं।

तेलगु-साहित्य

तेलगु साहित्य भी कम प्राचीन नहीं कहा जा सकता। किंतु उसका स्फुट प्रौढ़ साहित्य लगभग ई० सन् १०५० में पाया जाता है। महाकवि नन्नय भट्टारक-कृत संस्कृत महाभारत का अनुवाद-ग्रंथ ही तेलगु का प्रथम काव्य-ग्रंथ माना जाता है। ई० सन् १६००-१७५० तक तेलगु का रीतिकालीन युग कहा जा सकता है। कवयित्री मद्दपलानि की राधिकास्वांतनमु रचना उसी श्रेणी में आती है

आधुनिक तेलगु-साहित्य के निर्माण में सबसे अधिक योगदान वीरेशलिंगम्, चिलाकर भारती, लक्ष्मी तारा सिंहन् और गुरुजादा आप्पा ने दिया। वर्तमान समय में तेलगु-साहित्य के निर्माण में निम्न लिखित लेखक योग दे रहे हैं:—

१ चिन्ता दिव्यशितुलु (जन्म १८९८)—बालसाहित्य के लोकप्रिय लेखक। इनके कुछ ग्रंथों का अनुवाद अँगरेजी आदि भाषाओं में भी हुआ है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ निम्नलिखित हैं—एकादशी; सावरी; पतिराव कथालू; भैरवमूर्ति कथालू।

२ देवुला पल्ली कृष्णाशास्त्री—प्रसिद्ध कवि; रचनाएँ:—श्रावणी, कार्त्तिकी; उर्वशी आदि।

३ दुव्वुरी रामिरेड्डी; कवि; रचनाएँ:—मधुशाला।

४ गुदीपति वेंकटाचलम्; प्रसिद्ध लेखक; रचनाएँ:—स्त्री; चित्रांगी; सावित्री आदि।

५ मुनि माणिकाम् नरसिंह रावः (जन्म १८९८)—मेरी कहानी, कान्तम कथालू आदि।

६ नन्दुरी सुभाराव—लोक-गीतों क सुप्रसिद्ध गीतिकार।

७ विश्वनाथ सत्यनारायण—यह आधुनिक तलगु-लेखकों म सबसे अग्रगण्य हैं। इनकी प्रतिभा बहुमुखी है। ये काव्य, नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी आदि सभी पर लिखते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ निम्न प्रकार हैं—किन्नारासनी-पाताल; कोकिलाम्मा-पेल्ली; वेमी पादगालू, चेलियाली कत्ता; रामायण।

तेलगु-साहित्य की अच्छी प्रामाणिक जानकारी प्रो० वारणासि राममूर्त्ति 'रेणु' को भी है। हिन्दीवालों के लिए यह स्पृहणीय बात है है कि रेणुजी हिन्दी के माध्यम से तेलगु-साहित्य का परिचय उपस्थित कर रहे हैं।

कन्नाडी साहित्य

कन्नाड़ी साहित्य में नवीनता तथा आधुनिकता का संचार करने में सबसे अधिक योग करिवासव शास्त्री, सान्ता कवि, पंजे मंगेशा राव, वेंकटाचार, तथा गालगानाथ ने दिया। देवादु होयाशाला, वी० एस० मण्डाला, करांथ, तथा राजरत्नम् ने बाल-साहित्य के निर्माण में अधिक योग दिया है।

कन्नाड़ी साहित्य के वर्तमान सुलेखक, कहानी-लेखक व उपन्यास-कार निम्नलिखित हैं :—सर्वश्री बी० एम० श्रीकान्त, डी० वी० गुंडप्पा , मस्ती वैंकटसा आयंगर, डी० आर० वेन्द्रे, साली खानोल्कर, के० वी० पुटप्पा, वी० सीतारमैया, वी० के० गोकक, पी० सदाशिव-राव, आर० ए० मुगली, ए० एन० कृष्ण राव, केरनर, एन० के० कुलकर्णी, के० वेतीगेरी, गोपाल कृष्ण राव, टी० पी० कैलासम् आर० वी० जागीरदार। लेखिकाओं में निम्नलिखित विशेषोल्लेख-ीय हैं— श्रीमती गोरम्मा, कल्यानम्मा श्यामला।

मलयालम-साहित्य

मलयालम-साहित्य में नवीन धारा की प्रतिष्ठा का श्रेय रवीन्द्र की गीताञ्जलि के मलयालम भाषा में अनुवाद को है। सन् १९१४ में मलयालम साहित्य-महारथी केरल वर्मा वालिया कोयल थाम्पुरन् के स्वर्गवास के बाद मलयालम काव्य में नूतन युग का आरंभ हुआ।

नवीन साहित्य-धारा के सृजन का श्रय विशेषरूप स सवश्री वल्लाथोल, यू० एस० परमेश्वर अय्यर, नालापत नारायण मेनन, के० एम० पानीकर, कृष्णन् टम्पी, सी० वी० रमण पिल्ले, टी० एम० अप्पू, शंकर पिल्ले, हरिशर्मा, डा० सी० कुन्हान राजा को हैं। मलयालम भाषा में कहानी-साहित्य तथा गीतिका की ओर अधिक ध्यान दिया गया है।

मराठी साहित्य

आधुनिक मराठी साहित्य के निर्माण में चिपलूणकर, लोकनायक बालगंगाधर तिलक, तथा आगरकर ने विशेष प्रयत्न किया। इनके अतिरिक्त वर्तमान समय में सर्वश्री हरिनारायण आपटे, केशवसुत एस० एम० परांजपे, एन० सी० केलकर, फड़के, समाजवादी विद्वान् स्व० साने गुरुजी, खाडिलकर, पी० के आत्रेय, वी० एम० जोशी, गदकारी तथा टी० एम० पटवर्द्धन प्रसिद्ध साहित्यकार तथा लेखक हैं। इनके अतिरिक्त आचार्य ध्रुव, आचार्य अत्रे, अल्तेकर, मरढ़ेकर, सदाशिव नानेकर, अनन्त काणेकर आदि प्रसिद्ध मराठी विद्वानों से मराठी साहित्य संपन्न हो रहा है। इनके पूर्व मराठी साहित्य लोक-मान्य बालगंगाधर तिलक, भंडारकर आदि मनस्वी प्रमुखों से गौरवान्वित हो चुका है।

तेलगु-साहित्य के लिए प्रो० राममूर्त्ति रेणु ने जो कार्य किया, वही मराठी के लिए प्रो० प्रभाकर माचवे कर रहे हैं। मराठी के संबंध में आपके कई परिचयात्मक निबंध हिन्दी में प्रकाशित हो चुके हैं। प्रो० माचवे हिन्दी के भी प्रसिद्ध लेखक तथा समालोचक हैं।

उड़िया साहित्य

आधुनिक उड़िया साहित्य के निर्माण का सबसे अधिक श्रेय सर्वश्री राधानाथ राय, फकीर मोहन सेनापति, तथा मधुसूदन को है। इनकी परम्परा को सर्वश्री गंगाधर मेहर, रामशंकर राय, नन्दकिशोर वाल, गोपबंधु, श्रीपदमचरण, नीलकंठ दास, गोपाल-

चन्द्र, गोदवरीश महापात्र, कुन्तला कुमारी दवी आदि न कायम रखा है।

सिन्धी साहित्य

आधुनिक सिन्धी साहित्य के निर्माताओं में सबसे उल्लेखनीय साहित्यकार सर्वश्री दयाराम गिदुमल, निर्मल दास फतेहचंद, कालिचबेग मिर्जा, अल्लाबक्श अबोधो, परमानन्द मेवाराम तथा कोरोमल चन्दनमल हैं। वर्तमान समय में लोकप्रिय सिंधी लेखकों में निम्नलिखित विशेषोल्लेखनीय हैं—

सर्वश्री किशनचन्द्र बेवास, हैदरबक्श जातोती, अकबर अली अयाज, भेरूमल महीरचंद, जेठामल परसराम, लालचन्द जगतियानी, अंसरी राम पुंजवानी, नारायण मलकानी, गिडवानी।

पंजाबी साहित्य

वर्तमान पंजाबी साहित्य के निर्माण में सबसे अधिक योग भाई बीर सिंह ने दिया है। भाई बीरसिंह के इस कार्य में सर्वश्री मोहनसिंह वैद्य, धनीराम चातक, पूर्णसिंह, चरणसिंह, नन्दा, मोहनसिंह, अमृत प्रीतम, नानकसिंह, जोशुआ, फलदीन तथा गुरुबख्शसिंह ने विशेष योग दिया है।

उर्दू साहित्य

भारत में उर्दू भाषा का प्रचार पूर्वी पंजाब, उत्तरप्रदेश तथा हैदराबाद राज्य में है। उत्तरप्रदेश में १४% मुसलमान हैं। किन्तु इनकी भाषा केवल नगरों में ही उर्दू है। ग्रामों में सब लोग हिन्दी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। हिन्दू बहुत कम संख्या में उर्दू का प्रयोग करते हैं। पूर्वी पंजाब की राज्यभाषा हिन्दी तथा पंजाबी स्वीकार कर ली गई हैं। उत्तर-प्रदेश में हिन्दी राज्यभाषा स्वीकार कर ली गई है। अब केवल हैदराबाद ही उर्दू का प्रधान क्षेत्र है। किन्तु हैदराबाद-राज्य में कन्नाड़ी, तेलगु और तामिल भाषाओं का भी पर्याप्त प्रचलन है।

आधुनिक उर्दू साहित्य के निर्माण में सर सैयद अहमद, शिविली, हाली, अकबर और डा० मुहम्मद इक़बाल ने अधिक योग दिया। इनके बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सैयद सुलेमान नदवी, मुहम्मद अली, अब्दुल कादिर, काजी अब्दुल गफ्फार, सज्जाद हैदर ने विशेष प्रयत्न किया है। ये उर्दू साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं।

वर्तमान समय में उर्दू के सुप्रसिद्ध लेखक निम्न प्रकार हैं—

सर्वश्री अली अब्बास हुसैनी (बासी फूल); फिराक गोरखपुरी (रूप और शोलाई साज); इब्राहीम जालिल (तिकोना देश); इस्मत चगताई (कल्यान, धनी बाँके); इहताशम हुसेन, जोश मलिहाबादी (राष्ट्रीय क्रान्तिकारी कवि); काजी अब्दुल गफ्फार; ख्वाजा अहमद अब्बास (आज और कल, नया संसार); कृष्णचन्द्र (अन्नदाता, शिकस्त; हम वहशी हैं); मंजु गोरखपुरी; मौ० हसरत मोहानी (कानपुरी राष्ट्रीय कवि तथा पार्लमेंट के सदस्य); नेआज फतहपुरी (जमालिस्तान; निगारिस्तान); काजी रामपुरी-(चारवाहे); सदात हुसेन; सीमाव अकबराबादी; सरदार जाफरी; शौकत थानवी; (हास्यरस के लेखक); सुखदेव प्रसाद विस्मिल, रामानन्द सागर, राजेन्द्र सिंह बेदी आदि। परन्तु, इनसे हटकर प्रो० अब्दुल कादिर सरवरी, प्रो० आले अहमद सुरूर, प्रो० एहतशाम, प्रो० रघुपति सहाय 'फिराक', सज्जाद जहीर, सरदार अली जाफरी, प्रो० कलीमुद्दीन आदि साहित्यकारों का आधुनिक उर्दू-साहित्य-प्रणयन में विशेष हाथ है। आप सभी उर्दू तनकीद की मजबूत इमारत माने जा सकते हैं। प्रो० कलीमुद्दीन की 'उर्दू तनकीद पर एक नजर' पुस्तक ध्यान से पढ़ने योग्य है।

अध्याय १८

आधुनिक हिन्दी साहित्य

हिन्दी साहित्य का आदि-काल सन् ११९१ से आरम्भ होता है। हिन्दी के प्रथम कवि चन्दवरदाई हैं। इन्होंने 'पृथ्वीराज रासो' नामक काव्य की रचना की। 'वीसलदेव रासो' चन्दवरदाई से कुछ पहले का बतलाया जाता है। जो कुछ भी हो, हिन्दी-साहित्य ७५० वर्ष पहले का है। हिन्दी साहित्य को चार कालों में विभाजित किया गया है—

१	चारण-काल	सन् १२०० से १४०० तक।
२	भक्ति-काल	सन् १४०० से १६०० तक।
३	रीति-काल	सन् १६०० से १८०० तक।
४	आधुनिक काल	सन् १८०० से

हिन्दी की अनेक प्रादेशिक बोलियाँ भी हैं, जो अपने-अपने प्रदेश में मान्यता प्राप्त करने के कारण यथेष्ट रूप से विकसित हुईं तथा वे काव्य का भी माध्यम बन गईं। महाकवि सूरदास से लेकर महाकवि श्रीजगन्नाथदास 'रत्नाकर' तक हिन्दी काव्य की रचना व्रजभाषा में होती रही। व्रजभाषा में माधुर्य है; अतः इसमें काव्य तथा कविता बड़ी मनोरम और सुन्दर बन पड़ी है। व्रजभाषा में अवधी, बुन्देलखंडी, पंजाबी, फारसी तथा राजस्थानी भाषाओं के भी पर्याप्त शब्द हैं। अवधी भाषा की सबसे महान् रचना रामचरित-मानस है। गोस्वामी तुलसीदास आज अपने इस काव्य के कारण विश्व में प्रख्यात हैं। इसी प्रकार व्रजभाषा के सबसे महान् कवि सूरदास हैं।

भारत में जब अंग्रेजी राज की स्थापना हो गई, तब अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता पड़ी। इंगलैंड से जो अधिकारी तथा कर्मचारी भारत में शासन-प्रबंध करने आते थे, वे यहाँ की भाषाओं से अपरिचित थे। इसलिए शासन-प्रबंध में बड़ी कठिनाई अनुभव होती थी। उत्तरी भारत में हिन्दी का प्रचार था। अतः कलकत्ता के फोर्टविलियम कालेज में अंग्रेजों ने हिन्दी में गद्य-रचना के उद्देश्य से हिन्दी के लेखकों को आमंत्रित किया। लल्लूलाल और सदल मिश्र ने हिन्दी में 'खड़ी बोली' को जन्म दिया। यह 'खड़ी बोली' वर्तमान समय में हिन्दी गद्य की भाषा है। लल्लूलाल से पहले हिन्दी में काव्य की भाषा व्रजभाषा थी। व्रजभाषा का जन्मस्थान मथुरा है, किन्तु इसका बड़ा विस्तार था। हिन्दी काव्य अधिकांशतः इसी में लिखा गया। लल्लूलाल ने 'प्रेमसागर' पुस्तक लिखी और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान। राजा शिवप्रसाद ने भी खड़ी बोली में रचना की और प्रेमसागर की संस्कृतमयी भाषा के स्थान पर अरबी तथा फारसी शब्दों का अधिक प्रयोग किया। वास्तव में हिन्दी का आधुनिक काल भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय से आरम्भ होता है। भारतेन्दुजी हिन्दी के प्रथम नाटककार हैं। भारतेन्दुजी के बाद हिन्दी गद्य तथा हिन्दी पद्य को आधुनिक रूप देने में सबसे अधिक प्रयत्न जिन साहित्य-महारथियों ने किया उनमें आचार्य महावीरप्रसादद्विवेदी (भूतपूर्व संपादक 'सरस्वती'), आचार्य रामचन्द्रशुक्ल तथा बा० श्यामसुन्दरदास के नाम विशेषोल्लेखनीय हैं। द्विवेदीजी हिन्दी की सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका 'सरस्वती' के संपादक थे। इसके द्वारा उन्होंने हिन्दी गद्य को न केवल परिस्कृत ही किया, वरन् उस समय के तरुण कवियों को गद्य की भाषा 'खड़ी बोली' में कविता लिखने के लिए प्रोत्साहन दिया। फलस्वरूप श्रीमैथिलीशरणगुप्त, श्री पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' ने अपने काव्य के माध्यम के लिए खड़ी बोली को चुना। गुप्तजी ने "भारत-भारती" नामक कविता-ग्रंथ लिखा, जिसकी उस युग में बड़ी धूम

रही । हरिऔधजी ने "प्रियप्रवास" नामक महाकाव्य की रचना की।

इसके बाद तो हिन्दी के कवियों ने खड़ी-बोली में कविताएँ लिखना आरम्भ कर दिया। फलस्वरूप ब्रजभाषा के कवियों की संख्या उँगलियों पर गिनने लायक रह गई । इस प्रकार आचार्य द्विवेदीजी के अथक प्रयास तथा तपस्या के फलस्वरूप हिन्दी गद्य तथा काव्य की भाषा में एक खड़ी बोली हो गई।

हिन्दी के वर्तमान काव्य-जगत् में सबसे अधिक प्रगतिशील कवि हैं—श्री पं० सुमित्रानंदन पन्त। पन्तजी की प्रगतिशीलता इसी में है कि वे युग के प्रतिनिधि बन रहे हैं। इसी कारण वे आज भी हिन्दी के महाकवि हैं। यही बात श्रीमैथिलीशरणगुप्त के संबंध में भी लागू है। पन्तजी पहले रहस्यवादी कवि बने और उन्होंने 'पल्लव' हिन्दी-संसार को भेंट किया; वे मार्क्सवाद से प्रभावित हुए और उन्होंने "युगवाणी" की वीणा से हिन्दी-विश्व को झंकृत कर दिया। इसके बाद उनपर गाँधीवाद का प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपनी "ग्राम्या" में इससे प्रेरणा पाकर कविता की सृष्टि की। श्रीजयशंकर "प्रसाद" इस समय जीवित नहीं हैं, किन्तु एक काव्यकार, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में उन्होंने हिन्दी को जो साहित्य भेंट किया है, वह युग-युग तक अमर रहेगा और वर्तमान ही नहीं, वरन् भविष्य भी उससे अनुप्रेरित होगा। महाकवि पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला" एक युगप्रवर्त्तक महाकवि और साधक हैं। आज अपनी विपन्न अवस्था में भी एक पुरानी कुटिया में बैठकर राष्ट्र-भारती की साधना में लीन हैं। उन्हें न अपने तन की सुध है और न अपने जीवन की। ऐसा महाकवि युगों के बाद ही जन्म लेता है। श्रीमती महादेवी वर्मा वास्तव में ऊँचे दर्जे की रहस्यवादी कवयित्री हैं। उनकी कविता में प्रकृति के नाना रूपों में ईश्वर की अभिव्यक्ति तथा उससे मिलन की जो उत्कंठा है, उसकी अभिव्यक्ति बड़े सुन्दर रूप में हुई है। श्रीरामकुमार वर्मा भी रहस्यवादी कवि तथा श्रेष्ठ एकांकी नाटककार हैं। श्री पं०

सोहनलाल द्विवेदी एक सर्वश्रेष्ठ गाँधीवादी महाकवि ह। उनकी काव्यधारा पर स्पष्ट रूप से गाँधीजी का प्रभाव पड़ा है। "भैरवी" उनकी सुन्दर कृति है। गाँधीवाद पर आधारित काव्य-सृष्टि करनेवालों में पाण्डेय नर्मदेश्वर सहाय का भी नाम आता है। पं० मखनलाल चतुर्वेदी ने भी 'एक भारतीय आत्मा' के नाम से गाँधी-वाद से प्रभावित होकर अनेक राष्ट्रीय कविताएँ लिखीं। आप 'तिलक' से भी अनुप्राणित थे। इन महाकवियों के अतिरिक्त हिन्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि निम्नलिखित हैं——

सर्वश्री अज्ञेय, भगवतीचरण वर्मा, जनार्दनप्रसाद झा 'द्विज', गुरु-भक्त सिंह 'भक्त', अनूप शर्मा, इलाचन्द्र जोशी, हरिवंश राय 'बच्चन', पं० हरिशंकर शर्मा, मोहनलाल महतो वियोगी, लक्ष्मी-नारायणमिश्र, रामधारी सिंह 'दिनकर', नरेन्द्र शर्मा, श्यामनारायण पाण्डेय, हरिदयालु सिंह, पं० दुलारेलाल भार्गव, कलक्टर सिंह केसरी, केदारनाथ मिश्र 'प्रभात', गोपाल सिंह नेपाली, आरसीप्रसाद सिंह, जानकीवल्लभ शास्त्री, जगदम्बाप्रसाद मिश्र हितैषी, हरिकृष्ण प्रेमी, शान्तिप्रिय द्विवेदी, सुमंगल सिंह सुमन, उदयशंकर भट्ट, पद्मकान्त मालवीय, प्रो० रामेश्वर शुक्ल अचंल, डा० रामविलास शर्मा, गजानन माधव, मुक्तिबोध, नेमिचन्द्र, भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजाकुमार माथुर, रामदयाल पाण्डेय 'किशोर', 'रमण' हरेन्द्रदेवनारायण, हंसकुमार तिवारी, रुद्रनारायण, सेवक, अरुण, कन्हैया, राजेन्द्र सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, राँगेय राघव आदि। महिलाओं में सुभद्रा कुमारी चौहान, सुश्री तारा पाण्डेय, होमवती-देवी, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, 'चकोरी' शान्ति, एम० ए, प्रकाशवती-नारायण, तोरणदेवी लली, विद्यावती 'कोकिल' अधिक प्रसिद्ध हैं।

हिन्दी में काव्य के बाद कथानक-साहित्य का निर्माण बड़ी द्रुत गति से हुआ है। गत द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ के समय से अबतक हिन्दी-साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति उपन्यास तथा कहानी-साहित्य के सृजन की ओर ही रही है। उपन्यास-क्षेत्र में मुंशी प्रेमचन्द (धन-पतराय) के साथ एक नवीन युग का आरम्भ हुआ। प्रेमचन्द

पहले उर्दू में लिखते थे। किन्तु बाद में उन्होंने हिन्दी में लिखना आरम्भ किया। मुंशी प्रेमचन्द पर भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का बड़ा प्रभाव पड़ा और वे गाँधीजी की विचारधारा से बड़े ही प्रभावित हुए। इसके फलस्वरूप हम मुंशी प्रेमचन्द की रचनाओं में ग्राम्य-जीवन के दृश्य तथा ग्राम्य-जीवन से लिये गये पात्रों का चरित्र-चित्रण पाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी—प्रत्येक घटना, चरित्र या प्रसंग को अति सरल भाषा में, सरल रूप में रख देना। प्रेमचन्द ने हिन्दी की महान सेवा की है। क्योंकि उनके उपन्यासों व कहानियों को पढ़ने के लिए जन-साधारण ने हिन्दी को अपनाया। इसीलिए प्रेमचन्द जन-साधारण में अतिप्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं। यों प्रेमचन्दजी से भी श्रेष्ठ उपन्यासकार विद्यमान हैं; किन्तु उन्होंने जो लोकप्रियता प्राप्त की है, वह अन्य दूसरे को प्राप्त नहीं है। प्रेमचन्द की विख्यात रचनाएँ हैं– कायाकल्प, कर्मभूमि, रंग-भूमि, प्रेमाश्रम, सेवासदन तथा गोदान। उनकी कहानियों का संग्रह है—मानसरोवर (चार भागों में)।

श्रीजयशंकरप्रसादजी ने भी उपन्यास लिखे हैं; किन्तु उनकी प्रसिद्धि काव्यकार तथा नाटककार के रूप में ही अधिक है। उनके 'कंकाल' तथा 'तितली' दो उपन्यास हैं। हिन्दी में सफल मौलिक ऐतिहासिक उपन्यास लेखक हैं श्रीराहुल सांकृत्यायन, श्रीवृन्दावन-लाल वर्मा। इन्हें हिन्दी का सर वाल्टर स्काट कहा जाता है। गढ़ कुठार तथा विराट की पद्मिनी इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। स्वर्गीय श्रीविश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक प्रेमचन्दजी के समकालीन थे। इनके 'भिखारिणी' और 'मा' श्रेष्ठ उपन्यास हैं। श्रीजैनेन्द्रकुमार मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। यह गाँधीवादी हैं। इनके उपन्यास अपनी एक विशेषता रखते हैं। परख, तपोभूमि, सुनीता और कल्याणी इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं।

इनके अतिरिक्त हिन्दी में निम्नलिखित उपन्यास-लेखकों का उच्च स्थान है—

सर्वश्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव (विजय, विकास, विदा);

पाण्डय बचन शर्मा 'उग्र' (बुधुआ की बटी, शराबी); चतुरसेन शास्त्री (हृदय की प्यास, हृदय की परख, अमर अभिलाषा तथा आत्मदाह); भगवतीचरण वर्मा (चित्रलेखा, तीन वर्ष, टेढ़े-मेढ़े रास्ते); सियारामशरण गुप्त (नारी, गोद, अन्तिम आकांक्षा); भगवतीप्रसाद वाजपेयी (पतिता की साधना, पिपासा और दो बहिनें); ठा० श्रीनाथ सिंह (उलझन, जागरण, प्रभावती); उषा-देवी मित्रा (पिया, वचन का मोल, जीवन की मुस्कान); राजा राधिकारमण सिंह (राम और रहीम) सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, (अप्सरा, अलका, प्रभावती तथा निरुपमा) सुदर्शन, रामवृक्ष बेनीपुरी, देवीदयाल चतुर्वेदी, श्रीविनोदशंकर व्यास (अशांत); रामचन्द्र तिवारी (सागर, सरिता, अकाल) अमृतलाल नागर (महाकाल); अनपलाल मंडल (वे अभागे, बहूरानी, मीमांसा); प्रफुल्लचन्द्र ओझा 'मुक्त' (पुलिना के पत्र); मोहनलाल महतो, इलाचन्द्र जोशी (निर्वासित), गिरिजादत्त शुक्ल, शिवरानी देवी (मुं० प्रेमचन्द की सहधर्मिणी); सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन, 'अज्ञेय' (शेखर); उपेन्द्रनाथ 'अश्क' (गिरती दीवारें, सितारों के के खेल); यशपाल (देशद्रोही) सर्वदानन्द वर्मा, पहाड़ी, गाँगेयराघव (घरौंदे); राधाकृष्ण प्रसाद (टूटती कड़ियाँ); शिवचन्द्र शर्मा (नया आदमी); उदयराज सिंह (रोहिणी); धर्मवीर भारती (गुनाहों का देवता) आदि।

उपर्युक्त लेखकों ने हिन्दी में कहानियाँ भी लिखी हैं। अतः हम इनकी नामावली दोबारा नहीं देना चाहते, फिर भी दो-एक कहानी-कारों का अलग से भी नाम लेना पड़ेगा, हालाँ कि परम्परा प्रकारतः इनमें अन्तर है, फिर भी यहाँ ये उल्लेख्य हैं—श्री राधाकृष्ण (राँची), प्रो० नलिनविलोचन शर्मा (विष के दाँत, इक्कीस कहानियाँ); अमृत राय (जीवन के पहलू); श्रीनरेश (गोधूलि) और प्रेमचन्द के समानधर्मा श्रीसुदर्शन भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं।

उपन्यास तथा कहानी के बाद हिन्दी में नाटकों का स्थान है। नाटक और श्रेष्ठ नाटक संख्या में कम

लिखे गय हैं और श्रेष्ठ नाटककारों का अभाव भी है। हिन्दी में रंगमंच का अभाव होने के कारण अभिनेय नाटक कम ही मिलते हैं। हिन्दी में सबसे प्रथम नाटकों की रचना भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने की। उन्होंने वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चन्द्रावली, विषस्य विष-मौषधम् , भारत–दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी नामक नाटकों की रचना की। उनके समय में हिन्दी में बँगला के नाटकों का अनुवाद किया गया।

अति आधुनिक काल में श्रीजयशंकरप्रसाद ने हिन्दी के नाटक-साहित्य में एक नवीन युग का आरम्भ किया। जो कार्य उपन्यास-क्षेत्र में प्रेमचन्द, समालोचना-क्षेत्र में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने किया, वही कार्य प्रसादजी ने नाटक-रचना-क्षेत्र में किया। प्रसादजी ने अपने नाटकों द्वारा भारतीय सांस्कृतिक पुर्नजीवन का जो उपक्रम किया, वह वास्तव में हिन्दी में प्रशंसनीय है। प्रसादजी के नाटक विश्व-साहित्य की चीज है। खेद है, कि राष्ट्र-भारती हिन्दी के साहित्य का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद नहीं हुआ, अन्यथा यह विश्व-साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त करते।

हिन्दी के श्रेष्ठ नाटककारों में सर्वश्री गोविन्दवल्लभ पन्त, सेठ गोविन्द दास, डा० रामकुमार वर्मा, सुदर्शन, चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, हरिकृष्ण प्रेमी, उदयशंकर भट्ट, उपेन्द्रनाथ अश्क, लक्ष्मीनारायण मिश्र, भुवनेश्वर प्रसाद, गणेशप्रसाद द्विवेदी, सद्गुरुशरण अवस्थी, भगवतीचरण वर्मा हैं। इन्होंने एकांकी नाटक भी लिखे हैं। एकांकीकारों में भारतभूषण, विष्णुप्रभाकर, सत्येन्द्र शरत्, जगदीशचन्द्र माथुर आदि अधिक प्रख्यात हैं।

समालोचना तथा निबंध

हिन्दी में आधुनिक समालोचना का आरम्भ भारतेन्दु-युग से होता है। मध्यकाल में हम शास्त्रीय पद्धति की आलोचना पाते हैं, जिसकी प्रेरणा संस्कृत-आचार्यों के रीतिग्रंथ हैं। मध्ययुग के हिन्दी कवि नवरस, नायिकाभेद, अलंकार और पिंगल आदि का

विश्लेषण करते हुए अपने काव्यग्रंथ रचते थे। इसी परम्परा के अनुसार भारतेन्दु ने "नाटक" नामक समालोचना की एक पुस्तक लिखी। उनके समकालीन समालोचक श्रीनिवास दास, किशोरी-लाल गोस्वामी, रत्नाकर, पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी और बाद में पं० पद्मसिंह शर्मा, कृष्णबिहारी मिश्र, ला० भगवानदीन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

अति आधुनिक युग में हिन्दी-समालोचना के जनक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल थे। उन्होंने पाश्चात्य साहित्य-समालोचना का अध्ययन कर उसी के अनुसार हिन्दी में नवीन आलोचनापद्धति की प्रतिष्ठा की। प्रो० श्यामसुन्दर दास, मिश्रबन्धु, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, प्रो० विनयमोहन शर्मा आदि ने समालोचना-साहित्य के सृजन में अधिक योग दिया है।

नवीन दृष्टिकोण तथा समीक्षात्मक तीक्ष्ण बुद्धि के साथ निम्न-लिखित विद्वानों ने हिन्दी-साहित्यालोचन-क्षेत्र में प्रवेश कर अपना एक विशेष स्थान बना लिया है–

सर्वश्री पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी (काशी-विश्वविद्यालय), शान्तिप्रिय द्विवेदी, प्रो० सद्गुरुशरण अवस्थी, प्रेमनारायण टण्डन, नन्ददुलारे वाजपेयी, डा० नगेन्द्र, नलिनीमोहन सान्याल, प्रो० गुलाबराय (संपादक, साहित्य-संदेश), प्रो० केसरीकुमार, प्रो० नवलकिशोर गौड़, शिवनाथ एम० ए०, प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा आदि।

स्वतंत्र चिंतक-समीक्षकों में प्रो० नलिनविलोचन शर्मा का व्यक्तित्व अधिक ऊचा और स्पृहणीय है। आपकी आलोचना-पुस्तक 'दृष्टिकोण' काफी प्रसिद्धि पा चुकी है। भगवत-शरण उपाध्याय इतिहास के आधार को समक्ष रख, हिन्दी-आलो-चनाएँ लिखते हैं, जिनमें आपकी विद्वत्ता की छाप रहती है। स० ही० वात्स्यायन के समीक्षात्मक निबंधों का संग्रह त्रिशंकु काफी मान्यता प्राप्त कर चुका है।

प्रगतिवादी दृष्टिकोण से साहित्य-समालोचना का कार्य अभी १०-१५ वर्षों से ही आरम्भ हुआ है। इन समालोचकों में, डा०

रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नरेन्द्र, जगन्नाथप्रसाद मिश्र, अमृतराय, प्रभाकर माचवे, यशपाल आदि उल्लेखनीय हैं। प्रगतिवादी दृष्टिकोण से जो आलोचना-पुस्तकें इधर नकली हैं, उनमें 'प्रगतिवाद' 'भारतेन्दुयुग' 'नया हिन्दी-साहित्य' 'समाज और साहित्य' 'युग और साहित्य' 'प्रगतिवाद की रूप-रेखा' उल्लेखनीय हैं। मुंशी प्रेमचन्दजी द्वारा स्थापित "हंस" मासिक पत्र प्रगतिवादी साहित्य तथा समालोचना का प्रबल समर्थक है। इस पत्र में मुख्यतः प्रगतिवादी लेखों तथा कविताओं को स्थान दिया जाता है। यह सरस्वती प्रेस, बनारस से प्रकाशित होता है। प्रगतिशील-लेखक-संघ के उद्देश्य का वाहक 'नया साहित्य' एक प्रकार से 'हंस' का ही पर्याय है।

———

अध्याय १९

हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ

इस अध्याय में हम पाठकों की सुविधा के उद्देश्य से हिन्दी के प्रत्येक विषय के कुछ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों तथा उनके लेखकों की सूची देते हैं। इससे पाठकों को अपने प्रिय विषय की पुस्तकों का चुनाव करने में सहायता मिलेगी।

कविता

१	रामचरितमानस	: गोस्वामी तुलसीदास
२	सूर-सागर	: सूरदास
३	बिहारी सतसई	: बिहारीलाल
४	भूषण-ग्रंथावली	: भूषण
५	भारतेन्दु—ग्रंथावली	: भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
६	कविता-कौमुदी	: रामनरेश त्रिपाठी
❀७	दुलारे-दोहावली	: दुलारेलाल भार्गव
८	स्वर्णधूलि	: सुमित्रानन्दन पन्त
९	परिमल, अनामिका	: सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'
❀१०	रामचन्द्रोदय	: रामनाथ ज्योतिषी
*११	प्रिय-प्रवास	: अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'
१२	हल्दी घाटी	: श्यामनारायण पाण्डेय
*१३	वीर सतसई	: वियोगी हरि
❀१४	चित्ररेखा	: रामकुमार वर्मा
*१५	कामायनी	: जयशंकर प्रसाद
१६	नीरजा : श्याम	: महादेवी वर्मा
❀१७	दैत्यवंश	: हरदयालु सिंह

❀ **इन ग्रंथों पर २०००) के देव-पुरस्कार प्रदान किये जा चुके हैं।**

* **इन पर १२००) के मंगलाप्रसाद-पारितोषिक प्रदान किये गये हैं।**

१८ नूरजहाँ	:	गुरुभक्त सिंह
✱१९ निःश्वास	:	रामकुमारी
✱२० मुकुल	:	सुभद्राकुमारी चौहान
२१ भैरवी	:	सोहनलाल द्विवेदी
२२ कुरुक्षेत्र	:	रामधारीसिंह 'दिनकर'
३३ आरसी	:	आरसीप्रसाद सिंह
❋२४ साकेत	:	मैथिलीशरण गुप्त
२५ बापू	:	सियारामशरण गुप्त
२६ अग्निगान	:	हरिकृष्णप्रेमी
२७ अपराजिता	:	रामेश्वर शुक्ल 'अंचल'
२८ विहाग	:	सुमित्राकुमारी सिन्हा
२९ जीवन के गान	:	शिवमंगल सिंह 'सुमन'
३० मधुकलश	:	'बच्चन'
‖३१ हिमकिरीटिनी	:	माखनलाल चतुर्वेदी
३२ मानव	:	भगवतीचरण वर्मा
३३ माधवी	:	गोपालशरण सिंह
३४ तक्षशिला	:	उदयशंकर भट्ट
३५ उमर खैयाम	:	केशव पाठक
३६ प्रभातफेरी	:	नरेन्द्र
३७ त्रिवेणी	:	पद्मकान्त मालवीय
३८ आर्यावर्त	:	पं० मोहनलाल महतो 'वियोगी'
३९ हिमानी	:	शान्तिप्रिय द्विवेदी

४० तार सप्तक : (संग्रहीत) कविगण : गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचन्द्र, भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजाकुमार माथुर, रामविलास शर्मा, अज्ञेय।

‖४१ घासपात	:	हरिशंकर शर्मा

✱ इन पर ५००) के सेकसरिया पुरस्कार प्रदान किये गये हैं।

❋ इन पुस्तकों पर १२००) का मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है।

‖ इन पुस्तकों पर २०००) का देव पुरस्कार मिला है।

४२ चिता, हरी घास पर क्षण भर : अज्ञेय'
४३ कैकेयी : 'प्रभात'
४४ अशोक : रामदयाल पाण्डेय
४५ मराली : कलक्टर सिंह 'केसरी'
४६ अनागत : हंसकुमार तिवारी
४७ द्रोग : 'रुद्र'
४८ अंतरा : रमण
४९ नारायणी : नारायण
५० शिप्रा : जानकीवल्लभ शास्त्री
५१ शतरूपा : पाण्डेय नर्मदेश्वर सहाय
५२ एक रात : सेवक
५३ भूमिका : राजेन्द्र सिंह
५४ शेफालिका : 'किशोर'

उपन्यास

१ गोदान : प्रेमचन्द
२ कंकाल : जयशंकर 'प्रसाद'
३ गढ़ कुंठार : वृन्दावनलाल वर्मा
४ सौन्दर्योपासक : व्रजनन्दन सहाय
५ भिखारिणी : विश्वम्भरनाथ कौशिक
६ दो बहिनें : भगवतीप्रसाद वाजपेयी
७ नारी : सियारामशरण गुप्त
८ अलका : सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'
९ कल्याणी : जैनेन्द्र कुमार
१० चित्रलेखा : भगवती चरण वर्मा
११ पुरुष और नारी : राधिकारमण सिंह
१२ उलझन : श्रीनाथ सिंह
१३ शेखर : 'अज्ञेय'
१४ हृदय की प्यास : चतुरसेन शास्त्री

१५ वचन के मोल : उषादेवी मित्रा
१६ सितारों का खेल : उपेन्द्रनाथ 'अश्क'
१७ तरुण तपस्विनी : किशोरीलाल गोस्वामी
१८ परीक्षागुरु : श्रीनिवास दास
१९ श्यामास्वप्न : जगमोहन सिंह
२० एक सुजान सौ अजान : बालकृष्ण भट्ट
२१ विदा : प्रतापनारायण श्रीवास्तव
२२ मंगल प्रभात : चण्डी प्रसाद 'हृदयेश'
२३ मदारी : गोविन्दवल्लभ पन्त
२४ निर्वासित : इलाचन्द्र जोशी
२५ देशद्रोही : यशपाल
२६ घरौंदे : गांगेय राघव
२७ गुनाहों का खता : धर्मवीर भारती
२८ नया आदमी : शिवचन्द्र शर्मा
२९ लाल चीन : बेनीपुरी
३० जय जौधेय : राहुल सांकृत्यायन
३१ विमाता : अवधनारायण

कहानी-संग्रह

१ मानसरोवर : प्रेमचन्द
२ चित्रशाला : विश्वम्भरनाथ कौशिक
३ सुदर्शन-सुधा : सुदर्शन
४ रजकण : चतुरसेन शास्त्री
५ गल्पाञ्जलि : उग्र
६ खाली बोतल : भगवतीप्रसाद वाजपेयी
७ पिंजड़े की उड़ान : यशपाल
८ इन्द्रजाल : जयशंकर प्रसाद
९ इन्स्टालमैंट : भगवतीचरण वर्मा
१० वातायन : जैनेन्द्र
११ पड़ोसी श्रीनाथ सिंह

१२ मानुषी : सियारामशरण गुप्त
१३ प्राणों का सौदा : श्रीराम शर्मा
१४ गाँधी टोपी : राधिकारमण सिंह
१५ जासूस की डाली : गोपालराम गहमरी
१६ छाया : पहाड़ी
१७ विपथगा : अज्ञेय
१८ विखरे मोती : सुभद्राकुमारी चौहान
१६ नारी-हृदय : शिवरानी देवी प्रेमचन्द
२० वर्षगाँठ : सुमित्राकुमारी सिन्हा
२१ देश की आन पर : गणेश पाण्डेय
२२ लिली : निराला
२३ वल्लरी : धनीराम प्रेम
२४ पचास कहानियाँ : विनोदशंकर व्यास
२५ मधुकरी (दो भाग) : व्यास द्वारा सम्पादित
२६ इक्कीस कहानियाँ : रायकृष्णदास द्वारा संपादित
२७ नींव की ईंट : चन्द्रावती जैन
२८ किसलय : जनार्दनप्रसाद झा 'द्विज'
२६ मैंने कहा : लक्ष्मीकान्त झा
३० उँगली का घाव : वीरेश्वर सिंह
३१ कानन : जानकीवल्लभ शास्त्री
३२ पद्मराग : नन्दकिशोर तिवारी
३३ झलमल : बख्शी
३४ सुधांशु : रायकृष्णदास
३५ चन्द्रकला : चन्द्रगुप्त विद्यालंकार
३६ द्वादशी : वाचस्पति पाठक
३७ अंजलि : तेजरानी दीक्षित
३८ गुलेरीजी की अमर कहानियाँ : गुलेरी
३६ ब्रह्मपुत्र और अन्य कहानियाँ : नरेश
४० विष के दाँत एवं अन्य कहानियाँ : नलिन विलोचन शर्मा

४१ रामलीला : राधाकृष्ण (राँची)
४२ चलते चित्र : शिवचन्द्र शर्मा
४३ कटे पंख : राधाकृष्ण प्रसाद
४४ होली और दिवाली : इलाचन्द्र जोशी
४५ समानान्तर रेखाएँ : राधाकृष्ण प्रसाद
४६ अतीत के चलचित्र : महादेवी वर्मा

नोटः—ये कहानी-संग्रह केवल उदाहरणस्वरूप दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त हिन्दी में कहानी—साहित्य विशद रूप में है। परन्तु उनमें से श्रेष्ठ कहानियों का चुनाव करना विकट समस्या है। ऊपर हमने हिन्दी के श्रेष्ठ कहानी-संग्रहों को ही स्थान दिया है।

नाटक

*१ शकुन्तला : राजा लक्ष्मण सिंह
२ रणधीर-प्रेममोहिनी : श्रीनिवास दास
३ महाराणा प्रताप सिंह : राधाकृष्ण दास
४ सत्य हरिश्चन्द्र : भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
५ उत्तररामचरित : सत्यनारायण कविरत्न
६ बुद्धदेव : विश्वम्भरसहाय व्याकुल
७ मीराबाई : बलदेव प्रसाद मिश्र
८ चन्द्रगुप्त : जयशंकर प्रसाद
९ हर्ष : सेठ गोविन्ददास
१० चारुमित्र : रामकुमार वर्मा
११ वरमाला : गोविन्दवल्लभ पन्त
१२ भाग्यचक्र : सुदर्शन
१३ रेवा : चन्द्रगुप्त विद्यालंकार
१४ शिवा-साधना : हरिकृष्ण प्रेमी
१५ अम्बा : उदयशंकर भट्ट
१६ जय-पराजय : उपेन्द्रनाथ 'अश्क'

---

* यह संस्कृत के आधार पर लिखा गया है।

१७ अशोक	:	लक्ष्मीनारायण मिश्र
१८ चन्द्रहास	:	मैथिलीशरण गुप्त
१९ तुलसीदास	:	बदरीनाथ भट्ट
२० महाभारत	:	माधव शुक्ल
२१ प्रताप-प्रतिज्ञा	:	मिलिन्द
२२ कृष्णार्जुन-युद्ध	:	माखनलाल चतुर्वेदी
२३ जयन्त	:	रामनरेश त्रिपाठी
२४ करवला	:	प्रेमचन्द
२५ महात्मा ईसा	:	उग्र
२६ ज्योत्स्ना	:	सुमित्रानन्दन पन्त
२७ भोर का तारा	:	जगदीशचन्द्र माथुर
२८ अंबपाली	:	बेनीपुरी
२९ वर्षकार	:	उमाशंकर बहादुर
३० वर्धमान महावीर	:	नारायण
३१ पारिजात मंजरी	:	देवेन्द्रनाथ शर्मा

गद्य–काव्य

१ साधना	:	रायकृष्णदास
२ शबनम	:	दिनेशनन्दिनी चोरड्या
३ अन्तस्तल	:	चतुरसेन शास्त्री
४ रजकण	:	मोहनलाल वियोगी
५ विखरे फूल	:	रघुवीर सिंह
६ स्वागत	:	हरिभाऊ उपाध्याय
७ चित्रपट	:	शान्तिप्रसाद वर्मा
८ मदिरा	:	तेजनारायण
९ अन्तर्नाद	:	वियोगी हरि
१० शारदीय	:	चोरड्या
११ नन्दन निकुंज	:	चण्डीप्रसाद 'हृदयेश'
१२ नवजीवन प्रेमलहरी	:	राधिकारमणप्रसाद सिंह

१३ ज्वालामुखी — दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह

हास्य-प्रहसन

हिन्दी में उच्चकोटि के हास्य-रस के ग्रन्थों का बड़ा अभाव है। हास्य-प्रहसन पर श्रीबालमुकुन्द गुप्त, श्रीजगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, पं० बालकृष्ण भट्ट, पं० रुद्रदत्त शर्मा, पं० बदरीनाथ भट्ट आदि हास्य-रस के उच्च कोटि के लेखकों ने जो कुछ भी लिखा वह "भारतमित्र", "हिन्दी प्रदीप" तथा श्री महादेव सेठ के "मतवाला" की फाइलों में हैं। हिन्दी में हास्यरस पर बहुत ही कम लेखक हैं। यहाँ हम कुछ पुस्तकों के नाम देते हैं—

१ मिस्टर व्यास की कथा	:	शिवनाथ शर्मा
२ शिवशम्भु का चिट्ठा	:	बालमुकुन्द गुप्त
३ नागरी निरादर	:	जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी
४ तनमनधन गुसाईजी के अर्पण	:	गोस्वामी राधाचरण
५ शिक्षादान	:	बालकृष्ण भट्ट
६ स्वर्ग में सबजेक्ट कमेटी	:	रुद्रदत्त शर्मा
७ चुंगी की उम्मीदवारी	:	बदरीनाथ भट्ट
८ बनारसी इक्का	:	बेढब बनारसी
९ चौखटानन्द	:	जी० पी० श्रीवास्तव
१० मेरी हजामत	:	अन्नपूर्णानन्द
११ कोलतार	:	मिर्जा अजीमबेग चगताई
१२ चिड़ियाघर	:	हरिशंकर शर्मा
१३ तुलाराम शास्त्री	:	अमृतलाल नागर
१४ खट्टा-मिट्ठा	:	देवेन्द्रनाथ शर्मा

साहित्यिक निबंध

❀१ चिंतामणि	:	रामचन्द्र शुक्ल
२ मेरे जीवन की असफलताएँ	:	गुलाबराय

❀ इस पर मंगलाप्रसाद पारितोषिक मिला था।

३ जैनेन्द्रजी के विचार	:	जैनेन्द्र
४ झूठ सच	:	सियारामशरण गुप्त
५ शेष स्मृतियाँ	:	रघुवीर सिंह
६ पद्म-पराग	:	पद्मसिंह शर्मा
७ विचार-विमर्श		महावीरप्रसाद द्विवेदी
८ निबंधावली	:	श्यामसुन्दर दास
९ नवयुग-गद्यमाला	:	बख्शी
१० माधवमिश्र-निबंधावली	:	माधवप्रसाद मिश्र
११ गोविन्द-ग्रन्थावली	:	गोविन्दनारायण मिश्र
१२ निबंध-रत्नावली	:	पूर्णसिंह व गुलेरी
१३ साहित्यसुमन	:	बालकृष्ण भट्ट
१४ प्रताप-निबंधावली	:	प्रतापनारायण मिश्र
१५ गुप्त-निबंधावली	:	बालमुकुन्द गुप्त
१६ अशोक के फूल	:	हजारीप्रसाद द्विवेदी
१७ जड़ की बात	:	जैनेन्द्र कुमार
१८ प्रबंध-प्रतिमा	:	निराला
१९ 'त्रिशंकु'	:	स० ही० वात्स्यायन
२० विचार और अनुभूति	:	डा० नगेन्द्र
२१ साहित्यायन	:	पं० हंसकुमार तिवारी
२२ अच्छी हिन्दी	:	रामचन्द्र वर्मा
२३ अच्छी हिंदी का नमूना	.	पं० किशोरीदास वाजपेयी

कला, साहित्य और समालोचना

१ हिन्दी-साहित्य का इतिहास	:	रामचन्द्र शुक्ल
२ साहित्यालोचन	:	श्यामसुन्दर दास
३ हिन्दी नवरत्न	:	मिश्रबन्धु
४ हिन्दी-साहित्य का इतिहास	:	रामकुमार वर्मा
५ हिन्दी भाषा का इतिहास	:	धीरेन्द्र वर्मा
६ प्रसादजी की काव्यकला	:	रामनाथ सुमन

७ हिन्दी-साहित्य की भूमिका : हजारीप्रसाद द्विवदी
८ कबीर : हजारीप्रसाद द्विवेदी
९ साहित्यन्सर्जना : इलाचन्द्र जोशी
१० कहानी -कला : रामनारायण यादवेन्दु
११ साहित्यालोचन के सिद्धांत : रामनारायण यादवेन्दु
१२ जयशंकर प्रसाद : नन्ददुलारे वाजपेयी
१३ प्रेमचन्द : रामविलास शर्मा
१४ द्विवेदी-मीमांसा : प्रेमनारायण टंडन
१५ साहित्यिकी : शान्तिप्रसाद द्विवेदी
१६ भारत की चित्रकला : रायकृष्ण दास
१७ भारतीय चित्रकला : नानालाल मेहता
१८ कहानी-कला : विनोदशंकर व्यास
१९ सुमित्रानन्दन पन्त : नगेन्द्र
२० महाकवि हरिऔध : गिरीश
२१ खड़ी बोली के गौरव-ग्रंथ : विश्वम्भरनाथ 'मानव'
२२ हिन्दी साहित्य वीसवीं सदी : नन्ददुलारे वाजपेयी
२३ काव्यकल्पद्रुम : सेठ कन्हैयालाल पोद्दार
२४ वीसवीं सदी का हिंदी-साहित्य: लक्ष्मीनारायण वार्ष्णेय
२५ हिन्दी-गद्य-मीमांसा : रमाशंकर शुक्ल 'रसाल'
२६ हिन्दी-गद्यशैली के विकास का इतिहास : जगन्नाथप्रसाद शर्मा
२७ गोस्वामी तुलसीदास : रामचन्द्र शुक्ल
२८ आधुनिक हिन्दी-नाटक : नगेन्द्र
२९ हिन्दी का नाट्य साहित्य : ब्रजरत्न दास
३० हिन्दी-साहित्य-विमर्श : बख्शी
३१ दृष्टिकोण : प्रो० नलिनविलोचन शर्मा
३२ पंत और उनका गुंजन : प्रो० केसरीकुमार
३३ प्रगतिवाद की रूपरेखा : शिवचन्द्र शर्मा
३४ साहित्यिक निबंधावली : सं० देवेन्द्रनाथ शर्मा
३५ हिन्दी काव्यधारा : राहुल सांकृत्यायन

३६ रामधारी सिंह 'दिनकर'	:	शिवचन्द्र शर्मा
३७ निराला	:	डा० रामविलास शर्मा
३८ साहित्यदर्शन	:	ाचीरानी गुर्टू
३९ काव्य में अभिव्यंजनावाद	:	लक्ष्मीनारायण सिंह 'सुधांशु'
४० मिट्टी की ओर	:	रामधारी सिंह 'दिनकर'
४१ जयशंकर प्रसाद	:	नन्ददुलारे वाजपेयी
४२ प्रगति और परम्परा	:	डा० रामविलास शर्मा
४३ मिश्रबंधुविनोद	:	मिश्रबन्धु
४४ हिन्दी भाषा का इतिहास	:	डा० धीरेन्द्र वर्मा
४५ सामान्यभाषाविज्ञान	:	बाबूराम सक्सेना
४६ तुलनात्मक भाषाविज्ञान	:	डा० मंगलदेव शास्त्री
४७ हिंदी काव्य-शास्त्र का विकास		डा० भगीरथ मिश्र
४८ भारतीय साहित्य-शास्त्र	:	बलदेव उपाध्याय
४९ तसव्वुक और सूफीमत	:	पं० चन्द्रबली पाण्डेय
५० निर्गुणधारा	:	डा० पीतांबरदत्त बड़थ्वाल
५१ नाथसंप्रदाय	:	पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी
५२ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास	:	डा० रामकुमार वर्मा

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग के मंगलाप्रसाद-पारितोषिक प्राप्त लेखकों की सूची

यह पारितोषिक श्रीगोकुलचन्दजी रईस द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है । यह १२००) रुपये का पुरस्कार हिन्दी में सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग द्वारा प्रतिवर्ष क्रमशः कविता, निबंध, इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शन, तात्त्विक विज्ञान तथा व्यावहारिक विज्ञान पर सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के लेखक को दिया जाता है।

अबतक निम्नलिखित लेखकों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है—

१ स्वर्गीय श्रीपद्मसिंह शर्मा	विहारी सतसई की टीका	सं० १९७९वि०
२ श्री गौरीशंकर हीराचन्द ओझा	प्राचीन लिपिमाला	१९८०
३ स्व० प्रो० सुधाकर एम० ए०	मनोविज्ञान	१९८२

४ स्व० डा० त्रिलोकीनाथ वर्मा	हमारे शरीर की रचना	१९८३
५ श्रीवियोगी हरि	वीरसतसई	१९८४–८५
६ प्रो० सत्यकेतु विद्यालंकार	मौर्य साम्राज्य का इतिहास	१९८६
७ प्रो० गंगाप्रसाद उपाध्याय	आस्तिकवाद	१९८७
८ डा० गोरख प्रसाद	फोटोग्राफी की शिक्षा	१९८८
९ डा० मुकुन्द स्वरूप	स्वास्थ्य-विज्ञान	१९८९
१० प्रो० जयचन्द विद्यालंकार	भारतीय इतिहास की रूपरेखा	१९९०
११ श्रीचन्द्रावती लखनपाल	शिक्षा-मनोविज्ञान	१९९१
१२ स्व० रामदास गौड़	विज्ञान-हस्तामलक	१९९२
१३ स्व० अयोध्याप्रसाद उपाध्याय	प्रियप्रवास	१९९३
१४ श्री डा० मैथिलीशरण गुप्त	साकेत	१९९३
१५ स्व० श्रीजयशंकर प्रसाद	कामायनी	१९९४
१६ स्व० श्रीरामचन्द्र शुक्ल	चिन्तामणि	१९९५
१७ श्रीवासुदेव उपाध्याय	गुप्त-साम्राज्य का इतिहास	१९९६
१८ डा० सम्पूर्णानन्द	समाजवाद	१९९७
१९ श्रीबलदेव उपाध्याय	भारतीय दर्शन	१९९८
२० स्व०महावीरप्रसादश्रीवास्तव	सूर्यसिद्धांत का विज्ञान-भाष्य	१९९९
२१ डा० शंकर लाल गुप्त	क्षयरोग	२०००
२२ श्रीहजारीप्रसाद द्विवेदी	कबीर	२००२
२३ डा० रघुवीर सिंह	मालवा में युगान्तर	२००३
२४ श्री कमलापति त्रिपाठी	बापू और मानवता	२००४
२५ डा० सम्पूर्णानन्द	चिद्विलास	२००५

उक्त पुरस्कार के अतिरिक्त हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा प्रतिवर्ष निम्नलिखित पुरस्कार भी दिये जाते हैं:—

पुरस्कार	विषय	धन
१ सेठ गोविन्दराम सेकसरिया-पुरस्कार	विज्ञान	१५००)
२ मुरारका-पारितोषिक	बंगाली, उड़िया या आसामी भाषी द्वारा लिखित हिन्दी-पुस्तक पर	५००)

३ रत्नकुमारी-पुरस्कार	मौलिक नाटक	२५०)
४ श्रीराधामोहनगोकुलजी-पुरस्कार	समाज-सुधार	२५०)
५ सेकसरिया-महिला-पारितोषिक	महिला की रचना पर	५००)
६ नेमीचन्द पांड्या-पुरस्कार	वीररसपूर्ण बालसाहित्य	५००)
७ नारंग-पुरस्कार	भारतीय संस्कृति	१००)

श्री हरजीमल डालमिया-पुरस्कार

यह पुरस्कार हाल में २-३ वर्षों से सेठ रामकृष्णडालमिया द्वारा दिया जाता है। पुरस्कृत रचनाएँ निम्नलिखित हैं—

१ अष्टछाप—एक अध्ययन	लेखक डा० दीनदयाल गुप्त
२ बौद्ध दर्शन	श्री बलदेव उपाध्याय
३ कृष्णायन	श्री द्वारिकाप्रसाद मिश्र
४ स्वर्णधूलि	पं० सुमित्रानन्दन पन्त
५ वैदिक दर्शन	डा० फतेहसिंह
६ चारवाक् दर्शन	श्री विद्यासागर
७ रीतिकाव्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता	डा० नगेन्द्र एम० ए० डी० लिट्

ओड़छानरेश की ओर से देवपुरस्कार काव्य पर प्रदान किया जाता है । यह २०००) रुपये का है।

———

अध्याय २०

भारत में समाचारपत्र

भारत में पत्रकार-कला का विकास बड़ी कठिन और असाधारण परिस्थितियों में हुआ है। भारतीय समाचार-पत्रों को पद-पद पर स्वाधीनता के लिए संघर्ष करना पड़ा है। सन् १८३५ से पूर्व यदि कोई भारतीय समाचार-पत्र प्रकाशित करना चाहता था अथवा कोई पुस्तक प्रकाशित करना चाहता था, तो उसे सपरिषद गवर्नर-जनरल से आज्ञा-पत्र लेना पड़ता था और यह आज्ञा-पत्र देना सरकार की इच्छा पर निर्भर था। सन् १८३५ में एक नया कानून बना जिसके अनुसार मुद्रक के लिए रजिस्ट्री कराना आवश्यक हो गया।

१४ मार्च १८७८ को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। इस कानून का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता का गला घोंटना था। इस कानून के अन्तर्गत किसी भी भारतीय भाषा के पत्र के मुद्रक व प्रकाशक को सरकार ऐसा वचन देने के लिए बाध्य कर सकती थी कि वह कोई ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करेगा, जिससे सरकार के विरुद्ध घृणा उत्पन्न हो। सन् १८८२ में लार्डरिपन वायसराय के काल में यह कानून रद्द कर दिया गया। सन् १९०८ में समाचार-पत्र-कानून (Newspaper Incitement to offence Act) स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ऐसे पत्रों का दमन करना था, जो स्वाधीनता-आन्दोलन का समर्थन करते थे।

सन् १९१० में भारतीय प्रेस ऐक्ट लागू किया गया। इस कानून के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट किसी भी समाचार-पत्र से जमानत ले सकते थे, यदि किसी समाचार-पत्र ने कोई ऐसी बात प्रकाशित की है जिससे सरकार के प्रति घृणा पैदा होने की संभावना हो।

फरवरी सन् १९२१ म एक समिति नियुक्त की गई जो यह रिपोर्ट करे कि सन् १८६७ के प्रेस तथा रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स एक्ट और सन् १९१० के भारतीय प्रेस-कानून में क्या-क्या संशोधन किये जायँ।

संक्षेप में जिन कानूनों का पुस्तकों तथा समाचारपत्रों से संबंध है, वे निम्नलिखित हैं–

(१) सन् १८६७ का प्रेस व रजिस्ट्री (पुस्तकों की) कानून।
(२) सन् १९२२ का भारतीय रियासतरक्षाकानून।
(३) सन् १९२३ का भारतीय राजकीय गोपनीय कानून।
(४) सन् १९३१ का भारतीय प्रेस (संकटकालीन सत्ता) कानून।
(५) सन् १९३२ का वैदेशिक संबंध -कानून
(६) सन् १९३४ का भारतीय रियासतरक्षाकानून।
(७) भारतीय दण्डविधान की धाराएँ १२४-अ; १५३-अ और ५०५
(८) सन् १८७८ का समुद्री कस्टम एक्ट। (१९ व १८१ अ धाराएँ)
(९) सन् १८९८ का भारतीय पोस्ट आफिस कानून। (२६,२७ अ व २७-ई)
(१०) भारतीय टेलीग्राफ एक्ट (धारा ५)
(११) राज्य के सार्वजनिक व्यवस्थाकानून (State Public order sefety acts)

भारतीय समाचारपत्रों का इतिहास

भारत में सबसे प्रथम समाचार-पत्र सन् १७८० में हिके नामक एक अँगरेज ने कलकत्ता से निकाला। इसका नाम 'हिके गजट' था। यह पत्र जनता में लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर सका। अत: सन् १७८२ में इसका अन्त हो गया। फरवरी सन् १७८४ में सरकार ने कलकत्ता गजट का प्रकाशन आरंभ किया। यह पत्र सरकारी गजट है और अबतक प्रकाशित हो रहा है। सन् १७९१ में बंगाल जरनल प्रकाशित किया गया। किन्तु वे सब पत्र अँगरेजों द्वारा संचालित थे। सन् १७९५ में साप्ताहिक मद्रासगजट प्रकाशित किया गया। बंबई से 'बंबई

हैराल्ड' नामक प्रथम साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया गया। यह सन् १७८६ में प्रकाशित किया गया। सन् १७६० में 'बोम्बे कोरियर' पत्र प्रकाशित किया गया। आजकल बंबई का प्रसिद्ध 'बंबई टाइम्स आफ इंडिया' दैनिक अँगरेजी पत्र इसी का उत्तराधिकारी है। सन् १७६१ में बंबई गजट का प्रकाशन किया गया।

श्रीरामपुर की वौर्पटस्ट मिशनरी ने अप्रैल १८१८ में मासिक 'दिग्दर्शन' नामक सबसे पहला बँगला भाषा में पत्र प्रकाशित किया। इसके कुछ मास के बाद इसी मिशनरी ने 'समाचार-दर्पण' साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन आरम्भ किया। कलकत्ते से 'बंगाल-गजट' प्रकाशित किया गया। बंगाल गजट का प्रकाशन सन् १८१८ में किया गया। यह सबसे प्रथम भारतीय पत्र था, जिसके स्वामी, प्रकाशक तथा संपादक भारतीय थे और विशुद्ध बँगला में प्रकाशित किया जाता था। सन् १८२० में संवाद-कौमुदी साप्ताहिक बँगला का प्रकाशन किया गया। राजा राममोहन राय 'मिरतुलअखबार' नामक एक फारसी का पत्र भी प्रकाशित कराया। राय ने अँगरेजी भाषा में सन् १८२६ नें 'बंगाल हैराल्ड' तथा 'बंगदूत' साप्ताहिक निकाला जो नागरी, बँगला व फारसी लिपियों में छपता था।

२८ जनवरी १८३१ को ईश्वरचन्द्र गुप्त ने बँगला साप्ताहिक 'संवाद प्रभाकर' का प्रकाशन आरंभ किया। १४ जून १८३६ को यह दैनिक रूप में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार बँगला में सबसे पहली बार दैनिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ हुआ। यह भी सौभाग्य की बात है कि कलकत्ता से ही हिन्दी भाषा में सबसे प्रथम पत्र "उदन्त मार्तण्ड" का प्रकाशन सन् १८२६ में हुआ।

भारत में वैज्ञानिक अध्ययन का सबसे पहला पत्र बंगाल की रायल एशियाटिक सोसायटी की पत्रिका के रूप में निकला। इसका आरम्भ सन् १८३२ में हुआ। इस संस्था की स्थापना सन् १७८४ में हुई थी।

सन् १८३६ तक कलकत्ता में २६ यूरोपीय पत्र, (इनमें ६ दैनिक थे) तथा ६ भारतीय पत्र; बंबई से १० यूरोपीय, ४ भारतीय

पत्र, मद्रास से ६ यूरोपीय पत्र तथा लुधियाना, दिल्ली, आगरा, श्रीरामपुर, मोलमीन से एक-एक पत्र प्रकाशित होता था।

उर्दू भाषा में सबसे पहला पत्र सय्याद-उल-अखबार सन् १८३७ में मुहम्मद खाँ ने दिल्ली से निकाला। यह सर सैयद अहमद खाँ के ज्येष्ठ भ्राता थे। सन् १८३८ में देहली अखबार निकला। इसके बाद दो उर्दू साप्ताहिक निकले।

सन् १८५५ में कलकत्ता से हरिश्चन्द्र मुकर्जी ने 'हिन्दू पैट्रियार' नामक पत्र प्रकाशित किया। इसके १५० से अधिक ग्राहक नहीं थे। मुकर्जी महाशय सरकारी नौकर थे। उन्हें अपने वेतन में से प्रतिमास १००) घाटे की पूर्ति करनी पड़ती थी। इस पर सरकार ने मुकद्दमा चलाया और उसी के दौरान नें इनका स्वर्गवास हो गया और पत्र बन्द हो गया।

श्रीईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने 'सोम-प्रकाश' पत्र प्रकाशित किया। सन् १८६८ में शिशिरकुमार घोष ने "अमृतबाजारपत्रिका" का बँगला साप्ताहिक के रूप में प्रकाशन आरम्भ किया। इसी वर्ष मद्रास से 'मद्रासमेल' पत्र का प्रकाशन आरम्भ हुआ। फरवरी १८७२ से अमृतबाजारपत्रिका बँगला-अँगरेजी दो भाषाओं में कलकत्ता से निकलने लगी। मार्च १८७८ से पत्रिका अँगरेजी में प्रकाशित होने लगी। सन् १८९१ से यह अँगरेजी में दैनिक रूप में प्रकाशित होने लगी। तब से यह पत्रिका आज पर्यन्त प्रकाशित हो रही है। इसका एक संस्करण इलाहाबाद से भी प्रकाशित होता है। हिन्दी संस्करण अमृतपत्रिका नाम से फरवरी १९५० से प्रकाशित होने लगा है।

बीसवीं सदी के आरम्भ से भारतीय पत्र-पत्रिकाओं में और भी अधिक वृद्धि होने लगी।

बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में कलकत्ता में 'अमृतबाजार-पत्रिका' और 'बंगाली' दो दैनिक पत्र थे। मद्रास से 'हिन्दू' का प्रकाशन होने लगा। सर फीरोजशाह मेहता ने सन् १९१३ में बंबई से "बोम्बे क्रानिकल' दैनिक का संचालन आरम्भ किया। श्री बी०-जी० हार्निमैन इसके प्रथम संपादक नियुक्त हुए।

सन् १९०५ में समाचार-समिति 'एसोसियटड प्रेस आफ इंडिया' का सर्वप्रथम भारतीयों द्वारा संघटन किया गया। इलाहाबाद से 'पायोनियर' तथा सन् १९०९ में 'लीडर' प्रकाशित होने लगा और कलकत्ता से 'स्टेट्स मैन'। पं० मदनमोहनमालवीय ने लीडर पत्र की स्थापना की और इसके संपादक श्री सी० वाई चिन्तामणि नियुक्त किये गये।

सन् १९१९ से पूज्य महात्मा गाँधीजी ने राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रवेश किया। वह वास्तव में अद्वितीय संपादक तथा पत्रकार थे। उन्होंने हिन्दी में 'नवजीवन' तथा अँगरेजी में 'यंग इंडिया' नामक साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन किया। इन पत्रों में गाँधीजी के बड़े स्फूर्तिदायक लेख प्रकाशित होते थे। अन्य पत्र उनके लेखों को प्रथम पृष्ठ पर सम्मान के साथ प्रकाशित करते थे। सन् १९३० में 'यंग इंडिया' का प्रकाशन बन्द हो गया। सन् १९३२ में उन्होंने 'हरिजन' का प्रकाशन आरम्भ किया।

सन् १९२३ में दिल्ली से श्री के० एम० पानीकर के संपादकत्व में सुप्रसिद्ध अँगरेजी दैनिक "हिन्दुस्तान टाइम्स" का प्रकाशन आरम्भ हुआ। श्रीदेवदास गाँधी इसके प्रबंध-संपादक हैं। इसका "हिन्दुस्तान" नामक संस्करण दैनिक हिन्दी में भी प्रकाशित होता है।

सन् १९२७ में बंबई से फ्री-प्रेस जर्नल दैनिक अँगरेजी का प्रकाशन आरम्भ किया गया। श्री एस० सदानन्द इसके संपादक हैं।

लखनऊ से "नेशनल हैराल्ड" नामक अँगरेजी दैनिक पत्र १०-१२ वर्षों से प्रकाशित हो रहा है। यहाँ से "नवजीवन" हिन्दी दैनिक भी प्रकाशित होता है।

हिन्दी-पत्रों का इतिहास

इन पृष्ठों में हमारा आशय हिन्दी पत्रों का क्रमबद्ध इतिहास देने का कदापि नहीं है, वरन् हमारा उद्देश्य उसकी एक स्थूल रूपरेखा दे देना है। हिन्दी का सर्वप्रथम पत्र है—"उदन्त मार्तण्ड"। यह कलकत्ता से ३० मई १८२६ को प्रकाशित हुआ। इसके संपादक

श्रीयुगलकिशोर शुक्ल थे। यह प्रति मंगलवार को प्रकाशित होता था। इसमें ८ पृष्ठ रहते थे और मूल्य २) वार्षिक था। ४ दिसंबर १८२७ को यह पत्र बन्द हो गया। श्रीयुगलकिशोर शुक्ल ने इसके बाद एक दूसरा पत्र "सामदण्डमार्तण्ड" निकाला। यह भी थोड़े दिन निकलकर बन्द हो गया। इसके बाद मई सन् १८२९ में पं०-नीलरत्न हलदर के संपादकत्व में "बंगदूत" नामक पत्र का प्रकाशन नागरी, बँगला व फारसी में हुआ।

हिन्दी का सबसे पहला दैनिक पत्र भी कलकत्ता से निकला। इसका नाम है—"समाचार-सुधा-वर्षण"। इसका प्रथम अंक जून सन् १८५४ में प्रकाशित हुआ। यह द्विभाषिक पत्र था। यह हिन्दी व बँगला में छपता था। इसके संपादक श्यामसुन्दर सेन थे।

यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि यह सब पत्र टाइप के प्रेसों में छपते थे—लिथो प्रेस में नहीं। पं० बाबूराम मिश्र पहले भारतीय थे जिन्होंने सन् १८०६ में कलकत्ता में संस्कृत-प्रेस स्थापित किया।

सन् १८५२ में सदासुखलाल के संपादकत्व में आगरा से 'बुद्धि-प्रकाश' नामक हिन्दी पत्र निकला। सन् १८५३ में ग्वालियर से लक्ष्मण-प्रसाद के संपादकत्व में ग्वालियर गजट निकला। सन् १८६१ में आगर से राजा लक्ष्मण सिंह ने "प्रजाहितैषी" पत्र निकाला। इसी वर्ष इटावा से 'प्रजाहित' नामक पत्र भी निकला। सन् १८६७ में भार-तेन्दुजी ने 'कविवचनसुधा' पत्र निकाला। सन् १८७३ में भारतेन्दुजी ने "हरिश्चन्द्रचन्द्रिका पत्रिका" निकाली। इसी वर्ष स्त्रीशिक्षा के लिए "बालबोधनी" पत्रिका भी निकाली। सन् १८८५ में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की मृत्यु हो गई और कविवचनसुधा भी बन्द हो गई। वास्तव में भारतेन्दुजी हिन्दी-पत्र-कला के आदि आचार्य हैं।

भारतेन्दुजी के बाद सबसे महत्त्वपूर्ण पत्र है 'हिन्दी-प्रदीप'। इसका प्रकाशन सन् १८७७ से प्रयाग से पं० बालकृष्ण भट्ट के संपादकत्व में हुआ। इसके ग्राहक २००० से अधिक नहीं थे। भट्टजी कायस्थ-पाठशाला में ५०) मासिक वेतन पाते थे और इसी बल पर ३३ वर्ष तक इस पत्र का संपादन व संचालन किया।

सन् १८७७ म साप्ताहिक 'भारतमित्र' का प्रकाशन आरम्भ हुआ। श्रीबालमुकुन्द गुप्त इसी पत्र के संपादक थे। यह पत्र बीच-बीच में कई बार दैनिक भी रहा। किन्तु सन् १९३५ में यह बन्द हो गया। सन् १८७८ में पं० दुर्गाप्रसाद मिश्र के संपादन में कलकत्ता से "उचितवक्ता" तथा पं० सदानन्द मिश्र के सम्पादन में "सार सुधानिधि" पत्रिका का प्रकाशन हुआ। सन् १८८० में खड्गविलास प्रेस, बाँकीपुर से रामदीन सिंह के संपादकत्व में "क्षत्रिय-पत्रिका" का प्रकाशन हुआ। सन् १८८१ में श्रीबदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' ने "आनन्द-कादम्बिनी" नामक मासिक पत्रिका निकाली। पं० प्रतापनारायण मिश्र ने सन् १८८३ में 'ब्राह्मण' नामक १२ पृष्ठों का मासिक पत्र निकाला। यह १० वर्ष चला। सन् १८८३ में कालाकांकर के राजा रामपालसिंह ने, जो उन दिनों इंगलैंड म ही थे, वहीं से "हिन्दुस्थान" नामक मासिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया। सन् १८८३ से १८८५ तक यह पत्र इंगलैंड से निकलता रहा। यह पहले हिन्दी, अँगरेजी में निकलता था। बाद में उर्दू में भी निकलने लगा। फिर मासिक से साप्ताहिक हो गया। १ नवम्बर सन् १८८५ से यह भारत से दैनिक रूप में निकलने लगा। महामना पं० मदनमोहन-मालवीय भी इसके संपादक रहे थे। स्व० श्रीबालमुकुन्द गुप्त, पं० प्रतापनारायण मिश्र, श्रीगोपालराम गहमरी इसके संपादकीय विभाग में कार्य करते थे।

सन् १८८५ में कानपुर से "भारतोदय" नामक एक हिन्दी दैनिक का प्रकाशन हुआ। सन् १८९० में कृष्णचन्द्र वंद्योपाध्याय ने "हिन्दी बंगवासी" नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। यह पत्र बड़ा लोकप्रिय हो गया।

सन् १८९६ में बंबई से "श्रीवेंकटेश्वर-समाचार" नामक साप्ताहिक पत्र निकला। इससे पूर्व एक-दो पत्र निकले; परन्तु वे चल नहीं सके। श्रीवेंकटेश्वर-समाचार के संपादक सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास थे। यह पत्र आज पर्यन्त निकल रहा है। सन् १८९९ में आगरा से 'राजपूत' पत्र का प्रकाशन आरम्भ हुआ।

सन् १९०० में प्रयाग से "सरस्वती" मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ। पहले दो वर्ष इसके संपादक श्रीश्यामसुन्दर दास रहे। सन् १९०३ से इसका संपादन पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने किया।

सरस्वती के प्रकाशन के साथ हिन्दी के विकास का नवीन इतिहास आरंभ होता है। द्विवेदीजी ने सरस्वती के द्वारा हिन्दी-पत्रकार-कला का ही विकास नहीं किया, वरन् हिन्दी का परिष्कार भी किया। उन्होंने वास्तव में हिन्दी में नये-नये लेखक और कवि पैदा किये तथा हिन्दी पुस्तकों की समालोचना का कार्य भी किया। सरस्वती में साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक लेखों के अतिरिक्त कविता, कहानी, निबंध आदि भी रहते थे। सन् १९०७ में प्रयाग से 'अभ्युदय' का प्रकाशन आरम्भ हुआ। सन् १९०९ में प्रयाग से कर्मयोगी का प्रकाशन आरम्भ हुआ। सन् १९२० में पं० कृष्णकान्त मालवीय ने 'मर्यादा' का प्रकाशन आरम्भ किया। इसमें मुख्यतया राजनीतिक लेख रहते थे। सन् १९१३ में कानपुर से अमर शहीद श्रीगणेशशंकर जी विद्यार्थी के संपादन में 'प्रताप' निकला।

सन् १९१७ में कलकत्ता से श्रीमूलचन्द्रजी बी० ए० ने 'विश्व-मित्र' नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया। हिन्दी में 'विश्वमित्र' ही एकमात्र ऐसा पत्र है, जिसके मासिक, साप्ताहिक व दैनिक संस्करण निकलते हैं। इसके दैनिक संस्करण भी पाँच नगरों से एक साथ निकलते हैं—कलकत्ता, बंबई, पटना, दिल्ली तथा कानपुर। विश्वमित्र वास्तव में लोकप्रिय तथा सफल पत्र है। उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है और संपादन आदि भी योग्यतापूर्वक किया जाता है।

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद से हिन्दी के पत्र-साहित्य में अधिक प्रगति हुई है। दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्र-पत्रिकाओं की संख्या में ही वृद्धि नहीं हुई, वरन् विविधि विषयों पर अलग-अलग पत्रिकाएँ तथा पत्र निकलने लगे।

सन् १९२१ में लखनऊ के प्रसिद्ध नवलकिशोर प्रेस से 'माधुरी' का संपादन आरंभ हुआ। यह पत्रिका आज पर्यन्त निकल रही है।

इसम सभी विषयों पर श्रेष्ठ लेखकों के लेख रहते हैं। किन्तु इसमें साहित्यिक लेखों का प्राधान्य रहता है। सन् १९२७ में लखनऊ से श्री दुलारेलाल भार्गव ने 'सुधा' मासिक पत्रिका निकाली। यह भी बड़ी सुसंपादित पत्रिका थी। इसी समय प्रयाग से 'चाँद' पत्रिका का प्रकाशन निर्भीक पत्रकार श्रीरामरख सिंह सहगल ने किया। आजकल इसका संपादन उनके लघुभ्राता श्रीनन्दगोपाल सिंह सहगल करते हैं।

सन् १९२८ में 'मार्डन रिव्यू' के स्वनामधन्य संपादक स्वर्गीय श्रीरामानन्द चट्टोपाध्याय ने हिन्दी में 'विशाल भारत' नामक पत्र निकाला। इसके प्रथम संपादक हिन्दी के संपादकाचार्य श्री पं० बनारसीदास चतुर्वेदी रहे। कई वर्षों तक इन्होंने बड़ी योग्यता के साथ पत्र का संपादन किया।

सन् १९३० में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचन्द ने काशी से "हंस" नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। प्रेमचन्दजी के जीवन-काल तक हंस भारतीय साहित्य के प्रतिनिधि के रूप में निकलता रहा। इसमें सभी भारतीय-भाषाओं के लेखकों की रचनाओं को नागरी में छापा जाता था। सुप्रसिद्ध गुजराती लेखक श्रीकन्हैयालाल-मुंशी का भी उन्हें सहयोग प्राप्त था। किन्तु श्रीशिवदान सिंह चौहान के संपादन-काल में हंस प्रगतिवाद का अग्रदूत बन गया। अब यह पूर्ण प्रगतिवादी पत्र है।

प्रयाग से "विश्ववाणी" नामक मासिक पत्रिका भी निकलती है। यह पं० सुन्दरलाल की संरक्षकता में निकलती है। इसमें राजनीतिक व सांस्कृतिक सुन्दर लेख रहते हैं।

काशी से "आज" "संसार" नामक दो प्रसिद्ध दैनिक व साप्ताहिक पत्र निकल रहे हैं। 'आज' की परम्परा हिन्दी-पत्र-जगत में गौरव की चीज है। बा० शिवप्रसाद गुप्त की यह पुण्यस्मृति है और श्री बाबूराव पराडकर इसके संपादक हैं। 'संसार' के संपादक श्री कमलापति त्रिपाठी एम० पी० हैं। 'संसार' कार्यालय से "युगधारा" नामक एक उच्चकोटि की राजनीतिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है। इसमें केवल राजनीतिक व अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर ही लेख रहते

हैं। इसी प्रकार का एक दूसरा पत्र है "विश्वदर्शन"। यह भारत-सरकार के प्रकाशन-विभाग की ओर से प्रतिमास प्रकाशित होता है। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर उच्चकोटि के प्रामाणिक लेख रहते हैं। इसके संपादक हैं सुप्रसिद्ध पत्रकार श्रीचन्द्रगुप्त विद्यालंकार। "आजकल" भी इसी विभाग से निकलता है। यह भारतीय संस्कृति एवं साहित्य का सुन्दर पत्र है। श्रीदेवेन्द्र सत्यार्थी, जो ग्राम-गीतों के लिए प्रसिद्धि पा चुके हैं, इसके संपादक हैं।

मध्यप्रदेश की सरकार भी "प्रकाश" नामक एक पत्र प्रकाशित करती है। इसमें सामाजिक शिक्षा पर लेख रहते हैं। इन्दौर की 'वीणा' विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका है, जो उच्च कोटि के लेख प्रकाशित करती है। श्रीपंडित नन्दकिशोरजी तिवारी बिहार के सुप्रसिद्ध पत्रकार हैं और आजकल बिहार-सरकार के प्रकाशन-विभाग के अधिकारी हैं। वह 'बिहार' नामक एक उच्च कोटि की पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं। अकोला (विदर्भ) के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता श्री ब्रिजलालजी वियाणी "प्रवाह" नामक एक सुसंपादित पत्रिका २-३ वर्ष से निकाल रहे हैं। कलकत्ता से "नया समाज" नामक एक मासिक पत्र दो वर्ष से निकल रहा है। इसके संपादक सुप्रसिद्ध पत्र-कार श्रीमोहन सिंह सेंगर हैं। पत्र का संपादन बहुत ही योग्यता के साथ किया जाता है और उसे प्राय: सभी उच्च कोटि के लेखकों का सहयोग प्राप्त है। वह स्वतंत्र विचारों का प्रकाशन निर्भीक रूप में करता है।

'कल्याण' अध्यात्मविषय का अच्छा पत्र है; किन्तु इसकी नीति तथा दृष्टिकोण पौराणिक है। विचारों तथा लेखों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव खटकता है। वैसे पत्र बहुत ही सुन्दर ढंग से निकलता है। 'कल्याण' अपने विशेषांकों के लिए प्रसिद्ध है।

हिन्दी के साप्ताहिक पत्रों में निम्नलिखित विशेषोल्लेखनीय हैं—

कर्मवीर (खण्डवा); सैनिक (आगरा); प्रताप (कानपुर); हरिजन-सेवक (दिल्ली); नवयुग (देलही); वीरअर्जुन (दिल्ली); प्रकाश (पटना); योगी, हुंकार, (पटना)। आज, संसार और

सन्मार्ग तथा सिद्धांत काशी के सुन्दर साप्ताहिक पत्र हैं। दिल्ली का 'हिन्दुस्तान' दैनिक सुसंपादित पत्र है। उसका साप्ताहिक संस्करण अच्छा निकलता है। प्रयाग से "भारत" "संगम" "देशदूत" सुन्दर पत्रों में से हैं। बंबई का 'धर्मयुग' सर्वथा नवीन अवतरण है।

गत युद्ध के बाद से हिन्दी में पुस्तक-पत्र भी निकलने लगे हैं। इनमें हिमालय (पटना); नया साहित्य (बंबई) उल्लेखनीय हैं। हिमालय का सम्पादन सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्रीशिवपूजन सहाय करते थे। इस समय वह बन्द है। नया साहित्य का डा० रामविलास, नरेन्द्र शर्मा, अमृतलाल नागर आदि करते हैं।

हिन्दी में समालोचना-साहित्य का एक ही पत्र है—साहित्य-संदेश। यह आगरा के प्रसिद्ध विद्वान प्रो० गुलाबरायजी एम० ए० द्वारा संपादित है। दूसरा आलोचना-पत्र पटने का 'दृष्टिकोण' है। आलोचना-साहित्य के विकास का अन्दाज या प्रमाण इसी दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। इसके संपादक हैं—प्रो० नलिनविलोचन शर्मा और शिवचन्द्र शर्मा। प्रतीक, नई धारा, ज्योत्स्ना में प्रथम का मान अधिक है। इसकी सामग्रियाँ स्वस्थ होती हैं।

अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन तथा नागरी-प्रचारिणी सभा के क्रमशः— 'सम्मेलन-पत्रिका', 'साहित्य' तथा 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका', विशेष पठनीय सामग्रियों की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण हैं। काशी की 'जनवाणी' वर्धा की 'राष्ट्रभारती' भी इनमें उल्लेख्य हैं।

बाल-पत्रों में बालक, बालविनोद, बालसखा, किशोर, चन्दा-मामा, चुन्नू-मुन्नू आदि प्रसिद्ध हैं। इनमें आदि के चार पुराने पड़ गये हैं। चुन्नू-मुन्नू में बालकों के लिए काफी आकर्षक, पठनीय, मनोरंजक सामग्रियाँ रहती हैं।

भारतीय तथा पूर्वी समाचार-पत्र-समिति

सन् १९३९ में भारतीय तथा पूर्वी समाचार-पत्र-समिति (ndian and Eastern news papers society) की स्थापना की गई। इस समिति के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं—

(१) भारत, बर्मा तथा लंका के समाचार-पत्रों के लिए एक केन्द्रीय संघटन के रूप में कार्य करना।

(२) समाचार-पत्रों के व्यावसायिक हितों का रक्षण और अभिवृद्धि जहाँ तक विधान-मण्डल, सरकारों तथा न्यायालयों आदि के कार्यों से इनका संबंध है।

(३) समाचार-पत्र-संबंधी सूचनाएँ प्राप्त करना और उन्हें सदस्यों के लिए भेजना।

(४) सदस्यों के सामान्य हित के मामलों में सहयोग-पूर्वक कार्य करना।

(५) सदस्यों के कर्तव्यों के विषय में नियम बनाना तथा नियमों के उल्लंघन करने पर अनुशासन की व्यवस्था के संबंध में नियम बनाना।

(६) भारत में इस समिति के कार्य-संचालन के लिए एक स्थायी सचिवालय स्थापित करना।

समिति के पदाधिकारी

सन् १९५० के लिए उसके ११ वें अधिवेशन में निम्नलिखित पदाधिकारी निर्वाचित किये गये—

अध्यक्ष—श्री एम० एन० कामा (बंबई क्रानिकल); उपाध्यक्ष—श्रीरामनाथ गोयनका (इंडियन एक्सप्रेस); उपाध्यक्ष—श्रीसुरेशचन्द्र मजूमदार (हिन्दुस्थान स्टैंडर्ड); अवैतनिक कोषाध्यक्ष—जे० के० कोडले (स्टेट्समैन)। कार्य-समिति के सदस्य—

श्रीदेशबंधु दास (तेज); श्रीकस्तूरी श्रीनिवासन् (हिन्दू); श्रीतुषारकान्ति घोष (अमृतबाजारपत्रिका); श्रीदेवदास गाँधी (हिन्दुस्तान टाइम्स); श्री डब्ल्यू० जे० डब्ल्यू० वाकर (स्टेट्समैन); श्रीनिवासन् (स्वदेशमित्रम्); श्री एस० सदानन्द (फ्री प्रेस जरनल); श्री हेलेस (मेल); श्री पी० एन० मेहता (टाइम्स आफ इंडिया); श्री ए० डी० मणि (हितवाद); श्री फीरोज गाँधी (नेशनल हैराल्ड)।

अखिलभारतीय पत्र-संपादक-सम्मेलन

सन् १९४० में श्री के० श्रीनिवासन् (संपादक—'हिन्दू', मद्रास) ने एक संपादक-सम्मेलन भारत-रक्षा-कानून पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया। यह सम्मेलन दिल्ली में हुआ। और इस प्रकार पत्र-संपादक-सम्मेलन भारतीय पत्र-संपादकों का एक संघटन बन गया। अगली बैठक में इसका विधान स्वीकार किया गया। विधान के अनुसार इस सम्मेलन के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं—

(१) पत्रकार-कला के उच्च स्तर तथा आदर्श की रक्षा करना।

(२) समाचारों के प्रकाशन तथा उचित टीका करने के संबंध में समाचार-पत्रों के हितों की रक्षा करना।

(३) समाचार-पत्रों को अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए सब प्रकार की सुविधाएँ तथा विशेषाधिकार प्राप्त करना।

(४) सरकारी कार्यों तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों के संबंध में समाचार-पत्रों का प्रतिनिधित्व करना।

(५) अन्य देशों की समाचार-पत्र-संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करना।

इस सम्मेलन की एक स्थायी समिति है, जिसमें समस्त भारत के समाचार-पत्र-संपादकों के प्रतिनिधि हैं। इसके अधिवेशन समय-समय पर होते रहते हैं।

प्रत्येक राज्य में राज्य की समाचार-पत्र-मंत्रणा-समिति है। इसमें पत्र-संपादक-प्रतिनिधि हैं और सरकार के भी सदस्य होते हैं। यह समिति पत्रों में समाचार-प्रकाशन आदि के संबंध में सरकारी प्रतिबंधों पर विचार करती है। किसी समाचार-पत्र पर प्रतिबंध लगाये जाने से पूर्व उसपर यह समिति विचार कर उचित मंत्रणा देती है।

समाचार-पत्र-कानून-समि त

जब युद्ध समाप्त हो गया तब समाचार-पत्रों की ओर से यह माँग की गई कि भारत में समाचार-पत्र-संबंधी कानूनों में संशोधन

करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाय। अत: १५ मार्च, १९४७ को समाचार-पत्र-कानूनों में संशोधन करने के विचारार्थ भारत-सरकार ने एक समिति नियुक्त की। इस समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं—

रायबहादुर गंगानाथ (अध्यक्ष); नवाबजादा खुरशीद अली खाँ; रायबहादुर श्री नृसिंह मेहता; श्री श्रीप्रकाश (भारत सरकार के, अनुसंधान तथा प्राकृतिक साधन-विभाग वर्त्तमान मन्त्री); दीवान चमनलाल; श्री सिद्दीक अली खाँ; श्री के० श्रीनिवासन्; श्री एस० ए० ब्रेल्वी; श्री तुषारकान्ति घोष; जी० वी० वेदेकर (मंत्री)।

राज्य की सरकारों, समाचार-पत्र-संस्थाओं तथा संपादकों के वक्तव्य आदि प्राप्त किये गये। राज्य की सरकारें यह चाहती थीं कि समाचार-पत्रों पर जैसा इस समय नियंत्रण है, उससे भी कठोर रहे। समाचार-पत्रों की संस्थाओं ने अनेक प्रतिबंधों को हटा देने व कानूनों के संशोधन करने के लिए सलाह दी। अखिल भारतीय पत्र-संपादक-सम्मेलन ने, जो पत्र-संपादकों की प्रामाणिक संस्था है, अपनी जो माँगें पेश कीं, उनका सारांश निम्न प्रकार है—

पोस्ट आफिस-कानून, दण्ड-विधि-संहिता, समुद्री कस्टम कानून में जो धाराएँ समाचार-पत्रों से संबंध रखती हैं, वे ज्यों-की-त्यों रहने दी जायँ। टेलीग्राफ-कानून में संशोधन ऐसा हो जाय कि समाचार-पत्रों में प्रकाशनार्थ संवादों के भेजने में कोई प्रतिबंध न हो; धारा १२४-अ (राजद्रोह) के संबंध में जो मुकद्दमा हो, उसमें पंचों (Jury) के निर्णय की व्यवस्था हो; धारा १५३-अ के मामलों पर शीघ्र विचार किया जाय और बाहर के लोगों को न्यायालय में प्रवेश न होने दिया जाय; धारा १४४ (दण्ड-विधि-संहिता) का प्रयोग किसी संपादक को समाचार छापने से रोकने में न किया जाय। न्यायालय के मानहानि-संबंधी कानून में भी संशोधन कर दिया जाय जिससे न्यायालय की कार्यवाही का सच्चा विवरण समाचार-पत्रों में छप सके। इसी प्रकार विधान-मण्डल तथा संसद् की कार्यवाही

भी समाचार-पत्रों में छापी जा सके। इनके संबंध में कोई प्रतिबंध न हो। प्रान्तीय सार्वजनिक व्यवस्था-सुरक्षा-कानूनों द्वारा जो अनेक प्रकार के अपमानजनक प्रतिबंध लगाये गये हैं, उन्हें हटा दिया जाय। सन् १६२२ के इंडियन स्टेट्स ऐक्ट, सन् १६३४ के प्रिसेंज प्रोटेक्सन ऐक्ट, तथा सन् १६३२ के फौरेन रिलेसन्स ऐक्ट को रद्द कर दिया जाय। अन्त में यह भी माँग की गई कि समाचारपत्रों की स्वतंत्रता के लिए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में व्यवस्था हो।

समिति की रिपोर्ट

१६ अगस्त, १६४८ को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। इस समिति की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं–

(१) सन् १८३१ के भारतीय प्रेस (संकटकालीन सत्ता) कानून को रद्द कर दिया जाय। इसकी कुछ धाराओं को इस संबंधी कानून में स्थान दिया जाय।

(२) पत्र-संपादकों को धारा १४४ (दण्डविधि-संहिता) से मुक्त कर दिया जाय।

(३) भारतीय दण्डविधान की धारा १२४-अ में संशोधन इस आशय का कर दिया जाय कि सरकार के विरुद्ध हिंसा करने की उत्तेजना को राजद्रोह माना जाय।

(४) धारा १५३–अ में (भारतीय दण्डविधान), जिसमें वर्गों के बीच वैमनस्य बढ़ाने को अपराध माना गया है, यह जोड़ दिया जाय कि इस धारा के अन्तर्गत सामाजिक या आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन का समर्थन अपराध नहीं माना जायगा, यदि उसमें हिंसा के लिए उत्तेजन नहीं है।

(५) भारतीय पोस्ट आफिस-ऐक्ट तथा टेलीग्राफ-ऐक्ट में यह संशोधन कर दिया जाय कि अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही या आदेशों की सूचना उत्तरदायी राज्य-मंत्री को दी जायगी और वह उसपर पुनर्विचार करेंगे।

(६) भारतीय देशी राज्यों के रक्षा-संबंधी सन् १६२८ तथा १६३४ के कानूनों को रद्द कर दिया जाय।

(७) सन् १९३२ के विदेशी-संबंध-कानून को रद्द कर उसकी जगह नया कानून बनाया जाय जिससे विदेशी राज्यों के प्रमुखों तथा कूटनीतिक प्रतिनिधियों की मानहानि से रक्षा हो सके।

(८) किसी समाचार-पत्र के विरुद्ध किसी संकटकालीन व्यवस्था के अधीन कार्रवाई करने से पहले आवश्यक रूप से प्रेस-मंत्रणा-समिति से परामर्श करना चाहिए।

दीवान चमनलाल और श्री तुषारकान्ति घोष ने अपने मतभेद-सूचक विचार प्रकट किये। दीवान चमनलाल ने अपना यह विचार प्रकट किया है कि समाचार-पत्रों पर पूँजीपतियों द्वारा एकाधिपत्य को रोकने के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए।

प्रेस ट्रस्ट इण्डिया और रायटर

भारत में समाचार-संग्रह तथा वितरण करनेवाली कोई भारतीय संस्था नहीं थी। इस अभाव की पूर्ति के लिए प्रेस ट्रस्ट इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। १ फरवरी, १९४९ को रायटर कंपनी की भारतीय शाखा असोसियेटेड प्रेस आफ इंडिया लिमिटेड, प्रेस ट्रस्ट-इंडिया लि० को सौंप दी गई। प्रेस ट्रस्ट रायटर-कंपनी में साझीदार बन गया है। रायटर-कंपनी में प्रेस ट्रस्ट इंडिया का एक ट्रस्टी तथा एक डायरेक्टर है।

अब भारत में प्रेस ट्रस्ट इंडिया समाचार संग्रह करता है और उनका वितरण भी वही करता है।

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारी निम्नप्रकार हैं–

अध्यक्ष–श्री कस्तूरी श्रीनिवासन् (हिन्दू)।

रायटर-कंपनी में ट्रस्ट के ट्रस्टी–श्री सी० आर० श्रीनिवासन्।

रायटर-कंपनी के बोर्ड में डायरेक्टर–श्री देवदास गाँधी।

दूसरे डायरेक्टर–श्री रामनाथ गोयनका।

भारतीय संवाद-एजेंसी

१. एसोशियेटेड प्रेस आफ इंडिया : संपादक तथा डायरेक्टर सर उषानाथ सेन।

२. युनाइटेड प्रेस आफ इंडिया : मैनेजिंग डायरेक्टर श्री वी० सन गुप्त।

३. ओरियण्ट प्रेस आफ इंडिया ; फ्री प्रेस एजेंसी।

विदेशी संवाद एजेंसियाँ

१. प्रेस ट्रस्ट इंडिया—रायटर

२. ऐसोसियेटेड प्रेस आफ अमेरिका।

३. युनाइटेड प्रेस आफ अमेरिका

४. तास न्यूज एजसी (रूस)।

५. सेन्ट्रल न्यूज एजेंसी।

६. ग्लोब एजेंसी लिमिटेड।

भारत में विदेशी सूचना-कार्यालय

१. ब्रिटिश इन्फारमेसन सर्विस, इस्टर्न हाउस, मानसिंह रोड, नई दिल्ली।

२. कामर्शियल सेक्रेटरी, आस्ट्रेलिया आफिस, कनाट पैलेस, नई दिल्ली।

३. पब्लिक रिलेसन्स आफिसर, यू० एस० ए०, इन्फारमेसन सर्विस, यू० एस० आई० एस० ५४ क्वीन्सवे, नई दिल्ली।

४. पब्लिक रिलेसन्स आफिस, चीनी एम्बेसी, नई दिल्ली।

५. तास न्यूज एजेंसी, ५ दरियागंज, देहली।

अध्याय २१

भारत की राजनीतिक संस्थाएँ

१—भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस समस्त भारत की सबसे पुरानी तथा सबसे महान् राष्ट्रीय संस्था है। सन् १८८५ में बंबई में श्री एलेन आक्टौवेमन ह्यम, अवकाश-प्राप्त इंडियन सिविल सर्विस के सदस्य ने भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की।

काँग्रेस के वर्तमन पदाधिकारी—

अध्यक्ष—राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन।

प्रधान मंत्री—सर्वश्री मोहनलाल गौतम तथा काला वेंकटराव।

अर्थ मंत्री—कुमारी मणिबेन पटेल।

कार्य-समिति के अन्य सदस्य—पं० जवारलाल नेहरू, श्री सी० राजगोपालाचार्य, पं० गोविन्दवल्लभ पंत, श्री कामराज नादर, श्री एन० जी० रंगा, श्री सिद्धनाथ शर्मा, श्री बी० एस० हिरे, श्री गोविन्द लाल असवा, श्री कालावेंकट राव, मौलाना अबुल आजाद, श्री जगजीवन राम, श्री एस० के० पाटिल, सरदार प्रताप सिंह कैरन, श्री अतुल घोष, श्री लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु', सेठ गोविन्ददास, श्रीमती पुष्पावती मेहता।

काँग्रेस पार्लमेंटरी बोर्ड के सदस्य—राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, पं० द्वारका प्रसाद मिश्र, डा० राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्री काला वेंकट राव तथा श्री निजालिंगप्पा।

ठिकाना—भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस-कार्य्यालय का—अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी, ७, जंतर-मंतर रोड, दिल्ली।

प्रादेशिक काँग्रेस-समितियाँ और उनके अध्यक्ष

समस्त भारत में २३ प्रादेशिक समितियाँ हैं; जिनके नाम तथा उनके अध्यक्षों के नाम निम्न प्रकार हैं—

१ अजमर काँग्रस समिति	अध्यक्ष	श्री बालकृष्ण गर्ग।
२ आन्ध्र	"	"	श्री एन० जी० रंगा।
३ आसाम	"	"	श्री सिद्धिनाथ शर्मा।
४ बंगाल	"	"	श्री अतुल्य घोष ।
५ बिहार	"	"	श्री लक्ष्मीनारायण सिंह 'सुधांशु' ।
६ बंबई	"	"	श्री एस० के० पाटिल।
७ देहली	"	"	श्री राधारमण ।
८ गुजरात	"	"	श्री कन्हैयालाल नानाभाई देसाई।
९ कर्नाटिक	"	"	श्री एस० निजालिंगप्पा।
१० केरल	"	"	श्री के० संकु पिल्लाई।
११ महाकोशल	"	"	श्री सेठ गोविन्ददास ।
१२ महाराष्ट्र	"	"	श्री वी० एस० हिरे ।
१३ नागपुर	"	"	श्री एम० एस० कन्नामवार ।
१४ पंजाब	"	"	श्री सरदार प्रताप सिंह कैरन ।
१५ तामिलनाड	"	"	श्री के० कामराज नादर।
१६ उत्कल	"	"	श्री विश्वनाथ दास।
१७ उत्तरप्रदेश	"	"	श्री आचार्य युगल किशोर।
१८ हिमाचल प्रदेश	"	"	श्री पद्मदेव ।
१९ मध्यभारत	"	"	श्री नन्दलाल जोशी।
२० राजस्थान	"	"	श्री जयनारायण व्यास।
२१ विदर्भ	"	"	श्री गोपालराव खाड़कर।
२२ विन्ध्यप्रदेश	"	"	श्री शंभुनाथ शुक्ल।
२३ मैसूर	"	"	श्री के० हनुमंथिया।
२४ पेप्सू	"	"	श्री बृषभान ।

काँग्रेस का नया विधान

सन् १९४८ में काँग्रेस का नया विधान स्वीकार किया गया, जिसका सारांश निम्न प्रकार है–

धारा १– उद्देश्य :

"भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य भारत की जनता का कल्याण तथा विकास है और भारत में शान्तिमय साधनों द्वारा एक सहकारी राष्ट्रमंडल (Co-operative Common Wealth) की स्थापना है जो समानता के सुयोग तथा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों की समानता पर आधारित होगा और जिसका लक्ष्य विश्वशान्ति एवं विश्वबन्धुत्व होगा।"

धारा २– संघटन :

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

(१) धारा ४ के अन्तर्गत प्राथमिक सदस्य।

(२) ग्रामों की प्राथमिक काँग्रेस-पंचायतें तथा नगर के वार्ड की समितियाँ।

(३) जिला-काँग्रेस-समितियाँ।

(४) प्रदेश कांग्रेस-समितियाँ।

(५) अखिलभारतीय काँग्रेस-महा-समिति।

(६) काँग्रेस-कार्य-समिति।

(७) अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी या कार्य-समिति द्वारा निर्मित, सम्बद्ध अथवा स्वीकृत संघटन या संघ।

धारा ३—प्रादेशिक समितियाँ :

इनका उल्लेख ऊपर हो चुका है।

धारा ४–सदस्यता—काँग्रेस के सदस्य तीन प्रकार के होते हैं–

(१) प्रारंभिक सदस्य–प्रत्येक स्त्री-पुरुष, जिसकी आयु १८ वर्ष या अधिक की है और जो काँग्रेस के उद्देश्य में विश्वास करता है, वह लिखित प्रतिज्ञापत्र को भरकर तथा एक रुपया वार्षिक शुल्क देने पर प्रारंभिक सदस्य बन सकता है।

(२) क्रियाशील सदस्य—यदि साधारण सदस्य निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे, तो वह क्रियाशील सदस्य बन जायगा और उसका चुनाव प्राथमिक काँग्रेस-पंचायत में हो सकेगा।

"उसकी उम्र २१ वर्ष या इस से अधिक है। वह सदैव प्रामाणिक खादी को धारण करता है, जो हाथ से कती-बुनी होगी

और मादक द्रव्य का सेवन नहीं करता है। वह किसी भी रूप में अस्पृश्यता को स्वीकार नहीं करता है। वह अन्तर्जातीय एकता में विश्वास करता है और दूसरे धर्मों के लिए आदरभाव रखता है। वह अपना कुछ समय नियमित रूप से किसी राष्ट्रीय या सामाजिक सेवा में या समय-समय पर काँग्रेस द्वारा निर्धारित किसी रचनात्मक कार्य में लगता है।

किन्तु शर्त यह है कि वह अन्य किसी राजनीतिक संस्था का सदस्य न हो, जिसका विधान तथा कार्यक्रम दूसरा हो।

धारा ५—कार्य-काल—

सामान्य तथा प्रत्येक काँग्रेस कमिटी, उसके पदाधिकारियों एवं कार्य-समिति के कार्य-काल की अवधि दो वर्ष होगी।

धारा ७—मतदाताओं तथा उमीदवारों की योग्यता—

(१) प्रत्येक प्रारंभिक सदस्य, जिसका नाम कम-से-कम दो वर्ष तक प्रारंभिक सदस्यों की पंजिका में दर्ज रह चुका हो और निर्धारित समय के अन्दर ही सूची में दर्ज हो गया हो, धारा ८ के अनुसार डेलिगेटों के चुनाव में मत देने का अधिकारी होगा।

(२) उमीदवार—किसी ग्राम या मुहल्ला काँग्रेस कमिटी से ऊपर किसी काँग्रेस कमिटी के चुनाव के लिए सिर्फ क्रियाशील सदस्य को ही वतौर डेलीगेट या सदस्य खड़ा होने का अधिकार होगा।

धारा ८—डेलीगेटों का चुनाव—

(१) प्रत्येक प्रदेश काँग्रेस के लिए १ लाख जनता के पीछे १ डेलीगेट चुनकर भेज सकेगा।

(२) अखिल भारतीय काँग्रेस-महासमिति के वे सदस्य जो सम्बद्ध संस्थाओं में से लिये गये हैं और प्रत्येक प्रादेशिक काँग्रेस-समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष काँग्रेस के डेलीगेट घोषित किये जायँगे।

धारा ९—अखिलभारतीय काँग्रेस-महासमिति का निर्वाचन—

(१) प्रत्येक प्रदेश में डेलीगेट अपने में से एक अष्टमांश को प्रदेश की ओर से महासमिति में प्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे।

(२) यह निर्वाचन आनुपातिक पद्धति के अनुसार होगा।

धारा ११—प्रदेश काँग्रेस-समिति—

प्रत्येक प्रदेश काँग्रेस-समिति उस प्रदेश के समस्त निर्वाचित और पदेन डेलीगेटों से मिलकर बनेगी, पर शर्त यह होगी कि वे प्रदेश काँग्रेस-समिति को पाँच रुपये प्रति वर्ष देंगे।

प्रत्येक प्रादेशिक काँग्रेस-समिति अपने प्रदेश की काँग्रेस-समितियों का निरीक्षण आदि करेगी और वह अपने कार्य-संचालन के लिए विधान बनायेगी, जो इस विधान के प्रतिकूल नहीं होगा।

यदि किसी प्रदेश की प्रादेशिक काँग्रेस-समिति कार्य नहीं करेगी, तो काँग्रेस कार्य-समिति उसे भंग कर देगी और कार्य संचालन के लिए एक समिति बना देगी।

धारा १२—अखिल भारतीय काँग्रेस-महासमिति—

अखिलभारतीय काँग्रेस-महा-समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(१) काँग्रेस-अधिवेशन का अध्यक्ष।

(२) धारा ६ के अधीन निर्वाचित सदस्य।

(३) काँग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष।

(४) काँग्रेस से सम्बद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधि।

महासमिति को काँग्रेस के कार्य-संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। ये नियम सब काँग्रेस-समितियों को मान्य होंगे। नव-निर्वाचित काँग्रेस-अध्यक्ष ही इस महासमिति का सभापति होता है।

महासमिति के अधिवेशन समय-समय पर कार्यसमिति के निश्चयानुसार होते हैं। ५० सदस्यों की प्रार्थना पर भी अधिवेशन हो सकता है।

७० सदस्यों का या कुल सदस्यों के पंचमांश का, दोनों में से जो कम हो, कोरम होता है।

धारा १३—विषय-समिति :

काँग्रेस का अधिवेशन आरम्भ होने से दो दिन पूर्व विषय-समिति की बैठक होती हैं; इसमें कार्य-समिति प्रस्तावों को पेश करती है और सदस्य भी अपने प्रस्ताव रखते हैं। यहाँ जो प्रस्ताव स्वीकार

हो जाते हैं, वे काँग्रेस-अधिवेशन में रखे जाते हैं। अखिल भारतीय काँग्रेस-महासमिति ही विषय-समिति का रूप धारण कर लेती है।

धारा १४—काँग्रेस-अधिवेशन :

काँग्रेस का अधिवेशन नियत स्थान व दिनांक पर होता है; जिसका निश्चय काँग्रेस-महासमिति या कार्य-समिति करती है।

जिस प्रदेश में अधिवेशन होता है, वहाँ की प्रदेश काँग्रेस-समिति एक स्वागत-समिति का निर्माण करती है। यह स्वागत-समिति अधिवेशन का प्रबंध करती है।

धारा १६– अध्यक्ष का निर्वाचन :

(१) कोई भी १० डेलीगेट मिलकर किसी डेलीगेट का नाम काँग्रेस-अध्यक्षपद के लिए प्रस्ताव कर सकते हैं।

(२) काँग्रेस-प्रधान-मंत्री इन सब उम्मीदवारों के नाम प्रकाशित करता है। नाम प्रकाशित होने के सात दिन के भीतर कोई भी अपना नाम वापस ले सकता है।

(३) काँग्रेस-समिति द्वारा नियत दिनांक को प्रतिनिधि अध्यक्ष का चुनाव करते हैं।

(४) प्रधानमंत्री चुनाव का परिणाम घोषित करता है।

धारा १७—काँग्रेस-कार्य-समिति :

काँग्रेस-कार्य-समिति में काँग्रेस-अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा अन्य १८ सदस्य होते हैं। इनमें एक या एक से अधिक प्रधान मंत्री भी सम्मिलित हैं। अखिल-भारतीय काँग्रेसमहासमिति के सदस्यों में से अध्यक्ष कार्य-समिति के सदस्य मनोनीत करता है। कार्य-समिति में ऐसे काँग्रेस -सदस्य भी लिये जा सकते हैं जो केन्द्र या प्रदेश की सरकार के मंत्री हैं, किन्तु ऐसे सदस्य कार्य-समिति के कुल सदस्यों की संख्या के $\frac{१}{३}$ से अधिक नहीं होंगे। कार्य-समिति की किसी बैठक के लिए पाँच का कोरम होगा।

कार्य-समिति काँग्रेस की सर्वोपरि कार्य-पालिका संस्था है और इस रूप में वह काँग्रेस-महासमिति तथा काँग्रेस की नीति व कार्यक्रम

को काय-रूप में परिणत करती है और वह महासमितिके प्रति उतर-दायी है।

काँग्रेस-कार्य-समिति के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं——

(१) नियमादि बनाना, जो महासमिति की स्वीकृति के बाद कार्यरूप में परिणत होते हैं।

(२) काँग्रेस-समितियों के लिए आदेश जारी करना।

(३) समस्त काँग्रेस-समितियों का निरीक्षण तथा नियमन।

(४) किसी काँग्रेस-समिति या व्यक्ति के विरुद्ध दुराचरण, तथा कर्त्तव्यपालन न करने पर अनुशासन की कार्यवाही करना।

(५) काँग्रेस-महासमिति के वार्षिक आय-व्यय का निरीक्षक द्वारा निरीक्षण कराना।

धारा १६—प्रधान मंत्री :

काँग्रेस के प्रधान मंत्री अखिल भारतीय काँग्रेस-महासमिति के कार्यालय की व्यवस्था करेंगे। वे काँग्रेस-अधिवेशन में पेश करने के लिए रिपोर्ट तैयार करेंगे।

धारा २०——प्रमाण-पत्र-समिति :

काँग्रेस कार्य-समिति कम-से-कम तीन और ज्यादा-से-ज्यादा पाँच सदस्यों की एक प्रमाण-समिति नियुक्त करेगी। प्रदेश काँग्रेस-समिति भी अपनी प्रथम बैठक में ३/४ के बहुमत से तीन या पाँच सदस्यों की प्रमाण-समिति (credentials committee) नियुक्त करेगी। इसी प्रकार प्रत्येक जिला-काँग्रेस-समिति अपनी बैठक में ३ सदस्यों का एक मण्डल चुनेगी। ये नाम प्रांतीय (प्रादेशिक) प्रमाण-समिति को भेज दिये जायँगे। तब वह प्रत्येक जिले के लिए प्रमाण-पत्र-समिति नियुक्त करेगी। क्रियाशील काँग्रेस-सदस्यों की सदस्यता के संबंध में जो मामले होंगे उनपर यह विचार करेगी।

धारा २२—न्यायाधिकरण :

कार्य-समिति कम-से-कम तीन या अधिक-स-अधिक पाँच सदस्यों का एक केन्द्रीय चुनाव-अदालत नियुक्त करेगी। इसी प्रकार

प्रत्यक प्रदेश काँग्रेस-समिति भी अपनी प्रथम बठक म तीन चौथाई के बहुमत से ३ या ५ सदस्यों का एक न्यायाधिकरण (Tribunal) नियुक्त करेगी। प्रत्येक जिला-समिति ३ नाम चुनकर प्रादेशिक न्यायाधिकरण के पास भेज देगी और फिर प्रादेशिक न्यायाधिकरण प्रत्येक जिले के लिए न्यायाधिकरण नियुक्त करेगा। यह न्यायाधिकरण चुनाव-संबंधी मामलों के संबंध में निर्णय करेगा। किन्तु न्यायाधिकरण का कोई भी सदस्य अपने कार्य-काल में किसी निर्वाचन में भाग नहीं लेगा।

धारा२७–पार्लमैंटरी बोर्ड :

काँग्रेस-कार्य-समिति एक पार्लमैंटरी बोर्ड नियुक्त करेगा जिसमें काँग्रेस-अध्यक्ष के अतिरिक्त ५ अन्य सदस्य होंगे। यह बोर्ड काँग्रेस-विधान-मण्डलीय दलों की वैधानिक प्रवृत्तियों का नियमन करेगा और इस संबंध में नियमादि बनायेगा। काँग्रेस-अध्यक्ष इसका सभापति होगा.

इसके अतिरिक्त एक "केन्द्रीय निर्वाचन-समिति" भी होगी। इसमें पार्लमैंटरी बोर्ड के सदस्यों के अतिरिक्त पाँच और सदस्य होंगे, जो काँग्रेस-महासमिति द्वारा चुने जायँगे। इस निर्वाचन-समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे–

(१) निर्वाचनों के नियमन तथा प्रबंध की व्यवस्था।

(२) प्रादेशिक विधान-सभाओं तथा केन्द्रीय संसद् के लिए उम्मीदवारों का अन्तिम रूप से चुनाव।

प्रादेशिक निर्वाचन-समितियाँ प्रादेशिक काँग्रेस-समितियों द्वारा चुनी जायँगी। ये समितियाँ प्रादेशिक विधानमण्डलों तथा संसद् के लिए उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करेंगी। अन्तिम निर्णय केन्द्रीय निर्वाचन-समिति द्वारा होगा, जो अपील आदि सुनेगी तथा आक्षेपों को भी सुनगी और अन्त में अपना निर्णय देगी।

धारा २८—संशोधन :

विधान में संशोधन काँग्रेस-अधिवेशन में ही हो सकेगा। किन्तु

यदि अनुमति दे दी गई हो तो अखिल भारतीय कांग्रेस-महासमिति भी संशोधन कर सकेगी।

क्रियाशील सदस्यता का प्रतिज्ञा-पत्र

क्रियाशील सदस्यों को निम्नलिखित आशय के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता है—

मैं भारतीय राष्ट्रीय-काँग्रेस का क्रियाशील सदस्य बनना चाहता हूँ और घोषणा करता हूँ कि—

१. मेरी उम्र......वर्ष है। २. मैं आदतन हाथ-कती एवं हाथ-बुनी खादी पहननेवाला हूँ। ३. मैं मादक-द्रव्यों का सेवन न करने वाला हूँ। ४. मैं किसी भी शक्ल-सूरत की अस्पृश्यता को न तो करता हूँ और न उसे मान्यता ही देता हूँ। ५. जात-पात, बिरादरी, धर्म और लिंग के भेदभाव के बगैर सब को अवसर और पद को समानता दिये जाने में मेरा विश्वास है। ६. अन्तर्जातीय ऐक्य में मेरा विश्वास है और अन्य धर्मों के प्रति मैं सम्मान की भावना रखता हूँ। ७. ......मैं नियमित रूप से अपना कुछ समय नीचे लिखी राष्ट्रीय, जातीय अथवा सामाजिक सेवा में या नीचे लिखे काँग्रेस द्वारा निर्दिष्ट रचनात्मक कार्य में लगाता हूँ।

मैं किसी ऐसे अन्य राजनीतिक, सांप्रदायिक अथवा किसी और दल का सदस्य नहीं हूँ जिसकी पृथक् सदस्यता, पृथक विधान एवं पृथक् कार्य-क्रम हो। मैं कम-से-कम लगातार दो वर्षों से प्रारंभिक सदस्य हूँ।

नासिक-काँग्रेस :— नासिक में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का ५६ वाँ अधिवेशन २१ और २२ सितम्बर १९५० को हुआ। उत्तर-प्रदेश के श्री पुरुषोत्तमदास टंडन इस वर्ष के लिए सभापति चुने गये। उनके अलावा और दो उम्मीदवार थे—आचार्य कृपलानी और श्री शंकरराव देव। श्री पुरुषोत्तमदास टंडन को १३०६, आचार्य कृपलानी को १०९२ और श्री शंकरराव देव को २०२ वोट मिले।

३६०० में से लगलभ २६०० प्रतिनिधियों ने अधिवेशन में भाग लिया और अनुमानतः १०००० आदमी दर्शक की हैसियत से उपस्थित थे।

सभापति-पद से भाषण देते हुए श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ने साम्प्रदायिकता की निन्दा की और कहा कि सारी दुनिया साम्प्रदायिकता से ऊपर उठ रही है। सभी देशभक्तों को चाहिए कि इस खतरे के प्रति जागरूक रहे और देश को इस जहर से बचाये। आपने आशा प्रकट करते हुए कहा कि वह दिन भी आयगा, जब दुनिया की प्रगतिशील शक्तियाँ पाकिस्तान को भी साम्प्रदायिकता से ऊपर उठने के लिए मजबूर करेंगी। तब मनोवैज्ञानिक आकर्षण के कारण दोनों देश एक दूसरे के निकट हो जायँगे और दोनों देशों में कोई भी अपने जान-माल को सुरक्षित पायगा।

श्री टंडन ने ८ अप्रीलवाले भारत-पाकिस्तान समझौते पर कुछ खास न कहकर सिर्फ यही कहा कि हमारी सरकार ने पाकिस्तान से कई समझौते किये हैं; लेकिन उनसे समस्याएँ सुलझती दिखा[ई] नहीं देतीं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ हमें कुछ औ[र] दृढ़ता से पेश आना चाहिए।

श्री टंडन ने शरणार्थी के पुनर्वास की समस्या पर बोलते कहा कि राष्ट्र द्वारा अपनाई गई नीति के कारण समाज के एक हि[स्से] ने तबाही और बरबादी उठाई है। इसलिए यह राष्ट्र का कर्तव्य [हो] जाता है कि उनकी तकलीफें दूर करे। यह हमारी सामूहिक जिम्[मे]वारी हो जाती है।

सभापति ने भारत-सरकार की तटस्थ वैदेशिक नीति [का] समर्थन तो किया; पर साथ-ही-साथ यह भी कहा कि यह असं[भव] नहीं कि भविष्य में देश की सुरक्षा के लिए किसी एक शक्तिगुट [के] साथ अधिक निकट संपर्क स्थापित करने के प्रश्न पर हमें सोचना पड़े। हमारा देश एशिया महादेश में एक विशेष स्थान रखता है। पश्चिम के शोषकों से इसे मुक्त करने की जिम्मेवारी हमारी है।

साथ ही एशिया में शाँति कायम रखने की जिम्मेवारी में भी हमें बहुत पार्ट अदा करना है।

हिन्दी के राष्ट्रभाषा स्वीकृत हो जाने पर श्री टंडन ने संतोष प्रकट किया तथा १५ वर्षों तक अँगरेजी को ही माध्यम रखने की व्यावहारिकता देखी; लेकिन साथ-ही-साथ उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि निश्चित अवधि से पहले हिन्दी को माध्यम बनाने के काम में लोग निस्वार्थ सेवा के भाव से लग जायँगे।

काश्मीर की समस्या पर आपने स्पष्ट ही कहा कि भारत सरकार की सेना काश्मीर से पाकिस्तानी फौज को निकाल सकती थी; लेकिन संयुक्तराष्ट्रसंघ की इज्जत बढ़ाने के लिए उसने मामला उसके सामने पेश किया। पर संयुक्तराष्ट्रसंघ निष्पक्ष भाव से पेश नहीं आ रहा है। श्री टंडन ने केन्द्रीय सरकार को विश्वास दिलाया कि काश्मीर को पाकिस्तानियों के चंगुल से छुड़ाने और शेख अब्दुल्ला की सरकार के हाथों पूरे काश्मीर का अनुशासन देने के काम में काँग्रेस तथा भारत की जनता उसका हर तरह से साथ देगी।

नासिक-कांग्रेस के प्रमुख प्रस्ताव

नासिक-अधिवेशन में नौ प्रस्ताव पेश हुए। वैदेशिक नीतिवाले प्रस्ताव द्वारा पंडित नेहरू की नीति का समर्थन किया गया। काँग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा धर्मनिरपेक्षता पर फिर से जोर दिया। पंडित नेहरू ने काँग्रेस की चुनाव-मशीनरी के सुधार के संबंध में जो सुझाव पेश किये उनपर गौर किया गया और शरणार्थियों, आर्थिक नीति इत्यादि विषयों पर प्रस्ताव पास हुए। धर्मनिरपेक्षता-वाले प्रथम प्रस्ताव पर बहस के सिलसिले में पं० नेहरू का ४५ मिनट का भाषण हुआ। उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर भी अपने विचार प्रकट किये।

प्रमुख प्रस्तावों के सारांश

धर्मनिरपेक्षता तथा भारत-पाकिस्तान-संबंध — जयपुर-काँग्रेस ने साम्प्रदायिकता के खतरे की ओर विशेष ध्यान आकृष्ट किया था

तथा उसने जनता से इस बात की जोरदार अपील की थी कि वह सभी किस्म के भेदवादी और साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों को नष्ट करने की जी-जान से कोशिश करे। इनसे देश का काफी नुकशान हो चुका है और देश की आजादी ही खतरे में पड़ गई है। राष्ट्रविरोधी और सामाजिक दृष्टि से प्रतिगामी शक्तियाँ देश में काम कर रही हैं और प्रगति के पथ में रोड़े अटका रही हैं।

देश के विभाजन से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर काफी गहरा प्रहार हुआ है। लोग भावुकता में बह गये और कई कठिनाइयाँ उठ खड़ी हुईं जिससे भारत तथा पाकिस्तान के बीच तनातनी और असहिष्णुता जारी रही। भारत के हित और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए सिर्फ धैर्य और सद्भावना, सहिष्णुता और दृढ़ता से ही इन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है।

भारत और पाकिस्तान दोनों के हित के लिए दोनों देशों के बीच शान्तिपूर्ण और सहयोगमूलक संबंध आवश्यक है।

इसलिए काँग्रेस भारत सरकार के उस सुझाव का समर्थन और स्वीकृति देती है जिसके द्वारा पाकिस्तान सरकार के सामने यह प्रस्ताव किया गया था कि बिना सशस्त्र युद्ध के भारत तथा पाकिस्तान अपनी सभी समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझा ले।

अन्य कारणों के साथ इस कारण से भी काँग्रेस ८ अप्रेल, १९५० वाले भारत-पाकिस्तान-समझौते का समर्थन करती है जो एक बड़ी कठिन समस्या के सुलझाने के सक्षम और शान्तिपूर्ण तरीके का प्रतिनिधित्व करती है और जो काँग्रेस की परम्परा तथा प्रतिष्ठा के अनुकूल है। इसी तरह इन समस्याओं का सार्थक और टिकाऊ समाधान हो सकता है।

किसी भी हालत में साम्प्रदायिकता या धर्म के दुरुपयोग को अपनी आंतरिक समस्याओं के समाधान में हाथ नहीं बटाने देना चाहिए। बदले की भावना से हम अपनी नीति को नहीं छोड़ सकते। हमें न सिर्फ अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ न्याय ही करना है; बल्कि उन्हें महसूस कराना है कि उनके साथ न्याय किया जा रहा है।

इसलिए कांग्रेस की यह घोषणा है कि भारत एक गणतांत्रिक राज्य है जिसमें हर धर्म का आदर करते हुए किसी विशेष धर्मावलंबी के साथ किसी तरह का पक्षपात नहीं किया जायगा और राष्ट्र के हर सम्प्रदाय या धर्म के लोगों को उन्नति तथा विकास का समान अवसर दिया जायगा।

हर काँग्रेसजन का यह प्राथमिक कतव्य है कि वह इस महान संदेश का प्रचार करे और इसे अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर सभी तरह की साम्प्रदायिकता तथा फूटवादी प्रवृत्तियों का सामना करे।

आर्थिक नीति :—काँग्रेस के आदर्शों की पूर्ति के लिए देश की आर्थिक प्रगति सबसे आवश्यक है। काँग्रेस का आदर्श एक ऐसे राज्य की स्थापना है जिसमें आर्थिक जनतंत्र हो, शारीरिक और सामाजिक दृष्टि से एक राष्ट्रीय न्यूनतम स्तर हो, जनता के रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठे, सबके लिए रोजगार हो, शोषण बन्द हो, आमदनी और संपत्ति की दृष्टि से लोगों का भेदभाव जल्दी मिटे ताकि व्यक्तिगत विकास के लिए सभी को समान अवसर मिले। इस लक्ष्य की ओर हमारे हर कदम का फैसला जनहित की दृष्टि से होना चाहिए और निहित स्वार्थवालों को कुप्रभाव डालने से रोकना चाहिए। सुनिश्चित विकास के लिए योजना आवश्यक है जिसका अर्थ है संयोजित और एक हद तक नियंत्रित अर्थनीति।

काँग्रेस ने योजनाओं पर बार-बार जोर दिया है और जनवरी, १९५० वाली अपनी बैठक में कार्यसमिति ने भारत-सरकार से सिफारिश की थी कि स्थायी नियोजन-आयोग का निर्माण किया जाय। भारत-सरकार द्वारा ऐसे नियोजन-आयोग के निर्माण का काँग्रेस स्वागत करती है।

खासकर निम्नलिखित बातों में तुरन्त काम किया जाना चाहिए—

(१) शक्ति और सिंचाई जैसे बुनियादी और आवश्यक विकास-कार्य और सभी प्राप्त साधनों का उनके लिए उपयोग।

(२) खाद्यान्न के मामले म जल्द ही आत्मनिर्भरता-प्राप्ति।

(३) उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की उचित पूर्ति।

(४) कीमत में नियमित और उत्तरोत्तर कमी।

(५) उद्योगों का यथाशक्ति अधिक-से-अधिक उत्पादन, उत्पादन के खर्च में कमी और ऐसी अवस्था की स्थापना जिसमें मजदूर अधिक-से-अधिक काम कर सकें।

वैदेशिक नीति

जयपुर-काँग्रेस ने वैदेशिक नीतिवाले अपने प्रस्ताव में उन सिद्धांतों के प्रति आस्था प्रकट की थी जिन्होंने पिछले वर्षों में उसका पथनिर्देश किया था और नई परिस्थिति के अनुकूल नीति निर्धारित की थी। तब से भारतवर्ष का शासन एक गणतंत्र की तरह चल रहा है और एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह कामनवेल्थ का एक सदस्य है। उसने संयुक्तराष्ट्रसंघ की कार्यवाही में भी खुलकर भाग लिया है। अपने लक्ष्य की पूर्ति में उसने बहुत सारे राष्ट्रों से मैत्री और सहयोग का संबंध स्थापित कर लिया है।

उसने भारत को उन सैनिक या अन्य गुटबन्दियों से अलग रखा है जिनसे दुनिया की दो विरोधी दलों में बँट जाने की प्रवृत्ति फैले और इस तरह विश्वशान्ति खतरे में पड़ जाय। भारत ने देश के वैदेशिक मामलों और आर्थिक विकास में भी अपने को स्वतंत्र रखा है।

सुदूरपूर्व की घटनाओं ने, जिनसे कोरिया में युद्ध शुरू हो गया, अन्तर्राष्ट्रीय संकट को और गहरा बना दिया है और सर्वनाशी विश्वयुद्ध की आशंका और बढ़ गई है।

भारत ने अपनी बुनियादी नीति के अनुकूल, आक्रमण के विरुद्ध संयुक्तराष्ट्र-संघ का साथ दिया है; पर साथ-ही-साथ उसने शान्ति कायम रखने तथा कोरिया तक ही सीमित रखने का भरसक प्रयत्न किया है।

काँग्रेस भारत-सरकार की नीति को स्वीकृति प्रदान करती है और उसकी राय है कि शान्तिपूर्ण समझौते के हर रास्ते से कोशिश

की जानी चाहिए। यह ठीक है कि आक्रमण का विरोध होना चाहिए; पर-साथ-ही साथ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि संयुक्तराष्ट्रसंघ का और इस तरह उसके सभी सदस्य राष्ट्रों के साथ भारत का भी यह लक्ष्य है कि शान्ति की रक्षा और स्थापना हो न कि ऐसे काम किये जायँ जिनसे लड़ाई की संभावना बढ़े।

शान्ति और परस्पर-सहयोग की स्थापना तथा लड़ाई से बचने की जनता की उत्कट अभिलाषा का ही परिणाम था संयुक्तराष्ट्र-संघ। इस संगठन की यह बुनियादी बात थी कि सभी देश एक जगह एकत्र हों चाहे उनमें कितनी ही भिन्नता क्यों न हो ताकि आपस में सहयोग और शान्तिपूर्ण ढंग से समस्याओं के समाधान करने की उन्हें आदत पड़े।

अगर इस महान संगठन से कोई महान राष्ट्र अलग कर दिया जाता है तो इसकी विशेषता ही नष्ट हो जाती है और शक्ति भी क्षीण।

इसलिए काँग्रेस की राय है कि अपने महान पड़ोसी चीन को उसकी वर्तमान सरकार के मारफत राष्ट्रों के इस महान संगठन में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि वह अन्य राष्ट्रों के साथ शान्ति की सुरक्षा में हाथ बँटाने की स्थिति में हो।

यह ठीक है कि कोरिया में आक्रमण का मुकाबला करना ही था; लेकिन संयुक्तराष्ट्रसंघ के लक्ष्य की स्पष्ट श[illegible]ों में घोषणा होनी चाहिए। और वह लक्ष्य होना चाहिए स्वतंत्र, स्वावलंबी और संयुक्त कोरिया का निर्माण जिसका भविष्य वहाँ की जनता द्वारा निश्चित हो।

काँग्रेस यह आशा करती है कि विश्व के महान राष्ट्र भय और सस्ती भावुकता के प्रसार को रोककर शान्ति पर कोई खतरा नहीं आने देंगे; क्योंकि इसके लिए तो सभी प्रतिज्ञाबद्ध हैं ही। साथ-ही-साथ उनकी ओर से ऐसी कोई हरकत भी नहीं होगी जो बहुत सारे लो[illegible]ों के दिमाग में छाई हुई कटुता और घृणा को और बढ़ावे।

हर देश से विश्वसंकट की यह माँग है कि वे धैर्य और सहिष्णुता से काम लें तथा शान्ति के लिए अनवरत रूप से प्रयत्नशील रहें।

कांग्रेस का पुनर्निर्माण

भारत में स्वाधीनता की स्थापना के बाद काँग्रेस पर सबसे महान संकट ३० जनवरी १९४८ को नाथूराम विनायक गोड्से नामक महाराष्ट्रीय युवक द्वारा विरलाभवन, नई दिल्ली में राष्ट्रपिता गाँधी की हत्या से आ गया। ठीक जिस दिन महात्मा गाँधी की हत्या की गई, उसी दिन पूज्य गाँधीजी ने काँग्रेस-कार्य-समिति की प्रार्थना पर पुनःसंगठन की एक योजना तैयार की। इस योजना का सार यह है कि गाँधीजी वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस को भंग करके उसके स्थान पर 'लोक-सेवक-संघ' की स्थापना करना चाहते थे। महात्माजी इसके द्वारा आर्थिक तथा सामाजिक स्वतंत्रता के कार्यक्रम को पूरा करना चाहते थे। उनका यह मत था कि जो लोग पार्लमेंटरी कार्य करना चाहें, वे इसके लिए पृथक् संस्था बना लें; क्योंकि लोक-सेवक-संघ अथवा काँग्रेस-जैसी रचनात्मक राष्ट्रीय संस्थाएँ पार्लमेंटरी कार्यक्रम में अपने वास्तविक रूप को भी नष्ट कर लेंगी।

अप्रैल, १९४८ में बंबई में अखिलभारतीय काँग्रेस-महासमिति की बैठक में काँग्रेस का नया विधान स्वीकार किया गया। काँग्रेस को कायम रहने दिया गया। उसके उद्देश्य में संशोधन कर दिया गया। (देखिए, काँग्रेस-विधान जो अन्यत्र दिया गया है।) काँग्रेस पार्लमेंटरी संस्था बन गई और गाँधीजी उसे लोक-सेवक-संघ के रूप में परिवर्तित कर देना चाहते थे, वैसा नहीं हो सका।

आज भी हम यह देखते हैं कि काँग्रेस में रचनात्मक कार्यक्रम न कुछ के बराबर ही है। काँग्रेस-समितियाँ तथा काँग्रेसजन विधानमण्डल, संसद्, जिला-बोर्ड, नगर-पालिका, नगर-सुधार-समिति अथवा

ग्राम-पंचायतों की राजनीति में संलग्न हैं। पार्लमैंटरी कार्य को ही प्रधानता दी जाती है।

'सर्वोदय-समाज' तथा अखिलभारत-सर्वसेवासंघ

कांग्रेस में जो सदस्य रचनात्मक कार्यों से संबंध रखते हैं, जैसे अखिलभारतीय चर्खासंघ, अखिलभारतीय ग्रामोद्योगसंघ, अखिल-भारतीय तालीमी संघ, अखिलभारतीय हरिजनसेवकसंघ आदि उन्होंने महात्माजी के रचनात्मक कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने के उद्देश्य से 'सर्वोदयसमाज' की स्थापना की और उक्त सब रचना-त्मक कार्य करनेवाली संस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अखिलभारत-सर्व-सेवासंघ की स्थापना की। डा० जे० सी० कुमारप्पा ने 'हरिजन' में अपने एक लेख में यह लिखा है—

"यदि कांग्रेस इन कार्यकर्त्ताओं का सहयोग चाहती है, तो उन आदर्शों को पूरा स्थान देना चाहिए, जिन्हें ये कार्यकर्त्ता मानते हैं। आजकल कांग्रेसी सरकारें अथवा स्वयं कांग्रेस की प्रवृत्तियाँ इस प्रकार की कोई चेष्टा निर्देशित नहीं करतीं। दूसरी ओर उसके नेता रचनात्मक कार्यों में विश्वास का अभाव प्रकट करते हैं और सत्ता अपने ही हाथों में बनाये रखने की प्रवृत्ति दिखलाते हैं। इस संबंध में केवल एक उदाहरण ही देना पर्याप्त होगा। हाल में भारत सरकार ने जो ग्रामोद्योग बोर्ड स्थापित किया है, उसमें एक भी रचनात्मक कार्यकर्त्ता नहीं लिया गया है।"

राऊ (इन्दौर) में अप्रैल सन् १९४९ में एक सर्वोदयसमाज-सम्मेलन हुआ। इसमें यह निश्चय किया गया कि गाँधीजी की विचारधारा माननेवालों का एक भाईचारा कायम हो। इसका नाम 'सर्वोदयसमाज' रखा गया। इसका उद्देश्य यह है—

"सत्य और अहिंसा पर एक ऐसा समाज बनाने का प्रयत्न करना जिसमें जातपाँत न हो, जिसमें किसी को शोषण करने का अवसर न मिले और जिसमें समूह और व्यक्ति दोनों को सर्वाङ्गीण विकास करने का अवसर मिले।"

गाँधीजी के द्वारा निर्धारित रचनात्मक कार्यक्रम ही इस समाज का कार्यक्रम है। जो इस कार्यक्रम को स्वीकार करता है और इसके अनुसार कार्य करने का प्रयत्न करता है, वह सर्वोदयसमाज के मंत्री को वैसी सूचना दे देता है। वह अपना नाम व पता भी भेज देता है। उसका नाम एक रजिस्टर में लिख लिया जाता है।

इस समाज की ओर से ३० जनवरी को सर्वोदयदिवस मनाया जाता है; १२ फरवरी को गाँधीजी के अस्थि-विसर्जन के स्थानों पर मेलों का आयोजन किया जाता है और ६ अप्रैल से १३ अप्रैल तक सर्वोदय-सम्मेलन होता है।

यह संस्था केवल परामर्श देती है, आदेश नहीं।

सर्वोदय के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक स्थायी समिति है। इसके सदस्य निम्नलिखित हैं–

(१) श्रीधीरेन्द्र मजूमदार (२) श्रीमती सुशीला पै (३) श्रीसत्यनारायण (४) श्रीरामदेव ठाकुर (५) श्रीवेदरत्नम् पिल्ले (६) श्रीमनमोहन चौधरी (७) श्रीकाशीनाथ त्रिवेदी (८) श्रीतिमप्पा नायक (९) श्रीमहेशदत्त मिश्र (१०) श्रीबवल-भाई मेहता (११) श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल (१२) श्रीरघुनाथ श्रीधर-धोत्रे (मंत्री)।

इस प्रकार 'सर्वोदयसमाज' कोई संस्था या संघटन नहीं है, वरन् एक आन्दोलन (movement) है। इसका ध्येय अहिंसा और सत्य के साधनों द्वारा गाँधीजी की विचार-धारा का प्रचार करना है। इसका कार्यालय वर्धा (मध्य-प्रदेश) में है।

इसी सर्वोदय-समाज-सम्मेलन के अवसर पर एक अखिल-भारतीय सर्वसेवा-संघ की भी स्थापना की गई। यह संघ उन समस्त संघों को एक सूत्र में बाँधने का कार्य करता है जो विविध रचनात्मक कार्य कर रहे हैं; जैसे चरखा-संघ, ग्रामोद्योग-संघ, हरिजन-संघ, तालीमी संघ, गो-सेवा-संघ। इसके मंत्री श्रीवल्लभ-स्वामी हैं। संघ की ओर से वर्धा से "सर्वोदय" नामक एम मासिक पत्र भी प्रकाशित होता है।

काँग्रेस और काँग्रेसी मंत्रि-मंडल

१५ अगस्त सन् १९४७ से भारत पूर्ण स्वतंत्र है। समस्त भारत में (जिसमें रियासतें भी हैं) काँग्रेस की २३ प्रादेशिक समितियाँ हैं और प्रत्येक राज्य में काँग्रेस-मंत्रि-मण्डल शासन कर रहे हैं। भारत की केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय सरकार है। यद्यपि उसमें कुछ सदस्य काँग्रेस के सदस्य नहीं हैं। इस प्रकार काँग्रेस तथा मंत्रि-मण्डलों के पारस्परिक संबंधों का प्रश्न बड़ा महत्त्व-पूर्ण हो जाता है। जून १९३९ में अखिल-भारतीय काँग्रेस-महा-समिति में भी इस प्रश्न पर विचार किया गया और यह निश्चय किया गया कि प्रादेशिक (राज्य) मंत्रि-मण्डलों के दैनिक प्रबंध के मामलों में प्रादेशिक काँग्रेससमिति को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रादेशिक काँग्रेस-कार्यकारिणी समिति को, यदि कोई मामला हो, तो मंत्रि-मण्डल के समक्ष रखना चाहिए। यदि दोनों में समस्या पर मतभेद हो तो पार्लमैंटरी बोर्ड के समक्ष मामला भेज दिया जाय।

ऐसे मामलों पर गोपनीय ढंग से विचार किया जाय, सार्वजनिक रूप में चर्चा नहीं की जाय। किन्तु इससे स्थिति का समाधान नहीं हुआ।

मंत्रि-मण्डलों के मंत्री काँग्रेस के अध्यक्ष तथा अन्य पदों पर भी निर्वाचित किये जाते हैं। इस कारण भी बड़ी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। सन् १९४७ के बाद तो प्रत्येक प्रदेश में मंत्रि-मण्डल और काँग्रेस-समितियों के बीच संघर्ष होने लगे। इसका प्रमुख कारण था राज्य-सत्ता का जनता के प्रतिनिधियों को हस्तान्तरण। प्रत्येक प्रदेश में इन दोनों के बीच घोर संघर्ष होने लगा। यही नहीं, काँग्रेस-जन जिलों व प्रदेशों में राजकीय अधिकारियों के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे। प्रादेशिक मंत्रि-मण्डलों ने इसकी शिकायत काँग्रेस-अध्यक्ष से की और अध्यक्ष को ऐसे आदेश जारी करने पड़े कि काँग्रेस-जन स्थानीय अधिकारियों के दैनिक प्रबंध के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। १७ जनवरी १९४९ को काँग्रेस-अध्यक्ष

डा० पट्टाभिसीतारमैया को इस आशय का आदेश जारी करना पड़ा कि काँग्रेस-संघटन में ऐसी निर्वाचित पदाधिकारी को किसी पद के लिए किसी की सिफारिश नहीं करनी चाहिए, उन्हें न आयात-निर्यात-लायसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए और न राशन की दूकान खोलने के लिए लायसेंस लेना चाहिए, और न मजिस्ट्रेटों व न्यायाधीशों के पास किसी विचाराधीन मामले के संबंध में ही जाना चाहिए। जब इस आदेश का पालन नहीं किया जाय तो राज्य-मंत्री या सेक्रेटरी तुरन्त प्रादेशिक काँग्रेस-समिति को सूचना दे। इसी आदेश में अध्यक्ष ने यह भी कहा कि काँग्रेसजनों को सामुदायिक राजनीति की दलबन्दी को दूर कर देना चाहिए और काँग्रेस में एकता की अभिवृद्धि करनी चाहिए।

प्रादेशिक काँग्रेससमितियों तथा प्रादेशिक मंत्रि-मण्डलों के बीच संघर्ष के तीन परिणाम हमारे सामने हैं:—

(१) काँग्रेस में दलीय अनुशासन में शिथिलता।

(२) काँग्रेस में व्यक्तियों के आधार पर दलबन्दियाँ।

(३) भ्रष्टता तथा दुराचार की वृद्धि और मंत्रि-मण्डलों के विरुद्ध खुला विद्रोह।

इनमें सबसे प्रथम हम अन्तिम प्रश्न पर विचार करेंगे।

राज्य-मंत्रि-मंडलों पर आक्षेप

(१) मद्रास-मंत्रि-मण्डल

मद्रास के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री श्रीप्रकाशम् आदि ने मद्रास के मंत्रि-मण्डल के विरुद्ध निम्नलिखित दोषारोप किये:—

(क) राज्य-मंत्रियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को सरकारी सहायता तथा ऋण दिये गये जिनसे उनका हित था।

(ख) इटालियन बसों की खरीद।

(ग) स्टील, लोहे, सीमेंट के परमिट आदि ऐसे व्यक्तियों को दिये गये जिनसे मंत्रियों को लाभ हुआ।

(घ) खाद की बिक्री।

(ङ) स्थानीय स्वशासनमंत्री ने गंटूर चुंगी के बाजार में बाजार-कर संग्रह करने के अधिकार को देने तथा वैजवाड़ा म्युनिसिपल बाजार के मामले में अपनी शासन-सत्ता का दुरुपयोग किया।

(च) व्यक्तिविशेष के हित में कानून का निर्माण।

श्रीप्रकाशम् ने यह माँग की कि इन दोषारोपों की जाँच के लिए एक न्यायिक न्यायाधिकरण (Judicial tribunal) नियुक्त किया जाय। काँग्रेस-कार्य-समिति ने तीन सदस्यों की एक समिति इनकी जाँच के लिए नियुक्त की, जिसमें डा० राजेन्द्र प्रसाद, पं० जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार वल्लभभाई पटेल सदस्य थे। इस समिति की रिपोर्ट २० फरवरी १९५० को प्रकाशित की गई। इसमें डा० राजेन्द्र प्रसाद ने यह लिखा है कि—

"समस्त दोषारोप पर विचार करने के उपरान्त मन पर यह प्रभाव रह जाता है; जिस ढंग से और जिस रूप में दोषारोप किये गये हैं, वे बड़े गंभीर और भयानक प्रतीत होते हैं। तथ्यों तथा परिस्थितियों की ठीक-ठीक जाँच करने पर ऐसा कोई आधार नहीं मिलता कि उनकी आगे जाँच की जाय। कुछ मामलों में तो कोई साक्षी भी नहीं है और केवल संदेह के आधार पर जाँच नहीं की जा सकती। अतः यह मामला यहीं समाप्त कर दिया जाय।"

१६ जनवरी १९५० को डा० राजेन्द्रप्रसाद ने यह रिपोर्ट तैयार की। पं० जवाहरलाल नेहरू ने ७ फरवरी तथा सरदार पटेल ने ८ फरवरी १९५० को इसपर अपनी सम्मति दी।

(२) *पश्चिमी-बंगाल-मंत्रि-मण्डल*

बंगाल में जून-जुलाई १९४९ में बड़ी बुरी स्थिति थी। काँग्रेस में दलबन्दियाँ अधिक पैदा हो गई थीं और बंगाल में उसका प्रभाव भी कम हो गया था। अतः प्रधान-मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू जुलाई १९४९ में कलकत्ता गये। वहाँ जब वे काँग्रेस-जनों से मिले, तो बंगाल-काँग्रेस-असेम्बली दल के कुछ सदस्यों ने श्रीविधानचन्द्रराय के मंत्रि-मण्डल के विरुद्ध दोषारोप किये। राय-मंत्रि-मण्डल के विरुद्ध १७ दोषारोप किये गये। नेहरूजी ने अपने १२ सितम्बर १९४९ के डा०

राय के नाम पत्र में लिखा है कि १२ दोषारोप तो ऐसे हैं, जिनमें कुछ भी सार नहीं है। पाँच ही ऐसे हैं, जिनमें आगे जाँच करना आवश्यक है।

१२ सितम्बर १९४९ के पत्र में जो पं० जवाहरलाल नेहरू ने बंगाल के प्रधान मंत्री डा० विधानचन्द्र राय को लिखा, यह सुझाव पेश किया:—

"अब आप वापस आ गये हैं; मैं यह चाहता हूँ कि आप उक्त पाँच दोषारोपों के संबंध में अतिरिक्त सूचना आदि मेरे पास भेज दें। मैं यह सुझाव रखता हूँ कि आप अपने नोट की एक प्रति श्री जे०-सी० गुप्त (जिन्होंने दोषारोप के संबंध में आवेदनपत्र दिया है) को भेज दें या अपने दल की बैठक में रख दें। इस कार्य के लिए काँग्रेस-दल की पूरी बैठक बुलाई जाय या नहीं; मैं यह चाहता हूँ कि दल के सदस्यों को आपके उत्तर की सूचना मिल जानी चाहिए, क्योंकि दोषारोपों तथा उनके संबंध में मेरे वक्तव्य का काफी प्रकाशन हो चुका है।"

इस प्रकार बंगाल के मंत्रि-मण्डल पर जो दोषारोप किये गये, उनके संबंध में डा० राय ने जो जाँच कर उत्तर दिया, उसी को अन्तिम मान लिया गया।

संक्षेप में उक्त पाँच दोषारोप निम्न प्रकार थे:—

(१) रामकुमार शिवचरणराय नामक एक फर्म ने २०० गाँठें कपड़े की आसाम में भेजने की आज्ञा प्राप्त की। परन्तु वह ५० गाँठें ही आसाम में भेज पाये। शेष १५० गाठें बिना बिक्री जमा रहीं। तब इस फर्म ने बंगाल के सिविल सप्लाई विभाग से आज्ञा लेकर इन गाँठों के कपड़ों को बंगाल में ही बेचने का प्रबंध किया। केन्द्रीय सरकार की ओर से इसकी जाँच के लिए पुलिस गई। पुलिस को जाँच नहीं करने दी। यह भी दोषारोप किया गया था कि यह फर्म चोरबाजारी करती है।

(२) काली बोस नामक व्यक्ति को प्रधान मंत्री डा० राय ने

जलपायगुरी में नमक भजने के लिए वेगन दिलवाने क लिए श्री माथुर-रेलवे कंट्रोलर को आदेश दिया।

(३) मेसर्स डालमिया सीमेंट-कंपनी ने स्थानीय तथा विदेशी सीमेंट को मिलाकर चोरबाजारी की और जब कंपनी पर मुकद्दमा चलाने की कार्यवाही की जाने लगी, तो वह रोक दी गई।

(४) पश्चिमी बंगालप्रांतीय सहकारी औद्योगिक तथा संग्रह-कारिणी सोसायटी के हिसाब-किताब आदि में अनियमितता तथा गड़बड़। इसमें सहकारी-विभाग के अधिकारियों का हाथ था।

(३) *बिहार-मंत्रि-मण्डल*

बिहार में सीरा (Molasses) के परमिटों के सवाल को लेकर एक बड़ा उत्पात खड़ा हो गया। बिहार-सीरा-नियंत्रण अध्यादेश १९४६ के अनुसार बिहार-आवकारी-कमिश्नर को यह अधिकार दे दिया गया कि चीनी मिलों से जो सीरा निकलता है उसे बेचने की पूरी व्यवस्था करे। इसपर चीनी मिल-मालिकों ने प्रतिवाद किया। इसके फलस्वरूप यह निश्चय किया गया कि आवकारी-कमिश्नर केवल ९०% सीरा-उत्पादन के संबंध में परमिट या आदेश जारी करेगा और १०% सीरा के बेचने की पूरी स्वतंत्रता मिलवालों को होगी। लेकिन १०% सीरा के संबंध में भी आव-कारी कमिश्नर सिफारिशी पत्र जारी करने लगा।

वास्तव में तथ्य-पूर्ण बात तो यह है कि सीरा का नियंत्रित मूल्य आठ या दस आने मन था जबकि वह बाजार में २ से ३ रुपये मन के हिसाब से बिकता था। इस प्रकार सीरा की परमिटें प्राप्त की गईं।

दोषारोप यह लगाया गया कि बिहार के राज्यमंत्रियों ने अपने संबंधियों व परिचितों को ये परमिटें दिलवाईं और इस प्रकार चोर-बाजार में बढ़े हुए दामों पर सीरा बेचकर मुनाफाखोरी की गई। बिहार असेम्बली में इस विषय पर प्रश्नोत्तर हुए तथा समाचार-पत्रों में इस संबंध में तीव्र आलोचना की गई।

कांग्रेस-कार्य-समिति ने इस मामले की जाँच सरदार वल्लभभाई को सौंप दी। सरदार पटेल ने २१ मार्च १९५० को इस विषय में जाँच करके अपनी रिपोर्ट कार्य-समिति को सौंप दी। इस रिपोर्ट में सरदार पटेल ने स्पष्ट रूप में यह लिखा कि———

"कागज-पत्रों से यह सिद्ध नहीं होता कि बिहार-मंत्रिमण्डल का प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रकार का इस मामले से संबंध है। किसी भी मंत्री का सिफारिश करने या आवकारी-कमिश्नर पर प्रभाव डालने से कोई संबंध नहीं है। यह तो एक विभागीय प्रणाली थी जिसका पूरा दायित्व आवकारी-कमिश्नर का है।"

सरदार पटेल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि:——

"केवल ४ ऐसे मामले हैं जिनमें सभा-सचिव श्रीसुखलालसिंह ने सिफारिश की। मेरे विचार में ऐसा करना उनके लिए अनुचित था।"

सरदार पटेल ने बिहार के आवकारी कमिश्नर को दोषी ठहराया और यह लिखा कि इस प्रकार की सिफारिशें करना केवल "आपत्तिजनक" ही नहीं; वरन् "निन्दनीय" भी है।

सीरा के मामले के अतिरिक्त 'बेतिया सैटिलमेंट केस' के कारण भी बिहार में बड़ा उत्पात मचा। इस मामले में भी बिहार-आवकारी-कमिश्नर श्री आर० पी० एन० साही को सरदार पटेल ने दोषी ठहराया है। बेतिया के कोर्ट आफ वार्ड की रियासत से २०० बीघे भूमि श्री साही और उनके भाई ने अपने नाम ले ली। सरदार पटेल ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा –

"जहाँ तक श्रीसाही से संबंध है, उन्होंने "राजकीय कर्मचारी-आचार-नियमों" का उल्लंघन किया है; राजकीय अधिकारी होते हुए श्री साही ने सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अचल सम्पत्ति प्राप्त की है।

"अत: यह बड़े गंभीर विचार का प्रश्न है कि इन दोनों मामलों—सीरा तथा बेतिया सैटिलमेंट केस—के संबंध में क्या कार्यवाही की जाय। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि इन दोनों मामलों में श्रीसाही का आचारण आक्षेपजनक रहा है। इस स्थिति में क्या प्रबंधसंबंधी

कार्यवाही की जाय जिससे उन गलतियों का संशोधन हो जाय जो उन्होंने की हैं। एक ऐसा प्रश्न है जो प्रादेशिक सरकार द्वार, या उसकी मंत्रणा से ही किया जा सकता है।"

(४) *पूर्वी पंजाब-मंत्रि-मण्डल*

पूर्वी-पंजाब में १५ अगस्त १९४७ को डा० गोपीचन्द भार्गव ने अपना मंत्रि-मण्डल बनाया, जिसमें निम्न प्रकार सदस्य थे:— प्रधान-मंत्री डा० गोपीचन्द भार्गव; न्याय, कानून तथा मालमंत्री सरदार स्वर्णसिंह; यातायात-मंत्री कप्तान रणजीतसिंह; सहायता व शरणार्थी पुर्नवास-मंत्री श्री सरदार प्रताप सिंह; कृषि-मंत्री ज्ञानी-कर्त्तार सिंह; राजस्व-मंत्री चौ० कृष्णगोपाल दत्त; श्रममंत्री श्री-पृथ्वी सिंह आजाद।

पाकिस्तान के निर्माण के बाद श्रीभीमसेन सच्चर पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पंजाब में आ गये। संयुक्त-पंजाब में श्रीसच्चर मेजर खिजर हयात खाँ के संयुक्त मंत्रि-मण्डल में मंत्री रहे। इसलिए उन्होंने पूर्वी पंजाब में अपना एक दल खड़ा कर डा० भार्गव के मंत्रि-मण्डल के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ कर दिया। सन् १९४९ में श्रीसच्चर के दल में डा० भार्गव के दल के कुछ सदस्य मिल गये। अतः वह बहुमत में हो गया। डा० भार्गव के मंत्रि-मण्डल में अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार हो गया। अब श्रीसच्चर को मंत्रि-मण्डल बनाने के लिए आदेश मिला। किन्तु काँग्रेस-कार्य-समिति का यह विचार था कि श्रीसच्चर ऐसा मंत्रि-मण्डल बनावें, जिसमें डा० भार्गव तथा एक दो उनके भी सदस्य ले लिये जायँ, जिससे एक पुष्ट मंत्रि-मण्डल बन जाय। अतः श्रीसच्चर ने निम्न प्रकार अपना मंत्रि-मण्डल बनाया—

प्रधान मंत्री	:	श्रीभीमसेन सच्चर।
शिक्षामंत्री	:	डा० गोपीचन्द भार्गव।
यातायात-मंत्री	:	चौ० लहरी सिंह।
श्रम-मंत्री	:	श्री पृथ्वीसिंह आजाद।
उद्योग-मंत्री	:	सरदार उज्ज्ल सिंह।

माल-मंत्री ... सरदार जोगेन्द्र सिंह मन।
कृषि-मंत्री ... सरदार गुरुवचनसिंह वाजवा।

डा० भार्गव ने अक्टूबर १९४९ में पूर्वी पंजाब के प्रधान मंत्री के विरुद्ध काँग्रेस-कार्य-समिति को एक आवेदन-पत्र दिया। १३ अक्टूबर १९४९ को नई दिल्ली में पार्लमेंटरी बोर्ड की बैठक में निम्न-लिखित प्रस्ताव स्वीकार किया गया:—

"पूर्वी पंजाब के प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय पार्लमेंटरी बोर्ड के अध्यक्ष को २७ अगस्त १९४९ को जो पत्र भेजा है, जिसमें यह संदेह प्रकट किया गया है कि उल्लिखित परिस्थितियों में यह गंगा-जमुनी मंत्रि-मण्डल चल नहीं सकता। डा० भार्गव ने १ अक्टूबर १९४९ को जो आवेदनपत्र व्यक्तिगत रूप में भेजा है, तथा पूर्वी पंजाब की असेम्बली के ३४ सदस्यों ने ८ अक्टूबर १९४९ को जो मिलकर आवेदनपत्र भेजा है तथा प्रधानमंत्री श्रीसच्चर की यह प्रार्थना कि उन्हें उक्त आवेदन-पत्रों का उत्तर देने के लिए अवसर दिया जाय आदि बातों पर विचार करके बोर्ड यह अनुभव करता है कि मुख्य प्रश्न यह है कि वह यह निश्चय करे कि क्या प्रधानमंत्री श्रीसच्चर अपने वर्तमान मंत्रि-मण्डल के साथ प्रदेश का शासन कर सकते हैं या नहीं।

"इस ध्येय से बोर्ड प्रधानमंत्री सच्चर से यह निवेदन करता है कि १७ अक्टूबर १९४९ से पूर्व वह पूर्वी पंजाब की काँग्रेस-असेम्बली पार्टी में विश्वास का मत प्राप्त कर लें। क्योंकि यह मामला पूर्वी पंजाब की असेम्बली के वर्तमान अधिवेशन में ही तय हो जाना चाहिए।

"बोर्ड का यह भी मत है कि इस प्रकार विश्वास-मत के अभाव में, वह अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने से रोक नहीं सकेगा। ३४ सदस्यों ने ऐसा प्रस्ताव पेश करने की प्रार्थना की है और उसमें २ नाम और बढ़ गये हैं।"

इस प्रकार डा० गोपीचन्द भार्गव पुन: अपना मंत्रिमण्डल बनाने में समर्थ हो गये। इस बार उन्होंने अपने ही समुदाय के सदस्यों का मंत्रि-मण्डल बनाया। उसी समय से सच्चर-समुदाय उसकी अलोचना

कर रहा है। इस प्रकार पंजाब की राजनीति बड़ी दल-बन्दी के दलदल में फँस गयी है। श्री सच्चर समुदाय ने डा० गोपीचन्द के समुदाय पर यह दोषारोप भी किया है कि उन्होंने लोहे व इस्पात के परमिटों के संबंध में घपला किया है। किन्तु अभी तक और दोषारोप प्रमाणित नहीं हुए हैं।

५—उत्तर-प्रदेश का मंत्रिमंडल—

सन् १९४९ से पहले एक मात्र उत्तरप्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश था जहाँ काँग्रेस का संघटन बहुत ही दृढ़ था और अपेक्षाकृत काँग्रेस में एकता भी थी; किन्तु अन्य प्रदेशों की भाँति इस प्रदेश में भी सत्ता की राजनीति का पूरा प्रभाव है। यहाँ भी काँग्रेस-पार्टी के भीतर गुटबन्दी बड़े भयंकर रूप में है।

जब सन् १९४७ में उत्तरप्रदेश के प्रसिद्ध काँग्रेसी नेता श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, संस्थापक "सैनिक", (आगरा) काँग्रेस-मंत्रिमण्डल में राजस्व व सूचना-मंत्री थे, उससे कुछ समय पहले से इस प्रदेश में किसान-मजदूर प्रजा-पार्टी कार्य कर रही थी। इसके नेता पालीवाल जी थे। इसमें प्रादेशिक लेजिस्लेटिव काँग्रेस पार्टी के सदस्य पर्याप्त संख्या में थे और श्री पं० केशवदेव मालवीय, पं० जगतप्रसाद रावत आदि भी इसके सदस्य थे। अप्रैल, १९४८ में नया काँग्रेस विधान स्वीकार किया गया। उसमें स्पष्ट रूप में यह नियम रखा गया कि काँग्रेस के भीतर कोई भी पृथक् राजनीतिक दल नहीं खड़ा हो सकेगा। भारत का समाजवादी दल काँग्रेस से पृथक् हो गया था। अब काँग्रेस में और जो दल थे, वे भी विलीन हो गये। पालीवाल जी का यह दल भी वैधानिक और प्रकट रूप में नष्ट कर दिया गया। किन्तु दलीय संघटन तो कायम ही रहा।

इस प्रकार सन् १९४७ से ही उत्तर प्रदेश में स्पष्टतः दो दल रहे हैं। एक दल के नेता श्री श्रीकृष्णदत्त जी पालीवाल हैं और दूसरे दल के नेता श्री चन्द्रभानु गुप्त (वर्तमान् स्वास्थ्य व खाद्य-मंत्री) हैं। दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो यों कह सकते हैं कि एक दल

काँग्रेसी मंत्रिपक्ष का है और दूसरा दल काँग्रेस के भीतर अल्पमत का।

इन दोनों दलों में परस्पर संघर्ष होता रहा और समाचारपत्रों में भी एक दल दूसरे पर दोष लगाता रहा। अन्त में ५ जनवरी, १६५० को उत्तर प्रदेश की काँग्रेस-समिति के ८४ सदस्यों ने काँग्रेस-अध्यक्ष डा० पट्टाभि सीतारमैया को एक आवेदन-पत्र इस आशय का दिया कि "उत्तर प्रदेश काँग्रेस में जो दल बहुमत में हैं, उसने सरकारी धन का उपयोग अपने समुदाय को दृढ़ बनाने के लिये किया है।" इस आवेदन-पत्र में यह आक्षेप किया गया कि –

"सत्तारूढ़ काँग्रेस-समुदाय ने अपने संगठन को दृढ़ बनाने के लिए सब उचित व अनुचित साधनों का प्रयोग किया है और इस कार्य में काँग्रेस मशीनरी तथा सरकारी मशीनरी का लाभ उठाया है।"

२१ जनवरी, १६५० को उत्तरप्रदेश के विधानमण्डल के काँग्रेस-दल की कार्य-कारिणी समिति ने एक प्रस्ताव स्वीकार कर श्री त्रिलोकी सिंह तथा श्री राधेश्याम शर्मा को काँग्रेस-दल से निकाल देने का निश्चय किया और उनसे यह कहा कि वे प्रादेशिक विधान-सभा से त्यागपत्र दे दें।

जब २ फरवरी, १६५० को उत्तरप्रदेश की विधान-सभा का अधिवेशन आरम्भ हुआ तब श्री त्रिलोकी सिंह तथा राधेश्याम विधान-सभा भवन में एक पृथक् समुदाय (Block) के रूप में बैठे और इनके साथ १६ एम० एल० ए० भी बैठे। इस समुदाय में निम्नलिखित एम० एल० ए० सम्मिलित हैं—

(१) श्री त्रिलोकीसिंह, (२) श्री पं० राधेश्याम शर्मा, (३) श्री गोपालनारायण सक्सेना, (४) श्री रामकुमार शास्त्री, (५) श्री पं०गंगासहाय चौबे, (६) श्रीखानचन्द गौतम, (७) श्री शालिग्राम जायसवाल, (८) श्री श्यामसुन्दर शुक्ल, (६) श्रीचन्द्र सिंहल, (१०) श्री खुशवख्तराय, (११) श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, (१२) वेजय वालिद, (१३) श्री वंशगोपाल, (१४) श्री शिवकुमार मिश्र, (१५) काजी सरावर हुसेन, (१६) श्री रामचन्द्र पालीवाल, (१७) श्री चेतराम,

(१८) श्री रामचन्द्र सेहरा, (१९) श्री शंकरदत्त शर्मा, (२०) श्री गंगाधर और (२१) श्री भगवानदीन।

श्री त्रिलोकीसिंह ने इस मामले को केन्द्रीय पार्लमेंटरी बोर्ड के समक्ष रखा है और अभी तक इस संबंध में कोई निश्चय नहीं हुआ है।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि इस मामले का समाधान करने के लिए श्री पं० जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल क्रमशः जुलाई, १९४९ तथा जनवरी, १९४९ में लखनऊ गये कि इन दोनों दलों में समझौता हो जाय। किन्तु उन्हें भी सफलता नहीं मिली।

६—विन्ध्यप्रदेश का मन्त्रि-मंडल—

४ अप्रैल, १९४८ को विंध्य-प्रदेश संघ की स्थापना हुई और मई, १९४८ में रीवा में कप्तान अवधेशप्रताप सिंह ने एक मंत्रि-मंडल का निर्माण किया। यह मंत्रि-मण्डल १५ अप्रैल, १९४९ तक कार्य करता रहा। इसके एक मंत्री ने किसी ठेकेदार से एक बड़ी रकम रिश्वत में ली और यह मंत्री दिल्ली में गिरफ्तार कर लिये गये। इन पर न्यायालय में मामला चल रहा है। भारत-सरकार ने विंध्य-प्रदेश के मंत्रि-मण्डल को हटा कर उसके शासन-प्रबंध के लिए एक चीफ़ कमिश्नर नियुक्त कर दिया है।

७—राजस्थान का मन्त्रि-मंडल—

राजस्थान में सरदार पटेल के राज्य-विभाग की स्वीकृति से नियुक्त मंत्रि-मण्डल शासन कर रहा है। राजस्थान की प्रादेशिक काँग्रेस समिति ने पं० हीरालाल शास्त्री की राजस्थानी सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव भी स्वीकार किया। किन्तु स्थिति यह है कि वहाँ विधान-सभा नहीं है। अतः ऐसी दशा में राजस्थान मंत्रि-मण्डल जनता के प्रति नहीं, भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि देशभर में सभी प्रदेशों में विघटन का दुःखपूर्ण दृश्य है।

८—कर्नाटक विद्रोह—

कर्नाटक की प्रादेशिक काँग्रेस-समिति यह चाहती है कि कर्नाटक में स्वतंत्र प्रदेश की स्थापना कर दी जाय। अभी कुछ दिन पूर्व कर्नाटक

के कई एम० एल० ए० ने विधान-सभा से इसी प्रश्न पर त्यागपत्र दे दिये थे। इस प्रकार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है।

काँग्रेस में अनुशासनहीनता

काँग्रेस में अनुशासन-हीनता बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो इससे मिलता है कि भारतीय संसद में काँग्रेस-पार्टी के प्रसिद्ध सदस्य तक काँग्रेस की नीति तथा सरकार के कार्यों की तीव्र आलोचना इस प्रकार करते हैं, मानों वे विरोधी-दल की ओर से भाषण कर रहे हों। ऐसे सदस्यों में आचार्य कृपलानी, श्री कामथ, प्रो० के० टी० शाह, श्री सिधवा आदि विशेषोल्लेखनीय हैं।

काँग्रेस तथा राष्ट्रीय-स्वयंसेवक संघ

३० जनवरी, १९४८ को राष्ट्रपिता गाँधी जी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत भर में गैर-कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया और उसके सदस्य कई हजार की संख्या में गिरफ्तार कर नजरबन्द कर लिये गये। कुछ समयोपरान्त जब भारत-सरकार को यह विश्वास हो गया कि गाँधी जी के हत्या-संबंधी षड्यंत्र का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई संबंध नहीं है, तो सरकार ने शनैः शनैः संघ के सदस्यों को मुक्त करना आरम्भ कर दिया। कुछ थोड़ी-सी संख्या में संघ के कार्यकर्त्ता जेलों में रहे गये। संघ के प्रमुख संचालक गुरु गोलवालकर को भी नागपुर में मुक्त कर दिया गया। उन्होंने सितम्बर, १९४८ में भारत सरकार के प्रधान मंत्री तथा गृही-मंत्री से मिलने की इच्छा प्रकट की। वह यह चाहते थे कि संघ पर से जो प्रतिबन्ध है, वह हटा लिया जाय। उस समय (अक्टूबर, १९४८ में) नेहरू जी लंदन में प्रधान-मंत्रि-सम्मेलन में भाग लेने गये थे। अतः वह दिल्ली में कई सप्ताह तक रहे। सरदार पटेल से उनकी भेंट हो गयी। परन्तु कोई मामला तय नहीं हुआ। प्रधान-मंत्री जी से पत्र-व्यवहार हुआ। परन्तु इस विषय में कोई निर्णय नहीं हो सका। अतः सरकार ने गुरुजी को गिरफ्तार कर नागपुर वायुयान द्वारा भेजवा दिया। यह जयपुर-काँग्रेस का अवसर था।

इसी समय देशभर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से गुरुजी की मुक्ति के लिए आन्दोलन होने लगा। संघी सविनय अवज्ञा आन्दोलन करने लगे। विद्यार्थियों और नवयुवकों ने इसमें भाग लिया और अनुमान किया जाता है कि एक लाख संघी गिरफ्तार किये गये।

अन्त में, फरवरी, १९४९ में गुरुजी ने समस्त संघियों को यह आदेश दिया कि 'सत्याग्रह' बिना शर्त के वापस ले लिया जाय और अब किसी प्रकार का आन्दोलन न किया जाय। अतः सरकार ने भी संघियों को मुक्त करना आरम्भ कर दिया। केवल मुख्य कार्यकर्त्ता तथा प्रधान संचालक तथा प्रान्तीय संचालक ही जेलों में रह गये। सरकार की यह शर्त थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लिखित विधान स्वीकार कर खुले रूप में कार्य करे और राजनीति में भाग न ले तथा राष्ट्र-ध्वजा को स्वीकार करे तो संघ पर से प्रतिबन्ध हटाया जा सकेगा। अतः अब संघ का विधान बनाने के लिए प्रयत्न होने लगा। गुरुजी नागपुर जेल में थे। वहाँ विधान तैयार किया गया और उसे गुरुजी ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह भारत सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा गया। अन्त में, वह विधान सरकार ने भी मंजूर कर लिया। विधान के अनुसार राष्ट्रीय संघ भारतीय संस्कृति के लिए कार्य करेगा और वह राजनीति में भाग नहीं लेगा। वह खुले रूप में वैध संस्था के रूप में कार्य करेगा। गुरुजी तथा अन्य सब संघी जेलों से सन् १९४९ में छोड़ दिये गये।

सितम्बर, १९४९ में काँग्रेस कार्य-समिति ने यह निश्चय किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य काँग्रेस के साधारण सदस्य बन सकते हैं।

कार्य-समिति के इस निर्णय के प्रति सभी प्रान्तों में विरोध की आवाज सुनाई दी। सारे देश में काँग्रेसजन इसका विरोध करने लगे। बिहार प्रादेशिक काँग्रेस-समिति ने इस विषय में काँग्रेस कार्य-समिति से पूछ-ताछ की। अन्त में, नवम्बर, १९४९ में दिल्ली में काँग्रेस-कार्य-समिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि काँग्रेस के नवीन विधान के अन्तगत

'काँग्रेस-सेवा-दल' के अतिरिक्त अन्य स्वयंसेवक दलों को गैर-काँग्रेसी दल माना गया है। अतः काँग्रेस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य सम्मिलित हो सकते हैं। परन्तु उन्हें संघ की सदस्यता से पृथक् हो जाना पड़ेगा।

काँग्रेसी-मन्त्री तथा काँग्रेस–समितियों के पद—

नवम्बर, १९४९ में कार्य-समिति ने यह निश्चय किया कि भविष्य में काँग्रेसी मंत्री (Ministers) अखिल भारतीय काँग्रेस महा-समिति तथा प्रादेशिक व जिला-समिति में निर्वाचित पदों पर नहीं रह सकेंगे। वे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी आदि पदों पर काँग्रेस-समितियों में निर्वाचित नहीं किये जायँगे।

भाषिक प्रान्तों का निर्माण स्थगित—

इसी कार्य-समिति में यह निश्चय किया गया कि सात भाषावार प्रान्तों के निर्माण को स्थगित किया जाता है। अर्थात् तामिलनाड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, विदर्भ और महाकोशल प्रान्तों का निर्माण स्थगित किया जाता है क्योंकि इनके संबंध में दावा वालों में समझौता नहीं हो सका। इन प्रदेशों से संबंधित काँग्रेस-समितियों तथा उनकी सरकारों ने जो रिपोर्टें दी हैं, वे अनेक माँगों के संबंध में मतभेद रखती हैं। प्रदेशों के दावों के संबंध में महाराष्ट्र, विदर्भ तथा महाकोशल के बीच परस्पर मतभेद है—महाराष्ट्र और गुजरात के बीच भी मतभेद है।

कर्नाटक प्रदेश का निर्माण मैसूर के मिल जाने पर ही संभव है। मैसूर इसके लिए तैयार नहीं है। इसी प्रकार केरल प्रदेश की रचना त्रावणकोर-कोचीन-संघ के मिल जाने पर ही संभव है। इस संबंध में कार्य-समिति ने यह निश्चय किया है कि यदि त्रावणकोर-कोचीन-संघ केरल-प्रदेश में मिल जाने को तैयार हो जाय तो केरल प्रदेश की रचना हो सकती है।

कार्य-समिति ने यह भी निश्चय किया है कि इन सात प्रदेशों की रचना के संबंध में कार्यारंभ उनके दावेदारों की ओर से ही होना चाहिए।

प्रभावकारी काँग्रेस सदस्यों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया

१८ फरवरी, १९५० को नई दिल्ली में अखिल भारतीय काँग्रेस महासमिति ने एक महत्त्वपूर्ण निश्चय किया। इसके अनुसार काँग्रेस विधान की धारा ७ (व) प्रथम पंक्ति में से "और प्रभावकारी सदस्य" शब्दों को निकाल दिया जाय। इस प्रस्ताव का प्रभाव यह होगा कि 'प्रभावकारी सदस्य' चुनाव में मत नहीं दे सकेंगे।

'प्रभावकारी सदस्यों' की भरती करने में बड़े अनुचित साधनों द्वारा तथा धोखेबाजी से कार्य किया गया था। इस कारण काँग्रेस में बहुत बड़ी संख्या में नकली सदस्य बढ़ गये थे। महा-समिति ने उक्त निश्चय ऐसे सदस्यों को अयोग्य ठहरा देने के लिए किया है।

काँग्रेस-नियोजन आयोग
(**Planning Commision**)

फरवरी, १९५० में काँग्रेस कार्य-समिति ने एक नियोजन उप-समिति नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव स्वीकार किया जिसका उद्देश्य एक मास के भीतर देश की आर्थिक उन्नति के लिए अल्प-कालिक कार्यक्रम बना कर प्रस्तुत करना है। इस उपसमिति में निम्नलिखित सदस्य हैं—

(१) पं० गोविन्दवल्लभ पन्त (अध्यक्ष)
(२) श्री जगजीवनराम ।
(३) प्रो० एन० जी० रंगा।
(४) श्री गुलजारी लाल नन्दा।
(५) श्री शंकरराव देव। (संयोजक)

२—अखिल भारतीय हिन्दू महासभा

हिन्दू महासभा की स्थापना और इतिवृत्त—

इलाहाबाद में सन् १९१० में अखिल भारतवर्षीय हिन्दू महासभा की स्थापना की गयी। सन् १९११ में अमृतसर में प्रथम हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रसिद्ध हिन्दू नेताओं ने भाग लिया। आरम्भ में पंजाब-केशरी लाला लाजपतराय, अमरशहीद

स्वामी श्रद्धानन्द संन्यासी, पं० मदनमोहन मालवीय आदि प्रसिद्ध कांग्रेस के नेता भी इसमें सम्मिलित थे।

अगस्त, १९२३ में बनारस में हिन्दू महासभा का अधिवेशन महामना पं० मदनमोहन मालवीय के सभापतित्व में हुआ। बनारस के महाराज स्वागत-समिति के स्वागताध्यक्ष थे। इस समय हिन्दू समाज में बड़ा उत्साह था। देश के कोने-कोने से १,५०० प्रतिनिधियों और सहस्रों दर्शकों ने भाग लिया। कुछ मास पश्चात् प्रयाग में एक विशेष अधिवेशन जगत्गुरु शंकराचार्य के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ। महासभा के नेताओं ने यह अनुभव किया कि महासभा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पत्रों के प्रकाशन की बड़ी आवश्यकता है। अतः अंग्रेजी में "हिन्दुस्तान टाइम्स", उर्दू में 'तेज' और हिन्दी में 'अर्जुन' (जो आजकल 'वीर अर्जुन' है) आदि पत्रों की स्थापना की गयी। स्वामी श्रद्धानन्द संन्यासी और उनके पुत्र श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति 'अर्जुन' के संपादक तथा व्यस्थापक बने। इन पत्रों का उद्देश्य हिन्दू संगठन, शुद्धि तथा दलितोद्धार के सिद्धांतों का प्रचार करना था। हिन्दू महासभा ने 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के प्रबंधकों को इसके लिए दान भी दिया। (देखिए कार्यसमिति हिन्दू महासभा का का प्रस्ताव सं० ६—१३ मार्च, सन् १९२७)

महासभा का १९२५ का अधिवेशन कलकत्ता में लाला लाजपतराय के सभापतित्व में हुआ। सर प्रफुल्लचन्द्र राय स्वागताध्यक्ष थे। इसी वर्ष कानपुर में इसका एक विशेषाधिवेशन श्री एन० सी० केलकर के सभापतित्व में हुआ। इसी समय से हिन्दूमहासभा का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। सन् १९२६ में दिल्ली में इसका अधिवेशन हुआ। राजा नरेन्द्रनाथ इसके अध्यक्ष थे। इसी वर्ष सन् १९२६ के दिसम्बर में स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या एक मुसलमान ने कर दी। इस प्रकार हिन्दू-समाज की एक बड़ी क्षति पहुँची। स्वामी श्रद्धानन्द ने शुद्धि तथा दलितोद्धार, इन दो आन्दोलनों को जन्म दिया और इनके द्वारा वे विशाल हिन्दू समाज का संघटन करना चाहते थे।

सन् १९२७ म पटना अधिवेशन के अध्यक्ष डा० बी० एस० मुंजे निर्वाचित किये गये।

सन् १९३२ में रामजे मैकडानल्ड ने अपना 'साम्प्रदायिक निर्णय' दिया जिसमें मुसलमानों को पृथक् प्रतिनिधित्व तथा संख्या के अनुपात से भी अधिक स्थान दिये गये। भाई परमानन्द तथा पं० मदनमोहन-मालवीय और श्री एम० ए० अणे ने साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद्ध घोर आन्दोलन किया।

सन् १९३५ का अधिवेशन कानपुर में बौद्ध साधु भिक्षु उत्तम के सभापतित्व में हुआ। इस प्रकार हिन्दू तथा बौद्ध-समुदाय में मेल स्थापित करने का प्रयत्न किया गया।

क्रान्तिकारी वीर विनायक दामोदर सावरकर एक लम्बी अवधि के बाद कारागार से मुक्त होकर आये और उन्होंने हिन्दू-महासभा का नेतृत्व ग्रहण किया। सन् १९३७ में वीर सावरकर अहमदाबाद अधिवेशन के सभापति चुने गये। वीर सावरकर ने अपने सभापतित्व-काल में हिन्दू-समाज में एक नूतन जागृति को जन्म दिया।

सन् १९३८ में महासभा के नागपुर अधिवेशन ने हिन्दू राष्ट्रीयता की नवीन व्याख्या की। उसके अनुसार हिन्दू भारत में एक राष्ट्र हैं; अन्य सम्प्रदाय अल्पमत हैं। दिसम्बर, १९३९ में कलकत्ता में महासभा का अधिवेशन वीर सावरकर के सभापतित्व में हुआ। सन् १९४० में भी वीर सावरकर ही इसके सभापति रहे। सन् १९४३ तक वह महासभा का पथ-प्रदर्शन करते रहे। अन्त में उन्होंने दुर्बल स्वास्थ्य होने के कारण त्यागपत्र दे दिया। इनके बाद डा० श्यामा-प्रसाद मुखर्जी ने हिन्दू महासभा का नेतृत्व किया। सन् १९४८ में वह महासभा से पृथक् हो गये। श्री एल० बी० भोपतकर इसके अध्यक्ष बने। सन् १९४९ के दिसम्बर में हिन्दू महासभा का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ; इसके सभापति डा० नारायण भास्कर खरे (भूतपूर्व कॉंग्रेसी प्रधान मंत्री, मध्य-प्रदेश) चुने गये।

हिन्दू महासभा के उद्देश्य

२७ दिसम्बर, १९४८ को नई दिल्ली में हिन्दू महासभा की परिषद् ने हिन्दू महासभा के उद्देश्य निम्न प्रकार निश्चय किये हैं:—

(१) भारत में वास्तविक प्रजातांत्रिक राज्य की स्थापना, जो देश की संस्कृति एवं परम्परा पर आधारित हो।

(२) समस्त जनता को एक सूत्र में बाँधकर एकता स्थापित करना।

(३) एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना, जिसमें समस्त नागरिक समान अधिकारों का उपयोग करेंगे; उन्हें समान सुयोग मिलेंगे और उनके समान दायित्व होंगे।

(४) प्रत्येक नागरिक को यह आश्वासन कि मानवीय मूल्यों का पूरा आदर किया जायगा और विचार, अभिव्यक्ति, सभा-सम्मेलन एवं पूजा की स्वतंत्रता होगी।

(५) इस प्राचीन भारतीय आदर्श की पुनर्प्रतिष्ठा कि सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए और विचार ऊँचे बनाना चाहिए तथा भारतीय नारीत्व के गौरव की प्रतिष्ठा।

(६) हिन्दी को राष्ट्रभाषा और नागरी को राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार करना।

(७) हिन्दुस्तान को राजनीतिक, आर्थिक व भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाना।

(८) सब प्रकार के सामाजिक प्रतिबंधों को दूर करना।

(९) जिन्होंने हिन्दू जाति का त्याग कर दिया है, उन्हें फिर से हिन्दू-समाज में स्थान देना और दूसरों को भी हिन्द समाज में मिलाना।

(१०) सम्पति के वितरण में जो भारी विषमता है, उसे दूर करना; प्रत्येक नागरिक को श्रेष्ठ जीवन-मान का आश्वासन; और देश के आर्थिक जीवन में किसानों व मजदूरों के लिए उचित स्थान देना।

(११) देश का यथाशीघ्र औद्योगीकरण।

(१२) गौरक्षा की व्यवस्था।

(१३) दूसरे राष्ट्रों के साथ मित्रता का संबंध कायम करना जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना हो।

महासभा का कार्यक्रम

८ मई, १९४९ को हिन्दू महासभा की कार्य-समिति ने इस प्रकार अपना कार्यक्रम स्वीकार किया:—

(१) हिन्दू महासभा भारत के 'कामनवेल्थ' में रहने के निर्णय को स्वीकार नहीं करती।

(२) महासभा भारत सरकार से यह अनुरोध करती है कि वह विरोधी दलों पर से सब प्रतिबन्ध हटा ले और उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का सुयोग दे।

(३) जम्मू और काश्मीर में जनमत-संग्रह की अब कोई आवश्यकता नहीं है।

(४) भूमि पर राज्य का अधिकार हो। एक पारिवार के लिए कम-से-कम भूमि कितनी हो, यह निर्धारित हो जाना चाहिए। काश्तकारों के कानून में उचित सुधार करना चाहिए जिससे उन्हें अपने श्रम का पूरा-पूरा लाभ मिले।

(५) समस्त बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। अन्य उद्योगों पर व्यक्तिगत स्वामित्व बना रहे।

(६) समस्त बैंकों, यातायात, डाक, तार आदि पर राज्य का नियत्रंण हो।

(७) उद्योगों में मजदूरों को मुनाफे में हिस्सा मिलना चाहिए।

महासभा का विधान

यहाँ हम हिन्दू महासभा के नवीन विधान की महत्त्वपूर्ण धाराओं का सारांश देते हैं—

सदस्यता—प्रत्येक हिन्दू, जो १८ वर्ष या इससे अधिक आयु का है और जो प्रतिज्ञा या प्रवेशपत्र पर हस्ताक्षर कर सभा के उद्देश्य व

नियमों को स्वीकार करता है तथा चार आना वार्षिक चंदा देता है वह हिन्दू महासभा का सदस्य है।

हिन्दू की परिभाषा:– महासभा के विधान के अनुसार 'हिन्दू' वह है जो इस भारतवर्ष की भूमि को सिन्धु से लेकर भारतीय सागर तक अपनी पितृभूमि व पुण्यभूमि मानता है अर्थात् भारत भूमि में उत्पन्न किसी भी धर्म को मानता है, जैसे वैदिक धर्म, सनातन धर्म, बौद्ध, जैन, सिक्ख, आर्य समाज तथा ब्राह्म-समाज आदि।

संघटन —हिन्दू महासभा के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

(१) हिन्दू महासभा।
(२) हिन्दू महासभा की अखिल भारतीय महासमिति।
(३) कार्य-समिति।
(४) प्रान्तीय हिन्दू महासभा।
(५) जिला सभा।
(६) तहसील हिन्दू सभा।
(७) ग्राम हिन्दू-सभा।

पदाधिकारी:–हिन्दू महासभा के अधिकारी निम्न प्रकार होंगे—

(१) अध्यक्ष।
(२) कार्यवाहक अध्यक्ष।
(३) उपाध्यक्ष ६ तक
(४) प्रधान मंत्री १
(५) सहायक मंत्री २
(६) कोषाध्यक्ष १

राष्ट्रपिता गाँधीजी की हत्या और हिन्दू महासभा

३० जनवरी, १९४८ को सायंकाल के ५ बजे बिड़ला-भवन, नई दिल्ली में नाथूराम विनायक गोडसे नामक एक महाराष्ट्रीय युवक द्वारा राष्ट्रपिता गाँधीजी की हत्या कर दी गई। इससे देश भर में घोर नैराश्य और दुःख छा गया। हिन्दू

महासभा के नेता वीर विनायक दामोदर सावरकर गिरफ्तार कर लिये गये। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संम्बन्धित सभी व्यक्ति एवं कार्यकर्त्ता गिरफ्तार कर लिये गये। ऐसी परिस्थिति में हिन्दू महासभा की कार्य-समिति ने १४ फरवरी, १९४८ को एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसके मुख्य अंश निम्न प्रकार हैं—

"हिन्दू महासभा की अखिल भारतीय महासमिति एक महान् संकटपूर्ण घटना की छाया में अपनी बैठक कर रही है, जिसने केवल भारत की ही नहीं, अखिल विश्व की आत्मा को भी कंपित कर दिया है। महात्मा गाँधी का एक क्रूर हत्यारे के हाथों से हत्या हुई है और इस प्रकार भारत माता अपने सबसे महान् पुत्ररत्न से वंचित हो गई है, जिसने गत ३० वर्षों से देश की राजनीति में पथ-प्रदर्शन किया और भारत के लिए स्वाधीनता की प्राप्ति में सफलता प्राप्त की। गाँधी वास्तव में समुचित रीति से "भारतीय स्वाधीनता के निर्माता" कहे जाते हैं। वह इतिहास में एक अनुपम महापुरुष थे और एक महात्मा तथा राजनेता से भी ऊँचे थे।

"महात्मा गाँधी की हत्या के संवाद ने समूचे देश को कंपायमान कर दिया है। हमारे लिए यह लज्जा की बात है कि तथाकथित हत्यारा हिन्दू महासभा से संबंधित था। राजनीतिक प्रश्नों पर कुछ मतभेद होने पर भी हिन्दू महासभा ने एक नेता के रूप में उनकी सदा प्रशंसा की और उनका आदर किया, जिन्होंने केवल भारतीय स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए ही नहीं, वरन् मानवता की सेवा के लिए भी महान् कार्य किया।

"महासभा इस नीच कृत्य की निंदा करती है और एक संस्था के रूप में इस कृत्य से विलग होती है। महासभा सदैव वैधानिक ढंग से अपने उद्देश्यों के लिए कार्य करती रही है। वह स्वाधीन भारत में अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आतंकवादी कार्य को सहन नहीं कर सकती।"

महात्मा गाँधी जी की हत्या के बाद महासभा के नेता तथा कार्यकर्त्ता गिरफ्तार कर लिये गये। महाराष्ट्र में महासभा के कार्य-

कर्त्ताओं की सम्पति का विनाश किया गया तथा महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों के विरुद्ध गुंडाशाही की गई। यदि बंबई प्रादेशिक काँग्रेस-समिति स्थिति को सँभालने तथा उपद्रवों को रोकने का प्रयत्न न किये होती तो स्थिति और भी बिगड़ जाती।

ऐसी दशा में हिन्दू महासभा ने यह निश्चय किया कि राजनीति से विलग रह कर कार्य किया जाय।

हिन्दू महासभा की नीति में परिवर्तन

२५ दिसम्बर से २७ दिसम्बर, १६४८ तक नई दिल्ली में महासभा की कौंसिल (परिषद्) का महत्त्वपूर्ण अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न, जिसके संबंध में निश्चय किया गया था, महासभा का राजनीति में भाग लेना था। इसके अध्यक्ष श्री भोपतकर थे। इसमें भारत सरकार के उद्योगमंत्री डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने भी भाग लिया।

डा० मुखर्जी ने महासभा को यह मंत्रणा दी कि स्वतंत्र भारत में महासभा को, यदि वह हिन्दुओं तक ही सीमित है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम लेकर कार्य करना चाहिए। और यदि यह आर्थिक तथा राजनीतिक कार्य करना चाहती है, तो उसे चाहिए कि वह अपना द्वार प्रत्येक भारतीय के लिए खोल दे। किन्तु उनकी इस मत्रंणा को महासभा के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया और राजनीति में भाग लेने का निश्चय किया।

इस अधिवेशन में परिषद् ने कई प्रस्ताव भी अन्य विषयों पर स्वीकार किये; उनमें से महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों का सारांश निम्न प्रकार है–

१. महासभा संविधान-परिषद द्वारा संविधान की रचना के अधिकार को चुनौती देती है; क्योंकि उसकी रचना दूसरे प्रश्नों के आधार पर हुई थी। दूसरे, वह प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी।

२. महात्मा गाँधी की हत्या के बाद प्रांतों में अनेक हिन्दू सभा के कार्यकर्त्ता गिरफ्तार किये गये। उनमें से अनेक के प्रति कोई विशेष

दोषारोप भी नहीं हैं; किन्तु फिर भी वे जेलों में हैं। इनके अतिरिक्त अनेक प्रांतों में उन पर प्रतिबंध भी लगे हुए हैं, जैसे महासभा के सचिव श्री वी० जी० देशपांडे पर उनकी जेल से मुक्ति के बाद भी प्रतिबन्ध लगे हुए हैं। इन नेताओं तथा कार्यकर्त्ताओं को मुक्त कर दिया जाय और प्रतिबंधों को हटा दिया जाय।

३. हिन्दू महासभा की अखिल भारतीय परिषद् का यह मत है कि सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो प्रतिबंध जारी रखा है वह अनुचित है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत २५ वर्षों से कार्य कर रहा है। लोगों ने उसके कार्य की प्रशंसा की है।

संघ गुप्त संस्था नहीं है। वह प्रकट रूप में कार्य करता है। उसके सदस्य शारीरिक व्यायाम आदि खुले में प्रातः-सायं नियत समय पर करते हैं। उसमें सभी विचार के सरकारी बड़े अधिकारी तथा जनता के उत्तरदायी व्यक्ति हैं। संघ अस्त्र-शस्त्र जमा करता है, ऐसा दोषारोप भी गलत है। सरकार को चाहिए कि जो ऐसा करे उसके विरुद्ध शस्त्र-कानून के अधीन कार्यवाही की जाय। संघ की निजी सेना भी नहीं। परिषद् का यह मत है कि यह दोषारोप करना कि संघ का लिखित विधान नहीं है प्रसंगानुकूल नहीं है; क्योंकि संघ गत २५ वर्षों से तरुण समाज में सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य कर रहा है। देश के विभाजन के फलस्वरूप जो भयंकर काण्ड हुए उनके कारण संघ के सदस्यों को आततायियों से स्त्रियों तथा बालकों की रक्षा के लिए कार्य करना पड़ा, जैसा कि अन्य संस्थाओं ने भी किया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दो सप्ताह के समय में ५०,००० व्यक्तियों को 'सत्याग्रह' में जेल में भेजने में सफल हो चुका है। देश के सभी भागों से इसमें जनता ने भाग लिया है। इतनी बड़ी संख्या में व्यक्तियों को जेलों में बंद करने का परिणाम देश में कटुता पैदा करेगा। अतः संघ पर से प्रतिबंध हटा लेना चाहिए।

हिन्दू महासभा की परिषद् हिन्दू महासभा के सुप्रसिद्ध नेता डा० एल० वी० परांजपे (मध्यप्रदेश महासभा के अध्यक्ष); श्री एन० पंचनाथम् अय्यर (मद्रास हिन्दू महासभा के अध्यक्ष); श्री एम० वी० गणपति (प्रधान मंत्री, मद्रास हिन्दू महासभा) तथा श्री श्रीनिवास अय्यर की गिरफ्तारी पर खेद प्रकट करती है। इनका संघ के सत्याग्रह से कोई संबंध नहीं है। अतः इन्हें जेल से मुक्त कर दिया जाय।

४. हिन्दू महासभा की परिषद् का यह विचार है कि वर्तमान संविधान परिषद् हिन्दू धार्मिक तथा समाजिक कानूनों में संशोधन करने के योग्य नहीं है; क्योंकि उसका निर्माण संविधान बनाने के हेतु हुआ था।

५. हिन्दू महासभा-परिषद् के विचार में प्रान्तीय व केन्द्रीय सरकारों ने शरणार्थियों के पुनर्वास की जो व्यवस्था की है उसे बड़े खेद के साथ देखती है और उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्य करने के लिए आग्रह करती है—

(१) शरणार्थियों के निवास के लिए गृहों का निर्माण शीघ्रता क साथ किया जाय।

(२) शरणार्थियों की जीविका के लिए साधन प्रस्तुत किये जायँ।

(३) शरणार्थियों की सहायता के लिए अधिक सुगम शर्तों पर ऋण व सहायता दी जाय और उनकी क्षति-पूर्ति की भी व्यवस्था की जाय। उनकी सहायता के कोष के लिए विशेष टैक्स भी लगा दिया जाय।

(४) शरणार्थी सहायता व पुनर्वास की व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने के लिए सहायता-संस्थाओं में जनता तथा शरणार्थियों की समितियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाय।

(५) यह परिषद् बड़े जोरदार शब्दों में यह आग्रह करतो है कि पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल में जनसंख्या का परिवर्तन उसी अनुपात से हो जिस अनुपात से पूर्वी बंगाल से हिन्दू भारत में आये।

६. यह परिषद् अध्यक्ष श्री एल० वी० भोपतकर के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती है, जिन्होंने वीर विनायक सावरकर (भूत-पूर्व अध्यक्ष, हिन्दू महासभा) की प्रतिरक्षा के लिए गाँधी-हत्या केस में व्यवस्था की है।

३—भारतीय संघीय मुस्लिम लीग

मुस्लिम-लीग के इतिहास पर एक दृष्टि—

भारत में मुसलमानों की प्रतिनिधि-संस्था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सन् १६०६ में हुई। आरम्भ में मुस्लिम-लीग प्रभावशाली संस्था नहीं थी। किन्तु इसके अतिरिक्त और कोई संस्था नहीं थी। अतः इसी को मुसलमानों की प्रतिनिधि-संस्था मान-कर सन् १६१६ में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने समझौता किया। इसके अनुसार काँग्रेस ने प्रांतों में तथा केन्द्र में मुसलमानों के लिए विधान-सभाओं में नियत संख्या में पृथक् निर्वाचन के आधार पर स्थान स्वीकार कर लिये। इस प्रकार यह राष्ट्रीय काँग्रेस की पहली महान् भूल थी।

इस प्रकार सन् १६०६ के मिण्टो-मार्ले शासन-सुधारों के आधार पर बनाये गये भारत शासन कानून में मुसलमानों को सबसे पहले जो पृथक् निर्वाचन का अधिकार मिला था, उस पर राष्ट्रीय काँग्रेस की स्वीकृति की मुहर लग गई। सन् १६१६ में जो भारत शासन-कानून बना उसमें मुसलमानों को और भी अधिक स्थान, उनकी जन-संख्या के अनुपात से भी अधिक, दे दिये गये। सन् १६३५ के विधान में तो स्पष्ट रूप से सिंध, सीमाप्रान्त, बंगाल तथा पंजाब में मुसलमानों को बहुमत दे दिया गया, जिससे उनकी सरकारें स्थापित हो गईं। सन् १६३५ के बाद मुस्लिम-लीग का नेतृत्व श्री मुहम्मद अली जिन्ना के हाथों में आया और उन्होंने राष्ट्रीय काँग्रेस के विरुद्ध प्रचार करके लीग को एक शक्तिशाली संस्था बना दिया। इस प्रकार सन् १६३७ में लीग का भारत की राजनीति में श्री जिन्ना के व्यक्तित्व के कारण बड़ा महत्त्व हो गया था; किन्तु बंगाल, पंजाब आदि में लीग की, चुनावों में, पूरी हार हुई। किन्तु श्री जिन्ना ने बंगाल में कृषक-

प्रजा-पार्टी के नेता (श्री फजलुल हक) तथा पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के नेता (सर सिकन्दर हयात खाँ) के सहयोग तथा प्रभाव से मुस्लिम-लीग को एक शक्तिशाली संस्था बना लिया। सन् १९३९ के अक्टूबर में युद्ध के प्रश्न पर काँग्रेस-मंत्रि-मण्डलों ने त्याग-पत्र दे दिये। अब लीग को सुवर्ण अवसर हाथ लग गया। श्री जिन्ना ने सन् १९३९ में एक लेख में सबसे प्रथमवार यह कहा कि भारत में हिन्दू व मुस्लिम दो जातियाँ नहीं, वरन् दो राष्ट्र हैं। अतः मुस्लिम राष्ट्र के लिए पृथक् राज्य भी होना चाहिए। बस, सन् १९४० के मार्च में लाहौर में मुस्लिम-लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। महात्मा गाँधी तथा काँग्रेस के नेताओं, तथा हिन्दू महासभा आदि सभी ने पाकिस्तान की योजना का विरोध किया। इस योजना को एक कल्पना कह कर इसकी खिल्ली उड़ाई जाती थी। किन्तु लीग के नेता इसमें अटल विश्वास रखते थे। मार्च, सन् १९४२ में क्रिप्स मिशन भारत में आया और अपनी योजना में प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक् हो जाने का अधिकार देने की बात कहकर अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की माँग को स्वीकृति दे दी। इसके बाद काँग्रेस इसके लिए चिन्तित होने लगी कि भारत में राष्ट्रीय सरकार बने। किन्तु ऐसी सरकार उसी समय बन सकती थी, जब कि लीग व काँग्रेस में समझौता हो जाय और पाकिस्तान के प्रश्न पर समझौता कैसे हो सकता था; जब कि काँग्रेस पहले से उसके विरुद्ध प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी थी। अब श्री राजगोपालाचार्य के नेतृत्व में मई, १९४२ में एक ऐसा दल बन गया, जो राष्ट्रीय स्वाधीनता-संघर्ष की अपेक्षा मुस्लिम-लीग के साथ समझौते को अधिक श्रेय देने लगा। उसका यह विश्वास था कि मुस्लिम -लीग से समझौता हुए बिना राष्ट्रीय सरकार और स्वाधीनता दोनों ही असंभव हैं। श्री राजगोपालाचार्य इस कार्य के लिए अपने कुछ साथियों के साथ काँग्रेस से पृथक् हो गये। वे श्री जिन्ना से मिले और काँग्रेस तथा लीग में समझौता कराने की चेष्टा करने लगे। इसका फल यह निकला कि श्री जिन्ना को अब विश्वास होने लगा कि पाकिस्तान की माँग काँग्रेस द्वारा

स्वीकार कर ली जायगी। सन् १९४४ में गाँधी जी जेल से मुक्त हुए और श्री राजागोपालाचार्य की मंत्रणा से वे श्री जिन्ना के निवास स्थान (मालाबार हिल, बंबई) में १७ दिनों तक बराबर समझौते की वार्ता करते रहे। गाँधीजी का प्रयत्न तो सफल नहीं हुआ। किन्तु पाकिस्तान की माँग शक्तिशाली हो गई।

मार्च, सन् १९४६ में केबिनेट मिशन यहाँ आया। उसने पाकिस्तान की माँग को स्वीकार नहीं किया। परन्तु प्रांतों के उपसंघ (Group) की रचना की व्यवस्था ने मुस्लिम-लीग व काँग्रेस के बीच एक विकट समस्या खड़ी कर दी। इससे श्री जिन्ना को संयुक्त भारत की केबिनेट-मिशन वाली योजना को स्वीकार करके भी अस्वीकार कर देना पड़ा। अन्त में लार्ड मौंटबेटेन यहाँ वायसराय बनकर मार्च, १९४७ में आये और उन्होंने भारत के विभाजन की योजना तैयार की। उस पर काँग्रेस, लीग व सिक्ख-दल की पूर्व स्वीकृति ले ली और लंदन में मंत्रि-मण्डल से भी उसे स्वीकार करा लिया। १५ अगस्त, १९४७ को भारत देश का विभाजन हो गया।

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अन्तिम अधिवेशन १४ व १५ दिसम्बर, १९४७ को कराँची में श्री मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में हुआ। इसमें यह निश्चय किया गया कि मुस्लिम लीग को भी दो भागों में विभाजित कर दिया जाय; एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दूसरी भारतीय संघीय-मुस्लिम-लीग।

दो मुस्लिम लीग स्थापित करने का निश्चय

कराँची में उक्त अधिवेशन में दो मुसलिम् लीग स्थापित करने का निश्चय किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के संयोजक लियाकतअली खाँ और भारतीय संघ की मुस्लिम लीग के संयोजक एम० मुहम्मद इस्माइल, अध्यक्ष, मद्रास मुस्लिम लीग चुने गये। यह निश्चय किया गया कि दोनों की कौंसिलों की बैठकें क्रमश: कराँची व मद्रास में संयोजक करेंगे। ये कौंसिलें दोनों के विधान स्वीकार करेंगी। भारतीय संघ तथा पाकिस्तान के मुसलमानों के तीन-तीन प्रतिनिधियों की एक समिति मुस्लिम-लीग की सम्पत्ति के विभाजन

के लिए नियुक्त की गई। लीग के पास उस समय ७२ लाख रुपये की पूँजी थी। किन्तु बाद में यह निश्चय किया गया कि इस पूँजी का बँटवारा न किया जाय।

इस कराँची मुस्लिम अधिवेशन में विभाजन के फलस्वरूप जो उपद्रव हुए उनके संबंध में एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया, जो निम्न प्रकार है–

"अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की कौंसिल जो जून, १९४७ में दिल्ली में अपने अधिवेशन के बाद आज यहाँ उपस्थित है, उन व्यापक हिंसा काण्डों तथा उपद्रवों पर अपना गंभीर दु:ख प्रकट करती है, जो विभाजन के बाद हुए हैं। मुस्लिम अल्पमत के विरुद्ध भारत में जो साम्प्रदायिक विद्वेष की लहर प्रचंड रूप में व्याप्त है, जहाँ काँग्रेस की ओर से अल्पमतों के हितों की रक्षा के लिए आश्वासनों के बावजूद भी मुस्लिम जीवन तथा सम्पति खतरे में है, उनके कारोबार, उद्योगधंधे, व्यवसाय आदि सब बन्द पड़े हैं और उन पर नाना प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं, केवल इसलिए कि वे मुस्लिम हैं। इस स्थिति के कारण कौंसिल अपनी गंभीर चिन्ता प्रकट करती है। कौंसिल अपना अत्यन्त दु:ख इस बात पर प्रकट करती है कि यद्यपि भारत का विभाजन एक ऐसे समझौते के आधार पर हुआ है, जिससे काँग्रेस व लीग दोनों ही सहमत थे, भारतीय संघ में कुछ प्रभावशाली समुदाय इस समझौते की भावना के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और भारतीय संघ में मुस्लिम अल्पमत को देशद्रोही कहकर कलंकित कर रहे हैं (क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया, जिसे काँग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया) तथापि भारतीय संघ के मुसलमानों ने भारतीय संविधान परिषद् में और बाहर इस प्रकार की स्पष्ट घोषणा कर दी है कि उनके हित भारतीय हित से संबद्ध हैं और वे भारतीय शासन के प्रति निष्टावान हैं।

"लीग कौंसिल बड़े दु:ख के साथ इसकी निंदा करती है और खेद प्रगट करती है कि कायदे-आजम जिन्ना और लीग की ओर से स्पष्ट आदेश होने पर भी कि अल्पमतों को किसी प्रकार की हानि

नहीं पहुँचायी जाय, दुर्भाग्य से पाकिस्तान के कुछ भागों में हिंसक काण्ड किये गये जिससे गैर-मुस्लिम जातियों की जीवन व सम्पति की हानि हुई।"

अल्पमतों के लिए आश्वासन

कराँची अधिवेशन में लीग कौंसिल ने अल्पमतों की रक्षा के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया:—

"लीग कौंसिल भारतीयसंघ तथा पाकिस्तान, दोनों की सरकारों को यह याद दिलाती है कि इन दोनों ने संयुक्त रूप से यह आश्वासन दिया था अल्पमतों के जीवन तथा सम्पत्ति की पूरी रक्षा की जायगी और उनके अधिकारों तथा हितों की पूरी गारंटी होगी। यह कौंसिल अत्यन्त जोर के साथ दोनों राज्यों की सरकारों से यह आग्रह करती है कि सच्चाई के साथ इन आश्वासनों का पालन किया जाय। कौंसिल को यह आशा है कि दोनों सरकारें अपने दायित्वौं का अनुभव कर, सम्मिलित रूप से विचार करके एक अधिकार-पत्र (Charter of Rights) तैयार करेंगी, जिससे दोनों राज्यों में अल्पमत सम्मानपूर्वक अपन-अपना जीवन बित सकें। कौंसिल को यह भी आशा है कि दोनों राज्यों की सरकारें समझौता तथा संधियाँ करके परस्पर मैत्री-पूर्ण संबंध कायम रखेंगे।"

भारतीय-संघीय मुस्लिम-लीग

१० मार्च, १९४८ को मद्रास में भारतीय-संघीय मुस्लिम लीग कौंसिल का अधिवेशन हुआ। इसमें मुस्लिम-लीग के पदाधिकारियों का चुनाव निम्नप्रकार से किया गया:—

१. अध्यक्ष—एम० मुहम्मद इस्माइल साहेब, एम० एल० ए०, सदस्य संविधान-परिषद्। (मद्रास)

२. मंत्री—महबूब अली वेग साहेब, एम० एल० ए०, सदस्य, संविधान-परिषद्। (वेजवाड़ा)

३. कोषाध्यक्ष—हाजी हुसेन अली पी० इब्राहिम। (बंबई)

कार्य-समिति के सदस्य

(१) एम० मुहम्मद इस्माइल साहेब, एम० एल० ए०, सदस्य, संविधान परिषद् (मद्रास); (२) महबूब अली बेग, बी० ए० बी०-एल०, एम० एल० ए० सदस्य, संविधान-परिषद् (बेजबाड़ा); (३) हाजीहुसैन अली पी० इब्राहिम साहब, एम० एल० ए० (बंबई); (४) एस० ए० राफ शाह साहेब, बी० ए०, एल० एल० बी, एम० एल० ए० (नागपुर सिटी); (५) बी० पोकर साहेब, बी० ए०, बी० एल०, एम० एल० ए०, एम० सी० ए० (मद्रास); (६) क० टी० एम० अहमद इब्राहिम साहेब, बी० ए०, बी० एल, एम० एल० सी०, एम० सी० ए० (मद्रास); (७) ए० ए० खान साहेब, एम० ए०, एल०एल० बी०, एम० एल० सी० एम० सी ए० (पूना) (८) अब्दुल-खादर मुहम्मद शेख साहेब, एम० एल० ए०, एम० सी० ए० (सूरत); (९) हाजी मुहम्मद इस्माइल साहब, बी० ए०, बी० एल०, एम०-एल० ए० (बेलारी, मद्रास); (१०) क० एम० सीथी साहेब, बी० ए०, बी० एल०, एम० एल० ए० (तेलीचेरी); (११) अब्दुल कादिर हाफिजका, बी० ए० (बंबई); (१२) एम० ए० मजीद खां साहेब (विरमजा पेठ, कुर्ग); (१३) एच० एम० इस्माइल साहेब टाविश, (बंगलोर, मैसूर); (१४) मुहम्मद युसूफ साहेब (नागपुर)। नया विधान बनाने के लिए एक उपसमिति नियुक्त कर दी गयी जिसने १० जून, १९४८ तक अपनी रिपोर्ट कौंसिल को दी।

भारतीय-संघीय मुस्लिम लीग के प्रस्ताव

१० मार्च, १९४८ को मद्रास में भारतीय संघ की मुस्लिम लीग कौंसिल ने निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किये:—

१. "………मुस्लिम लीग सच्चे हृदय से देश के विविधि जन-समुदायों के बीच सद्भाव तथा पूर्ण सामंजस्य की स्थापना के लिए प्रयत्न करेगी जिससे जनता की ऐश्वर्य एवं आनन्द की ओर शीघ्रता के साथ प्रगति हो सके। यह कौंसिल समस्त मुसलमानों को यह आदेश देती है कि विविध समुदायों में मेल-मिलाप की स्थापना के लिए वे अन्य संस्थाओं के साथ अधिकाधिक सहयोग करें।"

२ "मुस्लिम लीग अब अपना ध्यान मुख्यत: मुसलमानों के धार्मिक, सांस्कृतिक, शिक्षा-संबंधी तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि पर देगी।"

२. "यह अधिवेशन अपना मत स्पष्ट रूप में प्रकट करता है कि मुस्लिम राष्ट्रीय रक्षा-दल (Muslim National Guards) का उद्देश्य सदैव शान्तिमय रहा है और वह सामाजिक सेवा करता रहा है। अतः ऐसी दशा में केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों द्वारा इस पर प्रतिबन्ध लगा देना सर्वथा अनुचित है। किन्तु, फिर भी यह कौंसिल इस निश्चय की पुष्टि करती है कि मुसलिम नेशनल गार्ड भंग कर दिया गया है जैसा कि भारतीय-संघीय मुस्लिम लीग के संयोजक ने घोषित कर दिया है।"

३० मई, १९४८ को लीग की कार्य-समिति ने जो प्रस्ताव स्वीकार किये उनमें से सबसे महत्त्वपूर्ण निम्नलिखित हैं–

१. "भारत-सरकार ने अपहृत नारियों की रक्षा करने तथा पूजास्थानों को पुनर्स्थापित करने एवं अभागे शरणार्थियों के पुर्नवास के लिए जो प्रयास किया है वह सच्चाई एवं ईमानदारी के साथ किया गया है और वह उसकी प्रशंसा करती है। यह समिति भारत सरकार से यह अपील करती है कि वह इस उदेश्य की प्राप्ति के लिए और भी अधिक प्रयास करे तथा भारतीय रियासतें इस कार्य में भारत सरकार का सहयोग दें।

२. "कार्य-समिति यह संतोष के साथ देखती है और आशा करती है कि अपने मतभेदों व अल्पमतों की समस्या के समाधान के लिए भारतीय तथा पाकिस्तान सरकारों ने अन्तः अधिराज्य सम्मेलनों के आयोजन द्वारा जो प्रयत्न किये हैं, वे जारी रहेंगे और उनके द्वारा अल्पमतों की समस्या का भली-भाँति समाधान हो सकेगा और अल्पमत दोनों राज्यों में सुखी व संतुष्ट रह सकेंगे।

३. "यह कार्य-समिति उस प्रस्ताव का घोर विरोध करती है जो श्री अनन्तशयनम् आयंगर ने भारतीय संसद में साम्प्रदायिक संस्थाओं के संबंध में रखा था और जो भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है; क्योंकि यदि इसको कार्य रूप में परिणत किया गया तो इससे सभा-सम्मेलन करने की स्वतंत्रता के उस अधिकार पर आघात पहुँचेगा जो संविधान के प्रारूप द्वारा स्वीकार किया गया है और यह

समिति भारत-सरकार से यह प्रार्थना करती है कि वह इस प्रस्ताव पर अमल न करे; क्योंकि इससे धार्मिक-सम्प्रदायों तथा अल्पमतों द्वारा राजनीतिक संघटन के अधिकार पर प्रतिबन्ध लग जायगा। ऐसा किसी भी देश में नहीं है।

४. "कार्य-समिति मुस्लिम-लीग के सदस्यों तथा मुस्लिम नेशनल-गार्ड के सदस्यों को कारागारों में बन्दी रखने के संबंध में चिन्ता प्रकट करती है, जबकि मुस्लिम नेशनल गार्ड भंग कर दिया गया है और लीग किसी ऐसी कार्यवाही में भाग नहीं लेती है जो राष्ट्र-विरोधी हो; नजरबन्दों ने यह प्रतिज्ञा भी कर ली है कि उनका गार्ड से कोई संबंध नहीं और न वे उसमें भाग लेंगे। अत: भारत सरकार उन्हें शीघ्र मुक्त कर दे।

५. "यह समिति इस पर चिन्ता और रोष प्रकट करती है कि भारतीय संविधान परिषद् ने मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के लिए प्रथम निर्वाचन-प्रणाली को रद्द कर संयुक्त निर्वाचन-प्रणाली को स्वीकार किया है। प्रथम निर्वाचन-प्रणाली पूर्व शासन के समय से चली आ रही थी और सच्चे मुस्लिम प्रतिनिधियों को चुनने के लिए यह अच्छी प्रणाली थी। यह समिति संविधान परिषद् से यह निवेदन करती है कि वह उसी पहली प्रणाली को कायम रखे। शिक्षा-संस्थाओं में मुसलमानों को धार्मिक शिक्षा देने के अधिकार को भी स्वीकार करे।

६. "यह कार्य-समिति इस बात पर गंभीर चिन्ता प्रकट करती है कि कुछ प्रांतीय सरकारों ने ऐसा कदम उठाया है जिससे कुछ राजकीय सेवाओं में से मुसलमानों को वहिष्कृत-सा कर दिया गया है; इससे अल्पमतों को यह भय हो गया है कि सरकारों द्वारा उनके साथ अनुचित भेदभाव की नीति का प्रयोग किया जा रहा है। यह समिति सरकारों से यह अपील करती है कि भारतीय संघ के नागरिकों के नाते मुसलमानों के साथ न्यायका व्यवहार किया जाय।

१ तथा २ फरवरी, १९४९ को मद्रास में भारतीय-संघीय मुस्लिम लीग की कार्य-समिति द्वारा स्वीकृत महत्त्व-पर्ण प्रस्ताव निम्न प्रकार हैः—

१. यह कार्य-समिति की बैठक कायदे-आजम मुहम्मद अली जिन्ना की दुःखद मृत्यु पर खेद प्रकट करती है जिनका देश के लिए बहुमूल्य सेवाओं और विशेषरूप से मुसलमानों के लिए सेवाओं के कारण विश्व के इतिहास में एक अनुपम स्थान बन गया था और जिनका कुशल नेतृत्व वर्तमान समय में बड़ा उपयोगी सिद्ध होता।

२. यह बैठक भारतीय संघ के मुसलमानों को बधाई देती है कि उनके मार्ग में अनेक कठिनाइयों तथा उनके प्रति कुछ जन-समुदायों में संशय एवं सन्देह का दृष्टिकोण होने पर भी उन्होंने अपने हितों को भारतीय हितों के साथ मिला दिया है। यह समिति मुसलमानों से विशेषतः यह अपील करती है कि पड़ोसी राज्यों में हिंसा, अराजकता तथा भ्रान्ति-पूर्ण विचारों के प्रचलित होने के कारण तथा इस समय संसार के राष्ट्रों में शक्ति की राजनीति का खेल होने के कारण मुसलमान भारत सरकार के साथ अपना सहयोग जारी रखे जिससे देश में से समस्त विनाशक तत्वों का नाश हो जाय और देश में कानून-व्यवस्था की स्थापना में सहायता दें जिससे सरकार के हाथ मजबूत हों और राज्य शक्तिशाली और प्रभावकारी साधन बन कर देश में सुख-समृद्धि की व्यवस्था करे और वह संसार में भी शान्ति, व्यवस्था तथा सद्भावना प्रतिष्ठित करे।

३. यह समिति इस बात पर संतोष प्रकट करती है कि भारत के मुसलमान भारतीय मुस्लिम लीग के प्रति श्रद्धावान् हैं; वह उनकी एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है; समिति उनसे यह अपील करती है कि वे उस दूषित प्रचार के जाल में पड़कर पथ-भ्रष्ट न हो जायँ जो आज भी लीग के विरुद्ध कुछ लोग कर रहे हैं और यह भी इस तथ्य के बावजूद थी कि एक राजनीतिक संस्था ही वास्तव में और प्रभावकारी ढंग से मुसलमानों के धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शिक्षा-संबंधी तथा सामाजिक हितों व अधिकारों की रक्षा कर सकती है। यह समिति उन मुस्लिम सदस्यों की विफलता की ओर ध्यान आकर्षित करती है जो तथाकथित अ-साम्प्रदायिक संस्थाओं में हैं और वे मुस्लिम हितों की

रक्षा के लिए उँगली भी नहीं उठा सके। जैसे, इन मामलों में मुस्लिम व्यक्तिगत कानून; धार्मिक शिक्षा; उर्दू का स्थान।

४. यह समिति अपने इस निश्चय को पुन: दुहराती है कि अल्पमत जातियों को समुचित तथा प्रभावकारी रूप में अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए पृथक् प्रणाली (seperate electorate) बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होगी। इससे देश में शान्ति , संतोष और सामंजस्य की प्रतिष्ठा हो सकेगी। समिति को यह खेद है कि संविधान परिषद् ने पृथक् निर्वाचन पद्धति का अन्त कर दिया है। अत: यह समिति संविधान परिषद् से पुन: यह निवेदन करती है कि पृथक् निर्वाचन-प्रणाली की पुनर्प्रतिष्ठा करे। यह समिति इस प्रवृत्ति की निन्दा करती है जो मुसलमानों के लिए सुरक्षित स्थानों को भी उठा देने के पक्ष में हैं।

५. यह समिति भारत-सरकार के प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू द्वारा हिन्देशिया के संबंध में किये गये प्रशसंनीय उद्योग की प्रशंसा करती है।

६. काश्मीर की समस्या के संबंध में भारतीय-संघ की सरकार तथा पाकिस्तान की सरकार ने शान्तिपूर्वक समाधान के लिए जनमत-संग्रह का जो मार्ग ग्रहण किया है उसका यह समिति स्वागत करती है और यह आशा करती है कि दोनों के बीच घनिष्ट मैत्री-संबंध-स्थापित हो जायगा।

७. इस समिति को इस बात के लिए चिन्ता है कि भारतीय संविधान परिषद् मुसलमानों के कानून की रक्षा करने, स्कूलों में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करने तथा मातृभाषा द्वारा शिक्षा की व्यवस्था करने में विफल रही है। मुसलमानों की ओर से प्रतिनिधियों द्वारा परिषद् में ध्यान दिलाने पर भी इस दिशा में कुछ नहीं किया गया। अत: संविधान परिषद् में बहुमत दल से यह अपील करती है कि इन महत्त्व-पूर्ण मामलों में न्याय किया जाय।

८. यह समिति कुछ प्रांतों तथा रियासतों द्वारा किये गये गोवध-निषेध पर दु:ख प्रकट करती है। इसमें पशु की आर्थिक उपयोगिता

पर विचार नहीं किया गया है और न इस बात पर ही विचार किया गया है कि गो-माँस मुसलमानों तथा अन्य जातियों की एक बड़ी संख्या के व्यक्तियों, विशेषतया गरीब व्यक्तियों के लिए मुख्य खाद्य है। इस निषेध से एक बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को ही संकट में नहीं डाला गया है, वरन् माँस बेंचने वाले गरीब लोगों के धंधे पर भी कुठाराघात किया गया है। जो पशु काम के योग्य नहीं हैं उनका वध न करने से कृषि-अर्थ-नीति पर बड़ा बोझ आ पड़ेगा। अतः केन्द्रीय, राज्यों तथा प्रांतों की सरकारों से यह अनुरोध है कि वे कम से कम काम न करने योग्य पशुओं के वध पर से रोक हटा दें।

स्वधीनता के बाद भारत में मुस्लिम राजनीति

१५ अगस्त, १६४७ के बाद भारत में मुस्लिम राजनीति में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हो गये हैं, जो उक्त प्रस्तावों की भाषा, शैली तथा भावों से परिलक्षित हैं।

सर्वप्रथम तो मुस्लिम जनता मुस्लिम लीग के प्रति श्रद्धावान् नहीं रही है। जब से भारत-सरकार ने यह निश्चय किया है कि भारतीय-संघ में साम्प्रदायिक राजनीति को स्थान नहीं होगा, तब से मुस्लिम लीग का प्रभाव नष्ट हो गया है।

अतः मुसलमानों में धार्मिक अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर कार्य करने वाली संस्थाएँ अधिक बढ़ रही हैं। जैसे, जमीअत-उल-उलेमा-ए-हिन्द। इस संस्था से मौलाना अबुलकलाम आजाद का संबंध है।

मुसलमानों की ओर से हिन्दू-मुस्लिम सहयोग तथा सामंजस्य के लिए प्रयत्न किया जाता है।

मुसलमान भारत-सरकार का समर्थन करते हैं और भारत सरकार ने हैदराबाद तथा काश्मीर में जो कार्यवाही की उसका मुसलमानों ने समर्थन किया।

भारत के मुसलमानों की एक बड़ी संख्या भारतीय मुस्लिम लीग से संबंध नहीं रखती। मद्रास में मई, १६४८ में जो अधिवेशन

हुआ उसमें १४७ में से ३० सदस्यों ने ही भाग लिया। उसकी कार्य-समिति में मद्रास, बंबई और मध्यप्रदेश के ही मुस्लिम हैं। उत्तर भारत के कोई भी सदस्य उसमें नहीं हैं। लीग से बाहर जो मुसलमान हैं, वे साम्प्रदायिक निर्वाचन, साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व, तथा साम्प्रदायिक राजनीतिक संघटन के विरुद्ध हैं। इस कारण मुस्लिम लीग ने मद्रास में जो भी निश्चय किये उनका देश की मुस्लिम जनता ने स्वागत नहीं किया।

मुसलमानों में राष्ट्रीय विचार उत्पन्न कर उन्हें कांग्रेस में मिलाने के लिए जिन राष्ट्रीय मुस्लिम नेताओं ने अधिक अथक श्रम किया, उनमें मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इस उद्देश्य से उन्होंने २९ जनवरी, १९४८ को एक अपील १५ लाख रुपये का कोष संग्रह करने के लिए निकाली। वह अंग्रेजी व उर्दू भाषाओं में दो पत्र निकालना चाहते थे जिससे मुसलमानों में राष्ट्रीय मनोवृत्ति जाग जाय। मौलाना आजाद के नेतृत्व को देश के सभी प्रमुख मुसलमानों ने स्वीकार किया। २१ जनवरी, १९४८ को कोयम्बटोर (मद्रास) में सब प्रकार के विचार रखने वाले मुसलमानों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें मौ० आजाद के पथ-प्रदर्शन का स्वागत किया गया। गुजरात मुस्लिम सम्मेलन 'बाम्बे क्रानिकल' के संपादक एस० ए० ब्रेल्वी के सभापतित्व में २१ व २२ फरवरी, १९४८ को सम्पन्न हुआ जिसमें यह निश्चय किया गया कि मौ० आजाद का समर्थन किया जाय और मुसलमानों को कांग्रेस में सम्मिलित हो जाना चाहिए। कामटी (नागपुर) में मोमिन सम्मेलन ने यह निश्चय किया कि मोमिन् कांग्रेस में मिल जायँगे। दरभंगा में ४००० मुस्लिम लीगी सदस्यों ने कांग्रेस के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर किये। नवगाँव (आसाम) के सब मुसलमान कांग्रेस में मिल गये। बंबई प्रान्तीय मुस्लिम लीग ने यह प्रस्ताव किया कि बंबई कारपोरेशन में लीग पार्टी के जो सदस्य हैं, उन्हें कांग्रेस राष्ट्रीय दल में मिल जाना चाहिए; किन्तु बंबई कारपोरेशन की लीग-पार्टी ने यह निश्चय किया कि वह एक असाम्प्रदायिक दल का निर्माण करेगी और इस प्रकार जनता-दल का निर्माण

किया गया। बाद में बम्बई प्रान्तीय मुसलिम लीग की कार्य-समिति ने एक प्रस्ताव इस आशय का स्वीकार किया कि मुस्लिम लीग राजनीति में भाग नहीं लेगी और उसने प्रान्तीय पार्लमेंटरी बोर्ड तथा समस्त शाखा-लीगों को यह आदेश दिया कि उनके सदस्य मद्रास के निर्णय के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो सकते हैं। १ मई, १९४८ को बंबई में प्रगतिशील मुस्लिम नेताओं का सम्मेलन डा० अब्दुल हमीद काजी के सभापतित्व में हुआ जिसमें यह निश्चय किया गया कि राजनीतिक उद्देश्य से मुसलमानों को काँग्रेस में सम्मिलित होना चाहिए और सांस्कृतिक उद्देश्य से 'जमीअत' में। मजलिसे-अहरार ने भी १४ जनवरी, १९४८ को अपनी अखिल भारतीय कौंसिल में यह निश्चय किया कि देश में काँग्रेस के सिवा और किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं है।

मजलिसे-अहरार को "खुदाये खालिक" (जनसेवक) के नाम से समाज-सेवा का कार्य करना चाहिए। 'जमीअत' के कार्यकर्त्ताओं का एक सम्मेलन बरेली (उत्तर प्रदेश) में हुआ जिसमें यह निश्चय किया गया कि उसके सदस्यों को काँग्रेस में मिल जाना चाहिए। कोचीन-त्रावणकोर में मुस्लिम लीग ने यह निश्चय किया कि वह राजनीतिक कार्यों में भाग नहीं लेगी। इसी प्रकार मैसूर की मुस्लिम लीग ने भी निश्चय किया।

जमीअते-उल-उलेमा

'जमीअते-उल-उलेमा हिन्द' मुसलमानों की एक पुरानी संस्था है, जो आरम्भ से काँग्रेस तथा राष्ट्रीय आन्दोलन का समर्थन तथा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की नीति का विरोध करती रही है। २७ व २८ अप्रैल, १९४८ को बंबई में इस संस्था का १५ वाँ अधिवेशन हुआ जिसमें पं० जवाहरलाल नेहरू ने भी भाषण दिया और मुस्लिम जनता से यह अपील की कि वे ऐहिक राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए अथक परिश्रम करें। इस सम्मेलन का उद्घाटन मौ० आजाद ने किया। इस सम्मेलन ने यह निश्चय किया कि जमीअत को पाकिस्तान की जमीअत से अपना संबंध तोड़ देना चाहिए, उसे राजनीति से भी

अपना संबंध त्याग कर शिक्षा, संस्कृति तथा धर्म की अभिवृद्धि के लिए कार्य करना चाहिए।

१७ अप्रैल, १६१६ को लखनऊ में जमीअत का अधिवेशन मौ० हुसेन अहमद मादनी के सभापतित्व में हुआ। इसमें १०,००० मुसलमानों ने भाग लिया। इसमें 'जमीअत' को एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में परवर्तित करने के लिए प्रस्ताव स्वीकार किया गया। और भी अनेक प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

मुसलिम-लीग तथा 'नेशनल गार्ड' भंग

महात्मा गाँधी जी के बलिदान के बाद भारत-सरकार ने साम्प्रदायिकता तथा अर्द्ध-सैनिक संस्थाओं को समाप्त कर देने के लिये प्रयत्न किया। इसके फलस्वरूप भारत के अनेक प्रदेशों में से मुस्लिम-लीग या तो भंग कर दी गयी अथवा वे राजनीति से पृथक् हो गयी। इसी प्रकार खाकसार-दल तथा मुसलिम नेशनल गार्ड भी भंग कर दिये गये। एम० मुहम्मद इस्माइल ने मद्रास में भारतीय संघ की मुस्लिम-लीग की स्थापना के लिए जो अधिवेशन आमांत्रित किया, उसे डा० सैयद ताजिउद्दीन, अब्दुल लतीफ फरुखी और शफी-मुहम्मद (मद्रास) ने अवैध तथा अनियमित बतलाया। उन्होंने यह घोषित किया कि दिसम्बर, १६४७ कराँची में मुस्लिम-लीग के अधिवेशन के बाद मुस्लिम-लीग अपने आप खत्म हो गयी। अतः मद्रास में यह एक नवीन संस्था बनायी गयी है। अतः लीग के सदस्य इसे मान्यता देने के लिए वाध्य नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश में अब साम्प्रदायिक राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है।

भारतीय संसद में मुसलिम-लीग पार्लमैंटरी पार्टी की २० फरवरी, १६४८ को बैठक हुई। नवाब मुहम्मद इस्माइल इसके अध्यक्ष थे। इसमें यह निश्चय किया गया कि ३० फरवरी, १६४८ से मुस्लिम-लीग पार्टी को भंग कर दिया जायगा।

१८ मार्च, १६४८ को पश्चिमी बंगाल मुस्लिम-लीग पार्लमैंटरी पार्टी भी भंग कर दी गयी। २० मार्च, १६४८ को आसाम मुस्लिम

लीग पार्लमैंटरी पार्टी भी भंग कर दी गयी। ३१ मई, १६४८ में यू० पी० मुस्लिम लीग की बैठक हुई जिसमें यह निश्चय किया गया कि लीग को राजनीति का त्याग कर सांस्कृतिक कार्य करना चाहिए। यू० पी० में लीग की पार्टी तथा पार्लमैंटरी बोर्ड समाप्त कर दिये गये तथा 'जनता-दल' नामक एक पार्टी बनायी गयी।

४—सिक्ख राजनीति

पाकिस्तान का निर्माण और सिक्ख—

पंजाब में सिक्ख समुदाय एक महत्त्वपूर्ण अल्पमत के रूप से रहा है। भारत में जब से क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ (मार्च, १६४२) तब से ही सिक्ख समुदाय में बड़ा असन्तोष और अशान्ति रही है। सिक्ख पाकिस्तान का आरम्भ से विरोध करते रहे हैं। क्रिप्स मिशन की योजना के संबंध में सिक्ख सर्वदल समिति ने स्पष्ट शब्दों में यह मत प्रकाशित किया था कि—

"......भारत की एकता को कायम रखने के स्थान में प्रांतों के पृथक् हो जाने तथा पाकिस्तान के निर्माण के संबंध में व्यवस्था की गयी है और सिक्ख सम्प्रदाय के हितों पर आघात किया गया है।"

इसके बाद भारत में अंग्रेजी सरकार ने सिक्ख जाति के गौरव को स्वीकार किया; क्योंकि उन्होंने द्वितीय युद्ध में बड़ी वीरता के साथ शत्रु को परास्त करने में योग दिया था। अतः सिक्ख प्रतिनिधियों को वायसराय ने अपनी कार्य-पालिका परिषद् में स्थान दिया और प्रत्येक राजनीतिक समझौता-वार्त्ता में उनको भी आमंत्रित किया जाने लगा।

सन् १६४६ में पंजाब प्रादेशिक विधान-सभा का निर्वाचन हुआ। इसमें अकाली दल ने अपने सुरक्षित स्थानों में से $\frac{2}{3}$ पर विजय प्राप्त कर ली। शेष $\frac{1}{3}$ स्थानों पर काँग्रेस के प्रतिनिधि चुने गये। मार्च, १६४६ में जब मंत्रि-मिशन यहाँ आया, तब सिक्ख समुदाय की ओर से उसके नेता मिशन से दिल्ली में मिले। प्रसिद्ध अकाली नेता मास्टर तारा सिंह भी उससे मिले। सिक्खों ने मंत्रि-

मिशन -योजना का विरोध किया। भारतीय संविधान परिषद् में ंजाब के २३ मुस्लिम, ६ हिन्दू तथा ४ सिक्खों को स्थान दिये गये। इससे सिक्ख बड़े रुष्ट हो गये। सिक्ख मिशन-योजना का विरोध रते रहे। जुलाई, १९४६ में जब पं० जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय न्तरिम सरकार का निर्माण किया, तब उसमें सिक्खों की ओर सरदार बलदेव सिंह को रक्षा-मंत्री नियुक्त किया गया। उसी समय कांग्रेस सिक्खों को यह आश्वासन देने लगी कि सिक्खों के हितों की ा के लिए पूरा प्रयत्न किया जायगा।

सिक्खों की माँग—

जनवरी, १९४७ में संविधान परिषद् के सिक्ख सदस्य ज्ञानी- रसिंह तथा सरदार उज्वल सिंह ने जोरदार शब्दों में यह णा की कि वे परिषद् से पृथक् हो जायँगे यदि उन्हें पंजाब तथा री पश्चिमी उपसंघ में साम्प्रदायिक प्रतिषेधाधिकार ommunal veto) नहीं दिया गया। अल्पमत मंत्रणा- ति में सिक्खों के प्रतिनिधान के प्रश्न पर उनके प्रतिनिधियों ने ण किया कि महान् अल्पमत समुदायों—सिक्ख, परिगणित ों, मुस्लिम—को समान प्रतिनिधित्व दिया जाय और उसका महात्मा गाँधी जैसे उच्चकोटि के नेता को बनाया जाय।

त विभाजन की योजना और सिक्ख—

, १९४७ को लार्ड मौंटबैटेन की भारत-विभाजन की योजना की गयी, तो इससे सिक्खों में बड़ा क्षोभ और असन्तोष या। पहले सरदार बलदेव सिंह ने मौंटबैटेन को यह लिखा व ऐसे किसी निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे जिससे सिक्खों ख्या या संघटन नष्ट होगा और जिससे हमारे तीर्थ-स्थानों नहीं मिलेगी। बाद में सरदार बलदेव सिंह ने सीमा- निर्णय को स्वीकार करने की घोषणा कर दी। जून, अन्त में अमृतसर में अकाली दल ने निम्नलिखित अधि- लिए अधिकार-पत्र (charter) तैयार किया।

पूर्वी पंजाब में पंजाबी-भाषी हिन्दुओं तथा सिक्खों के लिए एक पृथक् राज्य की स्थापन की जाय। यह कहा जाता है कि समस्त संस्थाओं के पास एक गुप्त सरक्यूलर भेजा गया और इसके लि धन भी संग्रह किया गया। जनसंख्या तथा सम्पति-संबंधी तथ्य तथा आंकड़े संग्रह करने की भी व्यवस्था की गयी।

सीमा-आयोग का निर्णय

जुलाई, १९४७ में जब सीमा-आयोग का निर्णय प्रकाशित हुआ, तब अमृतसर में अगस्त के तीसरे सप्ताह में पंथ-बोर्ड की बैठक में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किये गये—

१. "सीमा-आयोग के अध्यक्ष ने जो निर्णय दिया है वह सिक्खों के लिए बड़ा अन्यायपूर्ण है; सिक्ख सम्प्रदाय के समुचित दावों की पूर्ण उपेक्षा की गयी है। नानकाना साहेब और कर्तारपुर साहेब के पवित्र धार्मिक स्थान पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तान) में रखे गये हैं। पूर्वी पंजाब में लायलपुर, शुखपुरा और मौंटगोमरी जिलों की उपजाऊ भूमि का कोई भी भाग नहीं मिलाया गया है। सिक्ख सम्प्रदाय के, एकता-संगठन की सर्वथा उपेक्षा की गयी है। यहाँ तक कि सिक्खों के परम्परागत गृह मझा प्रदेश को भी छिन्न-भिन्न कर दिया गया है। इस प्रकार का निर्णय सिक्खों को स्वीकार्य नहीं हो सकता और न वे सुखी या सन्तुष्ट हो सकते हैं, जबतक इस निर्णय द्वारा किये गये गंभीर अन्याय को दूर न कर दिया जाय।

२. "पंथ-बोर्ड के विचार में निर्णय द्वारा जो स्थिति निर्मित हो गयी है उसका पूर्वी पंजाब तथा पाकिस्तान के बीच हिन्दू-मुसलमानों की जन-संख्या के परिवर्तन तथा सम्पति के परिवर्तन की योजना और दोनों सरकारों द्वारा पारस्परिक मिलकर सीमाओं में परिवर्तन करने की योजना द्वारा उपाय किया जा सकता था।"

शिरोमणि अकाली दल की स्थिति :

दिसम्बर, १९४७ में अकाली दल के नेता ज्ञानी कर्तार सिंह ने एक समाचार-पत्र-प्रतिनिधि-सम्मेलन में यह घोषणा की कि—

१. शिरोमणि अकाली दल भारत में ऐहिक राज्य की स्थापना में अपना पूर्ण सहयोग देगा। वह भारत में धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं चाहता।

२. सिक्ख अपने लिए कोई विशेषाधिकार नहीं चाहते। जो अधिकार अन्य अल्पमतों को दिये गये हैं, वे उन्हीं से सन्तुष्ट हैं।

३. सिक्ख पृथक् निर्वाचन-प्रणाली को नहीं चाहते। परन्तु उनके लिए विधान सभाओं में स्थान सुरक्षित कर दिये जायँ।

ज्ञानी कर्तारसिंह शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं। मास्टर तारा सिंह ने उसकी कार्य-समिति से त्यागपत्र दे दिया है।

सिक्खों के तीन दल :

सिक्खों में तीन मुख्य दल हैं, जो निम्न प्रकार हैं----

१. शिरोमणि अकाली दल---इस दल के अध्यक्ष ज्ञानी कर्तार सिंह हैं; यह दल सिक्खों का एक पृथक् अस्तित्व चाहता है। इसके प्रसिद्ध और प्रभावशाली नेता मास्टर तारा सिंह हैं।

२. पंथ-दरबार---दूसरा दल पंथ-दरबार के नाम से प्रसिद्ध है। इसके नेता पटियाला के महाराजा हैं। यह दल सिक्खों की पृथकता नहीं चाहता। सन् १९४९ के फरवरी मास में पटियाला में पंथ-दरबार की कार्य-समिति की बैठक में यह निश्चय किया गया कि दरबार राजनीति में भाग नहीं लेगा और न वह चुनाव ही लड़ेगा। उसका कार्य सांस्कृतिक ही होगा।

३. अखिल भारतीय राष्ट्रीय सिक्ख दल तीसरा दल है। सरदार सन्त सिंह इसके नेता हैं। यह दल काँग्रेस के साथ मिलकर कार्य करने के पक्ष में है।

५---भारत का समाजवादी दल

दल की स्थापना :

सन् १९३२ के सत्याग्रह के समय जब नासिक जेल में श्री जय-प्रकाश नारायण, श्री अशोक मेहता तथा श्री अच्युत पटवर्द्धन बन्दी थे, तब वे परस्पर मिलते थे और समाजवादी दल की स्थापना के संबंध में वार्त्ता करते एवं योजनाएँ बनाते थे। मई, १९३४ में पटना

में 'काँग्रेस समाजवादी दल' की स्थापना की गयी। श्री जयप्रकाश-नारायण उसके संगठन-मंत्री निर्वाचित किये गये। आरम्भ से समाजवादी दल काँग्रेस के भीतर रह कर कार्य करता रहा। उसकी नीति समूची काँग्रेस को समाजवादी संस्था के रूप में परवर्तित कर देने की रही। समाजवादियों तथा काँग्रेस-जनों के बीच संघर्ष सन् १६३६ से हुआ, , जब कि 'प्रान्तीय स्वराज्य' की स्थापना के लिए प्रांतों में निर्वाचन किये गये और उनमें काँग्रेस ने भाग लिया। समाजवादी आरम्भ में कौंसिल-प्रवेश के विरुद्ध थे। किन्तु जब काँग्रेस ने चुनाव लड़ना निश्चय कर लिया, तब समाजवादियों को भी मान लेना पड़ा।

मंत्रि-पद-ग्रहण का विरोध :

किन्तु जब ६ प्रांतों में काँग्रेस का विधान-सभाओं में विशाल बहुमत हो गया, तब काँग्रेस ने मंत्रि-पद-ग्रहण के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकार किया। समाजवादी इसके सर्वथा विरुद्ध थे। सन् १६३७ से अक्टूबर, १६३६ तक काँग्रेस-मंत्रि-मण्डल शासन करते रहे। इस काल में समाजवादी दल ने किसानों तथा मजदूरों का संगठन किया और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष भी किया। इस प्रकार समाजवादी दल एक प्रभावशाली संस्था बन गया।

'भारत छोड़ो' आन्दोलन : ८ अगस्त, १६४२ को जब गाँधी जी ने 'भारत छोड़ो' आन्दोलन आरम्भ किया तब समाजवादी नेताओं ने इसमें भाग लिया। इस दल के नेता अनेक प्रांतों में गुप्त रूप में कार्य करने लगे और उस समय जो हिंसात्मक तथा ध्वंसात्मक कार्यवाही की गयी उसके पीछे समाजवादी दल के कार्यकर्त्ताओं का भी हाथ था। सन् १६४५ में युद्ध समाप्त हो गया। काँग्रेस तथा सरकार के बीच समझौते की वार्ता होने लगी। सब राजबन्दी मुक्त किये जाने लगे। समाजवादियों को भी मुक्त कर दिया गया। मुक्त हो जाने के बाद समाजवादी दल एक शक्तिशाली संस्था के रूप में प्रकट हुआ। जब मार्च, १६४६ में केबिनेट मिशन भारत में भारतीय स्वाधीनता के प्रश्न का निपटारा करने आया, तब समाजवादियों ने उसका प्रबल विरोध किया।

काँग्रेस से पृथकता :

मार्च, १९४७ में कानपुर में 'काँग्रेस समाजवादी दल' का अधिवेशन हुआ। इसमें यह निश्चय किया गया कि समाजवादी दल को काँग्रेस से पृथक् होकर कार्य करना चाहिए। समाजवादी दल में गैर-काँग्रेसी भी सम्मिलित हो सकेंगे।

इस अधिवेशन में यह निश्चय किया गया कि समाजवादी दल का लक्ष्य भारत में "प्रजातांत्रिक समाजवाद" की स्थापना करना है। दल ने यह भी निश्चय किया कि यदि वैधानिक उपाय से समाजवादी व्यवस्था की स्थापना नहीं हुई, तो क्रान्तिकारी उपायों का अवलम्बन लेना पड़ेगा।

साम्यवादियों से मतभेद :

भारत का समाजवादी दल यद्यपि मार्क्सवाद का समर्थक है, तथापि वह सोवियत रूस द्वारा समर्थित तथा प्रचारित साम्यवादी दल (Communist Party) का विरोधी है। युद्ध से पूर्व इन दोनों दलों के बीच कोई मौलिक भेद-भाव नहीं था। युद्ध से पूर्व लाहौर में समाजवादी दल के अधिवेशन में स्वयं श्री जयप्रकाश नारायण ने लाल पताका को फहराते हुए यह घोषणा की थी कि साम्यवादी दल तथा समाजवादी दल में कोई भेद नहीं है। इन दोनों में तीव्र मतभेद युद्ध-काल में हो गया जबकि सन् १९४१ में युद्ध में सोवियत रूस पर हिटलर का आक्रमण होने के बाद उसके मित्र-पक्ष में हो जाने से भारत में साम्यवादी दल, जो पहले गुप्त रूप से कार्य करता था, अब प्रकट हो गया और वह युद्ध को 'जनयुद्ध' कह कर सरकार का सहयोग करने लगा। समाजवादी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे। इसके बाद से दोनों दलों में तीव्र मतभेद होते आये हैं और इस समय भी वैसी ही स्थिति है।

यद्यपि समाजवादी दल भारत में साम्यवादी दल से मतभेद रखता है, तथापि वह सोवियत रूस का विरोधी नहीं है। कानपुर अधिवेशन के प्रस्ताव में यह उल्लेख है कि—

"समाजवादी दल को यह दृढ़ विश्वास है कि स्वतंत्र भारत को अपने हित में रूस के साथ अत्यन्त मित्रता के साथ रहना चाहिए।"

काँग्रेस के संबंध में समाजवादी दृष्टिकोण:

सन् १९४९ में समाजवादी दल के पटना अधिवेशन में जो प्रस्ताव स्वीकार किये गये, उनसे समाजवादियों की काँग्रेस के प्रति नीति का स्पष्ट रूप में परिचय मिल जाता है। यहाँ हम उनके आधार पर समाजवादियों के दृष्टि-कोण का उल्लेख करेंगे।

काँग्रेस की विचार-धारा पूँजीवादी है। काँग्रेस स्वतंत्र व्यवसाय अथवा व्यक्तिगत सम्पत्ति एवं उद्योग में विश्वास करती है और उसका यह विचार है कि पूँजीपतियों को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने से देश में सुख और समृद्धि की अभिवृद्धि होगी। किसी काँग्रेसी सरकार ने कोई प्रगतिशील नीति ग्रहण नहीं की। काँग्रेस के विरुद्ध समाजवादी दल के मुख्य दोषारोप निम्न प्रकार है:—

१. केन्द्रीय सरकार ने एक राष्ट्रीय नियोजन आयोग की स्थापना करके देश के आर्थिक जीवन का नियमन करने को प्रतिज्ञा की थी किन्तु उस प्रतिज्ञा को अभी तक पूरा नहीं किया गया। ❀

२. सरकार उद्योग-पतियों को सन्तुष्ट करने की नीति का पालन कर रही है और मजदूरों के स्वतंत्र संघटन को कुचलने के लिए प्रयत्नशील है।

३. औद्योगिक विराम-संधि द्वारा यह अश्वासन दिया गया था कि मजदूरों को उचित वेतन मिलेगा। परन्तु नियंत्रण को स्थगित करने की नीति से मजदूरों पर और भी संकट आ गये हैं।*

४. सरकार के बजट की व्यवस्था पूँजीपतियों के हित में होती है। पूँजीपतियों तथा व्यवसायियों को बड़ी रियायतें दी जाती हैं और

❀ भारत-सरकार ने गत मार्च, १९५० में राष्ट्रीय नियोजन आयोग की स्थापना करके इस प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया। इस आयोग के अध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू हैं, उपाध्यक्ष श्री गुलजारीलाल नन्दा हैं। — संपादक

* खाद्य-नियंत्रण सन् १९४८ से पुनः जारी है।—संपादक

गरीबों की आवश्यक उपभोग वस्तुओं पर भी टैक्स लगा दिये जाते हैं।

५. रियासतों में नरेशों को सत्तारूढ़ रखा है और उन्हें बड़ी रकमें निजी व्यय के लिए दी जाती हैं।

६. प्रांतीय सरकारें जमींदारी उन्मूलन में विलम्ब कर रही हैं और भूमि का वितरण ऐसे ढंग से नहीं किया जा रहा है जिससे किसानों को लाभ पहुँचे।

७. सरकार कृषि की अपेक्षा उद्योग पर अधिक धन व्यय कर रही हैं और कृषि-सुधार की अपेक्षा उद्योग की बड़ी योजनाओं पर अधिक व्यय किया जा रहा है।

८. जनता की नागरिक स्वतंत्रता के अधिकारों का दमन किया जा रहा है। दण्ड-विधान तथा दण्ड-विधि की धाराओं का प्रयोग भाषण, प्रेस, सभा तथा गमन की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए किया जाता है। न्याय-पालिका की अधिकार-सीमा पर अतिक्रमण किया जाता है। उदाहरणार्थ, मद्रास में एक ऐसा कानून प्रचलित है जिसके अनुसार एक थानेदार बिना जिलाधीश की आज्ञा के गोली चला सकता है। पुलिस-शक्ति का प्रयोग पूँजीपतियों तथा जमींदारों की सहायता के लिए किया जाता है और वह किसानों तथा मजदूरों के दमन में सहायक होती है।

९. शासन-प्रबंध के मामलों में भी सरकार निष्पक्ष नहीं है। गृह-रक्षक (Home guards) तथा निषेध-रक्षक (Prohibition guards) आदि में गैर-काँग्रेसी-जनों को भरती नहीं किया जाता है।

१०. भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस (मजदूर संघ) तथा काँग्रेसी किसान-सभाओं को राजनीतिक प्रचार की पूरी स्वतंत्रता दी जाती हैं; परन्तु गैर-काँग्रेसी संस्थाओं को ऐसी स्वाधीनता नहीं है।

समाजवादी दल के पदाधिकारी

भारत के समाजवादी दल के पदाधिकारी (१९५०–५१) निम्न प्रकार निर्वाचित किये गये—

चैयरमैन—आचार्य नरेन्द्रदेव ।

प्रधान मंत्री—श्री अशोक मेहता ।

सहायक मंत्री—सर्वश्री प्रेमभसीन, रोहित दवे और मधुलिमये ।

कोषाध्यक्ष—श्री एम० हैरिस ।

राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य निम्न प्रकार हैं ;—

सर्वश्री डा० राममनोहर लोहिया,एन० जी० गोरे, डा० के० बी० मेनन, शिवनाथ बनर्जी, अजित राय, रामनन्दन मिश्र, मगनलाल बागड़ी, सुरेन्द्र द्विवेदी, दामोदर स्वरूप सेठ, सुकुमार टेगौर, हरेश्वर गोस्वामी, स्वामी भगवान, जगदीश जोशी, तिलक राज चड्ढा, महदेव सिंह, ए० चक्रधर, एस० आर० सुब्रमन्यम्, जयप्रकाश नारायण और गंगाशरण सिंह ।

समाजवादी दल के सदस्यों की संख्या पहले बहुत ही कम थी क्योंकि १४ घंटा प्रति सप्ताह समय देनेवाला ही दल का सदस्य हो सकता था । सदस्यता की शर्तों को ढीला करने के बाद सदस्यों की संख्या काफी बढ़ी है और दिनों-दिन बढ़ती ही जा रही है ।

भारत में समाजवादी सदस्यों की संख्या

प्रदेश	*सदस्यों की संख्या*	*प्रदेश*	*सदस्यों की संख्या*
आन्ध्र	५४२३	मध्यभारत	२३१४
आसाम	२५००	महाराष्ट्र	१०२३५
पं० बंगाल	५०००	राजपुताना	७३५
बिहार	१६८८०	तामिलनाड	२९०८
बंबई-कर्नाटक	८९२०	त्रावणकोर-कोचीन	१६७९
मध्यप्रदेश	४९६४	उत्तर प्रदेश	३००००
दिल्ली	१८००	उत्कल	३९४३
पू० पंजाब	५०३३	विंध्यप्रदेश	२०००
गुजरात	२३८०	सौराष्ट्र	१९९
हैदराबाद	१२११३	मालाबार	१३००
मैसूर	९२४		

कुल जोड़ ११९८५०

सम्बद्ध संस्थाओं की सदस्यता

बंबई शहर	१५५००	उत्तर-प्रदेश	५०००
महाराष्ट्र	२०००	बिहार	२०००

समाजवादी दल का यह दावा है कि औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों पर इसका बड़ा प्रभाव है। समाजवादी दल की हिन्द-मजदूर सभा की विशद सदस्य-संख्या है। मजदूर-वर्ग में समाजवादियों का कोयला-खानों के मजदूरों, रेलवे मजदूरों, डाक मजदूरों, सूती व चीनी मिल-मजदूरों पर प्रभाव है। किसानों पर भी समाजवादी दल का प्रभाव है। उत्तरप्रदेश व बिहार में इस दल की हिंद-किसान पंचायत कार्य कर रही है। समाजवादी युवक-सभा भी नवयुवकों में कार्य कर रही है।

समाजवादी दल के अंग्रेजी व प्रादेशिक भाषाओं में २१ साप्ताहिक पत्र निकल रहे हैं। बंबई से अंग्रेजी में साप्ताहिक 'जनता' प्रकाशित होती है। लखनऊ से हिन्दी में 'संघर्ष' और पटना से हिन्दी में, 'जनता' साप्ताहिक पत्र निकलते हैं। बनारस से 'जनवाणी' नामक एक मासिक पत्र भी निकलता है। बंबई से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी में 'इंडिया' भी इसी दल का पत्र है।

समाजवादी दल का लक्ष्य एवं कार्यक्रमः

सन् १९४९ में पटना सम्मेलन में दल ने जो नया विधान स्वीकार किया है, उसके अनुसार इस दल के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं–

धारा २ (१) राष्ट्रीय–"भारत में प्रजातांत्रिक समाजवादी समाज की स्थापना करना।" (२) अन्तर्राष्ट्रीय–"दूसरे देशों की समाजवादी शक्तियों से मिलकर साम्राज्यवाद, जातीयता, औपनिवेशिकता तथा सभी प्रकार के राष्ट्रीय दोहन और राष्ट्रों के बीच आर्थिक असमता का अन्त करना तथा एक प्रजातांत्रिक समाजवादी संसार की स्थापना करना।"

इस सम्मेलन में समाजवादी दल ने निम्न प्रकार अपना कार्यक्रम स्वीकार किया:—

(१) नयी जमीनों के जोतने-बोने के लिए एक भूमि-सैन्य का निर्माण किया जाय। सब प्रकार के समुदायों में से इस सैन्य में भरती हो और कालेजों में राष्ट्रीय सेवा के लिए एक वर्ष नियत कर दिया जाय।

(२) कानूनी व गैरकानूनी सब प्रकार की किसानों की बेदखली बंद कर दी जाय।

(३) मालगुजारी में कोई वृद्धि न की जाय।

(४) भूमि के नियोजन के अनुसार पुनर्वितरण हो। यह वितरण तीन वर्षों में पूरा हो जाय। एक किसान परिवार को कम से कम १२½ एकड़ भूमि दी जाय और अधिक से अधिक ३० एकड़।

(५) ग्रामों में विकास का व्यय ग्राम, जिला तथा सहकारी-सभाओं के द्वारा किया जाय।

(६) छोटे और बीच के धंधों व उद्योगों को राज्य से आर्थिक सहायता दी जाय। औद्योगिक शिक्षण के लिए सब लोगों के लिए केन्द्र खोले जायँ, वैज्ञानिक अनुसंधान पर नीचे से ऊपर तक नियोजित ढंग से कार्य हो।

(७) बैंक, बीमा, खानो तथा विद्युत का राष्ट्रीयकरण किया जाय।

(८) सब वेतनभोगी कर्मचारियों को समुचित वेतन।

(९) मूल्यों में कमी की जाय, औद्योगिक तथा कृषि-मूल्यों में समानता हो।

(१०) शासन-प्रबंध तथा कर्मचारियों की भरती के संबंध में आमूल परिवर्तन किया जाय। भारतीय आर्थिक सेवा की स्थापना की जाय।

(११) राज्य, शासन तथा राजनीतिक दलों के कार्यों का स्पष्ट रूप में वितरण हो। नागरिक स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबन्ध न हो।

(१२) शरणार्थियों को नियोजित ढंग से पुनर्वास के लिए सहायता दी जाय।

६. भारत का साम्यवादी दल

दल की स्थापना :

यद्यपि भारत की साम्यवादी पार्टी की स्थापना सन् १९२४ में हुई थी तथापि सन् १९४३ से पूर्व इसे कानूनी संस्था नहीं माना जाता था। यह संस्था गुप्त रूप से कार्य कर रही थी। सन् १९४३ में इस दल ने युद्ध-प्रयत्न में सहायत देने की घोषणा की। अत: इस पर से भारतसरकार ने प्रतिबन्ध हटा लिया। इस प्रकार इस पार्टी का खुल कर कार्य होने लगा। इसका मुख्य कार्यालय बंबई में है। समस्त भारत में इसकी शाखाएँ हैं। यह दल आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आल इंडिया किसान-सभा तथा आल इंडिया विद्यार्थी-संघ (फेडरेसन) पर अपना नियंत्रण रखता है।

इस दल के प्रतिनिधि विविधि प्रतिनिधि-सभाओं में निम्न प्रकार हैं–

१. श्री सोमनाथ लाहिड़ी, सदस्य, भारतीय संविधान परिषद्।
२. श्री एस० ए० डांगे, सदस्य, बंबई विधान-सभा।
३. श्री के० ए० नम्वियर, सदस्य, मद्रास विधान-सभा।
४. श्री पी० वेंकटेश्वरालु, सदस्य, मद्रास विधान-सभा।
५. श्री ज्योति वसु, सदस्य, पश्चिम बंगाल विधान-सभा।
६. श्री रतन लाल ब्राह्मण, सदस्य, पश्चिमी बंगाल विधान-सभा।

दल के अधिकारी :

प्रधान–मंत्री वी० टी० रणदिवे।

कार्य-समिति के सदस्य—

सर्वश्री मुजफ्फर अहमद; एस० ए० डांगे; गुरुमुख सिंह; मुहम्मद इस्माइल; एस० एस० मिराजकर और कल्याण सुन्दरम्।

दल के मुखपत्र :

साम्यवादी-दल का समस्त भारत में संगठन है। भारत का कोई ऐसा भाग नहीं है, जहाँ इसकी शाखा न हो। इसका अधिक प्रभाव बंबई, कलकत्ता और दक्षिण भारत में है। हैदराबाद में भी साम्यवादियों का काफी जोर है। बंबई से अंग्रेजी में 'पीपुल्स एज' नामक साप्ताहिक

पत्र निकलता है। इसके अतिरिक्त हिन्दी में 'जनयुग' साप्ताहिक निकलता है। 'जनयुग' गुजराती में, 'लोकयुग' मराठी में तथा 'नव-जमाना' उर्दू में निकलते हैं। कन्नड़ में 'जनशक्ति', मलयालय में 'देशाभिमानी', 'प्रजाशक्ति' तेलगू में, 'स्वाधीनता' बंगला में तथा 'जनशक्ति' तामिल में प्रकाशित होते हैं। इनमें से अधिकांश पत्रों पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

इन सभी पत्रों का संपादन बड़ी कुशलता के साथ किया जाता है। इनमें काँग्रेस तथा काँग्रेसी सरकारों की नीति, कार्यक्रम आदि की तीव्र आलोचन की जाती है। मजदूरों तथा किसानों पर होने वाले अत्याचारों का दिग्दर्शन बड़ी मार्मिक भाषा में कराया जाता है।

साम्यवादी दल का प्रकाशन-विभाग अन्य समस्त राजनीतिक दलों के प्रकाशन-विभागों की अपेक्षा बहुत ही उत्तम है। प्रत्येक विषय पर और विशेषतया समाजवादी विषयों पर बहुत ही उत्तम ग्रंथ मिलते हैं। प्रचार के लिए पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित करते हैं।

दलीय अनुशासनः

साम्यवादी दल के सदस्यों में त्यागभाव है और वे किसी भी ध्येय की पूर्ति के लिए बलिदान कर देने की भावना से ओतप्रोत हैं। उनमें अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए एका है। वे सहयोग-पूर्वक कार्य करते हैं और सादा जीवन बिताते हैं। वे मजदूरों की समस्यायों का बड़ा गंभीर अध्ययन करते हैं। उनमें बड़े योग्य लेखक, पत्रकार, विद्वान्, आलोचक और विचारक भी हैं। अनुशासन इनमें बहुत ही शक्तिशाली और कठोर है।*

उद्देश्य तथा कार्यक्रमः

साम्यवादी दल का मुख्य लक्ष्य उसके विधान में निम्न प्रकार घोषित किया गया है–

*** प्रसिद्ध साम्यवादी लेखक राहुल सांस्कृत्यायन को सम्यवादी दल ने जनवरी, १९४८ में अपने दल से इस कारण निकाल दिया कि उन्हों ने दल की नीति के विरुद्ध हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद से विशुद्ध हिन्दी का समर्थन किया था।—संपादक**

"पूर्ण राष्ट्रीय स्वाधीनता, श्रमजीवियों द्वारा संचालित जनता के प्रजातांत्रिक राज्य की स्थापना, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना तथा मार्क्स व लेनिन के सिद्धान्तों के अनुसार समाजवाद की स्थापना के हेतु साम्राज्यवाद-विरोधी कृषक-क्रांति के लिए श्रमजीवियों के संघर्ष का संगठन।"

कलकत्ता में, सन् १९४८ के जनवरी में साम्यवादी कांग्रेस के अधिवेशन में इसका कार्यक्रम निम्नप्रकार तय किया गया:—

(१) ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण संबंध-विच्छेद और पूर्ण तथा वास्तविक स्वाधीनता।

(२) एक प्रजातांत्रिक शासन, जिसमें मजदूरों, किसानों तथा दूसरे छोटे पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व हो, जो ऐंग्लो-अमरीकी गुट के विरुद्ध, दूसरे प्रजातांत्रिक राज्यों से मिलकर शान्ति तथा समस्त राष्ट्रों की स्वतंत्रता के लिए कार्य करे।

(३) ऐसा शासन विधान निर्माण किया जाय जो प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर हो, जिसमें सामान्य जनता के लिए मौलिक नागरिक एवं आर्थिक अधिकार हों।

(४) आत्म-निर्णय का अधिकार समस्त जातीयताओं को हो; वे चाहें तो संघ से पृथक् भी हो सकें; स्वायत्त-शासित भाषावार प्रान्त हों।

(५) संविधान में अल्पमतों के समुचित अधिकारों की व्यवस्था हो; अल्पमतों की भाषा तथा संस्कृति की रक्षा; जाति-प्रजाति तथा साम्प्रदयों के आधार समस्त विशेषाधिकारों का अन्त कर दिया जाय।

(६) रियासतो में नरेशों को हटा दिया जाय। वहाँ पूर्ण प्रजातंत्र की स्थापना की जाय। जागीरदारी का नाश।

(७) आदि-वासी जातियों व पिछड़े वर्गों की आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक पराधीनता से मुक्ति।

(८) पाकिस्तान के साथ आर्थिक तथा सैनिक मामलों में सहयोग।

(९) जमींदरों का बिना प्रतिकर दिये उनकी जमींदारियों विनाश तथा किसानों को भूमि का वितरण।

(१०) राज्य के बैंकों, उद्योगों, खानों, चाय-बगानों आदि में विदेशों की जो पूंजी है, उसे जब्त कर लिया जाय और उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय।

(११) बड़े बैंकों, उद्योगों, बीमा-कंपनियों आदि का राष्ट्रीयकरण।

(१२) भारत के आर्थिक विकास के लिए योजना। उद्योगों में से बड़े व्यवसायियों को हटाने का प्रयत्न। जो उद्योग व्यक्तिगत रूप में हैं उनके मुनाफे पर नियंत्रण।

(१३) समस्त दमनकारी कानूनों को रद्द कर दिया जाय।

(१४) नौकरशाही शासन-प्रबंध को रद्द कर उसके स्थान पर जनता की समितियों की देखरेख में निर्वाचित अधिकारियों की की नियुक्ति।

(१५) जनता को शस्त्र रखने का अधिकार तथा लोक तंत्रीय सेना का संघटन।

(१६) अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा।

(१७) स्त्रियों को समान अधिकार।

साम्यवादी दल की वर्तमान स्थितिः

सन् १९४५ में काँग्रेस ने एक उप-समिति साम्यवादियों के संबंध में नियुक्त की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि काँग्रेस में से साम्यवादी -दल को निकाल दिया जाय। इस प्रकार साम्यवादियों तथा काँग्रेसियों में संघर्ष बढ़ता गया। आरम्भ में तो साम्यवादी-दल का एक विभाग पं० जवाहरलाल नेहरू तथा गाँधी जी का समर्थन करता था। वह सरदार पटेल की नीति को घातक बतलाता था। किन्तु कलकत्ता अधिवेशन के बाद साम्यवादी दल का नेतृत्व उग्रवादी रणदिवे के हाथों में आ गया और पूर्णचन्द्र जोशी को निकाल बाहर कर दिया गया। इस प्रकार देशभर में साम्यवादी दल ने किसानों, मजदूरों, आदिवासियों आदि के क्षेत्रों में हड़तालों, जन-

सभाओं, तथा प्रदर्शनों का आयोजन किया। सन् १९४७ का वर्ष हड़तालों तथा उपद्रवों के लिए इतिहास में अमर रहेगा।

२५ मार्च, १९४९ को पश्चिमी बंगाल की सरकार ने अपने प्रदेश में साम्यवादी दल को अवैध घोषित कर दिया। प्रमुख कार्य-कर्त्ताओं को तुरन्त ही गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुख्य दोषारोप यह लगाया गया कि वे बलपूर्वक राजसत्ता प्राप्त करने के लिए शस्त्र-संग्रह कर रहे हैं। २ अप्रैल, १९४९ को बंबई सरकार ने ७ साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इनमें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष श्री एस० ए० डांगे तथा प्रान्तीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष श्री एस० ए० मिराजकर भी सम्मिलित थे। बंबई सरकार ने अपने एक वक्तव्य में बतलाया कि इनके कार्य सार्वजनिक सुरक्षा और शान्ति के लिए खतरानाक हैं। मद्रास सरकार ने साम्यवादी कार्यकर्त्ताओं की खतरानाक प्रवृत्तियों के दमन के लिए मालाबार तथा आन्ध्र जिलों में सेना की भी सहायता ली।

इस प्रकार सारे देश में साम्यवादियों के विरुद्ध सरकारों ने कार्य-वाही की। साम्यवादियों को सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों के अन्तर्गत नजरबन्द रखा गया। उन पर दोषारोप कर मुकदमे नहीं चलाये गये। अतः प्रान्तीय सरकारों ने उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही के समर्थन में अपने वक्तव्य दिये, जिनमें उनकी विद्रोहात्मक प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया।

वाम-पक्षी दल और उसकी एकता का प्रश्न

भारत में समाजवादी दल तथा साम्यवादी दल के अतिरिक्त और भी अनेक वाम-पक्षी दल हैं; परन्तु वे कम महत्त्वपूर्ण हैं। उनके विषय में हम यहाँ संक्षेप में उल्लेखमात्र करेंगे:—

१. अग्रगामी दल (Forward Bloc)

सन् १९३८ में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। उन्हें यह संशय था कि कांग्रेस अंग्रेजी सरकार के साथ पूर्ण स्वाधीनता से कम के लिए समझौता कर लेगी। इस दल ने युद्ध-काल

में भारतीय राष्ट्रीय सेना (Indian National Army) का जिसका संगठन बर्मा में नेताजी ने किया था और जो स्वयं उसके प्रमुख सैन्यनायक थे, समर्थन किया । सन् १९४५ में भारत सरकार ने इस सेना के प्रमुख अधिकारियों पर लाल किले (दिल्ली) में मुकदमे चलाये। इनमें अन्त में आई० एन० ए० की विजय हुई। काँग्रेस ने उनकी सहायता की और यह आश्वासन दिया कि उन्हें सेना में वापस ले लिया जायगा।

सन् १९४८ में इस दल के दो भाग हो गये। एक भाग के नेता श्री आर०एस० रूईकर तथा दूसरे भाग के के० एन० जोगलेकर हैं। कलकत्ता में इस दल के एक सम्मेलन में रूईकर ने यह घोषणा की कि यह दल समाजवाद की स्थापना चाहता है।

२. क्रान्तिवादी प्रजातांत्रिक दल

(**Redical Democretic Party**)

सन् १९३६ में श्री मानवेन्द्रनाथ राय ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। वे ३-४ वर्ष तक काँग्रेस के सदस्य बन कर रहे और काँग्रेस को एक समाजवादी संस्था के रूप में परवर्तित करने के लिए प्रयत्नशील रहे। अन्त में वे काँग्रेस से पृथक् हो गये और उन्होंने अपनी पार्टी को जन्म दिया। उन्होंने एक मजदूर संघ की (Indian Federation of labour) की भी स्थापना की। इसकी ओर से 'वेनगार्ड' नामक एक दैनिक तथा "इंडिपेंडेंट इंडिया" नामक साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित होता था। श्रीराय ने द्वितीय युद्ध-काल में सरकार के युद्ध -प्रयत्न का समर्थन किया और अपनी संस्थाओं के संचालन तथा पत्रों के निकालने के लिए ब्रिटिश सरकार से रुपया भी लिया ।।

परिगणित जातियों की राजनीति

सन् १९१९ के भारत शासन कानून (Government of India Act) में सबसे प्रथम बार भारत की दलित जातियों के के लिए मौन्टग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर यह व्यवस्था की गयी कि इन जातियों की ओर से कुछ प्रतिनिधि प्रान्तीय विधान-

सभाओं में राज्य-पालों (गवर्नरों) द्वारा नियुक्त किये जायँ। केन्द्रीय संसद या परिषद् में भी एक प्रतिनिधि मनोनीत किया गया। राव-बहादुर एम० सी० राजा (मद्रास) भारतीय केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद् के सदस्य मनोनीत किये गये। प्रत्येक प्रान्त में भी इसी प्रकार कहीं एक, कहीं दो और कहीं ४ सदस्य मनोनीत किये गये।

परिगणित जातियों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए श्री एम० सी० राजा ने अखिल भारतीय दलित-जातीय-सभा (एशोसियसेन) की स्थापना सन् १९२५-२६ में की। किन्तु इसे अखिल-भारतीय संगठन नहीं कहा जा सकता है; क्योंकि इसमें समस्त भारत के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं थे। वह एक प्रकार से एम० एल० ए० की पार्टी थी।

सन् १९४२ तक प्रत्येक प्रान्त की परिगणित जातियाँ अपने-अपने प्रान्त में सरकार से अपने राजनीतिक अधिकारों की माँगों के लिए आन्दोलन करती रहीं। इनका कोई वास्तविक अखिल-भारतीय संगठन नहीं था।

सन् १९४२ में नागपुर में डा० भीमराव अम्बेडकर की प्रेरणा से अखिल भारतीय परिगणित जातीय संघ (Federation) की स्थापना की गयी। इस संघ का उद्देश्य परिगणित जातियों के राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए सरंक्षण प्राप्त करना था। डा० अम्बेडकर को 'पूना-पेक्ट' से घोर निराशा हुई; क्योंकि दोहरी चुनाव -प्रणाली के कारण परि-गणित जातीय उम्मीदवारों का धन चुनावों में बुरी तरह नष्ट होने लगा और योग्य तथा शिक्षित प्रतिनिधि, जिन्हें जनता चाहती थी, नहीं चुने जा सके। अतः डा० अम्बेडकर ने पृथक् निर्वाचन माँग की।

सन् १९४२ में डा० अम्बेडकर वायसराय की कार्यकारिणी के श्रम-सदस्य नियुक्त किय गये। उनकी इस स्थिति के कारण परि-गणित जातीय संघ का कार्य प्रायः सभी प्रान्तों में बड़े सुचारु रूप से चलने लगा। सन् १९४६ के निर्वाचनों में संघ ने अपने उम्मीदवार

सभी प्रान्तों में खड़े किये। प्राथमिक चुनावों में उनमें से अधिकांश 'पेनल' में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रहे; किन्तु द्वितीय चुनाव (संयुक्त चुनाव) में प्रायः सर हार गये।

मंत्रि-मण्डल मिशन के समक्ष भी डा० अम्बेडकर ने परिगणित जातियों के सरंक्षण की माँग रखी और उसे एक आवेदन-पत्र भी भेंट किया। किन्तु मिशन ने डा० अम्बेडकर की माँगों को स्वीकार नहीं किया।

अन्त में जब संविधान परिषद् का निर्वाचन हुआ, तब डा० अम्बेडकर बंगाल की विधान-सभा से श्री जोगेन्द्रनाथ मण्डल के प्रयत्न से संविधान परिषद के सदस्य चुने गये। इसके बाद डा० अम्बेडकर ने काँग्रेस के साथ सहयोग-पूर्वक कार्य करने की नीति ग्रहण कर ली। सन् १९४७ में भारत की स्वाधीनता के समय जब पं० जवाहरलाल नेहरू ने नवीन राष्ट्रीय सरकार का गठन किया तब अम्बेडकर को कानून-मंत्री नियुक्त किया। यह संविधान-परिषद् की संविधान-प्रारूप-समिति के सदस्य भी नियुक्त किये गये। भारत के गर्वनर-जनरल श्री राजगोपालाचार्य की मंत्रणा से संविधान-प्रारूप-समिति का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जुलाई, १९४७ से दिसम्बर, १९४९ तक डा० अम्बेडकर ने बड़े मनोयोग-पूर्वक भारतीय संविधान की रचना के कार्य को किया। इस प्रकार २६ नवम्बर, १९४९ को संविधान स्वीकार किया गया। इस कार्य के लिए पं० जवाहरलाल नेहरू, सरदार-पटेल, श्री राजगोपालाचार्य तथा डा० राजेन्द्र प्रसाद आदि नेताओं ने इनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है।

गत १२ जनवरी, १९५० को बंबई में बंबई प्रान्तीय परिगणित जातीय संघ की ओर से अभिनन्दन का उत्तर देते हुए डा० भीमराव अम्बेडकर ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा कि—

"अब तक काँग्रेस के साथ हमारे संबंध विरोध के रहे हैं। राज-नीतिक क्षेत्र में हम एक दूसरे के विरोधी रहे। अबतक हमारा दृष्टि-कोण संकीर्ण रहा; क्योंकि हमारे सामने केवल अपने समुदाय का ही विचार था। अब हमें अपनी स्वतंत्रता प्राप्त हो गयी है, हमें अपने

उस दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन कर देना चाहिए और दूसरों क के साथ सहयोग करना चाहिए; हमें अपने समुदाय के हितों का ध्यान रखना चाहिए और अपनी सद्यः-प्राप्त स्वाधीनता को पुष्ट बनाना चाहिए।"

इस प्रकार अब डा० अम्बेडकर काँग्रेस के साथ सहयोग करना आवश्यक मानते हैं। वह यह भी मानते हैं कि आगामी निर्वाचनों में संघ को किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने होंगे।

अखिल भारतीय परिगणित जतीय-संघ के अतिरिक्त भारत में परिगणित जातियों की एक दूसरी संस्था है—अखिल भारतीय दलित वर्ग परिषद् (All India Depressed Classes League)। इस संस्था की स्थापना द्वितीय युद्ध से पूर्व हुई थी। उत्तर प्रदेश के डा० धर्मप्रकाश इस संस्था के संस्थापक हैं। इस समय इस संस्था का संचालन श्री जगजीवन राम, श्रम-मंत्री (भारत सरकार) की देखरेख में होता है। वे इसके कई वर्ष अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सन् १९४९ में इस परिषद् में दो दल खड़े हो गये। एक दल के नेता डा० धर्मप्रकाश थे और दूसरे दल के नेता श्री खाण्डेकर (मध्यप्रदेश)। अखिल-भारतीय दलित वर्ग परिषद् (लीग) के दो स्थानों पर दो सभापतियों के सभापतित्व में अधिवेशन हुए। डा० धर्मप्रकाश के सभापतित्व में ग्वालियर में और श्री खाण्डेकर के सभापतित्व में उड़ीसा में वार्षिक अधिवेशन हुए। दोनों पक्षों ने न्यायालय की शरण लेकर एक दूसरे के अधिवेशन को रोकने की कार्यवाही की। इस लीग की एक कार्य-समिति है, जिसमें अधिकांश एम० एल० ए० सदस्य हैं और संसद के अवसर पर इसकी बैठक की जाती हैं, जिनमें दलित जातियों के लिए सरकार से माँग की जाती है।

वास्तव में दलित जातियों का अपना कोई स्वतंत्र प्रभावकारी अखिल भारतीय संघटन नहीं है और न इन संस्थाओं के द्वारा कोई शिक्षा, संस्कृति तथा सामाजिक सुधार का कार्यक्रम ही पूरा किया

जाता है। इनका जनता के साथ भी संपर्क नहीं है; क्योंकि जनता में इनकी ओर से कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया जाता।

हमारे विचार में परिगणित जातियों को राजनीतिक कार्यक्रम का परित्याग कर पिछड़े जन-समुदाय में शिक्षा तथा संस्कृति के प्रसार के कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। राजनीतिक कार्य के लिए राष्ट्रीय काँग्रेस ही उपयुक्त संस्था है।

अध्याय २१

भारत की राजनीतिक संस्थाएँ

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

नासिक काँग्रेस

अध्यक्ष का निर्वाचन :

२९ अगस्त, १९५० को भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के नासिक अधिवेशन के लिए अखिल भारत में निर्वाचन का प्रबंध किया गया। अध्यक्ष-पद के लिए तीन उम्मीदवार खड़े हुए; राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन (उत्तरप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष) ; आचार्य जे० बी० कृपलानी (काँग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष) तथा श्री शंकरराव-देव। ऐसी लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि पं० जवाहरलाल नेहरू श्री शंकरराव-देव को अध्यक्ष-पद पर आसीन करना चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन का समर्थन कर रहे थे। यही कारण है कि काँग्रेस कार्य-समिति अपनी ओर से किसी एक उम्मीद-वार को एकमत से घोषित कर उसके लिए जनता से अपील नहीं कर सकी। इसके बाद पं० जवाहरलाल नेहरू ने आचार्य कृपलानी का समर्थन किया। अन्त में जब मतदान हुआ तब सबसे अधिक मत राजर्षि टण्डन को प्राप्त हुए। उन्हें कुल सही २,६०० मतों में से १,३०६ मत मिले। आचार्य कृपलानी को १,०९२ मत मिले और श्री शंकरराव देव को २०२। इस प्रकार टण्डन जी २०४ मतों से अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

पं० जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य:

अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद १२ सितम्बर, १९५० को पं०-जवाहरलाल नेहरू ने नासिक काँग्रेस के प्रतिनिधियों के विचारार्थ

एक प्रेस वक्तव्य प्रकाशित किया। अपने इस वक्तव्य में पं० नेहरू ने यह कहा:—

"काँग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव ने बहुत दिलचस्पी पैदा कर दी है और एक प्रकार की उत्तेजना भी—यह काँग्रेसजनों में ही नहीं वरन् दूसरों में भी। मुझे स्वाभाविक रूप से इसमें दिलचस्पी थी क्योंकि मेरे जीवन का अधिकांश भाग काँग्रेस से सम्बद्ध रहा है और काँग्रेस की जो भी स्थिति होती है, वह अन्य असंख्य लोगों की भाँति मेरे लिए भी सर्वाधिक महत्त्व की बात है।

"काँग्रेस से बाहर और उसके भीतर की सब शक्तियों ने इस चुनाव को अत्यधिक महत्त्व दे दिया। साम्प्रदायिक तथा प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने इस निर्वाचन के परिणाम पर हर्ष प्रकट किया है।

"इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि काँग्रेस यह घोषणा कर दे कि हमारी क्या स्थिति है और हमारी नीतियाँ क्या हैं और काँग्रेसजन इसे समझ लें। राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की यह माँग है कि काँग्रेस अपनी नीति स्पष्ट से स्पष्ट भाषा में घोषित कर दे जिससे इसमें कोई गलतफहमी न हो।"

पं० नेहरू ने अपने इस वक्तव्य में अन्तर्राष्ट्रीय, आर्थिक तथा साम्प्रदायिक समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किए।

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में उन्होंने कहा:—"इसलिए मैं यह चाहूँगा कि काँग्रेस नीति की विस्तृत रूपरेखा पर विचार करे जिसे हमने घोषित किया है और जिसका पालन किया है और उस पर अपनी स्वीकृति दे दे। यह स्वीकृति केवल साधारण रूप में ही हो सकती है; क्योंकि सविस्तार में नीतियों का निर्धारण संभव नहीं है।"

आर्थिक समस्या के संबंध में उन्होंने कहा:—

"मेरा यह स्पष्ट मत है कि हमें उसे प्राप्त करना चाहिए जिसे प्रजा-रंजनकारी राज्य (welfare state) कहा जाता है। हम पीछे नहीं हट सकते और न स्थापित स्वार्थों के भय के कारण

अपने ध्येय से विचलित हो सकते हैं। हमें प्रत्येक कार्य की जाँच विशाल जनता के हितों के दृष्टिकोण से करानी चाहिए।"

तीसरी समस्या है साम्प्रदायिक। इस संबंध में उन्होंने कहा—

"काँग्रेस साम्प्रदायिक उलझनों में पड़ने के विरुद्ध रही है। उसने सभी मोर्चों पर साम्प्रदायिकता का मुकाबला किया है।....... काँग्रेस की यह नीति हमारे संविधान में उल्लिखित है। परन्तु यह निश्चित तथ्य है कि पाकिस्तान के निर्माण के समय से भारत में साम्प्रदायिकता की भावना तथा कुछ पुनरुज्जीवन को प्रोत्साहन दिया गया है। जो संस्थाएँ पहले प्रचार करने का साहस नहीं करती थीं वे अब खुले रूप में प्रचार करती हैं और हमारे संविधान के आधार को चुनौती देती हैं। इससे भी अधिक दुःखप्रद बात यह है कि यह साम्प्रदायिकता की भावना और पुनरुद्धारवाद (Revivalism) धीरे-धीरे काँग्रेस पर भी चढ़ाई करने लगे हैं और कभी-कभी सरकारी नीति पर भी प्रभाव डालते हैं।"

अल्पमतों के संबंध में पं० नेहरू ने कहा—

"हमें अपने अल्पमतों के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करना है जैसा कि बहुमत के साथ। वास्तव में उचित व्यवहार ही पर्याप्त नहीं है। हमें उन्हें ऐसा अनुभव करा देना है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। हम यह चाहते हैं कि पाकिस्तान भी ऐसा करे; हमारी यह शिकायत है कि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया है। पाकिस्तान चाहे जो कुछ करे या नहीं करे, हमारा यह कर्तव्य है कि भारत में हम विविध साम्प्रदायिक व धार्मिक समुदायों के साथ पूर्णतः निष्पक्ष व्यवहार करें और उन्हें प्रगति के लिए समान सुयोग दें।"

काँग्रेस अध्यक्ष का अभिभाषण

२० सितम्बर, १९५० को नासिक-काँग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन ने सबसे प्रथम उन नेताओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जिनका जयपुर अधिवेशन के बाद से अबतक के समय में स्वर्गवास हो चूका है। उन्होंने विशेषकर श्रीमती सरोजिनी

नायडू, श्री वेंकटपैय्या, श्री शरदचन्द्र बोस और श्री गोपीनाथ वारदोलाई का स्मरण किया। टण्डन जी ने अपना भाषण हिन्दी में दिया और अन्य भाषाओं में उसके रूपान्तर समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए। आपने अपने भाषण में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार किये:—

साम्प्रदायिकता का विरोधः—

"संविधान के अधीन हमारे देश का शासनक्रम असाम्प्रदायिक है। इसके कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि देश के विभाजन के बाद जो पाकिस्तान नाम का देश हमारे ही पुराने अंग से बना उसने अपना शासन इस्लाम धर्म के आधार पर साम्प्रदायिक रखा है।··· पाकिस्तान से हमें इस विषय में सीखना नहीं है। हमारी दृढ़ आधार-शिला कोई पुस्तक नहीं, चेतन बुद्धि ही हो सकती हैं। ग्रन्थ और परम्पराएँ सहायक होंगीं; किन्तु बुद्धि का स्थान नहीं लेंगी। इस प्रकार बुद्धि को आधार मानना ही साम्प्रदायिकता का विरोध है।"

राज्य में हिन्दी का स्थानः—

"वास्तविकता को देखते हुए संविधान ने अभी अंग्रेजी की मुख्यता १५ वर्षों के लिए मानी है। परन्तु यह हमारे देशवासियों के हाथ में है कि अपनी दूरदर्शिता और लगन तथा प्रेमयुक्त परिश्रम से इस अवधि की समाप्ति से बहुत पहले अपनी स्वीकृत राष्ट्रभाषा को एक पर-भाषा की अपेक्षा अधिक आदर देकर अपनी सामूहिक शक्ति बढ़ायें और जब अवसर देखें तब संविधान में भी मिलजुल कर और एकमत होकर आवश्यक परिवर्तन कर लें।"

वैदेशिक नीति—"हमारी नीति दलों से अलग रहने की है। उसमें हमारा स्वाभाविक आकर्षण है।····इस प्रकार की नीति से कुछ लाभ और कुछ हानियाँ भी हैं। ·····साथ ही इस नीति में त्रुटि यह है कि इन दोनों बलवान दलों में हमें अपना कोई पूर्ण सहयोगी नहीं समझता। विशेषकर हमारे और पाकिस्तान के बीच जो गुत्थियाँ आती हैं, उनमें स्वार्थवश पाकिस्तान को सहयोगी बनाने का दृष्टिकोण बहुतेरे देशों को हमारे विरुद्ध पाकिस्तान की ओर झुकाता है। पाकिस्तान ने काश्मीर में हमारे देश पर आक्रमण किया,

जिसका प्रचुर प्रमाण राष्ट्रसंघ के सामने आया। किन्तु संघ ने पाकिस्तान को आक्रमणकारी घोषित नहीं किया।·····"

पाकिस्तान की चाल—"काश्मीर के प्रश्न को सामने रख कर पाकिस्तान यह झूठा प्रचार कर रहा है कि भारत रूस के साथ है। अपने को वह अमरीका व ब्रिटेन का बड़ा पोषक प्रकट करता है। वह समझता है इस रीति से संयुक्त राष्ट्रसंघ में वह अमरीका व ब्रिटेन की सहायता काश्मीर के विषय में पा सकेगा। उसने यहाँ तक कहा कि काश्मीर के फँसाव के कारण यह कोरिया में सेनाएँ भेज कर सहायता नहीं कर सका। इस कथन का मतलब स्पष्ट ही है। हमारे देश को पाकिस्तान की इस चाल से सचेत रहना चाहिए।"

कोरिया—"हमारे देश ने अमरीका व ब्रिटेन का साथ इस बात में दिया है कि उत्तरी कोरिया आक्रमणकारी घोषित हो; किन्तु अपनी ओर से कोई सेना भेजने का दायित्व नहीं लिया है। अबतक जो नीति कोरिया के विषय में हमारी सरकार ने वरती है मुझे वह सब स्थिति को देखते हुए उचित लगी है। मैं उसका पोषण करता हूँ।"

पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थी—"इतना स्पष्ट है कि पाकिस्तान की नीति पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं को वहाँ निर्भय और निःसंकोच होकर रहने का अवसर नहीं दे रही है।·····अप्रैल में जो समझौता हुआ उसका यह अच्छा परिणाम निकला है कि जो जन पाकिस्तान छोड़ कर आना चाहते थे उनको आने के बारे में सुविधाएँ मिलीं और वहाँ से भागने का वेग भी रुका। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि बंगाल के हिन्दू निःशंक होकर पाकिस्तान में रह सकेंगे।"

बहुमत का कर्तव्य—"हमारी स्थिर नीति यह है कि हमारे देश में साम्प्रदायिकता का प्रभाव न होने पाये और सब सम्प्रदाय के लोग मिल कर और अपने अधिकार को बराबर मान कर देश में बसें और इसे दृढ़ बनावें। हमारी मनोवृत्ति यह है कि प्रत्येक सम्प्रदाय के जन अपनेको इस देश में सुरक्षित समझें। इसी नीति के अनुसार हमारे शासन में कुल काम चलते हैं और हमारा यत्न है कि जनता में में भी इसी प्रकार का वायुमण्डल बने जिससे हर एक अपने को सुर-

क्षित समझे और यदि कहीं अनाचार दिखाई पड़े तो जनता स्वयं उसके शासन अधिकारियों के साथ खड़ी हो जाय। स्थानीय बहु-संख्यकों का यह विशेष दायित्व है कि वे अल्पसंख्यकों की सदा रक्षा करें और देश में अशान्ति न उत्पन्न होने दें।"

संयुक्त राष्ट्रसंघ का समर्थन--"भारत पूरी रीति से संयुक्त राष्ट्रसंघ का समर्थक व पोषक है। भारत की यह धारणा है कि संसार में शान्ति रखने, देशों को आपसी द्वेषों और लड़ाइयों से बचाने और उनको नियंत्रित रखने तथा उनके नैतिक स्तर को ऊँचा करने के लिए संसार भर में एक केन्द्रीय शासन की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के स्वरूप में उसे अपनी इस भावना की पूर्ति संभव दिखाई देती है। भारत इस विषय में अपने सीमित स्वार्थ से ऊपर उठकर संसार का स्वार्थ देखता है। हमारे देश के लिए यह कोई नयी बात नहीं है। संसार भर के हित की भावना हमारी प्राचीन संस्कृति का अंग है।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सव सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमाम भवेत ।।

संसार के सब लोग सुखी व रोग-रहित हों, सब का कल्याण हो, कोई भी दुःखी न हो।

हमारे देश का यह पुराना वाक्य संयुक्त राष्ट्रसंघ का सिद्धान्त वाक्य होने योग्य है।"

सरकारों के प्रयत्नों पर बधाई:--"पिछले तीन वर्षों में हमारी सरकारों ने जिस उत्साह और साहस से इन प्रश्नों को हल करने में प्रयत्न किया है, वह बधाई के योग्य है।"

ग्रामोद्योग और खादी:--"ग्राम उद्योगों में खादी का पहला स्थान है और प्रत्येक काँग्रेस-शासन का कर्तव्य है कि अपने कपड़े की आवश्यकताओं के लिए खादी का ही, जबतक वह मिल सके, प्रयोग करे।"

स्वीकृत प्रस्ताव

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के नासिक अधिवेशन (सितम्बर, १९५०) में स्वीकृत प्रस्तावों के सारांश निम्न प्रकार हैं--

१. वैदेशिक नीति—

भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रवृत्तियों में भाग लेता रहा है। अपनी नीति के अनुसार उसने कोरिया के संबंध में संघ का समर्थन किया और ऐसा प्रयत्न किया जिससे पूर्व में युद्ध का विस्तार न हो। वह संसार के सभी सैनिक या राजनीतिक गुटबन्दियों से भी पृथक् रहा है। काँग्रेस उस नीति को स्वीकार करती है जिस पर भारत सरकार अमल करती रही है। भारत शान्ति-रक्षा के प्रत्येक कार्य में संघ के साथ है परन्तु जो प्रवृत्ति युद्ध की ओर ले जाती है उसके विरुद्ध है। काँग्रेस का यह विचार है कि चीन को, जो एशिया का एक महान् राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्रसंघ में स्थान मिलना चाहिए। कोरिया में संयुक्त, स्वतंत्र व स्वाधीन राज्य की स्थापना ध्येय होना चाहिए।

२. भारत में विदेशी बस्तियाँ—

काँग्रेस इसके विरुद्ध है कि भारत में विदेशी औपनिवेशिक सत्ताएँ बनी रहें। अतः काँग्रेस जयपुर के प्रस्ताव का अनुमोदन करती है और यह घोषणा करती है कि यह आवश्यक है कि इन प्रदेशों को भारत के गणराज्य में सम्मिलित कर लिया जाय।

३. आसाम में प्राकृतिक संकट—

देश के एक बड़े भाग में और विशेष रूप से आसाम में जनता पर जो प्राकृतिक संकट आया है, उसमें काँग्रेस की जनता से पूरी सहानुभूति है। देश के सब भाग आसाम की सहायता करें।

४. भारत-पाकिस्तान-समझौता—

भारत सरकार द्वारा दोनों देशों के बीच समझौता के लिए पाकिस्तान सरकार के समक्ष जो प्रस्ताव रखे गये काँग्रेस उन्हें पसंद करती और स्वीकार करती है कि समस्त मामलों का निर्णय शान्तिमय ढंग से किया जाय, सशस्त्र संघर्ष न किया जाय। ८ अप्रैल, १९५० को भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ है, उसे काँग्रेस स्वीकार करती है।

५. खादी कार्यक्रम—

काँग्रेस यह सलाह देती है कि खादी तथा अन्य गृह उद्योगों के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयत्न किया जाय। ग्रामोद्योगों की

टेकनीक में सुधार करने तथा बड़े उद्योगों के साथ उसका सामंजस्य स्थापित हो जाने से बड़े उद्योगों की अपेक्षा उनकी क्वालिटी और मूल्य में जो अन्तर है वह दूर हो जायगा। जो कोई भी कठिनाई हो, उसे दूर करने के लिए सरकार को सहायता देनी चाहिए, विशेष रूप से ग्रामोद्योगों के उत्पादनों तथा खादी को खरीद कर तथा उनका प्रयोग करके।

६. *प्रजा-रंजनकारी राज्य—*

काँग्रेस के उद्देश्य की पूर्ति की ओर प्रगति करने के लिए राष्ट्र के सामने देश की आर्थिक उन्नति एक अत्यावश्यक कार्य है। उद्देश्य यह है कि यहाँ एक ऐसा प्रजारंजनकारी राज्य (Welfare State) कायम किया जाय, जिसमें आर्थिक प्रजातंत्र, शारीरिक व सामाजिक भलाई के लिए एक न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर, आम लोगों का रहन-सहन ऊँचा उठाना, पूर्ण रोजगारी, शोषण का अन्त, आय तथा सम्पति की विषमता को शनैः शनैः दूर करने आदि की व्यवस्था हो ताकि सबको आत्मोन्नति व अपने व्यक्तित्व का विकास करने का समान रूप से अवसर मिल सके। इस उद्देश्य के लिए उठाये गये किसी भी कदम का औचित्य निश्चित करने के लिए यह देखना चाहिए कि वह कदम जनता की भलाई के लिए उठाया गया है या नहीं।

न्यस्त स्वार्थ (Vested Interest) वालों को बहुजन-हिताय किये जाने वाले कार्यों में वाधा पैदा करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। क्रमिक उन्नति के लिए योजना तैयार करना अत्यावश्यक है। इसके लिए हमारा आर्थिक ढाँचा थोड़ा बहुत योजनानुसार और नियंत्रित होना चाहिए।

काँग्रेस बार-बार योजना की आवश्यकता पर जोर देती रही है। काँग्रेस कार्य-समिति ने जनवरी, १९५० में एक प्रस्ताव पास करके भारत सरकार से सिफारिश की थी कि वह एक कानून बना कर योजना-आयोग (Planning Commision) नियुक्त करे। भारत सरकार ने इसके अनुसार जो योजना-आयोग नियुक्त किया है, यह काँग्रेस उसका स्वागत करती है।······

वर्तमान् परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि उत्पादन वृद्धि के लिए तरीके खोजे जायँ।······

जबतक सामग्री की कमी की स्थिति बनी हुई है तब तक आवश्यक सामग्री पर नियंत्रण की आवश्यकता भी बनी रहेगी। ऐसे नियंत्रण सक्रिय होने चाहिए तथा उनकी व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे जनता को आवश्यक असुविधा न हो, तथा इन नियंत्रणों से बचने की छूट न हो। जो समाज-विरोधी तत्व इन नियंत्रणों से अपनी स्वार्थ-सिद्धि करने का प्रयास करें, उनके साथ कड़ाई का वर्ताव किया जाय।

जयपुर काँग्रेस से नासिक-काँग्रेस तक
प्रवृत्तियों का अवलोकन

१८ सितम्बर, १९५० को अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के समक्ष काँग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने जयपुर काँग्रेस (दिसम्बर, १९४८) से अब तक के काँग्रेस कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं:—

भारतीय गणराज्य का जन्म:—२६ जनवरी, १९५० को भारतीय गणराज्य की स्थापना हुई। ९ दिसम्बर, १९४७ को संविधान सभा का अधिवेशन भारतीय संविधान की रचना करने को आरम्भ हुआ। ३ वर्ष तक लगातार कार्य करके सभा ने २६ नवम्बर, १९४९ को अन्तिम रूप से संविधान को स्वीकार किया। इसमें ३९५ धाराएँ हैं।

नवीन काँग्रेस विधान:—१५ अगस्त, १९४७ को भारत को राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त हो गयी। अतः काँग्रेस विधान में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव हुई। अप्रैल, १९४८ को काँग्रेस का नवीन विधान बंबई में अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी द्वारा स्वीकार किया गया।

पार्लमेंटरी संघटन—यह व्यापक रूप से देखा गया कि मंत्रि-मण्डलों के निर्माण के साथ काँग्रेस संघटन की एकता और उसके सामंजस्य को ठेस पहुँची है और जो लोग मंत्रि-मण्डलों से बाहर रह गये उन्होंने काँग्रेस संघटन के भीतर विरोधी दलों का संघटन किया।

यदि, इसलिए, काँग्रेस की एकता एवं क्षमता को पुनरुज्जीवित करना है, तो काँग्रेस में दलों का यह तात्कालिक कर्त्तव्य है कि अपने भेद-भावों को दूर कर सम्मिलित रूप में एक संयुक्त कार्य-क्रम तथा नीति के लिए मंत्रिमण्डल का समर्थन करें। १७ मई, १९४९ को दिल्ली में प्रान्तीय काँग्रेस कमिटियों के अध्यक्षों तथा सेक्रेट्रियों का एक सम्मेलन यह विचार करने के लिए हुआ कि काँग्रेस व मंत्रि-मण्डलों में कैसे सामंजस्य स्थापित हो। यह आवश्यकता अनुभव की गयी कि प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी तथा राज्य-विधान-मण्डल के बीच एक मध्यस्थ कार्यालय (Liasson office) द्वारा अधिक घनिष्ठता स्थापित की जाय। दोनों के संयुक्त अधिवेशन व बैठकें की जायँ और महत्त्वपूर्ण बिलों के संबंध में काँग्रेस कमिटी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाय।

विधान -मण्डल के किसी सदस्य या काँग्रेस पार्टी के किसी सदस्य द्वारा मंत्रि-मण्डल के या उसमें किसी सदस्य के प्रति दोषारोप की प्रथा को काँग्रेस कार्य-समिति ने नापसंद किया। इसके लिए उचित यह है कि ऐसी शिकायत पार्टी के नेता के पास भेज दी जाय; वह उसकी जाँच करायेगा। अवश्यकता होने पर विधान -मण्डल की एक समिति जाँच करेगी। अन्तिम अपील काँग्रेस कार्य-समिति के समक्ष की जायगी।

प्रान्तीय काँग्रेस-समितियों को मंत्रि-मण्डलों में अविश्वास का प्रस्ताव नहीं करना चाहिए। यदि उन्हें मंत्रि-मण्डलों से कोई शिकायत हो तो उसे केन्द्रीय पार्लमेंटरी बोर्ड या काँग्रेस कार्य-समिति के समक्ष पेश करें।

मतभेदों की वृद्धिः—दुर्भाग्य से राज्यों में विधान-मण्डलों की काँग्रेस पार्टियों में कुछ प्रश्नों पर इतने तीव्र मतभेद खड़े हो गये कि केन्द्रीय पार्लमेंटरी बोर्ड तथा काँग्रेस कार्य-समिति को हस्तक्षेप करना पड़ा। अभियोग तथा प्रति-अभियोग लगाये गये और कभी-कभी पार्टी के सदस्यों ने मंत्रियों पर दोषारोप किये और काँग्रेस कार्य-समिति द्वारा निश्चित पद्धति की उपेक्षा करके इनका विज्ञापन किया गया।

काँग्रेस कार्य-समिति ने काँग्रेस के भीतर किसी प्रकार के दल निर्माण करने की प्रवृत्ति को नापसंद किया।

पाकिस्तान के साथ समझौता—जनवरी, १९४९ में भारत सरकार ने काँग्रेस के अध्यक्ष को उस समझौते के आवश्यक अंगों से परिचित किया, मुख्यत: इस अंश से कि—"अल्पसंख्यक जातियों के जीवन व सम्पत्ति की रक्षा का दायित्व तथा उन्हें यह विश्वास दिलाना कि उनके साथ न्याय होता है और उनके नागरिक अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं—उस अधिराज्य की सरकार पर है जिसमें अल्पसंख्यक जातियाँ रहती हैं।"

जिस राज्य में अल्पसंख्यक जातियाँ रहती हैं, उनकी राजभक्ति उसी राज्य के प्रति है और अपनी शिकायतें उन्हें उसी राज्य की सरकार से करनी चाहिए।

काँग्रेस कार्य-समिति के सदस्यों, प्रान्तीय काँग्रेस-समितियों के अध्यक्षों तथा भारत के राज्यों के प्रधान-मंत्रियों ने अपने भाषणों में इसी बात पर विशेष जोर दिया जिसके कारण वातावरण अच्छा हो गया और भारत में अल्पमतों में विश्वास की भावना पैदा हो गई।

दुर्भाग्य से पाकिस्तान के नेताओं के भाषणों ने, जिनमें पाकिस्तान में इस्लामी राज्य की स्थापना के ध्येय पर प्रकाश डाला गया था, स्थिति में सुधार की अपेक्षा पैचीदगियाँ पैदा कर दीं। इससे उत्तेजना बढ़ गयी; सुरक्षा की भावना नष्ट हो गयी; और बेचैनी की भावना बढ़ गयी। सन् ११४९ के मध्य से पूर्वी पाकिस्तान से अल्पमतों का भारत में आगमन आरम्भ हो गया। पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, आसाम तथा कूचबिहार में २,०००,००० लोग शरण ले चुके थे। दिसम्बर, १९४९ के मध्य में खुलना व राजशाही में भयंकर उपद्रव होने लगे। जनवरी, १९५० से हजारों की संख्या में लोग आने लगे।

दिल्ली का भारत-पाकिस्तान समझौता, अप्रेल १९५०—

पं० जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को पूर्वी-बंगाल की स्थिति पर विचार करने को दिल्ली आमंत्रित किया। २ अप्रैल, १९५० को श्री लियाकत अली खाँ दिल्ली आये। कई दिन विचार-

विनिमय के बाद दोनों दलों के बीच समझौता हो गया। ८ अप्रैल, १९५० को उस पर दोनों प्रधान-मंत्रियों ने हस्ताक्षर किये। डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी, रसद तथा उद्योग विभाग के मंत्री तथा श्री के० सी० नियोगी, वाणिज्यमंत्री (भारत सरकार) इस समझौते से सहमत नहीं थे। अतः उन्होंने मंत्रि-पद से त्यागपत्र दे दिये।

प्रत्येक अधिराज्य का एक-एक मंत्री नियुक्त किया गया जो पूर्वी बंगाल में स्थिति का निरीक्षण करेंगे और अल्पमतों में विश्वास पैदा करेंगे। पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल के मंत्रि-मण्डलों में एक-एक प्रतिनिधि अल्पमतों की ओर से नियुक्त किया गया। पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में उपद्रवों की जाँच के लिए जाँच कमीशन नियुक्त किये गये।

इसके बाद समाचार-पत्रों का सुभाशा मिशन भी भारत में पाकिस्तान से आया और भारत से भी वहाँ गया। इसके पश्चात् भारत-पाकिस्तान–वाणिज्य (व्यापार) समझौता भी हो गया। इससे स्थिति में सुधार हुआ।

किसानों के सुधार—काँग्रेस कार्य-समिति ने किसानों के सुधार के लिए एक कमिटी नियुक्त की जिसके अध्यक्ष श्री जे० सी० कुमारप्पा नियुक्त किये गये। इस कमिटी की रिपोर्ट १९४९ के मध्य तक तैयार हो गयी। इस कमेटी की मुख्य सिफारिशें ये हैं :—

(१) भारत की कृषि-व्यवस्था में जमींदारों (Intermediaries) की आवश्यकता नहीं है।
(२) भूमि कृषक की होनी चाहिए।
(३) किसान स्वयं कृषि करे, अपनी जमीन जोत पर न उठावे।
(४) काश्तकारों से अनुचित रूप से भेंट आदि वसूल करने पर रोक हो।

योजना-आयोग :—

३१ जनवरी, १९५० को गणराज्य भारत के नवराष्ट्रपति ने अपने भाषण में सरकार के इस निश्चय की सूचना दी कि एक योजना-आयोग (Planning Commission) नियुक्त किया

जायगा। २८ फरवरी, १९५० को बजट-भाषण में वित्त-मंत्री ने कमीशन (आयोग) के सदस्यों को नामावली प्रकट की।

१६ फरवरी, १९५० को काँग्रेस कार्य-समिति ने पाँच सदस्यों की एक समिति नियुक्त की, जिसके अध्यक्ष पं० गोविन्दवल्लभ पन्त नियुक्त किये गये। इस कमिटी को आगामी १२ मास के लिए आर्थिक योजना तैयार करने तथा एक पंचवर्षीय योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया। काँग्रेस के अध्यक्ष ने दिल्ली में योजना-सम्मेलन अप्रैल, १९५० में आमंत्रित किया। इसमें योजना के ध्येय, कृषि, किसानों के सुधार, छोटे तथा गृह-उद्योगों, ग्राम्य विकास के लिए कार्यक्रमों, पूँजी का नियोजित उपयोग, ग्राम-विकास के लिए मशीनरी, मजदूर, मकान, व्यवस्था, नियंत्रण, आयात-निर्यात-नीति आदि के संबंध में प्रस्ताव स्वीकार किये गये। १ मई, १९५० को काँग्रेस कार्य-समिति ने इन पर विचार किया और राज्यों की सरकारों को आदेश दिया कि वे इस योजना के अनुसार कार्य करें और उसकी रिपोर्ट अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी में भेजें।

———

अध्याय २२

भारत का संविधान

वैधानिक पृष्ठभूमि

पूर्व-कथन : २३ मार्च, १६४६ को भारत में मंत्रि-मण्डल-मिशन इस उद्देश्य से आया कि वह भारत के राजनीतिक दलों के नेताओं से मिल कर भारत को स्वराज्य अथवा स्वाधीनता देने की योजना तैयार करे। मिशन में तीन सदस्य थे——लार्ड पैथिक लायरेंस (भारत-मंत्री), सर स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा ए० वी० अलेक्जेंडर (रक्षामंत्री) तथा चौथे वायसराय लार्ड वेवल थे। यह मिशन भारत के राजनीतिक दलों के नेताओं से मिला और इसके बाद १६ मई, १६४६ को इसने अपने प्रस्ताव अथवा योजना प्रकाशित की। इस योजना के द्वारा मिशन ने भारत के दो प्रमुख राजनीतिक दलों——भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तथा भारतीय मुस्लीम लीग को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया। मिशन ने संयुक्त भारत के लिए संघ की स्थापना की योजना प्रस्तुत की और केवल तीन विषयों में संघ को अधिकार दिये गये——(१) वैदेशिक संबंध, (२) रक्षा तथा (३) यातायात तथा डाक और तार। किन्तु इस योजना में तीन उपसंघ भी बनाने की व्यवस्था की गयी। एक उपसंघ पंजाब, सिंध, सीमाप्रान्त, बिलोचिस्तान को मिलाकर बनाया गया। दूसरे उपसंघ में बंगाल तथा आसाम को रखा गया। तीसरे में अन्य सब प्रदेशों को। प्रत्येक प्रांत को शेष समस्त विषयों के संबंध में पूर्ण स्वशासन का अधि-

कार दिया गया। किन्तु यह अनिवार्य कर दिया गया कि उप-संघ के अन्तर्गत सब प्रांतों को आरम्भ में सम्मिलित होना ही पड़ेगा। वे प्रांत उपसंघ का संविधान बनायँगे; अपना अलग-अलग संविधान बनायँगे और सब मिल कर भारतीय संघ का भी संविधान बनायँगे। उपसंघों की योजना वास्तव में लीग को सन्तुष्ट करने के लिए थी। और संघ की योजना काँग्रेस को सन्तुष्ट करने के लिए।

जून, १९४६ में काँग्रेस तथा लीग, दोनों ने उस योजना को स्वीकार कर लिया। किन्तु काँग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि उपसंघ में प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं है। लीग तथा मिशन और ब्रिटिश सरकार पहले उपसंघों में सभी प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य मानती थी। बाद में नये विधान के अन्तर्गत विधान-सभा में बहुमत से प्रस्ताव स्वीकार कर कोई भी प्रान्त उपसंघ से पृथक् हो सकता था।

इस विषय में लन्दन में ५ दिसबंर, १९४६ को एक गोलमेज परिषद् भी की गयी, जिसमें पं० जवाहर-लाल नेहरू, सरदार बलदेव सिंह तथा श्री मुहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया। किन्तु इसमें इन दोनों पक्षों में उपसंघ के प्रश्न पर समझौता नहीं हो सका।

संविधान-परिषद् की योजना :

मिशन-योजना में संविधान बनाने की योजना को मुख्य स्थान दिया गया। यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्रान्तीय विधान-सभाओं द्वारा आनुपातिक निर्वाचन-प्रणाली से चुने गये प्रतिनिधियों के द्वारा संगठित भारतीय संविधान-परिषद् संविधान बनायेगी। ये निर्वाचन पृथक-निर्वाचन-प्रणाली के आधार पर प्रत्येक समुदाय की जनसंख्या के अनुपात से होंगे। जुलाई, १९४६ में निर्वाचन हो गये थे। किन्तु मुस्लिम लीग की कौंसिल ने मिशन-योजना की स्वीकृति को रद्द कर दिया और पाकिस्तान की माँग पुनः रखी। लन्दन की वार्त्ता भी

सफल नहीं हुई। किन्तु काँग्रेस ने यह निश्चय कर लिया था कि चाहे मुस्लिम-लीग सहयोग दे या न दे ९ दिसबंर, १९४६ को भारतीय संविधान का अधिवेशन आरम्भ कर दिया जाय। इस अधिवेशन में लीग के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। नई दिल्ली में पार्लमेंट भवन में डा० सच्चिदानन्द सिन्हा के सभापतित्व में संविधान-परिषद् का अधिवेशन आरम्भ हुआ। दो दिन बाद डा० राजेन्द्र प्रसाद उसके स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किये गये।

संविधान-रचना :

सबसे प्रथम पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव-परिषद् में प्रस्तुत किया। कुछ सदस्यों के के प्रस्ताव पर इस पर विचार करना जनवरी, १९४७ के लिए इस आशा से स्थगित कर दिया गया कि लीग के सस्दस्य भी भाग लेंगे। मगर अगले अधिवेशन में भी लीग ने भाग लेने से इन्कार कर दिया। परिषद् ने अल्प-मत-मंत्रणा-सिमिति नियुक्त की। इसके अध्यक्ष सरदार पटेल चुने गये और संघ-सत्ता-समिति के अध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय आदर्श-संविधान-समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल नियुक्त किये गये। इन समितियों की रिपोर्टों पर विचार किया कया। अन्त में २९ अगस्त, १९४७ को (भारत का विभाजन हो जाने के वाद) एक संविधान-प्रारूप-रचना-समिति नियुक्त की गयी।

विधान-प्ररूप-रचना-समिति

भारत के संविधान का प्रारूप (Draft) तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्ति की गयी। इसमें निम्न-लिखित सदस्य थे:– (१) डा० भीमराव अम्बेडकर; (२) श्री एन० गोपालस्वामी आयंगर; (३) श्री कन्हैयालाल माणिक-लाल मुंशी; (४) श्री सैयद मुहम्मद अब्दुल्ला; (५) श्री एन० माधव राव; (६) स्वर्गीय डी० पी० खेतान, (७) श्री टी० टी०

कृष्णमाचार्य; और (८) श्री अलक्लादि कृष्णस्वामी आय्यर। डा० अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष निर्वाचित किये गये।

२१ फरवरी, १९४८ को इस समिति ने संविधान का प्रारूप अध्यक्ष की सेवा में सौंप दिया। दिसबंर, १९४८ से इस प्रारूप की धाराओं पर एक-एक कर विचार किया गया। सदस्यों ने इसमें अनेक महत्त्वपूर्ण संशोधन किये। संविधान-परिषद् के अध्यक्ष ने संविधान का हिन्दी में रूपान्तर करने के लिए श्री घनश्याम सिंह गुप्त की अध्यक्षता में एक हिन्दी-अनुवाद-समिति नियुक्ति की।

संविधान-प्रारूप-समिति ने संशोधित संविधान को तृतीय वाचन के लिए १७ नवम्बर, १९४९ को परिषद् में पेश किया। इसपर ९ दिनों तक लगातार विचार होता रहा। अन्त में २६ नवम्बर, १९४९ को तृतीय वाचन समाप्त हो गया। २४ जनवरी, १९५० को संविधान-परिषद् का अन्तिम अधिवेशन हुआ जिसमें राष्ट्रीय गायन के संबंध में निश्चय किया गया। 'जनमनगण' गायन को सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की गयी और 'वन्दे मातरम्' को भी स्वीकार किया गया। इसी अधिवेशन में संविधान की अंग्रेजी तथा हिन्दी प्रतियों पर समस्त सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर भी किये। ये प्रतियाँ विशेष रूप से तैयार की गयी थीं। शान्ति-निकेतन के श्री नन्दलाल बसु ने इनकी कलापूर्ण ढंग से सजावट की। इस प्रकार भारत का संविधान २६ जनवरी, १९५० से भारत में लागू हो गया।

आगामी पृष्ठों में हम संक्षेप में इस संविधान का सारांश देंगे। इससे पूर्व संविधान के संबंध में कुछ ज्ञातव्य आँकड़े दे देना उचित होगा।

कुछ तथ्य और आँकड़े

१. संविधान-परिषद् के सदस्यों की संख्या ३०८

२. परिषद् की प्रथम बैठक ··· ··· ६ दिसंबर, १९४६
३. संविधान की स्वीकृति के लिए परिषद् की अन्तिम बैठक ··· २६ नवम्बर, १९४९
४. संविधान की रचना में समय लगा ··· २ वर्ष ११ मास १८ दिन
५. परिषद के कितने अधिवेशन हुए ··· ··· ११
६. अधिवेशनों में दर्शकों की संख्या ··· ··· ५३,०००
७. संविधान-परिषद् पर कुल व्यय ··· ६३,९६,७२९ रु०
८. वैधानिक मंत्रणादाता द्वारा प्रस्तुत प्रारूप में धाराएँ २४३ परिशिष्ट १३
९. संविधान प्रारूप में ·········· धाराएँ ३१५ परिशिष्ट ८
१०. संविधान में संशोधनों के नोटिस मिले ··· ७,६३५
११. वास्तविक संशोधन ··· ··· ··· २,४७६
१२. स्वीकृति संविधान में ··· कुल धाराएँ ३९५, परिशिष्ट ८

संविधान की प्रस्तावना

हम, भारत के जन, भारत को एक
सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य
बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों के
न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;
स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की;
समता, प्रतिष्ठा और अवसर की
प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली
बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान-परिषद् में आज ता० २६ नवम्बर, सन् १९४९ ई० (मिती मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् २००६ विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

भाग १ : संघ और उसके राज्यक्षेत्र

'इंडिया' अर्थात् भारत के राज्यों का एक संघ होगा। उसके राज्य तथा राज्य-क्षेत्र संविधान की अनुसूची के भाग (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित राज्य होंगे। भारत के राज्य-क्षेत्र में उपर्युक्त राज्यों के राज्य-क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र सम्मिलित होंगे जो अर्जित किये गये हों।

भारतीय संसद को किसी भी राज्य के राज्य-क्षेत्र में कमी-बढ़ती करने का अधिकार है। वह नये राज्य भी स्थापित कर सकेगी।

भाग २ : नागरिकता

इस संविधान के प्रारम्भ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत राज्य-क्षेत्र में अधिवास है तथा

(क) जो भारत राज्य-क्षेत्र में जन्मा था; अथवा

(ख) जिसके जनकों में से कोई भारत राज्य-क्षेत्र में जन्मा था; अथवा

(ग) जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले कमसे कम ५ वर्ष तक भारत-राज्य क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा।

जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत राज्य-क्षेत्र में प्रव्रजन कर आया है, इस संविधान के प्रारम्भ पर भारत का नागरिक माना जायगा।

भाग ३ : मूल अधिकार

इस भाग में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख है। मूल अधिकार मुख्यतया निम्न प्रकार हैं :—

(क) *सभ्यता के अधिकार* :— प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समता का अधिकार है; राज्य के किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा

इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायगा। उपर्युक्त किसी आधार पर किसी भी नागरिक को दूकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, सार्वजनिक कुओं, तालाबों स्नानघाटों सड़कों तथा सामाजिक समागम के स्थानों के प्रयोग से वंचित नहीं किया जायगा। नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में समान सुयोग दिये जायँगे और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायगा।

संविधान की धारा १७ द्वारा अस्पृश्यता का अन्त कर अस्पृश्यता-जनित निर्योग्यता को लागू करना अपराध माना गया है। इसके लिए दण्ड की भी व्यवस्था की गयी है।

सेना या शिक्षा-संबंधी पदवियाँ दी जायँगी; अन्य प्रकार की नहीं।

स्वातंत्र्य अधिकार :—सब नागरिकों को वाक्-स्वातंत्र्य; अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य; शान्तिपूर्वक निरायुध सम्मेलन, संस्था या संघ बनाने; राज्य-क्षेत्र में अबाध संचरण; किसी भी प्रदेश मे निवास; सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन; वृत्ति, जीविका, व्यापार तथा कारोबार करने का अधिकार होगा।

किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दण्ड नहीं दिया जायगा और न प्रचलित कानून में उल्लिखित दण्ड से अधिक दण्ड दिया जायगा। जो व्यक्ति बन्दी किया जायगा उसे तुरन्त बन्दीकरण के कारण बतला दिये जायँगे और उसे अपनी कानूनी प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। तीन मास से अधिक समय के लिए किसी को नजरबन्द नहीं रखा जायगा, जबतक कि मंत्रणा-मण्डली ने इस प्रकार की रिपोर्ट न दे दी हो कि अधिक समय तक नजरबन्द रखने के पर्याप्त कारण हैं। नजरबन्दी के संबंध में संसद कानून बना सकेगी। बेगार

नहीं ली जायगी और १४ साल से कम आयु के बालकों को किसी संकटपूर्ण काम में नहीं लगाया जायगा।

धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार :—सब व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता का, धर्म के अवाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। सिक्खों को कृपाण धारण करने का अधिकार होगा।

प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी भाग को धार्मिक तथा पूत प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन का अधिकार होगा।

किसी राजकीय संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायगी। राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शिक्षा-संस्था में किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी धार्मिक शिक्षा या पूजा-प्रार्थना में भाग लेने के लिए वाध्य नहीं किया जायगा।

सम्पत्ति का अधिकार :— कोई भी व्यक्ति कानून की सत्ता के बिना अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायगा। जब कोई सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जित की जायगी, तब उसके लिए कानून द्वारा प्रतिकर की राशि निश्चित कर दी जायगी या उसके सिद्धांत और रीति का उल्लेख कर दिया जायगा।

संस्कृति व शिक्षा-सम्बन्धी अधिकार :—जिन नागरिकों की विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का उन्हें अधिकार है।

किसी राजकीय अथवा राज्य-सहायता प्राप्त शिक्षा-संस्था में प्रवेश करने से किसी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, या भाषा के आधार पर नहीं रोका जायगा। शिक्षा-संस्थाओं को सहायता देने में उक्त आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायगा।

भाग ४ : राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत

इस भाग में राज्य की नीति के सिद्धांत बतलाये गये हैं, जिनके अनुसार प्रत्येक प्रादेशिक या राज्य-शासन कार्य करेगा। परन्तु ये ऐसे सिद्धांत नहीं हैं जिनके उल्लंघन करने पर नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में कोई कार्य-वाही उस राज्य के विरुद्ध कर सकें।

राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—

(क) समान रूप से नरनारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।

(ख) समाज की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियत्रंण इस प्रकार वहाँ हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो।

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केन्द्रण न हो।

(घ) पुरुषों और स्त्रियों—दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो।

(ङ) श्रमिक पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक अवस्थाओं से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े, जो उनकी आयु तथा शक्ति के अनुकूल न हों।

(च) शैशव तथा किशोर अवस्था का शोषण से तथा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से संरक्षण हो।

राज्य ग्राम-पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा; राज्य काम पाने, शिक्षा पाने तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी या अंगहीन होने की दशा में सार्वजनिक सहायता की व्यवस्था

करेगा। प्रसूति सहायता के लिए राज्य व्यवस्था करेगा । राज्य कृषि, उद्योग, खानों आदि के श्रमिकों के लिए काम, निर्वाह, मजूरी, शिष्ट जीवनस्तर तथा अवकाश की व्यवस्था करेगा। समस्त राज्य में एक-एक समान व्यवहार-संहिता का प्रयोग किया जायगा। १० वर्ष के भीतर १४ वर्ष तक की अवस्था तक प्राथमिक नि:शुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जायगी। पिछड़ी जातियों, परिगणित जातियों तथा आदिम जातियों की शिक्षा तथा आर्थिक उन्नति के लिए विशेष ध्यान दिया जायगा। लोक-स्वास्थ्य तथा जीवनस्तर को उच्च बनाया जायगा। कृषि तथा पशुपालन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली से संघटित किया जायगा। राज्य में कार्य-पालिका और न्याय-पालिका का विभाजन किया जायगा। राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं देशों के साथ मैत्री-पूर्ण संबंध बनाये रखने का प्रयत्न करेगा।

भाग ५ : घ राष्ट्रपति

संविधान के इस भाग में संघ-शासन पर विचार किया गया है। भारत एक संघ-राज्य होगा अर्थात् कई राज्यों को मिला कर संघ बनेगा। किन्तु इसकी शासन-प्रणाली इंगलैंड के ढंग की होगी; संयुक्त-राज्य अमेरिका के ढंग की नहीं।

भारत-संघ का सर्वोपरि सत्ताधारी राष्ट्र-पति होगा। संघ की पूर्ण शासन-सत्ता राष्ट्रपति के हाथ में होगी।

निर्वाचन :— राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्य करेंगे। प्रत्येक विधान-सभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने मत देने का अधिकार होगा, इसका निश्चय धारा ५४ (२) के अन्तर्गत किया

गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन ५ वर्ष के लिए किया जायगा। वह अपने पद से त्याग-पत्र दे सकेगा और संसद में उसके विरुद्ध महाभियोग लगा कर भी उसे पद से हटाया जा सकेगा। अवधि की समाप्ति पर वह पुनर्निर्वाचन में भी भाग ले सकेगा। एक उप-राष्ट्रपति भी होगा। इसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनो के संयुक्त अधिवेशन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार होगा। उपराष्ट्र-पति अपने पद के कारण राज्य-परिषद् का सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करेगा।

राष्ट्रपति के पदाभिलाषी को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु ३५ वर्ष से कम न हो तथा उसे लोक-सभा की सदस्यता की योग्यता हो।

मंत्रि-परिषद्

राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का संपादन करने में सहायता एवं मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होगी, जिसका प्रमुख, प्रधान मंत्री होगा। मंत्रियों द्वारा दी गयी मंत्राणा की न्यायालय में जाँच नहीं की जायगी। प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की मत्रंणा पर करेगा। मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा-नुसार पद पर रहेंगे। मंत्रि-परिषद् लोक-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्री के लिए यह आवश्यक है कि यदि वह किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो ६ मास में सदस्य निर्वाचित हो जाय।

भारत का महान्यायवादी

राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा।

उसका कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को ऐसे विधि (कानून) संबंधी विषयों पर मंत्रणा दे और ऐसे अन्य कानूनी कर्त्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति समय-समय पर उसे भेजे।

भारतीय संसद

भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी। इसमें राष्ट्रपति तथा दो सदस्य होंगे जिनके नाम क्रमशः राज्य-परिषद् तथा लोक-सभा होंगे।

राज्य परिषद्:—राज्य-परिषद् में राज्यों के २३८ प्रतिनिधि होंगे जिनका निर्वाचन आनुपातिक-निर्वाचन-पद्धति के अनुसार होगा। प्रत्येक राज्य कितने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेगा—इसकी तालिका नीचे दी जाती है। इनमें १२ सदस्य राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों में से निर्देशित करेगा जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज-सेवा में विशेष ज्ञान व अनुभव रखते हों।

राज्य-परिषद् में राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या

स्थान सारणी

भाग (क) के राज्य प्रथम अनुसूची

सं०	राज्य	प्रतिनिधि सं०
१	आसाम ······	६
२	उड़ीसा ·······	९
३	पंजाब ······	८
४	पश्चिमी बंगाल ··	१४
५	बिहार ·······	२१
६	मद्रास ·······	२७
७	मध्यप्रदेश ·····	१२
८	बंबई ········	१७
९	उत्तरप्रदेश ···	३१
	जोड़ ···	१४५

भाग (ख) के राज्य प्रथम अनुसूची

सं०	राज्य	प्रतिनिधि सं०
१	हैदराबाद ·······	११
२	जम्मू-काश्मीर ····	४
३	मध्यभारत ······	६
४	मैसूर ········	६
५	पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य-संघ ···	३
६	राज्यस्थान ···	९
७	सौराष्ट्र ···	४
८	त्रावनकोर कोचीन संघ	६
९	विन्ध्य-प्रदेश ···	४
	जोड़ ···	५२

प्रथम अनुसूची भाग (ग) के राज्य

१	अजमेर कुर्ग	१
२	भोपाल	१
३	विलासपुर	१
४	हिमाचल	१
५	कूच बिहार	
६	देहली	१
७	कच्छ	१
८	मणिपुर	१
९	त्रिपुरा	

जोड़ ७

कुल संख्या २०५

राज्य-परिषद् :—राज्य-परिषद् अपनी प्रथम बैठक में एक सभापति तथा एक उपसभापति का चुनाव करेगी। इन्हें निर्धारित वेतन तथा भत्ता मिलेगा। सदस्यों को भी निर्धारित वेतन तथा भत्ता मिलेगा। सभापति, उपसभापति तथा सदस्य अपने पद से त्यागपत्र दे सकेंगे। राज्य-परिषद् का विघटन नहीं होगा। प्रति दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्यों का पुनः चुनाव होगा।

लोक-सभा :—लोक-सभा का चुनाव कुल राज्यों के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव-रीति से होगा। राज्यों को निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जायगा। ७,५०,००० जन-संख्या के लिए एक से कम सदस्य नहीं होगा और न ५००,००० के लिए एक से अधिक सदस्य चुना जायगा।

लोक-सभा अपनी प्रथम बैठक में एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष लोक-सभा का सभापतित्व करेगा।

लोक-सभा का निर्वाचन पाँच वर्ष के लिए होगा।

निर्वाचन-प्रणाली व मताधिकार :— भारतीय संसद से लेकर ग्राम- पंचायत तक सब के निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन-प्रणाली के अनुसार होंगे। अर्थात् हिन्दू, मुस्लिम, परिगणित जाति, ईसाई आदि सब का एक सम्मिलित निर्वाचन होगा। प्रत्येक वयस्क स्त्री-पुरुष को, जिसकी आयु २१ वर्ष से कम न होगी, निर्वाचन में मतदान का अधिकार होगा। किन्तु निम्नलिखित व्यक्ति मतदाता नहीं हो सकेंगे:—

(१) यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य के अन्तर्गत लाभ का पद धारण किये हुए है अर्थात् सरकारी नौकर है।
(२) यदि उसका मस्तिष्क विकारयुक्त है।
(३) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है।
(४) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है।
(५) यदि वह संसद या किसी राज्य की विधि द्वारा आयोग्य ठहरा दिया गया है।

राष्ट्रपति की विधायिनी शक्ति

जिस समय दोनों सदस्यों में से किसी का अधिवशन न हो रहा हो, उस समय आवश्यकता प्रतीत होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकेगा। ऐसा अध्यादेश दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा तथा संसद के पुनः समवेत होने से ६ सप्ताह की समाप्ति पर अथवा उससे पूर्व यदि दोनों ऐसा प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं जिसके कारण वह अस्वीकार कर दिया जाता है तो तुरन्त ही उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। राष्ट्रपति किसी भी समय इसे वापस भी ले सकेगा।

संघ का सर्वोच्च न्यायालय

भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधिपति और ७ न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा और ये ६५ वर्ष की आयु तक पद-

ग्रहण करेंगे। न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और उसे आचरण-संबंधी कारण से हटाया भी जा सकेगा।

उच्चत्तम या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निम्न प्रकार की योग्यताएँ परमावश्यक हैं--

(१) किसी उच्च न्यायालय का अथवा ऐसे दो या दो से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम पाँच वर्षों तक न्यायाधीश रह चुका हो ;

(२) किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार १० वर्षों तक अधिवक्ता (Advocate) रह चुका हो ;

(३) राष्ट्रपति की राय में पारंगत अधिवेत्ता हो और (४) वह भारत का नागरिक हो।

सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य स्थान दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य किसी स्थान पर होगा जिसे भारत का मुख्य न्यायाधिपति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर निश्चित करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की अधिकार-सीमा निम्नलिखित होगी:--

(क) भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच के ; अथवा (ख) एक ओर भारत सरकार और कोई राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच के; अथवा (ग) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के किसी विवाद में, और जहाँ तक उस विवाद में ऐसा कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है (चाहे कानून का चाहे तथ्य का) जिस पर किसी वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है वहाँ तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार होगा।

नियंत्रक महा लेखा-परीक्षक

भारत का एक नियंत्रक महा लेखा-परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। यह संघ के और राज्यों के तथा अन्य प्राधिकारी या निकाय के, लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्त्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद-निर्मित कानून के द्वारा या अधीन विहित किये जायँ। महा लेखा-परीक्षक की रिपोर्टों को राष्ट्रपति तथा राज्यपाल या राज्यप्रमुख क्रमशः संसद और विधान-सभा के सम्मुख रखवायेंगे।

भाग ६ : राज्यों की शासन-पद्धति

कार्य-पालिका : राज्यपाल

प्रत्येक ऐसे राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा जिसका उल्लेख अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित है। ऐसे राज्य ६ हैं। ये पहले 'प्रांत' कहलाते थे। राज्य की शासन-सत्ता (कार्य-पालिका सत्ता) राज्य-पाल में निहित होगी। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल का कार्य-काल ५ वर्ष का होगा। वह त्यागपत्र भी दे सकेगा। ३५ वर्ष की आयु से कम में किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जायगा। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्य-पाल विधान-सभा का सदस्य नहीं होगा और न संसद का। पद-ग्रहण से पूर्व वह शपथ लेगा। राष्ट्रपति आदि सभी अधिकारियों को शपथ ग्रहण करनी पड़ती है।

मंत्रि-परिषद्

जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कृत्यों अथवा उनमें से किसी को स्वविवेक में करे, उन बातों को छोड़ कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का निर्वाह करने में सहायता तथा मंत्रणा देने के लिए एक मंत्री

परिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होगा। उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्य पाल मुख्य-मंत्री की मंत्रणा से करेगा।

उड़ीसा, बिहार व मध्य प्रदेश में आदिम जातियों के कल्याण के लिए भार-साधक एक मंत्री होगा जो साथ-साथ परिगणित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का अथवा अन्य कार्य का भार-साधक भी हो सकेगा। मंत्रियों के वेतन आदि विधान मण्डल द्वारा नियत होंगे।

महाधिवक्ता

प्रत्येक राज्य में राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त करेगा जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की योग्यता होगी। इसका कार्य राज्य की सरकार को ऐसे कानून-संबंधी विषयों पर मंत्रणा देना और ऐसे कानूनी कर्त्तव्यों का पालन करना होगा, जिन्हें राज्यपाल समय-समय पर उसे सौंपेगा। वह राज्यपाल द्वारा निर्धारित वेतन पायेगा। राज्य की समस्त कार्य-पालिका की कार्यवाही राज्य-पाल के नाम से होगी।

राज्य का विधान-मण्डल

प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान-मण्डल होगा जो राज्यपाल और–

(क) पंजाब, पश्चिमी बंगाल, बंबई, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के राज्यों में दो सदनों से तथा

(ख) अन्य राज्यों में एक सदन से मिल कर बनेगा।

जिस राज्य में विधान-मंडल में दो सदन होंगे, उसमे एक विधान-परिषद् और दूसरा विधान-सभा कहलायेगा। जहाँ एक सदन होगा, वहाँ वह विधान-सभा कहलायेगा।

राज्य की विधान-सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों से मिलकर बनेगी। राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन-

क्षत्रों में विभाजित कर दिया जायगा। ७५,००० जन-संख्या के लिए एक प्रतिनिधि चुना जायगा। परन्तु किसी विधान-सभा में ६० से कम और ५०० से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे।

राज्य की विधान-परिषद् (Legislative Council) में उसकी विधान-सभा के कुल सदस्यों के एक चौथाई सदस्य होंगे। परन्तु वे किसी भी दशा में ४० से कम नहीं होंगे। विधान-परिषद् का संगठन निम्न प्रकार से से होगा —

विधान-परिषद् के कुल सदस्यों का एक-तृतीयांश नगर-पालिकाओं, जिला-मंडलों तथा अन्य स्थानीय अधिकारियों के निर्वाचन-मण्डल द्वारा चुना जायगा। द्वादशांश ऐसे निर्वाचन-मण्डल द्वारा चुना जायगा जो किसी विश्व-विद्यालय के कम से कम तीन वर्ष से स्नातक हैं। द्वादशांश ऐसे निर्वाचक-मण्डल द्वारा चुना जायगा जो माध्यामिक पाठशालाओं और निम्नतर शालाओं में कम से कम ३ वर्ष से अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं। यथाशक्य तृतीयांश विधान-सभा द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जायँगे, जो उस सभा के सदस्य नहीं हैं। शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत होंगे जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान तथा अनुभव रखते हैं।

विधान-सभा का कार्य-काल पाँच वर्ष होगा। विधान-परिषद् का विघटन नहीं होगा; किन्तु प्रत्येक दो वर्ष की समाप्ति पर एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन होगा।

विधान-सभा तथा परिषद् के पदाधिकारी

विधान-सभा आरम्भ में अपने सदस्यों में से एक सभाध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। सभाध्यक्ष विधान-सभा के अधिवेशनों का सभापति होगा।

उसका वेतनादि सभा नियत करेगी। इसी प्रकार विधान-परिषद् एक सभापति तथा उपसभापति चुनेगी। ये त्यागपत्र दे सकेंगे तथा अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार होने पर हटाये जा सकेंगे।

सदस्यों की योगताएँ, उम्मीदवारों की योगताएँ विधान-सभा तथा परिषद् की कार्यवाही की प्रणाली आदि सब वैसी ही हैं जैसी कि संसद् की हैं।

राज्यपाल की विधानयिनी सत्ता

राज्यपाल को यदि आवश्यकता अनुभव हो और उस समय विधान-सभा या परिषद् का अधिवेशन न हो रहा हो, तो वह अध्यादेश जारी कर सकेगा। यह अध्यादेश विधान-मण्डल के समक्ष विचारार्थ रखा जायगा। विधान-सभा या परिषद् के पुनः अधिवेशन के होने के ६ सप्ताह तक इसका प्रभाव रहेगा, यदि उससे पूर्व विधान-सभा और परिषद् ने प्रस्ताव स्वीकार कर उसे रद्द न कर दिया हो।

राज्यों के उच्च-न्यायालय

प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च-न्यायालय होगा। भारत के मुख्य न्यायाधिपति से, उस राज्य के राज्यपाल से तथा मुख्य न्यायाधिपति को छोड़ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उस राज्य के मुख्य न्याया-धिपति से परामर्श करके राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा-सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा तथा वह न्यायाधीश तब तक पदधारण करेगा जबतक कि वह ६० वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले।

न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा तथा राष्ट्रपति उसे किसी दुराचरण के सिद्ध हो जाने पर हटा सकेगा। प्रत्येक न्यायाधीश को वही वेतन दिया जायगा जो द्वितीय अनुसूची में दिया हुआ है।

उच्च न्यायालय का राज्य के समस्त अधीनस्थ न्यायलयों पर नियंत्रण रहेगा और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करेगा। उनकी पद-स्थापना तथा पदोन्नति के संबंध में भी इसी प्रकार परामर्श किया जायगा।

भाग ७: भाग (ख) के राज्य

इस भाग में कुछ संशोधन करके भाग (क) क राज्यों (जैसे बंबई, मद्रास, उत्तर प्रदेश) की शासन-प्रणाली भाग (ख) (जैसे हैदराबाद, काश्मीर, राजस्थान) के राज्यों के संबंध में लागू की गई है। उनमें 'राज्यपाल' का स्थान 'राजप्रमुख' ने ले लिया है। तथा मैसूर को छोड़ सब राज्यों में एक सदन वाले विधान-मण्डल होंगे।

भाग ८: भाग (घ) के राज्य

इन राज्यों से तात्पर्य अजमेर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों से है। इनका शासन-प्रबंध राष्ट्रपति स्वयं करेगा और वह शासन-प्रबंध के लिए उपराज्य-पाल नियुक्त करेगा।

भाग ९

इसमें आन्दमान-निकोबार राज्य के प्रशासन के के संबंध में व्यवस्था है।

भाग १०: आदिम जातियाँ

इस भाग में केवल एक धारा (२४४) है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि आदिवासियों (Scheduled Tribes) के प्रशासन के संबंध में पंचम अनुसूची में उल्लिखित व्यवस्था लाग होगी।

भाग ११: संघ और राज्यों का संबंध

इस भाग में संघ और उसके अन्तर्गत राज्यों के विधायी तथा प्रशासन संबंधों पर धाराएँ हैं।

संविधान की सप्तम अनुसूची में तीन विषय-सूचियाँ दी गई हैं: (१) संघ-विषय-सूची, (२) समवर्ती-विषय-सूची तथा (३) राज्य-विषय-सूची।

(१) संघ-विषय-सूची के अन्तर्गत भारत की रक्षा; जल, थल तथा नभ सैन्य, वैदेशिक संबंध, युद्ध-शान्ति, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, रेल, नभ-यातायात, डाक, तार, पत्तन, प्रकाश-स्तम्भ आदि हैं और इनके संबंध में कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को है।

(२) समवर्ती-विषय-सूची—इस सूची में ऐसे विषय हैं, जिनके संबंध में संघ की संसद तथा राज्य ने विधान-मण्डल दोनों को कानून बनाने के अधिकार हैं। जैसे:— उद्योग; धार्मिक संस्थाएँ; मूल्य नियंत्रग ; कारखाने, समाचार-पत्र, पुस्तकें, मुद्राणालय आदि ।

(३) राज्य-विषय-सूची—इस सूची के अन्तर्गत विषयों पर राज्य-विधान-मण्डल कानून बना सकता है। जैसे— सार्वजनिक व्यवस्था; आरक्षी (पुलिस); कारागार; सुधारालय; स्थानीय स्वराज्य; सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा स्वच्छाता, कृषि, कृषि-शिक्षा, शिक्षा, आदि।

प्रत्येक राज्य की कार्य-पालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा कि जिससे संसद द्वारा निर्मित कानूनों का तथा किन्हीं वर्तमान् कानूनों का, जो उस राज्य में लागू हैं, पालन सुनिश्चित रहे तथा संघ की कार्य-पालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश (Directives) देने तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक दिखाई दे।

प्रत्येक राज्य की कार्य-पालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि जिससे संघ की कार्य-पालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूल अभाव न हो।

भाग १२: वित्त सम्पत्ति

इस भाग में संघ तथा राज्यों के बीच राज्य की आय के वितरण के संबंध में धाराएँ हैं। संघ की एक संचित निधि होगी जिसमें भारत सरकार का सब धन जमा होगा। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में भी राज्य-संचित निधि होगी, जिसमें राज्य का सब धन जमा होगा। इस प्रकार पीड़ित जनों की सहायता आदि कार्यों के लिए "भारत की आकस्मिक निधि" होगी और राज्यों में भी ऐसी निधि होगी।

इस भाग में एक वित्तायोग (Finance Commission) की नियुक्ति की भी व्योवस्था की गई है जो राजस्व के वितरण के संबंध में राष्ट्र-पति को मंत्रणा देगा।

भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अवाध होगा। संसद कानून द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ व्यापार, वाणिज्य के संबंध में प्रतिबंध आरोपित कर सकेगी।

भाग १४: संघ तथा राज्य के अधिकार

इस अध्याय में संघ के अन्तर्गत लोक-सेवकों की नियुक्ति, उनकी पदच्युति आदि के संबंध में नियम हैं। संघीय लोक-सेवा आयोग तथा राज्य लोक-सेवा आयोगों की स्थापना के लिए भी व्यवस्था है। इसमें उनके सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यों के संबंध में स्पष्ट उल्लेख है।

भाग १५: निर्वाचन

संसद, प्रत्येक विधान-मण्डल के निर्वाचन के लिए नामावली तैयार कराने का तथा उन समस्त निर्वाचनों के संचालन का तथा राष्ट्र-पति और उपराष्ट्र-पति के पदों के लिए निर्वाचन का निर्देशन, नियत्रंण एक आयोग में निहित होगा,

जो निर्वाचन-आयोग कहलायगा। निर्वाचन प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर होंगे।

भाग १६: पिछड़े वर्गों के लिए संरक्षण

इस भाग में भारत के कतिपय पिछड़े वर्गों के लिए संरक्षणों का उल्लेख है। संसद् की लोक-सभा में परिगणित जातियों, तथा आसाम के आदि-वासी क्षेत्रों की आदिवासी जातियों को छोड़ अन्य आदिवासी जातियों, तथा आसाम के स्वायत्त-शासित जिलों में की आदि वासी जातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात से स्थान सुरक्षित रहेंगे। राज्यों की विधान-सभाओं में भी जनसंख्या के अनुपात से परिगणित जातियों तथा आदि-वासी जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रहेंगे। आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए सदस्य मनोनीत किये जायँगे।

भाग १७: राष्ट्रभाषा

इस भाग में संघ की राष्ट्रभाषा तथा प्रादेशिक भाषाओं के संबंध में विस्तृत धाराएँ हैं। इनका सारांश यह है कि—

संघ की राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा लिपि देवनागरी होगी। अक अंग्रेजी के रहेंगे। १५ वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा और इस अवधि में राष्ट्रपति क्रमशः अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी के प्रयोग की व्यवस्था करेंगे।

संघ की सरकार का यह भी कर्त्तव्य होगा कि वह हिन्दी के विकास के लिए प्रयत्न करे।

राज्यों मे विधान-मण्डल कानून द्वारा किसी भी प्रचलित भाषा को या हिन्दी के राजभाषा स्वीकार कर सकता है।

जबतक संसद कानून द्वारा ऐसी व्यवस्था न कर दे तबतक—

(१) उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाहियाँ;

(२) संसद के प्रत्येक सदन में अथवा राज्यों के विधान-मण्डलों के सदनों में प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त विधयेकों (Bills) तथा उनके संबंध में समस्त संशोधनों के पाठ :

(३) संसद तथा विधान-मण्डलों के द्वारा स्वीकृत सब अधिनियमों (Acts) का वाचन;

(४) अध्यादेश ;

(५) आदेश , नियम, विनिमय आदि अंग्रेजी भाषा में होंगे।

भाग १८: आपात उपबंध

यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाय कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या आन्तरिक अशान्ति से भारत या उसके राज्य के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा उस आशय की घोषणा कर सकेगा। उस प्रकार की घोषणा वापस ली जा सकेगी; संसद के प्रत्येक सदन में रखी जायगी; वह दो मास की समाप्ति पर अपना प्रभाव नहीं रखेगी जब तक कि संसद के दोनों सदन उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उसका अनुमोदन न कर लें।

इस प्रकार की उद्घोषणा की कालावधि में राष्ट्रपति अपने निर्देश द्वारा शासन करेगा और संघ की कार्य-पालिका शक्ति का विस्तार समस्त राज्य-क्षेत्र में होगा। बाह्य आक्रमण तथा आभ्यन्तर अशान्ति से प्रत्येक राज्य का संरक्षण करना संघ का कर्तव्य होगा।

यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राज्यप्रमुख से ऐसी कोई रिपोर्ट मिले या अन्य किसी प्रकार से राष्ट्रपति को समाधान हो जाय कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों

के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उद्-घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सब या कोई कृत्य जो यथास्थिति राज्य-पाल या राज्य-प्रमुख में निहित हों, अपने हाथ में ले सकेगा।

भाग १६ : प्रकीर्ण

इस भाग में संविधान के प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों की व्याख्या की गई है।

भाग २०: संशोधन

इस भाग में संविधान के संशोधन की प्रणाली बतलाई गई हैं।

भाग २१: अन्तर्कालीन उपबंध

इस भाग में अन्तर्कालीन उपबंधों की व्यवस्था की गई है।

परिशिष्ट या अनुसूची

संविधान में आठ परिशिष्ट हैं:—

१. प्रथम अनुसूची में चारों प्रकार के राज्यों की सूची दी गई है। (क) भाग में वे राज्य हैं जो पहले प्रान्त थे। (ख) भाग में वे राज्य हैं जो पहले रियासतें थे (ग) भाग में वे राज्य हैं जो पहले चीफ कमिश्नर के प्रांत थे। (घ) भाग में अन्दमान-निकोबार हैं।

२. द्वितीय अनुसूची—इसमें राज्याधिकारियों के वेतन निर्धारित किये गये हैं:—

पद	वेतन
१. राष्ट्रपति	१०,००० रुपये मासिक वेतन।
२. राज्य के राज्यपाल	५,५०० रुपये मासिक वेतन।
३. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	५,००० रुपये मासिक वेतन।
४. अन्य न्यायाधीश	४,००० रुपये मासिक वेतन।

५. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	४,००० रुपये मासिक वेतन।
६ अन्य न्यायाधीश	३,५०० रुपये मासिक वेतन।
७. भारत के नियत्रंक–महालेखा परीक्षक	४,०००० रुपये प्रतिमास।

३. तृतीय अनुसूची—इसमें संघ के मंत्रियों के लिए पद तथा गोपनीयता की शपथों तथा संसद के सदस्यों की शपथों, राज्य के मंत्रियों तथा न्यायाधीशों की शपथों के पाठ दिये गये हैं।

४. चतुर्थ अनुसूची—इसमें राज्य-परिषद् में विविधि राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित की गई है।

५. पंचम अनुसूची—इसमें आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के संबंध में पूरी व्यवस्था है।

६. षष्ठ अनुसूची—इसमें आसाम के आदिम जाति-क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध हैं।

७. सप्तम अनुसूची—इसमें संघ विषय-सूची, समवर्ती विषय-सूची तथा राज्य विषय-सूची दी गई है।

८. अष्टम अनुसूची—इसमें निम्नलिखित राज-भाषाओं की सूची दी गई है:–

(१) असमिया, (२) बंगला, (३) गुजराती, (४) हिन्दी, (५) कन्नड़, (६) कश्मीरी, (६) मलयालम, (८) मराठी, (६) उड़िया, (१०) पंजाबी. (११) संस्कृत, (१२) तामिल, (१३) तेलगू और (१४) उर्दू।

भारतीय संविधान पर विद्वानों तथा संसद्-सदस्यों के मत

प्रशंसामत्क मत

१. "संविधान शतप्रतिशत जनता का संविधान है। इससे जनता की साधारण आकांक्षा पूरी होगी। यह न समाजवादी है, न साम्यवादी और न पंचायती

संविधान है; इससे जनता को पर्याप्त सुयोग मिलेगा, जिससे वह अपने मत का प्रवर्तन कर सकेगी।"

—श्रीमती दुर्गाबाई (मद्रास)

२. "संविधान में समाज में परिवर्तन के श्रीगणेश की व्यवस्था की गई है। इससे सक्रिय नागरिकता को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रभुत्व-सम्पन्न इकाइयों के विकास के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा।"

—श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी (उत्तर प्रदेश)

३. "भारतीय संविधान पर डा० राजेन्द्र प्रसाद के उच्च विचारों, पं० जवाहरलाल नेहरू की विश्वजनीन दृष्टि, सरदार पटेल की स्थिर निर्णयात्मक बुद्धि, डा० पट्टाभि की तीक्ष्ण विवेकशीलता और डा० अम्बेदकर के पांडित्य तथा महात्मा गाँधी के आर्शीबाद की छाप है।"

—सरदार सुचेतासिंह (पाटियाला-पंजाब राज्य-संघ)

४. "इस संविधान के अन्तर्गत समस्त देश अपने इतिहास में सर्वप्रथम ऐसे रूप में एकता प्राप्त करेगा, जैसे कि पहले कभी नहीं प्राप्त की थी। संविधान समस्त देश के लिए वरदान सिद्ध होगा।"

—श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय (मध्यभारत)

५. "यह संविधान सर्व-संम्ममति से सभा-गृह द्वारा स्वीकार्य योग्य है।"

—ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर (पंजाब)

६. "इस संबंध में भारतीय संविधान का आधार अमेरिका के प्रगतिशील संविधान की अपेक्षा अधिक प्रजातंत्रीय है। अस्पृश्यता का निवारण एक मुख्य कदम है जो संविधान-परिषद् ने उठाया है।"

—श्री अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर (मद्रास)

७. "भारत का संविधान भारत का गौरव और संसार का आश्चर्य होगा। इसने संसार के अन्य संविधानों

के दोषों तथा अभावों का परित्याग कर दिया ह।"

—श्री रोहिणीकुमार चौधरी (आसाम)

८. "संविधान में भारतीय जानता की आशाओं तथा आकांक्षाओं की प्रतिमूर्ति है। इसकी सबसे महान् विशेषता है इसका ऐहिक रूप।...... इसकी दूसरी विशेषता है सुरक्षित स्थानों का अंत कर देना।

—बेगम एजाज रसूल (उत्तरप्रदेश)

९. "संविधान प्रारूप-समिति की सब से महान् सफलताओं में मूल अधिकारों और लोक-सेवा-संबंधी अनुबंधों का उल्लेख किया जा सकता है।"

—पं० हृदयनाथ कुजंरू (उत्तरप्रदेश)

१०. "एक फ्रन्च लेखक ने अंग्रेजी संविधान के संबंध में यह कहा है कि 'पार्लमेंट सब कार्य कर सकती है; किन्तु पुरुष को स्त्री के रूप में नहीं बदल सकती। भारत की संसद के संबंध में भी यही बात सत्य है। दूसरी बात यह है कि वह एक मूर्ख को एक प्रतिभाशाली नहीं बना सकेगी।"

—श्री नरहरि विष्णु गैडगिल

आलोचनात्मक मत

१. "यह मेरी धारणा है कि यह संविधान वास्तव में हमारे योग्य नहीं है। यह तो कैंची की कारमात का फल है। यह वर्णन अप्रासंगिक भले हो; परन्तु मेरे विचार में तो सत्य है।.... हमारा संविधान एक भारी विफलता है। इसमें भारतीय संस्कृति की भवना नहीं है। जिस गाँधीवाद की हम घर-बाहर शपथ लेते हैं, उसकी इसमें प्रेरणा भी नहीं हैं।"

—डा० श्री सम्पूर्णानन्द (शिक्षा-मंत्री, उत्तर-प्रदेश)

२. "संविधान पर भारतीय संस्कृति की छाप नहीं है... भावी संतति यह नहीं जान सकेगी कि यह दिल्ली में

में बना था या लंदन में– यह संसार के विधानों की विचित्र गंगा-जमनी है। मुझे भय है कि इसके द्वारा नियमित सरकार जनता की सेवा करने में सफल नहीं होगी।"

—श्री रामनारायण सिंह (बिहार)

३. "केवल परिवर्तन को छोड़ अर्थात् संविधान में वयस्क मताधिकार को स्थान दिया गया है, यह संविधान सन् १९३५ का भारत-शासन-विधान ही है।"

—डा० पंजाब राव देशमुख (मध्यप्रदेश)

४. "मेरा समुदाय इस संविधान को स्वीकार नहीं कर कर सकता। सिक्ख इससे अत्यधिक निराश हैं तथा अपने को दु:खी अनुभव करते हैं।"

—सरदार हुक्म सिंह (पूर्वी पंजाब)

५. "केन्द्र को अत्यधिक सत्ता प्रदान कर दी गई है। यह गाँधी जी के आदर्शों के विरुद्ध है। उत्पादन में केन्द्रीयकरण की प्रणाली ने आर्थिक स्वतंत्रता नष्ट कर दी है और पूंजीवाद को स्थापित कर दिया है। राजनीतिक सत्ता के केन्द्रीयकारण से राजनीतिक स्वतंत्रता भी नष्ट हो जायगी। संविधान पर भारतीय संस्कृति की भी छाप नहीं है।"

—श्री कमलापति तिवारी (उत्तर-प्रदेश)

६. "यह संविधान क्रांतिकारी नहीं है, न आर्थिक दृष्टि से और न राजनीतिक दृष्टि से ही। इसका ढाँचा तथा शब्दावली सन् १९३५ के भारत–शासन– विधान की भाँति है।"

—श्री अजितप्रसाद जैन (उत्तर-प्रदेश)

७. "इस संविधान में फैसिज्म के विकास के लिए पर्याप्त स्थान है। .... संघ की इकाइयाँ सर्वथा शक्ति-हीन हैं। राष्ट्रपति के हाथों में सत्ता का केन्द्री-भूत करना एक प्रकार से प्रधान मंत्री को इतनी सत्ता

प्रदान कर देना है कि जिसके कारण आधिनायकत्व का भय है। पार्लमेंट केवल एक रजिस्ट्री आफिस बन जायगी। यह संविधान प्रधान मंत्री को एक शक्तिशाली अधिनायक बना देगा।"

—प्रोफेसर के० टी० शाह (बंबई)

८. "संविधान द्वारा प्रांतों की स्थिति नगर-पालिका के समान हो गई है। जब नया संविधान लागू हो जायगा, तब कोई भी प्रान्त अपने को स्वतंत्र अनुभव नहीं कर सकेगा। प्रान्तों को एक नूतन दासत्व-श्रृंखला में बाँध दिया गया है।"

—श्री लक्ष्मीनारायण साहु (उड़ीसा)

९. "हम उस समय तक अपनी जनता के साथ आर्थिक न्याय नहीं कर सकते, जिसके संबंध में संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, जबतक हम स्टर्लिंग क्षेत्र से बंधे रहेंगे। इस समय भारत जिस अमानवीय संकट का सामाना कर रहा है, वह ग्रेट-ब्रिटेन के नेतृत्व में कामनवेल्थ के देशों के साथ बँधे रहने के कारण ही है।"

—श्री बी० दास (उड़ीसा)

अध्याय २३

भारत में गणराज्य का उद्घाटन

२६ जनवरी, १९५० का दिन भारत के इतिहास में सदैव अमर रहेगा जबकि शताब्दियों के बाद भारतीय जनता ने वास्तव में स्वाधीनता प्राप्त कर भारत में प्रजातांत्रिक पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न गणराज्य (Republic) की स्थापना की। दो दिन पूर्व भारतीय संसद ने डा० राजेन्द्र प्रसाद को सर्वप्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित कर उनके प्रति उस महान् कृत्य के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की जो गत २६ नवम्बर, १९४९ को समाप्त हो गया और जिसके अनुसार गणराज्य भारत में शासन प्रबंध होगा।

२६ जनवरी, १९५० को दिन में १०-१८, दिन वृहस्पति वार को भारत गण-राज्य घोषित कर दिया गया।

नई दिल्ली में, राजकीय भवन के दरबार-कक्ष में देश के प्रायः ५०० प्रमुख नेता, विद्वान्, विदेशों के राजदूत , हिन्देशिया के राष्ट्रपति सोयकर्णो तथा उनकी स्त्री आदि उपस्थित थे। राजसिंहासन के उत्तर में भारत के प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू तथा राष्ट्रपति सोयकर्णो बैठे थे; वाम पक्ष की ओर सरदार वल्लभभाई पटेल, तथा अन्य मंत्री थे। राष्ट्रपति के अंगरक्षक अपनी रंग-विरंगी पोशाक में सब का चित्र आकर्षित कर रहे थे। १०-१२ पर दरबार-कक्ष में सेना की बिगुलध्वनि के साथ द्वार-पट खुल गये।

समस्त दर्शक शान्तिपूर्वक खड़ हो गय जब राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने प्रवेश किया। डा० राजेन्द्र प्रसाद चूड़ीदार पायजामा और काली अचकन धारण किये हुए थे। अवकाश-प्राप्त गर्वनर जनरल श्री राज-गोपालाचार्य कुर्त्ता और धोती पहने थे। राष्ट्रपति के पीछे उनके सचिव तथा सैनिक-सचिव थे। अंगरक्षक भी साथ थे। जुलूस मंच के पास जाकर शान्तिपूर्वक विसर्जित हो गया। श्री राजगोपालाचार्य राजासिंहासन पर विराजे। उनकी बायीं ओर डा० राजेन्द्र प्रसाद बैठे।

दरबार-कक्ष से बाहर सेना के बैंड ने राष्ट्रीय गान गाया। इसके पश्चात् उसके द्वार-पट बन्द हो गये। दर्शक अपने-अपने स्थान पर बैठ गये।

गणराज्य की घोषणा

श्री राजागोपालाचार्य ने १०-१८ पर निम्नलिखित घोषणा पढ़ी:—

'चूंकि भारत की जनता ने यह पवित्र संकल्प किया है है कि भारत एक प्रभुत्व-सम्पन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में संगठित होगा और उसने भारतीय संविधान परिषद् में २६ नवम्बर, १९४९ को भारत का संविधान स्वीकार कर लिया है;

"और चूंकि उक्त संविधान में यह घोषित कर दिया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, जिसके राज्य-क्षेत्र में वे प्रदेश सम्मिलित होंगे जो अबतक गर्वनर के प्रान्त, भारतीय देशी राज्य, और चीफ कमिश्नर के प्रान्त रहे हैं;

"और चूंकि यह दिन, जनवरी २६, १९५० इस संविधान के प्रारम्भ के लिए निश्चित किया गया है;

"अब, इसलिए, यह घोषणा की जाती है कि इंडिया अर्थात् भारत एक प्रभुत्व-सम्पन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य

और एक संघ-राज्य होगा जिसकी इकाइयाँ राज्य होंगे जो संविधान के अनुसार शासन तथा प्रशासन की समस्त सत्ताओं का प्रयोग एवं कृत्यों का संपादन करेंगे।"

राष्ट्रपति का पद-ग्रहण

इसके उपरान्त श्री राजगोपालाचार्य ने संविधान परिषद् के सचिव से प्राप्त इस सूचना को पढ़ा:—

"मुझे भारतीय संविधान परिषद् के सचिव से यह पत्र मिला है कि २४ जनवरी, १९५० को संविधान परिषद की बैठक हुई, जिसमें संविधान के अनुसार भारतीय संघ के राष्ट्रपति पद के लिए डा० राजेन्द्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया है। अत: यह मेरा विशेषाधिकार तथा मेरी प्रसन्नता की बात है कि मैं उन्हें आसन प्रदान करूँ। अब वह अपने पद की शपथ लेंगे।

आगे श्री राजगोपालाचार्य ने कहा—

"ईश्वर भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति को आर्शीवाद दें और उन्हें इस पद के गुरुतर दायित्वों का निर्वाह करने की शक्ति प्रदान करें, जिससे भारत की जनता सुखी और ऐश्वर्यवान् हो और विश्व की प्रगति में में अपना योगदान दे।"

श्री राजा जी ने डा० राजेन्द्र प्रसाद से हाथ मिलाया और उन्हें राज्यसिंहासन पर ले गये। भारत के प्रधान न्यायाधिपति श्री हरिलाल कानिया आगे बढ़े और राष्ट्रपति-पद की शपथ पढ़ने लगे। शपथ हिन्दी में पढ़ी गई और डा० राजेन्द्र प्रसाद ने उसे हिन्दी में दुहराया। शपथ ईश्वर के नाम पर ली गई।

शपथ समाप्ति पर समस्त द्वारा-पट खुल गये। ३१ तोपों की ध्वनि से राष्ट्रपति का अभिनन्दन किया गया।

गर्वनर-जनरल की नीली पतका के स्थान पर राष्ट्रपति की लाल तथा सुवर्ण पताका फहराने लगी।

बैंड ने 'जनमनगण' गायन किया और संसद के कुछ सदस्यों ने 'वन्देमातरम्' गायन गया।

राष्ट्रपति का भाषण

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने राज्य-सिहासन से एक संक्षिप्त भाषण दिया जो निम्न प्रकार है–

"यह हमारे इतिहास में एक स्मरणीय दिन है। हमें इसके आरम्भ में परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि जिसकी कृपा से हमें यह दिन देखने का सुयोग मिला है और राष्ट्रपिता को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें ही नहीं वरन् संसार को सत्याग्रह का अमोघ अस्त्र दिया और स्वाधीनता प्राप्ति के लिए हमारा पथ-दर्शन किया। हमें उन असंख्य नर-नारियों को भी धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने अपने बलिदान और कष्ट-सहन से स्वाधीनता प्राप्त की और जिनके कारण प्रभुत्व-सम्पन्न प्रजातांत्रिक भारतीय गणराज्य की स्थापना संभव हुई है।

"आज अपने इतिहास में सबसे प्रथम बार हम यह देखते हैं कि इस सुविशाल मातृभूमिको, जिसका विस्तार उत्तर में काश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा पश्चिम में कठियावाड़-कच्छ से पूर्व में कोकनाडा और कामरूप तक है, एक संविधान तथा एक संघ की अधिकार सीमा में लाया गया है; इस संघ ने अपने अधीन ३२ करोड़ की जनसंख्या के कल्याण का उत्तर-दायित्व ग्रहण किया है। इसका प्रशासन अब उसकी जनता द्वारा जनता के लिए होगा। इस देश में महान् प्राकृतिक साधन हैं और अब उसे अपनी जनता को सुखी तथा सम्पन्न बनाने तथा संसार में शान्ति की स्थापना में योग देने के लिए सुयोग मिला है।

"हमारे गणराज्य का लक्ष्य अपने नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समता प्राप्त करना है और इस देश के निवासी विभिन्न भाषा-भाषियों तथा विविध धर्मों तथा रीति-रिवाजों के मानने वालों में बंधुत्व पैदा करना हैं। हम दूसरे देशों के साथ मैत्री का भाव रखना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य देश में चहुँमुखी प्रगति करना है। हमारा कार्यक्रम रोग, गरीबी तथा अज्ञानता से मुक्ति पाना है। हम इसके लिए चिन्तित हैं कि हम अपनी शक्ति भर प्रयत्न करके उन व्यक्तियों के लिए पुनर्वास के उद्योग करे जो अपने घर-बार से विहीन हैं और काफी कष्ट पा चुके हैं और अब भी कष्ट पा रहे हैं। जो जीवन की दौड़ में पिछड़े हैं, उन्हें दूसरे लोगों की समान स्थिति में लाने के लिए विशेष व्यवस्था करना उचित है। इन सब की प्राप्ति के लिए हमें उस स्वाधीनता का रक्षण करना होगा जो आज हमें प्राप्त हुई है।

"किन्तु आर्थिक तथा सामाजिक स्वाधीनता की माँग उतनी ही आवश्यक है जितनी कि राजनीतिक स्वतंत्रता की। यह मेरी आशा है और प्रार्थना है कि हम इस सुयोग का उपयोग करेंगे और अपने समस्त साधनों तथा शक्ति का प्रयोग देश तथा उसकी जनता के लिए करेंगे। वर्तमान समय में अतीत की अपेक्षा अधिक वलिदान और त्याग की आवश्यकता है।

"मुझे यह भी आशा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि जनता इस शुभ दिन का प्रसन्नता से अनुभव करे, किन्तु वह अपने भारी दायित्वों को भी समझे और वह उन महान् उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करे, जिनके लिए राष्ट्रपिता ने अपना जीवन अर्पण कर दिया और अन्त में अपना वलिदान कर दिया।"

घोषणा का प्रकाशन

इसके उपरान्त गृह-सचिव श्री एच० बी० आर० आयंगर राष्ट्रपति के सम्मुख उपस्थित हुए और उनसे यह आदेश माँगा कि राष्ट्रपति ने पद ग्रहण कर लिया है, इसकी सूचना भारत के गजट में प्रकाशित कर दी जाय तथा समस्त सेना को दे दी जाय। राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी। इसके पश्चात् समारोह को समाप्त करने की आज्ञा प्राप्त की गई और फिर जुलूस के रूप में राष्ट्रपति राजाजी के साथ बाहर चले गये।

इसके बाद राष्ट्रपति ने भारत-संघ शासन के नवीन मंत्रिमण्डल को शपथ दी।

इस प्रकार गणराज्य के उद्‌घाटन की कार्यवाही समाप्त हो गई।

अध्याय २४

भारतीय संघ का शासन

भारत के राष्ट्रपति

डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद

राष्ट्रपति के सचिव

श्री एस० ए० लाल

सैनिक सचिव

कर्नल बी० सी० चटर्जी

संघ की मंत्रि-परिषद्

मंत्री

१ श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू—प्रधान मंत्री—वैदेशिक और राष्ट्रमंडल के संबंध
२ श्री चक्रवर्ती राजागोपालाचारी —उपप्रधान मंत्री—गृह
३ श्री मौ० अबुल कलाम आजाद —शिक्षा
४ श्री चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख —अर्थ
५ श्री गोपालस्वामी आयंगर —यातायात तथा राज्य
६ श्री हरेकृष्ण मेहताब —व्यापार और उद्योग
७ श्री नरहरि विष्णु गाडगिल —निर्माण, उत्पादन तथा रसद
८ श्री श्रीप्रकाश —प्राकृतिक साधन और वैज्ञानिक अनुसंधान
९ श्री बलदेव सिंह —रक्षा
१० श्री कन्हैया माणिकलाल मुंशी —खाद्य और कृषि
११ स्थान रिक्त है —संचार
१२ श्रीमती राजकुमारी अमृतकौर —स्वास्थ्य
१३ डा० भीमराव अम्बेदर —न्याय
१४ श्री जगजीवन राम —श्रम

राज्यमंत्री

१	श्री सी० सी० विश्वास	–अल्पसंख्या
२	श्री अजितप्रसाद जैन	–पुनर्वास
३	श्री के० सन्थानम्	–यातायात तथा रेल
४	श्री आर० आर० दिवाकर	सूचना और प्रसार
५	श्री सत्यनारायण सिन्हा	– पार्लियामेंटरी कार्य

उपमंत्री

१	श्री खुरशेद लाल	–संचार-विभाग
२	डा० बालकृष्ण राव वी० केशकर	–वैदेशिक विभाग

मन्त्रि-परिषद् का सचिवालय

१	श्री एन० आर० पिलाई, आइ० सी० एस०	–सचिव
२	श्री बी० एन० कौल	–उपसचिव
३	ब्रिगेडियर डी० सी० मिश्र	–उपसचिव (सैनिक)
४	कमांडर ए० परीरा	–स्टाफ अफसर
५	विंग कमान्डर के० सी० सरकार	,,
६	लेफ्टेनेंट कर्नल पी० ओ० डुन्न	,,
७	लेफ्टेनेंट कर्नल एस० आर० नन्दा	,,
८	स्वाडरन लीडर डी० सी० सेठ	,,
९	विंग कमांडर एच० सी० दीवान	,,
१०	ले० कमांडर एस० विश्वनाथन	,,
११	श्री डी० पी० माथुर	–सहायक सचिव
१२	डा० ज्ञानचन्द	–विशेष अफसर
१३	प्रो० पी० सी० महाद्यनौविस	–अवैतनिक आँकड़ा संबंधी मन्त्रणादाता
१४	श्री टी० एस० सोहनी	सुपरिंटेन्डेन्ट
१५	श्री जे० वी दास	सुपरिंटेन्डेन्ट
१६	श्री राजेन्द्र नारायण	सुपरिंटेन्डेन्ट
१७	श्री एन० एस० चन्द्रमौलेश्वर	सुपरिंटेन्डेन्ट

प्रधान मंत्री का सचिवालय

१	श्री धर्मवीर	– प्रधान निजी सचिव
२	श्री एम० ओ० मठाई	– विशेष सहकारी
३	श्री एस० विक्रम शाह	– निजी सचिव
४	श्री एम० एल० बजाज	– निजी सहकारी सचिव
५	श्री एन० आर० पिलाई	– विशेष अफसर
६	डा० ज्ञानचन्द	– विशेष अफसर

शिक्षा सचिवालय

शिक्षा मंत्री – मौ० अबुल कलाम आजाद

निजी सचिव – श्री एस० एन० मसूद

निजी उपसचिव – मुहम्मद अजमल खाँ

शिक्षा-संबंधी मंत्रणादाता और सचिव – डा० तारानन्द

शिक्षा-संबंधी संयुक्त मंत्रणादाता – प्रो० हुमायूँ कबीर

शिक्षा-संबंधी उप-मंत्रणादाता–
- श्री पी० एन० किरपाल
- डा० ए० एम० डी, रोजेरियो
- श्री एल० आर० सेठी
- श्री जी० के० चान्दीरामनी

सचिव, विश्वविद्यालय दान-समिति – डा० पी० नरसिंह भैया

उपसचिव, विश्वविद्यालय दान-समिति–
- श्रीमती पी० जौहरी
- श्री रामलाल
- श्री एच० एस० वर्मा

सहायक सचिव, विश्वविद्यालय दान-समिति
- श्री सोमदत्त
- श्री टी०एस० कृष्णमूर्ति

सहायक शिक्षा मंत्रणादाता	——डा० वीणा चटर्जी
	डा० आर० एम० हलदर
	श्री० के० एल० जोशी
	डा० एन० एस० जुनंकर
	श्री ए० बी० चान्दीरामनी
	श्री आर० एस० भंडारकर
	श्री एल० एस० चन्द्रकान्त
	मती जे० के० अशगर
शिक्षाधिकारी	डा० पी० डी० शुम्ल
	श्री डी० के० हिंगोरानी
	श्री एस० एस० धम्न
	श्रीमती डी० माधवी अम्मा
	श्री हरीशचन्द्र
	डा० विक्रम सिंह
	श्री नौहरिया राम
	श्री पी० एन० सेन गुप्ता
	श्री टी० एस० अजयानी
	श्री बी० बी० सेन
	श्री श्याम नारायण
	डा० डी० सी० चौपरा
संग्रहालयाध्यक्ष	– श्री एम० वी० राजगोपाल
पुस्तकालयाध्यक्ष	– श्री आर० गोपालन
पुरातत्व विभागाध्यक्ष	– डा० एन० पी० चक्रवर्ती
पुरावतत्व विभाग के उपाध्यक्ष	– श्री एम० एस० वाट्स
अध्यक्ष ग्रंथ-रक्षागृह विभाग	– डा० पी० बसु
प्र० सुपरिंटेंडेन्ट ,, ,, ,,	– श्री एस० एन० राय
अध्यक्ष, मानव-विज्ञान विभाग	– डा० बी० एस० गुहा
उपाध्यक्ष ,, ,, ,,	– डा० वेरियर अल्विन

स्वास्थ्य सचिवालय

स्वास्थ्य मंत्रिणी : श्रीमती राजकुमारी अमृतकौर
संयुक्त सचिव : पी० माधव मेनन, आई० स० एस०
उपसचिव : एम० आर कोथा-दरमन
सहायक सचिव : पी० एस० दोरास्वामी; जे० एन० सक्सेना; सरदार हरवंश सिंह; एस० देवनाथ
स्वस्थ्य–सेवा के प्रमुख संचालक : डा० के सी० के० ई० राजा
उप-प्रमुख -संचालक : लेफ्टेनेंट कर्नल टी०सी० पुरी
औषधि नियंत्रण-कर्त्ता : लेफ्टेनेंट कर्नल एम०के०केलवाकर
अतिरिक्त उप-प्रमुख संचालक स्वास्थ्य-सेवा : डा० आर० विश्वनाथन्
प्रमुख रसायनिक परामर्शदाता : पी० एम० नावर
संचालक, शरणार्थी सहायता : डा० पी० एल० निरूला
सहायक प्रमुख संचालक स्वास्थ्य-सेवा (स्टोर); डा० ए० एस० सेन
,, ,, ,, (सार्वजनिक स्वास्थ्य) डा० सी०वी०चन्द्रमणि
विशेषआधिकारी (शरणार्थी सहायता) : एस० एस० राव
मुख्य स्थापत्य विशारद (Senior Architect)– जे० डी० शास्त्री
आहार-परामर्शदाता : डा० के० मित्रा
सहायक औषधि-नियंत्रक : पी० एस० रामचन्द्र
क्षयरोग परामर्शदाता : डा० पी०वी० बेन्जामिन
प्रसूती व शिशुमंगल परामर्शदाता : डा० कुमारी एस० पंडित
प्रमुख परिचारिका निरीक्षक कुमारी टी०के० अद्रानवाला
उप–प्रमुख संचालक स्वास्थ्य-सेवा (चिकित्सा) खुशीराम

खाद्य और कृषि सचिवालय

मंत्री–श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी
सचिव–श्री के ० एल० पंजाबी, आई० सी० एस०
अतिरिक्त सचिव–सरदार सर दातारासिंह
संयुक्त सचिव–एस० वसु; एस०बाई० कृष्णास्वामी; एन०टी० माने

उप-सचिव–जे० ब्रेनी; एस० एम० श्रीवास्तव, एच० सी० शर्मा, एस० आर० मणि, बी० एस० कृष्णास्वामी

सहायक सचिव–एस० के० घोष; आई० जे० मालहन; जे०बी० ए० नेहमिया
एस० टी०राजा; आर० सी० सिन्हा; ए० एन० बेरी

सहकारी सचिव– श्री एन० एस० श्रीकंटिया, श्री वासुदेव

निरीक्षक–– वी० एस रामदास; एस० एल० गुलारी; ए० सी० जैन; डी० रामैया; टी०एस० मलहोत्रा; एस० सी० लाल; सी० एस० पार्थसारथी; ए० बी० लाल, जी एस० बनवालीकर; सी० डब्ल्यू, खेमचन्द; सी डी० ओबेराय; एम० पी०, जैन; चरन दास; आर० एम० चकक्रवर्ती।

सिंचाई सलाहकार	आर० बी० एम० सी० विजावात
कृषि-विकास कमिश्नर	डी० आर० सेठी
मत्स्य-विकास अधिकारी	डा० वेणीप्रसाद
दुग्धालय विकास सलाहकार	डा० जाल० आर० कोठवालिया
फल विकास सलाहकार	डा० जी० एस० चीपा
वनों के प्रमुख निरीक्षक	एम० डी० चतुर्वेदी
आर्थिक सलाहकार	डब्लू ० आर० नात्
वृक्ष रक्षण सलाहकार	डा० एच० ए० पुरूथी
गुड़-सलाहकार	गजानन नायक
अतिरिक्त कृषि-विकास कमिश्नर	सी० मायादास
संचालक कृषि-यंत्र	एन० डी० गुलरजानी
शीतकरण विकास इंजीनियर	एम० एल० खन्ना
उप-मत्स्य-विकास सलाहकार	डा० बी० ए० चोपरा
उप-कृषि उत्पादन सलाहकार (खाद)	सी० एस० डी० स्वामी
उप-सिंचाई सलाहकार	के० सी० मजूमदार

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

अध्यक्ष	मा० श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी
उपाध्यक्ष	सरदार बहादुर सर दातारसिंह
कृषि कमिश्नर	आर० एल० सेठी, आई० ए० एस०
पशु-पालन कमिश्नर	पी० एन० नन्दा
सचिव	टी० एस० कृष्णमूर्त्ति
फल-विकास सलाहकार	डी० जी० एस० चीपा
सहायक कृषि कमिश्नर	डा० आर० शंकरन
सहायक पशु-पालन कमिश्नर	एम० आर० महाजन
सहायक सचिव	एच० सी० थापड़
मुख्य निरीक्षक	एफ० सी० मेहरोत्रा
संख्या सलाहकार	डा० पी बी० सुकतामे
संपादक	डा० यू० एन० चटर्जी;

केन्द्रीय कृषि क्रय-विक्रय विभाग

कृषि क्रय-विक्रय सलाहकार	टी० जी० सरनेम
उप कृषि क्रय-विक्रय सलाहकार	डा० बी० सी० सेन
मुख्य निरीक्षक	पी० एस० विश्वनाथन्
निरीक्षण -संचालक	बी० पी० अनन्तनारायणन्
उच्च क्रय-विक्रय अधिकारी	त्रियुगी प्रसाद
	एल० एस० बावा
क्रय-विक्रय अधिकारी	एस० सी० चक्रवर्ती; के०पी० जैन, के० एन० वास्वानी
मुख्य रसायनवेत्ता : केन्द्रीय नियंत्रण रसायनशाला कानपुर	एल० के० शुक्ल

श्रम सचिवालय

श्रम-मंत्री :	श्री जगजीवन राम
सचिव :	एस० लाल;

संयुक्त सचिव : के० एन० सुब्रमण्यम्
उप सचिव : ए०सी० अग्रवाल; सदाशिव प्रसाद, एन०एम० पटनायक, एस० मल्लिक
सहायक सचिव : एन० सी० कुप्पूस्वामी; टी० एस० साहनी; पी०एन० शर्मा आर० आर० भटनागर
संचालक श्रम सम्मेलन : एस० पी० सक्सेना
सचिव के निजी सचिव : महेन्द्र किशोर

पुनर्वास व रोजगार के प्रधान-संचालक का सचिवालय

पुर्नर्वास व रोजगार प्रधान संचालक : डा० एन० दास
उपसचिव ई० यू० दामोदरन
सहायक सचिव एम० वी० नीलकंठ अय्यर
निरीक्षक । एस० रगास्वामी; विमलचन्द्र; महाराजकिशन
रोजगार केन्द्र संचालक एच० डेवनयोर्ट
संचालक प्रकाशन-विभाग वी० एस० वर्मा
शिक्षण-संचालक के० एम० नायर

प्रादेशिक संचालक रोजगार तथा पुनर्वास

संचालक	मद्रास	सैयद अब्दुल कादिर
,,	बंबई	एम० जी० मोनाती; आई० सी०एस
,,	आसाम	कप्तान हबीबुर रहमान
,,	उत्तर प्रदेश	राधाकान्त
,,	बिहार	महावीर प्रसाद
,,	उड़ीसा	डी० के० मर्दराज, पी० सी० एस०
,,	पूर्वी पंजाब	ई० जे० मुकन्द
,,	देहली अजमेर	एच० एल० वर्मा
,,	मध्य प्रदेश	ए० बी० वैद्य

मुख्य श्रम कमिश्नर

प्रमुख श्रम कमिश्नर : जलेश्वर प्रसाद

प्रादेशिक श्रम कमिश्नर, बंबई : डी० जी० यादव, बी ए० एल० एल बी०

,, ,, कलकत्ता : ए० तालिब

,, ,, कानपुर : हरिसिंह

,, ,, धनबाद : सत्यनारायण सिंह

निर्माण, खान तथा विद्युत सचिवालय

मंत्री : नरहरि विष्णु गैडगिल

सचिव : बी० के० गोखले, आई० सी० एस०

संयुक्त सचिव : डी० एल० मजूमदार आई० सी० एस०

उप सचिव : एन०बी० चटर्जी; एन०डी० गुलहाटी; एस० नीलकंठम; एच० सी० गुप्त, आई० सी एस०; बी० बी० पेमास्टर, आई० सी० एस०

सहायक सचिव : मथुरादास; एच० के वंसल; रूपलाल; एस० एल० विज; एम० एम० मलहोत्रा; सी० एस० एडवर्ड; एस ० के० घोषाल :

मंत्री के निजी सचिव : डी० एस० बारेकर

भारत का परिमाप विभाग

परिमाप विभाग के अध्यक्ष : ब्रिगेडियर एफ० जी० हीने

भूगर्भ-संबंधी परिमाप विभाग

संचालक : डा० डब्ल्यू डी० वैस्ट

वनस्पति-विज्ञान परिमाप विभाग

कलकत्ता के राजकीय वनस्पति-विज्ञान-उद्योग के निरीक्षक—
डा० के विश्वास

भारतीय सिक्यूरिटी प्रेस

मास्टर, भारतीय सिक्यूरिटी प्रेस : लेफ्टीनेंट कर्नल आर० सी० जी० चैपमैन

डिप्टी मास्टर करेंसी नोट प्रेस : एन० डी० प्रभु
डिप्टी मास्टर : जे० सी० दत्त गुप्त

राजस्व सचिवालय

मंत्री: श्री चिन्तामन द्वारकानाथ देशमुख
संयुक्त सचिव— ब्रजनारायण, एस०रत्नम्, एम०एस० भटनागर
उपसचिव— एस० वेंकटरमन, बी० एल-बात्ता, जी० मथिपास
सहायक सचिव— एस० एस० शिरालकर, आर० एस० कृष्णन, एस० के० मजूमदार, अयोध्यानाथ, हर किशोर, बी० एस० अत्री, पी०एन०सूरी,ए०एन०कौल। ओ० एस० डेनेट, डी०डी० चोपरा, मुकन्द लाल, पी० सी० मुखर्जी।

रक्षा सचिवालय

माननीय मंत्री: सरदार बलदेव सिंह
सचिव: एच० एम० पटेल, आई० सी०एस०
संयुक्त सचिव: आर० के० रामध्यानी, आई०-सी० एस०; बी० बी० घोष; एन०एन०वाचू, आई०सी०एस०
माननीय मंत्री के निजी सचिव ए० वोहरा, आई०सी०ए०
माननीय मंत्री के सहायक निजी सचिव—गुरुवख्शसिंह
उप-सचिव एम० के० गांगुली बी० ए०; सी० टी० शर्मा बी० ए०; एल० जी० मीरचाँदनी; रघुनाथ प्रसाद बी० ए०
सहायक सचिव: मेजर एन० एस० शिव; हुमायूँ मिर्जा; मेजर-आर० शग्रफ ; आर० एन० वासुदेव; बी० वासुदेव राव; बलवन्तसिंह कौल; एस०-एन० वासुदेव, बी०एम० भिडे; के०पी० विज-लानी, एन०पी० विजलानी, डी०पी०मैकेना
संचालक, सैन्य, भूमि और छावनी—एस० रछपाल सिंह

गृह सचिवालय

मंत्री	श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
निजी—सचिव:	बी० शंकर आई०सी०एस०
सचिव	एम० बी०आर० आयंगर; आई०सी०एस०
संयुक्त सचिव	एस० बी० बापट आई० सी० एस०
जनगणना कमिश्नर	आर० ए० गोपाल स्वामी
जनगणना अफसर	डी० एन० नटराजन
उपसचिव	आर० सी० दत्त, ई० सी० गेनर, यू० के० घोषाल, बी० डी० तिवारी , फतेहसिंह
सहायक सचिव	के० एन० एन० मल्या, सी० बी० ुलाटी, ए० बी० रमन, एन० एल० नागर, के०-एन० सुबन्ना, करमचन्द, गजिन्दर सिंह, एस० एल० मथुरिया, सी० पी० एस० मेनन, आर० के० रंजन, बी० एम० शर्मा

संघीय लोक-सेवा आयोग

अध्यक्ष	आर० एन० बनर्जी, आई० सी० एस०
सदस्य	खानबहादुर जावद हुसेन
,,	डब्ल्यू० आर० पुराणिक
,,	के० लचरिया
,,	दीवानबहादुर एस० जी० ग्रब
,,	मलिक जीवनलाल कपूर
,,	एस० बी० बलवन्तसिंह पुरी
,,	डा० एल० डी० जोशी
सचिव	डा० आर० एम० राय

सूचना तथा प्रसारण सचिवालय

मंत्री	श्री आर० आर० दिवाकर
सचिव	पी०सी० चौधरी, आई०सी०एस०
उपसचिव	टी० आर० बी० चारी

सहायक सचिव	बी० एस० दाशरथी, एच०पी०-कौल, ए० एस० भटनागर
विज्ञापन सलाहकार	डी० डी० सबनिस
संचाक, प्रकाशन विभाग	डा० एस० सिन्हा
उप संचालय प्रकाशन विभाग	एस० एन० घोष
नियंत्रक चलचित्र विभाग	स्थान रिक्त है
उत्पादन इंचार्च	मोहन भवनानी; एस० एल० बदामी

प्रेस सूचना कार्यालय

मुख्य सूचना अधिकारी	बी० एल० शर्मा
उप मुख्य सूचना अधिकारी	एम० एल० भारद्वाज
,, ,, ,,	ए० आर० व्यास

वैदेशिक सचिवालय

मंत्री	श्री पं० जवाहरलाल नेहरू
उपमंत्री	डा० बी० बी० केसकर
मुख्य निजी सचिव	धर्मवीर
निजी सचिव	विक्रम शाह
सहायक निजी सचिव	एम० एल० बजाज

वैदेशिक विभाग

मुख्य सचिव	श्री गिरजाशंकर वाजपेयी
वैदेशिक सचिव	के० पी० एस० मेनन
वैधानिक तथा संधि-संबधी सलाहकार	कुवंर दलीप ।सह
अतिरिक्त सचिव	एस० दत्त
संयुक्त सचिव	सी० एस० झा, बी० डी० गुनदेविया, बी० चक्रवर्ती, एस० एन० हकसर
अध्यक्ष,आर्थिक विभाग	प्रोफेसर बी० पी० आडरकर
उपसचिव	अजीम हुसैन, आइ० जे० बहादुर सिंह, देवी दयाल भटिया, एस० के० बनर्जी,

प्रेम किशन, आइ० एस०चोपरा, पटौदी के नबाव

संचालक, भारतीय सूचना-सेवा : बी० आर० भट्ट

(राष्ट्रमंडल विभाग)

अतिरिक्त सचिव :	एस० दत्त०, आई० सी० एस०
संयुक्त सचिव :	वाई डी० गुणदेविया, आई० सी० एस०
उप-सचिव :	प्रेमकृष्ण, आई० सी० एस०

राज्य सचिवालय

मंत्री	श्री गोपालस्वामी आयंगर
सचिव	बी० पी० मेनन

प्राकृतिक साधन और वैज्ञानिक अनुसंधान

मंत्री	श्री श्रीप्रकाश
सचिव	सी० सी० देसाई, आई० सी० एस०
संयुक्त सचिव	के० के० चेट्र; एस० रघुनाथन्
उप-सचिव	बी० एन० बनर्जी, एस० जगन्नाथन्, आई०-सी० एस० ; वी० सी० त्रिवेदी; यू० एल गोस्वामी

उद्योग और वाणिज्य सचिवालय

मंत्री	श्री हरेकृष्ण मेहताब
सचिव	एस० ए० वेंकटारमण, आई० सी० एस०
संयुक्त सचिव	के० सेन०, आई० सी० एस०; एस० भूतलिंगम्, आई० सी० एस०
उपसचिव	बी०के०कौल, आई०सी०एस०; के०राम, आई० सी० एस०; सी० आर० नटेसन बी० के० सक्सेना; बी० के० आचार्य
सहायक सचिव	पी०एस० सुन्दरम्; एस०ए० टेकचन्दानी डी० एस० बेनीगल, शिवदेव सिंह पी० बी० कृष्णऐय्यर; एन० आर० रेड्डी

मुख्य औद्योगिक सलाहकार : ब्रिगेडियर एम० एच० कौक्स
न्यूजप्रिंट आफिसर (शिमला) : आर० पी० शचदेव
उद्योग और रसद के मुख्य संचालक : डा० जे० सी० घोष
„ „ उपमुख्य संचालक : डा० जे० एन० राय
„ „ „ (विकास) : जंगवीर सिंह।
„ „ विशेष अधिकारी : एस० एस० आयंगर
„ „ उपमुख्य संचालक (रसद) : आर० पी० माथुर
„ „ „ (निरीक्षण) : एफ० एशमोर

यातायात सचिवालय

मंत्री	श्री एन० गोपालस्वामी आयंगर
राज्यमंत्री	श्री के० सन्तानम्
सचिव	वाई०एन० सुकथनकर, आई० सी० एस०
संयुक्त सचिव	एस० चक्रवर्ती आई०सी०एस०, जे०के० अटल; पी० एस० सुन्दरम्
उप-सचिव	ए० के० मुकर्जी, आई० सी० एस० पी० एम० सुन्दरम्

रेलवे (प्रायरिटी) के मुख्य नियंत्रक : एम० डी० सेठाना
मोटर यातायात के सहायक नियंत्रक : एस० के० वेंकटाचालम

नागरिक नभ-यातायात विभाग

नागरिक नभ-यातायात के मुख्य संचालक : टी० पी० भल्ला, आई० पी०
उपमुख्य संचालक : के० एम० साहा, डी० चक्रवर्ती

रेलवे-बोर्ड

मुख्य कमिश्नर	के० सी० वाखले
राजस्व कमिश्नर	एम० के० चन्दा
सदस्य (इंजीनियरिंग)	एफ० सी० भद्वार
सदस्य (स्टाफ)	वी० नीलकंठन्
सदस्य (यातायात)	एस० एस० वशिष्ठ

संचालक (बजट) एन० सी० देव
संचालक (सिविल इंजीनियरिंग) जी० पांडे

संचार सचिवालय

मंत्री स्थान रिक्त है
मुख्य संचालक डाक व तार विभाग कृष्ण प्रसाद

विधान सचिवालय

विधान-मंत्री	डा० भीमराव अम्बेदकर
सचिव	के० बी० के० सुन्दरम्, आई० सी० एस०
संयुक्त सचिव	के० बाई० भंडारकर; एन० सी० राय
संयुक्त सचिव	एस० एन० मुकर्जी
उपसचिव	गोपाल सिंह, एम० ए० एल० एल० बी०
	बी० जी० मुर्देश्वर; बी० एन० लोकुर
सहायक सचिव	ए० आर० वारियर; यू० सी० घोष

विधान-मंत्री के निजी सचिव : रायसाहेब एम० मेसी

आय-कर अपील के लिए न्यायाधिकरण

(प्रधान कार्यलय—बंबई)

अध्यक्ष : एन०एन० शाह, आई० सी० एस०; एस० एम० गुप्ता
(पंजी) पत्रिकाधीश : के० श्रीनिवासन्
(सहायक मंत्री) सहायक पत्रिकाधीश: आर० पी० दलाल

पुनर्वास सचिवालय

मंत्री	श्री अजितप्रसाद जैन
निजी सचिव	डा० एस० पी० चावलानी
सलाहकार	मेहरचन्द खन्ना
सचिव	सी० एन० चन्द्रा
संयुक्त सचिव	बी० डी० दंत्थागी

अध्याय २५

विश्व के राष्ट्रों में भारत के राजदूत

सं	नाम	पद	राष्ट्र
१.	श्रीमति विजयलक्ष्मी पंडित	राजदूत	संयुक्त राज्य अमेरिका
२.	डा० एस राधाकृष्णन्	राजदूत	सोवियत-संघ
३.	सरदार के. एम. पानिकर	राजदूत	चीन
४.	श्री अली जहीर	राजदूत	ईरान
५.	डा० एम. ए. रऊफ	राजदूत	वर्मा
६.	विंग कमान्डर रूपचन्द	राजदूत	अफगानिस्तान
७.	श्री सी० एस० झा	राजदूत	तुर्की
८.	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह	राजदूत	नेपाल
९.	श्री एन. राघवन्	राजदूत	जेकोस्लोवाकिया
१०.	सरदार एच. एस. मलिक	राजदूत	फ्रांस
११.	श्री मोहनसिंह मेहता	राजदूत	होलैण्ड
१२.	श्री ए. ए. फैयाज	राजदूत	मिस्र
१३.	जमशेद एस. वेशुगर	राजदूत	अर्जेनटाइन
१४.	श्री भगवतदयाल	राजप्रतिनिधि	स्याम
१५.	श्री डी. पी. देसाई	,, ,,	स्विटजरलैण्ड
१६.	श्री आर. के. नेहरू, आई.सी.एस.	,, ,,	स्वीडन
१७.	श्री पी.ए.मेनन	,, ,,	पुर्तगाल
१८.	श्री वी.एफ.एच. वी., आई. सी.एस.	चार्ज डी.अफेयर	बेलजियम
१९.	श्री आफताव राय	,,	ब्राजील
२०.	मिर्जा रशी अली बेग	*कौंसल जनरल	भारत में फ्रन्च प्रदेश (पांडिचेरी)
२१.	मेजर अशोक मेहता	,, ,,	भारत ीगपुर्ताल प्रदेश (गोआ)

---

*कौंसिल-जनरल व्यापारिक प्रतिनिधियों को कहते हैं—

२२.	डा० पी. पी. पिल्ले	भारतीय मिशन के अध्यक्ष	जापान
२३.	मेजर जनरल खूबचंद, आई. सी. एस.	भारतीय सैनिक मिशन बर्लिन	जर्मनी
२४.	कप्तान आर. डी. साथ	कौंसल जनरल	काशगर
२५.	एच. दयाल, आई. सी. एस.	राजनीतिक अफसर	सिक्किम
२६.	आर. आर. सकसेना	कौंसिल जनरल	न्यूयार्क
२७.	सर वी. नृसिंह राव	संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि	न्यूयार्क
२८.	प्रिंस के. एस. दलीपसिंह	हाई कमिश्नर	※ कनाडा
२९.	श्री वी. वी. गिरी	हाई कमिश्नर	लंका
३०.	श्री वी. के. कृष्णमेनन	हाई कमिश्नर	इंगलैण्ड
३१.	डा० सीताराम	हाई कमिश्नर	पाकिस्तान (कराँची)
३२.	श्री वाई. ए. के. [illegible]री, आई. सी. एस.	डिप्टी हाईकमिश्नर	पाकिस्तान (लाहौर)
३३.	श्री एम. के वसु	डिप्टी हा[illegible] ,,	,, (ढाका)
३४.	लेफ्टेनेंट कर्नल दयालसिं वेदी	हाई कमिश्नर	आस्ट्रेलिया
३५.	श्री जे. ए. थीवी वैरिस्टर	प्रतिनिधि	मलाया (सिंगापुर)।
३६.	श्री टी. जे. नटराज पिल्ले	एजेंट	मलाया
३७.	श्री अप्पा वी. पन्त	कमिश्नर	पूर्वी अफ्रीका
३८.	श्री एस. के. कृपलानी, आई सी एस.	कौंसिल जनरल	सानफ्रान्सिसको
३९	प्र अब्दुल मजीद ख	कौंसल	साऊदी अरब
४०.	श्री एम. आर. अय्यर	कौंसिल	दक्षिणी स्याम
४१.	श्री सत्याचरण शास्त्री	कमिश्नर	ब्रि० वेस्ट इन्डीज
४२.	श्री धर्म यशदेव	कमिश्नर	मौरिशस
४३.	श्री धीरज लाल देसाई	मंत्री	वेटीकन

※ राष्ट्र-मण्डल के राष्ट्र द्वारा राष्ट्रमण्डल के राष्ट्रों में जो राजदूत भेज जाते हैं, उन्हें 'हाई कमिशनर' कहते हैं ।

अध्याय २६

भारत में अन्य देशों के राजदूत

सं	नाम	पद	देश
१.	सरदार नजीवुल्ल खा	राजदूत	अफगानिस्तान
२.	प्रिंस डी स्पिग्ने	राजदूत	बेलजियम
३.	श्री सेनहारे कैप्रोड मेलो फ्रेंको	राज-प्रतिनिधि	ब्राज़ील
४.	श्री यू. विन	राजदूत	वर्मा
५.	(रिक्त)	राजदूत	चीन
६.	डा० वी. क्रेटोकविल	चार्ज डी अफेयर	जेकोस्लोवाकिया
७.	श्री इस्माइल कामिलबे	राजदूत	मिस्र
८.	श्री नोसा नोरी इस्फन्दीयारी	राजदू	ईरान
९.	श्री सिगनर सिडनीप्रीता रिकोटी	चार्ज डी अफेयर	इटली
१०.	श्री कमाडिंग जनरल सिंहा शमशेर जंग बहादुर राणा	राजदूत	नेपाल
११.	श्री एम. ए. टी लेपिंग	राजदूत	नीदरलैण्ड
१२.	श्री अली तुर्क गेल्डी	राजदूत	तुर्की
१३.	श्री मोंजियर क्रि नोवीको	राजदूत	सोवियत रूस
१४.	लोय डवल्य हैंडरसन	राजदूत	संयुक्तराज्य अमेरिका
१५.	डा० जुआन मारिन	चार्ज डी. अफे	चिली
१६.	श्री एटो इमानुअल अब्राहम	राज प्रतिनिधि	इथियोपिया
१७.	मोस्ट रेवरेंड लियो पीटर किरकेल्स	धर्मदूत	वेटीकन (होली सिटी)
१८.	मोशिये जेन्स स्किब	राजदूत	नार्वे
१९.	श्री डा० वी. वी. गारिन	राज प्रतिनिधि	पुर्तगाल
२०.	डा० गुनर जारिंग	,,	स्वीडन
२१.	डा० आर्मिल डेइनिकर	,,	स्विटज़रलैण्ड
२२.	लु आंग फिनिट एम्सन	चार्ज डी अफेयर	थाईलैण्ड (स्याम)
२३.	श्री एच. आर. गोलन	हाई कमिश्नर	आस्ट्रेलिया
२४.	श्री वारविक फील्डिग चिपमैन	,, ,,	कनाडा
२५.	सी. कुमारस्वामी	,, ,,	लंका
२६.	खानवहादुर मुहम्मद इस्माइल	,, ,,	पाकिस्तान
२७.	सर आर्चिवाल्ड नाइ	,, ,,	इंगलैण्ड

अध्याय २७

भारत का राजस्व

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

शासन-संचालन के लिए राजस्व उतना ही आवश्यक है जितना कि जीवन के लिए भोजन। जिस प्रकार भोजन के अभाव में अथवा पर्याप्त भोजन के न मिलने पर शरीर के अवयव शिथिल हो जाते है और वे ठीक प्रकार अपने-अपने कार्य नहीं करते करते उसी प्रकार राजस्व के बिना शासन-संचालन संभव नहीं।

भारत में राजस्व का विकास भी उसके वैधानिक विकास के साथ-साथ हुआ है। सन् १८५८ में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिशि पार्लमेंट उसके लिए उत्तरदायी बन गई। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक मंत्री भारत के शासन-प्रबंध के लिए ब्रिटिश पार्लमेंट के प्रति उत्तरदायी होता था। इसे भारत-मंत्री (Secretary of State for India) कहते थे। आरम्भ में समस्त भारत के आय-व्यय के लिए भारत-मंत्री उत्तरदायी था। उस समय 'भारत की आय' नामक कोई चीज नहीं थी। यद्यपि भारत-सरकार कर आदि संग्रह करती थी किन्तु उसका उसकी आय पर कोई अधिकार नहीं था। भारत-मंत्री समय-समय पर आदेश जारी करता था और भारत-सरकार तथा प्रांतों की सरकारें उनके अनुसार व्यय करती थीं। यदि कोई पुस्तकालय बनाना होता अथवा सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रीड़ा-क्षेत्र के लिए वित्त की व्यवस्था करनी होती थी तो ऐसे मामलों में भी भारत -मंत्री की स्वीकृति आवश्यक थी।

इसके बाद भारत-सरकार को भारत के राजस्व पर अधिकार मिल गया। किन्तु प्रांत केन्द्रीय सरकार पर ही निर्भर रहे। छोटे से व्यय से लेकर बड़े से बड़े व्यय तक की व्यवस्था केन्द्रीय

सरकार के हाथ में थी। लार्ड कर्जन के शासन-काल में भारत में केन्द्रीय-करण इतना कठोर हो गया था कि प्रेंसीडेंसी गर्वनरों तक को भारत-मंत्री के साथ पत्र -व्यवहार करने का अधिकार नहीं था। धीरे-धीरे भारतीय राजस्व में विभाजन का कार्य आरम्भ हुआ और कुछ निर्धारित मामलों में प्रान्तीय सरकारों को राजस्व पर अधिकार दे दिया गया।

मोन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड विधान के अन्तर्गत द्वैध शासन-प्रणाली की स्थापना की गई । प्रांतीय विषयों में से कुछ का प्रबंध निर्वाचित मंत्री करने लगे और पुलिस, जेल, राजस्व, गृह आदि का प्रबंध गर्वनर के हाथों में रहा। इस प्रकार सीमित विषयों में प्रांतों को अधिकार मिल गया। किन्तु सुरक्षित विषयों में भारत-मंत्री का नियंत्रण कायम रहा। मोन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड विधान के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकारों को जनता से ऋण लेने का अधिकार भी सीमित रूप में मिल गया। प्रांतीय सरकारें अपने आय-व्यय का पृथक लेखा रखती थीं। किन्तु उन्हें जो बचत होती, उसे वे केन्द्रीय सरकार के पास जमा करती थीं। उनका बैंक में कोई पृथक् हिसाब नहीं था।

सन् १९३५ के भारत-शासन-विधान के अन्तर्गत भारत में प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना हो गई। इस प्रकार प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई । गर्वनर के कुछ 'विशेष उत्तरदायित्व' को छोड़ शासन के सभी विभागों पर भारतीय निर्वाचित प्रतिनिधियों का अधिकार हो गया। इस प्रकार प्रांतीय राजस्व भारत सरकार के राजस्व से पृथक् हो गया। भारत-मंत्री द्वारा नियुक्त अधिकारियों के वेतन के संबंध में भारत-मंत्री का नियंत्रण रहा। गवर्नर के वेतन-भत्ते तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते आदि का नियमन सपरिषद्-सम्राट के आदेशानुसार होने लगा। प्रांतों को देश में ही ऋण लेने की सुविधा मिल गई। वे अपना पृथक् हिसाब भी बैंक में रखने लगे और हिसाब की जाँच के लिए भी अपनी व्यवस्था स्वतंत्र रूप से करने लगे।

संघीय राजस्व समिति

सन् १९३१ में जबकि भारतीय विधान के संबंध में गोलमेज-परिषद् का आयोजन किया गया था, उसी समय एक संघीय राजस्व-समिति भारत के राजस्व के संबंध में विचार करने के लिए नियुक्त की गई। इस समिति का यह मत था कि प्रांतों को आय-कर से प्राप्त होने वाली आय दे देना उचित है; किन्तु इससे केन्द्रीय सरकार को घाटा रहेगा। अतःपील-समिति ने यह युक्ति सोची कि आय-कर में प्रांतों को एक निर्धारित भाग दे दिया जाय।

नीमियर-निर्णय

भारत-सरकार तथा प्रांतों के मध्य आय-कर आदि का वितरण किस अनुपात में हो, इसका निश्चय करने के लिए एक समिति नियुक्ति की गई। सर आटो नीमियर इस समिति के अध्यक्ष थे।

अप्रैल, १९३६ में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। इस समिति ने यह सिफारिश की कि प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना के बाद से ही कुछ प्रांतों को केन्द्रीय सरकार राजस्वी सहायता दे। यह सहायता इस प्रकार की जाय कि उन्होंने १ अप्रैल, १९३६ से पूर्व जो ऋण उससे लिये हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाय और उन्हें नकद रकम भी देकर सहायता की जाय। जो प्रान्त जूट की खेती करते हैं उन्हें जूट-टैक्स का १२½ भी दिया जाय। इस समिति ने यह सिफारिश की कि निम्नलिखित प्रांतों को प्रतिवर्ष नकद वित्तीय सहायता दी जाय:

सं०	प्रदेश	वार्षिक रकम	अवधि
१.	उत्तर प्रदेश	२५ लाख रुपये	५ वर्ष के लिए
२.	आसाम	४५ लाख रुपये	,,
३.	उड़ीसा	५० लाख रुपये	,,
४.	सीमा-प्रान्त	११० लाख रुपये	,,
५.	सिंध	१०५ लाख रुपये	१० वर्ष के लिए
६.	बिहार	२५ लाख रुपये	,,

७ मध्य-प्रदेश	१५ लाख रुपये	१० वर्ष पहले
८ बंगाल	७५ लाख रुपये	,,

आय-कर का वितरण :—आय-कर वितरण के संबंध में नीमियर समिति ने यह निश्चय किया कि आय-कर से होनेवाली कुल आय का अर्द्धांश भारत-सरकार को मिलेगा और आधे भाग को प्रान्तों में निम्न प्रकार बाँट दिया जायगा :

प्रदेश	अनुपात प्रतिशत
१ मद्रास	१५
२ बंबई	२०
३ बंगाल	२०
४ उत्तर प्रदेश	१५
५ पंजाब	८
६ बिहार	१०
७ मध्य-प्रदेश	५
८ आसाम	२
९ सीमाप्रांत	१
१० उड़ीसा	२
११ सिंध	२

किन्तु सर ओटो नीमियर ने यह विचार प्रकट किया कि केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना के बाद प्रथम पाँच वर्षों में आय-कर की आमदनी का कोई भी भाग नहीं दे सकेगी किन्तु दस वर्षों में वह उक्त अनुपात से तो नहीं; किन्तु कुछ भाग प्रांतों को दे सकेगी।

युद्ध-काल में राजस्व:—

१. भारत में कुल युद्ध व्यय (१९३९-१९४६) ३,४२४ करोड़ रुपये।

२. भारत-सरकार का हिस्सा (इस व्यय में) १,७४४ करोड़ रुपये

३. भारत का कुल व्यय (१९३९-१९४६) ३,९९६ कड़ोर रुपये (इसमें युद्ध तथा नागरिक शासन का व्यय सम्मिलित है)

भारत का आय-व्यय तथा सार्वजनिक ऋण

(१९३८-३९ से १९४५ -४६ तक

आय-व्यय व ऋण (करोड़ रुपयों में)	१९३८-३९	१९४४-४५	१९४५-४६
१. केन्द्री सरकार का आय-व्यय लेखा			
आय	८४·५२	३३५·५७	३६०·६७
व्यय	८५·१५	४९६·७१	४८४·७५
घाटा	−०·६३	१६१·१४	१२३·९०
२ भारत-सरकार का कुल व्यय			
(क) भारत के हिसाब में			
(१) असैनिक (Civil) व्यय	३८·९७	१०१·२२	१२४·३४
(२) युद्ध व्यय	४६·१८	४५८·३२	३९५·३२
(ख) वह व्यय जिसे इंगलैंड से प्राप्त कर सकेगा	—	४१०·८४	३७४·५४

३ केन्द्रीय सरकार या व्यय वर्ष के अंत में

(१) स्टर्लिंग ऋण	४६४·९४	३४·१९	३३·८४
(२) रुपया ऋण	४३७·८७	१,२०२·१४	१,४९२·२०
(३) छोटी बचतें	१४१·४५	१५९·१८	२२१·५२
(४) ट्रेजरी बिल आदि	४६·३०	८६·७०	८३·३३
(५) कुल व्याजवाला ऋण	१२०५·७६	१८६०·४४	२,२८२·३८

द्वितीय युद्ध काल में भारतीय राजस्व में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गये। युद्ध से पूर्व भारत-सरकार की आय ८४ करोड़ रुपये थी। सन् १९४५ -४६ में यह बढ़ कर ३६०₂ करोड़ हो गई। किन्तु व्यय

आय से बहुत अधिक होने लगा। सन् १९३९-४० में सरकार का कुल व्यय ८५.१५ करोड़ था। सन् १९४५-४६ में यह बढ़ कर ४८४.५७ करोड़ हो गया।

युद्ध से पूर्व १९३९ में आयात-निर्यात कर से भारत-सरकार को सबसे अधिक आय होती थी अर्थात् ४०.५१ करोड़ रु रुपये। सन् १९४२-४३ में यह घटकर २५.१२ करोड़ रह गई। सन् १९४४-४५ में ३९.७६ करोड़। देश के भीतर लगनेवाले करों में अतिशय वृद्धि हो गई; नवीन कर लगाये गये; डाक व तार के शुल्क आदि बढ़ा दिये गये तथा रेलभाड़े में भी वृद्धि कर दी गई। तम्बाकू, वनपस्ति घी, सुपारी, कहवा और चाय इन पर नये कर लगाये गये।

सबसे अधिक आय निगम-कर, आयकर तथा अतिरिक्त लाभ-कर से हुई। सन् १९४० में इनसे २०.२ प्रतिशत आय हुई; सन् १८४४-४५ में ४९.१ प्रतिशत ,आय इन करों से हुई।

सन् १९३९-४० में भारत में सेना पर ४९.५४ करोड़ रुपये व्यय होता था। सन् १९४४-४५ में यह बढ़ कर ४५८.३२ करोड़ हो गया।

भारत का सार्वजनिक ऋण

सन् १९१४	में	४४६	करोड़ रुपये
१९१९	में	६६३	,,
१९२४	में	८८०	,,
१९२९	में	१०२४	,,
१९३४	में	१२०६	,,
१९३९	में	११७९	,,
१९४४	में	१३८१	,,
१९४९	में	२४०८	,,

नोट—इसमें स्टर्लिंग ऋण तथा रुपया-ऋण (खजाने के बिल, डाकखाने का सेविंग बैंक जमा तथा केश सर्टिफिकेट और सर्विस फंड सम्मिलित है।

भारतीय अधिराज्य का आय-व्यय पत्रक

(अनुमान: १९४७—४८)

आय (लाखों में)		व्यय (लाखों में)	
१. आयात-निर्यात कर	५२,१५	१. आय पर प्रत्यक्ष माँग	५,३३
२. केन्द्रीय देशी पण्यों पर शुल्क	२२,०८	२. सिंचाई	७
३. निगम-कर	४२,७१	३. ऋणसंबंधी सेवा	२०,५२

४. आय-कर	४५,२४	४. शासन-प्रबंध-व्यय	२०,२४
५. नमक-कर	५०	५. मुद्रा व टकसाल	१,२०
६. अफीम	८६	६. निर्माण कार्य	६,२१
७. अन्य आय	१,८३	७. विविधि	४८,७०
८. रेलवे		८. सेना	९२,७४
९. सिंचाई	—	९. प्रांतों को अनुदान	४५
१०. डाक व तार	२,०३	१०. असाधारण व्यय	१,९२
११. ऋण संबंधी सेवा	६६		
१२. शासन प्रबंध	२,२६	आय में से कुल व्यय	१,७९,३९
१३. मुद्रा व टकसाल	१,४१	घाटा	–२४,५९
१४. निर्माण कार्य	१५		
१५. विविधि	८९		१,७२८०

कुल आय १,७२,८०

आय-व्यय-पत्रक सन् १९४९-५०

भारत के राजस्व -मंत्री डा० जान मथाई ने २८ फरवरी, १९४९ को स्वाधीन भारत का द्वितीय आय-व्यय-पत्रक भारतीय संसद में प्रस्तुत किया। इससे पूर्व श्री षणमुखम् चेट्टी ने प्रथम आय-व्यय-पत्रक सन् १९४८-४९ के लिए फरवरी, १९४८ में प्रस्तुत किया। डा० मथाई के बजट की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार थी:—

१. पूँजी -लाभ-कर का अन्त।
२. आय-कर के संबंध में निम्न तथा मध्यम समुदाय के लोगों के लिए छूट।
३. सुपर टैक्स में कमी।
४. वनस्पति तथा तेलहन व तेलों पर निर्यात कर अन्त।
५. सिगार स सिगरेटों के निर्यात पर नवीन निर्यात कर।
६. विलास की वस्तुओं पर आयात-निर्यात कर।
७. चीनी पर कर में वृद्धि।
८. मोटर टायर तथा वस्त्रों पर कर।
९. डाक-व्यय में परिवर्तन।

सन् १९४९-५० की अनुमानित आय—३०७.७४ करोड़ रुपये
सन् १९४९-५० का अनुमानित व्यय—३२२.५३ करोड़ रुपये
घाटा—१४.७९ करोड़ रुपये

१४.७९ के घाटे की पूर्ति के लिए नये कर लगाये गये।

भारत सरकार का आय-व्यय (सन् १९४५-४६ से १९४९-५० तक)

(लाख रुपयों में)

	लेखा १९४५-४६	संशोधित अनुमान १९४६-४७	आय-व्यय-पत्रक अनुमान १९४७-४८	संशोधित अनुमान १९४८-४९	आय-व्यय-पत्रक अनुमान १९४९-५०
आय					
१ निर्यात-आयात-कर	७३,६१	८७,५०	८९,००	१,१७,२५	१,०७,५
२ केन्द्रीय देशी पदार्थों पर शुल्क	४६,३६	४२,७८	४०,९३	५०,२५	५७,७५
३ निगम-कर	७५, ७२	६६,५३	४४,१४	५७,२५	४१,८१
४ आय-कर	१,०२,३०	८७,४७	९०,८६	१,००,७५	१,१३,१९
५ नमक	१०,२०	९,१०	९,२५	....	
६ अफीम	९९	१,५०	१,४०	१,०८	१,१८
७ ब्याज	१,६७	१,३३	१,२७	१,४२	१,१६
८ शासन-प्रबन्ध	३,३३	३,३५	३,८५	७,०५	६,७८
९ मुद्रा व टकसाल	१६,७५	१५,७२	१५,६७	१३,०५	९,७०
१० निर्माण कार्य	७८	६८	७४	१,०२	१,०२
११ रियासतों से आमदनी	६०	६२	६२	..	..
१२ अन्य साधनों से आय	१३,७९	३६,०६	५,१३	१९,६२	५,३७
१३ डाक व तार (असल लाभ)	११,३१	४,७८	४,२२	३,७३	१,६३
१४ रेलवे (असल लाभ)	३२,००	५,६१	७,५०	७,३४	४,७२
आयकर में से प्रान्तों को दिया गया भाग निकाल देने पर	−२८,७५	−२९,८७	−३५,१६	−४१,७९	−४३,८५
कुल आय	३,६०,६७	३,३६,१९	२,७९,४२	३,३८,३२	३,२२,९८
घाटा	१,२३,९०	४५,२९	४८,४६	१,५५	+४५
	४,८४,५७	३,८१,४८	३,२७,८८	३,३९,८७	३,२३,४३

(क्रमागत)

आय-व्यय-पत्रक (१९४५-४६ से १९४९-५०)

	लेखा १९४५-४६	संशोधित अनुमान १९४६-४७	आय-व्यय-पत्रक अनुमान १९४७-४८	संशोधित अनुमान १९४८-४९	आय-व्यय-पत्रक अनुमान १९४९-५०
व्यय					
१ करों के संग्रह पर व्यय	९,१९	१०,११	१०,४५	९,८८	१०,०६
२ सिंचाई, बांध आदि	१६	२०	१४	८	१२
३ ऋण सम्बन्धी सेवाएं	३३,९६	४१,९५	४३,४४	३९,९१	३९,२९
४ मुद्रा व टकसाल	१,४९	१,९१	१,८०	२,७६	२,२३
५ निर्माण-कार्य	६१	६,१५	६,०५	८,१५	७,३२
६ सेना व्यय (असल)	३,६०,२३	३,३८,११	१, ८८,७१	१,५५,४३	१,५७,३७
७ विविध व्यय	१०,३०	२७,५२	१९,८४	८२,३५	६२,६८
८ प्रान्तीय सरकारों को अनुदान	९,७४	१,७१	१,७१	२,९६	२,९६
९ शासन प्रबन्ध आदि	५९,२२	५३,८२	५५,७४	३८,३५	४०,५०
कुल व्यय	४,८४,५७	३,८१,८४	३,२७,८८	३,३९,८७	३,२२,५३

स्वदेश में निर्मित वस्तुओं पर शुल्क

भारत सरकार को स्वदेश में निर्मित वस्तुओं पर शुक्ल से पर्याप्त आय होती है। सन् १९३७-३८ में इससे ७,६६ लाख रुपये की आय होती थी। सन् १९४२ -४३ में १२,७९ लाख रुपये की आय हुई। और सन् १९४५-४६ में ४६, ७६ लाख रुपये की। १९४९-५० के बजट में ५७,७५ लाख रुपये की आय दिखलाई गई है।

ये शुक्ल पैट्रोल, मिट्टी के तेल, चीनी, दियासलाई, स्टील, टायर, तम्बाकू, वनस्पति, सुपारी, काफी, चाय और कोयले पर लिये जाते हैं।

सन् १९४४-४५ के बजट में सबसे प्रथम बार सुपारी, काफी तथा चाय पर शुक्ल (Excise duties) लगाये गये।

सन् १९४९-५० में डा० जान मथाई ने अपने आय-व्यय -पत्रक में पैट्रोल पर आयात कर (Import duty) १२ आने प्रति गैलन से बढ़ाकर १५ आने प्रति गैलन कर दिया । इसी प्रकार शुक्ल भी बढ़ा दिया गया। चीनी पर भी शुक्ल ३) प्रति हंडरवेट से बढ़ा कर ३।।।) कर दिया गया। टायर पर १५ रुपये प्रतिशत से ३० रुपये प्रतिशत शुक्ल बढ़ा दिया गया।

१ जनवरी, १९४९ से सर्वोत्तम वस्त्र पर २५ प्रतिशत शुक्ल लगा दिया गया। उत्तम वस्त्रों पर ६ ५ प्रतिशत शुक्ल लगा दिया गया। साधारण वस्त्र पर एक पैसा प्रति गज शुक्ल लगा दिया गया। खादी तथा कर्घों से हाथ के बुने वस्त्रों पर यह कर नहीं लगाया गया। इस प्रकार सूती वस्त्रों पर लगे कर से ९ करोड़ रुपये की आय हुई।

जिस पैट्रोल का प्रयोग नागरिक-नभ-यातायात अथवा उडुयन क्लबों द्वारा किया जाता है, उस पर आधा शुक्ल लिया जाता है।

नमक

सन् १९२८ में महात्मा गाँधी ने नमक पर से कर उठा देने के लिए सरकार से माँग की थी। उनकी माँग का आधार यह था कि नमक गरीबों की खाद्य वस्तु है। अतः इस कर से मुक्ति दे दी जाय।

नमक बनाने का सबको अधिकार होना चाहिए। सन् १९३० में उन्होंने जो सत्याग्रह किया था, उसमें नमक बनाने के लिए हर जगह प्रयत्न किया गया। विशेष रूप से समुद्र तथा झीलों आदि के निकट काफी नमक बनाया गया है।

जब सन् १९४६ में राष्ट्रीय सरकार का निर्माण हुआ तब इस प्रश्न पर विचार किया गया और सरकार ने १ अप्रैल, १९४७ से नमक-कर उठा दिया।

भारत में नमक के चार प्रधान स्रोत हैं; सीमाप्रान्त में कोहाट में नमक के पहाड़ हैं और वहाँ से नमक निकाला जाता है। राज-पूताने में साभर झील से नमक बनाया जाता है; कच्छ में इन के किनारों पर नमक के कारखाने हैं। समुद्र से यहाँ नमक बनाया जाता है। आधा नमक सरकारी कारखानों में बनता है। शेष भाग सरकारी आज्ञा-पत्र की प्रणाली के अधीन व्यक्तिगत कंपनिया बनाती हैं।

निर्यात-आयात-कर

आयात-कर सन् १८५७ में ५ प्रतिशत था। बाद में १० स २० प्रतिशत तक हो गया। सन् १८५७ में फिर ५ प्रतिशत ही रह गया। लंकाशायर (इंगलैंड) के व्यापारियों ने भारत के आयात-कर को उठा देने के लिए आन्दोलन किया। इस प्रकार १८८२ में भारत-सरकार नें समस्त आयात-निर्यात करों को उठा दिया। सन् १८९४ में सरकार ने ५ प्रतिशत आयात-कर पुन: लगा दिया।

प्रथम युद्ध के बाद से भारत-सरकार अपनी आय के लिए आयात-निर्यात-कर अधिकाधिक लगाती रही है।

यहाँ हम एक तालिका देते हैं; जिससे विविध वर्षों में आयात-निर्यात-कर से कितनी आय हुई, इसका ज्ञान हो जायगा:—

अयात-निर्यात-कर से आय

सन् १९१४–१५	...	११.१३ करोड़ रुपये
सन् १९२९–३०	..	५१.२८ करोड़

सन् १६३८–३६	..	४०·५१ करोड़
सन् १६४२–४३	..	२५·१२ करोड़
सन् १६४६–४७	..	८७·५० करोड़
सन् १६४७–४८	..	६३·० करोड़
सन् १६४८–४६	..	११७·२५ करोड़
सन् १६४६–५०	..	१०७·२५ करोड़

आयकर

भारत में सबसे पहले सन् १८६० में आय-कर लगाया गया। यह कर ५००) वार्षिक या इससे अधिक आय पर ४ प्रतिशत के हिसाब से लगाया गया था। आजकल जिस अनुसूची के अनुसार आय-कर लगाया जाता है वह १८८६ में तैयार की गई थी। इसमें समय-समय पर बड़े परिवर्तन होते रहे हैं।

पहले ५०० और २००० रुपये तक रुपये में ४ पाई तथा २००० रुपये से ऊपर रुपये में ५ पाई आयकर लिया जाता था। मार्च, १६०३ में १००० रुपये और इससे ऊपर आय पर कर लगाया जाने लगा। इस प्रकार जिनकी वार्षिक आय १००० से कम थी, वे आय -कर से मुक्त कर दिये गये।

जब-जब कोई राजस्व-संकट पड़ा, तब-तब आय-कर की दर में वृद्धि कर दी गई। सन् १६३१ में जो अर्थ-संकट आया उससे मुक्ति पाने के लिए आय-कर (Income Tax) पर अधिभार (Surcharge) तथा अतिरिक्त-कर (Super Tax) भी लगाये गये। सन् १६३६ में जब आय-कर (संशोधन) कानून स्वीकार किया गया, तब अधिभार उठा दिया गया।

द्वितीय युद्ध-काल में आय-कर में अधिक वृद्धि की गई; अधिभार भी लगाया गया तथा अतिरिक्त लाभ-कर तथा निगम-कर लगाये गये जिनसे सरकार की कुल आय का ५७·२ प्रतिशत प्राप्त हुआ।

सन् १६४६-५० के आय-व्यय-पत्रक में डा० जान मथाई ने यह उल्लेख किया कि आय-कर से आय (जिसमें ११·२२ करोड़

अतिरिक्त आय-कर तथा १२·०१ करोड़ व्यवसाय-लाभ-कर के भी सम्मिलित हैं) १५५ करोड़ रुपये होगी। १०,००० रुपये तक की आय पर आय-कर ४ पैसे प्रति रुपये से घटा कर ३ पैसे प्रति रुपये कर दिया गया। इससे सरकार को ३ करोड़ की हानि उठानी पड़ी।

१½ लाख रुपये से ऊपर की आय पर जो कर की दर थी, उसमें डेढ़ आना कम कर दिया गया। अधिकतम आय-कर तथा अतिरिक्त कर की दर रुपये में १४ आने रखी गई। इससे सरकार को २·१ करोड़ रुपये का घाटा रहा।

सन् १९४८-४९ में भारत-सरकार ने उन कंपनियों की, जिनकी वार्षिक आय २५,००० या इससे कम थी, आय-कर की दर में आधी कमी कर दी।

अतिरिक्त लाभ-कर

यह नवीन कर सन् १९४०–४१ के बजट में लगया गया। १ सितम्बर, १९३९ से युद्ध-काल में जो असाधारण लाभ हुआ, उस पर ५० प्रतिशत के हिसाब से अतिरिक्त लाभ-कर लगया गया। सन् १९४२ में यह कर बढ़ा कर ६६⅔ कर दिया गया। १ अप्रैल, १९४० से लेकर ३१ मार्च, १९४७ तक अतिरिक्त लाभ-कर से सरकार को ३५० करोड़ रुपये की आय हुई। यह, आय पर जो कर लगाने से आय हुई, उसका ४३ प्रतिशत थी। ३१ मार्च, १९४६ के बाद यह कर उठा दिया गया।

कारोबार लाभ-कर

यह कर सन् १९४७-४८ में लगाया गया था। जिन कारोबारों, व्यवसायों तथा धंधों से १००,००० से अधिक का वार्षिक लाभ था, उन पर यह कर लगाया गया। इससे ऊपर लाभ पर २५ प्रतिशत कर लगाये जाने का निश्चय किया गया। कृषि-आय तथा बीमा आदि व्यवसाय इससे मुक्त कर दिये गये। अन्त में कानून में यह घटा कर १६⅔ प्रतिशत कर दिया गया। यह कर सन् १९४९–५० में भी रखा गया।

इस कर से १२·०१ करोड़ रुपये की आय हुई।

आय-कर जाँच-कमीशन

भारतीय-संसद ने आय-कर जाँच-कमीशन कानून स्वीकार कर आय-कर के संबंध में उन व्यक्तियों की जाँच करने के लिए सन् १९४७ में एक कमीशन नियुक्त किया जिसको निम्न-लिखित कार्य सौंपे गये।

इसके दो प्रमुख कार्य थे––

प्रथम, आय-कर के संबंध में समस्त मामलों पर विचार कर रिपोर्ट देना।

दूसरे, केन्द्रीय सरकार द्वारा आयकर की आदायगी न करने-वाले लोगों के मामले कमीशन को सौंपे जायँगे और वह उनकी जाँच कर रिपोर्ट देगा।

राज्य में आय-कर की आय का वितरण

भारत-सरकार ने श्री चिन्तामणि देशमुख (भूतपूर्व गर्वनर, रिजर्व बैंक आफ इडिया) को भारत में आय-कर से प्राप्त होनेवाली आय के अर्द्धांश के भाग का वितरण करने के लिए निर्णायक नियुक्त किया था। उन्होंने अपना निर्णय निम्न प्रकार दे दिया है, जो १ अप्रैल, १९५० से भारत में लागू हो गया।

सं	प्रदेश	अनुपात
१.	मद्रास	१७.५
२.	बंबई	२१
३.	पश्चिमी-बंगाल	१३.५
४.	उतरप्रदेश	१८
५.	बिहार	१२.५
६.	मध्यप्रदेश	६
७.	पंजाब	५.५
८.	आसाम	३
९.	उड़ीसा	३

निम्नलिखित राज्यों को जूट के निर्यातकर की आय में से हिस्से के स्थान पर निम्नलिखित प्रकार से अनुदान मिलेगा––

१. पश्चिमी बंगाल ... १०५ लाख रुपये प्रतिवर्ष
२. आसाम .... ४० लाख ,, ,,
३. बिहार .... ३५ लाख ,,
४. उड़ीसा .... ५ लाख ,, ,,

नोट:—अन्य राज्यों को (जो पहले भारतीय रियासतें थे) आयकर में क्या भाग मिलेगा, इसका निश्चय अभी नहीं हुआ है। यह प्रश्न विचाराधीन है।

भारतीय सरकार का आय-व्यय-पत्रक (१९५०-५१)

आय	(लाख रुपयों में) संशोधित बजट सन् १९४९-५०	बजट सन् १९५०-५१
१. आयात-निर्यात कर	१२०,४३	१०६,५४
२. देशी वस्तुओं पर शुल्क	६९,१९	७१,५५
३. निगमकर (Corporation tax)	४०,६०	३८,७२
४. आयकर (निगमकर को छोड़कर)	१०८,४०	१४३,९०
५. अफीम	१,२८	१,५५
६. व्याज	१,३२	१,१४
७. नागरिक शासन	७,१७	७,८७
८. मुद्रा तथा टकसाल	९,९९	९,५२
९. आय के अन्य साधन	७,८२	९,७९
१०. डाक और तार (असल आय)	३,७७	४,४८
११. रेल (असल आय)	७,००	६,३७
आय-कर की आमदनी का जो भाग राज्यों को दिया जायगा	४५,७५	५५,२०
कुल आय	३३२,३६	३३९,१९

व्यय

१. करों के संग्रह पर व्यय	१३,६९	१३,८१
२. सिंचाई	११	२३
३. ऋण संबंधी सेवाएँ	३८,८१	३६,५०
४. शासन -प्रबंध-व्यय	४०,८९	५०,०६
५. मुद्रा व टकसाल	२,४३	१,७६
६. निर्माण कार्य	८,१३	९,९७
७. पेंशन	२,६८	७,४५
८. शरणार्थियों की सहायता	१३,७०	६,००
९. खाद्यान्न के लिए सहायता	२९,६७	२१,००
१०. अन्य व्यय	४,६७	४,२४
११. राज्यों को सहायता	२,९६	१५,४१
१२. असाधारण व्यय	१,७०	१,४४
१३. रक्ष (सैन्य) व्यय (असल)	१७०,०६	१६८,०१
१४. देश विभाजन से पूर्व की आदायगी	६,६०	२,००
कुल व्यय	३३६,१०	३३७,८८

आय-व्यय-पत्रक पर राजस्व मंत्री का श्वेतपत्र

२८ फरवरी, १९५० के राजस्व मंत्री डा० जान मथाई नें सन् १९५०-५१ के लिए भारत-सरकार का आय-व्यय -पत्रक पेश किया। इस के साथ उन्होंने एक श्वेतपत्र भी पेश किया, जिसका सारांश निम्न प्रकार है। इस श्वेत -पत्र से भारत-सरकार की योजनाओं तथा आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। अत: यह बहुत ही ही महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है।

भारत -सरकार की आर्थिक नीति पर गत सितम्बर, १९४९ में पुर्नविचार किया गया जब कि रुपये का अवमूल्यन पौंड के अवमूल्यन के साथ-साथ किया गया था। सरकार ने मुद्रा-प्रसार को रोकने के लिए प्रयत्न किया और इसके लिए आठ-सूची कार्य-क्रम तैयार

किया गया। सरकार की नीति रह रही है कि अपनी डालर-निधि को आवश्यक वस्तुओं के खरीदने के लिए सुरक्षित रखा जाय। इसलिए बाहर से विकास की सामग्री कम मँगाई जाय। जो वस्तुएँ कठोर मुद्रा-क्षेत्र में भेजी जाती हैं, उन पर काफी निर्यात-कर लगाया जाय; जनता में काम व्यय करने तथा धन बचाने के लिए प्रचार किया जाय; ग्रामों में बैंक की सुविधाएँ दी जायँ; युद्ध लाभों के संबंध में युद्ध-लाभ-कर के मामलों में जो स्वयं समझौता करना चाहें, उन्हें सुविधाएँ दी जाँय। वर्तमान बजट तथा सन् १९५०-५१ के बजट में काफी कमी (बचत) की जाय। राज्यों की सरकारों से मिल कर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में (जैसे सूती कपड़ा व खाद्यान्न) १० प्रतिशत की कमी की जाय।

इस कार्यक्रम के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखत निश्चय किया हैं—

(१) कपास तथा जूट पर निर्यात-कर में वृद्धि कर दी गई है। रूई पर ४०) प्रति गाँठ से बढ़ा कर १००) प्रति गाँठ कर दिया गया है और जूट पर ८०) प्रति टन से बढ़ा कर ३५०) प्रति टन कर दिया गया है। सरसों का तेल तथा लोहे व इस्पात पर भी निर्यात-कर में वृद्धि कर दी गई है। देश में सूती वस्त्र पर जो कर था, वह कम कर दिया गया है। कोयले के दामों में भी कमी कर दी गई है।

भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि खाद्यों के दामों में ३ प्रतिशत से १५ प्रतिशत तक की कमी कर दी जाय। अन्य खर्चों तथा अन्न-संग्रह के व्यय में कमी करके अन्न के दामों में कमी की जायगी।

उत्पादन में वृद्धि

उत्पादन के क्षेत्र में गत वर्ष (१९४९) में जो परिणाम निकले हैं, वे सन्तोषप्रद हैं। सन् १९४८ की अपेक्षा १९४९ में लोहा, सीमेंट, कोयला, अलमोनियम, विद्युत, रसायन तथा कागज के उद्योगों में उत्पादन में वृद्धि हुई है।

उत्पादन

उद्योग	सन् १९४८	सन् १९४९
१ इस्पात	८५४,०००टन	९२५,००० टन
२ सीमेंट	१,५००,००० टन	२,०००,००० टन
३ कोयला	२९,९००,००० टन	३१,००६,००० टन
४ कागज	९७,९०० टन	१०३,८०० टन
५ स्प्रिट (अलकोहल)	३५००,००० गैलन	६७००,००० गैलन
६ सुपर फोस्फेट	२१,००० टन	४३,००० टन
७ डिजेल इंजिन	१,०२५ टन	२,०४८ टन
८ सूती वस्त्र	४३३ करोड़ ८० लाख गज	३९१ करोड़ ५० लाख गज
९ सूत	१४४ करोड़ ५० लाख पौंड	१३० करोड़ ६० लाख पौंड
१० जूट (तैयार माल)	१,०००,००० टन	९२६,००० टन

सूती वस्त्रों में कमी के दो कारण बतलाये गये हैं। एक तो पहला स्टाक काफी जमा था। दूसरे, रूई की कमी हो गई। सरकार विदेशों से रूई मँगाने के लिए प्रयत्न कर रही है। जूट के माल तैयार करने में भी बड़ी बाधा इससे पड़ी है कि भारत में जूट कम होता है और बाहर (पाकिस्तान) से कच्चा माल प्राप्त नहीं हो सका।

अधिक अन्न उत्पन्न करो

गत वर्ष (१९४८) की अपेक्षा सन् १९४९ में अन्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। सन् १९४८ में ४ करोड़ १०लाख टन अन्न का उत्पादन हुआ। सन् १९४९ में ४ करोड़ ३० लाख टन का उत्पादन हुआ। इस प्रकार २० लाख टन अधिक अन्न उत्पादन हुआ। जनवरी, १९४९ से दिसंबर, १९४९ तक ४६ लाख टन अन्न-संग्रह करने का निश्चय किया गया था। नवम्बर, १९४९ तक ४२ लाख टन अन्न का संग्रह हो सका। यह संतोषप्रद रहा। सन् १९५० में सन् १९४९ की अपेक्षा २८ लाख टन अधिक अन्न का उत्पादन हो सकेगा। सन् १९५० में १५ लाख टन अन्न बाहर से मँगाया जायगा। २००,००० टन अन्न सुरक्षित रखा जायगा।

जूट, रूई तथा चाय के उत्पादन में भी क्रमशः वृद्धि हुई है—

उत्पादन

	सन् १९४८	सन् १९४९	
जूट ——	२,०००,०००	३,०००,०००	गाँठें
रूई ——		२,८००,०००	गाँठें
चाय ——		५८,७००,०००	पौंड

राज्य-कोष की आय

सन् १९४९–५० के प्रथम १० महीनों में राज्य-कोष (Treasary) जमा रसीदों की बिक्री १३·०२ करोड़ रुपये की हुई। जनवरी, १९५० में गत वर्ष का शेष ११·७६ करोड़ रुपये था। इस प्रकार सन् १९४९ में कुल ४५ करोड़ रुपये ऋण लिये गये। गत वर्ष अर्थात् १९४८ में ४८ करोड़ रुपये ऋण लिये गये थे।

भारत का वैदेशिक विनिमय रक्षित कोष

भारत के वैदेशिक विनिमय - रक्षित - कोष (Foreign Exchange Reserve) में अधिकांश में स्टार्लिंग सकल सम्पत्ति है। जून, १९४८ में यह सकल सम्पत्ति १,५३७ करोड़ रुपये थी। जून, १९४९ में यह कम होकर ८२० करोड़ ही रह गई। इस प्रकार ७१७ करोड़ रुपये कम हो गये। इसी वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-निधि से १९ करोड़ रुपये के डालर खरीदे गये। इस प्रकार बाहर की आदायगी के ७१७ करोड़+१९ करोड़=७३६ करोड़ रुपये हुए।

इस ७३६ करोड़ रुपये में से इंगलैंड को २९६ करोड़ रुपये उस स्टोर के लिए दिये गये जिसे अंग्रेज यहाँ छोड़ गये थे।

१८७ करोड़ रुपये पाकिस्तान राज्य के बैंक को दिये गये। शेष धन आयात-व्यापार अधिक होने से निर्यात की आदायगी के के लिए दिये गये।

सन् १९४८ में मौसम ठीक न होने के कारण फसल अच्छी नहीं हुई। अतः विदेशों से अन्न अधिक मँगाना पड़ा। जुलाई, १९४८ से जून, १९४९ तक ६५० करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुएँ विदेशों से भारत में आईं। इनमें १३७ करोड़ रुपये का खाद्यान्न यहाँ आया।

सन् १९४८ के जून के बाद आयात-निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया गया और उपभोग्य वस्तुएँ तथा मशीनें आदि बाहर से मँगाई गईं। सन् १९४८ के जुलाई से १९४९ के जून तक जो वस्तुएँ बाहर से आईं उनमें निम्नलिखित मुख्य हैं--

(१)	मशीनें तथा यंत्रादि	९० करोड़ रुपये
(२)	कच्ची रूई	७१ करोड़ रुपये
(३)	मोटर स्प्रिट, पैट्रोल	४४ करोड़ रुपये
(४)	इस्पात	३४ करोड़ रुपये

इस प्रकार कुल आयात का ८० प्रति औद्योगिक वस्तुएँ तथा खाद्यान्न बाहर से आये। शेष २० प्रतिशत में दूध, मसाले, फल आदि सम्मिलित हैं। केवल २ प्रतिशत ऐसी वस्तुएँ हैं जिन्हें विलास की वस्तुएँ कहा जा सकता है।

सन् १९४८ में २१५ करोड़ का निर्यात व्यापार हुआ। सन् १९४९ में (केवल ६ मास में जनवरी से जून, १९४९ तक) १९७ करोड़ का निर्यात व्यापार हुआ।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण

सन् १९४९ -५० में भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से दो ऋण लिये। एक ऋण ३ करोड़ ४० लाख डालर का रेल की इंजिन खरीदने के लिए। इस प्रकार १० करोड़ २० लाख रुपये का यह ऋण हुआ। दूसरा १ करोड़ डालर अथवा ३ करोड़ रुपये का ऋण कृषि की मशीनें खरीदने के लिए लिया गया। तीसरा ऋण इसी बैंक से २ करोड़ डालर अर्थात् ६ करोड़ रुपये का दामोदर घाटी योजना के लिए वाकरो थर्मल प्लांट खरीदने के लिए लिया जाने वाला है।

रुपये का अवमूल्यन

जब पौंड का अवमूल्यन कर दिया गया तब रुपये का भी अव-मूल्यन कर देना पड़ा। डालर के विनिमय मूल्य में इससे परिवर्तन हो गया। परन्तु देश में रुपये का मूल्य ज्यों का त्यों बना रहा। इससे निर्यात-व्यापार में वृद्धि हुई है--

सन् १६४६

अवधि	निर्यात (करोड़ रुपयों में)
जुलाई, १६४६ से दिसंबर, १६४६	२४१ करोड़ रुपये
जनवरी, १६४६ से जून, १६४६	१६७ करोड़ रुपये

सन् १६४८

जुलाई, १६४८ से दिसंबर, १६४८	२१३ करोड़ रुपये,
जनवरी, १६४८ से जून, १६४८	२१६ करोड़ रुपये

भारत से बाहर चाय, मसाले, तम्बाकू, अखरोट, रूई तथा जूट का सामान भेजा गया।

सूती वस्त्रों का निर्यात व्यापार दूना बढ़ गया।

पाकिस्तान और भारत का व्यापार

जुलाई, १६४८ से जून, १६४६ तक भारत ने ८३ करोड़ रुपये का माल पाकिस्तान को भेजा और पाकिस्तान ने भारत में ११७ करोड़ का माल भेजा। भारत को जो माल भेजा गया उसमें ६७ करोड़ की रूई व जूट थी। भारत पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के मँगाने के लिए साधारण आज्ञा-पत्र दे देता है और पाकिस्तान ने भारत से माल मँगाने पर रोक लगा दी है। भारत से पाकिस्तान ने १८ करोड़ रुपये का सूती वस्त्र मँगाया। जब भारत संयुक्त था, तब उन भागों में जहाँ पाकिस्तान है, भारत के दूसरे भागों से इससे चौगुना वस्त्र भेजा जाता है। अब पाकिस्तान सरकार ने बहुत कम, अर्थात् २५ प्रतिशत घटा कर, कर दिया है।

पाकिस्तान पर भारत का ऋण

पाकिस्तान पर भारत का ३०० करोड़ रुपये का ऋण है। इसकी आदायगी वह सन् १६५२ में आरम्भ करेगा। जब भारत की निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति का हिसाब किया जायगा, तब पाकिस्तान को ही बड़ी रकम भारत को चुकानी पड़ेगी।

करों में कमी

सन् १६५०-५१ के आय-व्यय-पत्रक में राजस्व-मंत्री डा० जान मथाई ने विविधि करों के संबंध में निम्न प्रकार से कमी की है—

१. कारोबार लाभ-कर का अन्त—इससे भारत-सरकार की आमदनी में ४·३७ करोड़ रुपये की कमी हो जायगी।

२. कंपनियों के आयकर में ५ आने से घटा कर ४ आना कर दिया गया है और अतिरिक्त कर में ½ प्रतिशत आना बढ़ा दिया गया है। इससे सरकार को ५·२८ करोड़ का घाटा होगा।

३. १०,००० से १५,००० रुपये के आय-कर में ½ आना कम कर दिया गया है।

इससे सरकार को १·०१ करोड़ का घाटा होगा।

४. १५,००० से ऊपर की आय पर आय कर में १ आने की कमी कर दी गई है। इससे ६·५ करोड़ रुपये का घाटा होगा।

५. १,५०,००० रुपये से ऊपर की आय के संबंध में अर्जित तथा अनार्जित आय के भेद को मिटा दिया गया है। इससे २·२९ करोड़ का लाभ सरकार को होगा।

६. अविभाजित हिन्दू-परिवार की आय-कर से मुक्ति की धन-राशि ५००० रुपये से बढ़ाकर ६००० रुपये कर दी गई है। इससे १२ लाख रुपये का घाटा होगा।

७. स्थानीय डाक के लिए लिफाफा ~) तथा पोस्टकार्ड)।। कर दिया गया है।

८. साधारण तार में १ आने तथा एक्सप्रेस तार में २ आने की कमी कर दी गई है।

९. फोन करने के व्यय म २५ प्रतिशत की कमी कर दी गई है। इससे ८·३१ करोड़ का घाटा होगा।

अध्याय २८

भारतीय संघ के राज्य (१)

आसाम

राज्यपाल : महामहिम श्री जयराम दास दौलत राम

मंत्रिपरिषद्

मुख्य-मंत्री : १. मा० श्री विष्णुराम मेधी, एम० एससी०, बी० एल०
(गृह, यातायात, उद्योग, सहकारिता, अर्थ, मालगुजारी, विधान-विभाग)

मंत्री :– २. मा० मौलवी अब्दुल मतलिव मजुमदार, एम० ए०, बी०एल० (स्थानीय स्वराज्य, कृषि, पशुचिकित्सा)

३. मा० रेवेरेंड जे० जे०एम० निकोलस राय, बी० ए०
(चिकित्सा, आर्वजनिक स्वास्थ्य, आवकारी और जेल)

४. मा० श्री रामनाथ दास, बी० एल०
(विद्युत, सार्वजनिक कार्य)

५. मा० श्री रूपनाथ ब्रह्मा, बी० एल०
(वन, रजिस्ट्रेशन, न्यायविभाग)

६. मा० श्री ओमिय कुमारदास, बी० ए०
(खाद्य, कृषि तथा श्रम)

७. मोती राम बोरा
(पुनर्वास, सप्लाइ, शिक्षा)

प्रशासन:—आसाम प्रांत पहले बंगाल का ही भाग था। सन् १८१४ में शासन-प्रबंध की सुविधा के लिए आसाम नया प्रांत बनाया गया। सन् १६०५ में पूर्वी बंगाल के कुछ भागों को उसमें मिला कर उसे लेफ्टेनेंट गर्वनर का प्रांत बना दिया गया। इसी समय बंगाल का दो भागों में पूर्वी बंगाल व पश्चिमी बंगाल के नाम से विभाजन

किया गया था। सन् १९१२ में यह विभाजन रद्द कर दिया गया और जब दोनों बंगाल संयुक्त हो गये, तब आसाम को चीफ कमिश्नर का प्रांत बना दिया गया। सन् १९१९ में आसाम गर्वनर का प्रांत बना दिया गया। १५ अगस्त, १९४७ से इस प्रांत का शासन भारतीय राज्यपाल के अधीन हो रहा है। सन् १९४९ में महामहिम श्री श्रीप्रकाश इसके प्रथम राज्यपाल नियुक्त किये गये।

आसाम राज्य में ११ जिले हैं, जो निम्न प्रकार हैं– शिवसागर, लखीमपुर, नौगाँव, तारंग, कामरूप, गोलपारा, के० एन्ड जे० हिल्स, नागा हिल्स, कोचार, लुशान हिल्स, तथा गारोहिल्स।

सन् १९४१ की जनगणना के अनुसार आसाम की जनसंख्या १०,२०४, ७३३ है। इनमें ४५ लाख हिन्दू, ३५ लाख मुसलमान और २५ लाख आदिवासी जातियाँ हैं।

सन् १९४७ में जब देश का विभाजन हुआ उस समय जिला सिलहट में जनमत-संग्रह किया गया और चार थानों को छोड़ समूचा जिला पूर्वी बगाल में मिला दिया गया।

इस प्रकार राज्य के क्षेत्र-फल तथा जनसख्या दोनों में कमी हो गई है। इसका क्षेत्रफल ४९,५९९, २९ वर्गमील है। कुल जन-संख्या ७,४०४,०९४ है। इनमें ३,९२३,७५० पुरुष, और ३,-४८०,३४४ स्त्रियाँ हैं। इनमें हिन्दू २,९४७,९८९ हैं; मुसलमान १,७१०,४२३; सिक्ख ३,७४२; भारतीय ईसाई ३५,७२४ हैं। एक वर्गमील में १४९·५३ व्यक्ति रहते हैं।

कृषि-उत्पादन, उद्योग-व्यवसाय :—

आसाम का मुख्य खाद्यान्न चावल है। सन् १९४७-४८ में ४,००३,५४३ एकड़ भूमि पर चावल की खेती होती थी। सन् १९४७-४८ में चाय ४३७,३८० एकड़ और जूट २०९,७३० एकड़ भूमि पर होती थी। यहाँ आलू और रूई की भी खेती होती है।

यहाँ कोयले व पैट्रोल की पैदावार भी होती है। सन् १९४६-४७ में ६,४८,७७,५३५ गैलन पैट्रोल निकाला गया और कोयला ३,२२,९४२ टन निकाला गया।

आय-व्यय-पत्र
(१९४९--१९५०)
(हजार रुपये में)

आय		व्यय	
१. आयात-निर्यात	३६,२९	१. आय-कर	५८
२. आय-कर	१५७,२५	२. भूमिकर	२५,४५
३. भूमि-कर	१६२,३१	३. प्रांतीय शुल्क	११,२०
४. प्रान्तीय शुल्क	६३,३१	४. स्टाम्प	६०
५. स्टाम्प	१४,६४	५. वन	४२,६०
६. वन	४८,८७	६. रजिस्ट्रेशन	१,०३
७. रजिस्ट्रेशन	१,९१	७. मोटर टैक्स संग्रह संबंधी व्यय	५,६८
८. मोटर टैक्स	७,६३	८. अन्य कर आदि	२,००
९. अन्य कर व शुल्क	३६,०२		
१०. व्याज	९२	९. बाँध-निर्माण आदि	१५,४१
११. न्याय-प्रबंध	२,४७	१०. ऋण पर व्याज	{ ११,४४ ४,१२
१२. जेल	२३	११. शासन-प्रबंध	६६,९९
१३. पुलिस	८५	१२. न्याय-प्रबंध	११,४७
१४. पत्तन	....	१३. जेल	१०,६७
१५. शिक्षा	३,४५	१४. पुलिस	७०,५५
१६. चिकित्सा	२,३५	१५. पत्तन	२
१७. सार्वजनिक स्वास्थ्य	२,९५	१६. वैज्ञानिक विभाग	१८
१८. कृषि	१०,३२	१७. शिक्षा	१,२७,२९
१९. पशुचिकित्सा	४८	१८. चिकित्सा	४०,२५
२०. सहकारी समितियाँ	१,३०	१९. सार्वजनिक स्वास्थ्य	३०,८२
२१. ग्राम सुधार	१०	२०. कृषि	५२,२८
२२. उद्योग (रेशम तथा बुनाई के उद्योग)	४	२१. पशुचिकित्सा	७,१७

		२२. सहकारी-समितियाँ	६,७३
२३. कुटीर उद्योग	६७	२३. ग्राम-सुधार	१८,३४
२४. निर्माण कार्य	२४,१६	२४. उद्योग (रेशम तथा बुनाई)	८,०१
२५. विविधि	४८,४४	२५. कुटीर शिक्षा	४,०४
२६. केन्द्र तथा प्रांतों के मध्य लेनदेन के संबंध में	५०	२६. विविधि	५,७७
		२७. निर्माण कार्य	२,४३,४१
२७. केन्द्रीय सरकारसे अनुदान	३०,००	२८. दुर्भिक्ष में सहायता	१,०८
		२९. पेंशन-भत्ते	२८,३१
		३०. स्टेशनरी व प्रिंटिंग	७,७०
२८. असाधारण प्राप्ति	२,३३,९९	३१. विविध	९०,२९
		३२. असाधारण व्यय	८७
कुल आय	८,९१,७७		९,५२,३५

कुल आय ८,९१,७७,०००
कुल व्यय ९,५२,३५,०००

घाटा ६०,५८,०००

उत्तर-प्रदेश

राज्यपाल महामहिम श्री एच० पी० मोदी

मत्री-परिषद्: १. माननीय डा० गोविन्दवल्लभ पन्त, बी०ए०एल०एल० बी०, मुख्य मत्री (साधारण-शासन-प्रबध, सूचना, न्याय व हरिजन-सेवक विभाग)

२. ,, डा० सम्पूर्णानन्द जी, बी० एससी० मंत्री (शिक्षा, श्रम व राजस्व)

३ ,, श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए० एल०-एल० बी०, मंत्री, (संचार-विभाग)

४ ,, श्री ठा० हुक्मसिंह, बी० ए० एल०एल०बी०, मंत्री (माल व बन)

५ ,, श्री चरण सिंह, मंत्री (कृषि व सूचना)

६ ,, श्री आत्माराम गोविन्द खरे, बी० ए० एल०-एल०बी०, मंत्री, (स्थानीय स्वराज्य विभाग)

७ ,, श्री चन्द्रभानु गुप्त, मंत्री (स्वास्थ्य व रसद)

८ ,, श्री लालबहादुर शास्त्री (पुलिस व यातायात)

९ ,, श्री हरगोविन्द सिंह (विकास व उद्योग)

१० ,, श्री गिरधारी लाल जी, एम० ए० (आबकारी, जेल, रजिस्ट्रेशन व स्टाम्प)

११ ,, श्री अलीजहीर, मंत्री (न्याय व विधान)

श्री प्यारेलाल बनर्जी, महाधिवक्ता

राज्य लोक-सेवा-आयोग

१ अध्यक्ष डा० अमरनाथ झा, एम० ए०, डी० लिट्, एफ० आर० एस० एल०

२ सदस्य श्री मुहम्मद अहमद, एम० ए०, एल० एल० बी०

३ ,, श्री शतीशचन्द्र चटर्जी

उत्तर-प्रदेश का शासन-प्रबन्ध

उत्तर-प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में हिमाचल से मिला हुआ है। दक्षिण में विन्ध्य-प्रदेश व राजस्थान राज्य है; पश्चिम में पंजाब और पूर्व में बिहार राज्य स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में सन् १९४९ में रामपुर, टेहरी-गढ़वाल तथा बनारस रियासतें भी मिल गई हैं। पहले इसका क्षेत्रफल १०६,२४७ वर्गमील था। किन्तु इन तीन रियासतों के ६,२७६ वर्गमील के प्रदेशों के मिल जाने से ११२,५२३ वर्गमील का क्षेत्रफल हो गया है।

सन् १८७७ में दो तीन प्रांतों को मिला कर यह प्रांत बना और इसे उत्तर-पश्चिमी प्रांत कहते थे। सन् १९०२ में इस

संयुक्त प्रांत, आगरा व अवध रखा गया। १ अप्रैल, १९४७ से इसे संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। २६ जनवरी, १९५० के बाद इसका नाम उत्तर-प्रदेश हो गया।

उत्तर-प्रदेश में निम्न प्रकार कमिश्नरियाँ व जिलें हैं–

(१) मेरठ कमिश्नरी : देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर।

(२) आगरा कमिश्नरी : अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा।

(३) रूहेलखण्ड कमिश्नरी: बरेली, बिजनौर, बदाऊँ, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर पीलीभीत।

(४) इलाहाबाद कमिश्नरी : फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, फतेपुर, इलाहाबाद।

(५) झांसी कमिश्नरी : बाँदा, हमीरपुर, झांसी, जलौन।

(६) बनारस कमिश्नरी : मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, बनारस।

(७) गोरखपुर कमिश्नरी : गोरखपुर, वस्ती, आजमगढ़, देवरिया।

(८) कमाऊ कमिश्नरी : नैनीताल, अलमोड़ा, गढ़वाल।

(९) लखनऊ कमिश्नरी : लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर।

(१०) फैजाबाद कमिश्नरी : फैजाबाद, गोंग, बहराइच, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी।

प्रत्येक जिले का शासन-प्रबंध जिलाधीश करता है। प्रति दो कमिश्नरियों का नियंत्रण तथा मालगुजारी का प्रबंध एक कमिश्नर के आधीन है। उसकी सहायता के लिए अतिरिक्त कमिश्नर भी होते हैं। प्रत्येक जिला कई तहसीलों में विभाजित है और तहसीलदार उसका प्रबंध करता है। प्रत्येक तहसीलदार के लिए एक हाकिम परगना भी रखा जाता है। यह डिप्टी कलेक्टर होता है।

जनसंख्या

उत्तर-प्रदेश में सन् १९४१ की जनगणना के अनुसार ८३·२७ प्रतिशत हिन्दू हैं। इनमें २६ प्रतिशत परिगणित जातियों की जनसंख्या भी सम्मिलित है। १५·२८ प्रतिशत मुसलमान हैं। शेष

भारतीय ईसाई, सिक्ख, पारसी, जैन, बौद्ध तथा आंग्ल ईसाई हैं। इस राज्य के निवासियों की मुख्य भाषा हिन्दी है। पश्चिमी भाग में ब्रजबोली का अधिक प्रचार है। पूर्वी भाग में अवधी का प्रचार है। उर्दू भाषा का प्रचार पहले न्यायालयों में अधिक था। किन्तु सन् १९४७ से इस राज्य की राजभाषा हिन्दी स्वीकार कर ली गई है, तब से राजकीय विभागों व कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग होने लगा है।

कृषि :—उत्तर प्रदेश में गंगा-युमना का हरा-भरा मैदान है। सारी भूमि समतल और उपजाऊ है। इसलिए यहाँ ७० प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर निर्भर हैं। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। यहाँ की मुख्य पैदावार चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, चना, गन्ना, सरसों, रूई, दलहन, आदि हैं। पहाड़ों पर ५० से ७० इंच तक वर्षा होती है। बनारस व गोरखपुर कमिश्नरियों में ४० से ५० इंच तक वर्षा होती है। आगरा कमिश्नरी में २५ से ३० इंच तक। झांसी डिवीजन में वर्षा कम होती है। आगरे में भी वर्षा कम होती है। यहाँ की नहरों व नदियों में भी जल के अभाव के कारण कृषि पर प्रभाव पड़ता है। उत्तर-प्रदेश में जमींदारी-प्रथा प्रचलित रही है। ८ अगस्त, १९४६ को राज्य-विधान-सभा ने एक प्रस्ताव जमींदारी के उन्मूलन के संबंध में स्वीकार किया और सरकार से यह प्रार्थना की गई कि वह एक जमींदारी उन्मूलन समिति नियुक्त करे। यह समिति सन् १९४७ में नियुक्त की गई। सन् १९४९ में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई और जुलाई, १९४९ में विधान-सभा में जमींदारी उन्मूलन के संबंध में एक बिल स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत किया गया। जमींदारी उन्मूलन के लिए सरकार ने एक जमींदारी-उन्मूलन-कोष स्थापित किया है।

उद्योग:—उत्तर-प्रदेश में खनिज सम्पत्ति बहुत ही कम है। कोयला, लोहा, सोना आदि यहाँ नहीं मिलते। मिर्जापुर में कोयले की कुछ खानें हैं। उत्तर-प्रदेश के पश्चिमी जिलों में हाथ की कताई व बुनाई का उद्योग काफी बढ़ा-चढ़ा है। इसके मुख्य केन्द्र टांडा (फैजाबाद),

बनारस, मह्र (आजमगढ़), मुवारकपुर (आजमगढ़), मऊ अहिमा (इलाहाबाद), गोरखपुर, माघर (बस्ती), खलीलाबाद (बस्ती), बाराबंकी, सन्डीला (हारदोई), इटावा, अमरोहर (मुरादाबाद), मेरठ, सिकन्द्राबाद (बुलन्द शहर), देववन्द (सहारनपुर), सिकन्द्राराव (अलीगढ़), बिजनौर व कानपुर सूत कातने तथा बुनाई के मुख्य केन्द्र हैं। ३००० व्यक्ति रूई मिलों में काम करते हैं; ७१,६१० व्यक्ति बुनाई व कताई के कारखानों में काम करते हैं। बनारस रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है; यहाँ कीमखाव का काम होता है; लखनउ में बेलबूटे का काम होता है और मलमल से 'चिकन' तैयार किया जाता है।

बहजोई, वालावाली, सासनी, हाथरस, हसनगऊ, शिकोहाबाद, मक्खनपुर, नैनी , गाजियाबाद, बनारस और फीरोजाबाद में काँच का उद्योग बहुत अधिक होता है। फीरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने का सबसे बड़ा केन्द्र है। फीरोजाबाद में ८० चूड़ियाँ बनाने के कारखानें हैं। यहाँ प्रतिवर्ष १०,००० टन चूड़ियाँ तैयार होती हैं, जिनका मूल्य ६ करोड़ रुपये होता है। मुरादाबाद में कलई के बर्तन बहुत बनते हैं; बनारस में पीतल के बर्तनों पर खुदाई का काम होता है। फर्रुखाबाद, पिलखुआ और मथुरा में कपड़ों पर छपाई का काम अच्छा होता है। आगरे की दरी, गलीचे, तथा संगमरमर के खिलौने आदि प्रसिद्ध हैं। आगरे में चमड़े का उद्योग भी बहुत होता है।

कानपुर इस प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र है; यहाँ चर्मालय, चमड़े के जूते तथा अन्य सामान बनाने के कारखाने, साबुन के कारखाने, तेल मिल, सूती वस्त्रों व ऊनी वस्त्रों के कारखाने, मौजा-बनियान के कारखाने, रसायन व औषधियों की रसायन-शालाएँ हैं। कानपुर में ऊनी मिल भारत में सबसे बड़ा है। लखनऊ में कागज का मिल है। अलीगढ़ , मेरठ, बरेली, आगरा, हाथरस, बनारस, कानपुर, मुरादाबाद में रूई के कारखाने हैं। सारे प्रदेश में ६६ चीनी के कारखानें हैं। बरेली में मेज-कुर्सियाँ और लकड़ी के सामान बनते हैं। आगरा व मेरठ में पंजाब (सियालकोट) से

आये शरणार्थियों ने हाकी, फुटबाल, बल्ले आदि बनाने का उद्योग आरम्भ किया है। दयालबाग (आगरा) में चमड़े, कपड़े, साबुन, रसायन, विद्युत् के सामान आदि बनाने के उद्योग हैं। एक दुग्ध-शाला भी है। आजमगढ़, मेरठ, फैजाबाद, खुर्जा और गोरखपुर में अखिल भारतीय चर्खा संघ के तत्वावधान में खादी उत्पादन का काम होता है।

इस प्रदेश में चार वनस्पति के कारखाने हैं। इनमें प्रतिदिन १५० टन वनस्पति का उत्पादन होता है। यहाँ प्रति वर्ष २०,०००,-००० मन सरसों पैदा होती है। अतः तेल के कारखानें भी पर्याप्त हैं। यहाँ १४६ बड़े और २५० छोटे तेल के कारखानें हैं। २५ साबुन के बड़े कारखाने हैं। ३ पेंट तथा वार्निश के भी कारखाने हैं।

सिंचाई:—उत्तर-प्रदेश में सिंचाई का प्रबंध तीन चीफ इंजिनियरों के हाथ में है। प्रदेश इस कार्य के लिए कई भागों में विभाजित है। प्रदेश का सिंचाई विभाग नहरों आदि की व्यवस्था करता है। ५६ लाख एकड़ भूमि की प्रतिवर्ष सिंचाई होती है।

शारदा-नहर:—यह नहर सन् १६२८ में अवध के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए खोली गई थी। सन् १६४१ में इसमें और भी विस्तार कर दिया गया। इससे १२ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है।

गंगा-नहर:—गंगा नहर गंगा नदी में से निकाली गई है। इसका मुख हरिद्वार में है। यह सन् १८५५ में खोली गई थी। इसके दो भाग हैं; एक ऊपरी और दूसरी निम्न। ऊपरी शाखा का स्थान हरिद्वार और नीचे की शाखा का स्थान बुलन्द शहर जिले में नशेरा है। यह शाखा सन् १८८० में खोली गई थी। पहली शाखा से १४½ लाख एकड़ भूमि और दूसरी से १२ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। इन नहरों में से छोटी-छोटी धाराएँ भी निकाली जा रही हैं, जिससे अधिक भाग में सिंचाई हो सके।

गंगा नहर से जलीय विद्युत का उत्पादन

इस प्रदेश के १४ जिलों में प्रकाश आदि के लिए गंगा-नहर के जल से विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है।

सिंचाई की नूतन योजनाएँ :—

उत्तर-प्रदेश की सरकार ने सिंचाई तथा विद्युत के लिए कई योजनाएँ तैयार की हैं, जिनके अनुसार कार्य हो रहा है और इस दिशा में पर्याप्त प्रगति भी की है—

शारदा नहर जलीय-विद्युत योजना:— इस योजना के अनुसार १२½ मील लम्बी शारदा मुख्य नहर का निर्माण किया जायगा। और एक विद्युत केन्द्र स्थापित किया जायगा जिससे ४१,००० के० डवल्यू विद्युत का उत्पादन होगा। इस योजना के अनुसार कार्य आरम्भ हो गया है और वह अब समाप्त होनेवाला है। इससे पूर्व के जिलों को कृषि तथा उद्योग के लिए पर्याप्त विद्युत मिलेगी।

विद्युत केन्द्र के निर्माण में २८६·१४ लाख रुपये व्यय होंगे तथा विद्युत पहुँचाने के लिए २,१६,८१,००० रुपये और व्यय होंगे।

*नायर बाँध-योजना—*यह योजना गढ़वाल जिले में कृषि आदि के लिए बनाई गई है। गंगा नदी की एक शाखा नदी नायर है। यह हरिद्वार से ५० मील ऊपर है। नायर नदी में ६०० फुट ऊँचा एक बाँध बनाया जायगा। यह बाँध आकार तथा ऊँचाई में संयुक्त राज्य अमेरिका के बोल्डर बाँध की तरह होगा, जो संसार में सबसे ऊँचा है। एक छोटा बाँध १६० फुट ऊँचा उस स्थान पर बनाया जायगा जहाँ गंगा और नायर का संगम है। इस जल से २३८,००० एकड़ नयी भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इस बाँध के फलस्वरूप जो झील बनेगी उसमें ४५,०० करोड़ घनफुट स्थान होगा। इस योजना के पूरा हो जाने पर २३,२०० मन खाद्यान्न, १५०,००० मन चीनी और ६०,००० मन रूई अधिक पैदा होगी। इससे विद्युत का भी उत्पादन होगा। इसमें २४ करोड़ रुपये व्यय होंगे और ७ वर्ष में यह बन कर तैयार होगा। नींव आदि तैयार कर ली गई है।

रीहन्द बाँध-योजना— यह बाँध मिर्जापुर जिले में बनाया जायगा। यह २८० फुट ऊँचा होगा तथा ३००० फुट लम्बा।

इनके अतिरिक्त रामगंगा बाँध-योजना, कोठरी दून बाँध-योजना, यमुना विद्युत योजना, पिंडर विद्युत योजना, ललितपुर बाँध, नगवा बाँध, पिपराई बाँध, सपरार बाँध आदि बनाने की भी योजनाएँ विचाराधीन हैं।

आय-व्यय-पत्रक १९४८-४९

आय		व्यय	
१. आय कर	७,१६,५३,०००	१. करों के संग्रह के लिए व्यय	३,६६,०६,०००
२. भूमि-कर	६,७२,६७,०००	२. सिंचाई	३,२८,६१,०००
३. प्रान्तीय शुल्क	६,०२,६८,५००	३. व्याज तथा ऋण की आदायगी	२,५५,६५,७००
४. स्टांप	२,१३,००,०००	४. शासन-प्रबंध (साधारण)	{ १,२१,७०,६०६ २,०८,७६,७००
५. वन	१,७५,४०,०००	५. न्याय-प्रबंध	१,११,८२,०००
६. रजिस्ट्रेशन	२४,००,०००	६. जेल	८३,५२,५००
७. मोटर टैक्स	३३,६१,०००	७. पुलिस	६,६७,७६,४००
८. अन्य कर व शुल्क	३,३०,२६,०००	८. वैज्ञानिक विभाग	१,२४,४००
९. सिंचाई (असल)	२,०७,५६,४००	९. शिक्षा	५,३१,६२,७००
१०. ,,	२,००,१००	१०. चिकित्सा	१,७६,८१,७००
११. व्याज	२१,८८,०००	११. सार्वजनिक स्वास्थ्य	१,०१,४२,०००
१२. न्याय विभाग	२६,८३,०००	१२. कृषि	२,४२,११,७००
१३. जेल	१२,१३,०००	१३. ग्राम-सुधार	२८,१७,६००
१४. पुलिस	६२,५५,८००	१४. पशु-चिकित्सा	६५,८२,५००
१५. शिक्षा	२३,११,५००	१५. सहकारी-समितियाँ	४०,००,३००
१६. चिकित्सा	१३,०६,१००	१६. उद्योग	१,१३,०४,१००
१७. सार्वजनिक स्वास्थ्य	८,६६,५००	१७. नागरिक उड्डयन	४,३१,६००
१८. कृषि	५६,०२,७००	१८. विविध	२,८२,३३,५००
१९. ग्राम-सुधार	७,७००	१९. निर्माण कार्य	७,७३,५१,१००
२०. पशु-चिकित्सा	४५,०२,६००		
२१. सहकारी समितियाँ	१,१६,६००		

२२. उद्योग	५४,७६,८००	२०. दुर्भिक्ष सहायता	२,६२,८००
२३. विविध विभाग	२,८७,३१,२००	२१. दुर्भिक्ष सहायना-निधि में दिया	१,५०,०००
२४. निर्माण कार्य	२६,५६,०००		
२५. केन्द्रीय राजपथ-निधि से	५,०२,२००	२२. पेंशन	१,४६,७०,४००
२६. विद्युत	५,७४,४००	२३. स्टेशनरी व छपाई	३८,७२,४००
२७. विविध	२,६४,१६,१००	२४. विविध व्यय	३,५२,०५,८००
२८. केन्द्रीय व प्रांतीय सरकार से लेन देन	१५,०००	२५. असाधारण व्यय	१,२०,७४,८००
२९. असाधारण	६,५४,८८,१००		
कुल आय	४५,८६,६५,३००	कुल व्यय	५०,५७,२५,३०

आय-व्यय-पत्रक सन् १९५०–५१

शेष गत वर्ष का	६.१,००,०००	रुपये
आय	५२,२६,००,०००	"
व्यय	५२,२१,००,०००	"
शेष	५,००,०००	"

उत्तर प्रदेश की सरकार का रचनात्मक कार्यों पर व्यय

१ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि ग्राम सुधार, पशुचिकित्सा, उद्योग, उड्डयन विभागों पर व्यय	१६,९८,००,००० रुपये
२ पिछड़े वर्गों व परिगणित जातियों के सुधार व शिक्षा पर व्यय	२३,००,०००
३ प्रांतीय रक्षा-दल	२९,५०,०००
४ ग्राम-पंचायतों के भवन-निर्माण के लिए	१०,००,०००
६ पुलिस (वास्तविक व्यय)	६,३७,००,०००

राजनीतिक पीड़ितों की सहायता

सन् १९४२ के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के राजनीतिक पीड़ितों को उत्तर-प्रदेशीय सरकार ने मार्च, १९५० तक २८,०५,००० रुपये सहायता के लिए दिये हैं। ६९१ वृद्ध तथा दुर्बल पीड़ितों तथा उनके घर के सदस्यों को सहायता के रूप में दिया गया है।

९ लाख रुपये व्यक्तिगत जुर्माने के वापस कर दिये गये हैं। यह धन पेंशन तथा अनुदान के रूप में दिया गया है। जिन पीड़ितों को मासिक पेंशन मिलती है उन्हें ५० प्रतिशत महँगाई का भत्ता भी दिया जाता है।

जमीन्दारी उन्मूलन कोष——

उत्तर-प्रदेश की सरकार ने जमींदारों को उनकी जमींदारी प्राप्त करने के लिए प्रतिकार देना निश्चय किया है। इसके लिए जमींदारी उन्मूलन कोष स्थापित किया है। इसमें २८ फरवरी, १९५० तक १५ करोड़ रुपये जमा हो गये हैं।

उड़ीसा

राज्यपाल : महामहिम श्री आसफअली, बैरिस्टर

मंत्रि-परिषद् : १ माननीय श्री नवकृष्ण चौधरी, मुख्य मंत्री, (गृह, राजस्व, नियोजन, व निर्माण, नदी-घाटी-विकास)

२ ,, श्री नित्यनारायण कानूनगो, मंत्री (कानून, विकास, वाणिज्य व श्रम)

३ ,, श्री लिंगराज मिश्र, मंत्री (शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वराज्य)

४ ,, श्री राजकृष्ण वसु, मंत्री (ग्राम-सुधार व सार्वजनिक संबंध)

५ ,, श्री सदाशिव त्रिपाठी, मंत्री (माल, रसद व यातायात)

उड़ीसा पहले बिहार से मिला हुआ था। १ अप्रेल, १९३७ को उड़ीसा एक नया प्रांत बना। इस समय यह एक राज्यपाल का राज्य है। रियासतों के विलोनीकरण के कारण इसका क्षेत्रफल बढ़ गया है। अब उड़ीसा का क्षेत्रफल ५९,८६९ वर्ग मील है। जनसंख्या १,३७,६७,९८८ है। इसके विविधि समुदायों की जनसंख्या निम्न प्रकार है——

हिन्दू (परिगणित जातियों को छोड़कर)	८१,९१,४२३
परिगणित जातियाँ	१८,६४,६२४
मुस्लिम	१,६५,६६१
भारतीय ईसाई	३६,७३२

आदिवासी जातियाँ ३५,०६,५४८

यहाँ की भाषा उड़िया है।

शासन-प्रबन्ध:—

इस राज्य में ६ जिले हैं। वे निम्न प्रकार हैं—बालासोर, कटक, गंजाम, कोरापट, पुरी और सम्भलपुर। दिसम्बर, १९४७ में २३ रियासतें उड़ीसा में मिल गईं। नवम्बर, १९४८ में मयूरभंज भी उड़ीसा में मिल गया। इन सबका प्रबंध उड़ीसा सरकार करती है। इन रियासतों के ५ जिले बना दिये गये हैं, जो निम्न प्रकार हैं—

१ मयूरभंज, २ केओनझार, ३ धेनकानल, ४ बोलागिर–पटना, ५ सुन्दरगढ़। शेष ११ रियासतें उक्त ६ जिलों में मिला दी गई हैं।

आय-व्यय-पत्रक (१९४९-५०)

सन् १९४९-५० में उड़ीसा राज्य के लिए दो आय-व्यय पत्रक तैयार किये गये। ८९० लाख रुपये का वजट उड़ीसा प्रदेश के लिए और ३,४३.१३ लाख रुपये का बजट रियासतों के लिए।

(लाख रुपयों में)

साधन	आय (प्रांत की)	आय (रियासतों की)
१ आय-कर	१४६·५५	१·८७
२ भूमि-कर	५४·१७	३८·५१
३ प्रांतीय शुल्क	१२५·००	३७·३५
४ स्टाफ	३८·६९	५·०१
५ वन - - -	२३·७६	४७·२२
६ अन्य-कर व शुल्क	६०·४९	३२·५३
७ विविधि विभाग	———	१६·०९
८ निर्माण कार्य	१०५·४८	१·४८
९ केन्द्र से सहायता	१२०·५६	१४८·००
	व्यय (प्रांत का)	व्यय (रियासतों का)
१ मालगुजारी	१२·५१	५·५३
२ प्रांतीय शुल्क	१२·५१	५·७६
३ वन	१०·१९	१६·९४

४ ऋण सम्बन्धी	१६·६६	——
५ शासन प्रबन्ध (साधारण)	७१·२३	४१·२५
६ न्याय	११·८०	६·१०
७ पुलिस ;	७७·३१	५६·६६
८ शिक्षा	८१·३६	३८·६१
९ चिकित्सा	२७·२७	१७·७५
१० स्वास्थ्य	२६·६७	८·८४
११ कृषि	४८·३५	२४·७४
१२ पशुपालन	१०·५५	६·४०
१३ उद्योग	१६·३६	५·२६
१४ विविधि	२३·४०	२८·६८
१५ निर्माण कार्य	२४३·८६	३६·६७
१६ पेंशन (राजनीतिक)	——	१६·३२
१७ पेंशन	१४ ७७	१·६१

पंजाब

राज्यपाल : महामहिम श्री चन्दूलाल त्रिवेदी, आई. सी. एस

नोट—यहाँ पहले श्री भीमसेन साचर के नेतृत्व में मंत्रि-परिषद् संगठित हुई—कुछ दिनों के बाद पुन: डा० गोपीचंद भार्गव के नेतृत्व में। मगर बारी-बारी से दोनों मंत्रि-परिषदों पर अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार किया गया और एक के बाद दूसरे—दोनों मंत्रि-परिषदों को त्यागपत्र दे देना पड़ा। सांप्रदायिकता के कारण कांग्रेस दल में भी कोई गुट ऐसा नहीं रहा जो बहुमत का विश्वास प्राप्त कर सके। फलतः राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति ने यहाँ का शासन-भार स्वतः अपने हाथों में ले लिया है और राष्ट्रपति के इस काम की संसद स भी स्वीकृति मिल गई है।

पंजाब का शासन-प्रबन्ध—

३ जून, १६४७ की लार्ड मौंटबेटेन की विभाजन की योजना के अनुसार पंजाब को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक भाग में पश्चिमी पंजाब और दूसरे भाग में पूर्वी पजाब। पहला भाग पाकिस्तान के अन्तर्गत है और दूसरा भाग पूर्वी पंजाब भारतीय गणराज्य में है।

पूर्वी पंजाब की सीमाएँ: उत्तर में काश्मीर राज्य में से जहाँ से उफ नदी पंजाब में आती है, वहाँ से पूर्वी पजाब की सीमा आरम्भ होती है। यह सीमा इस नदी के समानान्तर

चलती है और यह वहाँ तक आती है जहाँ पठानकोट, शाकर-गढ़ तथा गुरुदासपुर की तहसीलें मिलती हैं। यहाँ से फिर उफ नदी सीमा बन जाती है और यह नदी रावी में मिल जाती है। इस के बाद रावी नदी के किनारे-किनारे सीमा है। लाहौर से अमृतसर का जिला अलग हो गया है। लाहौर पाकिस्तान में मिला दिया गया और अमृतसर भारत में। इसके बाद सीमा-पंक्ति दक्षिण की ओर जाती है और जहाँ कसूर, तरणतारण तथा लाहौर की तहसीलें मिलती हैं, वहाँ तक जाती है। इसके बाद वह पश्चिम-दक्षिण को जाती है। फीरोजपुर पूर्वी पजाब में है और वह सीमा पर का जिला है। इसके बाद यह सीमा बहावलपुर से मिल जाती है।

पूर्वी पंजाब में जालंधर कमिश्नरी, अम्बाला कमिश्नरी तथा लाहौर कमिश्नरी के अमृतसर जिला, गुरुदासपुर और लाहौर जिलों के कुछ भाग सम्मिलित हैं। संयुक्त पंजाब में २९ जिले थे। अब पूर्वी पंजाब में १३ जिले हैं। ये निम्न प्रकार हैं:—

अम्बाला कमिश्नरी : हिसार, रोहतक, गुड़गाँव, करनाल, अम्बाला, शिमला।

जालधर कमिश्नरी : कांगड़ा, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, फीरोजपुर, अमृतसर, गुरुदासपुर, कसूर।

पूर्वी-पंजाब की अपेक्षा पश्चिमी पंजाब का प्रदेश अधिक उप-जाऊ और श्रेष्ठ है। उत्तरी-पूर्वी भाग पहाड़ी है। शिमला, कांगडा आदि पहाड़ी स्थान हैं। जालंधर में भूमि उपजाऊ और अच्छी है। अम्बाला में जल की कमी है। सिंचाई का कोई अच्छा प्रबंध न होने से कृषि के लिए अच्छा प्रदेश नहीं है।

जनसंख्या:—

पूर्वी पंजाब का कुल क्षेत्रफल ३५,६०० वर्गमील है और जनसंख्या १२,४०९,९२४। विभाजन के फलस्वरूप इस प्रदेश से जितने मुसलमान पाकिस्तान गये लगभग उतने ही पाकिस्तान से हिन्दू आ गये।

पूर्वी राज्य की भाषा हिन्दी तथा पंजाबी है। राजस्थानी तथा पहाड़ी बोलियों का भी यहाँ प्रचार है।

कृषि—पूर्वी पंजाब में २२,६६३,८०० एकड़ भूमि है। यह निम्न प्रकार है–

१ वन-प्रदेश	७६६,४००	एकड़
२ कृषि के लिए प्राप्य नहीं है	६,१५५,४००	,,
३ ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की जाती है। (बंजर छोड़कर)	२,४१०,४००	,,
४ बंजर या ऊसर भूमि	१६,३६,२००	,
५ जिस भूमि पर खेती होती है	११,६८६,४००	,,

पूर्वी पंजाब में चावल, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, गन्ना, रूई मुख्य फसलें हैं।

उद्योग—पजाब के विभाजन के फलस्वरूप यहाँ के उद्योग-व्यवसाय सब नष्ट हो गये। अब उनका पुनरुद्धार हो रहा है। इस प्रदेश में अन्य प्रांतों की अपेक्षा उद्योग-धंधे कम हैं। धारीवाल में न्यू इगर्टन उलन मिल है। यहाँ ऊनी माल तैयार होता है। यहाँ ६०,००० मजदूर काम करते हैं। सारे देश का ¼ ऊनी सूत यहाँ तैयार होता ह। यहाँ बटाला इजीनियरिंग कपनी भी बड़ी लोहे की कंपनी है जिनमें कृषि के औजार तैयार होते हैं। जालंधर में कागज-मिल है। अमृतसर में गलीचे और रूई के मिल हैं।

आय-व्यय-पत्रक (१६४६–५०)

(हजार रुपयों में)

आय		व्यय	
१. आय-कर	२,०४,२५	१. करों के सग्रह या व्यय	१,२०,३७
२. भूमि-कर	१,६१,७६	२. सिचाई	६६,६४
३. प्रांतीय शुल्क, स्टांप वन, रजिस्ट्रेशन तथा अन्य कर	७,६६,५३	३. ऋण का व्याज	१२,५१
		४. शासन-प्रबंध जेल, पुलिस तथा विविधि	५,१४,८५
४. सिचाई	१,०१,६४		

५. सिंचाई ,, ६२
६ व्याज १३,६२
७ शासन प्रबंध, जेल, पुलिस विविधि २८,२७
८ शिक्षा-चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु-चिकित्सा, सहयोग, उद्योग ५५,७३
९ निर्माण-कार्य ३५,६९
१० विविधि २,२६,२९
११ केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता १,७५,२०
१२ असाधारण १,५५,५०

कुल आय १५,९२,६९

५. वैज्ञानिक विभाग, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि पशु-चिकित्सा, सहकारिता व उद्योग ४०,१०२
६. निर्माण कार्य १,८४,८८
७. विविधि ९,८३,१७

कुल व्यय २२,९१७२

सन् १९५०-५१ का आय-व्यय पत्रक:—
कुल आय—————१६.१८ करोड़ रुपये
कुल व्यय————— १६.१४ करोड़ रुपये

बचत ४ लाख रुपये

पश्चिमी बंगाल

राज्यपाल : महामहिम डा० कैलाशनाथ काटजू, एम० ए०, एल० एल० डी०

मंत्रि-परिषद्:—१ माननीय डा० विधानचन्द्र राय, मुख्य-मंत्री (गृह, चिकित्सा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वराज्य)
२ ,, श्री नलिनीरंजन सरकार, मंत्री (राजस्व, वाणिज्य, उद्योग)
३ ,, श्री प्रफुल्लचन्द्र सेन, मंत्री (रसद)
४ ,, श्री रायहेमेन्द्र नाथ चौधरी (शिक्षामंत्री)
५ ,, श्री विमलचन्द्र सिन्हा, मंत्री (भवन-निर्माण, मालगुजारी)

६ माननीय श्री निहारेन्दु दत्त मजूमदार, न्याय-मंत्री
७ ,, श्री कालिपाद मुखर्जी, श्रम-मंत्री
८ ,, श्री हेमचन्द्र भास्कर, मंत्री (वन तथा मत्स्य पालन)
९ ,, श्री भूपति मजूमदार, सिंचाई मंत्री
१० ,, श्री निकुंजविहारी मैती
११ ,, श्री जादवेन्द्रनाथ पंजा, कृषि-मंत्री
१२ ,, श्री श्यामाप्रसाद वर्मन

शासन-प्रबन्धः—

३ जून, १९४७ की विभाजन की योजना के अनुसार बंगाल को दो भागों में बाँटा गया। पूर्वी-बंगाल व पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में मिला दिया गया। पश्चिमी बंगाल भारतीय संघ में है। इसमें निम्नलिखित जिले हैं—वर्दमान्, वीरभूमि, बाँकुरा, हुगली, हवड़ा, मिदनापुर, कलकत्ता, २४ परगाना, मुर्शिदाबाद, और दार्जिलिंग जिले तथा नदिया, मालदा, जलपाईगुरी, और दिनाजपुर के हिस्से पश्चिमी बंगाल में हैं। इसमें कूचबिहार व त्रिपुरा रियासतें भी सम्मिलित हैं।

जन-संख्या : पश्चिमी-बंगाल की जनसंख्या निम्न प्रकार है—

सं०	समुदाय	जन-सं० पश्चिमी बगाल	जन-सं० रियासतों में	ज० स० प्रतिशत पश्चिमी बंगाल	ज० स० प्रतिशत रियासतें में
१	हिन्दू	१४,३३०,९२८	७४२,७००	६७·६१	६४·३७
२	मुस्लिम	५,३०१,६९६	३६६,२५४	२५·०१	३१·७४
३	अन्य	१,५६३,८२९	४४,८९८	७·३८	३·८९
	योग	२१,१९६,४५३	१,१५३,८५२		

सन् १९३१ की जनगणना के अनुसार पश्चिमी बगाल में ८३% जनता बंगला बोलती है। ८·३% हिन्दी तथा अन्य भाषाएँ बोलती है।

कृषि उद्योग :—पश्चिमी बंगाल की एक बड़ी संख्या में जनता कृषि तथा कृषि-संबंधी उद्योगों में लगी हुई है। यहाँ की चावल और जूट मुख्य पैदावार हैं। सन् १९४७-४८ में ९,४८५,३०० एकड़

भूमि पर चावल की खेती की गई थी। ३६१, ९०५ एकड़ भूमि पर जूट की खेती की गई। जौ, गेहूँ, दाल तथा तेलहन भी पैदा किये जाते हैं। गन्ना तथा तम्बाकू भी पैदा की जाती है। चाय का भी बहुत बड़ा उद्योग है। सन् १९४४-४५ में १९०,००० एकड़ भूमि पर चाय होती थी।

बंबई राज्य

राज्यपाल : महामहिम राजा महाराजसिंह, आई० सी० एस०

मंत्रि-परिषद् : १ माननीय श्री बी०जी० खेर, मुख्य मंत्री (राजनीतिक विभाग, सेवा-विभाग, शिक्षा)

२ „ श्री एम०आर०देसाई, मंत्री (गृह तथा माल)

३ „ श्री एम० डी० डी० गिल्डर, मंत्री (स्वास्थ्य व निर्माण कार्य)

४ „ श्री एल० एम० पाटिल, मंत्री (आबकारी विभाग व पुनर्निर्माण विभाग)

५ „ श्री डी एन० देसाई, मंत्री (कानून व रसद)

६ „ श्री बी० एल० मेहता, मंत्री (राजस्व, सहयोग, ग्राम-उद्योग)

७ „ श्री जी० डी० वार्त्तक, मत्री (स्थानीश स्वशासन)

८ „ श्री जी० एल० नन्दा (श्रममंत्री)

९ „ श्री जी० डी० तापसे, मंत्री (उद्योग, मत्स्य-पालन, व पिछड़ी जाति विभाग)

१० „ श्री एम० पी० पाटिल, मंत्री (कृषि व वन)

शासन प्रबंध—बंबई भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। इसका विस्तार उत्तर में गुजरात से दक्षिण में कन्नड प्रदेश तक है। बंबई में दक्षिण की रियासतें, कोल्हापुर, बड़ौदा आदि रियासतें मिल गई हैं। इससे यह प्रदेश या राज्य बड़ा हो गया है। इन सबके मिल जाने पर बंबई राज्य का क्षेत्रफल १,१४,५४८ वर्गमील है। जनसंख्या २९,४५०,००० है। गुजरात में नर्मदा और ताप्ती नदी के कारण प्रदेश बड़ा उपजाऊ व हराभरा है।

बबई में ३ कमिश्नरियां हैं– उत्तरी, केन्द्रीय तथा दक्षिणी। प्रत्येक एक कमिश्नर के आधीन है।

उत्तरी कमिश्नरी–अहमदाबाद, खेड़ा, पंचमहल, भड़ौंच, सूरत, थाना, बंबई, जिला, वनसंकर, सवरकथा ,डंग।

केन्द्रीय कमिश्नरी–पूर्वी खानदेश, पश्चिमी खानदेश, नासिक, अहमदनगर, पूना, सतारा, शोलापुर।

दक्षिणी कमिश्नरी–बेलगाँव, बीजापुर, धारवाड़, कनारा, रत्नगिरि , कोलावा ।

जनसंख्या:—

बंबई राज्य में विविधि समुदायों की जनसंख्या निम्न प्रकार है–

१. हिन्दू	१४,७००,२४२
२. परिगणित जातियाँ	१,८५५,१४८
३. सिक्ख	८,०११
४. जैन	२६६,२३१
५. बौद्ध,	१,४३३
६. मुसलमान.	१,९२०,३६८
७. भारतीय ईसाई	३७५,४८६
८. पारसी.	८६,२७०
९. यहूदी	१४,७४१
१०. आदिवासी	१,६१४,२९८
११. अन्या	७,८८२

कृषि-उद्योग—बंबई में जनता का मुख्य धंधा कृषि है, जिस पर ६४ प्रतिशत जनता निर्भर है। यहाँ काली भूमि रूई के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ ३ करोड़ एकड़ पर खेती होती है। मुख्य फसलें निम्नलिखित हैं :–

१ ज्वार	८,०७३,०००	एकड़ में
२ बाजरा	४,०३०,०००	,,
३ चावल	२,०३७,०००	,,
४ गेहूँ	१,८३१,०००	,,

५ चना	६७४,०००	एकड़ में
६ रागी	६४६,०००	,,
७ मक्का	१६४,०००	,,
८ अन्य खाद्य-दलहन	२,७२७,०००	,,
९ फल व शाक	२०२,०००	,,
१० गन्ना	७१,०००	,,
११ अन्य	३,००००	,,
	२०,४५९,००० एकड़	

६,७३५,००० एकड़ में रूई, तम्बाकू, तेलहन, नारियल, मूँगफली आदि पैदा होते हैं।

बंबई उद्योग-धंधे में भारत में सबसे आगे है। संसार में यह एक सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग का केन्द्र है। भारत में ४१७ सूती वस्त्र मिलों में से २०८ मिलें इसी राज्य में स्थित हैं। बड़े-बड़े उद्योग बंबई, अहमदाबाद, शोलापुर, पूना तथा सतारा-जैसे नगरों में हैं। राज्य में कुल २८९० कारखाने हैं।

मुख्य उद्योग निम्नलिखित हैं:—

सूती वस्त्र, साबुन, तेल, लकड़ी, स्थापत्य, धातु, रसायन, खाद्य, चर्म, यातायात।

बंबई में हाथ के कर्घे से भी कपड़ा बुनन का उद्योग बड़े पैमाने पर होता है। समस्त भारत में २,०००,००० हाथ के कर्घे हैं और इनमें से ९४,६९० कर्घों में काम किया जाता है। अकेले इसी काम में ४२०,००० व्यक्ति लगे हुए हैं। समस्त भारत में १५० करोड़ गज कपड़ा हाथ के कर्घों से तैयार किया जाता है। बंबई में १३ करोड़ ४० लाख गज कपड़ा प्रति वर्ष तैयार किया जाता है।

आय-व्यय-पत्रक (१९४९-५०)

(हजार रुपयों में)

आय		व्यय	
१ कर, शुल्क आदि से प्राप्त	४१,६१,८३	१ करों के संग्रह में व्यय	४,३३,४७
		२ सिंचाई	१,०६,१६
२ नागरिक शासन प्रबंध	५,००,९६	३ शासन-प्रबंध व्यय	३५,०३,७२
३ निर्माण कार्य	३८,८९	४ निर्माण कार्य	३,८४,३
४ व्याज	८४,३७	५ विविधि	६,९२,२४
५ विविधि	१,३७,२३	६ ऋण	१,१७,२४०
६ असाधारण	३,२२,३९	७ असाधारण व्यय	६
कुल आय	५२,८५,७६	कुल व्यय	५२,४०,७४

बिहार राज्य

राज्यपाल : महामहिम श्री माधव श्रीहरि अणे

मंत्रि-परिषद् १ माननीय डा० श्रीकृष्णसिंह, मुख्यमंत्री (गृह विभाग)

२ ,, डा० अनुग्रह नरायण सिंह, मंत्री (राजस्व, श्रम, रसद तथा मूल्य नियंत्रण)

३ ,, डा०सैयद महमूद, मंत्री (विकास व यातायात)

४ ,, जगलाल चौधरी, मंत्री (सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा हरिजन जन-कल्याण)

५ ,, श्री रामचरित्र सिंह, मंत्री (सिंचाई,सार्वजनिक स्वाथ्य, विद्युत तथा व्यवस्थापक विभाग)

६ ,, श्री बदरीनाथ वर्मा, मंत्री (शिक्षा व सूचना)

७ ,, श्री कृष्णवल्लभ सहाय, मंत्री (माल, वन, आवकारी और जन-कल्याण)

८ माननीय श्री विनोदानन्द झा, मंत्री (चिकित्सा व स्थानीय स्वराज्य)

९ ,, श्री अब्दुल कयूम अंसारी, मंत्री (ग्रामोद्योग, सार्वजनिक निर्माण विभाग और शरणार्थी सहायता)

बिहार की जनसंख्या तथा प्रशासनः—

बिहार भारत का बहुत प्राचीन प्रदेश है। यहाँ पाटलिपुत्र मौर्य-साम्राज्य के समय में उसकी राजधानी रहा। आधुनिक पटना ही पाटिलिपुत्र कहलाता था। बिहार के पश्चिम में उत्तर-प्रदेश, उत्तर में नेपाल, पूर्व में बंगाल और दक्षिण में उड़ीसा है। इसका विस्तार ६९,३८८ वर्गमील है।

बिहार में ४ कमिश्नरियाँ हैं, जिनके केन्द्र पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और राँची हैं। इसकी राजधानी पटना है। हालमें बिहार में भी दो रियासतें—सरायकेला व खरसाँवा मिली हैं।

बिहार की जनसंख्या ३६,३४०,१५१ है। बिहार में केवल चार ऐसे नगर हैं जिन्हें वास्तव में नगर कहा जा सकता है– पटना, गया, भागलपुर और जमशेदपुर। यहाँ सबसे अधिक जनता हिन्दू है। एक दशमांश मुसलमान हैं। छोटा नागपुर तथा संताल-परगने में आदि-वासी जातियों के लोग रहते हैं।

कृषि व उद्योगः—

बिहार में ८० प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर रहती है। केवल ७·८% उद्योगों में लगी है। यहाँ की भूमि बड़ी उपजाऊ है। आधी से अधिक कृषि-योग्य भूमि पर चावल की खेती होती है।

बिहार में विविधि फसलों की पैदावार निम्न प्रकार है।

१	चावल	९,३००,०००	एकड़भूमि में	बोया जाता है।
२	मकई	१,६००,०००	,,	,,
३	गेहूँ-जौ	१,३,००,०००	,,	,,
४	सरसों, तेलहन आदि	१,७००,०००	,,	,,
५	जूट	२०२,२००	,,	,,

उत्तर-प्रदेश के बाद बिहार में ही गन्ना अधिक होता है। भारत में चीनी के उत्पादन का २६ प्रतिशत भाग बिहार में होता है। सन् १९४२-४३ में ४ करोड़ रुपये गन्ने के बेचने वालों को दिये गये।

जूट केवल पूर्णियाँ जिले में ही होता है। तम्बाकू की भी पैदावार अच्छी होती है।

बिहार में पहले अफीम की पैदावार होती थी। किन्तु चीन की सरकार के साथ समझौते के कारण पटने में अफीम का कारखाना बन्द कर दिया गया। मुंगेर में पेनिनसुलर तम्बाकू कंपनी ने दुनियाँ का एक सबसे बड़ा तंम्बाकू का कारखाना खड़ा किया है। सिंहभूमि जिले में जमशेदपुर में टाटा आयरन एन्ड स्टील कंपनी एशिया में सबसे बड़ा लोहे का कारखाना है।

बिहार में लोहे की अनेक खानें हैं। मानभूमि में कोयले की खानें हैं। रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग के करनपुरा में नयी कोयले की खानें बड़ी मूल्यवान् हैं। बिहार में अवरख (Mica) की भी खानें हैं, जिनमें अच्छा अवरख निकलता है। मानभूमि, पलामू, राँची, संताल परगना तथा गया में लाह का उत्पादन बहुत होता है। भारत से विदेशों मे प्रतिवर्ष १० करोड़ रुपये की लाह भेजी जाती है। यहाँ सीमेंट का भी उद्योग प्रगति पर है।

बिहार सरकार ने कृषि के सबन्ध में सुधार के लिए जमींदारी उन्मूलन के सबध में कानून स्वीकार कर लिया है।

आय-व्यय-पत्रक:—

सन् १९५०-५१ के बिहार राज्य के आय-व्यय पत्रक के अनुसार इस वर्ष सरकार की आय २५·९ करोड़ होगी तथा व्यय २६ करोड़ होगा।

इस पत्रक में से कुछ मुख्य व्यय निम्न प्रकार हैं—

१ दामोदर घाटी योजना के लिए	२००,०००,००
२ राज्य की यांत्रिक कृषि के लिए	१५०,०००,००
३ विद्युत	७००,०००

४ रेशम के कारखानों के लिए	४७,०००,००
५ शिक्षा	३,१६,०००००
६ बेसिक शिक्षा	५०,०००००
७ सामाजिक शिक्षा	१०,०००,००
८ अधिक अन्न उपजाओ योजनाएँ	४,००,००,०००
९ पुलिस	३,८६,००,०००
१० शरणार्थियों के मकानों के निर्माण के लिए	१४,००,०००
११ शरणार्थियों की दूकानों के लिए	८,००,०००
१२ गन्ने के अनुसंधान के लिए	२०,००,०००
१३ परिगणित जातियों के जन-कल्याण के लिए	१८,००,०००
१४ आदिवासियों के जनकल्याण के लिए	१३,७२,०००
१५ पिछड़े मुसलमानों के लिए	२,००,०००
१६ जनता में शिक्षा में पिछड़े वर्ग के लिए	२,००,०००

मद्रास-राज्य

राज्यपाल : महामहिम महाराज श्री सर कृष्णकुमार सिंह जी भावसिंह जी, भावनगर के महाराज।

मंत्रि-परिषद् १ मा० श्री पी० कुमार स्वामी राजा, मुख्यमंत्री (पुलिस विभाग)

२ ,, डा० टी० एस० राजन, मंत्री (खाद्य तथा हिन्दू धार्मिक धर्मादा)

३ ,, श्री एम० भक्तवत्सलम्, मंत्री (निर्माण तथा सूचना विभाग)

४ ,, श्री वी० गोपाल रेड्डी, मंत्री (राजस्व, वाणिज्य, कर, चुनाव, एजेंसी, मोटर यातायात तथा रजिस्ट्रेशन)

५ ,, श्री के० माधव मेनन, मंत्री (जेल, न्यायालय, कानून, वन, कृषि)

६ ,, श्री एच० सीताराम रेड्डी (माल व श्रममंत्री)

७ माननीय श्री ए० बी० शेठी, मंत्री (शिक्षा व स्वास्थ्य)
८ ,, श्री के० चन्द्रमौलि, मंत्री (सहकारिता व स्थानीय स्वराज्य)
९ ,, श्री वी० परमेश्वरम्, मंत्री (फिरका विकास, खादी, कुटीरशिल्प, मत्स्य-पालन, हरिजन-सुधार)
१० ,, श्री संजीव रेड्डी, मंत्री (नशाबन्दी तथा मकान विभाग)
११ ,, श्री सी० पेरुमलस्वामी, मंत्री (उद्योग)

शासन प्रबंधः—मद्रास दक्षिण भारत के समस्त भाग पर है। इसका क्षेत्रफल १२५,८०७ वर्गमील है। मध्य में १००० से ३००० फुट तक ऊँचा पठार है और पूर्व तथा पश्चिम में घाट हैं। तटवर्ती प्रदेशों में पर्याप्त वर्षा होती है। किन्तु मध्यम भाग में वर्षा कम होती है और गर्मी अधिक पड़ती है।

जनसंख्या :—मद्रास की जनसंख्या ४९,८४०,५६४ है। इसमें दो राज्यों के मिल जाने से आबादी ५०,३२३,५६४ हो गई है। यहाँ ८९·७% हिन्दू हैं, ७% मुसलमान और ४% भारतीय ईसाई हैं। यहाँ द्राविण-जाति के लोग अधिक संख्या में हैं। तामिल, तेलगू, मलयालम यहाँ की मुख्य भाषाएँ हैं। हिन्दी का भी पर्याप्त प्रचार है। तामिल-भाषियों की संख्या १ करोड़ ९० लाख तथा तेलगू-भाषियों की संख्या १ करोड़ ८० लाख है। ४०% जनता तामिल बोलती है; ३७½% जनता तेलगू बोलती है; ७·९% मलयालय तथा १० प्रतिशत उड़िया, हिन्दी और कन्नड़ भाषाएँ बोलती ह।

कृषि और उद्योगः—

यहाँ भी अन्य राज्यों की भाँति कृषि जनता का मुख्य धंधा है। ६८ प्रतिशत लोग कृषि करते हैं। यहाँ मुख्य खाद्यान्न चावल, चोलम, रागी, कुम्बु हैं। रूई, गन्ना, और नारियल भी पैदा होते हैं।

इस राज्य में १९४७ में ४७ सूती कताई के कारखाने थे। सब प्रकार के कारखाने ३,७७० थे। यहाँ चमड़े का उद्योग भी बहुत

व्यापक है। यहाँ से ७½ करोड़ रुपये का चमड़ा प्रति वर्ष बाहर भेजा जाता है।

आय-व्यय-पत्रक
(१९५०-५१)

कुल आय	५५,२१,२५,०००	रुपये
कुल व्यय	५५,५७,२३,०००	रुपये
घाटा	३५,९८,००	रुपये

मुख्य व्यय इस प्रकार होंगे—

(१)	विकास योजनाओं पर व्यय	५,४०,००,०००
(२)	अधिक अन्न वृद्धि के लिए	२,२६,०६,०००,
(३)	जमिदारों को प्रतिकर देने के लिए	१,०७,००,०००
(४)	सरकारी कर्मचारियों के लिए निवासगृह	३,००,०००
(५)	सिंचाई के साधनों में सुधार	७१,००,०००
(६)	फर्टिलाइजार्स एन्ड केमीकल (ट्रावणकोर) लिमिटेड के हिस्से खरीदने के लिए	२०,००,०००
(७)	किसानों की छूट के लिए	७०,००,०००
(८)	पीड़ितों के सहायतार्थ	१०,००,०००
(९)	शिक्षा	११,०५,००,०००
(१०)	परिगणित जातियों के सुधार के लिए	१,००,००,०००
(११)	भवन-निर्माग करनेवाली सस्थाओं को ऋण	१,४०,००,०००

मध्य-प्रदेश-राज्य

राज्यपाल: महामहिम श्री मंगलदास मचाराम पकवासा

मंत्रि-परिषद्—

(१) माननीय पं० रविशंकर शुक्ल, मुख्यमंत्री

(२) „ पं० द्वारिकाप्रसाद मिश्र (गृह विभाग)

(३) मान० श्री दुर्गाशंकर कृपाशंकर मेहता, मंत्री (उद्योग, वाणिज्य, स्थानीय स्वाराज्य)
(४) ,, श्री सम्भाजी विनायक गोखले, मंत्री (राजस्व व कानून)
(५) ,, श्री रामराव कृष्णराव पाटिल, मंत्री (खाद्य व कृषि)
(६) ,, डा० वामन शिवदास वारलिंगे, स्वास्थ्य-मंत्री
(७) ,, श्री रामेश्वर अग्निभोज मंत्री, (निर्माण-विभाग)
(८) ,, श्री पुरुषोत्तम काशीराव देशमुख, शिक्षामंत्री
(६) ,, श्री ए० एम० मकादे, आवकारी मंत्री।

शासन-प्रबंध:—

मध्य-प्रदेश बंबई तथा बंगाल और विन्ध्य प्रदेश तथा हैदराबाद के मध्य में स्थित है। इसका अधिकांश भाग पहाड़ी तथा वन-प्रदेश है। मकराई रियासतों तथा छत्तीसगढ़ रियासतों के मिल जाने से इसका क्षेत्रफल पहले से कुछ बढ़ गया है। मध्यप्रदेश तथा बरार का क्षेत्रफल १३१,६३६ वर्गमील है। इसमें ३३,१२१ वर्गमील की देशी रियासतें मिल गई हैं। इसकी जनसंख्या १६,८१३,५८४ थी। किन्तु इन रियासतों के मिल जाने से ४०,००,००० और बढ़ गई है।

मध्यप्रदेश की राजभाषा हिन्दी है। इसके उत्तरी पूर्वी भाग में हिन्दी बोली जाती है। बरार, तथा पश्चिमी व मध्यभाग में मराठी बोली जाती है। ५६ प्रतिशत लोग हिन्दी बोलते हैं। ३१प्रतिशत मराठी तथा ७ प्रतिशत अन्य भाषाएँ।

कृषि और उद्योग:—

मध्यप्रदेश में २६,५४६ वर्गमील भूमि वन के लिए सुरक्षित है। बरार में ३,३३५ वर्गमील भूमि में वन हैं। वन तथा बंजर भूमि को छोड़ शेष भूमि के ६५ प्रतिशत भाग पर खेती होती है। इसमें से भी ४० प्रतिशत भाग पर चावल की खेती होती है। १० प्रतिशत पर ज्वार होती है। ७ प्रतिशत पर

गेहूँ की खेती होती है। ४० प्रतिशत पर तेलहन तथा दलहन बोये जाते हैं।

उद्योग-धंधों में मध्य प्रदेश अभी शैशवास्था में ही है। यहाँ टाटा ऐन्ड सन्स लिमिटेड ने नागपुर नगर में सन् १८७७ में एक्प्रेस मिल खोला था। उसके बाद नागपुर में अन्य कई मिल खुल गये हैं। यहाँ मैंगनीज उद्योग में सन् १९४२ में २९,३९८ व्यक्ति लगे हुए थे। कोयले की खानों में १७,३५० व्यक्ति काम करते हैं। सन् १९४५ में यहाँ रजिस्टर्ड कारखाने १,२१७ थे। इनमें १,१०,२६३ व्यक्ति काम करते थे।

आय-व्यय-पत्रक:—(१९४९-५०)

१	विविधि करों व शुल्कों से आय	१२,५९,५६,०००
२	सिंचाई	१८,१६,०००
३	व्याज	१८,८१,०००
४	नागरिक शासन प्रबंध	६४,४८,०००
५	निर्माण कार्य	९,२७,०००
६	विविध	३,४९,००,०००
७	असाधारण प्राप्ति	१,८०,००,०००
८	केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकार के बीच लेनदेन	५,०००
९	ऋण-सम्बन्धी	४२,६०,८०,०००
१०	बचत	३,०८,८८,०००
	कुल योग	६४,६९,३२,०००

व्यय

१	कर संग्रह करने में व्यय	१,७९,०५,०००
२	सिंचाई	२९,९३,०००
३	व्याज आदि	१५,२९,०००
४	नागरिक शासन-व्यय	९,९८,०५,०००
५	निर्माण कार्य	१,८२,८६,०००

६ विद्युत-योजना	२०,४२,००
७ विद्युत योजना संबंधी अन्य खर्च	१८,८६,०००
८ विविध	४,३५,१२,०००
९ असाधारण	
१० अन्य व्यय	६,०२,४३,०००
११ ऋण	३५,७३,९७,०००
	कुल व्यय ६४,६९,३२,०००
	बचत २०,०६,००० रुपये

अध्याय २९

भारतीय संघ के राज्य (२)

भारत में देशी राज्य:—

ब्रिटिश शासन काल में भारत दो भागों में विभाजित था। एक भाग में प्रान्त थे, जो सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे। दूसरे भाग में ५६२ देशी रियासतें थीं, जिनमें ब्रिटिश सम्राट के अधीन राजा-महराजा तथा नवाब स्वेच्छा-पूर्ण ढंग से शासन करते थे। ५ जुलाई, १९४७ को भारत सरकार ने रियासतों के संबंध में कार्य करने के लिए एक रियासती विभाग खोला। उसके मंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल नियुक्त किये गये। उस समय सरदार पटेल ने भारत सरकार की नीति इस प्रकार घोषित की कि देशी राज्यों या रियासतों को केवल रक्षा, वैदेशिक संबंधों तथा यातायात के संबंध में भारतीय संघ में मिल जाना चाहिए। लार्ड मौंटबैटेन ने नरेन्द्र-मण्डल के अन्तिम अधिवेशन में समस्त नरेशों को यह मंत्रणा दी कि उन्हें उक्त तीन विषयों में भारतीय संघ का प्रभुत्व स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके उपरान्त राजाओं तथा भारतीय संविधान परिषद् की ओर से संघ में प्रवेश के सम्बन्ध में वार्त्ता के लिए दोनों की एक एक समझौता-समिति नियुक्त की गई। इन समझौता-समितियों ने परस्पर मिलकर रियासतों के प्रदेश के सम्बन्ध में निश्चय किया।

रियासतों का विलोनीकरण:—

भारत में एकता स्थापित करने तथा रियासतों के शासन को प्रान्तों के समान बनाने की दृष्टि से सरदार पटेल के निरीक्षण में भारत सरकार के रियासती विभाग ने अथक परिश्रम किया और इस सम्बन्ध में अपनी नीति निम्न प्रकार से निर्धारित की।

(१) २१६ रियासतों को प्रान्तों में मिला दिया गया उनमें बड़ौदा, कोल्हापुर जैसी बड़ी रियासतें और बनारस तथा रामपुर जैसी छोटी रियासतें हैं। पहली दो रियासतें बंबई राज्य में मिला दी गई और दूसरी दो उत्तरप्रदेश में। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी कुछ-कुछ रियासतें मिला दी गई। इन मिली हुई रियासतों के शासन-प्रबन्ध का दायित्व राज्यों की सरकारों पर है।

१ जनवरी, १९४८ को सबसे पहले उड़ीसा व छत्तीसगढ़ की ३९ रियासतें उड़ीसा तथा मध्यप्रदेश के राज्यों में मिला दी गई। उनमें से दो रियासतें सरायकेला तथा खारसावाँ बिहार राज्य में मिला दी गई हैं। इन सबका क्षेत्रफल ५६,००० वर्गमील है, जनसंख्या ७०,००,००० है तथा वार्षिक आय २ करोड़ रुपये की है। १९ फरवरी, १९४८ को दक्षिण की समस्त रियासतें, जिनमें कोल्हापुर भी है और जिनका क्षेत्र-फल ७६५४ वर्गमील है और जिनकी जनसंख्या १७ लाख तथा आय १ करोड़ ४२ लाख रुपये है बंबई राज्य में मिल गई। १० जून १९४८ को गुजरात की रियासतें भी बंबई में मिल गई। गुजरात में कुल रियासतें १५७ थीं। इनका क्षेत्रफल १९,३०० वर्गमील; जनसंख्या २७ लाख तथा आय १ करोड़ ६५ लाख थी। बगानापाले तथा पुदुकोट्टाई रियासतें क्रमशः १८ तथा २९ फरवरी, १९४८ को मद्रास राज्य में मिल गई। पूर्वी-पंजाब राज्य में लोहारन १७ फरवरी, दुजाना ३ मार्च और पटौदी १८ मार्च, १९४८ को मिल गये।

(२) रियासतों के संघों का निर्माण

कुछ छोटी-बड़ी रियासतों को मिला कर संघ बनाये गये जिससे उनका शासन प्रबंध ठीक प्रकार से हो सके तथा जो भारतीय-संघ के अंगों के रूप में कार्य कर सकें। इस दिशा

में सबसे पहले काठियावाड़ की रियासतों ने मार्ग-दर्शन किया। काठियावाड़ की २१७ रियासतों का एक संघ बनाया गया। इनका क्षेत्रफल ३१,८८५ वर्गमील; जनसंख्या ३५,००,००० और वार्षिक आय ८ करोड़ रुपये की है। इसका नाम सौराष्ट्र-संघ रखा गया। १५ फरवरी, १९४८ को सरदार पटेल ने इसका उद्घाटन किया।

१८ मार्च, १९४८ को मत्स्य-संघ की स्थापना की गई। इसमें अलवर, भरतपुर तथा धौलपुर व करोली की रियासतें सम्मिलित हुईं। इसका क्षेत्रफल ७५,३६ वर्गमील, जन-संख्या १८,३७,९९४ तथा आय १,८३,०६,२२१ रुपये की है। ❀

४ अप्रैल, १९४८ को विन्ध्यप्रदेश संघ की स्थापना की गई। इसमें बुंदेलखण्ड व बघेलखण्ड की ३५ रियासतें सम्मिलित हैं। इसका क्षेत्रफल २४,६१० वर्गमील; जनसंख्या ३५,६९,४५५ और आय २½ करोड़ रुपये की है।

१५ अप्रेल, १९४८ को पूर्वी पंजाब की २१ पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश संघ की स्थापना की गई। इसका क्षेत्र-फल १०,६०० वर्गमील, जनसंख्या ९½ लाख और आय ८५ लाख रुपये की है।

२५ मार्च, १९४८ को राजपूताने की रियासतों ने राजस्थान संघ की स्थापना की। इसका क्षेत्रफल १६,८०७ वर्गमील, जन-संख्या २३,३४,२२० तथा आय १,९१,३९,००० रुपये की थी। १८ अप्रेल, १९४८ को इसमें उदयपुर भी सम्मिलित हो गया। सन् १९४९ में जयपुर, जोधपुर बीकानेर, जयसलमेर रियासतें भी राजस्थान में मिल गईं।

२८ मार्च, १९४८ को मध्यभारत संघ की स्थापना की गई। इसमें ग्वालियर, इन्दौर आदि राज्य हैं। उसका क्षेत्र-फल ४६,२७३ वर्गमील, जनसंख्या ७१ लाख तथा आय ८ करोड़ रुपये की है।

❀ ये राज्य बाद में राजस्थान संघ में सम्मिलित हो गये।

१५ जुलाई, १९४८ को पाटयाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ की स्थापना हुई। इसका क्षेत्रफल १०,११९ वर्गमील, जनसंख्या ३४,२४,०६० है तथा आय ४ करोड़ रुपये की है।

इस प्रकार २६४ रियासतों ने मिलकर अपने संघ स्थापित कर लिये या स्वतंत्र रूप में हैं।

(३) केन्द्रीय शासन अधीन राज्य

इनके अतिरिक्त २२ ऐसी रियासते हैं जो केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं, जिनमें चीफकमिश्नर या उपराज्यपाल शासन करते हैं।

१ अकटूबर, १९४८ को विलासपुर रियासत भी केन्द्रीय सर-सरकार के नियत्रण में आ गई। इसका क्षेत्रफल ४३३ वर्गमील, जनसंख्या १·१ लाख है। ६ नवम्बर, १९४८ को दाँता बंबई प्रदेश में मिला दिया गया।

१ जून, १९४९ को भोपाल, जो भारत में हैदराबाद, के बाद दूसरी बड़ी मुसलिम रियासत है केन्द्रीय सरकार के अधीन हो गया। इसका क्षेत्रफल ७००० वर्गमील, जनसंख्या ८००,००० है।

त्रिपुरा और मणिपुर राज्य पश्चिमी-बंगाल में मिल गये हैं।

१ जुलाई, १९४९ को त्रावणकोर-कोचीन-संघ की स्थापना हुई।

जूनागढ़ रियासतः—जूनागढ़ रियासत के मुस्लिम शासक ने उसे मनमाने ढंग से पाकिस्तान राज्य में मिला दिया। इसका वहाँ की जनता ने विरोध किया। जनता के विरोध के फलस्वरूप नवाब पाकिस्तान पलायन कर गये। ९ नवम्बर, १९४७ को भारत सरकार ने जूनागढ़ पर अपना अधिकार जमा लिया। फरवरी, १९४८ में जूनागढ़ में उसके भारतीय संघ में मिलाने के संबंध में जनमत-संग्रह किया गया। यह जनमत भारतीय संघ में सम्मिलित होने के पक्ष में रहा। २० जनवरी, १९४९ को यह रियासत सौराष्ट्रसंघ में सम्मिलित हो गई।

हैदराबाद (दक्षिण)

हैदराबाद रियासत भारत के केन्द्र में है। इसका शासक निजाम है; किन्तु यहाँ विशाल बहुमत में हिन्दू हैं। शासन प्रबंध में मुसलमानों का ही प्रभुत्व रहा है। जब भारत को स्वाधीनता मिलने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों से वार्त्ता हो रही थी तब से ही हैदराबाद के अधिकारी यह धारणा करने लगे कि १५ अगस्त, १९४७ के बाद हैदराबाद स्वतंत्र राज्य हो जायगा और निज़ाम बादशाह कहलायँगे। वहाँ रज़ाकार नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई। इसका नेता कासिम रिजवी था। यह फैसिस्ट ढंग की संस्था थी। निजाम सरकार पर भी इसका भारी प्रभाव था। रज़ाकारों ने हैदराबाद मे हिन्दू जनता पर घोर अन्याय और अत्याचार किये; उनका दमन किया गया; हत्याएँ की गईं। भारत सरकार ने १५ अगस्त, १९४७ से पहले से ही हैदराबाद से समझौते की वार्त्ता करनी आरम्भ कर दी; किन्तु निजाम हैदराबाद संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहता था। सितम्बर-अक्टूबर १९४७ तक यह वार्त्ता चलती रही। अन्त में २९, नवम्बर, १९४७ को भारतसरकार व हैदराबाद सरकार के मध्य Standstill Agreement हो गया। एक वर्ष का समय दे दिया गया, जिसमें हैदराबाद के निज़ाम विचार कर निश्चय करेंगे कि संघ में सम्मिलित हो जायँ।

इस समझौते का पालन हैदराबाद ने नहीं किया। रियासत में कुप्रबंध तथा हिन्दुओं पर अत्याचार बढ़ते गये। अन्त में १३ सितम्बर, १९४८ को भारतीय सेनाएँ रियासत में शान्ति स्थापित करने के लिए प्रविष्ट हुईं। पाँच दिनों तक रज़ाकारों ने भारतीय सेनाओं का प्रतिरोध किया। अन्त में १७ सितम्बर, १९४८ को निज़ाम हैदराबाद ने आत्म-समर्पण कर दिया। १८ सितम्बर, १९४८ को हैदराबाद की सेना के प्रधान नायक ने बिना शर्त आत्म-समर्पण-पत्र पर हस्ताक्षर

कर दिये। इसके बाद भारतीय सना न राजधानी में प्रवेश किया। इससे पूर्व १० सितम्बर, १९४८ को मोहन नवाब जंग एक भद्र मण्डल के नेता बन कर पेरिस में सुरक्षा-समिति (सयुक्त राष्ट्रसंघ) के समक्ष अपना मामला पेश करने गये। मगर २० सितम्बर को निज़ाम ने उन्हें यह आदेश दिया कि वह मामले को वापस ले लें।

मेजर जेनरल चौधरी सैनिक राज्यपाल नियुक्त किये गये और उन्होंने रियासत का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया। श्री डी० एस० बाखले वहाँ के असैनिक प्रशासक नियुक्त किये गये।

हाल में वहाँ से सैनिक गवर्नर को हटा कर हैदराबाद निजाम (राजप्रमुख) ने श्री बेलोदी को प्रधान-मंत्री नियुक्त किया है और उन्होंने कई मंत्री भी नियुक्त किये हैं। इस प्रकार हैदराबाद अब भारत-संघ का एक अंग है।

काश्मीर राज्य

२६ अक्टूबर, १९४७ से काश्मीर व जम्मू रियासत भारतीय संघ में है। उसी समय से वहाँ इस प्रश्न को लेकर सशस्त्र संघर्ष जारी रहा कि काश्मीर को पाकिस्तान में मिलाया जाय। काश्मीर पर पहले तो अफरीदी हमले तथा लूटपाट करते रहे। इनको पाकिस्तान-सरकार ने सहायता दी। बाद में पाकिस्तान सेना ने काश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जनवरी, १९४८ में भारत सरकार ने काश्मीर का प्रश्न सुरक्षा-समिति के समक्ष रखा। वहाँ से एक कमीशन भारत में समझौता कराने आया। १ जनवरी, १९४९ से काश्मीर में युद्ध बन्द है। किन्तु अभी तक समझौता नहीं हुआ है।

अध्याय–३०

भारत में शिक्षा

भारत में शिक्षा का प्रबंध राज्यों की सरकारों द्वारा होता है। किन्तु केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत भी शिक्षा सचिवालय है जो समस्त भारत के लिए शिक्षा-विकास की नीति निर्धारित करता है। इसके मंत्री मौलाना अवुल कलाम आजाद हैं। केन्द्रीय-सरकार में शिक्षा सचिवालय के मुख्य अधिकारी निम्न-लिखित हैं।

१ शिक्षा-मंत्री : मा० मौलाना अबुल कलाम आजाद

२ शिक्षा सचिव : डा० ताराचंद, एम० एस० डी० फिल

३ संयुक्त सचिव : श्री हुमायू० कवीर, एम० ए० (आक्सन)

४ उपशिक्षा परामर्शदाता : श्री एम० एम० सुन्दरम्, एम० ए० डी० लिट् (लन्दन में हाई-कमिशनर के शिक्षा-सचिव)

५ उपशिक्षा परामर्शदाता : श्री असफाक हुसेन, बी० ए० बैरिस्टर (वाशिंगटन में राजदूत के शिक्षा-सचिव)

६ उपशिक्षा परामर्शदाता : पी० एन० कृपाल (सांस्कृतिक विभाग के अध्यक्ष)

७ उपशिक्षा परामर्शदाता : एल० आर० सेठी (विकास-बिभाग के अध्यक्ष)

८ उप शिक्षा परामर्शदाता : श्रीमती पी० जौहरी, एम० ए०, एल० टी० टी० डी० (लन्दन) (छात्रवृत्ति विभाग की अध्यक्ष)

९ सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान समिति: डा० पी० नरसिंहैया, एम० ए०, पी० एच० डी०

प्रान्तों में शिक्षा-संघटन

प्रत्येक प्रान्त अथवा राज्य में शिक्षा का एक पृथक् विभाग है जो एक मंत्री के अधीन होता है। शिक्षा-विभाग का एक स्थायी अधिकारी होता है जो शिक्षा-संचालक कहलाता है। वह शिक्षा-सस्थाओं के निरीक्षण का प्रबंध करता है तथा राजकीय शिक्षा-संस्थाओं की व्यवस्था।

प्राथमिक शिक्षा अर्थात् बेसिक शिक्षा का प्रबंध स्थानीय स्वराज्य-संस्थाओं के हाथ में है। अध्यापकों की नियुक्ति आदि की व्यवस्था नगरपालिका सभाएँ तथा मण्डल-सभाएँ करती हैं। कहीं-कहीं बेसिक शिक्षा का प्रबन्ध स्वत: राज्य ही करता है।

उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा निरीक्षक होता है, जो जिले की हाई स्कूल तक की शिक्षा का निरीक्षण आदि करता है।

हाईस्कूल तथा इन्टरमीडियेट शिक्षा का प्रबंध विश्वविद्यालयों के अधीन होता है। भारत में ६ हाईस्कूल इन्टर बोर्ड भी हैं; जो माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध करते हैं।

इनके अतिरिक्त बी० ए०, एम० ए० तथा उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय हैं।

भारत में विश्वविद्यालय

सं०	विश्वविद्यालय	उपकुलपति (वायस चान्सलर)
१.	आगरा विश्वविद्यालय	श्री महाजन, एम० ए० (लंदन)
२.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	डा० जाकिर हुसेन, एम० ए०, पी० एच० डी०
३.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	डा० डी० एम० भट्टाचार्य

४. आन्ध्र विश्वविद्यालय	सर सी०आर० रेड्डी, एम० ए० (केम्ब्रिज), डी०लिट् (आन्ध्र)
५. अन्नमलाई विश्वविद्यालय	श्री एम० रूथन स्वामी, एम० ए०, बैरिस्टर
६. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	पं०गोविन्द मालवीय, एम०ए० एल० एल० बी०
७. वम्बई विश्वविद्यालय	महामहोपाध्याय पांडुरंग वेनन कानेएम०एम०,एल०एल०एम०
८. कलकत्ता विश्वविद्यालय	श्री पी०एन० बनर्जी, एम०ए०, बी० एल०, बैरिस्टर
९. देहली विश्वविद्यालय	सर मौरिस ग्यार
१०. लखनऊ विश्वविद्यालय	आचार्य नरेन्द्रदेव, एम० ए०, एल० एल० बी०
११. मद्रास विश्वविद्यालय	दीवान वहादुर सर ए० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, एम० डी०, एल० एल० डी०
१२. मैसूर विश्वविद्यालय	एम० सुल्तान मोहिउद्दीन, एम० ए०, एल० एल० बी०
१३. नागपुर विश्वविद्यालय	लेफ्टेनेंट कर्नल पं० के० एल० दुबे, बी०ए०, एल० एल० बी०
१४. उस्मानिया विश्वविद्यालय	डा० लाल मुहम्मद, एम० ए०, पी० एच० डी०
१५. पटना विश्वविद्यालय	श्री शारंगधर सिंह, एम० ए० बी० एल०, एम० एल० ए०
१६. त्रावणकोर विश्वविद्यालय	श्री एच० सी० पापवले
१७. उत्कल विश्वविद्यालय	श्री पी० प्रजा
१८. सागोर विश्वविद्यालय	....
१९. राजपूताना विश्वविद्यालय	डा० जी० एफ० महाजनी
२०. पूर्वी पंजाब विश्वविद्यालय	श्री जी० सी० चटर्जी

भारत में शिक्षा की प्रगति १६४७-४७

संस्थाएँ	संस्थाओं की संख्या		छात्र	
	पुरुषों के लिए	स्त्रियों के लिए	छात्र	छात्राएँ
१. विश्वबिद्यालय	१६	..	..	...
२. कला व विज्ञान कालेज	३५६	५६	१,४०,४५२	१७.६४८
३. हाई स्कूल	३०६१	५७६	१३,८१,०३८	१,७८,३४१
४. मिडिल स्कूल	७०८३	११८७	६,४४,८१८	१,७७,७८४
५. प्राइमरी स्कूल	१२०५३६	१४,३३०	७६,६२,८४७	२८,३३,०६६
६. व्यावसायिक व औद्योगिक कालेज	७६	३	३७,१८२	१,७६८
७. ट्रेनिंग–कालेज	२२	११	१,८१४	६६०
८. ट्रेनिंग-स्कूल	३३६	१८८	२३,५२२	१०,४८३
६. अन्य विशेष स्कूल	८५६६	५६४	२,७८,४३७	२,७८,४३७
१०. अस्वीकृत संस्थाएँ	६,३२४	५३७	२,३८,२३०	४६,६०४
कुल	१,४६,३६६	१७,४८५	१,०७,३८,३३०	३२,६४,२४८

शिक्षा पर व्यय

१९४६-४७

	राज्य	सरकारी कोषसे	स्थानीय शासन कोष से	छात्रों के शुल्क से	धर्मादा	कुल
१	आसाम	७,०६६,०००	२,३०६,०००	१,६६१,०००	१,४१७,०००	१२,४५२,०००
२	बिहार	७,६७६,०००	८,०५८,०००	९,५५५,०००	४,६२८,०००	२९,९१७,०००
३	बम्बई	४४,२१२,०००	१४,१७२,०००	२७,१८९,०००	१०,४३८,०००	९६,०१०,०००
४	मध्य-प्रदेश	१०,०७९,०००	४,६२६,०००	४,६५४,०००	२,०८६,०००	२१,४४७,०००
५	पूर्वी पंजाब	१०,४६३,०००	२,६३३,०००	५,८९४,०००	३,३०७,०००	२२,२९०,०००
६	उड़ीसा	६,६६४,०००	३५१,०००	१,४९५,०००	६४५,०००	९,१५५,०००
७	मद्रास	६४,३९२,०००	१९,८१८,०००	२३,८७०,०००	२१,५०६,०००	१,२९,५८६,०००
८	उत्तर-प्रदेश	३२,५५७,०००	८,१५२,०००	१८,११७,०००	१२,०२०,०००	७१,०४६,०००
९	पश्चिमी बंगाल	१४,२४१,०००	४,२५६,०००	१८,६१३,०००	७,६४३,०००	४४,७५३,०००
	कुल	१,६७,५५०,०००	६३,६७२,०००	१,१२,०४८,०००	६३,६८०,०००	४,३६,९५०,०००
	अजमेर, कुर्ग दिल्ली आदि का व्यय	५८,६८,०००	१,२९५,०००	२,५८३,०००	१,८०५,०००	११,५५१,०००

अध्याय ३१

भारत में न्यायपालिका

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

भारतीय संविधान के अनुसार भारत का संघीय कोर्ट भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में परिणत कर दिया गया। २८ जनवरी, १९५० को नई दिल्ली के पार्लमेंट-भवन के चेम्बर में उसका उद्घाटन किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। अब उच्च न्यायालय से अपील लंदन की प्रिवी-कौंसिल में नहीं जाती।

मुख्य न्यायाधिपति––श्री हरि लाल कानिया

महाधिवक्ता ::–– श्री एम० सी० सीतलवाद

सर्वोच्च न्यायालय की अधिकार-सीमा तीन प्रकार की होगी.–(१) प्रारम्भिक अधिकार-सीमा (२) अपील की अधिकार सीमा और (३) मंत्रणा सम्बन्धी अधिकार-सीमा ।

(१) प्रारम्भिक अधिकार-सीमा

प्रारम्भिक अधिकार-सीमा के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार तथा राज्य तथा राज्यों अथवा दो या अधिक राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य होगा संविधान के भाग में उल्लिखित नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा। नागरिकों को धारा ३२ द्वारा यह गारंटी दी गई है कि वे धारा १४ से ३१ धारा तक उल्लिखित मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में उचित कार्यवाही कर सकते हैं।

संविधान में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संसद अथवा राज्यों के विधान-मण्डल कोई ऐसा कानून नहीं बनावेंगे जिनसे भाग ३ में दिये गये मौलिक अधिकार कम हो जायँ या उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जो कानून इनके विपरीत होगा, उसे सर्वोच्च न्यायालय शून्य घोषित कर सकेगा।

(२) *राज्यों के उच्च-न्यायालयों से अपीलें*

संविधान की धारा १३२ तथा १३६ के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय उच्च-न्यायालयों के निर्णयों की अपील सुनेगा। २०,००० रुपये या अधिक के मूल्य के अर्थ-संबंधी मामलों की अपील इस न्यायालय में हो सकेगी। दण्ड विधान संबंधी मामलों की अपील भी इस न्यायालय में हो सकेगी, यदि उच्च न्यायालय इस प्रकार का प्रमाणपत्र देगा कि इसकी अपील की जा सकती है।

(३) *मंत्रणा संबंधी-अधिकार-सीमा*

धारा १४३ के अन्तर्गत किसी भी विषय में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से मंत्रणा ले सकेगा। किसी रियासत के सम्बन्ध में संधि-पत्र, सनद आदि को राष्ट्रपति न्यायालय के समक्ष व्याख्या के लिए भेज सकेगा। इस पर न्यायालय सुनवाई कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे देगा।

स्वतंत्र न्याय–पालिका

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्री हरिलाल कानिया ने २८ जनवरी, १९५० को अपने उद्घाटन-भाषण में स्पष्ट शब्दों में यह कहा––

"सर्वोच्च न्यायालय एक अखिल भारतीय न्यायालय, दलगत राजनीति से पृथक् रहेगा और इसी प्रकार राज-नीतिक वादों से भी विलग रहेगा। शासन में परिवर्तनों से इसे कोई भी सरोकार नहीं है। न्यायालय का कार्य तो काल-

विशेष में कानून के अनुसार न्याय करना है। वह सबके साथ सहानुभूति रखता है; परन्तु किसी के साथ वह संबंधित नहीं है।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति

१. श्री एस० के० दास,	जिला व	सेसन्स जज,	आसाम
२. श्री लक्ष्मीकान्त झा	मुख्य	न्यायाधिपति	पटना
३. श्री एम० सी० चागला—	,,	,,	बंबई
४. श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिंहा	,,	,,	नागपुर
५. श्री सुधीरंजन दास	,,	,,	पजाब
६. श्री वी० पी० राजयनार	,,	,,	मद्रास
७. श्री वीर किशोर	,,	,,	उड़ीसा
८. श्री विधुभूषण मलिक	,,	,,	इलाहाबाद
९. श्री आर्थर ट्रेवर	,,	,,	कलकत्ता

— ———

अध्याय ३२

भारत का सशस्त्र बल

३ जून, १९४७ की भारत विभाजन की योजना के अनुसार भारत के सशस्त्र बल—जल-थल व नभ तीनों—का विभाजन किया गया। इसी समय पंजाब विभाजन के बाद बड़े भयानक उपद्रव हो गये। इस कारण सेना को बहुत-ही विकट परिस्थितियों में कार्य करना पड़ा। विभाजन के कारण भारतीय सैन्य का विघटन हो गया। अत: भारत के समक्ष सबसे मुख्य समस्या थी सेना के पुनर्संगठन की।

इनके विभाजन के बाद भारत में अंग्रेजी सेनाएँ इंगलैंड वापस भेज दी गईं। २८ फर्वरी, १९४९ को भारत से अन्तिम यूनिट इंगलैण्ड को भेज दी गई।

१५ अगस्त, सन् १९४७ से पूर्व भारत की थल, नभ व जल सेनाओं का एक ही प्रधान सेनापति होता था किन्तु बाद में तीनों के प्रधान सेनापति पृथक् पृथक् नियुक्त कर दिये गये।

सशस्त्र बल के अधिकारी

(१) *भारतीय नौ-सेना*

(१) वाइस एडमिरल डवल्यू ई० पेरी, सी० बी०, आर० एन० स्टाफ के चीफ तथा भारतीय नौ-सेना के प्रधान सेनापति
(२) रीयर एडमिरल जे० टी० एस० हाल, स्पेशल ड्यूटी
(३) कमोडोर एच० ड्रिय, चीफ आफ स्टाफ
(४) कमोडोर ब्राउन
(५) कप्तान बी० एस० सोमण
(६) कप्तान आर० डी० कटारी, चीफ आफ परसनेल
(७) कप्तान आर० सी० रेनाल्ड चीफ आफ नेवल एवीयेसन
(८) कमोडोर इनिगो जोन्स, कमांडिग अफसर, बंबई
(९) कमोडोर जे० एच० इलिसन, कमांडिग अफसर, कोचीन

(१०) कप्तान जी० गोलैण्ड, कमांडिग अफसर, विजगापट्टम

(११) कप्तान डी० एन० मुकर्जी H.I.M.S. शिवाजी

(१२) कप्तान दयाशंकर, चीफ इन्जीनियर

(२) *भारतीय नभ-सेना*

(१) ऐअर मार्शल सर टामस डबल्यू एल्महिस्ट (नभ-सेना स्टाफ के चीफ तथा नभ-सेना के प्रधान सेनापति)

(२) ऐअर वाइस मार्शल एस०मुकर्जी (डिप्टी चीफ नभ-सेना)

(३) ऐअर कमोडोर ए० एम० इन्जीनियर

(४) ऐअर कमोडोर नरेन्द्र

(५) ऐअर कमोडोर डी० ए० आर० नन्दा

(६) ऐअर कमोडोर आर० एच० डी० सिंह

(३) *भारतीय स्थल-सेना*

(१) जनरल के० एम० करिअप्पा, भारतीय सेना के प्रधान सेनापति

(२) मेजर जनरल कलावन्त सिंह, चीफ , जनरल स्टाफ

(३) मेजर जनरल एच० लाल अटल, एडजूटेंट जनरल

(४) मेजर जनरल बी० एस० चिमनी, क्वाटर मास्टर जनरल

(५) मेजर जनरल एच०विलियम, इन्जीनियर, इन-चीफ

(६) लेफ्टेनेंट जनरल एस० एम० श्री नागेश, सेनानायक, पश्चिमी कमान

(७) लेफ्टेनेंट जनरल राजेन्द्रसिंह जी, सेनानायक, दक्षिणी कमान

(८) लेफ्टेनेंट जनरल ठा० नाथूसिंह सेनानायक, पूर्वी कमान,

(९) मेजर जनरल एच० एच० स्टेवल (आर्डनेंस)

१५ जनवरी, १९४९ को जनरल सर राय बुकरने (ब्रिटिश) भारतीय सेना के प्रधान सेनापति पद से अवकाश ग्रहण कर लिया। यह सबसे अन्तिम अंग्रेज सेनापति थे। इनके स्थान पर सर्वप्रथम भारतीय सेनापति श्री के० एम० करिअप्पा नियुक्त किये गये। ३० मार्च, १९४९ के

बाद भारतीय सेना में १९० ब्रिटिश अफसर रह गये। इनमें से अधिकांश टेकनिकल विभाग में विशेषज्ञ हैं। इस प्रकार भारतीय सेना का भारतीयकरण हो गया है।

नभ-सेना में केवल प्रधान सेनापति ही ब्रिटिश अधिकारी हैं। इनके अतिरिक्त कुछ टेकनिकल अफसर भी ब्रिटिश हैं। शेष सभी भारतीय हैं।

केवल नौ-सेना ही ऐसी सेना है जिसका अभी भारतीयकरण होने में विलम्ब लगेगा।

रक्षा-मन्त्री सचिवालय

उक्त तीन प्रकार की सेनाओं के लिए एक-एक प्रधान सेनापति है। इनके अतिरिक्त रक्षा-संबंधी नीति के प्रश्नों का निश्चय करने के लिए भारत सरकार में एक रक्षा-मंत्री का भी पद है। सरदार बलदेवसिंह वर्तमान् रक्षा-मंत्री हैं। रक्षा-मंत्री का सचिवालय रक्षा के प्रश्नों पर भारत-सरकार की नीति प्राप्त कर उसके अनुसार सेना के तीनों विभागों में कार्य करता है।

इस कार्य के सुचारुरूप से संपादन करनेके लिए विविध समितियों का गठन किया गया है। इनमें सबसे मुख्य है रक्षा-मंत्री की समिति। इसमें रक्षामंत्री, तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति, राजस्व सलाहकारतथा रक्षा-सचिव सम्मिलित हैं। इस समिति के निर्णय अन्तिम होते हैं और सब को मान्य होते हैं। जहाँ नीति के महत्त्वपूर्ण प्रश्न उलझे रहते है वहाँ यह समिति निश्चय नहीं करती। इसके लिए मंत्रि-परिषद् की रक्षा समिति विचार करती है। इस समिति में प्रधान मंत्री, उप प्रधान-मंत्री, राजस्वमंत्री तथा यातायात मंत्री सदस्य हैं। प्रधान मंत्री इसके अधक्ष हैं।

स्थल सेना का संगठन

इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसके प्रधान हैं प्रधान-सेनापति। इसके अन्तर्गत निम्न प्रकार के विभाग हैं:—

(१) जनरल स्टाक ब्रांच
(२) एडजुटेंट जनरल ब्रांच

(३) क्वाटर मास्टर जनरल ब्रांच
(४) मास्टर-जनरल आफ आर्डिनेंस ब्रांच
(५) इन्जीनियर-इन-चीफ ब्रांच
(६) मिलीटरी सेक्रेटरी ब्रांच

भारतीय सेना तीन कमानों में विभाजित है । प्रत्येक एक लेफ्टेनेंट जनरल के नियंत्रण में है—पूर्वी कमान, दक्षिणी कमान, पश्चिमी कमान । एक कमान कई क्षेत्रों में (Areas) में विभाजित है । एक क्षेत्र एक मेजर ज़ेनरल के नियंत्रण में होता है । क्षेत्र भी उपक्षेत्रों में विभाजित हैं । प्रत्येक उपक्षेत्र पर ब्रिगेडियर का नियंत्रण होता है । भारतीय सेना के अन्तर्गत कई विभाग हैं जो अपने कार्य का संपादन करते हैं—भारतीय सशस्त्र सैन्यदल (Indian Armoured Corps), इसमें छोटे तथा बड़े टैंक तथा आरमर्ड कारें होती हैं । भारतीय आग्न्यास्त्र सैन्य दल (Indian Artillery), इसके अन्तर्गत छोटे-बड़े, सब प्रकार के ऐंटी-टैंक तथा ऐंटी-एअर क्राफ्ट होते हैं जिनसे स्थल तथा आकाश में वायुयानों पर आक्रमण किया जाता है। इन्जीनियर सर्विस; विद्युत तथा यांत्रिक इन्जीनियर; भारतीय पदाति सैन्य-दल (Indian Infantry) । भारतीय सैन्य-सेवा-दल के अन्तर्गत रसद, पशु यातायात तथा यांत्रिक यातायात सम्मिलित हैं । भारतीय सैन्य आर्डिनैंस दल—यह सेना के लिए सब प्रकार की सामग्री संचय करता है और सैनिकों को देता है। लिपिकारों का भी एक सैन्य दल होता है जो सैन्य-कार्यालयों में कार्य करता है। पशुचिकित्सा तथा कृषि-क्षेत्र (फार्म) विभाग सैनिकों के लिए दुग्धालयों, फलों तथा माँस की व्यवस्था करता है । एक शिक्षा विभाग भी होता है । यह सैनिकों को शिक्षा देने का प्रबंध करता है । इसमें चिकित्सा दल भी होता है ।

सेना का पुनर्सङ्गठन

भारत सरकार ने सेना के पुनर्सङ्गठन के लिए अप[illegible] जो कार्यक्रम स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद बनाया है, उसकी मुख्य ब[illegible] इस प्रकार हैं:—

(१) एक नवीन कमान का संगठन
(२) राष्ट्रीय केडेट कोर का निर्माण
(३) प्रादेशिक सेना का निर्माण
(४) सेना के तीनों विभागों (स्थल, नभ व जल) के अफसरों के शिक्षण के लिए नेशनल एकेडमी की स्थापना
(५) नवीन शिक्षण केन्द्रों की स्थापना
(६) आर्डिनेंस कारखानों का विकास
(७) रक्षा-सेवाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान व विकास की व्यवस्था।
(८) इंगलैण्ड में भारतीय हाईकमिशनर की देखरेख में अस्त्रादि प्राप्त करने के लिए कार्यालय की स्थापना
(९) भारतीय नौ-सेना के विभाग के लिए प्रबंध।
(१०) भारतीय नभ-सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयत्न।

नेशनल केडेट कोर

८ अप्रेल, १९४८ को भारतीय संसद ने इंडियन नेशन केडेट कोर ऐक्ट स्वीकार किया। इस कानून के उद्देश्य हैः–(क) नवयुवकों में चरित्र का विकास, सेवा-भाव, सखाभाव, तथा नेतृत्व की भावना का संचार करना; (ख) तीनों प्रकार के रक्षा-सैन्य के सम्बन्ध मे नवयुवकों को सैनिक शिक्षण देना है; जिससे कि सुयोग्य नवयुवक रक्षा सैन्य में भरती हों; (ग) देश की रक्षा के लिए जनता में प्रेरणा और प्रोत्साहन का प्रादुर्भाव और (घ) राष्ट्रीय संकट के समय भारतीय सैन्य बल के विस्तार में सहायता देना। भारत के समस्त प्रातों में इस कोर का निर्माण किया गया है। इसमें दो डिवीजन हैं। एक सीनियर और दूसरा जूनियर। सीनियर डिवीजन कालेज व विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए और जूनियर डिवीजन हाई स्कूलों के छात्रों के लिए है। सीनियर डिवीजन में १५,०५२ शिक्षणार्थी हैं और जूनियर डिवीजन में २०,३२० हैं। लड़कियों के लिए भी एक अलग डिवीजन खोला जा रहा है।

नेशनल केडेट कोर (एन० सी० सी०) सर्वथा स्वेच्छापूर्वक है। इसम शिक्षण पाने के कारण यह अनिवार्य नहीं है कि वे सशस्त्र सैन्य में सम्मिलित हो जाँय।

प्रादेशिक सैन्य

१ सितम्बर, १९४८ को भारतीय संसद न भारतीय प्रादेशिक सैन्य-विधेयक (Indian Territorial Army Bill) स्वीकार किया। इसका उद्देश्य है:–(क) संकट काल में रक्षा के लिए दूसरी सेना का निर्माण करना है (ख) यह प्रादेशिक सेना संकट के समय देशकी भीतरी रक्षा के लिए कार्य करेगी, जिससे स्थायी सेना इस दायित्व से मुक्त हो जाय और वह बाह्य शत्रु से देश की रक्षा कर सके। (ग) यह सेना शत्रु के नभ-यानों से रक्षा का कार्य विशेष रूप से करेगी और भारतीय तट की भी रक्षा करेगी। (घ) इसमें देश के नवयुवकों को सैनिक शिक्षण का अवसर मिलेगा।

इस सेना में १,३०,००० सैनिक व अफसर होंगे। यह सेना आठ प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित होगी। इस सेना में १८ से ३५ वर्ष के पुरुष भरती हो सकेंगे। प्रतिवर्ष उन्हें अपने ही क्षेत्र में एक से दो साल तक की सैनिक ट्रेनिंग दी जायगी। प्रत्येक मास उन्हें परेड भी कुछ दिन करना पड़ेगा।

इस सेना में भरती के लिए ८ क्षेत्र निम्न प्रकार बनाये गये हैं :—

(१) देहली, पूर्वी-पंजाब, राजस्थान, मत्स्य संघ, मध्यभारत, भोपाल, पटियाला–पूर्वी पंजाब रियासत संघ, हिमाचल प्रदेश व अजमेर।
(२) उत्तर प्रदेश, व विंध्य प्रदेश।
(३) मध्य-प्रदेश।
(४) बंबई राज्य व सौराष्ट्र संघ।
(५) मद्रास, कुर्ग, मैसूर, कोचीन व त्रावणकोर।
(६) बिहार व उड़ीसा
(७) पश्चिमी बंगाल।
(८) आसाम, त्रिपुरा, कुचबिहार व मणिपुर।

नेशनल ऐकेडमी

भविष्य में भारतीय स्थल-सेना, नभसेना, व नौसेना के अफसरों को शिक्षण देने के लिए पूना के निकट खादकावासला में नेशनल ऐकेडेमी की स्थापना करने के लिये भारत-सरकार ने निश्चय किया है। यह एकेडेमी संयुक्त राज्य अमेरिका की वेस्ट पोइंट की मिलिट्री ऐकेडेमी के ढंग की होगी। डा० अमरनाथ झा की अध्यक्षता में एक समिति इस संबंध में जाँच करके रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त की गई थी। इस समिति ने अमेरिका व इंगलैण्ड में मिलिट्री एकडेमी का निरीक्षण किया। एकेडेमी की स्थापना के लिए निश्चय हो गया है। पं० जवाहर लाल नेहरू ने सन् १९४९ में इसके विशाल भवन के लिए शिलान्यास किया था। इसके बनने में कई वर्ष लग जाएगे।

इसमें तीनों सैन्य सेवाओं के लिए अफसरों का शिक्षण होगा। प्रतिवर्ष ५०० केडेट भरती किये जायँगें।

जबतक राष्ट्रीय एकेडेमी तैयार होगी, तबतक के लिए यह प्रबंध किया गया है कि देहरादून की भारतीय सैनिक एकेडेमी के साथ इन्टर-सर्विस-विभाग (Inter Service Wing) खोल दिया गया है। इसमें ४ जनवरी, १९४९ से तीनों प्रकार की सेनाओं के अफसरों का शिक्षण होता है। इस नवीन संस्था का नाम Armed Forces Academy होगा। जब पूना की नेशनल एकेडेमी तैयार हो जायगी तब इसे तोड़ दिया जायगा।

नौसेना का विकास

भारतीय नौसेना के विकास के लिए भारत सरकार ७००० टन का "एच० एम० आई० एस० देहली" क्रूजर इंगलैण्ड से प्राप्त कर लिया है। यह आधुनिक अस्त्रों से सज्जित है। इसमें रडर भी लगा हुआ है। निम्नलिखित तीन विध्वंसक,, "राजपूत," "रणजीत" व "राणा" भी इंलैण्ड से प्राप्त कर लिये हैं।

वीरता के पदक

विगत द्वितीय विश्वयुद्ध (३ सितम्बर, १९३९ से १ अप्रेल १९४७) में वीरता के लिए निम्नलिखित पदक भारतीय सैनिकों को प्रदान किये गये:—

वीरता के पदक	नौसेना	स्थल-सेना	नभसेना
१ वी० सी०		३१	
२ जी ०सी०		९	
३ डी० एस० ओ०	२	२७५	१
४ आई० ओ० एफ०	२	३६५	१
५ डी० एस० सी०	१५		
६ ए० सी०		१,४५७	
७ डी० एफ० सी०			२१
८ ए० एफ० सी०			२
९ डी० सी० एफ०		४	
१० डी० एस० एम०	२८		
११ आई० डी० एस० एम०	१०	१२३१	
१२ एम० एम०		१७२४	
१२ जी० एम०		७	

१५ अगस्त, १९४७ के बाद सैनिकों के वीरता के कार्यों के लिए निम्नलिखित नवीन पदक निश्चित किये गये हैं:—

१. परम वीर चक्र (पी० वी० सी०)—यह वीरता के लिए सबसे बड़ा पदक है। यह वी० सी० के बाद दूसरा माना जायगा। शत्रु की उपस्थिति में परम वीरता के कार्य के लिए यह पदक प्रदान किया जायगा। यह अशोक-चक्र १½ इंच व्यास का होगा और भूरे रंग की इस्पात का होगा। इसका फीता केशरी रंग का १½ इंच लम्बा होगा।

२. महावीर चक्र-(एम०वी०सी०)-महावीर चक्र दूसरा पदक होगा। यह डी० एस० ओ० के वरावर होगा। यह सितारा जैसा होगा जिसमें

पाँच कोण होंगे। इसका व्यास भी $१\frac{१}{२}$ इंच का होगा। इसके मध्य में अशोक के तीन सिंहों की आकृति होगी। इसका फीता $१\frac{१}{२}$ इंच का होगा। इसमें ६ रंग होंगे।

वीरचक्र(वी० सी०)---यह वीरता के लिए तीसरा पदक होगा। यह भी पाँच कोण का सितारा होगा। यह चाँद का सितारा होगा। इसका फीता भी $१\frac{१}{२}$ इंच लम्बा होगा। इसके मध्य में अशोक-चक्र रहेगा।

प्रथम पदक के लिए ५० रु०, दूसरे के लिए ३० रु० और तीसरे के लिए २० रु० मासिक पुरस्कार मिलेंगे।

अध्याय ३३

सार्वजनिक स्वास्थ्य

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबन्ध का विकास

सबसे प्रथम बार सन् १८५६ में स्वास्थ्य आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने न केवल सैनिकों वरन् साधारण नागरिकों के स्वास्थ्य-सुधार के सम्बंध में उपायों की सिफारिश की। इसकी सिफारिश के अनुसार 'सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आयोग' स्थापित किये गये। सन् १८६४ में मद्रास, बंबई व बंगाल में तीन स्वास्थ्य-आयोग स्थापित किये गये। सन १८८८ में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं का ध्यान स्वास्थ्य व सफाई की ओर आकर्षित किया और उसे उसका कर्तव्य व दायित्व बतलाया। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रोगों की चिकित्सा के लिए थोड़ा सा उद्योग किया गया परन्तु रोगों के लिए प्रतिबन्धकारी कोई भी उपाय नहीं किया गया। सन् १८६६ में भारत में भयानक महामारी के कारण अधिक जनों की मृत्यु हो गई। तब सरकार ने सन् १६०४ में एक महामारी आयोग नियुक्त किया। इस आयोग ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के पुनर्सङ्गठन के लिए सिफारिश की। परन्तु इसका भी प्रभाव कुछ नहीं हुआ।

सन १६१६ में भारत शासन विधान के अन्तर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रान्तीय सरकार के अधीन कर दिया गया। इसके लिए भारतीय मंत्री उत्तरदायी बना दिये गये। अबतक प्रान्तीय (राज्य) सरकारें सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी हैं।

राज्यों में स्वास्थ्य-प्रबंध---

प्रत्येक राज्य के लिए मंत्री-मण्डल में एक स्वास्थ्य-मंत्री होता है, जो राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य-विभाग के कार्यों के लिए उत्तरदायी है। स्वास्थ्य-विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य-

संचालक कहलाता है। यह रोगों के निवारण के हेतु प्रतिबंध-कारी उपायों का प्रबंध करता है। चिकित्सा तथा चिकित्सालयों की व्यवस्था का कार्य चिकित्सालयों के प्रधान निरीक्षक का है। इसके अधीन प्रत्येक जिले में एक सिविल-सर्जन होता है।

केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य-प्रबंध

भारत के केन्द्रीय सरकार में भी एक सार्वजनिक स्वास्थ्य-मंत्री होता है। यह समस्त भारत के सामान्य स्वास्थ्य-प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य-विभाग के दो प्रमुख अधिकारी हैं। एक डायरेक्टर-जनरल मेडिकल सर्विस। यह भारत सरकार को चिकित्सा-संबधी मामलों में परामर्श देता है। दूसरा भारत के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कमिश्नर होता है। यह भारत सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामलों में परामर्श देता है। भारत सरकार भारत की कुछेक स्वास्थ्य-संस्थाओं का संचालन भी करती है, जैसे All India Institute of Hygiene and Public Health and the Malaria Institute.

भारतीय चिकित्सा परिषद् (Indian Medical Association)

यह भारत के चिकित्सकों की अखिल भारतीय संस्था है जो सन् १६२८-२६ में स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य चिकित्सा-संबंधी शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा भारत में चिकित्सा व्यवसाय के हितों की रक्षा करना है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रणा-समिति

यह समिति सन् १६३७ से कार्य कर रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्याओं पर राज्यों तथा केन्द्र के प्रतिनिधि इसमें विचार करते हैं।

मेडिकल कौंसिल फार इंडिया

सन् १६३३ में इसकी स्थापना की गई थी। यह विश्वविद्यालय की चिकित्सा-संबंधी योग्यताओं का एक सामान्य मानदण्ड स्थिर करती है।

भारतीय अनुसंधान निधि-परिषद्

(Indian Research fund Association)

यह परिषद् सन् १९११ में स्थापित की गई थी। भारत-सरकार इसे सहायता देती है। यह चिकित्सा आदि के संबंध में अनुसंधान करती है। इसके प्रबंध के लिए एक प्रबंध-समिति है जिसके सदस्यों की नियुक्ति भारत-सरकार द्वारा की जाती है। यह मलेरिया, हैजा, कोढ़, औद्योगिक स्वास्थ्य, पुष्ट भोजन, प्रसूता तथा शिशुमंगल संबंधी विषयों के संबंध में अनुसंधान करती है। इसकी ओर से अनुसंधान के लिए १५ छात्रवृत्तियाँ २ वर्ष के लिए २५०) मासिक की दर से दी जाती हैं।

प्रान्तीय मेडिकल कौंसिलः—

प्रत्येक राज्य या प्रदेश में प्रान्तीय या राज्य मेडिकल कौंसिलें कार्य कर रही हैं। ये चिकित्सकों का रजिस्टर रखती हैं और चिकित्सा-संबंधी शिक्षा, परीक्षा आदि का निरीक्षण करती हैं। चिकित्सकों के अनुशासन भंग करने पर उचित कार्यवाही करती है।

कुछ संस्थाएँ:—

सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध में कुछ स्वतंत्र संस्थाएँ भी कार्य कर रही हैं—जैसे:—

(१) इंडियन रेड क्रास सोसाइटी
(२) सेंट जान्स ऐम्बुलेंस असोसियेसन
(३) ब्रिटिश एम्पायर लेप्रोसी (कोढ़) सहायता परिषद्
(४) मिशन आफ लेपर्स
(५) अंधेपन के निवारण के लिए एसोसियेसन, बंगाल
(६) क्षयरोग-परिषद् (भारत)

क्षयरोग-विरोधी प्रचारः—

सन् १९३७ में भारत में क्षयरोग-विरोधी-प्रचार किया गया और इसके लिए ७६ लाख रुपये का चंदा किया गया। इसी समय (Tuberculosis Association of India) नामक संस्था स्थापित

की गई। समस्त भारत में क्षयरोगियों के लिए अनेक आरोग्य-शालाएँ स्थापित की गई हैं।

भारत में चिकित्सक व परिचारिकाएँ :—

भारत में ५०,००० चिकित्सक (डाक्टर) हैं। ८००० की जनता के लिए १ डाक्टर है। इंगलैण्ड में १००० जनता के लिए १ डाक्टर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ८०० व्यक्तियों के लिए १ डाक्टर है।

भारत में ७००० ट्रेंड परिचारिकाएँ हैं। ५६,००० जनता के लिए १ परिचारिका है। इंगलैंड में ३०० की जनता के लिए १ परिचारिका (नर्स) है। भारत में केवल ५००० ट्रेंड धायियाँ हैं। ८०,००० की जनता के लिए १ धाय है।

भारत में चिकित्सालय:—

ऐसा अनुमान है कि भारत में चिकित्सालयों में ७३,००० से ७४,००० रोगियों तक के लिए पलंगों की व्यवस्था है। १००० की जनता के लिए पलंगों का अनुपात ०·२४ का है।

दसवर्षीय स्वास्थ्य योजना:—

अक्टूबर, १९४३ में भारत-सरकार ने सर जोसफ मोर की अध्यक्षता में भारत के स्वास्थ्य के सुधार के लिए एक दस-वर्षीय योजना तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की। २५ दिसम्बर, १९४५ को इस समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस समिति की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:—

१. प्रत्येक ग्राम में एक चिकित्सालय होगा जिसमें ५ पलंग हों। २०,००० की आबादी के ग्रामों के समुदाय के लिए एक पुरुष और एक स्त्री डाक्टर हों। इसमें ३४ व्यक्तियों का स्टाफ रखा जाय। प्रत्येक ऐसे ग्राम-समुदाय के लिए एक चिकित्सालय हो, जिसमें ३० रोगियों के लिए पलंग हो। इसमें २ डाक्टर, २ नर्स और चार धात्रियाँ रहेंगी। प्रत्येक ग्राम में स्वास्थ्य-समितियाँ होंगी।

२. ५०,००० से ६०,००० की जनता के लिए विशेषज्ञ होंगे और चिकित्सालय होगा जिसमें प्रयोगशाला का भी प्रबंध किया जायगा। यह उपर्युक्त चिकित्सालयों का निरीक्षण भी करेंगे।

३. प्रत्येक जिले के केन्द्र में एक जिला चिकित्सालय भी होगा। इसमें २०० पलंग रहेंगे। इसमें ऊँचे दर्जे की व्यवस्था होगी और ऐसा प्रबंध होगा कि रोगी जिले से बाहर न भेजे जायँ। उनकी पूरी चिकित्सा का प्रबंध जिला चिकित्सालय में ही हो।

प्रथम पाँच वर्ष में इस पर १६३ करोड़ रुपये तथा द्वितीय पाँच वर्ष में २०० करोड़ रुपये व्यय होंगे। इनके संचालन के लिए प्रथम पाँच वर्ष में ४० करोड़ वार्षिक सहायता तथा दूसरे पाँच वर्ष में ८१ करोड़ वार्षिक की सहायता की आवश्यकता होगी।

तापमान की इकाइयाँ (केलोरी)

भोजन की आवश्यकताओं की माप तापमान की इकाइयों से की जाती है। राष्ट्रसंघ के एक विशेषज्ञ के अनुसार एक व्यक्ति के लिए २,४०० केलोरीज भोजन की एक दिन में आवश्यकता होती है।

(क) हलका कार्य करने वालों के लिए ७५ केलोरीज प्रतिघंटे के हिसाब से भोजन मिलना चाहिए।

(ख) साधारण कार्य करने वालों के लिए ७५-१५० केलोरीज प्रतिघंटे।

(ग) कठिन श्रम करने वालों के लिए १५० से ३०० केलोरीज प्रतिघंटे तक।

(घ) अत्यन्त कठिन परिश्रम करनेवालों के लिए ३०० या इस से अधिक केलोरीज प्रतिघंटा।

औसत केलोरी : भारतीय मान

वयस्क पुरूष	(१४ वर्ष से अधिक)	२,६०० केलोरीज
वयस्क स्त्री	(१४ वर्ष से अधिक)	२,१०० ,,
बालक	(१२-१३ वर्ष)	२,१०० ,,
बालक	(१०-११ वर्ष)	१,८०० ,,
बालक	(८-९ वर्ष)	१,६०० ,,
शिशु	(६-७ वर्ष)	१,३०० ,,
शिशु	(५-५ वर्ष)	१,००० ,,

आदर्श भोजन

१ गेहूँ का आटा	६ छटाँक
२ दाल	१½ छटाँक
३ दूध	८ छटाँक
४ घृत	१ छटाँक
५ चीनी	१ छटाँक
६ चावल	२ छटाँक
७ शाक हरेपत्त का	३ छटाँक
८ फल (हरे)	३ छटाँक
९ जल	इच्छानुसार

जो मांस-मछली खाना चाहें, वे दालके स्थान पर इन्हें ले सकते हैं ।

नाड़ी की गति

आयु	एक मिनट में		
नवजात शिशु की नाड़ी	१०३से १४० बार गति करती है।		
प्रथम वर्ष	११५ से १३० बार		,,
द्वितीय वर्ष	९५ से १००.	,,	,,
तृतीय वर्ष	८५ से ९५	,,	,,
सातवें से १४वें वर्ष	८०से ९०	,,	,,
वयस्क	७० से ७५	,,	,,
वृद्धावस्था में	६० से ७५	,,	,,

मानव शरीर के अवयवों का वजन

अंग	ग्राम	औंस	शरीर के वजन का प्रतिशत
मस्तिष्क	१,४००	४९	२·३७
हृदय	३००	१०	०·४६
फुफ्फुस	१,१७५	४१	२·०
तल्ली	१७०	६	०·३४६
यकृत	१,६००	५७	२·७५

अंग	ग्राम	औंस	प्रतिशत
गुर्दे	३००	१०·५	०·४४
पट्ठे	३०,०००	१,०५०	४३·०६
ढाँचा	११,०००	४००	१५·३५

चिकित्सा-संबंधी संस्थाएँ

१. इंडियन रिसर्च फंड ऐसोसियेसन—यह चिकित्सा-संबंधी अनुसंधान की सबसे प्रधान संस्था है (सन् १९११)।

२. सेंट्रल रिसर्च इन्स्टीच्युट, कसौली (सन् १९०६)—यह संस्था मोतीझरा, हैजा तथा विषों के लिए इन्जेकसन तैयार करती है। पागल कुत्ते के काटने के लिए भी औषधि तैयार करती है।

३. आल इंडिया इन्स्टीच्युट आफ हाईजीन एन्ड पब्लिक हेल्थ, कलकत्ता (१९३२)—भारत सरकार इसे प्रति वर्ष ३००,००० देती है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधिकारियों को शिक्षा देती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में अनुसंधान करती है।

४. आल इंडिया मेडिकल इन्स्टीच्युट, देहली—यह भी अनुसंधान करती है।

५. टुवरक्लोसिस इन्स्टीच्युट, देहली।

६. सेन्ट्रल ड्रग लेबोरेटोरी, कलकत्ता—यह संस्था ड्रग कानून के अन्तर्गत औषधियों की रजिस्ट्री करती है। यह संस्था औषधियों के नमूनों की जाँच भी करती है।

७. स्कूल ऑफ ट्रोपिकल मेडिसीन, कलकत्ता (१९२२)

८. हाफकिन इन्स्टीच्युट, बम्बई (१९००)—यह सस्था समस्त भारत के लिए प्लेग के इन्जेकशन तैयार करती है। सर्प-दंशन के लिए भी इन्जेकशन तैयार करती है।

९. किंग इन्स्टीच्युट आफ प्रिवेन्टिव मेडिशन गुंडी, मद्रास—(१९०३-१९०४)—यहाँ भी इन्जेकशन तैयार किये जाते हैं।

१०. पेस्टुअर इन्स्टीच्युट आफ इंडिया, कसौली—
यहाँ पागल कुत्तों से काटे की चिकित्सा का मुख्य केन्द्र है।

११. पस्टुअर इन्स्टीच्युट ऑफ साउथर्न इंडिया, कूनूर (१९०७)।
१२. किंग एडवर्ड सप्तम मेमोरियल पेस्टुअर इन्स्टीच्युट एन्ड मेडिकल रिसर्च इन्स्टीच्युट, शिलांग।
१३. पेस्टुअर इन्स्टीच्युट, कलकत्ता।
१४. पेस्टुअर इन्स्टीच्युट, बम्बई।
१५. आल इंडिया मलेरिया इन्स्टीच्युट आफ इंडिया (१९३९) देहली--मलेरिया के संबंध में अनुसधान का मुख्य केन्द्र।
१६ पशु-चिकित्सा अनुसधान संस्था, मुक्तेश्वर (१८९३)--यह पशु-चिकित्सा के संबंध में अनुसंधान करती है। इन्जेकशन भी तैयार करती है। इज्जतनगर (बरेली) में इसकी एक शाखा भी है।
१७. नुट्रीशन रिसर्च लेबोरेटेरी, कूनूर--यह संस्था भोजन के संबन्ध में अनुसंधान करती है।

मेडिकल कालेज

१. मेडिकल कालेज, कलकत्ता।
२. आर०जी०आर मेडिकल कालेज, कलकत्ता।
३. केम्पवेल मेडिकल कालेज, कलकत्ता।
४. नेशनल मेडिकल इन्स्टीच्यूट, कलकत्ता।
५. लेक मडिकल कालेज, कलकत्ता।
६. मद्रास मेडिकल कालेज।
७. स्टेनले मेडिकल कालेज, मद्रास।
८. वेलोर मेडिकल कालेज, मद्रास।
९. आगरा मेडिकल कालेज, आगरा, उत्तर-प्रदश।
१०. महात्मा गाँधी मेडिकल कालेज, लखनऊ।
११. आसाम मेडिकल कालेज, गौहाटी।
१२. लेडी हार्डिग मेडिकल कालेज, दिल्ली।

नर्सिंग कालेज

१ कालेज आफ नर्सिग नई दिल्ली--यह अपने ढ़ंग की एक ही संस्था है।

१३. सेठ जी एम० मेडिकल कालेज, बम्बई ।
१४. ग्रांट मेडिकल कालेज, बम्बई ।
१५. पटना मेडिकल कालेज ,पटना ।
१६. सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज, जयपुर ।
१७. गेलसी मेडिकल कालेज, अमृतसर ।
१८. महात्मागाँधी मेमोरियल मेडिकल कालेज, इन्दौर ।
१९. सैनिक मेडिकल कालेज , दिल्ली ।
२०. आन्ध्र मेडिकल कालेज, विजगापट्टम ।
२१. मेडिकल कालेज, गुंटूर, मद्रास ।
२२. मेडिकल कालेज, मदुरा, मद्रास ।

अध्याय ३४

भारत में रेल-पथ

भारतीय रेल का विकास :

भारत में सन् १८४५ में तीन रेलवे लाइनें तैयार की गई :-(१) कलकत्ता से रानीगंज (१२० मील)—ईस्ट इंडियन रेलवे । (२) बंबई से कलकत्ता (३२ मील) जी० आई० पी० रेलवे । (३) मद्रास से आरकोनाय (३९ मील) मद्रास रेलवे । अप्रेल, १८५३ में बंबई-कल्याण रेलवे द्वारा लोग आने जाने लगे । आरम्भ में भारत-मंत्री अथवा ईस्टइंडिया कंपनी रेलवे कंपनी को बिना किसी भाड़े के भूमि देती थी और जो पूँजी रेल में लगाई जाती थी, उस पर सरकार ४०/० व्याज भी देती थी । रेलों पर कंपनियों को ९९ वर्ष के लिए अधिकार दिया गया । इसके बाद २५ या ५० वर्ष में इन्हें खरीद लेने की व्यवस्था भी की गई । इस प्रकार भारत में व्यक्तिगत कंपनियाँ रेलों का प्रबंध करती थीं । सरकार उन्हें ऋण देती थी और व्याज भी । इस प्रकार ये कंपनियाँ धन नष्ट करती थीं । अत: सरकार ने स्वयं राज की ओर से रेल चलाने का उपाय सोचा । परन्तु पूँजी की कमी थी । अत: सन् १८७९ में सरकार ने व्याज की दर में कमी कर दी और रेलों पर अधिक कड़ा निरीक्षण कर लिया । अब सरकार ने रेलों को खरीदना आरम्भ कर दिया । सबसे पहले ईस्ट इडिया रेलवे खरीदी गई । उसका प्रबंध एक कम्पनी को सौंप दिया गया । सन् १८९० में एस० आई० रेलवे खरीदी गई । १९०० में जी० आई० पी० रेलवे खरीदी गई । इन कंपनियों के संबंध में भी भारतीय लोकमत ने आपत्ति उठाई । सन् १९२३ में भारतीय व्यास्थापक-मण्डल ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि रेलवे का प्रबंध सरकार के हाथ में हो ।

इस समय भारत सरकार ९५ प्रतिशत रेलों पर अपना अधिकार रखती है । कंपनियों को निश्चित रकम (Animities) के रूप में दे दी जाती है ।

रेलवे-बोर्ड :

रेलों के प्रबंध व नियंत्रण के लिए सरकार ने रेलवे बोर्ड नियुक्त कर दिया है । इसका प्रमुख अधिकारी रेलवे चीफ कमिश्नर कहलाता है । वह रेलवे नीति के लिए भारत सरकार के लिए उत्तरदायी है । रेल तथा यातायत मंत्री रेलवे के प्रबंध के लिए उत्तरदायी है ।

यह चीफ कमिश्नर ही अपने पद के कारण रेलवे विभाग का सचिव भी होता है । रेलवे बोर्ड में एक राजस्व कमिश्नर भी होता है । यह राजस्व सचिवालय का प्रतिनिधि होता है । इस कमिश्नर को रेलवे के लिए व्यय मंजूर करने का पूरा अधिकार है । इस पर राजस्व-मंत्री का साधारण नियंत्रण होता है । बोर्ड में टेकनिकल स्टाफ भी रहता है ।

भारत की मुख्य रेलें (१९४५–१९४७)

१. असाम रेलवे—यह चटगाँव (पाकिस्तान) से सूरमा घाटी में होकर आसाम जाती है । १ जनवरी १९४८, से इस पर राज्य का अधिकार हो गया ।

लम्बाई	३,५५४·८१ मील
पूँजी	८७,३४,३५,००० रुपये
रेल की आमदनी	४,७३,११,००० रुपये
आमदनी	५·४२ प्रतिशत

२. बंगाल-नागपुर रेलवे–राज्य का इस पर १ अक्टूबर, १९४९ से अधिकार हो गया ।

लम्बाई	३,३८८·१४ मील
पूँजीं	८१,९१,२६,००० रुपये
आमदनी	१,६९,६७,००० रुपये
आमदनी प्रतिशत	२·०७ प्रतिशत

३ बंबई-बड़ौदा सेन्ट्रल इंडिया रेलवे:—

१ जनवरी, १९४८ से राज्य ने इसका प्रबंध अपने हाथ में ले लिया।

लम्बाई ३,४०४·२३ मील

पूँजी ७७,४५,६५,००० रुपये

आमदनी ७,१०,०४,००० रुपये

प्रतिशत ९·१७

४ ईस्ट इंडिया रेलवे—

जनवरी, १९२५ से राज्य का इस पर अधिकार है।

लम्बाई ४०६३·५५ मील

पूँजी १,५६,८८ ००० रुपये

आमदनी १२,४७,३४,०००

प्रतिशत ७·९५

५ ग्रेट पेनिनसुला रेलवे:—

सन् १९२५ से इस पर राज्य का अधिकार है।

लम्बाई ३,५३१·२६ मील

पूँजी १,१८,५०,९९,५०० रुपये

आमदनी ११,३४,३८,००० रुपये

अमादनी प्रतिशत ९·५

६ मद्रास साउथ मराठा रेलवे

यह १ अप्रेल, १९४४ से राज्य के अधिकार में है।

लम्बाई २,९४०·३१ मील

पूँजी ५६,१७,३१,००० रुपये

आमदनी ८,८२,२६,००० रु पं

आमदनी प्रतिशत १५·७१

७ उत्तरी-पश्चिमी रेलवे

लम्बाई ६,८८१·२७ मील

पूँजी १,५३,०४,७०,००० रुपये

आमदनी ९,०२,३२,००० रुपये

प्रतिशत आमदनी—— ५·९०

८ अवध तिरहुत रेलवे——

लम्बाई २,६७९·६७ मील

पूँजी ३०,५४,७५,००० रुपये

आमदनी ५,०७,१३,००० रुपये

आमदनी प्रतिशत—— १६·६

९ दक्षीणी भारत रेलवे——

१ अप्रेल, १९४४ से इस पर राज्य का अधिकार हो गया।

लम्बाई २,३४९·२५ मील

पूँजी ४६,९२,९४,००० रुपये

आमदनी ५,७८,७१,००० रुपये

आमदनी प्रतिशत——— १२

निम्न रेलों पर १ अप्रिल १९५० से भारतसरकार का अधिकार हो गया:—

१० बीकानेर रेलवे ८८३ मील

११ जोधपुर रेलवे १,१२५·६९ मील

१२ मैसूर ७३८.२७ मील

१३ हैदराबाद १,३५९·९८ मील

रलवे के सम्बन्ध में कुछ ज्ञातव्य तथ्य

भारत में रेलवे प्रणाली संसार की रेलवे प्रणाली में चौथा स्थान रखती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और कनाडा में रेलवे प्रणाली सबसे बड़ी है।

× × ×

भारत में रेल-निर्माण का संकल्प १८४४ में किया गया।

× × ×

भारत में ७२,००० रेलवे स्टेशन हैं।

× × ×

तीसरे दर्जे के यात्रियों से रेलवे को ९० प्रतिशत की आय होती है।

× × ×

भारत में सबसे प्रथम विद्युत-चालित रेल बंबई से कुरला तक सन् १९२५ में बनी।

× × ×

रेलवे उद्योग राज्य के अधिकार में है।

× × ×

पाकिस्तान के बन जाने के बाद भारत में ३३,८६५ मील लम्बी रेलवे हैं।

× × ×

रेलों के लिए प्रतिवर्ष १ करोड़ टन लोहे की आवश्यकता है

× × ×

भारत में रेलोंसे २०० करोड़ रुपये की आय होती है। इसमें से १५० करोड़ रुपये वेतनों व भत्तों में व्यय हो जाते हैं।

अध्याय ३५

भारत में राजपथ

भारत म यातायात के लिए केवल रेलपथ ही पर्याप्त नहीं है। क्योंकि देश का बड़ा विस्तार है और भारत में लाखों ग्राम हैं। नगरों में अच्छी सड़कें हैं, किन्तु नगरों को ग्रामों से मिलाने वाली सड़कें अच्छी नहीं हैं। ग्रामों में यातायात के सुगम साधन न होने से व्यापार तथा खाद्यान्न के वितरण में बड़ी बाधा पड़ती है। कृषि के विकसित न होने तथा देश की गरीबी के अन्य कारणों के साथ राजपथों की कमी भी एक बड़ा कारण है।

भारत में चार प्रकार के पथ हैं:-(१) राष्ट्रीय पथ (National Highways); (२) राज-पथ (Provincial Roads); (३) नगर-पथ और (४) ग्राम-पथ।

राष्ट्रीय पथ

सन् १९४३ के दिसम्बर में चीफ इन्जीनियरों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें भारत के राष्ट्रीय-पथों की एक योजना तैयार की गई। राष्ट्रीय पथ की निम्नलिखित परिभाषा भारत सरकार तथा राज्यों की सरकार ने स्वीकार की—

राष्ट्रीय पथ वे मुख्य पथ हैं जो समस्त भारत में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते हैं; वे बड़े पत्तनों, विदेशी राजपथों, औद्योगिक केन्द्रों, बड़े नगरों तथा राज्यों की राजधानियों को मिलाते हैं; इनमें वे पथ भी सम्मिलित हैं जो भारत की रक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।

अप्रेल, १९४७ से भारत सरकार ने राष्ट्रीय-पथों के निर्माण तथा उनके रक्षण का दायित्व ग्रहण कर लिया है। प्रान्तों में ११,२०० मील,

रियासतों में २,६५० मील लम्बे पथ राष्ट्रीय-पथों में सम्मिलित हैं।

इस संबंध में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं—

(१) किसी पथ को 'राष्ट्रीय पथ' में सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार का निर्णय मान्य होगा।

(२) राष्ट्रीय-पथ पर जो व्यय होगा, उसे केन्द्रीय सरकार स्वीकार करेगी।

(३) राष्ट्रीय-पथ-निर्माण कार्य में साधारणतया प्रान्तीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य संपादित किया जायगा। परन्तु केन्द्रीय सरकार अपने विभाग से भी कार्य करा सकेगी।

(४) राष्ट्रीय-पथों में स्वामित्व के अधिकार तथा कानूनी देयता राज्यों की सरकारों को प्राप्त होगी। उनकी व्यवस्था तथा प्रबंध भी वे ही करेंगी।

(५) जो मोटरगाड़ियाँ टैक्स देती हैं, उन पर अन्य कोई चुंगी नहीं लगाई जायगी। केन्द्रीय सरकार की अव्यापारिक मोटर-गाड़ियों पर कोई कर नहीं लगाया जायगा।

(६) प्रान्तीय-(राज्य) सरकारें, जिलों व ग्रामों में पथ बनाने के लिए विशेष प्रयत्न करेंगी।

(७) पथ-यातायात का नियंत्रण निश्चित व्यवहार-नियमों के अनुसार किया जायगा।

भारत के विभाजन के बाद राष्ट्रीय पथ की लम्बाई १४,००० मील रह गई है।

भारत में मुख्य राष्ट्रीयपथ निम्न प्रकार हैं:—

(१) ग्रांडट्रंक रोड—यह पथ खैबर के पास जमरूद से लेकर कलकत्ता तक जाता है। यह पटना, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा, दिल्ली, अमृतसर, लाहौर होता हुआ पेशावर जाता है।

(२) देहली-बंबई-सड़क—यह सड़क देहली से बंबई तक जाती है।

(३) बंबई-मद्रास-सड़क—यह बंबई से मद्रास जाती है।

(४) कलकत्ता से मद्रास।

यह चारों राष्ट्रीय-पथ ५००० मील लम्बे हैं।

राजपथ

प्रत्येक राज्य के निर्माण-विभाग (Pubiick Work Dipatt.) द्वारा राज्य के उन राजपथों का निर्माण, रक्षण व प्रबंध किया जाता है, जो नगरपालिका तथा मण्डल-सभा की सीमाओं से बाहर होते हैं। मण्डल या जिला बोर्ड अपनी सीमा की सड़कों का प्रबंध करता है और नगर-पालिका नगरों की सड़कों का प्रबंध करती है। ग्रामों में प्राय: कच्ची सड़कें हैं, जिनमें वर्षा में कीचड़ तथा गर्मी में धूल पट जाती है। ग्रामों में बैलगाड़ियों या ऊंटों द्वारा यातायात होता है। कच्चे रास्तों में इनका प्रयोग किया जाता है।

नगर पथ व ग्राम-पथ

नगरों में पथों का निर्माण व रक्षण नगरपालिकाएँ करती हैं। वे इन पथों का प्रयोग करनेवाली मोटरगाड़ियों सायकिलों, रिकसों, ठेलों, इक्कों, तागों आदि पर कर लगाती हैं।

ग्रामों में सड़कों की व्यवस्था जिलाबोर्ड करते हैं। इन सड़कों की दशा बहुत ही दयनीय है।

राज्यों में राजपथ का राष्ट्रीयकरण

बंबई, उत्तरप्रदेश, मध्य-प्रदेश की सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में मोटर-बस-सार्विस का राष्ट्रीयकरण कर दिया है।

जलपथ

भारत में जलपथ भी व्यापार तथा यातायात का एक मुख्य साधन प्राचीन काल से रहा है। भारत में जलपथ की लम्बाई २६,००० मील है। यहाँ गंगा तथा ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसी नदियाँ हैं जिनमें जलनौकाओं द्वारा माल ले जाया जा सकता है। भारत में केवल ४३०० मील लम्बी नहरें ही इसके उपयुक्त हैं।

भारत सरकार जहाज रानी की अभिवृद्धि के लिए भी प्रयत्नशील है। विजगापट्टम में एक जलयान बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। इसमें ८००० टन का जलउषा नामक एक जलयान ८ मार्च, १९४८ को बन कर तैयार हो गया।

भारत-पाकिस्तान में सन् १९४७ मार्च में मोटरें

प्रान्त	मोटर साइकिल	प्राइवेट मोटर कार	सार्वजनिक सेवा के लिए मोटरें: मोटर केब डिजेल	मोटर केब अन्य	अन्य P.V.S. डिजेल	अन्य P.V.S. अन्य	माल ढोन के ट्रक डिजेल	माल ढोन के ट्रक अन्य	विविध डिजेल	विविध अन्य	कुलगाड़ियाँ डिजेल	कुलगाड़ियाँ अन्य	मोटर गाड़ियाँ कुल
मद्रास	१,७३६	१०,९५७	—	३९७	२५	४,३१४	२२	३,९६२	—	९७	४७	२१,५१३	२१.५६०
बंबई	२,१५७	१६,४३६	—	१,६०९	१९९	२,९१३	६३	८,६८९	—	—	२६२	३१,२०४	३१,४६६
बंगाल	१,५४२	१७,२५५	—	४,५७०	१	४,६३५	५	१२,४५४	—	६९	६	४ ,५२५	४०,५३१
यू० पी०	१,२७१	९,८६३	—	६६६	३	३,०००	—	३,५३३	४	६६७	७	१९,०००	१९,००७
मध्यप्रदेश	७८०	२,९०१	—	९४	—	९११	—	१,५१९	—	३२	—	६,२३७	६,२३७
पंजाब	२,६२८	६,२६०	—	२७४	—	३,१६७	—	१,९८३	—	—	—	१४,३१२	१४,३१२
बिहार	८७०	५,१११	—	४५८	—	६७२	—	२,३३२	—	६	—	९,४४९	९,४४९
आसाम	४९२	३,२७६	१	१४१	—	१,२९४	—	२,९२२	—	३५५	१	८,४८०	८,४८१
सीमाप्रान्त	१९७	१,१०२	—	१२१	—	५०४	—	५४३	—	४	—	२,४७१	२,४७१
उड़ीसा	१३०	८०३	—	२०	—	३२७	१	४५५	—	—	१	१,७३५	१,७३६
सिंध	४२१	२,३११	—	१६२	—	३२७	—	८११	—	—	—	४,०३२	४,०३२
देहली	१२१६	३,८[illegible]३	—	२१६	९	४६१	—	६३४	—	—	९	६,३५०	६,३५९
अजमेर	३५	४९३	—	१४	—	८०	—	६४	—	—	—	६८६	६८६
कुर्ग	४	८९	—	१४	—	५१	—	२५०	—	—	—	४०८	४०८
बिलोचिस्तान	१४४	६३८	—	४७	—	१५७	—	४६५	—	१८२	—	१६३३	१६३३
	१३,६७३	८१,३१८	१	८,८७३	२३७	२२,८१३	९१	४०,०१६	४	१४१२	३३३	१६८०३५	—

अध्याय ३६

नभ यातायात

भारत में नभ यातामात का आरम्भ

भारत में वायुयानों का उड़ना सन् १९११ में आरम्भ हुआ जब कि बिटल ऐरोप्लेन कंपनी ने भारत में कुछ वायुयान परीक्षण के लिए भेजे। फरवरी, १९११ में एक फ्रेंच चालक एम-पिक्वेट ने भारत में वायुयानों का प्रदर्शन किया। यह चालक भारत में सबसे प्रथम सरकारी डाक लेकर उड़ा था। भारत में वायुयान द्वारा जो यात्री सबसे पहले ले जाया गया वह सर सेफटन ब्रेकर था। सन् १९१८ में विश्वयुद्ध की समाप्ति पर भारत में नभ यातायात का विकास हुआ। सबसे प्रथम वार मिस्र से भारत में नवम्बर, १९१८ में कप्तान रौस स्मिथ वायुयान द्वारा आया। जनवरी, १९१९ में इगलैण्ड से भारत में लेफ्टेनेट हार्टले वायुयान द्वारा आया। भारत में सबसे प्रथम बार जनवरी, १९२० में नियमित रूपसे वायुयान द्वारा डाक आई। यह ६ महीने तक ही जारी रही। सन् १९२५ में इम्पीरियल एअरवेज लि० ने इंगलैण्ड तथा भारत के बीच हवाई डाक के ले जाने लाने का ठेका लिया।

सन् १९२७ में भारत सरकार ने प्रथम बार नागरिक नभ यातायात विभाग (Ciril Aviation Deptt.) खोला। उड्डयन क्लव स्थापित की। कुछ युवकों को इंगलैण्ड में इसकी ट्रेनिंग के लिई भेजा गया।

सन् १९२९ में भारत-इंगलैण्ड के बीच वायुयान द्वारा यातायात आरम्भ हुआ। इंगलैण्ड से भारत आने में एक सप्ताह का समय लगा जाता था। यह वायुयान कराची तक आता।

था। कराची से दिल्ली तक आने के लिए देश के भीतर वायुयान चलने लगे। सन् १९३० में भारत में ६ उड्डयन क्लबें (Flying club) स्थापित हो गईं। उन्हें सरकार से सहायता मिलती थी।

सन् १९३२ में टाटा एन्ड सन्स कम्पनी ने कराची से कोलम्बो (लंका) तक नभ यातायात का प्रबन्ध किया। कराची से लाहौर तक इंडियन नेशनल एअरवेज ने प्रबंध किया।

सन् १९३३ में कान्टीनेन्टल एअर लिमिटेड ने लन्दन से आस्ट्रेलिया तक नभ यातायात का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया।

द्वितीय युद्ध-काल में भारत में नभ-यातायात में विशेष वृद्धि हुई। बंगलोर में हिन्दुस्तान एअर क्राफ्ट कम्पनी ने वायुयान निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया। देश भर में बहुत-से एअरोड्रम (हवाई-स्टेशन) स्थापित किये गये।

भरत में नागरिक नभ यातायात का संघटन

भारत-सरकार ने नभ-यातायात के प्रबन्ध तथा नियंत्रण के लिए प्रथम विश्वयुद्ध के बाद प्रयत्न किया। पहले उद्योग तथा श्रम विभाग की एक शाखा 'भारतीय नभ-बोर्ड' के द्वारा भारतीय वायुयान-सेना की सहायत से इसका प्रबन्ध करता था।

सन् १९२७ में भारत सरकार के अधीन नागरिक नभ यातायात विभाग खोला गया। इसका एक संचालक नियुक्त किया गया और एक छोटा-सा स्टाफ था। किन्तु द्वितीय युद्ध-काल के अन्तिम वर्षों में और युद्ध की समाप्ति के बाद इस विभाग में पर्याप्त विस्तार हो गया। इस विभाग का पुनर्संगठन किया गया। इस विभाग का प्रमुख प्रधान-संचालक, नागरिक नभ यातायात बनाया गया और उसकी सहायता के लिए दो उप-प्रधान-संचालक नियुक्त किये गये। इस विगभा

के अधीन सात उपविभाग खोले गये, जिन्हें विविध कार्य सौंप दिये गये।

नागरिक नभ यातायात विभाग (Civil Aviation Deptt.) संचार सचिवालय (Communication Ministry) के आधीन है। इसी सचिवालय के अधीन डाक व तार विभाग है। हवाई डाक की भी यह व्यवस्था करता है।

नागरिक नभ यातायात भारत में समस्त नभ यातायात की प्रवृतियों का नियंत्रण करता है, किन्तु वायुयानों के लिए नभ यातायात के निमित्त अनुज्ञा-पथ का कार्य एक स्वतंत्र संस्था द्वारा होता है।

नागरिक नभ यातायात विभाग के अधीन सात उपविभाग निम्न प्रकार हैं :—

(१) प्रबंध-संचालक, (२) नभ यातायात संचालक, (३) ट्रेनिंग व लायसेन्स संचालक, (४) नभ-यातायात निरीक्षण संचालक, (५) नभ-पथ तथा हवाई स्टेशनों के संचालक, (६) संचार विभाग के संचालक, (७) सूचना व नियम विभाग के संचालक।

नभ यातायात अनुज्ञा-विभाग (बोर्ड) नामक एक स्वतंत्र संस्था है जो वायुयान-यातायात संबंधी कंपनियों को अनुज्ञा-पत्र (लायसेंस) देती है तथा अनुज्ञा-पत्रों को रद्द कर देती है। जुलाई, १९४६ में इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। यह निश्चय किया गया कि १ अक्टूबर, १९४६ के बाद भारत में कोई भी नभ यातायात कंपनी अनुज्ञा-पत्र प्राप्त किये बिना काम नहीं कर सकती। सन् १९४८ में भारत में १० नभ यातायात कम्पनियों ने अनुज्ञा प्राप्त कर ली और वे देश के भीतर नभ यातायात करने लगी।

अन्तर्राष्ट्रीय नभ यातायात के संबंध में अमेरिका, फ्रांस, इंगलैण्ड, स्वीडन, चीन आदि देशों की कंपनियों ने समझौता कर लिये हैं और वे नभ यातायात का कार्य कर रही हैं।

नभ यातायात सम्बन्धी आँकड़े

सं०	शेष	१ जुलाई, १९४६ से १ जुलाई, १९४७ तक	३० जून, १९४७ से ३० जून, १९४८ तक
१.	कितने घंटे वायुयान उड़े	४८,६२९	६६,५५४
२.	कितने मील वायुयान उड़े	७,५०९,६६०	१०,५९४,२४२
३.	वजन का परिमाण	१४,५३६,९४५	२१,४७५,०८८
४.	यात्रियों की संख्या	१८८,७७६	३१४,५४६
५.	कितना वजन ढोया	२,३१०,१६४ पौंड	६,२६,१२७
६.	कितनी डाक ले जायी गई	१,३५६,७४१ ,,	१,३२०,३९८
७	कितने समाचार-पत्र ले जाये गये	२२७,६८० ,,	२,८०४,२३०

भारतीय नभ यातायात कम्पनियाँ

१. एअर इंडिया लिमिटेड, बंबई

कराची—अहमदाबाद—बंबई
हैदराबाद—मद्रास—कोलम्बो
बम्बई—देहली
बम्बई—मद्रास—कोलम्बो
मद्रास—बम्बई
बम्बई—अहमदाबाद—जयपुर—दिल्ली
बम्बई—कलकत्ता
मद्रास—बंगलोर—कोचीन—त्रिवेन्द्रम

२. इंडियन नेशनल एअरवेज लि०, नई दिल्ली

दिल्ली—कलकत्ता
दिल्ली—जोधपुर—कराची
कलकत्ता—रंगून
दिल्ली—लाहौर
दिल्ली—अमृतसर

३. *एअर सर्विस आफ इंडिया लिमिटेड, बंबई*

बम्बई -कशोदे -पोरबन्दर

जामनगर -भुज -कराची

बम्बई -भोपाल -कानपुर -लखनऊ

जामनगर -वधवान -अहमदाबाद

बम्बई -भावनगर

बम्बई -ग्वालियर-दिल्ली

४. *डेकान एअरवेज लि०, बेगमपेठ (हैदराबाद)*

दिल्ली -भोपाल -नागपुर -हैदराबाद- मद्रास

हैदराबाद- बंगलोर

हैदराबाद- बम्बई

५. *मिस्त्री एअरवेज लि० बंबई*

बम्बई -नागपुर -कलकत्ता

६. *अम्बिका एअर लाइन्स लि० बम्बई*

बम्बई -बंगलोर

बम्बई -बड़ौदा -भावनगर -अहमदाबाद

बम्बई -जोधपुर

बम्बई -राजकोट -मोरवी

बम्बई -बंगलोर

७. *एअर सर्विसेज आफ इंडिया*

जामनगर--माडवी -भुज

८. *एअरवेज इंडिया लि० कलकत्ता*

कलकत्ता -भुवनेश्वर -विजगापट्टम-मद्रास- बंगलोर

कलकत्ता -बगडोगरा- गोहाटी -डिब्रूगढ़

कलकत्ता -ढाका

कलकत्ता -नागपुर

९. *भारत एअरवेज लि० कलकत्ता*

दिल्ली -लखनऊ -पटना -कलकत्ता

पटना -बनारस

दिल्ली -अमृतसर

कलकत्ता—चिटगाँव

दिल्ली—मद्रास

हैदराबाद—बंगलोर

१० *ओरियन्ट एअरवेज लि०, कलकत्ता*

कलकत्ता—अकयाब—रंगून।

कलकत्ता—ढाका

कराची—कलकत्ता

कराची—पेशावर

११ *डालमिया एअरवेज*

दिल्ली—अमृतसर—श्रीनगर

१२ *इन्डियन ओवरसीज एअर लाइन्स (स्टार लाइन)*

मद्रास—लखनऊ

नागपुर—जबलपुर—इलाहाबाद

कानपुर—लखनऊ

नागपुर—हैदराबाद—मद्रास

१३ *जुपीटर एअरवेज*

दिल्ली—नागपुर—विज्जगापट्टम—मद्रास

विदेशी नभ-यातायात कंपनियाँ

१ *पान-अमेरिकन वर्ल्ड एअरवेज*

कलकत्ता—न्यूपार्क (कराची होकर) ४० घंटे में

कलकत्ता-सेनफ्रान्सिसको

(टोवचो, होनोलुलू होकर) ६० घंटे में

२ *एअर-फ्रांस*

पेरिस-सैगों

(ट्यूनिश, काहिरा, कराची व कलकत्ता होकर)

३ *ब्रिटिश ओवरसीज एअरवेज कारपोरेशन*

लंदन—कलकत्ता

४ *के० एल० एम०*
करांची—कलकत्ता; करांची बैंकोक; करांची—सिंगापुर;
करांची, वटाविया
५ *ट्रान्सवर्ल्ड एअर लाइन*
बंबई—वाशिंगटन
६ *चाइना नेशनल एवीएसन कारपोरेशन*
कलकत्ता—हांगकांग
७ *एअर इंडिया इंटरनेशनल*
बंबई-लंदन
८ *इंडिया ओवरसीज लाइन्स*

अध्याय ३७

ारतीय पोत

भारत, बर्मा और लंका के प्रदेशों में संसार की १८ प्रतिशत जन-संख्या निवास करती है; किन्तु यहाँ संसार का ३ प्रतिशत वाणिज्य व्यापार होता है; यूरोप की जनसंख्या २०प्रतिशत है किन्तु वह दुनियाँ का ५० प्रतिशत व्यापार करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जन-संख्या भारत की एक तिहाई है। किन्तु भारत के व्यापार से उसका व्यापार चार गुना अधिक है।

व्यापार-वाणिज्य कई बातों पर निर्भर है। इसमें उद्योगों के विकास का स्थान महत्त्वपूर्ण है। भारत का आयात-निर्यात बढ़ता जा रहा है। अतः भारत में पोतों की आयवृद्धि तथा विकास की परम आवश्यकता है।

भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य रहने के कारण ब्रिटेन ही भारत के तटीय तथा सामुद्रिक व्यापार का नियंत्रण करता रहा। तटीय व्यापार में २५ प्रतिशत पोत भारतीय हैं; शेष ब्रिटेन के हैं। चीन, दक्षिणी अफ्रीका, ईरान, इराक, आस्ट्रेलिया के साथ भारत के व्यापार के लिए तो पूर्णतः ब्रिटिश पोत काम करते हैं।

राष्ट्रीय पोत-नीति

सन् १९४६ में जब भारतीय राष्ट्रीय सरकार का निर्माण हुआ तब भारत-सरकार की नीति में परिवर्त्तन हो गया। भारत सरकार की वर्त्तमान पोतनीति का सारांश निम्न-प्रकार है—

"भारत के जैसे देश के लिए जिसका समु -तट बहुत लम्बा है और वह तीन ओर है और जो व्यापार की दृष्टि से भी बड़े महत्त्व का है, भारत में बहुत कम ऐसे पोत हैं

जो गहरे समु में जाने योग्य हैं। सन् १९३९ में ऐसे पोत ३० थे। इनका वजन १५०,००० टन था। इस संबंध में भारत की दुर्बलता एक प्रकट सत्य है और भारत सरकार भारतीय वाणिज्य ोतिक के विकास की नीति से वचन-बद्ध है। युद्ध-काल की स्थिति से यह प्रकट हो गया कि भारत की स्थिति भी भेद्यतापूर्ण है। यह खाद्यसंकट के समय अन्य देशों से अन्न मँगाने के लिए पर्याप्त पोत भी नहीं दे सका। इस त्रुटि को शीघ्र ही दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह सरकार का युद्धोतर लक्ष्य है। भारत में नौसेना के विकास के साथ-साथ वाणिज्य पोतों का भी विकास होना चाहिए।

नवम्बर, १९४७ में तत्कालीन वाणिज्य-मंत्री श्री सी० एच० भाथा ने भारत सरकार की नीति इस प्रकार बतलाई :—

१. सरकार को चाहिए कि वह शीघ्र ही दो-तीन पोतिक निगमों की स्थापना के लिए प्रयत्न आरम्भ कर दे।
२. इन निगमों पर सरकार का नियन्त्रण रहे इस उद्देश्य से सरकार ५१% पूँजी भी इस में लगावे। शेष पूँजी वर्तमान कंपनियाँ तथा जनता लगायेगी।
३. प्रत्येक निगम की पूँजी १०,००,००,००० रुपये की होगी।
४. सरकार अपने हिस्से के अनुपात से निगम के संचालक-बोर्ड में अपने संचालक नियुक्त करेगी।

वर्तमान राष्ट्रीय सरकार वाणिज्य -पोतों की आयवृद्धि में हर प्रकार से सहायता देने के लिए तत्पर है। सन् १९५० तक ६०,०००टन पोतों की वृद्धि करना उसका लक्ष्य है। सरकार ३ पोत-निगम स्थापित करने के लिए विचार कर रही है।

पोत-निर्माण उद्योग

जून, सन् १९४१ में डा० राजेन्द्र प्रसाद नें विजगापट्टम में सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कंपनी लि०, विजगापट्टम के पोत-आगार (shipyard) का उद्‌घाटन किया। यह विशुद्ध भारतीय पूँजी से बनी कंपनी है। १४ मार्च, १९४८ को इसने

अपना सर्वप्रथम स्टीमर तैयार किया। इसका नाम 'जलउषा' है। पं० जवाहरलाल नेहरू ने 'जलउषा' को समुद्र में चलाने का संस्कार सम्पन्न किया।

भारत में पत्तन

भारत में तट-प्रदेश पर्याप्त लम्बा होने पर भी श्रेष्ठ पत्तन पर्याप्त नहीं हैं। पश्चमी भाग में कच्छ तथा काम्बे, बंबई और कोचीन के पत्तनों को छोड़ समस्त पत्तन मई के अन्त से सितम्बर के आरम्भ तक, वर्षा तथा तूफानों के कारण बन्द रहते हैं। पूर्वी तटीय भाग में कोई भी प्राकृतिक पत्तन नहीं है। मद्रास व विजगापट्टम के पत्तन कृत्रिम पत्तन हैं। कलकत्ता का पत्तन समुद्र से ८० मील की दूरी पर है। हुगली की चाल अधिक घुम-फिर कर है और उसकी धारा भी बड़ी तीव्र है। इस कारण उसमें पोत आसानी के साथ नहीं जा सकते।

भारत में मुख्य पत्तन निम्न प्रकार हैं:—

१ कलकत्ता
२ बंबई
३ मद्रास
४ विजागपट्टम
५ कंडला
६ कोकनाडा
७ कोचीन
८ तूतिकोरिन
९ मोर मुगांव
१० बेदी
११ ओथा
१२ भावनगर
१३ सूरत
१४ मांगलोर
१५ कालीकट
१६ अलेप्पी
१७ कुइलोन
१८ धनुषखादी
१९ नागापत्तम
२० पांडिचेरी

अध्याय ३८

भारत में आकाश-भाषण

सन् १९२४ में मद्रास मे एक रेडियो क्लब की स्थापना की गई। इसी प्रकार की रेडियो क्लबं कलकत्ता व बंबई में भी खोली गईं। इस क्लबों द्वारा इनकी पूरी व्यवस्था की जाती थी। भारत सरकार इन्हें कुछ आर्थिक सहायता दे देती थी।

२३ जुलाई, १९२७ को बंबई में पहला रेडियो स्टेशन खोला गया। दूसरा स्टेशन २६ अगस्त, १९४७ को कलकत्ता में खोला गया। 'इंडियन ब्राडकास्टिंग कम्पनी' को लायसेंस दे दिया गया कि वह इसका संचालन करे। १ अप्रेल, १९३० में यह कम्पनी दिवालिया हो गई। उसी समय से भारत सरकार रेडियो का नियंत्रण कर रही है। पहले, इंडियन स्टेट ब्राडकास्टिंग सर्विस के नाम से उद्योग व श्रम विभाग के अन्तर्गत एक उपविभाग खोला गया। इससे सरकार को भी लाभ नहीं होता था। अतः ९ अक्टूबर, १९३१ को सरकार ने इसे वन्द कर देने का निश्चय घोषित कर दिया। इससे जनता में बड़ा असन्तोष हुआ। अन्त में सरकार ने अपने पूर्वनिश्चय को रद्द कर इसका पुनर्संचालन करने का निश्चय किया। ५ मई, १९३२ को यह निश्चय किया गया कि रेडियो विभाग भारत-सरकार के आधीन रहेगा। १ जनवरी, १९३६ को देहली का स्टेशन खोला गया। इसी वर्ष ४० लाख रुपये का एक कोष भारत में ध्वनि विस्तार या आकाश भाषण की अभिवृद्धि के लिए स्थापित किया गया। सन् १९३६ में बम्बई, कलकत्ता, देहली तथा पेशावर में चार रेडियो स्टेशन थे। सन् १९३७ में दस नये स्टेशन निम्नलिखित नगरों में खोले गये—

१	लाहौर	१६ दिसम्बर, १९३७	(मध्यम तरंग)
२	देहली	१६ दिसम्बर, १९३७	(लघु तरंग)

३ बंबई	४ फरवरी, १९३८		(लघु तरंग)
४ लखनऊ	२ अप्रे,ल १९३८		(मध्यम तरंग)
५ देहली	१ जून, १९३८		(लघु तरंग)
६ मद्रास	१६ जून, १९३८		(लघु तरंग)
७ मद्रास	१६ जून, १९३८		(मध्यम तरंग)
८ कलकत्ता	१६ जून, १९३८		(लघु तरंग)
९ त्रिचनापल्ली	१६ मई, १९३९		(मध्यम तरंग)
१० ढाका	१६ दिसंबर, १९३९		(मध्य तरंग)

सन् १९४२ में भारत सरकार ने एक शक्तिशाली ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए निश्चय किया जिससे विदेशों में भी भारत का कार्य-क्रम सुना जा सके।

अतः १ मई, १९४४ को १००-के डवल्य ध्वनि-विस्तारक (Transmitter) यंत्र लगाया गया।

१५ अगस्त, १९४७ के बाद लाहौर, ढाका व पेशावर ー रेडियो स्टेशन पाकिस्तान सरकार को दे दिये गये।

सन् १९३७ में १००० रेडियो थे। १० वर्ष में अर्थात् १९४७ में २३०,०२५ रेडियो हो गये।

अखिल भारतीय रेडियो

भारतीय-मंत्रि-मंडल में एक सदस्य सूचना व प्रसारण या ध्वनि-विस्तार विभाग का अधिकारी होता है। इस समय श्री आर० आर० दिवाकर सूचना व प्रसारण-मंत्री हैं। 'अखिल भारतीय रेडियो' इस विभाग से सम्बद्ध कार्यालय है। इसका प्रधान अधिकारी प्रधान संचालक, आलइंडिया रेडियो कहलाता है। इसकी सहायता के लिए चार उपप्रधान संचालक हैं, एक चीफ इन्जीनियर और दो उप चीफ इन्जीनियर, प्रोग्राम डायरेक्टर, प्रोग्राम नियोजन डायरेक्टर, डायरेक्टर सार्वजनिक सम्बन्ध, डायरेक्टर स्टाफ ट्रेनिंग स्कूल, डायरेक्टर श्रोता-अनुसंधान आदि के अधिकारी हैं। आलइंडिया रेडियो ब्राडकास्टिंग हाउस, पार्लमेंट स्ट्रीट पर नई दिल्ली में है।

भारत में निम्नलिखित रेडियो स्टेशन हैं—

(१) देहली, (२) कलकत्ता, (३) मद्रास, (४) लखनऊ, (५) इलाहाबाद, (६) बंबई, (७) त्रिचनापल्ली, (८) विजयवाड़ा, (९) बड़ौदा (१०) जालंधर, (११) अमृतसर, (१२) पटना, (१३) कटक, (१४) गोहाटी, (१५) नागपुर, (१६) शिलांग, (१७) हैदराबाद, (१८) त्रिवेन्द्रम, (१९) बंगलोर, (२०) जोधपुर, (२१) औरंगाबाद, (२२) श्रीनगर।

रेडियो प्रोग्राम पत्रिकाएँ

'आल इंडियारेडियो' पाँच भाषाओं में पाँच रडियो पत्रिकाएँ प्रकाशित करता है। इसमें रेडियो का एक मास का कार्यक्रम छपा रहता है।

(१) इंडियन लिशनर	सन् १९४८ में	२१,६५८	प्रतियाँ छपीं
(२) सारंग (हिन्दी)	,,	८,७६०	,,
(३) आवाज (उर्दू)	,,	३,५३३	,,
(४) बेतार जगत् (बंगला)	,,	१६,१८५	,,
(५) बनोली (तामिल)	,,	२५,०००	,,

रेडियो अनुज्ञा-पत्र

वर्ष	अनुज्ञा-पत्र	वर्ष	अनुज्ञा-पत्र
१९३७	५०,६८०	१९४३	१,७६,०६१
१९३८	६४,४८०	१९४४	१,९३,५८५
१९३९	९२,७७२	१९४५	२,०२,८२९
१९४०	१,१९,४१७	१९४६	२,३२,३६८
१९४१	१,४७,१२१	१९४७	२,३८,२७४
१९४२	१,६५,६७५	१९४८	२,८१,९९८

विदेशों से रेडियो भारत में आये (३१ मार्च, १९४७ तक)

वर्ष	संख्या	मूल्य
१९३६–३७	२६,९२५	२५,१७,४४२
१९३७–३८	२९,५६७	२८,११,४१५
१९३८–३९	२८,११०	२५,८५,५२८
१९३९–४०	४३,६८४	४०,६२,१३८
१९४०–४१	३८,८६६	३५,३१,९५६
१९४१–४२	५२,४१६	४१,७३,२६६
१०४२–४३	१८,९३०	१९,७०,०२८
१९४३–४४	५,३८४	७,४३,९१९
१९४४–४५	८९५	१,५०,९४७
१९४५–४६	५,९८२	७,०४,१९७
१९४६–४७	१,०७,१६१	१,६९,६१,७९०

अध्याय ३९

भारत में डाक और तार

पूर्व इतिवृत्त:—

भारत में डाक-प्रणाली अति प्राचीन है। प्राचीन काल में राजा अधिकांश समय राजधानी में बिताते थे, जैसा कि आज भी होता है। अतः उन्हें अन्य राज्यों के अफसरों से सम्पर्क रखने के लिए आवश्यकता पड़ती थी। इसके लिए डाक द्वारा काम चलता था। पैदल तथा घोड़े द्वारा डाक ले जाने की प्रथा प्राचीन समय में प्रचलित थी। शेरशाह के काल में घुड़सवारों द्वारा डाक ले जाने की प्रथा थी। बादशाह अकबर ने खास सड़कों पर १० मील के अन्तर पर डाकखाने बनवा दिये थे।

भारत में नियमित रूप से डाक-व्यवस्था सन् १७६६ में लार्ड क्लाइव ने आरम्भ की। किन्तु यह केवल सरकार के लिए ही थी। वारन् हैस्टिंग्स के समय में जनता के लिए भी डाक-व्यवस्था स्थापित कर दी गई। सन् १७७४ में डाक प्रबंध जनता के लिए भी आरम्भ कर दिया गया। लार्ड डलहौज़ी ने डाकखानों की साम्राज्य-व्यवस्था आरम्भ की। उसने डाक-व्यय कम कर दिया और डाक टिकिटों का प्रचलन आरम्भ कर दिया। सन् १८५४ मे डाक-कानून द्वारा समस्त देश मे डाक-व्यंवस्था को एक प्रधान-संचालक के अधीन कर दिया गया। सबसे प्रथम बार भारत में सन् १८५२ में सिंध में डाक टिकिट प्रचलित हुए। भारत में वर्त्तमान डाक-प्रणाली सन् १८९८ के ६ ठें कानून के आधार पर स्थिर है।

कलकत्ता मेडिकल कालेज के रसायन के प्रोफसर डा० डबल्यू० ओ० सोधनेसी ने १८५१ मे कलकत्ता और डायमंड पत्तन

के बीच तार लाइन खड़ी की। सन् १८५५ में सन् १८५४ के टेलीग्राफ ऐक्ट के अनुसार तार खड़े किये गये।

वर्त्तमान डाक-प्रणाली

डाक व तार के लिए एक भारतीय मंत्री उत्तरदायी है, जो भारतीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। इसके सचिवालय के अन्तर्गत एक पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ डायरेक्टर-जनरल होता है। नई दिल्ली में इसका कार्यालय है।

डायरेक्टर जेनरल की सहायता व सुविधा के लिए उसके कई सहायक, उपसहायक आदि तथा स्टाफ हैं। डाक-प्रबंध के लिए समस्त भारत १० क्षेत्रों में विभाजित है :– (१) पश्चिमी बंगाल, (२) बिहार, (३) बंबई, (४) मद्रास, (५) पूर्वी पंजाब, (६) उत्तर प्रदेश, (७) आसाम, (८) उड़ीसा, (९) देहली और (१०) केन्द्रीय।

आसाम क्षेत्र का नियंत्रण डायरेक्टर, डाक-तार के आधीन है। देहली तथा उड़ीसा में अतिरिक्त पोस्टमास्टर जनरल हैं। शेष ७ क्षेत्रों में पोस्टमास्टर जनरल होते हैं।

केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन मध्य-प्रदेश, राजस्थान, मध्यभारत और विंध्य प्रदेश हैं।

प्रत्येक डाक-क्षेत्र के अन्तर्गत कई डिवीजन होते हैं। प्रत्येक डिवीजन एक सुपरिण्टेण्डेण्ट के अधीन होता है। सुपरिण्टेण्डेण्ट की सहायता के लिए निरीक्षक (Inspector) होते हैं। प्रत्येक के केन्द्रनगर में एक मुख्य डाकखाना होता है और उसके अधीन उनके छोटे डाकखाने होते हैं।

डाक-व्यय

(देश के भीतर)

१.	लिफाफा के लिए डाकव्यय १ तोले तक	२ आना
३.	पोस्टकार्ड	¾ आना
४.	जवाबी पोस्टकार्ड	१½ आना

५.	बुक-पोस्ट या पैकेट ५ तोले तक	$\frac{3}{4}$ आना
६.	प्रति २$\frac{1}{2}$ तोला के लिए पैकेट व्यय	$\frac{1}{4}$ आना
७.	पार्सल ४० तोला तक	६ आना
८.	प्रति अतिरिक्त ४० तोला के लिए	६ आना
९.	रजिस्ट्री फीस	४ आना

नोट:—(१) १२$\frac{1}{2}$ सेर से अधिक का पार्सल नहीं भेजा जा सकता है।

(२) ४४० तोले के पार्सल की रजिस्ट्री होना आवश्यक है।

(३) अदन, पाकिस्तान, नेपाल, व लंका के लिए डाक-व्यय उपर्युक्त ही है।

१०.	१० रुपये तक के मनीआर्डर की फीस	२ आना

बीमे की फीस

१००) तक के बीमे की फीस	४ आना
१०१) से २००) तक फीस	५ आना
२०१) से ३००) तक ,,	८ आना
३०१) से १०००) तक प्रति १००) पर	२ आना
१००१) से ऊपर प्रति १००) पर	१ आना

रजिस्ट्री के लिए जवाब के लिए एक आने का टिकिट और लगाना चाहिए।

डाक-व्यय (विदेशों के लिए)

१.	समस्त विदेशों के लिए लिफाफा	३$\frac{1}{2}$ आना (एकऔंस)
२.	प्रति १ अतिरिक्त औंस के वजन पर	२ आना
३.	पोस्टकार्ड	२ आना
४.	जवाबी पोस्टकार्ड	४ आना
५.	पैकेट प्रति २ औंस	$\frac{3}{4}$ आना
६.	कारोबार संबंधी कागजों के पैकेट १० औंस तक	३$\frac{1}{2}$ आना

७.	प्रति २ औंस के लिए	$\frac{3}{4}$ आना
८.	नमूना ४ औंस तक	१$\frac{1}{2}$ आना
९.	प्रति २ औंस के लिए	$\frac{3}{4}$ आना

विदेशों के लिए पार्सल की दर अलग-अलग हैं। इंगलैंड व उत्तरी आयरलैण्ड के लिए निम्न प्रकार हैं—

१०.	३ पौंड तक का पार्सल	१॥≡)
११.	३ से ७ पौंड तक का पार्सल	३।−)
१२.	७ से ११ पौंड तक ,,	५=)
१३.	११ से २२ पौंड तक ,,	८।−)

१४. जिन देशों में मनीआर्डर रुपयों में भेजे जा सकते हैं, उनके लिए मनीआर्डर फीस निम्न प्रकार होगी:—

१०) रुपये तक के मनीआर्डर पर	३ आना
११) से २५) तक " "	६ आना

२५) से ऊपर किसी भी रकम के लिए ६ आना प्रति २५) रु०

१५. जिन देशों में स्टर्लिंग में मनीआर्डर दिये जायँगे, उनमें मनीआर्डर फीस निम्न प्रकार होगी।

१ पौंड तक	४ आना
१ से २ पौंड तक	७ आना
२ से ३ पौंड तक	१० आना
३ से ४ पौंड तक	१३ आना
४ से ५ पौंड तक	१ रुपया

हवाई डाक

देश के भीतर लिफाफे व कार्ड बिना किसी अतिरिक्त डाक-व्यय के हवाई डाक से भेजे जाते हैं।

देश में हवाई डाक से पैकेट भेजने के लिए १ तोले पर १ आना अतिरिक्त टिकिट लगाना होगा। इस प्रकार १ तोले के साधारण पैकेट पर तीन पैसे का टिकिट तथा एक आने का अतिरिक्त टिकिट लगेगा।

एअर लटर—यह खुला पत्र होता है जो तीन ओर से बन्द और एक ओर खुला रहता है। यह दिसम्बर, १९४४ से भेजा जाने लगा है। यह इंगलैण्ड के लिए ६ आने में और अमेरिका, कनाडा के लिए ८ आने में जाता है।

स्थानीय डाकव्यय

१ अप्रेल, १९५० से भारतीय डाक-विभाग की ओर से यह प्रबंध हो गया था कि स्थानीय डाक-व्यय लिफाफे के लिए १ आना तथा कार्ड के लिए २ पैसा होगा। मगर अप्रेल, १९५१ से यह व्यवस्था तोड़ दी गई।

तार (टेलीग्राफ)

भारत में—तार (साधारण) कम से कम व्यय	१३ आने
प्रति शब्द	१ आना
तार (एक्सप्रेस) कम से कम	१ रुपया १० आना
प्रति शब्द	२ आना
बर्मा व पाकिस्तान में साधारण तार	१ रुपया ६ आना
प्रति शब्द	२ आना
एक्प्रेसस तार	२ रुपया १२ आना
प्रति शघ्द	४ आना

भारत में डाक-सम्बन्धी आंकड़े

रुपयों में

सन्	लिफाफे	पोस्टकार्ड	तार (देशों में)	मनीआर्डर
१९४०—४१	५२६,००६,०००	३६५,४५८,०००	१५,७७२,०००	७९,४७,९३,०००
१९४१—४२	५४१,५२८,०००	४१३,०९६,०००	१७,७२१,०००	९२,१६,९३,०००
१९४२—४३	५३०,९७५,०००	४७३,५००,०००	१९,२९६,०००	१,१२,२७,०८,०००
१९४३—४४	६०३,५५४,०००	५५०,४२०,०००	२३,५३७,०००	१,४४,९९,३९,०००
१९४४—४५	६७५,०८९,०००	६०३,७९४,०००	२५,२८३,०००	१,७०,४७,७३,०००
१९४५—४६	७७७,३१५,०००	६९१,१२२,०००	२६,६०८,०००	१,८७,३८,८३,०००

डाक व तार विभाग का व्यय

भारतीय डाक व तार में लगी हुई पूँजी	३८,९६,८५,०००
सन् १९४६-४७ की आय	३१,६५,२९,६००
सन् १९४६–४७ का व्यय	२६,४८,८५,३००
लाभ	५,१६,४४,३००

अध्याय ४०

भारत में मुद्रा-प्रणाली

भारत में सन् १८१८ स पूर्व कोई एक मुद्रा-प्रणाली प्रचलित नहीं थी। प्रत्येक प्रान्त में अपनी निजी मुद्रा प्रचलित थी और उनकी विनिमय-दरों में भी अन्तर था। इससे राजस्व क्षेत्र में बड़ी अव्यवस्था थी। सन् १८१८ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने १८० ग्रेन के रुपये का प्रचलन आरम्भ किया। सन् १८३५ में कानून द्वारा सारे देश में चाँदी के रुपये को कानूनी मुद्रा स्वीकार किया गया। सन् १८९८ में रुपये का विनिमय मूल्य १ शिलिंग ४ पैसा हो गया था।

सन १८९३ में चांदी की मुद्राएँ ढालने का काम बन्द कर दिया गया। क्योंकि उस समय भारत सरकार की नीति भारत में सुवर्ण-मान की प्रतिष्ठा करनी थी। सन् १८९८ में फाउलर कमिटी को यह कार्य सौंपा गया कि वह इसके लिए उपाय करे। इस कमिटी ने यह सिफारिश की कि ब्रिटेन की सावरेन को भारत की मुद्रा घोषित कर दिया जाय। इस कमिटी ने यह भी सिफारिश की भारतीय टकसाल बिना किसी प्रतिबंध के सुवर्ण की मुद्राएँ ढालें।

इस सिफारिश को भारत-मंत्री तथा भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया कि सुवर्ण प्रचलित मुद्रा के आधार पर सुवर्ण मान को नीति के रूप में ग्रहण कर लिया जाय। किन्तु इस दिशा में भारत सरकार ने उद्योग नहीं किया और भारत में सुवर्ण मान के स्थान पर चाँदी का रुपया ही यहाँ की मुद्रा बना रहा।

अप्रेल, १९१३ में चेम्बरलेन कमीशन नियुक्त किया गया। इस कमीशन की रिपोर्ट में यह मत प्रकाशित किया गया—"भारत की जनता मुद्रा के रूप में प्रचलन के लिए न सुवर्ण

की इच्छा करते हैं और न उसकी उन्हें आवश्यकता ह। और भारत की आवश्यकता के लिए सबसे उपयुक्त प्रचलित मुद्रा रुपया तथा नोट हैं। मुद्रा या विनिमय के उद्देश्य से भारत में सुवर्ण मुद्रा ढालने के लिए टकसाल की आवश्यकता नहीं है। परन्तु यदि भारतीय चाहें और भारत सरकार चाहे तो इस उद्देश्य से ऐसी टकसाल की स्थापना की जा सकती है। परन्तु शर्त यह है कि टकसाल में सावरेन और अर्द्ध सावरेन (गिन्नी) ही ढाले जायँ।

इस प्रकार भारत में सुवर्णमान के प्रश्न को सदैव के लिए खटाई में डाल दिया गया।

सन् १६१४-१८ के विश्वयुद्ध के समय चाँदी का दाम अत्यधिक बढ़ गया। अब भारत सरकार ने चाँदी के रुपयों के स्थान पर नो ों का अधिक प्रचलन आरम्भ कर दिया।

मई, १६१६ में एक रुपये का विनिमय मूल्य १ शिलिंग ८ पेंस हो गया।

इसी समय एक कमीशन ।नयुक्त किया गया जिसने १ रुपये का विनिमय मूल्य २ शिलिंग रखने की सिफारिश की।

हैमिल्टन कमीशन सन् १६२६ में नियुक्त किया गया। इस कमीशन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत में स्वर्णमान की आवश्यकता नहीं है। इसने भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए सिफारिश की। इसने यह भी सिफारिश की कि बैंक सोना खरीदे और बेंचे। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं हो। कमीशन ने यह भी सिफारिश की कि कानून द्वारा कागजी मुद्राओं को रुपयों में परिवर्तित करने पर रोक लग जानी चाहिए। एक-रुपये के नो ों का पुनः प्रचलन होना चाहिए। मुद्रा-अधिकारी चाहें तो नोटों के बदले चाँदी के रुपये दें।

इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सन् १६२७ का मु ा बिल स्वीकार किया गया। इस कानून द्वारा रुपये का विनिमय मल्य १ शिलिंग ६ ेंस रखा गया। भारतीय लोकमत ने इसका घोर विरोध किया। किन्तु सरकार ने यही दर कायम रखी।

कुल धन

(करोड़ रुपयों में)

	अगस्त १९३९	अगस्त १९४५	मार्च १९४६	माच १९४७	१९४८
प्रचालेत नोट	१६९	१,१३९	१,२१९	१,२४२	१,३०४
बैंकों में जमा	१४१	६७१	७३५	७११	७६२
रिजर्व बैंक में जमा	४१	५००	६४३	५६२	४५७
बैंकों में नकद सुरक्षित	३४	१४६	१२०	११६	१२१
धन की सप्लाई (रुपयों के सिक्कों व छोटे सिक्कों को छोड़कर)	३१७	२,१६४	२,४७७	२,३९९	२,४०२
रुपयों में सिक्कों का प्रचलन	...	१४९	१६६	१६८	१५५
कुल धन सप्लाई		२,३१३	२,६४३	२,५६७	२,५५७

भारत में रुपयों व नोटों का प्रवचन

(लाख रुययों में)

सन्	नोट	रुपये के सिक्के	कुल
१९३८–३९	१७८,३६	...	...
१९४७–४८	१,३०४,३६	१५५,३३	१,४५९,७०
१९४८–४९	१,१६९,३५	१४९,४३	१,३१८,७८

अध्याय ४१

भारत में कृषि

भारत कृषि-प्रधान देश है। भारत की ३५ प्रतिशत जनता अपने जीवन-निर्वाह के लिए कृषि व कृषि-संबंधी व्यवसायों पर निर्भर है। भारत मैं कृषि की कुछ विशेषताएँ निम्न-लिखित हैं—

१. भारत में दुनियाँ में सबसे अधिक गन्ने की खेती होती है।
२. भारत मैं अमेरिका के बाद सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है।
३. भारत में सबसे अधिक मूँगफली पैदा होती है।
४. तेलहन के उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है।
५. चीन के बाद भारत में सबसे अधिक चाय की खेती होती है।
६. पाकिस्तान के बाद भारत में जूट काफी पैदा होती है।
७. भारत में लाह की सबसे अधिक खेती होती है।
८. रुई की खेती में भारत का अमेरिका के बाद दूसरा स्थान है।

भारत में विभाजन का परिणाम

युद्ध (१९३९–४५) से पूर्व भारत खाद्यान्न बाहर से नहीं मँगाता था। हाँ, भारत में बर्मा से चावल आता था। किन्तु गेहूँ आदि अन्न तो देश में ही पर्याप्त पैदा होते थे। किन्तु युद्ध के बाद कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि भारत जैसा सुविशाल देश, जहाँ ७५ प्रतिशत व्यक्ति कृषि करते हैं अपने लिए अमेरिका, आस्ट्रेलिया आदि देशों से गेहूँ आदि मँगाता है।

भारत में पंजाब और उसमें भी पश्चिमी पंजाब में सिंचाई के साधन अच्छे होने से वहाँ गेहूँ अधिक पैदा होता है। इस कारण जब भारत का विभाजन हो गया तब भारत में

गेहूँ की कमी हो गई। पाकिस्तान में खाद्यान्नों की कमी नहीं है।

भारत में कृषि-भूमि

भारतीय संघ के अन्तर्गत इस समय १७०,८०८,००० एकड़ भूमि पर कृषि होती है। इसमें ६ करोड़ एकड़ भूमि पर वर्ष में २-३ फसलें बोई जाती हैं।

६२,४१३,००० एकड़ भूमि ऐसी है जिस पर कृषि नहीं होती; किन्तु जिसे कृषि के योग्य बनाया जा सकता है। सरकार इस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयत्नशील है। उत्तर प्रदेश की सरकार तराई में ५०,००० एकड़ भूमि और गंगा खादर में २०,००० एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयत्न कर रही है। अन्य राज्यों में भी ऐसा ही प्रयत्न किया जा रहा है।

सरकारी विभाग तथा कृषि सुधार

सबसे प्रथम बार १८९४ में केन्द्र में तथा प्रान्तों में कृषि-विभाग खोले गये। इनका काम कुछ आकंडे संग्रह करना मात्र था। इनकी ओर से कृषि में सुधार के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया गया। कृषि-संबंधी अनुसधान के लिए सबसे प्रथम बार सन् १८८९ में प्रयत्न किया गया। भारत मंत्री ने इगंलैण्ड से एक रसायन शास्त्री भारत में भेजा। उसने यहाँ कृषि में रसायन के उपयोग के संबंध में परामर्श दिया।

लार्ड कर्जन ने सन् १९०५ में पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (Imperial Agricultural Iustitute) की स्थापना की और सन् १९०६ में भारतीय कृषि-सेवा की प्रतिष्ठा की गई। यह परिषद् सन् १९३४ तक बिहार (पूसा) में रही। बाद में इसे देहली में लाई गई। इस संस्था का मुख्य काम कृषि-संबंधी-अनुसंधानों को व्यवहार में लाना है। इस परिषद् का कार्य कृषि तथा पशुपालन-संबंधी शिक्षा की अभिवृद्धि तथा कृषि-

उत्पादन के क्रयविक्रय की व्यवस्था तथा कृक्षि के संबध में वैज्ञानिक ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रसार करना है।

इस परिषद् के ६ विभाग हैं, जो निम्नलिखित हैं—(१) कृषि, (२) रसायन तथा मिट्टी, (३) वनस्वति-विज्ञान, (४) वृक्ष निदान, (५) गन्ना विकास-विभाग तथा (६) कृषि-अध्ययन शास्त्र।

इसके बाद पूना, नागपुर, कानपुर, लायलपुर, कोयम्बटूर आदि में कृषि-कालेज खोले गये।

सन् १६०५ में आल इंडिया बोर्ड आफ एग्रीकल्चर अथवा अखिल भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की गई जिससे सब प्रान्तीय कृषि-विभाग परस्पर मिल कर इस संबंध में विचार विनिमय कर सकें।

भारत सरकार के कृषि-सचिवालय के नियंत्रण में निम्नलिखित संस्थाएँ हैं—

(१) कृषि अनुसंधान संस्था, दिल्ली
(२) पशु-चिकित्सा-अनुसंधान-संस्था, मुक्तेश्वर
(३) पशुपालन तथा दुग्धशाला संस्थाएँ बंगलोर तथा बेलिंगटन
(४) पशु-गोचर फार्म, करनाल
(५) क्रीमेरी, आनन्द।
(६) पशुपालन केन्द्र, कोयम्बटूर।
(७) चीनी संस्था, कानपुर।
(८) खाद कारखाना, सिन्दरी, बिहार।

कृषि कमीशन १६२६

सन् १६२६ में कृषि -कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कृषि विकास व अनुसधान के लिए एक अखिल भारतीय संस्थान की स्थापना करने के लिए विचार किया। इस कमीशन की सिफारिश के अनुसार सन् १६२६ में कृषि-अनुसधान-कौंसिल (Council of Agricultural Research) की स्थापना की

गई। इस संस्था के दो भाग हैं,—एक मत्रंणा-समिति और दूसरी प्रबंध-समिति । पहली में विशेषज्ञ तथा वैज्ञानिक सदस्य हैं। दूसरे में राज्यों के कृषि-मंत्रीं है।

कमीशन की दूसरी सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय कृषि क्रय-विक्रय (Marketing) विभाग सन् १६३५ में खोला गया।

इनके अतिरिक्त जूट, रुई, तम्बाकू तथा चाय के संबंध में केन्द्रीय समितियाँ हैं।

फसलों की ऋतुएँ

भारत में दो प्रधान फसलें हैं। एक खरीफ की फसल और दूसरी रबी की फसल। खरीफ की फसल जून या जुलाई में वर्षा के समय बोई जाती है। इसमें ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, रुई, अरहर, मूंग, उड़द आदि बोये जाते हैं। यह फसल अक्टूबर में तैयार हो जाती है। दीपावली के आसपास रबी की फसल बोई जाती है। इसमें चावल, गेहूँ, चना, जौ, सरसों, तिल आदि बोया जाते हैं। यह फसल मार्च में तैयार हो जाती है।

भारत की प्रमुख फसलें

भारत की प्रमुख फसलों को हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं:

(१) खाद्यान्न—चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, चना, दलहन गन्ना, मसाले आदि।
(२) तन्तु या रेशे—रूई, जूट, पटुआ, सन।
(३) तेलहन—सरसों, अलसी, मूँगफली, नरियल, अरंडी, तिल।
(४) औषधियाँ तथा पेय—चाय, काफी, पोस्ता, तम्बाकू, नील, कुनैन का पेड़।

चावल

चावल भारत का मुख्य भोजन है; किन्तु वर्त्तमान समय में इसका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता है। सन् १६१४–१५ तक भारत में पर्याप्त चावल पैदा होता था। इस समय तक भारत से ५००,००० टन चावल बाहर भेजा जाता था। प्रथम महा-

युद्ध की समाप्ति तक चावल की पैदावार में इतनी कमी हो गई कि उसे बर्मा के चावल पर निर्भर रहना पड़ा। (बर्मा सन् १९३५ तक भारत का ही एक प्रान्त था।) अतः यह कहा जा सकता है कि चावल के लिए भारत सन् १९३५ तक किसी बाहरी देश पर निर्भर नहीं था। सन् १९२८–२९ में १०,००००० टन चावल बर्मा से आया। सन् १९३४–३५ में २४,००००० टन चावल भारत में आया।

चावल की फसल जुलाई के आरम्भ में बोई जाती है और जनवरी तक काट ली जाती है। चावल उन्हीं प्रदेशों में पैदा होता है, जहाँ वर्षा अधिक होती है। जिन प्रदेशों में चावल की दो फसलें होती हैं वहाँ यह मई या जून में बोया जाता है और अक्टूबर में काट लिया जाता है और जनवरी में दूसरी फसल बोई जाती है और मई तक काट ली जाती है। संसार में चावल का उत्पादन जितना होता है उसका आधा भाग भारत में होता है।

चावल भारत के सभी प्रदशों में पैदा होता है किन्तु अधिकांश पश्चिमी बंगाल ,बिहार, मद्रास और उड़ीसा में पैदा होता है।

सन्	चावल (एकड़ भूमि में बोया) (,१,०००,००० में)	चावल-उत्पादन (१० लाख टन में)
१९३८–३९	७४·३	२६·५
१९४१–४२	७३·७	२४·४
१९४२–४३	७४·२	२४·९
१९४३–४४	७८·०	२९·१

गेहूँ:—चावल के बाद गेंहूँ भारत का मुख्य अन्न है। गेंहूँ भारत में पर्याप्त पैदा होता रहा है। द्वितीय युद्ध से पूर्व गेंहूँ (दुर्भिक्ष आदि संकट काल को छोड़) कभी विदेश से नहीं मँगाया गया। दूसरी ओर भारत विदशों को पर्याप्त मात्रा में गेंहूँ भेजता रहा था। बीसवीं सदी के आरम्भ में भारत २,०००,००० टन गेंहूँ भेजता था। बाद में यह कम हो गया। सन् १९२३-२४ व १९२४-२५ में भारत

स ८,०००,००० टन गेंहूँ विदेशों को भेजा गया। सन् १९२५ के बाद ३,००,००० टन गेंहूँ प्रतिवर्ष भेजता रहा। किन्तु द्वितीय युद्ध काल से भारत में गेंहूँ कम होने लगा और फलतः उसे विदशों से मँगाना पड़ रहा है।

सन् १९३८ से १९४४ तक गेंहूँ का उत्पादन निम्न प्रकार रहा:

सन्	गेंहूँ (एकड़ भूमि) (१० लाख एकड़)	उत्पादन (गेंहूँ) (१० लाख टनमें)
१९३८-३९	३४·८	१०·२
१९४१-४२	३४·३	१०·३
१९४२-४३	३४·४	११·०
१९४३-४४	३३·७	९·७

गेंहूँ रबी फसल में होता है। अक्टूबर-नवम्बर में बोया जाता है और मार्च-अप्रेल में फसल पक जाती है। उत्तरी भारत में गेंहूँ अधिक उत्पन्न होता है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब, दिल्ली और राजस्थान का यह मुख्य खाद्य है। भारत में दुनियाँ का ग्यारहवांश गेंहूँ उत्पन्न होता है।

ज्वार, बाजरा व मक्का:—

ये तीनों प्रकार के खाद्यान्न खरीफ की फसलें हैं। ये भी भारत के सभी प्रदेशों में बोये जाते हैं। भारत में इनका उत्पादन निम्न-प्रकार होता है।

खेती (१० लाख एकड़ भूमि पर)

अन्न	१९३८–३९	१९४१–४२	१९४२–४३	१९४३–४४
ज्वार	३४·८	३३·७	३५·९	३६·०
बाजरा	१६·९	१७·९	२२·२	२१·१
मक्का	६·३	६·३	६·९	६·९

उत्पादन (१० लाख टन में)

ज्वार	६·८	६·७	६·७	६·७
बाजरा	२·६	२·९	४·०	३·७
मक्का	२·०	२·१	२·४	२·४

चना और जौ

जौ तथा चना भी गेहूँ के साथ बोया जाता है। उत्तरी भारत में इन दोनों अन्नों को मिलाकर यहाँ की गरीब जनता सेवन करती है। यह गरीबों का भोजन है। प्रति वर्ष २१०,०००० टन जौ पैदा होता है।

गन्ने की खेती

भारत के उत्तरी प्रान्तों में—उत्तर प्रदेश व बिहार में—गन्ना सबसे अधिक उत्पन्न होता है। भारत के विभाजन के फलस्वरूप इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ९५ प्रतिशत गन्ने का प्रदेश भारतीय संघ में ही है।

सन् १९४७-४८ में भारत में ३,७८४,००० एकड़ भूमि पर गन्ना बोया गया। संयुक्त प्रान्त (उत्तर-प्रदेश) व बिहार में भारत की कुल गन्ने की पैदावार का ७० प्रतिशत होता है।

दाल—भारत में कई प्रकार की दालें हैं। जैसे, मूंग, मसूर, उड़द, अरहर, मटर, चना। बिहार, उत्तरप्रदेश, पंजाब तथा मध्य-प्रदेश में इनका उत्पादन अधिक होता है। चावल तथा गेहूँ खानेवाले दोनों ही लोग दालों का प्रयोग करते हैं।

मसाले—शाक तथा दालों में मसाले का प्रयोग किया जाता है, जिससे वे स्वादिष्ट बन जाते हैं। यों तो मसाले भारत के सभी भागों में पैदा होता है। परन्तु कुछ विशेष मसाले विशेष स्थानों में ही पैदा होते हैं। काली व सफेद गोल मिर्च—मालावार, कुर्ग, त्रावणकोर, कोचीन, व मद्रास में पैदा होती है।

अदरख अथवा सोंठ—बंबई, बंगाल, यू० पी० तथा मद्रास में।

इलायची—मैसूर, त्रावणकोर, कोचीन, और मद्रास में। लौंग सुपाड़ी, आदि भी दक्षिण भारत में पैदा होते है।

तम्बाकू—तम्बाकू का उत्पादन भारत के कुछ विशेष भागों में अधिकता से होता है। जैसे :—

(१) उत्तर बंगाल प्रदेश—इसका एक बड़ा भाग अब पाकिस्तान

में मिला दिया गया है । जलपाईगुड़ी, मालदा, बरहामपुर, पश्चिमी दिनाजपुर, कुचबिहार ।

(२) गुजरात में आनन्द, नडियाद, बोरसद, पेटलाद, भद्रा ।

(३) निपानी क्षेत्र में बेलगाँव, सतारा, कोल्हापुर, सांगली और मिराज ।

(४) गंटूर क्षेत्र में—यह मद्रास के गंटूर जिले में है । पूर्वी समुद्र तट पर । यहाँ सिगरेट की वर्जीनिया तम्बाकू अच्छी पैदा होती है । १००,००० एकड़ भूमि में इसकी खेती होती है ।

(५) उत्तरी बिहार क्षेत्र में मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा दरभंगा में ।

सन् १९४५-४६ में ७८४,३२६ एकड़ भूमि में भारत में तम्बाकू की खेती हुई । सन् १९४६-४७ में ५१५,१६९ एकड़ भूमि में । (यह भारतीत संघ के आंकड़े हैं) ।

सन् १९४६-४७ में भारतीय संघ में १६,०२४,८५८ पौंड तम्बाकू की पैदावार हुई ।

खसखस या पोस्ता—इस पर सरकार का एकाधिपत्य है । इसकी खेती यू० पी०, बिहार, ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल तथा मेवाड़ में होती है ।

कुनैन—इसके पौदों की पैदावार नीलगिरि व दार्जिलिंग में होती है ।

गाँजा—गाँजे से तीन प्रकार के द्रव्य बनाये जाते हैं । (१) भांग, (२) चरस तथा (३) गाँजा । ये मादक द्रव्य हैं । भांग को पेय बनाकर सेवन करते हैं । शेष दो को तम्बाकू की भाँति पीते हैं । गाँजा बिहार, बंगाल व मालावार में पैदा होता है । इस पर सरकार का नियंत्रण है ।

चाय—चीन के बाद चाय भारत में सबसे अधिक पैदा होती है । चाय आसाम व पश्चमी बंगाल में ही अधिक पैदा होती है । त्रावणकोर, मैसूर व मद्रास में भी चाय की खेती होती है । चाय के बाग २०००० से ५००० फुट की ऊँचाई के पहाड़ी प्रदेशों में ही होते हैं ।

काफी—काफी या कहवा वर्षा ऋतु में होती है । अक्टूबर तथा जनवरी में यह तैयार हो जाती है । यह मद्रास, मैसूर, त्रावणकोर, कोचीन तथा कुर्ग में पैदा होती है ।

रूई—दुनियाँ में रूई पैदा करने वाले देशों में भारत का द्वितीय स्थान है । भारतीय संघ में १ करोड़ १७ लाख एकड़ भूमि में सन्

१९४६-४७ में रूई की खेती होती थी। इसमें २१ लाख गाँठें तैयार हुई। बंबई व बरार में सबसे अधिक रूई पैदा होती है।

गाँजा या हेम्प—इसकी खेती यू० पी०, बंगाल, मध्यप्रदेश तथा बंबई में होती है। इससे केनविस बनती है।

जूट—मार्च-मई में बोया जाता है। अगस्त–सितम्बर तक तैयार हो जाता है। इसकी खेती पश्चिमी बंगाल, कुचबिहार, आसाम, बिहार, उड़ीसा और यू० पी० में होती है।

पाकिस्तान में १९४८-४९ में २९००,००० एकड़ भूमि में और भारत में ७,७०,००० एकड़ भुमि में जूट की खेती की गई। पाकिस्तान में इसी अवधि में ५ करोड़ ४८ लाख गाँठें (१ गाँठ = ४०० पौंड) और भारत में २ करोड़ ३ लाख गाँठें जूट पैदा हुआ।

रेशम—भारत में जितना रेशम तैयार होता है, उसका $\frac{2}{3}$ भाग मैसूर में तैयार होता है। काश्मीर में रेशम पर सरकार का एकाधिकार है। शहतूती रेशम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा, राज-शाही और वीरभूम में, यू०पी० में देहरादून व प्रतापगढ़ में तथा काश्मीर में होता है। रेशम के कीड़ों को शहतूत के पत्ते खिलाये जाते हैं। तसर रेशम बिहार के भागलपुर और छोटानागपुर तथा मध्य-प्रदेश में होता है। एरी रेशम रंगपुर, बोगरा, (पूर्वी बंगाल) जलपाईगुड़ी और आसाम में तथा मूँगा रेशम आसाम व मणिपुर में होता है।

तेलहन—तेलहन रबी की फसल है। ये मध्य-प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, यू० पी०, बंबई, और बंगाल में पर्याप्त होते हैं। इनसे तेल निकाले जाते हैं। सरसों, मूँग-फली तथा तिल के तेलों को लोग घी के स्थान पर सेवन करते हैं तथा इनसे केश-तैल भी बनाये जाते हैं। इनसे साबुन भी बनाये जाते हैं। अलसी का तेल पेंट व वार्निश के काम में आता है। नारियल से तेल बनाया जाता है जिसे दक्षिण में लोग खाते हैं और सिर में भी लगाते हैं। मूँगफली के तेल को दक्षिण, बंबई व मद्रास में सरसों की तेल की भाँति खाते हैं।

(एकड़ों में) प्रत्येक प्रांत में क्षेत्रों का वर्गीकरण (१९४५-४७)

प्रान्त	वन-प्रदेश	कृषि के लिए अप्राप्य है	अन्य भूमि जिस पर कृषि नहीं होती (बंजर को छोड़कर)	बंजर भूमि	वह क्षेत्र जिस पर खेती होती है।
अजमेर....	४७,०००	६२६,०००	२७३,०००	१८१,०००	४३१,०००
आसाम........	४२०७,०००	४२४७,०००	१७३६,३०००	१५१६.०००	५३७८,०००
पश्चिमी बंगाल	१६२४,०००	३३०६,०००	१९३३,०००	२७९१,०००	९२४२,०००
बम्बई..........	८०५९,०००	५८२८,०००	८२८,०००	६३८८,०००	२७५५७,०००
मध्यप्रदेश......	१५८२२,०००	४८६०,०००	१३८३४,०००	४२६७,०००	२,३०२,०००
कुर्ग..........	३३१,०००	३५६,०००	१६,०००	१५१,०००	१५६,०००
देहली........	————	७६,०००	६२,०००	८,०००	२२२,०००
मद्रास........	१३,४५२,०००	१४,१४८,०००	११९५३,०००	९७७९,०००	३०५३४,०००
उड़ीसा........	२,६०६,०००	७,०९८,०००	३१४४,०००	१३५४.०००	६४५३,०००
पूर्वी पंजाब......	७६६,०००	६,१९६,०००	२६१३,०००	१८८६,०००	११६१७,०००
उत्तर प्रदेश.......	८,६७६,०००	९,१३६,०००	१००५६,०००	२३५६,०००	३७३१०,०००
बिहार..........	६,६१२,०००	६,५३०,०००	६४५१,०००	७२२८,०००	१७५०६,०००
कुल	६२,४९१,०००	६२,४१३,०००	६८,५५६,०००	३७,९३७,०००	१७०,८०८,०००

प्रत्येक प्रान्त में सिंचाई का क्षेत्र

(१९४२—४३)

१ प्रान्त	२ भूमि जिस पर खेती होती है	३ कुल सिंचाई का क्षेत्र एकड़ों में
अजमेर	४३१,०००	१३१,५२१
असाम	५,३७८,०००	६११,२४३
बंगाल (पश्चिमी)	९,२४२,०००	१,९६२,२४४
बंबई	२७,५५७,०००	१,३४५,८११
मध्यप्रदेश	२४,३०२,०००	१,६२०,०१६
कुर्ग	१५६,०००	४,८९६
देहली	२२२,०००	५६,७०४
मद्रास	३०,५३४,०००	११,२४२,०५८
उड़ीसा	६,४५३,०००	१,६३८,२१२
पूर्वी पंजाब	११,६१७,०००	१६,८५९,८२८
उत्तरप्रदेश	३७,४१०,०००	१२,०५१,८६४
बिहार	१७,५०६,०००	५,१६६,८३४
कुल	१७०,८०८,०००	५२,६९७,२२८

कुल भूमि जिसपर खेती होती है	१,७०,८०८,००० एकड़
कुल भूमि जिसकी सिंचाई होती है	५२,६९७,२२८ ,,
इस भूमि की सिंचाई नहीं होती	१,१८,१११,७७२ ,,

प्रमुख फसलों का उत्पादन

फसल	सन् १९४५–४६ में उत्पादन
१ चावल	१६,९२२,००० टन
२ गेहूँ	४,४६६,००० टन
३ काफी	१५,५८०,००० पौंड

फसल	उत्पादन
४ चाय	४५२,७१३,००० पौंड
५ रूई	१,३०४,००० गाँठें (प्रति गाँठ ४००पौंड)
६ जूट	१,४६५,००० गाँठें
७ अलसी	२६१,००० टन
८ सरसों	७०२,००० टन
९ तिल	२६६,००० टन
१० नारियल	२,३०२,००० टन
११ अंडी	३६,००० टन
१२ गुड़	४,१६०,००० टन

खाद्यान्नों की रोगादि से क्षति

एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में अन्न की फसलों को रोग आदि के कारण प्रतिवर्ष ५०० करोड़ रुपये की क्षति होती है। उत्तर-प्रदेश में ५० करोड़ रुपये की हानि इससे होती है।

चूहों तथा जीव-जन्तुओं द्वारा प्रतिवर्ष १,०००,००० टन अन्न नष्ट कर दिया जाता है।

सन् १९४७ में समस्त भारत में फसल म मंडूर (Rust) रोग के कारण २,०००,००० टन खाद्यान्न नष्ट हो गया।

यदि हमारे देश की कृषि-अनुसंधान संस्थाएँ तथा भारत सरकार का कृषि विभाग और राज्यों के कृषि-विभाग यदि इस खाद्यान्न को नष्ट होने से बचा लें, तो भारत को अमेरिका या कनाडा से भी अन्न मँगाने की आवश्यकता न पड़े।

अध्याय ४२

भरत का पशुधन

भारत में कृषि में उपयोग में आनेवाले पशुओं की संख्या भी बहुत बड़ी है। भारत कृषि-प्रधान होने के कारण सदैव से पशुओं के पालन में अग्रगण्य रहा है। यही कारण है कि अन्य देशों की अपेक्षा भारत में पशु अधिक हैं। कृषि के लिए बैल परम आवश्यक है। हल के लिए बैलों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हमारे देश में अभी वैज्ञानिक ढंग से यंत्रों की सहायता से कृषि का आरम्भ नहीं हुआ है। अनुमान किया जाता है कि भारत को अपने पशुधन से प्रतिवर्ष १९०० करोड़ रुपये की आय होती है।

भारत में गरीबी की वृद्धि के कारण पशुपालन की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि दुनियाँ में पशुओं की संख्या की दृष्टि से भारत का स्थान तृतीय होने पर भी यहाँ के पशु न तो अमेरिका, न्युजीलैण्ड तथा कनाडा के पशुओं के भाँति सबल हैं और न दूध ही अधिक देते हैं।

भारत में गाय-बैल का वध भी अधिक होने लगा है। इस कारण भी अच्छे गाय-बैल कम मिलने लगे हैं।

भारत में सबसे अच्छे पशु गुजरात, काठियावाड़, राजपूताना, पंजाब में मिलते हैं। सबसे अच्छे पशु गुजरात में हैं। मालवा और उत्तरी मद्रास में भी पशु अच्छे मिलते हैं। काश्मीर में भेंड़, बकरियों का पालन अच्छी तरह होता है। राजपूताने आदि में ऊटों से बोझा ढोने का काम लिया जाता है। आसाम में हाथियों से ऐसा ही काम लिया जाता है।

भारत में पशु-पालन के मार्ग में ये सब बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ हैं :—

(१) कट्टर-पंथी हिन्दू रोगी तथा दुर्बल गाय का वध करना स्वीकार नहीं करते ।

(२) पशुओं के लिए चारा तथा गोचर भूमि की कमी ।

(३) पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्रयत्न न करना ।

(४) पशु-पालन के अवैज्ञानिक तरीके ।

(५) पशुयों के रोगों की चिकित्सा के लिए सुव्यवस्था का अभाव ।

भारत में बैल, गाय व भैंस :—

भारत में १६ करोड़ ६० लाख बैल और ४ करोड़ ७० लाख भैंसें हैं । दोनों भिन्न-भिन्न जातियों के हैं । भार-वहन के लिए निम्नलिखित स्थानों के बैल अच्छे होते हैं; हिसार (पंजाब), हरियाना (पंजाब), कांकरेज (गुजरात), अमृतमहल (मैसूर), मालवी (मध्यभारत) ।

निम्नलिखित गायें तथा भैंसें अधिक दुधार होती हैं :—

लाल सिंधी (सिंध), साहीवाल (पंजाब), गिर (कठियावाड़), ओंगोले (मद्रास) । भारत में औसत गाय एक वर्ष में ५२५ पौंड दूध देती है । साहीवाल गाय एक वर्ष में ६,००० से ७००० पौंड तक दूध देती है ।

दुग्ध की दृष्टि से भैंस गाय की अपेक्षा अधिक दूध देती है । पंजाब की भैंस, काठियावाड़ की जाफरवादी भैंस, बंबई की सुरती पंधरपुरी भैंसें बहुत अच्छी होती हैं ।

भेंड़ें—भारत में ४½ करोड़ भेंड़ें हैं । ये वर्ष में ८½ करोड़ पौंड ऊन देती हैं । अधिक ऊन भारत में यू०पी०, राजपूताना काश्मीर और पंजाब में होता है । एक भेंड़ बर्ष में १·९ पौंड ऊन देती हैं ।

बकरियाँ—भारत में ५ करोड़ ८० लाख बकरे-बकरियाँ हैं । बकरियों से दूध मिलता है और इसका मांस भी लोग खाते हैं ।

शूकर—भारत में शूकर भी बहुत होते हैं । इनकी कई किस्में हैं । साधारण शूकरों को मेहतर पालते हैं । वे विष्टा खाकर सफाई का काम करते हैं । जंगली शूकर बड़ा भयानक होता है । वह मनुष्य पर हमला करता है । इसका मांस हिन्दू व सिक्ख सेवन करते हैं ।

परन्तु मुसलमान नहीं खाते । मुसलमान गोमांस खाते हैं । और हिन्दू गो को पवित्र मानते हैं ।

अश्व : हाथी—भारत में हाथी तथा घोड़े बहुत प्राचीन समय से सेना के प्रधान यातायात के साधन रहे हैं ।

इनका प्रयोग बोझा ढोने के लिए भी किया जाता है । घोड़े को गाड़ी, ताँगा व इक्के में जोतते हैं । ये यातायत के साधन हैं । बैलों को भी गाडियों में जोतते हैं, जो प्रायः बोझा ढोने के काम में आती हैं । मणिपुर के टट्टू अच्छे होते हैं ।

पशुओं का उपयोग :

बैल खेती के काम में आते हैं; उन्हें गाड़ियों में भी जोतते हैं । गाय दूध देती है । भैंस दूध देती है । हम दूध से दही, मक्खन, घृत आदि प्राप्त करते हैं । इसी प्रकार बकरी भी दूध देती है । गाय, बैल, बकरी का मांस भी लोग खाते हैं । भेड़ तथा बकरी से ऊन प्राप्त होता है । जब पशु मर जाते हैं, तब उनके मृत शरीर के अनेक अंगों का उपयोग किया जाता है—गाय, बैल तथा भैंस के चमड़े को पका कर उससे जूते, चप्पल, सूटकेस, अटैची, बेल्ट आदि बनाते हैं । हाथी दाँत की अनेक सुन्दर चीजें तथा बटन बनाते हैं । सींगों की बटनें, कंघे आदि बनते हैं । हड्डी की खाद बनाते हैं ।

भारत में पशु

सन्	बैल (हजारों में)	गाय (हजारों में)	भैंस (हजारों में)	भेड़ (हजारों मे)	बकरी (हजारों में)
१९२०–२१	४६ ५६८	३५,७९५	१७,९६७	२२,०३३	२४,०४५
१९२४–२५	४८,५५८	३६,४३३	१८,८४९	२३,१४०	३८,९४२
१९२८–२९	४८,६५०	३६,४८४	१९,०८०	२२,९८७	३७,२२३
१९३२–३३	४८,९८८	३६,५१८	१९,४३६	२५,११७	३५,२४९
१९३६–३७	४८,५६३	३६,९३६	२०,४२०	२३,७५४	३६,२४९
१९४०–४१	४८,८५५	३६,४४५	१८,९९५	२८,५२०	३९,२२४

भारत में वन-सम्पत्ति

भारत में वन-सम्पत्ति का देश के अर्थिक जीवन में एक महत्त्व-पूर्ण स्थान है। भारत की भूमि के एक चौथाई भाग में अर्थात् १५५,००० वर्गमील में वन है। इनमें ५०,०००० वर्गमील में व्यक्तिगत वन हैं; १००,००० वर्गमील के वनों पर राज्य का अधिकार है। ९०,००० वर्गमील वन-प्रदेश राज्यों के अधिकार में हैं। और १०,००० वर्गमील के वन-प्रदेश पंचायतों अथवा अन्य अधिकारियों के नियंत्रण में हैं।

भारत में विविध प्रदेशों में भिन्न-भिन्न प्रकार के वन हैं। वन-सम्पति से भारत को बहुत लाभ है। इनसे लकड़ी और ईंधन दोनों प्राप्त होते हैं।

भारत में वनों का प्रचारः—

हमारे देश में ४ प्रकार के वन मिलते हैं:—

(१) मरुभूमि के वन—ये वन राजपूताने में मिलते हैं। इनमें बबूल आदि के वृक्ष होते हैं। वे प्राय: छोटे झाड़ीवत् होते हैं।

(२) पतझड़ वाले वन—ये वन हिमालय प्रदेश में हैं। इनसे साल व सगौन की लकड़ियाँ मिलती हैं।

(३) सदैव हरियाले वन—ये वन ऐसे स्थानों में हैं, जहाँ वर्षा अधिक होने से ये सदैव हरे-भरे रहते हैं। इनमें बांस, ताड़ आदि के वृक्ष होते हैं।

(४) पहाड़ी वन—ये भी हिमालय में हैं। यहाँ देवदार के वृक्ष मिलते हैं।

(५) समुद्रतटीय वन।

वनों की उपयोगीता की दृष्टि से भी उनका वर्गीकरण किया जाता है:—

(१) रक्षात्मक वन—इनका उद्देश्य भूमि की जल-प्लावन तथा भूमि के कटने से रक्षा करना होता है।

(२) लकड़ी के वन—इसमें देवदार, सागौन, व साल की लकड़ियाँ होती हैं। इनसे लकड़ी की भिन्न-भिन्न चीजें बनाई जाती हैं।

(३) इधन के लायक लकड़ियों के जंगल ।

(४) घास के मैदान ।

शासन प्रबंध की दृष्टि से भी वनों का वर्गीकरण किया गया है, जो निम्न प्रकार है—

(१) सुरक्षित वन (Reserved Forests)—इन वनों पर सरकारी वन-विभाग का पूरा नियंत्रण होता है ।

(२) रक्षित वन (Protected Forests)—इन वनों पर राज्य का अधिकार होता है । किन्तु स्थानीय जनता इनमें से ईंधन, चारा आदि लेने का अधिकार रखती है ।

(३) अवर्गीकृत वन—ऐसे वन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता ।

वनों का प्रबंध

सन् १८६५ से वनों का प्रबंध भारत-सरकार ने आरम्भ किया । पहले वन-भारत सरकार के नियत्रंण में थे । बाद में वनों का नियंत्रण प्रान्तीय सरकारों के हाथों में आ गया । किन्तु भारत सरकार का एक इन्स्पेक्टर जनरल आफ फोरेस्ट भी होता है । देहरादून की केन्द्रीय वन-अनुसंधान-संस्था भारत सरकार के ही नियत्रण में है ।

वन-संपत्ति

लकड़ियों के भेद

१. साल— यह लकड़ी हिमालय की तराई के जंगलों तथा मध्य-भारत में मिलती है । इसका प्रयोग रेलवे स्लीपरों तथा मकान की छतों अथवा द्वार के चौखटों के लिए किया जाता है ।

२. सागवान— यह लकड़ी मध्य-प्रदेश के चांदा जिले, उत्तरी कन्नड़, अनमलाई पहाड़, त्रावणकोर, उड़ीसा, बंगाल, बंबई तथा बरार के वनों में मिलती है ।

३. जारूल— यह लकड़ी साधारण मेज-कुर्सी बनाने के काम में आती है। यह आसाम व बंगाल में मिलती है।

४. देवदार— यह लकड़ी पश्चिमी हिमालय में मिलती है। रेल-स्लीपरों तथा मकानों के लिए प्रयोग की जाती है। यह पजांब तथा काश्मीर के जंगलों से आती है।

५. सीसम— यह लकड़ी हल, गाड़ियों के पहिये, तथा कुर्सी, मेज, पलंग आदि बनाने के काम में आती है।

६. तुन— यह लकड़ी भी फर्नीचर बनाने के काम में आती है।

७. सिन्दुर वृक्ष या बलूत (Oak)—यह लकड़ी पूर्वी हिमालय, खासिया पहाड़ तथा मणिपुर की ओर मिलती है। यह मकान बनाने के काम में आती है।

८. रोजवुड— यह लकड़ी समस्त भारत में मिलती है। इसका फर्नीचर अच्छा बनता है।

९. चीड़— यह लकड़ी भी फर्नीचर, द्वार-पट तथा आलमारी बनाने के काम में आती है।

१०. बेंत और बाँस— ये भी बड़े उपयोग की चीजें हैं।

११. वनों में कई प्रकार की घासें भी होती है। सवाई घास से कागज बनाते हैं। मूँज की रस्सियाँ आदि बनाते हैं। उसके फूँस से छप्पड़ आदि बनाये जाते हैं।

लाख—— लाख भारत के गरम-प्रदेशों के वनों में होती है। इसके कीड़े कुछ विशेष वृक्षों पर डिम्ब बनाते हैं। इसी से लाख बनती है। लाख ग्रामोफोन रिकार्ड, प्लास्टिक, पेंट तथा वार्निश बनाने के काम में आती है।

मोम— जगलों में से मोम भी काफी मिलता है।

मधु— मधुमक्षिकाओं से मधु भी मिलता है।

गोंद और राल— ये चीजें भी पर्याप्त मिलती हैं।

अध्याय ४३

दुग्ध-शालाएँ

भारत में पाश्चात्य ढंग की वैज्ञानिक दुग्धशालाएँ बहुत ही कम हैं। भारत में यह उद्योग कुटीर-शिल्प है। ग्रामों में और नगरों के निकट लोग १०–१० अथवा २०–२० गाय-भैंस आदि रखते हैं और उनका दूध निकाल कर बाजारों में बेंच देते हैं। भारत में १ करोड़ ४४ लाख टन दूध प्रति वर्ष पशुओं से मिलता है। ३% दूध बकरियों में से; ४६% गायों से और ५१% भैंसों से प्राप्त होता है।

भारत में एक गाय वर्ष मे ५२५ पौंड दूध देती है। भैंस वर्ष में १,२७० पौंड दूध देती है। भारतीय गाय के दूध में ५% मक्खन होता है। अंग्रेजी गाय के दूध में ३·८ प्रतिशत मक्खन होता है। भैंस के दूध में ८ प्रतिशत।

भारत-सरकार के भोजन-विशेषज्ञ डा० आकरोयड का मत यह है कि—

"भारतीय गाय के दूध में यूरोपीय गाय की अपेक्षा २५% से ५०% तक अधिक मक्खन होता है। भैंस के दूध में गाय के दूध से दुगुना मक्खन होता है। भारत में गाय भैंस जो कम दूध देती हैं, उसकी पूर्ति अधिक अनुपात में उनके मक्खन से हो जाती है।

विविधि प्रान्तों में प्रति व्यक्ति औसत प्रतिदिन कितना दूध सेवन करता है, इसका ज्ञान निम्न-लिखित तालिका से हो जायगा:—

१	सिंध में	१८ औंस प्रति व्यक्ति
२	पंजाब में	१५·२ औंस ,,

३	यू० पी० में	७˙० औंस प्रति व्यक्ति
४	बंबई	
५	बिहार	
६	मध्य-प्रदेश	१˙८ औंस ,,
७	आसाम	

दुग्ध संस्थाएँ

सन् १९४८ में इंडियन डेरी साइन्स असोसियेसन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारतीय दुग्ध-शालाओं का विकास करना है।

इसी वर्ष एक इंडियन डेरी कौंसिल की भी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारत में दुग्धशाला उद्योग से संबंधित सभी के हितों की रक्षा करना है।

बंगलोर (मैसूर) में इंडियन डेरी इन्सटीट्यूट है; जहाँ दुग्ध-शाला की शिक्षा दी जाती है।

भारत में घृत उत्पादन

भारतीय संघ में प्रतिवर्ष १ करोड़ १५ लाख मन घृत उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक घृत पंजाब, यू० पी०, मद्रास और बिहार में क्रमशः १५˙७, १३˙८, ९˙८ और ५˙४ होता है। एक वर्गमील के क्षेत्र में ८˙९ मन घृत उत्पादन होता है। प्रतिगाँव २१˙४ मन तथा १०० व्यक्तियों पीछे ३˙६ मन घृत एक वर्ष में पैदा होता है।

ग्वालियर में १५˙५ और सिंध में ११˙२ सेर घी प्रति व्यक्ति वर्ष में सेवन करता है। हैदराबाद में यह अनुपात १˙१ सेर है और बंगाल में १˙३ सेर है।

भारत में नेपाल से प्रतिवर्ष ६६,००० मन घी आता है। भारत ६६,००० मन घी अफ्रीका, मलय तथा बर्मा को भेजता है।

घृत में मिलावट

आजकल शुद्ध घृत बाजार में नहीं मिलता। घृत में ऐसी मिलावट होने लगी है कि शुद्ध घृत तथा मिलावटी घृत में

भेद करना कठिन हो गया है। वनस्पति के अधिक-अधिक उत्पादन के कारण मिलावट होने लगी है। भारत सरकार के केन्द्रीय क्रय-विक्रय विभाग की ओर से घी प्रमाणित करने की व्यवस्था है। वे घी के टिनों की परीक्षा करके उन पर 'एगमार्क' मुहर लगा देते हैं। सन् १९४७ में २¼ लाख मन 'एगमार्क' घृत में केवल २·२% भाग उस घृत का था जो गाय-भैंस से देश में तैयार होता है। एगमार्क घृत के भी ५० % टिनों में मिलावट का घृत होता है।

'वनस्पति' के निर्माण व आयात पर प्रतिबन्ध

पूर्वी पंजाब के सुप्रसिद्ध संसद्-सदस्य पं० ठाकुरदत्त भार्गव ने २५ मार्च, १९५० को भारतीय संसद में वनस्पति पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया। हमारे देश में वनस्पति का प्रचार अधिक बढ़ता जा रहा है। यह उद्योग सन् १९२४–२५ में आरम्भ हुआ था। उस समय एक ही वनस्पति का कारखाना था। आज ऐसे ४० कारखाने हैं। सन् १९२७–२८ में भारत में २२,००० टन वनस्पति दूसरे देशों से यहाँ आती थी। सन् १९४० में २२ टन ही आई। इससे स्पष्ट है कि भारत में वनस्पति का प्रचार अधिक बढ़ रहा है।

'वनस्पति' अथवा 'डालडा' मूँगफली, नारियल आदि के तेलों से रासायनिक विधि से बनाया जाता है, जिससे वह जम कर घृत के समान हो जाता है। डालडा के गुण-दोषों के संबंध में डाक्टरों के विभिन्न मत हैं। कुछ इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकर मानते हैं और दूसरे इससे कोई हानि नहीं मानते। भारत सरकार ने इसके संबंध में अभी तक अपना कोई मत स्थिर नहीं किया है।

उक्त विधेयक ३० अगस्त, १९५० तक के लिए लोकमत जानने के लिए प्रचारित करने के लिए भेज दिया गया था।

अध्याय ४४

मत्स्य–पालन

मत्स्य-पालन के मुख्य भेदः—

भारत में मत्स्य-पालन के दो मुख्य प्रकार हैं—देश के भीतरी जलाशयों में मत्स्य-पालन तथा समुंद्री मत्स्य–पालन। देश के भीतर भी मत्स्य-पालन दो प्रकार से होता है। एक नदियों, नहरों, तालाबों तथा सरोवरों में मत्स्य-पालन किया जाता है; दूसरा डेल्टा क्षेत्रो में या समुद्र की धारा जहाँ देश में प्रवेश करती है, वहाँ मत्स्य-पालन किया जाता है। समुद्री मत्स्य-पालन भी दो प्रकार का होता है; एक तट पर मत्स्य-पालन ; दूसरा गहरे समुद्र में मत्स्य-पालन ।

भारत में मत्स्य-पालन के विकास के लिए पर्याप्त साधन हैं। हमारे देश में ३,२०० मील लम्बा समुद्र तट है। अभी समुद्र तट से ५ से १० मील तक के जल में ही मत्स्य-पालन किया जाता है। भारत में मत्स्य के रक्षण की अच्छी व्यवस्था नहीं है। यहाँ ताजा मत्स्य का ही लोग सेवन करते हैं। उसे सुखा कर रखने की व्यवस्था नहीं है।

भारत में प्रतिवर्ष मत्स्य का उत्पादन १ करोड़ ७० लाख मन है। इनका मूल्य १० करोड़ रुपये होता है। एक तिहाई उत्पादन नदियों, सरोवरों आदि से और समुद्र से होता है। भारत में विदेशों से मत्स्य नहीं आते। केवल मत्स्य-तैल ही १६ लाख रुपये के आते हैं। बंगाल, बबंई तथा त्रावणकोर में मत्स्यों को धूप में सुखाने की प्रथा है।

मत्स्य-पालन अनुसंधान का विकासः—

ऐसा विचार किया जा रहा है कि एक केन्द्रीय मत्स्य-पलन संस्था स्थापित की जाय । इसमें चार मुख्य विभाग

हों। एक विभाग में मत्स्यों की विशेषताओं, उनके पालन की विधि, उनके रक्षण तथा उनका विविधि तत्वों के उपभोग के संबंध में अनुसंधान हो। इस विभाग की स्थापना बंबई में की जायगी। एक दूसरा विभाग बंगाल में खोला जायगा। इसमें देश के भीतरी भागों के मत्स्यों तथा डेल्टा के मत्स्यों के संबंध में अनुसंधान किया जायगा। दो विभाग समुद्री मत्स्यों के अनुसंधान के लिए पूर्व व पश्चिमी समुद्र तटों पर खोले जायँगे।

मत्स्य-सेवन

भारत में मत्स्य का प्रयोग खाद्य के रूप में—बंगाल में ८०% जनता (जिनमें ब्राह्मण से लेकर भंगी तक सभी सम्मिलित हैं) मत्स्य-सेवन करती है। नदियों, सरोवरों आदि में ५०% मत्स्य-पालन होता है। बंबई में समुद्री मत्स्य का सेवन किया जाता है। मद्रास, उड़ीसा, कोचीन, त्रावणकोर, कालीकट, चिंगलेपुत, नैलोर, नागापट्टम में भी मछलियों के पकड़ने का अच्छा प्रबंध है।

बंगाल, उड़ीसा, गुजरात में तथा मद्रास में अब्राहमण ५०% जनता मत्स्य सेवन करती है।

देश	मत्स्य-सेवन प्रतिवर्ष प्रति-व्यक्ति
जापान	१११ पौंड
कनाडा	१०९ पौंड
डेनमार्क	६३ पौंड
इंगलैण्ड	४९ पौंड
संयुक्तराज्य अमेरिका	३५ पौंड
सोवियत रूस	१८ पौंड
ईरान	५ पौंड
बर्मा	५ पौंड
भारत	५ पौंड

मत्स्य-पालन में विकास

सन् १६४८ में भारत सरकार ने मत्स्य-पालन-सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें निम्न प्रकार निश्चय किये गये—

(१) सरकार को मत्स्य विक्री व्यवस्था के लिए मत्स्यजीवियों की सहकारी-समितियाँ स्थापित करनी चाहिए।

(२) प्रान्तीय सरकारों को बड़े बड़े नगरों में मछलियों की थोक बिक्री के लिए आधुनिक ढंग के बाजार स्थापित करने चाहिए।

(३) मत्स्य-रक्षण के लिए शीत रखने वाले यंत्रों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए।

(४) भारत सरकार के शीतकरण (Refrigeration) विशेषज्ञों को राज्यों की सरकारों को मत्स्य को शीत-भाण्डारों में रखने के संबंध मे परामर्श देना चाहिए।

(५) मत्स्यों के ले जाने के लिए तेज गति से चलनेवाली गाड़ियों का प्रयोग किया जाय।

(६) मत्स्यों के लिए शीघ्रतर यातायात का प्रबंध हो।

अध्याय ४५

भारत में उद्योगों का विकास

भारत-सरकार के उद्योग सचिवालय से सन् १९४७ में उद्योगों के संबंध में अनेक ज्ञातव्य तथ्य रिपोर्ट में प्रकाशित हुए हैं। ये उद्योग भारतीय संघ के अन्तर्गत प्रान्तों के संबंध में हैं। किन्तु इनमें कोचीन, कोल्हापुर, बड़ौदा, पोरबन्दर, पटियाला, जयपुर, अन्दालकोट, जोधपुर तथा मीराज, मैसूर, हैदराबाद त्रावणकोर, भोपाल, ग्वालियर और इन्दौर के संबंध में इस रिपोर्ट में आँकड़े नहीं दिये गये हैं। इसमें देश के २९ उद्योगों तथा ५,६४३ कारखानों के संबंध में आकड़े हैं।

भारत में कल-कारखाने

भारत में ५,६४३ कारखाने हैं। इन में से ज्ञातव्य आँकड़े ४,८८० के संबंध में ही हैं। इनमें २१५ कारखाने साल भर बन्द रहे। इन कारखानों ने वर्ष में २४० दिन कार्य किया। मद्रास में सबसे अधिक कारखाने हैं, परन्तु पूँजी तथा श्रमजीवी बंबई के कारखानों में सबसे अधिक हैं। कुल कारखानों के २५ प्रतिशत मद्रास में, २३ प्रतिशत पश्चिमी बंगाल में, १६ प्रतिशत बंबई में हैं। २६ प्रतिशत कारखाने चावल के हैं; २१ प्रतिशत इन्जीनियरिंग के कारखाने तथा १६ प्रतिशत वनस्पति के कारखाने हैं।

सीमेन्ट के कारखानों में ३४३ दिन काम किया गया; चर्म-उद्योग में २९६ दिन; बाइसिकिल उद्योग में २९६ दिन और कागज उद्योग में २९२ दिन काम किया गया। चीनी उद्योग में १८२ दिन ही काम हुआ।

उद्योगों की पूँजी

सन् १९४७ में २९ उद्योगों मे ४०४ करोड़ की पूँजी लगी हुई थी। इसमें नियत पूँजी, (fixed) जिसमें १६ प्रतिशत भूमि तथा भवन और २५ प्रतिशत मशीने आदि हैं, ४४ प्रतिशत थी। ३५ प्रतिशत कच्चा माल तथा २१ प्रतिशत तैयार माल था।

बंबई में सबसे अधिक पूँजी कारखानों में लगी हुई थी—११४·६ करोड़; पश्चिमी बंगाल में १०६·५ करोड़; उत्तर-प्रदेश में ५८·३ करोड़; बिहार में ४३·४ करोड़; मद्रास में ३६·८ करोड़। इस प्रकार कुल पूँजी का आधा भाग बंबई तथा बंगाल के कारखानों में लगा हुआ था।

निम्नलिखित उद्योगों में सन् १९४७ में निम्न प्रकार पूँजी लगी हुई थी:—

सन् १९४७

उद्योग	पूँजी (करोड़ रुपयों में)
सूती वस्त्र तथा रूई	१३२
जूट	५२
चीनी	४५
लोहा तथा इस्पात	३३
वनस्पति तेल	३१
इन्जीनियरिंग उद्योग	२७

उक्त ६ उद्योगों में कुल पूँजी का ७९ प्रतिशत भाग लगा हुआ है। शेष २१प्रतिशत पूँजी अन्य उद्योगों में लगी हुई है।

श्रमजीवी तथा उसकी मजूरी

सन् १९४७ में २९ उद्योगों में १६,३०,००० व्यक्ति काम करते थे। इनमें १४,८०,००० श्रमजीवी थे तथा १,५०,००० अन्य व्यक्ति थे।

इनमें ३० प्रतिशत श्रमजीवी ठेकेदारों के द्वारा भरती किये गये थे। १०प्रतिशत स्त्रियाँ थीं और ०·३ प्रतिशत बालक थे। यद्यपि

बंबई में उद्योगों में सबसे अधिक पूँजी लगी हुई है तथापि पश्चिमी बंगाल मे बंवई की अपेक्षा अधिक व्यक्ति उद्योग में लगे हुए हैं।

२९ उद्योगों में कुल श्रमजीवियों में से ३२प्रतिशत बगाल में, २९ प्रतिशत बंबई में, १० प्रतिशत मद्रास में, १०प्रतिशत यू०पी०में, ७ प्रतिशत बिहार मे, १० प्रतिशत शेष प्रदेशों में कार्य करते थे।

विविधि उद्योगों जमश्रमीवियों की संख्या

उद्योग	*श्रमजीवियों की संख्या*
(१) सूती वस्त्र उद्योग	७००,०००
(२) जूट	३३०,०००
(३) इन्जीनियरिंग	१२०,०००
(४) चीनी	१००,०००
(५) लोहा व इस्पात	८०,०००

मजूरी

सन् १९४७ में २९ उद्योगों में १३६ करोड़ रुपये मजूरी में श्रमजीवियों को दिये गये। प्रति व्यक्ति को प्रति दिन व्यय ३।≡) के हिसाव हुआ। १३६ करोड़ रुपये या ८४ प्रतिशत भाग श्रमजीवियों को दिया गया यानी उन्हें ३।≡) प्रति व्यक्ति प्रति दिन मिला।

विविधि प्रान्तों में श्रमजीवियों को औसत मजूरी निम्न प्रकार मिली—

प्रान्त	मजूरी
वंबई	३।।≡)
बंगाल	२।।≡)
मद्रास	२।।।−)
यू० पी०	२।।≡)
बिहार	३।।।)

उद्योग	कुल कितनी मजूरी मिली	प्रति व्यक्ति प्रति दिन की मजूरी
सूती वस्त्र	६७ करोड़	३≡
जूट	२३ ,,	२।–
इन्जीनियरिंग	११ ,,	२॥≡
लोहा	९ ,,	४।≡॥
चीनी	५ ,,	२॥=

कच्चा माल, कोयला आदि

सन् १९४७ में २९ उद्योगों द्वारा ६८,००,००० टन कोयला प्रयोग में लाया गया। कुल कोयले का ६४·४ प्रतिशत भाग बिहार व बंगाल के लोहे व इस्पात के कारखानों ने प्रयोग किया।

उद्योग	कितना कोयला प्रयोग में आया
लोहा उद्योग	३१,००,००० टन
सूती वस्त्र	१४,००,००० टन
जूट	६,००,००० टन
सीमेंट	५,००,००० टन
कागज	३,००,००० टन

२९ उद्योगों में १९४७ में १३२ करोड़ के डब्ल्यू० एच० विद्युत प्रयोग म लाई गई।

(१) कोयले का कुल मूल्य २९ करोड़ रुपये
(२) कच्चामाल, रासायनिक द्रव्य, पैंकिग ४५८ करोड़ रुपये

आय-व्यय

२९ उद्योगों को सन् १९४७ में ७४४ करोड़ रुपये की कुल आय हुई।

आय के साधन

(१) उत्पादन का मूल्य	७,३७,८६,३१,२३५	९९·२३ प्रतिशत
(२) अतिरिक्त कार्य करने से आमदनी—	५,७४,७३,२७०	७७ ,,
कुल आय	७,४३,६१,०४,५३५	१०० ,,

व्यय

		रुपये	प्रतिशत
(१)	कोयला तेल पर व्यय	२७,५५,३०६	३ ”
(२)	कच्चे माल, रसायन आदि पर व्यय	४,५८,३७,२६,४२०	६१ ”
(३)	दूसरों के लिए किये गये कार्यं के लिए व्यय––	२,८०,३५,६२०	४ ”
(४)	मशीनों आदि के घिसने-घिसने से क्षति––	१२,६५,३३,३३५	१७ ”
(५)	वेतन, मजदूरी आदि पर व्यय––	१,३५,७६,४५,२२४	१८ ३ ”
(६)	विविध	२७२८,३२००७	

कुल व्यय ६,३७,१५,२७,६१२

कुल आय	७,४३,६१,०४,५३५	रुपये
कुल व्यय	६,३७,१५,२७,६१२	
लाभ	१,०६,४५,७६,६२३	

२६ उद्योगों को १९४७ में लगभग १ अरब ६½ करोड़ रुपये का लाभ हुआ।

अध्याय ४६

भारत के प्रमुख उद्योग

वस्त्र-उद्योग

रूई

भारत में कई प्रकार की रूई पैदा की जाती है। किन्तु पश्चिमी भारत में भड़ौंच की रूई सबसे उत्तम होती है। मध्य प्रदेश में हिंगनाघाट की रूई भी प्रसिद्ध है। उत्तर में बंगाल रूई, जो गंगा के मैदान में पैदा होती है, अच्छी होती है। दक्षिण में तिनेवेली की रूई अच्छी होती है। सन् १९०० में रूई का उत्पादन १,०९०,००० गाँठें था। सन् १९२४ में ६,०९८,००० हो गया। संसार में सन् १९२९ में मन्दी के कारण उत्पादन सन् १९३१-३२ में ४,००७,००० गाँठें रह गया। जापान ने रूई खरीदना बन्द कर दिया। इसलिए उसका भाव और भी गिर गया। सन् १९३७–३८ में ६,२३४,००० गाँठें रूई पैदा हुई। १९३९–४० में ४,९०६,००० गाठें रूई पैदा की गई। रूई का उत्पादन जान-बूझ कर कम कर दिया गया। सन् १९४२ में ६,२३३,००० गाँठें रूई पैदा हुई। किन्तु रूई के भाव में वृद्धि नहीं हुई। अतः रूई की खेती कम होने लगी।

रूई का निर्यात

(हजार गाठों में; एक गाँठ=४०० पौंड)

देश	१९४२-४३	१९४३-४४	१९४४-४५	१९४५-४६	१९४६-४७
इंगलैण्ड	२२९	१८०	२३४	२२१	१०७
आस्ट्रेलिया	३४	२८	८	३०	३१
ब्रिटिश साम्राज्य	२२	८	८	२७	१३९
नीदरलेण्ड				१४	३९
बेलजियम				१६	८६
फ्रान्स				३४	४३
स्पेन				६३	२

जापान					
चीन				७४	२८०
संयुक्तराज्य अमेरिका	७	५४	६६	२६३	१५८
अन्य देश	६	१२	३	२१	२६
	३०१	२८२	३१६	७६३	६११

भारत में सूती-वस्त्र-व्यवसाय

भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व सूती वस्त्र व्यवसाय बहुत ही विकसित अवस्था में पहुँच चुका था।

टेलर साहेब ने सन् १८४६ में खादी का एक वस्त्र देखा था। वह २० गज लम्बा था और ३५ इंच चौड़ा था अर्थात् पूरा एक थान था। परन्तु उसका वजन ७ छटाँक था। इसी तरह उन्होंने ढाका में इतना वारीक सूत देखा था कि उसकी लम्बाई १६४६ गज़ थी। किन्तु उसका वजन केवल २२ ग्रेन था। आजकल की पद्धति से हिसाब करने पर उसका नम्बर ५२४ निकलता है।

'इनसाइक्लोपीडिया' ब्रिटेनिका में इस संबंध में यह लिखा है:—

"भारत में हाथ के कर्घे पर बुने हुए रूई के अत्यन्त सुन्दर वस्त्र वारीकी की दृष्टि से इतनी पूर्णावस्था को पहुँच चुके हैं कि अर्वाचीन यूरोप में मशीन के आश्चर्यजनक साधनों से भी उतने सुन्दर वस्त्र तैयार नहीं हो सकते।"

सतरहवीं शताब्दी में फ्रान्स, इंगलैण्ड आदि देशों में भारत में कर्घे से बुने हुए सुन्दर, मुलायम और वारीक मलमल तथा छपी हुई छीटों का बड़ा प्रचार था। इस कारण इंगलैण्ड का सूती वस्त्र का व्यवसाय चौपट हो गया था। यही कारण है कि सन् १७०१ में और सन् १७२१ में ब्रिटिश पार्लमेंट में कानून पास करवा कर भारत के छपे हुए और रंगीन वस्त्र पर जबरदस्ती चुंगी लगवाई और वैसे वस्त्रों का इंगलैण्ड में जाना बन्द करा दिया।

अब भारत में इंगलैण्ड के बने कपड़े जबरन बेंचे जाने लगे। देश के जुलाहों पर नाना प्रकार के अत्याचार किये गये। उनके हाथ तक कटवा दिये गये और अंग्रेजों ने भारत के सूती वस्त्र-व्यवसाय को नष्ट कर डाला।

सन् १८१८ में भारत में आधुनिक सूती मिलों की स्थापना आरम्भ हुई। सन् १८१८ में कलकत्ता में पहला सूती मिल खोला गया। बंबई में १८५४ में एक व्यवसायी ने सूती मिल खोला।

यहाँ हम भारत में मिलों की वृद्धि के संबंध में एक तालिका देते हैं:—

सूती मिलों में वृद्धि

सन्	मिलों की संख्या
१८८०	५६
१८९०	१३७
१९००	१९३
१९१०	२६३
१९२०	२५३
१९३०	३४८
१९४०	३८८
१९४८	४२२*

सन् १९४८ में भारत में (पाकिस्तान सहित) ४२२ सूती मिल थे। इन में १,०४,३३,०६५ तकुए और २,०२,०७२ कर्घे थे। इनमें ४,७६,१४५ मजदूर काम करते थे। इन मिलों में ४२,८२,९७४ गाँठें रूई (एक गाँठ ३९२ पौंड की) काम में लाई जाती थी।

वस्त्रों का उत्पादन

वर्ष	वस्त्र (गजों में)
१९४४–४५	४,७२६,४७२,२७३
१९४५–४६	४,६७५,६३४,३२१
१९४६–४७	३,८८९,७७९,८३४
१९४७–४८	३,७७०,०१६,५४३
१९४८–४९	४,०००,०००,०००

*पाकिस्तान के मिल भी सम्मिलित हैं।

विदेशों को भारतीय वस्त्रों का निर्यात

(,००० गज में)

देश	१९४२-४३	१९४३-४४	१९४४-४५	१९४५-४६	१९४६-४७	१९४७-४८
बर्मा	—	—	—	—	—	—
ईरान	३९,६५८	८९००	११,५६५	४२५५	१७,२२६	७१२१
ईराक	७७,७७३	१२७५०	२५,१७८	३४,१७१	२१,३१७	७०८१
मलय	---	---	---	---	---	---
अदन	४१,७१५	३४,४६०	५२,७६९	३७,८३०	१३,००७	११,१५३
केनिया	४२,९३०	४०,५८९	२८,६१४	३९,४५०	२०,७७७	१२,२०३
लंका	४५,४१९	३७,६४६	४३,८००	२७,८०८	३२,११८	२०,०२७
पूर्वी अफ्रीका	२,०९४	२०४	२८५	८३२	५३६	१७९
अन्य देश	४३९,१४९	३२६,७८८	२६०,८१६	३११,६२९	२१३,३३७	१३४,६५८

हाथ के कर्घे से बुने वस्त्र

भारत में हाथ के कर्वे से भी काफी कपड़ा बुना जाता है। यह उद्योग छोटे ग्रामोद्योग के रूप में होता है। इस में २,४००,००० जुलाहे तथा ३,६००,००० अन्य कारीगर लगे हुए हैं। १,६०,००,००,००० गज कपड़ा हाथ के २५ लाख कर्घों से तैयार होता है। इससे २५ प्रतिशत वस्त्र की कमी पूरी हो जाती है।

हाथ का बुना कपड़ा प्रायः बड़ा मँहगा रहता है। इसका मुख्य कारण है व्यापारियों की मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति। ये लोग ४६ प्रतिशत तक मुनाफा खाते हैं। हाथ के वस्त्र बुनने वाले प्रायः गरीब मजदूर हैं। उनके पास विक्री का साधन भी नहीं है।

ऊनी वस्त्र उद्योग

सूती वस्त्रों के समान ऊनी वस्त्र-व्यवसाय भी बहुत प्राचीन काल से उन्नतिशील रहा है। काश्मीर तो इसके लिए संसार में प्रसिद्ध है। किन्तु यह सब हाथों के कर्घों से ही बुने जाते थे।

सन् १८७६ में सबसे पहले कानपुर में ऊनी वस्त्रों का मिल खोला गया। इसके बाद १८८२ में धारीवाल में एक ऊनी मिल खुला। इसी वर्ष बंगलोर में भी ऊनी मिल खोला गया। सन् १८८८ में दादर, बंबई में ऊनी मिल खुला। प्रथम युद्ध (१९१४–१८) के बाद ऊनी व्यवसाय में काफी उन्नति हुई। इस उद्योग में २ करोड़ रुपये की पूँजी लगाई गई। किन्तु जापान की प्रतियोगिता के कारण यह उद्योग अधिक नहीं चमका।

ऊनी वस्त्रों का उत्पादन (१९३९) पौंड में

वस्त्र	देश में उत्पादन	बाहर से मँगाया गया	कुल
१ ऊनी बुने कपड़े बनियान आदि	२६९,०००	९५०,०००	१,२१९,०००
२ ऊनी कपड़े	२,१५३,०००	१,३४७,०००	३,५००,०००
३ ऊनी-सूती मिलावटी कपड़े	१,४१३०००	७१,५००	१,४८७,५००
४ कम्बल	३,६३५,०००	२,१३७,०००	५,७७२,०००
५ बटा हुआ ऊनी सूत	१,६१७,०००	५९,०००	१,६७६,०००
६ शाल और लोई	---	६७२,०००	६७२,०००
७ गलीचे का ऊनी सूत	---	१,८५६,००	१,८५६,०००
८ मेकेनिकल क्लाथ	१४५,०००	६७,०००	८११,०००
९ अन्य वस्त्रादि	७००,०००	३३४,०००	१,०३४,०००
कुल	११,१००,०००	७,९२७,५००	१९,०२७,५००

जूट उद्योग

भारत ससार में जूट के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक रहा है। जूट की अधिक खेती पूर्वी बंगाल में होती है। यह आजकल पाकिस्तान में है।

सन् १८५५ में सबसे पहला जूट मिल बंगाल में खुला। सन् १८५९ में मिल में यंत्र लगाकर काम किया जाने लगा। जार्ज एकलैण्ड नामक एक अंग्रेज ने सबसे पहले बंगाल में जूट का मिल खोला और वह इंगलैण्ड से कातने की मशीन लाया। सन् १८५५ में सेरामपुर के निकट बेलिंगटन मिल के स्थान पर रिशरा में सबसे पहले जूट कातने की मशीन लगाई गई थी। सन् १८६८ में यह कंपनी बन्द कर दी गई। इससे इसके संचालक को कोई लाभ नहीं हुआ।

जूट मिल-उद्योग ने आरम्भ से क्रमशः उन्नति की है, जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है:—

भारतीय जूट मिल

वर्ष	मिलों की संख्या	कर्घों की संख्या	तकुओं की संख्या
१९१४	७०	३८,३७९	७९५,५२८
१९२०	७७	४१,५८८	८६९,८७९
१९२५	९०	५०,५०३	१,०६३,७००
१९३०	१००	६१,८३४	१,२२४,९८२
१९३५	१०४	६३,७२४	१,२७९,४१६
१९३९	१०७	६७,९३९	१,३५०,४६६

३१ दिसम्बर, १९४७ को भारतीय संघ में ११३ जूट मिल थे। इनमें ६८,५४७ कर्घे थे।

जूट माल का उत्पादन व निर्यात (हजार टन में)

वर्ष	उत्पादन जूट माल कुल	निर्यात	स्टाक (भारतीय जूट मिल एसोसियसन के पास)
१९३८–३९	११६५	१,००४	१४७
१९३९–४०	१२६४	१,१४७	१४६

वर्ष	उत्पादन	निर्यात	[illegible]
१९४०–४१	९८४	८२१	१४५
१९४१–४२	१२२५	८२५	२५१
१९४२–४३	१२०५	६८९	२७५
१९४३–४४	९५४	६३५	१९५
१९४४–४५	१०००	६७७	१७७
१९४५–४६	१०८५	७११	१८८
१९४६–४७	९६४	८२०	१७६

जूट–निर्यात

वर्ष	तैयार माल	कच्चामाल	कुल जूट जो बाहर भेजी गई
१९३८–३९	२६,२१,९६,७३७	१३,३५,१४,६८०	१६२,७७,३६,८८३
१९४३–४४	४९,४७,१८,४९५	८,३२,९१,०३९	१९९,८७,९८,१३१
१९४४–४५	६०,४२,५१,७५२	७,५०,०१,४४६	२११,०५,१०,५८६
१९४५–४६	५९,५२,९९,८१७	१५,८३,६९,१८५	२४०,३८,८३,११९
दिसंबर१९४६	५७,८६,०६,९२६	१२,६९,५३,७४०	२०७,५४,०७,६०९

संसार में जूट का उत्पादन (टन में)

वर्ष	भारत	पाकिस्तान	नेपाल	अन्य देश	कुल
१९४६-४७	२३९,०००	७४९,०००	३६,०००	२८,०००	१,०५२,०००
१९४७-४८	३०१,०००	१,२४२,०००	७,०००	२८,०००	१,५७८,०००

इस्पात का उद्योग

भारत में लोह का उद्योग अन्य उद्योगों की भाँति प्राचीन है। देहली में कुतुब मीनार के पास जो लोहे का एक स्तम्भ खड़ा है, वह आज से २००० वर्ष पहले का है और आज भी वह ज्यों का त्यों बना हुआ है। इससे भारत में लोहे के उद्योग तथा कारीगरी पर ऐतिहासिक प्रकाश पड़ता है। भारत से विदशों में तलवार आदि बनाने के लिए लोहा भेजा जाता था, इसके भी प्रमाण मिलते हैं।

भारत में आधुनिक ढंग के इस्पात बनाने के कारखान की नींव कुल्टी नामक स्थान में पड़ी जहाँ बराकर आयरन फाउण्डरी कायम की गई। सन् १८८७ में यह कंपनी बराकर आयरन एण्ड स्टील कपनी के अधीन हो गई। २ वर्ष के बाद यह कारखाना आधुनिक ढंग का बना दिया गया और बंगाल आयरन कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कंपनी ने सबसे प्रथम आधुनिक ढंग से लोहा तैयार किया।

इस क्षेत्र में जमशेद जी टाटा नामक एक पारसी व्यवसायी का नाम सबसे अधिक उल्लेखनीय है, जिन्होंने भारत म स्टील उद्योग की स्थापना में अथक श्रम किया। सन् १९०८ में साकची में टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी स्थापित की गई। यहाँ सन् १९११ में लोहा बनना शुरू हो गया।

यह साकची का छोटा-सा ग्राम ही आज का जमशेदपुर है। इस कंपनी ने गत ४० वर्षों में आशाजनक उन्नति की है। यह कंपनी अब एक वर्ष में ८५०,००० टन तैयार इस्पात बना लेती है। सन् १९१८ में हीरापुर में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी खोली गई। सन् १९३६ में इसने बंगाल आयरन कंपनी को भी खरीद लिया। इन दोनों के मिल जाने पर बंगाल स्टील कारपोरशन बना। यह कारपोरेशन २५०,००० टन वार्षिक इस्पात पैदा करता है। मसूर म भद्रावती में लोह का कारखाना १९२१ में खुला। इसमें २५,००० टन वार्षिक इस्पात तयार होता है।

चीनी उद्योग

भारत में चीनी के उद्योग ने बहुत ही अल्प समय में पर्याप्त उन्नति की है। भारत में पहले जावा आदि से चीनी आती थी। सन् १९३२ से भारत सरकार ने चीनी उद्योग को संरक्षण दिया। इसका अर्थ यह है कि बाहर से देश में आनेवाली चीनी पर ११२ पौंड (५६ सेर) पर ९) आयात कर (Import duty) लगा दिया। इससे भारत में चीनी के व्यवसाय को बड़ी सहायता मिली।

सन् १९३२ में भारत में २९०,००० टन चीनी का उत्पादन था। सन् १९३९–४० में यह बढ़कर १,२४१,००० टन हो गया। यह सबसे अधिक उत्पादन है। इसके बाद उत्पादन म कमी हो गई।

भारत में चीनी का उत्पादन (टनों में)

वर्ष	भारत में चीनी के कारखाने	चीनी का उत्पादन (नवम्बर-अक्टूबर)	गुड़ से बनी चीनी	खाँडसारी	चीनी का कुल उत्पादन	बाहर से आई चीनी
१९३२–३३	५७	२९०,१७७	८०,१०६	२७५,०००	६४५,३८३	३८१,०८१
१९३३–३४	११२	४५४,०००	६४,९००	२००,०००	७१८,९००	२२३,३६६
१९३४–३५	१३०	५७८,१००	४३,५००	१५०,०००	७७१,६००	१९७,७७५
१९३५–३६	१३७	९३२,१००	४७,९००	१२५,०००	१,१०५,०००	८६,९६२
१९३६–३७	१३७	१,१११,४००	२५,६००	१००,०००	१,२३७,०००	११,१६०
१९३७–३८	१३६	९३०,७००	१७,२००	१२५,७००	१,०७२,०००	६,४१०
१९३८–३९	१३९	६५०,८००	१४,७००	१००,०००	७६२,५००	२५४,४००
१९३९–४०	१४५	१,२४१,७००	२६,५००	१२५,०००	१३९३,२००	३४,०९३
१९४०–४१	१४८	१,०९५,४००	४४,७००	२००,०००	१३४०,१००	२७,९३४
१९४१–४२	१५०	७७८,१००	२०,४००	१००,०००	८९८,५००	१२३,८४३
१९४२–४३	१५०	१,०७०,६००	७,८००	११४,०००	१२९२,५००	८

वर्ष	कारखाने	उत्पादन	गुड़ की चीनी	खाँड़सारी	कुल उत्पादन	आयात
१९४३--४४	१५१	१,२१६,४००	७,७००	१५०,०००	१३७४,०००	१४
१९४४--४५	१४०	९५३,५००	६,४००	१२५,०००	१०८४,९००	३०
१९४५--४६	१४५	९४४,८००	४,०००	११७,०००	१०६५,८००	
१९४६--४७	१४०	९०१,०००	४,०००	१०५,३००	१,०१०,०००	
१९४७--४८	१३४	१०७४,८००	४,०००	९८,०००	१,१७६,८००	
१९४८--४९	१३४	१०२९,८००	४,०००	१००,०००	१,१६९,८००	१४,३८९
१९४९--५० (अनुमान)	१३४	९७०,०००	४,०००	१००,०००	१,०७४,०००	

— —

सन् १९३१–३२ में ३,०७६ ००० एकड़ भूमि में ईख की खेती होती थी। सन् १९४०–४१ में ४,७००,००० एकड़ भूमि में गन्ने की खेती होने लगी। सन् १९४८–४९ में ३,६४५, ००० भूमि में गन्ने की खेती हुई।

चीनी पर नियंत्रण

सन् १९४२ से चीनी पर सरकार का नियंत्रण आरम्भ हुआ और १० दिसंवर १९४७ तक यह नियत्रण रहा। इसके बाद चीनी पर से नियंत्रण हटा लिया गया। सन् १९४७–४८ में गन्ने का भाव १। प्रति मन से बढ़ा कर २ रु० प्रति मन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में सन् १९४८–४९ में गन्ने का भाव घटा कर १।।।– प्रति मन कर दिया गया और बिहार में १।।= प्रति मन। सन् १९४७–४८ में चीनी का दाम ३५।≡ प्रति मन रखा गया। सन् १९४८–४९ में यह भाव घटा कर २८।।) प्रति मन कर दिया गया।

चीनी के उद्योग में मुनाफाखोरी और पुनर्नियंत्रण

जुलाई, में १९४९ में बाजार में चीनी का दाम एकदम बढ गया और कलकत्ता, देहली, बंबई, कानपुर आदि नगरों में चीनी का दुर्भिक्ष हो गया। चीनी चोर-बाजार में चली गई और व्यापारी तथा दूकानदार २ से ३ रुपये सेर तक चीनी बेंचने लगे। जुलाई, १९४९ में भारतीय चीनी सिंडीकेट के पास २,६२,२३५ टन चीनी जमा थी। किन्तु १ सितम्बर, १९४९ को सरकार ने देश भर में चीनी का जो स्टाक था उस पर सरकारी नियंत्रण घोषित कर दिया। चीनी कारखानों में १,५०,००० टन चीनी पर सरकार ने अधिकार जमा लिया। इससे चीनी के व्यापारियों तथा चीनी मिल-मालिकों ने लाखों और करोड़ों का मुनाफा उठाया।

लाला कर्मचन्द थापर ने अपने एक लेख में यह कहा है कि चीनी मिल-मालिकों ने ३ करोड़ का मुनाफा कर लिया,

यह गलत है। वह कहते हैं कि मिल-मालिकों ने केवल ३२, २६,५५० मन चीनी पर ही २½ रुपये प्रति मन के हिसाब से मुनाफा उठाया है जो ८० लाख रुपये होता है। वह आगे यह लिखते हैं कि दलाली में उन्हें २ करोड़ ६५ हजार रुपये देने पड़ते हैं। इस प्रकार १ करोड़ २० लाख रुपये का उन्हें घाटा रहा है।

भारत में देशी चीनी का दाम ३५) रु० मन है जबकि क्यूबा की चीनी का दाम यहाँ १७) रु० मन है। पाकिस्तान में भी देशी चीनी १७) रु० मन बिक रही है। ऐसी दशा में भारत के व्यापारी ही चीनी के इस संकट के लिए उत्तरदायी है।

चीनी के मूल्य मे उत्तरोत्तर वृद्धि

सन् १६४२ में	१२। प्रतिमन नियंत्रणकाल में
सन् १६४३ में	१४॥- प्रतिमन ,,
सन् १६४४ में	१५।= प्रतिमन ,,
सन् १६४५ में	१६॥) प्रतिमन ,,
सन् १६४६—४७ में	२०॥= प्रतिमन ,,
सन् १६४८ में	३५।≡ प्रतिमन (नियंत्रण हट जाने पर सरकार द्वारा निश्चित)
सन् १६४६ में	२८) प्रतिमन

भारत मे चीनी का प्रयोग

भारत में मिल की चीनी के अतिरिक्त भूरा, देशी खाँड़ तथा गुड़ का उत्पादन काफी होता है और ग्रामों तथा नगरों में गरीब जनता गुड़ तथा भूरे का ही अधिक प्रयोग करती है। भारत में प्रति व्यक्ति ६ पौंड चीनी प्रतिवर्ष सेवन करता है। इसके अतिरिक्त २४ पौंड गुड़ का भी प्रयोग करता है।

द्वितीय युद्ध से पूर्व विविधि देशों में प्रति व्यक्ति चीनी का प्रयोग इस प्रकार होता था—

१	इंगलैण्ड	१०६ पौंड	प्रति व्यक्ति
२	संयुक्त राज्य अमेरिका	९७ पौंड	,,
३	ब्राजील——	३४ ,,	,,
४	फ्रान्स—— —— ——	५२ ,,	,,
५	आस्ट्रेलिया————————	११६ ,,	,,
६	जर्मनी—— —— ——	५२ ,,	,,
७	क्यूबा—— —— —— ——	८८ ,,	,,
८	जावा—— —— —— ——	११ ,,	,,
९	जापान—— —— —— ——	३३ ,,	,,
१०	दक्षिणी अफ्रीका	४७ ,,	,,
११	नीदरलैण्ड	६४ ,,	,,
१२	भारत	६ पौंड+२४ पौंड गुड़=३०पौंड	

चाय का उद्योग

सन् १८२० में आसाम में चाय के जंगली ढंग से उगे पौधे सबसे पहले देखे गये। ईस्ट इडिया कंपनी को इसका पता लगा और सन् १८३५ में परीक्षण के रूप में चाय के बाग लगाये गये। पाँच साल के बाद सरकार ने इन बागों को आसाम कंपनी के हाथ बेंच दिया। पहले १० वर्षों तक तो चाय-बगानों से कुछ लाभ नहीं हुआ। लेकिन बाद में इनसे पर्याप्त लाभ हुआ।

इस प्रकार गत १०० वर्षों में चाय का उद्योग भारत का एक मुख्य उद्योग बन गया है। आसाम तथा पश्चिमी बंगाल में चाय सबसे अधिक होती है। कुल उत्पादन का ५६% भाग आसाम में होता है। संयुक्त बंगाल में २७% तथा शेष भारत में १६% चाय का उत्पादन होता था।

चाय का निर्यात

वर्ष	एकड़ भूमि	चाय का उत्पादन (पौंड में)
१९००	५२३,०००	२१०,००,०००
१९१०	५९१,०००	२९०,००,०००
१९२०	७९०,०००	३३६,००,०००

वर्ष	भूमि (एकड़ में)	उत्पादन (पौंड में)
१९३०	८४०,०००	३९१,००,०००
१९४०	८४०,०००	४७१,००,०००
१९४७	८४७,०००	६००,००,०००

चाय का उत्पादन

देश	१९३८-३९	१९४५-४६	१९४६-४७
इंगलैण्ड	३०,७९,००,०००	२३,७९,००,०००	२२,५५,००,०००
संयुक्त राज्य अमेरिका	१,३४,००,०००	५,२३,००,०००	३,९०,००,०००
कनाडा	१,७१,००,०००	१,९७,००,०००	२,४०,००,०००
आस्ट्रेलिया	१३,००,०००	१,५७,००,०००	१,१४,००,०००
ईरान	५१,००,०००	५७,००,०००	४९,००,०००
मिस्र	३,००,०००	४७,००,०००	३५,००,०००
लंका	३९,००,०००	२९,००,०००	३,००,०००
अरब	३,००,०००	२४,००,०००	१३,००,०००
चिली	——	२०,००,०००	१९,००,०००

भारत में चाय के मूल्य में वृद्धि

सन्	एक पौंड चाय का मूल्य		
	रुपया	आना	पाई
१९३३–३४		४	१०
१९३४–३५		५	२
१९३५–३६		४	१०
१९३६–३७		४	८
१९३७–३८		४	९
१९३८–३९		४	०
१९३९–४०		४	४
१९४०–४१		४	१
१९४१–४२		७	४
१९४२–४३	१	०	१०

सन्	रु०	आ०	पा०
१९४३–४४		९	८
१९४४–४५		१०	७
१९४६–४७		१४	४
१९४७–४८	१	५	१०
१९४८–४९	१	३	५

यह मूल्य भारत में नीलाम से बिकने वाली चाय का है। किन्तु भारत में फुटकर चाय २।।।≡) प्रति पौंड मिलती है। इस प्रकार यह अनुमान लगाया जा सकता है कि चाय का मूल्य कितना बढ़ गया है।

मद्यसार उद्योग

मद्यसार (Alcohal) के तीन प्रयोग हैं। यह एक प्रकार का मादक पेय है। दूसरे, यह अनेक रसायनों में प्रयोग किया जाता है। तीसरे, यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मद्यसार अंगूर, महुआ, ताड़ अथवा जौ आदि को सड़ाने से पैदा होता है। काफी दिनों तक ये पानी में डाल दिये जाते हैं; जब इनमें उफान आने लगता है और फेन बनने लगता है तब इनसे मद्यसार बनता है।

भारत में मुख्य रूप से तीन प्रकार की देशी मदिरा प्रचलित है। एक यव-मदिरा—यह जौ से बनाई जाती है। इसमें २ से १० प्रतिशत मद्यसार होता है। दूसरी ताड़ी—यह ताड़ के रस को काफी दिनों तक सड़ाने के बाद वनती है। तीसरी महुआ, गुड़ अथवा सीरे से बनाई जाती है। साधारण लोग इन्हीं मदिराओं का पान करते हैं। धनी व्यक्ति तथा सेनाओं के सैनिक विदेशी मदिरा का प्रयोग करते हैं।

भारत में मद्य उत्पादन

(लाख रुपये)

वर्ष	मद्यशालाओं की संख्या	मद्य उत्पादन (गैलन)	उद्योग में पूँजी जो लगी है	कितने व्यक्ति काम करते हैं
१९३०	२६	४०,००,०००	१५०	२,०००

वर्ष	मद्यशालाएँ	उत्पादन	पूँजी	श्रमिक
१९४२	५२	६५,००,०००	२५०	२,६००
१९४६	७१	१,२०,००,०००	३५०	३,०००
१९४७	६८	१,०७,००,०००	४००	३,०००
१९४८	६८	१,००,००,०००	४००	३,०००

विदेशों से भारत में मदिरा-आयात

वर्ष	बियर आदि गैलन में	स्प्रिट, लिकर, वाइन गैलन में	कुल मदिरा गैलन में	कुल मूल्य रुपयों में
१९४५-४६	१,४२,६३२	१०,७५,४४६	१२,१८,०७८	२,३७,५३,११८
१९४६-४७	५,५६,३३५	६,१०,६८३	१६,०५,४२३	६,६२,६६,२५६
१९४७-४८	....	....	२५,०३,४२०	३,७१,०५,३८७
१९४८-४९ (१० मास में)	....	....	....	२,०३,६७,८२७

भारत में मदिरा-निषेध

भारत में वैदिक-काल से लेकर ऐतिहासिक मध्य काल तक (सन् १४९८) मद्य-सेवन का निषेध था। ईसा के जन्म से ३९९ वर्ष पूर्व फाहियान नामक एक चीनी यात्री भारत में आया। उसने तत्कालीन दशा के संबंध में यह लिखा है—"मैं यह देख कर प्रसन्नता अनुभव करता हूँ कि भारतवासी किसी प्रकार के मद्य-पेय का सेवन नहीं करते। उनके बाजारों में कहीं भी मदिरा नहीं मिलती।"

जब सन् १४९८ में पुर्तगाल (यूरोप) से वास्कोडिगामा भारत में आया, तब उसने भी यहाँ के संबंध में यह लिखा है कि—

"भारत में मद्यपान नहीं होता है। जो लोग मद्य-सेवन करते थे उनके संबंधी तथा मित्र उनसे बड़ा बुरा व्यवहार करते थे। उन्हें राज्य की ओर से कठोर दण्ड दिया जाता था।"

भारत में अंग्रेजों के आगमन के साथ मद्यपान का प्रचार होने लगा और गत २०० वर्षों में भारत में यह प्रथा पूरी तरह

प्रतिष्ठित हो गई। भारत में जितने भी समाज-सुधारक नेता हुए उन सब ने मद्य-पान की निंदा की और इसके निषेध के लिए प्रयत्न किया। इनमें आर्यसमाज तथा उसके संस्थापक स्वामी दयानन्द का नाम विशेष उल्लेखनीय है। बंगाल के श्री केशवचन्द्र सेन ने इसका घोर विरोध किया। आधुनिक समय में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने सन् १६२० से मादक द्रव्य-निषेध को काँग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में स्थान दिया। ६ जनवरी, १७२७ को भारत की केन्द्रीय विधान सभा में श्री रामदास पान्तुली ने एक प्रस्ताव मादक-द्रव्य निषेध के लिए रखा। इसी प्रकार अन्य प्रान्तीय सभाओं में भी ऐसे ही प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

जब सन् १६३७ में प्रान्तीय स्वराज्य के अन्तर्गत काँग्रेस ने ६–७ प्रान्तों में मंत्रि-मण्डल बनाये तब उनके कार्यक्रम में मद्य-निषेध को स्थान दिया गया। तत्कालीन मद्रास के मुख्यमंत्री श्री राजगोपालाचार्य ने मद्रास प्रान्त के सलेम जिले में सबसे पहले मद्य-निषेध का कानून लागू किया।

भारतीय संविधान में भी मद्य-निषेध के संबंध में राज्य की निर्देशक नीति में यह स्पष्ट लिखा है कि राज्य मद्य-निषेध के लिए प्रयत्न करेगा। इस प्रकार मद्य-निषेध भारतीय शासन की निश्चित नीति है।

१ अक्टूबर, १६४८ से मद्रास में पूर्णतः मद्य-निषेध जारी है। अन्य सब राज्यों में आंशिक रूप से मद्य-निषेध की व्यवस्था है। ६ अप्रेल, १६५० से बंबई राज्य में पूर्ण-मद्य-निषेध जारी हो गया है।

बंबई में समाचार-पत्रों में मद्य-संबंधी विज्ञापन नहीं छापे जाते और न चित्रपटों में मद्य-पान के दृश्य दिखलाये जाते हैं। मद्रास में जहाँ पहले मद्य-शालाएँ थीं वहाँ अब

वाय-काफी के उपाहार-गृह हैं। बंवई में "नीरा" का प्रचार किया जा रहा है।

सीमेंट उद्योग

भारत में सबसे पहले सन् १९०४ में मद्रास नगर के बाहर एक छोटी सीमेंट कंपनी खोली गई। किन्तु वह शीघ्र ही बन्द हो गई। इसके बाद ३ नवीन कंपनियाँ खुलीं। पहले सीमेंट कंपनियाँ व्यक्तिगत उद्योग के आधार पर खुलीं। इसलिए उन्हें २-२१/२ करोड़ रुपये का घाटा रहा। सन् १९२५ में भारतीय सीमेंट निर्माता-सभा की स्थापना की गई। इस सभा का कार्य सीमेंट की कीमत निश्चित करना था। प्रत्येक सदस्य कंपनी अपना माल बेंचने की अपनी अलग व्यवस्था करती थी। सन् १९२७ में कंक्रीट एसोसियेसन आफ इंडिया की स्थापना की गई। इस संस्था को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रति टन सीमेंट पर ५ आना शुल्क लेना आरम्भ कर दिया। कंक्रीट एसोसियेसन की स्थापना का उद्देश्य भारत की जनता में सीमेंट की उपयोगिता तथा लाभों के संबंध में प्रचार करना था। इसके बाद सीमेंट मारकेटिंग कंपनी (इंडिया) की स्थापना की गई।

श्री एफ० ई० दीनशा वाचा के प्रयत्न के फलस्वरूप भारत की सब सीमेंट कंपनियां मिल गईं और उन्होंने सन् १९३६ में एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनीज लिमिटेड, बंबई बनाई। इसके अन्तर्गत १४ सीमेंट कंपनियाँ हैं।

सन् १९३८ में डालमिया सीमेंट कम्पनियों ने उक्त एसोसियेटेड कम्पनी के साथ प्रतिस्पर्द्धा करना आरम्भ कर दिया। इससे फिर दोनों पक्षों में समझौता हुआ और उसके फलस्वरूप सीमेंट मारकेटिंग कंपनी इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई। इस संस्था के द्वारा सीमेंट की बिक्री होने लगी। इस समय भारत में १८ सीमेंट कंपनियाँ हैं।

सीमेन्ट का उत्पादन

सन्	सीमेंट (टनों में)	सन्	सीमेंट (टनों में)
१९३५-३६	८९०,६८३	१९४१-४२	२,२२२,०००
१९३६-३७	९९७,४१४	१९४२-४३	२,१८३,०००
१९३७-३८	१,१६९,८९४	१९४३-४४	२,११२,०००
१९३८-३९	१,५१२,०००	१९४४-४५	२,०४८,५४३
१९३९-४०	— — —	१९४५-४६	२,०७५,३५०
१९४०-४१	१,७२१,०००	१९४६-४७	२,०१६,०००

रसायन उद्योग

रसायन का उद्योग बहुत महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि रासायनिक उत्पादन पर अन्य उद्योगों का उत्पादन निर्भर है।

रसायन दो प्रकार के हैं; एक भारी रसायन कहलाते हैं और दूसरे हलका रसायन। भारी रसायनों का उत्पादन बहुत मात्रा में सस्ते खर्च से होता है और हलके रसायनों का उत्पादन कम मात्रा में अधिक खर्चे के साथ होता है।

भारी रसायनों में अम्ल, (acid) क्षार, सोड़ा, पोटाश तथा खाद इत्यादि सम्मिलित हैं। हलके रसायनों में फोटोग्राफी की सामग्री, औषधियाँ, रंग, वार्निश आदि हैं।

प्रतिवर्ष भारत में ८०,००० टन गधंक का तेजाब पैदा किया जाता है। ५५,००० टन कास्टिक सोडा प्रयोग में आता है। ३ कारखानों में सोडा ऐश तैयार किया जाता है। प्रतिवर्ष ७७,००० सोडा ऐश पैदा होता है।

रासायनिक खाद उत्पादन की भारत को बड़ी आवश्यकता है। अधिक अन्न उत्पादन के लिए भारत को प्रतिवर्ष ४००,००० टन एमोनियम सलफेट की आवश्यकता है। बेलागुला में इसका एक कारखाना है। यह ७५०० टन एमोनियम सल्फेट पैदा करता है। एलवी में एक कारखाना १५० टन प्रतिदिन सल्फेट पैदा करता है। सिंदरी में एक नया कारखाना खोला जा रहा है। इसमें १००,००० टन सालाना खाद तैयार होगी।

भारत में फिल्म उद्योग

भारत में फिल्म उद्योग भी ३५ वर्ष से स्थापित है, और इसने पर्याप्त उन्नति की है। बंवई भारत का 'हौलीवुड' है। भारत में जितने चित्रपट तैयार होते हैं उनका ६०% बंबई के स्टूडियो में ही तैयार होते हैं। अब तो ६०% बंबई में ही तैयार होते हैं। कुछ चित्रपट मद्रास और कलकत्ता में भी तैयार किये जाते हैं।

भारत में इस समय ५० फिल्म स्टूडियो हैं और २५० चित्र-निर्माता कंपनियाँ हैं। प्रसिद्ध स्टूडियो बंबई, पूना, कोल्हापुर, कलकत्ता, मद्रास सलेम तथा कोयम्बटूर में हैं।

फिल्म उद्योग में १० करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है। इसमें १५०००० व्यक्ति लगे हुए हैं।

(१) फिल्मों के निर्माण तथा वितरण में ४½ करोड़ रु० की पूँजी
(२) स्टूडियो के निर्माण, मशीन आदि में १½ करोड़ रु० ,, ,,
(३) प्रदर्शन गृहों के निर्माण आदि मे ४½ करोड़ रु० ,, ,,

चित्रपट (फिल्म) उद्योग में कलाकार, अभिनेता
चित्रकार, संगीतज्ञ तथा अन्य कारीगर ४०००
वितरण आदि के कार्य में क्लर्क आदि ४५००
चित्रपटों के प्रदर्शन में ६,५००

भारत में चित्र-पट-निर्माण

भाषा	१९४२	१९४३	१९४४	१९४५	१९४६	१९४७	१९४८
तामिल	२१	११	१३	११	१३	२६	३२
तेलगू	१०	४	५	४	१०	६	७
कन्नड़ी	२	४	..	१	..	.	..
बंगला	१५	२०	१२	६	११	३३	२७
पंजाबी	३	३	१	..	..	..	..
सिंधी	१	..	...	..	..		..
मारवाड़ी	१	१	..	..	..	..	..
गुजराती	..	..	..	..	१	११	२८
मराठी	१३	७	५	..	..	६	७
उर्दू	..	..	..	..	६	..	..
अन्य भाषाएँ	७	६	१	७	२	१२	६
हिन्दी	९९	९८	८८	६७	१५१	१८७	१४७
कुल संख्या	१७२	१५७	१२५	९९	२००	२८३	२६४

काँच का उद्योग

भारत में काँच का उद्योग भी एक मुख्य व्यवसाय है। भारत में अति प्रचीन काल से काँच का उद्योग विद्यमान है। ईसा के जन्म से पूर्व भारत में काँच का उद्योग बड़ी उन्नत दशा में था। पुरातत्व विभाग की ओर से प्राचीन नगरों की जो खुदाई हुई है, उसमें भी काँच की अनेक चीजें मिली हैं। सिंघल की रामवंशावलि में (ईसा से ३०६ वर्ष पूर्व) ग्लास के संबंध में वर्णन मिलता है। जुलूस में दर्पण लेकर लोग चलते थे। १६ वीं शताब्दी में काँच का उद्योग प्रतिष्ठित था। चूड़ियाँ तथा बोतलें आदि बनाई जाती थीं। किन्तु आधुनिक रूप में यह उद्योग १९वीं सदी में ही प्रतिष्ठित हो सका।

भारत में प्रति वर्ष १५३,४५० टन काँच व काँच की वस्तुएें बनाई जाती हैं। देश भर में १७४ काँच के कारखानें हैं।

सन १९४० में काँच का सामान ५८३,८०० रुपये का विदेशों को भेजा गया। इसी वर्ष १०,७९०,००० रुपयों का माल विदेशों से देश में आया।

उत्तर-प्रदेश काँच के उद्योग में सबसे आगे है। इसके बाद कलकत्ता का स्थान है। बेलगाँव (बंबई) तथा मैसूर में भी यह उद्योग अच्छी दशा में है।

चर्म-उद्योग

भारत में चर्म उद्योग भी प्राचीन समय से विद्यमान है। चर्म उद्योग को समाज में उच्च वर्ग के लोग पहले घृणा-जनक समझते थे। इसलिए यह कुटीर-शिल्प के रूप में दलित जातियों में प्रचलित रहा। प्रत्येक ग्राम में जब कोई गाय, भैंस, बैल या बकरी मर जाती है तब ग्राम में रहनेवाले चमार जाति के लोग उसे ले जाते हैं और उधेड़ कर उसका

चमड़ा निकाल लेते हैं। देशी ढंग से उसे वे पका लेते हैं। इस प्रकार देश में कुल चमड़ा उत्पादन का ७०% से ८०% भाग इन चर्मकारों द्वारा ही प्राप्त होता है। शेष वधशालाओं से मिलता है। भारत में २ करोड़ मवेशी का चमड़ा, ५७ लाख भैंस का चमड़ा, २ करोड़ ७५ लाख बकरियों का चमड़ा और १ करोड़ ७० लाख भेड़ों का चमड़ा तैयार होता है। इस पर भी भारत में ,विदेशों से ६० लाख पशुओं का चमड़ा आता है।

द्वितीय युद्ध से पूर्व भारत १०% भैंस का चमड़ा, २२.५% गौ का चमड़ा, ६.५% भेड़ का चमड़ा और ८०% बकरी का चमड़ा विदेशों में भेजता था।

भारत में जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है चर्मकार देशी ढंग से चमड़ा पकाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक विधि से चमड़ा पकाने के लिए कानपुर, मद्रास तथा कलकत्ता में चर्मालय खुले हुए हैं। कलकत्ता, जालंधर तथा बंबई में हैनिंग इन्स्टीट्यूट हैं। मद्रास में चमड़े के संबंध में अनुसंधान के लिए एक संस्था की नींव रखी गई है।

भारत में चमड़ा-व्यवसाय बहुत ही असंगठित दशा में है। भारत में बाटा जैसी कंपनियाँ तो बहुत ही कम हैं। जूते, चप्पल, बूट, आदि बनाने का काम घरेलू धंधे के रूप में ही होता है। आगरा, कानपुर, कलकत्ता, बंबई, मद्रास में जूते बनाने का उद्योग काफी बड़ा है। आगरा नगर में १००,००० से भी अधिक लोग जूते बनाने के काम में लगे हुए हैं। यह सब कुटीर-शिल्प के रूप में हैं। इनका न कोई मजदूर-संघ है और न संघटन ही है। व्यापारी इन मजदूरों के श्रम से माल-माल हो रहे हैं और जूता-मजदूरों की आर्थिक दशा दिन-पर-दिन गिरती ही जा रही हैं।

इनमें सहकारिता का अभाव है। यदि चमड़ा-उद्योग का सहकारी ढंग से संघटन किया जाय और उत्तर-प्रदेश तथा अन्य

प्रान्तों की सरकारों के सहकारी विभाग इसमें दिलचस्पी लें तो इन के हितों तथा जीविका की रक्षा हो सकेगी।

धातु-उद्योग

लोहे तथा इस्पात के उद्योग के संबंध में हम विचार कर चुके हैं। यहाँ हम उन उद्योगों पर विचार करेंगे जो लोहे के अतिरिक्त अन्य धातुओं से संबंध रखते हैं। इस धातु-उद्योग के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं:—

(१) कच्ची धातु से शुद्ध धातु का उत्पादन।

(२) धातु के टुकड़ों को शुद्ध करना।

(३) धातु में से निम्नलिखित चीजें बनाना:—

(क) तांबा, पीतल, अलमोनियम, शीशा, और जस्ता आदि की चादरें तैयार करना।

(ख) उक्त धातुओं की छड़ें, टयूब आदि बनाना।

(ग) तांबा; पीतल, आदि के तार आदि बनाना।

(घ) धातुओं का मिश्रण तथा ढलाई।

भारत के खनिज सलाहकार डा० डी० ए० वाडिया का यह मत है कि देश में अलमोनियम तांबा, और Antimony के खनिज साधन पर्याप्त हैं। शीशा, जस्ता तथा टिन देश म पर्याप्त नहीं है। सन १९३९ में भारत में ६,००० टन सालाना शुद्ध तांबा तैयार होता था। ८००० टन पीतल की चादरें तैयार होती थीं।

अलमोनियम बनाने का उद्योग सन् १९४४ से आरम्भ हुआ है। प्रति वर्ष ७००० टन अलमोनियम तैयार होता है। बंबई में ऐन्टीमनी का कारखाना खोला गया है। इसमें ७००० टन ऐन्टीमनी तैयार होता है। शीशा ६०० टन प्रतिवर्ष तैयार होता है।

कागज का उद्योग

भारत में कागज का उद्योग आधुनकि उद्योग है। प्राचीन समय में ताड़-पत्रों व ताम्रपत्रों पर लिखने की परिपाटी थी।

पहले पहल कागज का आविष्कार सन् १०५ ई० में चीन में हुआ। वहाँ से मुसलमानों ने इसका प्रचार यूरोप में किया। १२०० शतब्दी से भारत में भी कागज का प्रयोग होने लगा। इस समय के बहुत से लेख, पत्र आदि मिलते हैं। भारत में हाथ से कागज बनाने का उद्योग तो बहुत पहले से प्रचलित है। सम्राट बाबर ने (१४८३-१५३०) अपने सस्मरणों में यह लिखा है कि दुनियाँ में सर्वश्रेष्ठ कागज समरकन्द में मिलता था।

कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर सेरामपुर में डा० विलियम केरी ने सन् १८६३ में कागज का कारखाना खोला। उस वर्ष वेली में रायल पेपर मिल स्थापित किया गया। इसके १५ वर्ष बाद, १८७८ में लखनऊ में अपर इंडिया कूपर पेपर मिल खोला गया। कलकत्ता के पास टीटागढ़ में टीटागढ़ पेपरमिल भी इसी समय खुला। अन्य प्रान्तों में भी मिल खुलने लगे। सन १६००में २०,०००टन कागज बनने लगा। आज कल भारत में बढ़ियाँ और हर प्रकार का कागज बनने लगा है, जो यूरोप के मुकाबले का है।

पहले कागज-मिल कपड़ों के चिथड़ों तथा रद्दी कागजों से ही कागज बानाते थे। बाद में मुंज और सावाई घास से कागज बनाने लगे। आजकल बाँस और सावाई दोनों से कागज बनाते हैं।

मध्य-प्रदेश में चाँदनी में नेशनल इन्फौरमेशन एण्ड पबलिकेशन लि०, बंबई ने एक न्यूजप्रिंट मिल खोलने का प्रबंध किया है। भारत में अखबारी कागज का निर्माण नहीं होता। ऐसे सब कागज विदेशों से ही में आते हैं।

प्लास्टिक-उद्योग

भारत में प्लास्टिक का उद्योग नवीनतम है। द्वितीय युद्ध से पूर्व प्लास्टिक की चीजें विदेशों से आती थीं। किन्तु युद्धकाल में वे बन्द हो गईं। तब भारत में यह उद्योग

आरम्भ हो गया । प्लास्टिक बड़ा लचीला होता है । इसका प्रयोग आजकल अनेक उद्योगों में होने लगा है । प्लास्टिक की बहुत सी चीजें बनने लगी हैं । जैसे, रुपये-पैसे रखने के लिए मनीबैग, पर्स, चूड़ियाँ, घड़ियों के स्ट्रेप, सेंडल आदि ।

भारत में ३५ प्लास्टिक के कारखाने हैं । इस उद्योग में २ करोड़ रुपये लगे हैं । यह उद्योग बड़ी उन्नति कर रहा है । आशा है, इसमें २ करोड़ रुपये और लग जायँगे । सन् १९३९ में ५०,००० रुपये का प्लास्टिक माल भारत में काम में लाया जाता था । सन १९४३-४६ में ५ करोड़ रुपये का माल काम में लाया जाने लगा ।

रबड़ उद्योग

संसार मे रबड़ का उत्पादन करनेवाले प्रमुख देश निम्नलिखित हैं;—

देश	मात्रा (टनों में)
मलय देश	६५१,५००
(नीदर लैण्ड) हिन्देशिया	६५२,५००
लंका	११०,०००
भारत व पाकिस्तान	१७,७५०
बर्मा	१३,७५०
बोर्नियो	२१,०००
सरावक	४४,०००
थाइलैण्ड	६०,०००
	१५,६९,०००

पोत-निर्माण-उद्योग

उन्नीसवीं शताब्दी से पूर्व भारत व्यापारिक पोत-निर्माण उद्योग (Shipping Industry) में बहुत बढ़ा-चढ़ा था । भारत का संसार के देशों के साथ व्यापारिक संबंध रहा था

और सुमात्रा, जावा, जापान, चीन, अमेरिका, मौक्सिको आदि में हिन्दुओं के उपनिवेश थे। स्पष्ट है कि इन देशों में जाने के लिए जलयानों का प्रयोग किया जाता था। जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया और वह वापस जाने लगा तब उसकी सेनाएँ सिंधु तथा फारस की खाड़ी में होकर २,००० पोतों में गई थी। १८१९ में बाल्टिक सागर में जब हिम के कारण १८ युद्धपोत नष्ट हो गये, तब बंबई में निर्मित "सालसेते" पोत ही सुरक्षित बचा रह गया था। सन १८५२-५४ में बंबई में वाडिया ने ऐसा जलयान बनाया था, जिसको १८८८ तक नौका विशेषज्ञों द्वारा प्रशंसा की गई। इस जलयान ने क्रीमिया व फारस की लड़ाइयों में भाग लिया। बाद में फारस की खाड़ी में केबिन डालने के काम में उसका प्रयोग किया गया। जब देश पर ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन स्थापित हो गया तब भारत में सामुद्रिक व्यापार का सारा काम ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेवीगेसन कम्पनी के द्वारा संपादन होने लगा।

भारत में पोतनिर्माण में सबसे अग्रसर सिंधिया स्टीम नेवीगेसन कम्पनी है। यह कम्पनी अब नियमित रूप से इगलैंड, यूरोप के देशों तथा अमेरिका को यात्रियों को जलयानों द्वारा ले जाती है तथा लाती है। यह मास में दो बार इंगलैंड व यूरोप को जलयान भेजती है और एक मास में एक बार अमेरिका को।

भारतीय पोत कम्पनियाँ

भारत	पोतों को संख्या	टन
१ सिंधिया स्टीम व नेवीगेसन कं०	३३	१९४,९०८
२ इंडिया स्टीम कंपनी लि०	८	६०,३१०
३ भारत लाइन लिमिटेड	१०	४३,०२८
४ ओसियानिक नेवीगेसन कं० लि०	३	१९,९८६
५ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी	१	७७,१२४

फरवरी, १९४९ में कंपनी की बैठक में श्री बालचंद हीराचंद न यह बतलाया कि कंपनी ने नौ पोत २ करोड़ २० लाख रुपये के खरीदे हैं। इसके अतिरिक्त इंगलैण्ड में तीन भारतीय जलयान बनवाये गये हैं—"जलराजन", "जलआजाद" और "जल-जवाहर"। इसके अतिरिक्त कंपनी ने इंगलैण्ड से दो जलयान "जलबाला" तथा "जलमत्स्य" खरीद लिये हैं। इन पांचों जल-यानों की कीमत २ करोड़ ८० लाख रुपये हैं। "जल-उषा" विजगापट्टम में ही ६८ लाख रुपये में बनाई गई थी। कंपनी को १५ जलयान बढ़ाने में ७ करोड़ ५८ लाख रुपये खर्च करने पड़े हैं।

इस प्रकार भारत का जल-यातायत ४० प्रतिशत भारतीय जलयानों द्वारा किया जाता है। शेष ब्रिटिश तथा अन्य कंपनियों द्वारा किया जाता है।

तम्बाकू उद्योग

प्राचीन भारत में तम्बाकू का प्रचलन नहीं था। सन् १५०८ में पुर्तगाल (युरोप) के यात्री भारत में तम्बाकू लाये और यहाँ भी उसका प्रचार आरम्भ हो गया। तम्बाकू सबसे अधिक अमेरिका तथा चीन में होती है। भारत का तीसरा स्थान है। १ अप्रेल, १९४३ से भारत में तम्बाकू पर कर लगाया गया है। इसकी आय में से प्रतिवर्ष १,०००,००० रुपये तम्बाकू के अनुसंधान के लिए व्यय किया जाता है। भारत सरकार ने सन् १९४५ में भारतीय तम्बाकू-समिति स्थापित की। इस समिति में तम्बाकू से संबंध रखनेवाले सभी हित हैं। इसका मुख्य कार्य तम्बाकू के संबंध में अनुसंधान करना है।

भारत के तम्बाकू का उत्पादन

क्षेत्र	एकड़ भूमि में खेती	तम्बाकू का कुल उत्पादन (पौंड में)
मद्रास	२७४,७४४	२१४,३२७,०८६
बंबई	१४३,२९१	८७,५६५,११६

क्षेत्र	रकबा	उत्पादन
कलकत्ता	४८,७९९	६१,८२६,५१२
इलाहाबाद	३५,१३९	५९,२९३,६२७
देहली	१२,६६०	१२,६३१,१९४
शिलाङ्ग	६३६	४७४,८०३
कुल	५१५,२९९	४३६,१२१,३३८

तेल-उद्योग

भारत में तेल-उद्योग अति प्राचीन काल से प्रचलित है। ग्राम-व्यवस्था में जहाँ कृषक, कुम्हार, बढ़ई, लुहार आदि का स्थान है, वहाँ तेली का भी स्थान है। तेली कोल्हू से तेल पेर कर निकालता है। यह भारत का एक प्रमुख कुटीर-शिल्प है।

आधुनिक समय में तेल-कल भी तेल उत्पादन का काम करती है। बड़े-बड़े नगरों में तेल के मिल हैं, जिनमें प्रतिदिन हजारों मन तेल तैयार होता है।

भारत में तेलहन का उत्पादन (टनों में)

तेलहन	१९३४-३६	१९३७-३९	१९४०-४२	१९४३-४५	१९४६-४७
अलसी	३९३	४४१	४२१	३९९	३६०
मूँगफली	२,४२४	३,०३८	३,१३८	३,३४६	३,११३
तिल	२५०	४४९	४२३	४२२	३६६
बिनोला	२,०२५	२,३८३	२,१००	१,९६७	२,०००
नारियल	—	—	—	—	—
सरसों	९३३	९७०	१,१००	१,०२०	९६०
अंडी	१२६	११४	९७	१३९	१०५
	६,३५१	७,३९५	७,४३६	७,२९३	६,९०४

द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व २५ से ३० लाख टन अलसी, मूँगफली तथा नारियल से तेल निकाला जाता था। युद्ध-काल

में तेल उद्योग को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। तेल के दाम भी महँगे हो गये। आजकल ३५ लाख टन अलसी, मूँगफली तथा नारियल पेरा जाता है। देश में २४००० घानी अर्थात् कोल्हू हैं जिन्हें बैल चलाते हैं; १००० हाथ से चलने वाली तेल-कलें हैं; १०,००० राटेरी मिल हैं, ६०० एक्सपेलर तथा ७५ हाइड्रोलिक प्रेस हैं। इस उद्योग में १२ करोड़ रुपये लगे हुए ह।

कोल्हू १,०००,००० टन तेलहनों से तेल निकालते हैं। इनसे तिल तथा सरसों के तेल निकाले जाते हैं। स्क्रू प्रेस से अंडी का तेल निकाला जाता है। नारियल का तेल राटेरी प्रेस से निकाला जाता है। ये सब मशीनें देश में ही बनाई जाती हैं।

एक्सपेलर तथा हाईड्रोलिक मशीनें गत ४० वर्षों से प्रयोग में आ रही हैं। मूँगफली का तेल निकालने के लिए एक्सपेलर तथा बिनोले का तेल निकालने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस काम में लाये जाते हैं।

सन् १९४४ में भारत सरकार ने भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति नियुक्त की, जो नारियल उद्योग के संबंध में अनुसंधान के लिए प्रयत्न करती है। इसने दो अनुसंधान-शालाएँ स्थापित की हैं।

वनस्पति उद्योग

वनस्पति उद्योग भारत मे सबसे नवीन उद्योग है। यह तैल-उद्योग का ही एक भाग है। सन् १९३० में छोटे पैमाने पर यह उद्योग आरम्भ हुआ और गत २० वर्षों में इसका ऐसा विकास हुआ कि नगरों में और ग्रामों में शुद्ध घी, मक्खन, तथा दूध का मिलना समस्या बन गया है। इसे दूध में मिला कर इससे अधिक मक्खन निकालते हैं। इस प्रकार न तो दूध शुद्ध

मिलता है और न मक्खन तथा घी। घी में वनस्पति की मिलावट खूब चल रही है। आजकल घी ५) या ६) रुपये सेर मिलता है और वनस्पति डालदा २) या २।।) सेर मिलता है। इस प्रकार व्यापारी लोग वनस्पति को घी में मिलाकर बेंचते हैं। वनस्पति का रूपरंग भी घी के समान होता है।

कई बार प्रान्तीय सरकारों ने वनस्पति को रंगीन बनाकर घी की रक्षा करने का उपाय सोचा। किन्तु पूँजीपतियों के दबाव के कारण इस दिशा में कुछ भी नहीं हो सका है। गत मार्च, १९५० में पं० ठाकुरदत्त भार्गव के भारतीय संसद में वनस्पति की रोक के लिए एक विधेयक पेश किया है। किन्तु भारत-सरकार उसे शीघ्र स्वीकार न कर वनस्पति उद्योगपतियों को यह अवसर दे रही है कि वे उसके विरुद्ध आवाज उठावें

वनस्पति का प्रचार गत ३० वर्षों में कितना बढ़ गया है, यह निम्नलिखित आँकडों से ज्ञात हो जायगा।

वनस्पति का उत्पादन

वर्ष	कारखानों की सख्या	भारत में बिक्री (टन)
१९३५	५	१८,०००
१९३६	५	२२,०००
१९३७	५	३२,०००
१९३८	५	४०,०००
१९३९	९	५१,०००
१९४०	११	६५,०००
१९४१	१२	८४,०००
१९४२	१२	७१,०००
१९४३	१६	८७,०००
१९४४	१८	१०३,०००
१९४५	२१	१३४,०००
१९४६	२१	१३८,०००
१९४७	२३	९६,०००
१९४८	२६	१२७,०००

सन् १९४४ में १८ कारखाने थे। भारतसरकार ने १७ कारखाने और स्थापित करने लिए अनुज्ञा-पत्र दे दिये हैं। इस प्रकार जब ३५ कारखाने काम करने लगेंगे तब ४,५००,००० टन वनस्पति सन् १९५० तक तैयार होने लगेगी।

इस उद्योग में २० करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है।

खनिज उद्योग

किसी भी देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए खनिज उद्योग सबसे अधिक महत्त्व का है। खनिज उत्पादन के संबंध में भारत की स्थिति निम्नप्रकार है—

१. भारत में कच्चा लोहा तथा अवरक इतनी अधिक है कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के बाद विदेशों में भी वे भेजे जा सकते हैं।

२. कुछ ऐसी धातुएँ हैं जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं और जिन्हें विदेशों में भी भेजा जा सकता हैं। जैसे—

मैंगानीज़, बौक्साइट, मैगनीसाइट, जिप्सम, मोनोमेन्टल, ग्रेनाइट, मोनाज़इट तथा सीमेंट का कच्चा माल।

३. ऐसे खनिज पदार्थ जिनका उत्पादन केवल भारत की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। जैसे—

कोयला, अलमोनियम, सोना, कच्चा क्रोम, मकान बनाने के पत्थर, संगमरमर, स्लेट, लाइमस्टोन, सोडियमसाल्ट, काँच की मट्टी, बोरेक्स, नाइट्रेट, फासफेट, ज़िरयाने, आरसेनिक, ऐन्टीमनी तथा बहुमूल्य पत्थर।

निम्नलिखित खनिज पदार्थों के लिए भारत को अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है—

कच्चा ताँबा, चाँदी, निकिल, पैट्रोल, गंधक, जस्ता, जिंक, टिन, पारा, पोटाश, असफाल्ट आदि।

अध्याय ४७

भारत में श्रमजीवी

सन् १९३१ की जनगणना के अनुसार भारत की ३५ करोड़ २८ लाख की जनसंख्या में से १४ करोड़ ८८ लाख व्यक्ति विविधि उद्योग व धंधों में लगे हुए थे। इनमें से १० करोड़ व्यक्ति कृषि में, १ करोड़ ५४ लाख उद्योगों में, २३ लाख यातायात में और ३०,००० खनिज उद्योग में काम करते थे। सन् १९३१ में १०.४ प्रतिशत व्यक्ति उद्योगों में लगे हुए थे। सन् १९४१ में इस प्रकार के आँकड़े संग्रह नहीं किये गये।

भारत में औद्योगिक श्रमजीवी

सन्	कारखानों की संख्या	श्रमजीवियों की संख्या
१९२९	७,१५३	१,४५५,०९२
१९३४	७,७०८	१,३९८,१३६
१९३९	१०,४६६	१,७५१,१३७
१९४०	१०,९१९	१,८४४,४२८
१९४१	११,८६८	२,१५६,३७७
१९४२	१२,५२७	२,२८२,२८८
१९४३	१३,००९	२,४३६,३१२
१९४४	१४,०७१	२,५२२,७५३
१९४५	१४,६६५	२,६४२,९७७

उद्योग-वार श्रमजीवियों की संख्या

(संयुक्त भारत में)

उद्योग	कुल श्रमजीवियों की संख्या सन् १९४६ में
सूती वस्त्र-उद्योग	२८२,४०८
इन्जीनियरिंग	६,३८६

उद्योग	श्रमजीवियों की संख्या
खनिज तथा धातु उद्योग	८३,७०८
खाद्य पेय व तम्बाकू	३०८;२७७
रसायन तथा रंग	९८,२००
कागज तथा छपाई	६९,३०४
लकड़ी, पत्थर व काँच	९०,७३१
रूई के मिल	१०५,४०७
चर्म-व्यवसाय	३०,३९५
आर्डिनेंन्स फैक्टरी	१०३,१५९
रेलवे वार्कशाप	१०२,१०९
कपड़ा बनाना (clothing)	५,४५५
विविधि	६०,६५५
	२,२९६,१९४

भारत में श्रम व्यवस्था

भारत की केन्द्रीय सरकार में एक श्रम सचिवालय है और प्रत्येक राज्य की सरकार में एक श्रम-मंत्री है। इस प्रकार श्रम केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विषय है।

भारत में सामुद्रिक श्रमजीवियों की व्यवस्था भारत सरकार के वाणिज्य सचिवालय द्वारा की जाती है। समस्त रेलों के संबंध में केन्द्रीय श्रम-मंत्री १९३६ के वेतन अदायगी कानून, मजदूरों के विवाद, मजदूरों के लिए काम के घंटों तथा बालकों के काम करने के संबंध में व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं। खानों तथा तैल-क्षेत्रों में मजदूरों की सुरक्षा के लिए भी श्रममंत्री उत्तरदायी है। केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में जो उद्योग, व्यवसाय या कारोबार चलते हैं, उनमें मजदूरों के विवादों के निपटारे की व्यवस्था के लिए भी वही उत्तररदायी है। समवर्ती विषय सूची के अन्तर्गत केन्द्रीय श्रममंत्री इन विषयों के संबंध में व्यवस्था करता है:—

(१) कारखाने, (२) मजदूरों का जनकल्याण, (३) प्रावीडेंट फंड, (४) मजदूरों के लिए क्षतिपूर्ति, (५) स्वास्थ-बीमा, (६) वृद्धावस्था या अंगहीन होने पर पेंशन, (७) बेकारी-बीमा, (८) मजदूर संघ, (६) औद्योगिक तथा मजदूरों के झगड़े, (६) विद्युत, (१०) बोयलर ।

भारतीय संविधान और श्रम-व्यवस्था

भारतीय संविधान के सातवें परिशिष्ट (Schedule) में समवर्ती विषय सूची के अन्तर्गत विषयों पर केन्द्रीय व राज्यों की विधान-सभाएँ कानून बना सकती हैं। वे विषय निम्न प्रकार हैं:—

२२—मजदूर-संघ; औद्योगिक तथा श्रमजीवियों के विवाद।

२३—सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, रोजगारी तथा बेकारी ।

२४—श्रमजीवियों का जन-कल्याण—इसमें उनके कार्य की शर्तें; प्राविडेंट फंड, मिल-मालिकों का दायित्व, वृद्धावस्था में वृत्ति, प्रसूता सहायता सम्मिलित है।

२५—मजदूरों की व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा।

भारतीय कारखाना कानून

सन् १८८१ मे प्रथम भारतीय कारखाना कानून बनाया गया। निरीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होने से इसके अनुसार कार्य नहीं किया गया। सन् १८९० मे कारखाना कमीशन नियुक्त किया गया। इसके आधार पर सन् १८९१ में नया कानून बनाया गया। इस कानून में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं:—

(१) प्रतिदिन अनिवार्यतः आधा घंटे का विश्राम।

(२) सप्ताह में एक दिन का अवकाश ।

(३) ९ वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने में काम पर न लगाया जाय । ९ से १४ वर्ष के बालकों से ७ घंटे काम लिया जाय।

(४) स्त्रियाँ ११ घंटे काम करें।

(५) रात्रि में स्त्रियाँ को काम पर न लगाया जाय।

सन् १९११ में पुनः इस कानून में परिवर्त्तन किये गये। यह नियम बनाया गया कि पुरुष १२ घंटे प्रतिदिन से अधिक काम न करें। सन् १९२२ में बंबई की मिल-मालिक-सभा ने वायसराय को एक आवेदन-पत्र इस आशय का दिया कि सूती मिलों में मजदूरों के काम के घंटे १२ के स्थान पर १० कर दिये जाँय।

सन् १९२२ में भारतीय कारखाना-कानून में फिर संशोधन किये गये। इस कानून में कई बार संशोधन हुए। सन् १९४७ में भारतीय कारखाना कानून में पुनः संशोधन किया गया। १ अप्रेल, १९४९ से यह लागू है।

कारखाना कानून १९४८:

यह कानून उन समस्त औद्योगिक कारखानों पर लागू है जो १० या अधिक श्रमजीवी रखते हैं और जो विद्युत या स्टीम का प्रयोग करते हैं अथवा २० या अधिक मजदूरों को रखते हैं और जो विद्युत का प्रयोग नहीं करते।

इस कानून के अन्तर्गत कारखानों के लिए अनुज्ञा तथा रजिष्ट्री आवश्यक है। कारखाने के स्वामी को कारखाना आरम्भ करने के १५ दिन के भीतर कारखानों के मुख्य निरीक्षक को सूचना देनी होती है।

कानून में यह व्यवस्था है कि कारखाने के स्वामी को स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा मजदूरों की सुरक्षा के लिए पूरा प्रबंध करना चाहिए।

वर्तमान कारखानों में प्रत्येक मजदूर के लिए ३५० घनफुट स्थान मिलना चाहिए और तापमान ऐसा हो जो उसके स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल न हो। प्रकाश, पीने के लिए जल, शौचालय तथा मूत्र-स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए।

मजदूरों की शारीरिक सुरक्षा के संबंध में भी विस्तार से नियम दिये गये हैं।

इस कानून के अन्तर्गत मजदूरों के लिए स्नानागार, वस्त्र, प्रक्षालन-गृह, चोट आदि लग जाने पर (First Aid) विश्राम-गृह तथा शिशुशालाओं की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक कारखानों में, जहाँ ५०० या इससे अधिक मजदूर हैं, वहाँ कारखाने का स्वामी एक लोक-मंगल अधिकारी नियुक्त करेगा। जिन कारखानों में २५० या इससे अधिक मजदूर काम करते हैं, वहाँ भोजनालय (Canteen) का प्रबंध किया जाय।

इस कानून के अनुसार सप्ताह में ४८ काम के घंटे नियत किये गये हैं। यानी प्रतिदिन ८ घंटे का काम। बीच में $\frac{1}{2}$ घंटे विश्राम दिया जायगा। यदि मजदूर ८ घंटे से अधिक काम करेगा तो उसे अतिरिक्त घंटों के लिए दूनी मजूरी दी जायगी। स्त्रियाँ प्रातः ६ से शाम ७ बजे के बीच में काम करेंगी। एक सप्ताह में एक दिन के लिए विश्राम।

१४ वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक कारखाने में काम नहीं करेगा। बालक दिन में काम करेंगे और केवल ५$\frac{1}{2}$ घंटे काम करेंगे। जो मजदूर लगातार १२ महीनें किसी कारखाने में काम कर लेगा उसे आगामी वर्ष २० दिन के लिए १ दिन के हिसाब से अवकाश मिलेगा। प्रत्येक मजदूर को कम से कम १० दिन की छुट्टी दी जायगी। बालकों को १५ दिन में १ दिन की छुट्टी दी जायगी।

भारतीय खनिज कानून १९२३

भारतीय खानों में काम करनेवाले मजदूरों के काम के घंटों, विश्राम, अवकाश आदि का नियंत्रण भारतीय खनिज कानून के अनुसार होता है।

(१) कोई भी व्यक्ति १ सप्ताह में ६ दिन से अधिक समय के लिए कार्य नहीं करता।

(२) भूमि पर काम करने वाले के लिए १० घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध है।

(३) भूमि के भीतर ६ घंटे से अधिक काम नहीं किया जायगा।

(४) १५ वर्ष से कम उम्र के बालक खानों में काम नहीं कर सकते। १७ वर्ष की आयु के बालकों को ऐसा प्रमाणपत्र देना पड़ता है कि वह योग्य है।

भारत में सन् १९४७ में ४०७,२६३ मजदूर खानों में काम करते थे।

वेतन अदायगी कानून, १९३६

सन् १९३६ में वेतन अदायगी कानून (Payment of Wages Act) स्वीकार किया गया। यह समस्त कारखानों व रेलेवे के कारखानों के लिए लागू है। प्रान्तीय सरकारों को यह आदेश है कि वे इसे किसी भी कारखाने के संबंध में लागू कर सकती हैं। २०० रु० मासिक से कम के वेतनों के संबंध में यह कानून लागू होता है।

न्यूनतम वेतन कानून, १९४८

सन् १९४८ में भारतीय संसद ने न्यूनतम वेतन कानून (Minimum Wages Act) स्वीकार किया। यह कानून कुछेक ऐसे धंधों में लागू है जिनमें मजदूरों का दोहन किया जाता है। जैसे:—ऊनी गलीचे बनाने का उद्योग; शाल बनाना; चावल, दाल मिल; तम्बाकू कारखाने; चाय के बाग; तेल मिल; स्थानीय संस्थाओं के अन्तर्गत नौकरी; पत्थर तोड़ना; सड़क बनाना; लाख बनाना; अवरक का काम; सार्वजनिक मोटर यातायात; चर्मालय; चमड़े के कारखाने तथा कृषि।

इस कानून के स्वीकार हो जाने के बाद २ वर्ष के भीतर सरकार को उक्त धंधों के मजदूरों के लिए मजदूरी नियत कर देनी चाहिए।

श्रमजीवी क्षतिपूर्ति कानून, १६२४

यदि किसी कारखाने में काम करते हुए किसी दुर्घटना से किसी मजदूर को चोट लग जाती है, या उसका अंग नष्ट हो जाता है, तो उसे क्षतिपूर्ति दी जाती है। यदि वह मर जाता है, तो उसके परिवार को क्षतिपूर्ति दी जाती है।

४०० तक वेतन पानेवाले इस कानून से लाभ उठा सकते हैं।

प्रसूता हितकारी कानून

प्रसूता-हित के संबंध में प्रान्तीय विधान सभाओं ने कानून बनाये हैं। सबसे पहले बंबई ने सन् १६२६ में प्रसूता-हितकारी कानून बनाया। इसके बाद मद्रास, यू० पी०, पंजाब, बिहार, मध्य-प्रदेश, बंगाल आदि ने भी ऐसे कानून बनाये।

इन कानूनों के मूल सिद्धान्त समान हैं, जो निम्नलिखित हैं:—

(१) स्त्री-मजदूर को प्रसव से पूर्व तथा बाद में नक़द रुपया दिया जाय।

(२) प्रसव से पूर्व तथा बाद में एक नियत अवधि तक अनिवार्य रूप से विश्राम दिया जाय।

ये लाभ उन्हीं को मिलते हैं जो ६ मास से १ साल तक काम कर चुकी हों।

मजदूर संघ कानून, १६२६
(Trades Union Act)

मार्च, १६२१ में मजदूरों के प्रसिद्ध नेता श्री एन० एम० जोशी ने केन्द्रीय धारा सभा में एक प्रस्ताव इस आशय का रखा कि सरकार को मजदूर सभाओं की रजिष्ट्री तथा उनकी मिल-मालिकों से रक्षा के लिए कानून बनाना चाहिए। मिल-मालिकों ने इसका घोर विरोध किया। सन् १६२६ में ट्रेड यूनियन ऐक्ट स्वीकार किया गया। १ जून, १६२७ यह लागू किया गया। सन् १६२७ व १६२८ में इसमें संशोधन किये गये।

इस कानून के अन्तर्गत निम्नप्रकार की व्यवस्था की गई है:—

(१) मजदूर-सभाओं की रजिष्ट्री के लिए शर्तें।

(२) मजदूर-सभा की रजिष्ट्री के बाद उसे किन कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है।

(३) रजिस्टर्ड मजदूर-सभा के अधिकार।

'ट्रेडयूनियन' की परिभाषा ऐसे ढंग से की गई है कि जिसके अन्तर्गत मजदूरों की संस्था तथा मिल-संचालकों की संस्था दोनों ही आ जाती हैं; किन्तु मजदूर-मालिक की निजी संस्था इसके अन्तर्गत नहीं आती।

भारत में मजदूर संघ

(मार्च १९४७)

प्रान्त	रजिस्टर्ड ट्रेड युनियन मजदूर संघों की संख्या	उन युनियनों की संख्या जिन्होंने सदस्य संख्या भेजी है	ट्रेडयुनियनों के सदस्य
अजमेर	८	८	५,१८४
आसाम	३६	२५	१३,५१८
बंगाल (पश्चिम)	६०१	२५९	४८८,६९७
बिहार	१११	४७	३५,५८५
बंबई	१६८	१२६	२६७,००९
मध्य-प्रदेश	९६	४८	२०,१४९
देहली	५२	३२	४३,२०४
मद्रास	३६८	७२३	१८२,१८९
उड़ीसा	४२	३१	८,७६६
यू० पी०	१९९	११३	९९,९१९
केन्द्रीय युनियनें	४४	३६	१७६,७४२
	१,७२५	९९८	१,३३१,९६२

औद्यौगिक विवाद कानून १६४७

केन्द्रीय धारा सभा ने मार्च, १६४७ में औद्योगिक विवाद कानून (Industrial Disputes Act) स्वीकार किया। इसके द्वारा वर्क्स कमेटी तथा औद्योगिक न्यायाधिकरण (Tribunal) स्थापित करने की व्यवस्था की गई है।

इस कानून की धारा २२ के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की सेवा (Public Utility Service) में किसी प्रकार की हड़ताल या मिल तथा कारखानाबन्दी (lock out) कानून-विरुद्ध मानी जायगी यदि उसके संबंध में नियमानुसार सूचना नहीं दी गई हो।

दूकान कानून

बाजारों में दूकानों पर काम करनेवाले मजदूरों को विश्राम देने के उद्देश्य से प्रान्तों में दूकान-क़ानून बनाये गये। सबसे पहले बंबई में ३० अक्टूबर, १६३६ को यह कानून बना। सन् १६४० में बंगाल, पंजाब, व सिंध में ऐसा कानून बना। सन् १६४२ में पंजाब कानून दिल्ली में लागू हो गया। सन् १६४७ में मध्य-प्रदेश, उत्तर-प्रदेश व मद्रास ने भी इस प्रकार के कानून बनाये। जून, १६४८ में आसाम ने भी ऐसा कानून बनाया।

बंबई-दूकान-कानून के अनुसार व्यापारिक संस्थाओं, दूकानों, नाट्य-गृहों, तथा अन्य आमोद-गृहों, भोजनालयों, उपाहार-गृहों, होटलों, तथा क्लबों, अस्पतालों, नर्सिग होम, औषधालयों, आदि पर यह कानून लागू है।

दूकान में काम करनेवाले कर्मचारियों को २४ घंटे में ६½ घंटे काम करना चाहिए। बीच में ½ घंटे की छुट्टी दी जाय। एक सप्ताह में १ दिन का विश्राम मिलना चाहिए। ६ बजे रात्रि के बाद सब दूकानें नन्द हो जानी चाहिए।

श्रमजीवियों का औसत वार्षिक वेतन रुपयों में

प्रान्त	सन् १९४७	सन् १९४६	सन् १९३९	सन् १९४७ औसत् प्रतिशत
अजमेर	४४५·३	४४७·८	१६३·७	१७२·०
आसाम	७५५·५	६८७·५	२६३·७	१८६·५
पश्चिमी बंगाल	५६७·७	४९६·३	२४८·७	१२८·३
बिहार	८१९·८	४४४·०	४१५·५	९७·३
मध्य-प्रदेश	५७२·३	४७९·७	—	—
कुर्ग	४०९·२	२१२·३	—	—
दिल्ली	८७७·७	८३७·२	३०९·४	१८३·७
मद्रास	५०६·३	४२२·२	१७५·९	२१८·५
उड़ीसा	४९३·६	४४०·१	१६१·८	२०५·१
उत्तर प्रदेश	६७२·८	५९३·६	२३५·६	१८५·६
बंबई	९७७·९	८१२·३	३७०·४	१६४·०
अखिल भारत	७३८·३	६१९·४	२८७·५	१५६·८

विविध प्रदेशों में न्यूनतम वेतन, मँहगाई भत्ता (१९४८)

उद्योग	केन्द्र	न्यूनतम मासिक वेतन	न्यूनतम मँहगाई भत्ता	न्यूनतम मासिक वेतन व भत्ता
सूती		रु०आ०पा०	रु०आ०पा०	रु०आ०पा०
वस्त्र उद्योग	बंबई नगर	३०—०—०	५५—९—०	८५—९—०
	अहमदाबाद	२८—०—०	६८—७—०	९६—७—०
	शोलापुर	२६—०—०	४०—१—०	६६—१—४
	पश्चिमी बंगाल	२०—२—५	३०—०—०	५०—२—५
	मध्य-प्रदेश	२६—०-०	४१-११-०	६७-११-४
	मद्रास	२६—०—०	४०—५—०	६६—५—०
	कानपुर	३०—०—०	६५—४—०	६५—४—०
जूट-उद्योग	पश्चिमी बंगाल	२६—०—०	३२—८—०	५८—८—०

उद्योग	केन्द्र	मासिक वेतन	मँहगाई	वेतन-मँहगाई
इन्जीनियरिंग	पश्चिम बंगाल	३०—०—०	२५—०—०	५५—०—०
डाकयार्ड	बंबई	३०—०—०	२५—०—०	५२-१०-०
	कलकत्ता	२७-१०-०	२५—०—०	
कोयला खान	पश्चिमी बंगाल	१३—०—०	१९—८—०	३२—८—०
अबरक खान	बिहार	१०—९—०	१५-१३-६	२६—६—०
सुवर्ण खान	मैसूर	२१—२—०	१७—८—०	३८-१०-०

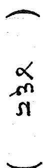
निर्देशक संख्या १९३९=१००

सन् १९३९ के बाद देश में कितनी मँहगाई हो गई है, इसका ज्ञान निम्नलिखित तालिका से लग जायगा:—

प्रदेश	जनवरी, १९४८	जनवरी, १९४९
बंबई	२५८	३०१
अहमदाबाद	२९०	३२३
शोलापुर	३३०	४२६
कानपुर	४०५	५०६
नागपुर	३४१	३८०
जबलपुर	३३९	३९३
मद्रास	३१२	३३१
कोचीन	३३५	३६८
बंगलोर	२७३	३००
मैसूर	२७२	३०३
हैदराबाद	१३४	१५७

श्रमजीवी अपनी आय किस प्रकार व्यय करते हैं

नगर	भोजन	भाड़ा	वस्त्र	ईंधन व तेल	विविध
बम्बई	५१·९०	७·२०	१२·२२	१०·१६	१८·२६
अहमदाबाद	५२·७४	५·४०	१४·१५	९·९६	१८·२५
कानपुर	६०·८७	१०·१४	११·५९	८·७	८·७०
मद्रास	५२·६३	११·१४	४·५०	६·६७	२५·०६
कलकता	६५·६६	६·७१	७·८	७·२८	१२·५५



प्रधान संचालक पुनर्वास व रोजगार

- उप सचिव
  - उप-सहायक सचिव (२)
    - सहायक सचिव (२)
      - प्रशासन अधिकारी
- संचालक (३)
  - विशेष अधिकारी
    - उप-संचालक (६)
      - सहायक संचालक (१०)
        - संख्या अधिकारी
          - सहायक संख्या अधिकारी
- प्रादेशिक संचालक (६)
  - उपसंचालक (४)
    - सहायक संचालक (२०)
      - प्रशासन अधिकारी (२)
  - प्रादेशिक लोक-सम्पर्क अधिकारी (८)
    - लोक-सम्पर्क अधिकारी (१)
      - सहायक लोक-सम्पर्क अधिकारी (४६)
  - प्रादेशिक शिक्षण निरीक्षक
  - अध्यक्ष परीक्षा-समिति

रोजगार संगठन

जुलाई, १९४५ में द्वितीय युद्ध समाप्त हो जाने के बाद सेना के विसर्जन (Demobilisation) के कारण तथा युद्ध-उद्योगों के बन्द हो जाने के लिए भारत सरकार के समक्ष यह समस्या उपस्थित हुई कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बेकार हो जाने से बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः भारत सरकार के श्रम-सचिवालय के अधीन रोजगार तथा पुनर्वास के प्रधान संचालक का विभाग (Directorate General of Re-settlement and Employment) स्थापित किया गया। इसकी ओर से सेना आदि से निकले लाखों व्यक्तियों को रोजगार तथा काम देने का प्रबन्ध किया गया। आरम्भ में यह संस्था युद्धउद्योगों व सेनाओं से निकले व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का काम करती थी। परन्तु बाद में औद्योगिक मजदूरों तथा पंजाब से आये शरणार्थियों के लिए यह काम करने लगी। (पृ० ४६८ मे दी गई तालिका से इस संस्था का पूरा ज्ञान हो जायगा।)

सन् १९४८ में रोजगार केन्द्र (कार्यालय)

प्रधान संचालक रोजगार व पुनर्वास भारतीय संघ श्रम-सचिवालय के अन्तर्गत है। श्री जगजीवनराम भारतीय श्रम-मंत्री हैं और श्री डा० एन० दास, पी० एच० डी०, आई० सी० एस० प्रधान संचालक। इनका कार्यालय संसद भवन के निकट गुरुद्वारा पथ पर नई दिल्ली में है।

प्रधान–संचालक के अधीन चार संचालक हैं जो निम्न लिखित विभागों के अध्यक्ष हैं।

(१) रोजगार विभाग।
(२) रोजगार केन्द्र विभाग।
(३) प्रकाशन विभाग।
(४) शिक्षण विभाग (टेकनिकल)
(५) शिक्षण-विभाग (व्यावसायिक)

भारत में निम्नलिखित प्रादेशिक रोजगार संचालक (Regional Directorate) हैं:—

(१) मद्रास, (२) बंबई, (३) उत्तर-प्रदेश, (४) दिल्ली, अजमेर, (५) पंजाब, (६) बंगाल, (७) बिहार, (८) मध्यप्रदेश, (९) आसाम।

भारत में निम्नलिखित प्रादेशिक रोजगार केन्द्र (कार्यालय) (Regional Employment Exchanges) हैं:—

(१) कानपुर, (२) दिल्ली, (३) नागपुर, (४) बंबई, (५) मद्रास, (६) कलकत्ता, (७) पटना।

निम्नलिखित उप-प्रादेशिक रोजगार केन्द्र हैं:—

(१) उत्तर प्रदेश में—लेंसडोन, अलमोड़ा, मेरठ, बरेली, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, गोरखपुर।
(२) अजमेर—अजमेर।
(३) दिल्ली—दिल्ली।
(४) पूर्वी-पंजाब—धर्मशाला, अमृतसर, जालंधर, अम्बाला, फीरोजपुर, रोहतक।
(५) बंबई—अहमदाबाद, सूरत, परेल, बाम्बे, डाकयार्ड, पूना, शोलापुर।
(६) मद्रास—मद्रास, बेलोर, कोयम्बटोर, त्रिचनापल्ली, मदुरा, कालीकट, हुबली, अमन्तपुर, बेजवाड़ा, विजगापट्टम।
(७) जलगाँव।
(८) मध्यप्रदेश—जबलपुर, रामपुर, अमरावती।
(९) उड़ीसा—कटक।
(१०) बिहार—मुजफ्फरपुर, आसनसोल, धनबाद, जमशदपुर।
(११) पश्चिमी बंगाल—हवड़ा, खिदरपुर, बैरकपुर।
(१२) आसाम—दार्जिलिग, जोरहट।

इसके अतिरिक्त कुछ प्रदेशों में प्रत्येक जिले में एक जिला रोजगार अफसर भी होता है। जैसे, मद्रास व उत्तर-प्रदेश में।

रोजगार-केन्द्र में एक रोजगार अफसर और उसमें कुछ सहायक तथा अन्य कर्मचारियों का स्टाफ होता है। जो लोग नौकरी, रोजगार या काम चाहते हैं; वे इस कार्यालय में जाकर अपना नाम रजिस्टर में लिखवा देते हैं और वे जिस कार्य के योग्य होते हैं; उसे भी उसमें अपनी इच्छानुसार लिख देते हैं। जब किसी प्राइवेट मिल, कंपनी या कारखाने, रेलवे अथवा किसी सरकारी विभाग में से रिक्त स्थानों के लिए उम्मीदवारों को भेजने की सूचना रोजगार कार्यालय को मिलती है, तब कार्यालय योग्य उम्मीदवारों की नामावली सम्बन्धित विभाग या मिल के संचालक के पास भेज देता है। वह उम्मीदवारों को भी सूचित कर देता है कि अमुक स्थान व समय तथा दिन को वे अमुक बोर्ड के समक्ष इन्टरव्यू के लिए उपस्थित हों।

इस प्रकार ये रोजगार-केन्द्र सुयोग्य उम्मीदवारों के लिए काम की खोज तथा सरकारी विभागों तथा कारखानों आदि के लिए कर्मचारी भेजने का काम करते हैं। रोजगार-केन्द्र स्वयं किसी पद के लिए नियुक्ति नहीं करते।

१९४८ में रोजगार केन्द्रों का कार्य-विवरण

सन १९४८	रोजगार केन्द्रों की संख्या	कितने व्यक्तियों के नाम रजिस्टर किये गये	कितने व्यक्तियों को काम मिला	कुल कितने व्यक्तियों क नाम रजिस्टर में दर्ज हैं
जनवरी	५३	६१,७०२	१६,५७१	२,३३,५६८
फरवरी	५४	५०,८३५	१७,१५३	२,१६,५५१
मार्च	५४	५८,२०३	१७,६५२	२,११,५४०
अप्रेल	५४	६३,८५१	१८,५८१	२,१२,८६९
मई	५४	६८,८०८	२१,१२६	२,१०,३०२
जून	५४	९३,९०७	२५,३७९	२,१९,७१४
जुलाई	५४	८७,६१०	२७,२००	२,२६,४४९

सन् १६४८	केन्द्र	रजिस्टर में नाम दर्ज	कितनों को काम मिला	कुल कितने नाम दर्ज हैं
अगस्त	५४	८०,२५३	२७,०६६	२,३२,७३८
सितम्बर	५४	६६,३०३	२६,८१६	२,३६,३६८
अक्टूबर	५४	७०,४०६	१८,५३५	२,३०,७२७
नवम्बर	५४	८१,६६३	१६,५२८	२,२८,६३८
दिसम्बर	५४	८४,६१६	२४,१६४	२,३६,०३३

सामाजिक सुरक्षा

सन १६४३ में श्रम-सम्मेलन में यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया था कि एक समिति मजदूरों की अवस्था की जांच के लिए नियुक्त की जाय और उसकी रिपोर्ट मिल जाने पर एक समिति नियुक्त की जाय जो मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए योजना तैयार करे। उसके अनुसार भारत-सरकार ने १६४४ में मजदूर जाँच-समिति नियुक्त की। श्री डी०वी० रेगे, आई० सी० एस० इसके अध्यक्ष थे। श्री एस० आर० देशपाण्डे, डा० अहमद मुखतार और श्री वी० पी० अडारकर सदस्य थे। ३६ उद्योगों की इस समिति ने जाँच की।

सन् १६४५ के अन्त में श्रम-सचिवालय के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा विभाग खोला गया। इस विभाग ने निम्न प्रकार की योजनाएँ तैयार कीं:—

(१) मजदूरों की बीमारी, दुर्घटना, तथा प्रसूता काल में बीमे के लिए एक योजना श्री वी० पी० अडारकर ने तैयार की। इसकी परीक्षा अन्तराष्ट्रीय श्रम-कार्यालय के दो विशेषज्ञों ने की। कुछ संशोधन कर सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया।

(२) कोयला खानों में मजदूरों के लिए सामाजिक बीमे की योजना तैयार की गई।

(३) सामुद्रिक मजदूरों के लिए सामाजिक बीमे की योजना तैयार की गई।

नवम्बर १९४७ में संसद में स्वास्थ्य बीमा-विधयेक श्री जगजीवनराम, श्रम-मंत्री भारतीय-सरकार ने पेश किया ।

यह १९ अप्रेल, ९४१८ को कानून बन गया । यह कानून Employees State Insurance Act के नाम से प्रसिद्ध है ।

यह कानून सब कारखानों के मजदूरों के संबंध में लागू है जिन्हें ४००) मासिक तक वेतन मिलता है ।

इस की व्यवस्था Employees State Iusurance Act Corporation को सौंप दी गई है ।

सामाजिक बीमा में मजदूरों व मालिकों का अनुदान

मजदूरों की श्रेणियाँ	मजदूरों का अनुदान	मालिकों का अनुदान	कुल
	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
१) रुपय से कम दैनिक वेतन पानेवाले	कुछ नहीं	० ७ ०	० ७ ०
१) से १॥) तक पानेवाले	० २ ०	० ७ ०	० ९ ०
१॥) से २) तक „ „	० ४ ०	० ८ ०	० १२ ०
२) से ३) तक „ „	० ६ ०	० १२ ०	१ २ ०
३) से ४) तक „ „	० ८ ०	१ ० ०	१ ८ ०
४) से ६) तक „ „	० ११ ०	१ ६ ०	२ १ ०
६) से ८) तक „ „	० १५ ०	१ १४ ०	२ १३ ०
८) से ऊपर „ „	१ ४ ०	२ ८ ०	३ १२ ०

जिन व्यक्तियों का बीमा हो जायगा, उन्हें निम्नलिखित सुविधाएँ मिलेंगी:—

(१) बीमारी में सहायता, (२) प्रसूता की सहायता, (३) अंगहीन हो जाने पर सहायता, (४) आश्रितों की सहायता, (५) चिकित्सा ।

अध्याय ४८

भारत का आयात-निर्यात व्यापार

हमारे देश में जबसे उद्योग-धंधों का विकास हुआ है, है, तब से आयात-निर्यात व्यापार में भी कई परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे हैं। सन१९२०-२१ में (जब भारत में बर्मा और पाकिस्तान दोनों सम्मिलित थे) आयात वस्तुओं में ८४% वस्तुएँ तैयार माल होती थीं। सन् १९३६-३७ में ७५% तैयार माल बाहर से आता था। सन् १९२०-२१ में २४७ करोड़ रुपयों का तैयार माल भारत में आता था और सन् १९३७ में ९२ करोड़ रुपये का तैयार माल आया। इस बीच में औद्योगिक कच्चे माल का आयात ५% से बढ़ कर १६% हो गया। सन् १९४१-४२ में आयात माल में ५५% तैयार माल आया तथा औद्योगिक कच्चा माल २९% आया।

सन् १९२१ में भारत से जो माल बाहर जाता था, उसमें ४५% कच्चा माल था। १९३७ में यह बढ़कर ५३% हो गया। सन् १९२१ में भारत से ३६% तैयार माल जाता था। सन् १९३७ में २६% ही रह गया।

सन् १९२१ में भारत में ६१% माल इंगलैण्ड से आया था। सन् १९३७ में वहाँ से ३८% माल आया। जापान, जर्मनी, अमेरिका से पहले ३४% माल आता था। अब ५१ प्रतिशत माल आने लगा। सन् १९४१-४२ में इंगलैण्ड से २१% माल ही आया।

(भारत का निर्यात व्यापार)
(१ जनवरी से ३० अप्रेल, १९४९ तक)

१	चाय	१५,८५१,२५९ पौंड (ब्रिटिश सिक्का)
२	चमड़ा	९४२,४५५ पौंड

३	तम्बाकू	७०४,८३५ पौंड
४	कच्चा चमड़ा	५६५,८७७ पौंड
५	ऊनी सूती कपड़ा	४७४,५५६ पौंड
६	कच्चा जूट	२१४,५२४ पौंड
७	कच्ची रूई	५४८,०४० पौंड

(भारत में आयात)

१	लोहे का तैयार माल	६०८,७७५ पौंड,
२	अन्य धातुओं का तैयार माल	१,४०४,८७७ पौंड
३	चाकू, छुरी आदि	१,४६४ ६५६ पौंड
४	मशीनें	१४,३११,५६७ पौंड
५	सूती कपड़ा व सूत	५,८७६,०५४ पौंड
६	औषधियाँ, रंग आदि	४,६४५,६४८ पौंड
७	मोटर, ट्रक आदि	६,०५६,४५१ पौंड

अध्याय ४६

भारत की प्रमुख साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, चिकित्सा-संबंधी तथा धार्मिक संस्थाएँ

१. साहित्यिक संस्थाएँ

असमींया हिन्दी साहित्य परिषद्:—(गोहाटी)—यह संस्था साहित्य सम-वय और सांस्कृतिक पुनरूज्जीवन हेतु फरवरी, १९४२ में स्थापित हुई। डा० वाणीकान्त ककति, एम० ए०, पी० एच० डी० अध्यक्ष हैं।

कोचीन हिन्दी प्रचार समिति:—इरनाकुलम—यह कोचीन राज्य की प्रमुख हिन्दी संस्था है। यह दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (मद्रास) से संबंधित है। श्री बी० कृष्णमेनन बार-एट-लौ इसके अध्यक्ष और श्री ए० चन्द्र हासन इसके मंत्री हैं। राज्य में तीन कालेज और ४९ हाई स्कूल हैं। तीन कालेजों तथा ३१ हाईस्कूलों में हिन्दी पढ़ाई जा रही है।

दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास:—इस संस्था के जन्म-दाता तथा आजीवन अध्यक्ष महात्मा गाँधी थे। सभा का कार्यालय त्यागराम नगर, मद्रास में है। सभा का कार्य ६०० केन्द्रों में हो रहा है। यह दक्षिण भारत की सबसे पहला हिन्दी साहित्यिक संस्था है। इसकी ओर से ६०० प्रचारक हिन्दी प्रचार का कार्य करते हैं। इसकी ओर से हिन्दी परीक्षाओं का आयोजन इसकी एक विशेषता है। परीक्षा-विभाग में २२५ परीक्षक कार्य करते हैं। प्रकाशन-विभाग से १२५ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सभा का निजी वाचनालय

है। दक्षिण के विश्वविद्यालय में इसी सभा के प्रयत्न से हिन्दी को स्थान मिला है।

नागरी प्रचारिणी सभा, आगरा:—नागरी प्रचारिणी सभा आगरा नगर की प्रमुख साहित्यिक संस्था है। इसका एक निजी वाचनालय और एक पुस्तकालय है। इसका निजी भव्य भवन आगरा-कालेज के सामने है। पुस्तकालय में प्राचीन तथा आधुनिक सभी प्रकार की हर विषय की पुस्तकों का सुन्दर संग्रह है। वाचनालय में हिन्दी, अंग्रेजी के दैनिक तथा हिन्दी के सुप्रसिद्ध साप्ताहिक मासिक-पत्र आते हैं। सभा का एक विद्यालय विभाग है जिसमें मुख्याध्यापक श्री पद्मसिंह शर्मा, 'कमलेश' साहित्यरत्न हैं। इस विद्यालय में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाओं के लिए छात्र व छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसके अध्यक्ष श्री महेन्द्रजी तथा प्रधानमंत्री श्री पं० हरिशंकर शर्मा हैं।

नागरी प्रचारिणी सभा, काशी—यह हिन्दी की सर्वमान्य, तथा अखिल भारतीय सबसे पुरानी संस्था है। यह संस्था १६ जुलाई, सन् १८९३ में रायबहादुर डा० श्यामसुन्दर दास, श्री पं० रामनारायण मिश्र और रायसाहेब ठा० शिवकुमार सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। इस सभा के उद्योग से हिन्दी साहित्य के निर्माण, साहित्यिक खोज तथा नागरी प्रचार के कार्य बड़े व्यापक के रूप में हुए हैं। सभा की ओर से हिन्दी साहित्य के उत्तमोत्तम ग्रन्थों का प्रकाशन भी हुआ है। अप्रेल, १९४४ में इसके सदस्य १२०० थे। इसके अन्तर्गत 'आर्य भाषा पुस्तकालय' में २०० से ऊपर पत्र पत्रिकाएँ आती हैं। १८,०००मुद्रित और १००० हस्तलिखित महत्त्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अन्य देशी-विदेशी भाषाओं के ५००० ग्रन्थ हैं। सन् १८९८ से उत्तर-प्रदेश की सरकार ने इसे ४०० की वार्षिक सहायता हिन्दी ग्रन्थों की खोज के लिए दी है। सन् १९२१ से इस धन-

राशि में वृद्धि कर २००० वार्षिक कर दी। इस धन से सभा ने प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज कराई और उनका प्रकाशन किया। इस सभा का एक 'कला-भवन' है जिसमें पुरातत्व तथा ऐतिहासिक महत्त्व की सामग्री संचित है। सभा ने सन् १८९७ से त्रैमासिक 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' का प्रकाशन आरम्भ किया जो अबतक प्रकाशित हो रही है।

इस सभा की ओर से नागरी प्रचारिणी ग्रन्थमाला, मनोरंजन पुस्तकमाला, प्रकीर्णक पुस्तकमा ा, सूर्यकुमारी पुस्तकमाला, देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला, वालावख्श राजपूत चारण-माला, देव पुरस्कार ग्रन्थावली, श्री मेहेन्दुलाल गर्ग विज्ञान ग्रन्थावली, श्रीमती रुक्मिणी तिवारी पुस्तकमाला आदि ग्रन्थमालाएँ प्रकाशित होती हैं।

सभा की ओर से राजा बलदेव दास बिड़ला पुरस्कार, ब ुक प्रसाद पुरस्कार, रत्नाकर पुरस्कार, डा० छन्नू ाल पुरस्कार, जोधसिंह पुरस्कार, डा० हीरा ाल स्वर्णपदक, सुधाकर पदक (प्रथम व द्वितीय), गीव्ज़ पदक, राधाकृष्ण दास पदक, गुलेरी पदक और रेडियो पदक लेखकों को प्रदान किये जाते हैं।

इस सभा से देश भर में लगभग २५ सस्थाएँ सम्बद्ध हैं।

प्रसाद परिषद्, काशी:—हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि तथा नाटककार श्री जयशकर प्रसाद की स्मृति में इसकी स्थापना २२ मई, १९३९ को की गई। साहित्य समारोहों, गोष्टियों आदि का आयोजन करके हिन्दी का विकास करना उसका उद्देश्य है। अबतक परिषद् ने अच्छा कार्य किया है। श्री सम्पूर्णानन्द जी शिक्षामंत्री, उत्तरप्रदेश सरकार इसके अध्यक्ष रह चुके हैं।

मध्यभारत हिन्दी साहित्य-समिति, इन्दौर:—मध्यभारत में हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि के लिए १० जनवरी, १९१५ को इसकी स्थापना की गई। समिति का संचालन दो संस्थाओं द्वारा होता है—(क) साधारण सभा और (२) प्रबंधकारिणी सभा। प्रबंध-सभा में ११ पदाधिकारी और २३ सदस्य होते हैं।

समिति के अन्तर्गत ६ विभाग हैं—(१) प्रबंध विभाग, (२) प्रेस, (३) साहित्य विभाग, (४) प्रचार विभाग, (५) पुस्तकालय, (६) अर्थ। प्रत्येक विभाग का प्रबंध एक मंत्री के अधीन होता है। इसकी एक विद्यापीठ है जो सम्मेलन की परिक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करती है। इसमें ६८० विद्यार्थियों को विविध परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है। समिति की ओर से प्रसिद्ध साहित्यिक मासिक-पत्रिका 'वीणा' प्रकाशित होती है। डा० सरजूप्रसाद ग्रन्थमाला तथा सेठ हुक्मचंद ग्रन्थमाला में ४० पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। डा० सरजूप्रसाद पुस्तकालय में १२,००० पुस्तकें हैं। वाचनालय में १०० पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं।

समिति के वर्तमान पदाधिकारी निम्नप्रकार हैः—सभापति श्रीमान् सर सेठ हुकुमचंद जी; उपसभापति श्रीमान् सरदार माधोराव जी किवे, प्रधान मंत्री प्रो० कमलाशंकर मिश्र ।

राष्ट्रभाषा-प्रचारक मंडल, सूरत—यह मण्डल ६ मई, १८३७ को पं० परमेष्ठी दास जैन रा स्थापित किया गया। इसके अन्तर्गत हिन्दी विद्यामन्दिर है, जिसमें १२ पाठशालाएँ हैं। इनमें ५०० छात्र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। मण्डल का एक वाचनालय तथा एक पुस्तकालय है।

राष्ट्र भाषा प्रचार-समिति, गोहाटीः——आसाम प्रान्त में राष्ट्रभाषा हिन्दी के व्यापक प्रचार के उद्देश्य से नवम्बर, १६३८ में स्थापित हुई है। अध्यक्ष श्री विरंचिकुमार बरुआ, एम० ए० बी० एल० और मंत्री श्री कमलनारायण देव हैं। इसकी ओर से हिन्दी प्रचार का कार्य बड़ी अच्छी तरह हो रहा है।

राष्ट्र भाषा प्रचार-समिति, वर्धाः—सन् १६३६ में नागपुर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन के अवसर पर इसकी स्थापना अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी प्रचार के लिए की गई।

हिन्दी प्रचारकों के तैयार करने के लिए वर्धा में राष्ट्रभाषा अध्यापन-मन्दिर खोला गया। इसकी ओर से प्रारम्भिक, प्रवेश,

परिचय, कोविद चार परीक्षाएँ होती हैं। समिति के निम्नलिखित विभाग हैं—(१) प्रचार, (२) परीक्षा, (३) प्रकाशन, (४) पुस्तक विक्री, (५) राष्ट्रभाषा (पत्रिका), (६) पुस्तकालय, (७) प्रेस, (8) अर्थ। सभा के विशाल भवन "हिन्दी नगर" नामक कार्याकर्त्ताओं का उपनिवेश, हिन्दी नगर नामक डाकघर, राष्ट्रभाषा प्रेस, राष्ट्रभाषा पुस्तकालय हैं। तथा 'राष्ट्रभाषा' नामक पत्रिका निकलती है।

इस समिति की ओर से आसाम, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, बंबई, विदर्भ, नागपुर, मध्यभारत, आन्ध्र, कर्नाटक, हदराबाद तथा विदेशों में १००० से भी अधिक कार्यकर्त्ता कार्य कर रहे हैं। सन् १९४९ में राष्ट्रभाषा प्रचार परीक्षाओं में १ लाख ४३ हजार ३५८ परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। इसके मंत्री बौद्ध साधु श्री भदन्त आनन्द कौसल्यान हैं।

रामायण प्रचार-समिति बरहज गोरखपुर—

महात्मा बालकराम विनायक ने इसे स्थापित किया। इसकी ओर से रामायण की पाँच परिक्षाएँ होती हैं। इसकी परीक्षा के देश-विदेशों में ३५० केन्द्र हैं। १०,००० विद्यार्थी प्रतिवर्ष परीक्षा में बैठते हैं।

ब्रज-साहित्य-मंडल, मथुरा—२० अक्टूबर, १९४० को इसकी स्थापना की गई। इस मण्डल का उद्देश्य ब्रजभाषा साहित्य की खोज तथा विकास करना है। इसकी ओर से 'ब्रजभारती' नाम्नी एक खोजपूर्ण मासिक-पत्रिका भी प्रकाशित होती है।

बिहार प्रान्तीय हिन्दी प्रचारिणी सभा, पटना—स्थापना सन् १९४१। हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि का प्रचार करना तथा उन्हें उचित स्थान दिलाने के लिए प्रयत्न करना इसका उद्देश्य ह।

वीरेन्द्र केशव साहित्य परिषद्, टीकमग, ओड़छा—सन् १९३० में रावराजा डा० श्यामविहारी मिश्र और श्री गौरीशंकर द्विवेदी,

शंकर ने स्थापना की। इसके संरक्षक हैं ओड़छा नरेश महाराज वीरसिंह। श्री पं० बनारसीदास चतुर्वेदी, ने जबसे 'विशाल भारत' का संपादन छोड़ा, तबसे वे ओड़छा में इस परिषद् में कार्य करने लगे। वह आड़छा महाराजा के साहित्यिक मंत्री भी रहे। इस परिषद् की मुख्य प्रवृत्तियाँ निम्न-प्रकार रही है:—

देवेन्द्र पुस्तकालय, सुधा वाचनालय (महिलाओं के लिए), पद्मसिंह शर्मा पुस्तकालय, निवाड़ी पुस्तकालय, कवीन्द्र केशव पुस्तकालय (ओड़छा के ग्रामों व नगर में हिन्दी के प्रचारार्थ), 'देव-पुरस्कार' नाम से २००० रुपये का पुरस्कार काव्य की पुस्तक पर प्रति वर्ष दिया जाता है। 'मधुकर' नामक मासिक पत्र का संपादन। पं० बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक हैं।

साहित्य सदन, अबोहर (पंजाब)——आज से २० वर्ष पूर्व यह संस्था एक पुस्तकालय के रूप में स्थापित हुई थी। आजकल यह एक वृद्ध हिन्दी संस्था के रूप में विद्यमान है——

(१) केन्द्रीय पुस्तकालय——इसमें १०,००० विविध विषयों व भाषाओं की पुस्तकें हैं।
(२) वाचनालय——८५ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं।
(३) संग्रहालय—कला की सामग्री, सिक्कों तथा अन्य ऐतिहासिक सामग्री तथा हस्तलिपियों का संग्रह है।
(४) हिन्दी पाठशाला।
(५) मासिक पत्र 'दीपक' का प्रकाशन।
(६) प्रेस तथा प्रकाशन। १५ पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है।
(७) परीक्षा विभाग, सम्मेलन तथा प्रभाकर, भूषण आदि की परीक्षाओं के लिए तैयारी।

सदन के विभिन्न विभागों पर ४०००) प्रति वर्ष व्यय होता है। इस संस्था के संस्थापक तथा प्राण हैं स्वामी केशवानन्द।

सुहृद्-संघ मुजफ्फरपुर—यह बिहार की प्रतिष्ठित और प्रमुख साहित्यिक संस्था है। हिन्दी भाषा और नागरी लिपि का प्रचार, साहित्य के अंगों की पुष्टि, हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने का उद्योग करने तथा भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए विशाल संग्रहालय खोलने के उद्देश्य से सन् १९३५ में स्थापित। इसके संस्थापक हैं श्री नीतीश्वर प्रसाद सिंह। यह संस्था नागरी प्रचारिणी सभा, काशी व हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से सम्बद्ध है।

बिहार प्रादेशिक हिंदी सम्मेलन, पटना—यह सम्मेलन बिहार प्रान्त में हिन्दी प्रचार का अच्छा कार्य कर रहा है। १५० हिन्दी पाठशालाएँ मानभूम में सम्मेलन के तत्वावधान में चल रही हैं। सिंहभूमि, संथायपरगना और पूर्णिया के अहिन्दी भाषी भागों में इसकी ओर से प्रचार हो रहा है।

'महाराज नवलकिशोर सिंह पुरस्कार' का भी आयोजन किया गया है।

संयुक्त प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन—इस सम्मेलन की स्थापना आज से ३० वर्ष पूर्व हुई थी। किन्तु नियमित रूप में यह सम्मेलन प्रमुख साहित्यिक श्री पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी के प्रयत्न से सन् १९४१ से संचालित होने लगा है। इसका आठवाँ अधिवेशन १५ तथा १६ अप्रेल, १९४९ को लखनऊ में पं० कमलापति त्रिपाठी के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ था।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग—

हिन्दी साहित्य के सब अंगों की पुष्टि और उन्नति, राष्ट्र-लिपि देवनागरी और राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार बढ़ाने, नागरी लिपि को लेखन-सुलभ तथा मुद्रण-सुलभ बनाने, हिन्दी भाषा को अधिक सुगम, मनोहर, व्यापक और समृद्ध बनाने के लिए; समय-समय पर उसके अभावों को पूरा करने, हिन्दी के लेखकों, कवियों, पत्र-संपादकों, प्रचारकों तथा सहायकों को समय-समय पर उत्साहित करने के लिए पारितोषिक, प्रशंसापत्र,

पदक आदि से सम्मानित करने, हिन्दी भाषा द्वारा परमोच्च शिक्षा देने के लिए विद्यापीठ स्थापित करने, हिन्दी भाषा द्वारा परीक्षाएँ लेने के लिए एक हिन्दी विश्वाविद्यालय स्थापित करने, प्राचीन हिन्दी ग्रन्थों की खोज, साहित्यिक प्रकाशन आदि उद्देश्यों से सन् १९१० में हिन्दी साहित्य-सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की गई।

यह संस्था हिन्दी प्रेमियों की सबसे महान् संस्था है। उत्तर-प्रदेश की विधान सभा के अध्यक्ष और आजकल अखिल भारतीय कांग्रेस के भू० पू० अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन इसके संरक्षक रहे हैं। इस सम्मेलन के प्रति वर्ष विविध प्रदेशों में अधिवेशन होते हैं। गत अधिवेशन हैदराबाद में सन् १९४९ में आचार्य चन्द्रवली पाण्डेय के सभापतित्व में हुआ। इससे पूर्व दिसंबर १९४८ में मेरठ में सेठ गोविन्द दास के सभापतित्व में अधिवेशन हुआ था। सेठ गोविन्द दास भारतीय संविधान सभा, जो अब भारतीय संसद है, के सदस्य हैं। उन्होंने तथा सम्मेलन के अन्य कार्यकर्त्ताओं व सदस्यों ने हिन्दी को राष्ट्र-भाषा तथा नागरी को राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार किये जाने के लिए व्यापक और जोरदार आन्दोलन किया। इसके फलस्वरूप हिन्दी को संविधान में राष्ट्रभाषा तथा नागरी को राष्ट्रलिपि का स्थान प्राप्त हो गया है। यह हिन्दी साहित्य-सम्मेलन की सफलता का प्रमाण है। आजकल इसके सभापति श्री जयचंद्र विद्यालंकार हैं।

सम्मेलन की ओर से निम्नलिखित पारितोषिक प्रति वर्ष उन लेखकों व लेखिकाओं को दिये जाते हैं, जिनकी रचनाएँ पुरस्कार-समितियों द्वारा सर्वश्रेष्ठ घोषित की जाती हैं:—

(१) मंगलाप्रसाद पारितोषिक—१२००) विविधि विषयों पर।

(२) सेक्सरिया महिला पारितोषिक—५००) महिलाओं की किसी मौलिक रचना पर।

(३) मुरारका पारितोषिक—५००) बंगला, उड़िया, तथा आसामी-भाषी किसी सज्जन की रचना पर।

(४) नारंग पुरस्कार——१००) भारतीय संस्कृति-विषयक कविता पर केवल पंजाब निवासी कवि को।

(५) रत्नकुमारी पुरस्कार——२५०) हिन्दी के किसी मौलिक नाटक पर।

(६) नेमीचन्द्र पाण्डया पुरस्कार——५००) वीररसपूर्ण बाल-साहित्य पर।

(७) गोविन्दराम सेक्सरिया विज्ञान पुरस्कार——१५००) विज्ञान के विविधि विषयों पर।

सम्मेलन का एक परीक्षा विभाग है। इसकी ओर से उत्तमा, (साहित्यरत्न), मध्यमा (विशारद), वैद्य-विशारद, कृषि-विशारद, व्यापार-विशारद, शिक्षा-विशारद, सम्पादन-कला-विशारद, शीघ्रलिपि-विशारद, प्रथमा, मुनीमी और अर्जीनवीसी, उपवैद्य आदि की परीक्षाऐं प्रति वर्ष होती हैं।

सन् १९४८ की परीक्षाओं से २३२,०३४) परीक्षा शुल्क प्राप्त हुआ। इसमें २७,०९३ आवेदन-पत्र आये; २०,५२३ परीक्षार्थी परीक्षाओं में सम्मिलित हुए; १०,३५१ परीक्षार्थी उतीर्ण हुए। ५० प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए।

सम्मेलन के संग्रहालय में २०,०५१ पुस्तकें हैं। वाचनालय में ८१२७ पुस्तकें हैं। सन् १९४८ (संवत २००५) में भारत सरकार ने सम्मेलन को ४०,०००) रुपये की सहायता प्रदान की। प्रान्तीय सरकार ने १५०००) की एककालिक सहायता प्रदान की। सम्मेलन के स्थायी कोष में ५७७५,५१७ रुपये हैं।

सम्मेलन द्वारा पुस्तक-प्रकाशन का कार्य भी किया जाता है। उसका एक निजी प्रेस भी है। सन् २००४—५ में ११२९९।)।। रायल्टी के रूप में लेखकों को दिया गया। सन् १९५० में सम्मेलन के पदाधिकारी निम्नलिखित थे——

सभापति आचार्य चन्द्रबली पाण्डेय; कार्यावाहक उपसभापति डा० अमरनाथ झा, साहित्य वाचस्पति; उपसभापति सेठ गोविन्ददास जी, साहित्य वाचस्पति; प्रधान मंत्री

श्री बलभद्रप्रसाद मिश्र, संपादक 'भारत'; प्रबंध व परीक्षामंत्री श्री राय रामचरण अग्रवाल; साहित्य-मंत्री श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड 'बेढव'; संग्रह-मंत्री श्री रामचन्द्र टण्डन; अर्थ-मंत्री श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन (राजा मुनुआ); राष्ट्रभाषा प्रचार-मंत्री श्री भदन्त आनन्द कौसल्यायन ।

भंडारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीच्यूट, पूना—

६ जुलाई, १९१७ को इसकी स्थापना की गई। उस दिन सर आर० जी० भंडारकर की ८० वीं वर्षगाँठ थी । इस संस्था के उद्देश्य प्राचीन भारतीय साहित्य के ग्रन्थों के आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित करना; भारतीय साहित्य की पूर्ण लायब्रेरी अर्थात् पुस्तकालय स्थापित करना तथा छात्रों को अनुसंधान की शिक्षा देना है। इस संस्था का एक विशाल पुस्तकालय है। बंबई सरकार इसे प्रतिवर्ष ३०००) की सहायता देती है। सरकार ने पुस्तक प्रकाशन के लिए १२,००० की सहायता दी है। भण्डारकर ओरियन्टल सीरीज यहाँ से प्रकाशित होती है। यह महाभारत का एक आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित कर रहा है। इसके लिए औंध के महाराजा ने १००,०००) रुपये देने का वचन दिया है। भारत सरकार इसे ६०००) रुपये सालाना, बंबई विश्व विद्यालय २०००) रु० सालाना और बंबई सरकार ६००० रुपये सालाना की सहायता देती है। इनके अतिरिक्त देश के अनेक दानी तथा राजा-महाराजा इसे सहायता देते हैं।

इसकी सदस्यता का शुल्क १० रुपये वार्षिक है। १००) आजीवन सहायता का शुल्क है।

भारत इतिहास संशोधक-मंडल पूना :—

सन् १९१० में इस संस्था की स्थापना श्री बी० के० राजवाड़े ने की थी। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक सामग्री का संग्रह करना तथा उसका रक्षण करना तथा ऐतिहासिक ग्रन्थों का प्रकाशन करने एवं भारतीय इतिहास के संबंध में खोज का कार्य करना है।

इस संस्था के पास माराठी तथा फारसी भाषा में सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक सामग्री है। इसके संग्रहालय में १०००० बड़े सुन्दर तथा अनुपम चित्रों का संग्रह है। पुराने सिक्के तथा अस्त्र आदि भी संग्रहालय के एक कक्ष में हैं। पुरातत्व की सामग्री भी संग्रहालय में है। इसका एक पुस्तकालय भी है। इसकी ओर से अनुसंधान का कार्य होता है और अनेक खोजपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन भी किया गया है। न्यूजरसी (अमेरिका) के स्वर्गीय डा० जे० ई० एबोट ने ३०,००० डालर वसीयत में मण्डल को दिये। भारत सरकार तथा बंबई सरकार से भी इसे सहायता मिलती है। इसके १००० कार्यकारी सदस्य हैं। इसकी सालाना आय ८००० रुपये है। सभापति राजासाहेब फाल्टन; उपसभापति राजासाहेब औंध और मंत्री डा० एम० जी० दीक्षित हैं। पता ३१२-१३ सदाशिव पेठ, पूना नगर।

बंबई आर्ट सोसाइटी—सन् १८८८ में इस सोसायटी की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य चित्र-कला की प्रदर्शनी का आयोजन कर कला की अभिवृद्धि करना है। इसकी ओर से प्रति वर्ष कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इसका वार्षिक चंदा १५ रु० है। अध्यक्ष सर कवास जी जहाँगीर और मंत्री वी० वी० ओक हैं। पता—सेसून बिल्डिंग ६७, रेम्पार्ट रोड, फोर्ट, बंबई।

बंबई प्राकृतिक इतिहास समाज—सन् १८८३ में प्राकृतिक इतिहास के अध्ययन की अभिवृद्धि के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। इसके १४०० सदस्य हैं। इसकी ओर से एक त्रैमासिक पत्रिका भी निकलती है। इसका चंदा ३० रुपया वार्षिक और २५ रुपया प्रवेश शुल्क है। पता—११४, अपोलो स्ट्रीट, बंबई।

दक्षिण शिक्षा सोसाइटी, पूना—सन् १८८४ में शिक्षा प्रसार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके ३७ आजीवन सदस्य हैं। सोसायटी की सम्पत्ति तथा कोष ५०,००,०००)

रुपये का है। इसकी वार्षिक आय १३,४०,०००) रुपये है। कार्य-कारिणी समिति के अध्यक्ष एच० जी० घरपुरे, एम० ए० आई० सी० एस० (अवकाश-प्राप्त) और मंत्री डा० आर० एन० दन्डेकर, एम० ए०, पी० एच० डी० हैं। पता—फरगुसन कालेज, पूना ४ है। इस सोसायटी की ओर से कई कालिजों व हाईस्कूलों का संचालक किया जाता है।

इंडियन तथा ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसायटी—इसका परिचय अन्यत्र देखिए "समाचार पत्र-संबंधी अध्याय" में।

पी० ई० एन० भारतीय केन्द्र, बबई—

पी० ई० एन० (P–Poet; E-Editors; N-Novelists)। यह संसार के साहित्यकारों, कवियों, नाटककारों, निबन्धकारों, पत्र-कारों तथा उपन्यासकारों की भारतीय शाखा है। सन् १९३३ में श्रीमती वाडिया सोफिया ने इसकी बंबई में स्थापना की। स्वर्गीय विश्वकवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर इसके सभापति थे। जब उनकी मृत्यु हो गई तब १९४२ में श्री मती सरोजिनी देवी नायड इसकी सभानेत्री चुनी गईं। इसके उपसभापति मौलाना सुलेमान नदवी, पं० जवाहरलाल नेहरू तथा डा० एम० राधाकृष्ण हैं। इस संस्था का उद्देश्य साहित्यकारों में परस्पर बन्धुता तथा मैत्री की अभिवृद्धि करना एवं साहित्यकारों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है।

भारतीय केन्द्र भारत में सांस्कृतिक एकता की अभिवृद्धि के लिए कार्य कर रहा है। भारत के सभी भाषाओं के लेखकों का इसे सहयोग प्राप्त है। इसकी ओर से इंडियन पी० ई० एन० नाम्नी एक पत्रिका प्रकाशित होती है। इसकी संपादिका श्रीमती वाडिया हैं। इस पत्रिका द्वारा भारतीय भाषाओं के विज्ञान साहित्यकारों की कृत्तियों तथा साहित्य-सेवा पर प्रकाश डाला जाता है जिससे अंग्रेजी से परिचित भारतीय भाषाओं के लेखकों से भी परिचय प्राप्त कर सकें। प्रत्येक लेखक इसका सदस्य बन सकता है। वार्षिक चंदा १०) तथा प्रवेश फीस ५) है।

पता—आनरेरी सेक्रेटरी, ए० ए० ए० फैजी, आर्य-संघ, २२ नारायण दयोलकर रोड, मालावार हिल, बंबई ६।

भारतिय राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता—सन् १६०२ में भारत के वायसराय लार्ड कर्जन ने कलकत्ता में इसकी स्थापना की। यह पुस्तकालय भारत सरकार के शिक्षा सचिवालय के अन्तर्गत है। इसके प्रबंध के लिए एक समिति है। भारत शिक्षा-सलाहकार इस समिति का अध्यक्ष होता है। इसके सदस्य विविधि प्रान्तों के हैं। इस पुस्तकालय में भारत के संबंध में बड़ी अनुपम पुस्तकों का सभी भाषाओं में संग्रह है। इसमें ४२३, ००० पुस्तकें है। इस प्रकार यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है?

हिन्दुस्तानी ऐकेडमी, इलाहाबाद—इसकी स्थापना यू० पी० सरकार ने हिन्दी व उर्दू साहत्यि की अभिवृद्धि तथा प्रचार के लिए की थी। इस समय राज्यभाषा हिन्दी होने से यह हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न करती है। इसकी ओर से साहित्य-प्रकाशन का कार्य होता है और लेखकों को पुरस्कार भी दिया जाता है। डा० धीरेन्द्र वर्मा इसके प्रधान मंत्री हैं।

इंडियन लायब्रेरी (पुस्तकालय) एसोसियेसन-दिल्ली:—

इसकी स्थापना सन् १६३३ में की गई। इसके उद्देश्य भारत में पुस्तकालय आन्दोलन की अभिवृद्धि; भारत में पुस्तकाध्यक्षों के शिक्षण की व्यवस्था तथा पुस्तकालय विज्ञान में अनुसंधान हैं। वार्षिक चंदा २५) रुपये। इसकी ओर से एक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है। सभापति डा० एम० आर० रघुनाथन्, एम० ए०, डी० लिट् हैं और मंत्री श्री एस० दासगुप्त, एम० ए०। पता—यूनिवर्सिटी लायब्रेरी, दिल्ली २, भारत।

सांस्कृतिक संस्थाएँ

भारतीय संगीत परिषद्, लखनऊ—सन् १६३६ में रायजादा ओंकार प्रसाद ने लखनऊ में इसकी स्थापना की। इसका

उद्देश्य भारतीय सगीत का पुनरुद्धार व प्रचार करना ह। यह अपने ढंग की एक ही संस्था है।

इंडियन सोसायटी आफ ओरियन्टल आर्ट—

यह भारतीय कला की अभिवृद्धि के लिए स्थापित की गई थी। इसका कार्यालय ११, बेलिंगटन स्क्वायर में कलकत्ता में है। सभापति हैं डा० अवनीन्द्रनाथ ठाकुर और मंत्री डा०. निहारंजन राय।

इंडियन इन्स्टिट्यूट आफ कल्चर (भारतीय संस्कृति परिषद्) बंगलोर (मैसूर)— सन् १९४५ में इसकी स्थापना निम्न-लिखित उद्देश्यों से की गई। (१) सांस्कृतिक तथा बौद्धिक विकास के लिए सुयोग प्रदान करने के निमित्त एक केन्द्र की स्थापना, (२) शिक्षा के संबंध में उचित विचारों का प्रचार, (३) विविधि प्रान्तों तथा देशों के बीच विचार-विनिमय का आयोजन जिससे अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता की प्रतिष्ठा हो। इस संस्था की ओर से एक अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास भी स्थापित है। एक पुस्तकालय है। 'आर्य-पथ' नामक एक मासिक पत्र भी प्रकाशित होता है।

कला-क्षेत्र, अड्यार, मद्रास—सन् १९३६ में सुप्रसिद्ध नर्तकी श्रीमती रुक्मिणी देवी ने इसकी स्थापना की। स्वयं रुक्मिणी देवी तथा उनके सहयोगी कलाकार एवं छात्र-छात्राएँ प्राचीन हिन्दू-नृत्यों, भारतनाट्य तथा कथकाली के सिद्धान्तों तथा प्रयोगों के प्रचार तथा उनकी अभिवृद्धि के लिए प्रयत्नशील हैं। यहाँ नृत्य, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा का भी प्रबंध है।

इस में १५०० ताड़-पत्रों में तामिल भाषा में लिखित कम्बा रामायण का अनुपम संग्रह भी है। ३ जुलाई, १९४७ को यहाँ अरून्डेल मौण्टसरी ट्रेनिंग केन्द्र भी कार्य कर रहा है। यह केन्द्र मौण्टसरी शिक्षा-प्रणाली में अध्यापकों को शिक्षण देता है।

भारतीय विद्या-भवन, बंबई—

इसकी स्थापना श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने बंबई में की है। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति एवं साहित्य का पुनरुद्धार है। इसमें संगीत तथा नृत्य-कला की शिक्षा का भी प्रबंध है।

वैज्ञानिक संस्थाएँ

भारत की कृषि तथा उद्यान-समिति, कलकत्ता—

इस समिति की स्थापना सन् १८२० में हुई। इसका उद्देश्य भारत में उद्यान का विकास करना है। पता—अलीपुर रोड अलीपुर, कलकत्ता। वार्षिक चन्दा ४०): १०) प्रवेश फीस।

मानव विज्ञान-समिति, बम्बई —स्थापना सन् १८८६ में। इसका उद्देश्य भारत में मानव-विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान को प्रोत्साहन देना है। इसका पता है १३६, अपोलो स्ट्रीट, कलकत्ता।

भारत गणित परिषद् लखनऊ—इसकी स्थापना १६१८ में गणित-संबंधी अनुसंधान के हेतु की गई। इसकी ओर से 'भारत गणित परिषद, पत्रिका प्रकाशित होती है। इसका एक पुस्तकालय भी है। इसके १२० सदस्य हैं। ६) वार्षिक चन्दा व प्रवेश फीस १०) है। सभापति डा० गोरख प्रसाद; मंत्री डा० रामाधार मिश्र। पता; लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

बम्बई स्वच्छता समिति— (Bombay Sanitation Association) सन् १६१५ में इसकी स्थापना बंबई में इस उद्देश्य से की गई कि स्वच्छता के विषय में शिक्षित लोकमत का निर्माण किया जाय; स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ज्ञान का प्रसार करे। पुरस्कार व पदक देकर प्रोत्साहन दिया जाय। स्त्रियों तथा कुमारिकाओं को स्वास्थ्य-सम्बन्धी ज्ञान देने के लिए व्याख्यानमालाओं का आयोजन किया जाय। बम्बई में इसका एक भव्य भवन है। उसमें एक पुस्तकालय तथा अद्भुतालय हैं।

भारतीय रसायन सोसायटी—सन् १९२४ में इसकी स्थापना की गई। स्वर्गीय सर पी० सी० राय इसके अध्यक्ष थे। इसके वर्तमान अध्यक्ष डा० जे० एन० राय हैं। इसकी ओर से एक मासिक-पत्र भी निकलता है। इसका वार्षिक चंदा १६) व २०) रुपये हैं। पता—युनिवर्सिटी कालेज आफ साइन्स बिल्डिंग, अपर सरक्यूलर रोड, कलकत्ता।

भारतीय विज्ञान परिषद्, प्रयाग—इसका उद्देश्य विज्ञान-संबंधी साहित्य का हिन्दी भाषा में प्रकाशन तथा अनुसन्धान है। इस की ओर से, "विज्ञान" नामक हिन्दी भाषा में मासिक-पत्र भी प्रकाशित होता है। विज्ञान संबंधी अनेक उपयोगी ग्रन्थों का भी इसने प्रकाशन किया है।

इंडियन इन्स्टिट्यूट आफ साइन्स मालेश्वरम्, बंगलोर—

जुलाई, सन् १९११ में इसकी स्थापना की गई। स्वर्गीय जे० एन० टाटा के सद्प्रयत्न से तथा उनके दो पुत्र स्वर्गीय सर दोरावजी टाटा तथा स्वर्गीय रत्न जी टाटा की दान-शीलता के कारण इसकी स्थापना हो सकी। इसकी रसायनशाला में एम० एससी० के छात्र अनुसंधान का कार्य करते हैं। इसमें भौतिक विज्ञान, साधारण रसायन, औषधि-विज्ञान, इन्जीनियरिंग विज्ञान, धातुविज्ञान, वायुयान सम्बन्धी इन्जीनियरिंग, विद्युत इन्जीनियरिंग आदि के सम्बन्ध में अनुसन्धान की व्यवस्था है। इसमें वैज्ञानिक साहित्य का एक सुन्दर पुस्तकालय भी है जिसमें ३५,००० पुस्तकें व मासिकपत्र हैं। संस्था की ओर से छात्र-वृत्तियाँ भी दी जाती हैं। सफल छात्रों को प्रमाण-पत्र भी दिये जाते हैं। इसकी प्रबंध-समिति के अध्यक्ष सर विट्ठल एम० चन्द्रवारकर और रजिस्ट्रार ए० जी० पाई०, एम० ए० हैं।

भारतीय गणित सोसायटी, पूना—सन् १९०७ में इसकी स्थापना की गई। इसकी ओर से दो गणित पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं। इसकी एक लायब्रेरी है जो फरगुसन कालेज, पूना में

है। इसके ४०० सदस्य हैं। डा० एम० ए० सिद्दिकी (उसमानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद) अध्यक्ष हैं।

भारतीय अनुसंधान निधि परिषद् (The Indian Research fund Association)—इसका पता है—सहायक सचिव, स्वास्थ्य सचिवालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। सन् १९११ में इसकी स्थापना की गई। विज्ञान-सम्बन्धी अनुसंधान के लिए ५००,०००) रुपये की निधि कायम की गई। चिकित्सा के संबंध में अनुसन्धान करनेवाली यह सर्वप्रथम सुसंघटित संस्था हैं। भारत सरकार इसे वार्षिक सहायता देती है। इसका प्रबंध एक प्रबंध-कारिणी समिति करती है। स्वास्थ्य-मंत्रिणी श्री मती राजकुमारी अमृतकौर उसकी अध्यक्षा हैं। इस संस्था को एक सलाहकार बोर्ड परामर्श देता है। बोर्ड में अनुसंधान से संबंध रखनेवाले विशेषज्ञ हैं। डायरेक्टर जेनरल आफ हेल्थ इस बोर्ड का अध्यक्ष है। वार्षिक चंदा १००) है। राजा पालकमेडी ने सन् १९२९ में इसे १००,०००) रुपये दान दिये और वह आजीवन सदस्य बना लिये गये। उसी समय से इसमें जनता के प्रतिनिधि भी लिये जाते हैं। पहले सब सरकारी सदस्य होते थे।

भारतीय जनपथ तथा यातायात विकास परिषद् लिमिटेड (Roads and Transport Development Association Ltd.)—

इसका रजिस्टर्ड कार्यालय २७ वेस्टियन रोड, बंबई में है। सन् १९२६ में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्य कार्यालय बंबई में तथा शाखाएँ कलकत्ता, मद्रास, नागपुर, नई दिल्ली आदि में हैं। इस संस्था का उद्देश्य हर प्रकार के यातायात (सड़क, मोटर, तथा नभ-पथ) का विकास करना है। यह किसी भी जिला, प्रान्त अथवा प्रदेश के संबंध में यातायात के साधनों के सुधार के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार, कारपोरेशन व चुंगी आदि से भी पत्र-व्यवहार करती है। टैक्स आदि के संबंध में भी लिखापढ़ी करती है।

अध्यक्ष हैं—श्री माणिकजी एन० दालाल।

भारतीय विज्ञान कांग्रेस ऐसोसियसन—

सन् १९१४ में इस संस्था की स्थापना प्रो० पी० एस० मैकमाहोंन तथा डा० जे० एल० सियोसन ने की। सन् १९२१ तक ये इस काँग्रेस के मंत्री रहे। इसका कार्यालय १ पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता है।

इस सस्था का मुख्य उद्देश्य भारत में विज्ञान की प्रगति करना है। इंडियन साइन्स काँग्रेस के वार्षिक सम्मेलन वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने तथा उसके परिणामों से वैज्ञानिक कार्यकर्त्ताओं को परिचित कराने; वैज्ञानिकों में पारस्परिक संपर्क बढ़ाने तथा जनता में वैज्ञानिक अभिरुचि की अभिवृद्धि करने के लिए किये जाते हैं। काँग्रेस के सभी सदस्य बन सकते हैं। इसके सदस्य १५०० हैं। वार्षिक चन्दा १२) है।

प्रतिवर्ष जनवरी में किसी प्रधान नगर में इसका अधिवेशन होता है। उसका एक निर्वाचित अध्यक्ष होता है। इसके १३ विभागों के १३ सभापति भी होते हैं। ये १३ विभाग निम्न प्रकार हैं—(१) गणित, (२) सख्या शास्त्र, (३) भौतिक, (४) रसायन, (५) भूगर्भ-तथा भूगोल, (६) वनस्पति विज्ञान, (७) कीटविज्ञान, (८) मानव-वंश विज्ञान; पुरातत्व, (९) चिकित्सा ; पशुचिकित्सा, (१०) कृषि विज्ञान, (११) शरीर विज्ञान, (१२) मनोविज्ञान व शिक्षा विज्ञान, (१३) इन्जीनियरिंग व धातु विज्ञान। जनवरी, १९४७ से काँग्रेस के अधिवेशन में विदेशों से भी वैज्ञानिक आमंत्रित किये जाने लगे हैं।

इन्स्टिटयूशन आफ इंजीनियर्स—सन् १९२० में इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य साधारणतया इन्जीनियरिंग की प्रगति तथा इन्जीनियरिंग विज्ञान की अभिवृद्धि है। यह अखिल भारतीय संस्था है। इसमें सभी शाखाओं के इन्जीनियर हैं। इसके ५००० सदस्य हैं। इसकी ओर से एक पत्र भी प्रकाशित होता है।

अध्यक्ष: ए० एन० खोसला। इसका मुख्य कार्यालय ८, गोखले रोड, कलकत्ता।

सामाजिक संस्थाएँ

भारतीय रेडक्रास सोसायटी——मुख्य कार्यालय २०, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली। अध्यक्ष——श्री चक्रवर्ती राजगोपालचार्य; सभापति प्रदंध-समिति——सर उषानाथ सेन; उपसभानेत्री माननीय श्री राजकुमारी अमृतकौर; प्रधान-मंत्री सरदार बहादुर बलवन्तसिंह पुरी।

सन् १९२० के इण्डियन रेड क्रास सोसायटी ऐक्ट के अनुसार इसकी स्थापना १९२० में की गई। इसकी २८ प्रादेशिक शाखाएँ हैं। ३५० जिला शाखाएँ हैं।

इसके उद्देश्य हैं——भारतीय सैन्य के रोगियों तथा घायल सैनिकों की सेवा; क्षयरोगियों की सेवा; प्रसूता; शिशु-मंगल अस्पताल आदि को आवश्यक वस्त्र देना; स्वास्थ्य-सम्बन्धी तथा जन-कल्याण सम्बन्धी कार्य में सहायता; गृहसेवा ऐम्बुलैंस वर्क; भारतीय सेना के सदस्यों की सहायता तथा सुविधा का आयोजन।

सन् १९४८ में इसके सदस्य ११,७७० थे।

अवैतनिक उपाध्यक्ष १००००); संरक्षक ५०००) उपसंरक्षक १०००) और सदस्य १२) सालाना देते हैं।

पूना सेवासदन सोसायटी——इसका कार्यालय ७८९-७९० सदाशिव पेठ, पूना में है। सन् १९०९ में स्वर्गीया श्रीमती रामाबाई रानाडे ने इसे स्थापित किया। इसका मुख्य कार्य स्त्रियों को सामाजिक कार्य तथा पिछड़े वर्गों की सेवा के लिए तैयार करना है। इनके ८ विभाग हैं और इनके अन्तर्गत ११० श्रेणियाँ हैं जिनमें ३१२५ महिलाएँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। पूना में स्त्रियों के लिए एक सम्मिलित छात्र-निवास है। इसमें सभी वर्गों की स्त्रियाँ रहती हैं। इस संस्था का

वार्षिक व्यय ३ लाख रुपये है। सभानेत्री श्रीमती रानी साहेबा फाल्टन; मंत्रिणी कुमारी काशीबाई अथावले हैं।

भारत सेवक-समिति, पूना (Servants of India Society)–

स्वर्गीय श्री गोपालकृष्ण गोखले ने सन् १९०५ में इस की स्थापना की। यह एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्त्ताओं की समिति है जिन्होंने अपने निर्वाह मात्र के लिए कुछ मासिक वृति पर आजीवन अपनी सेवाएँ समर्पित कर दी हैं। इसका उद्देश्य सामाजिक सेवा-भावना से परिपूर्ण जनसेवकों को तैयर करना है। यह वैधानिक रीति से भारतीयों के हितों की अभिवृद्धि करती है। इसके २४ सदस्य हैं। इसका मुख्य कार्यालय पूना में हैं। मद्रास, बम्बई, इलाहाबाद, नागपुर, आदि में शाखाएं हैं। यह संस्था राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा, मजदूर-मंगल तथा दलित जातियों के उत्थान के सम्बन्ध में कार्य करती है। इसकी ओर से दो पत्र भी निकलते हैं। एक मराठी पत्र 'ध्यान-प्रकाश' दूसरा अंग्रेजी दैनिक 'हितवाद'।

अध्यक्ष: पं० हृदयनाथ कुंजरु; उपाध्यक्ष: श्री अमृतलाल वी० ठक्कर। मगर इसी वर्ष ठक्कर बापा स्वर्गवासी हो गये।

यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसियेसन (वाई० एम० सी० ए०)— इसकी स्थापना सर जर्ज विलियम्स ने सन् १८४४ में की थी। यह एक विश्व संस्था है। इस संस्था का उद्देश्य तरुण स्त्री-पुरुषों की आध्यात्मिक, सामाजिक, मानसिक तथा शारीरिक अभिवृद्धि तथा विकास के लिए कार्य करना है। भारत में इसकी प्रधान नगरों में ६५ शाखाएँ हैं। सब शाखाएँ स्वतन्त्र हैं। उनका संघटन तथा प्रबंध स्थानीय संस्था द्वारा ही होता है। ३२ नगरों में सभा के निजी भवन में कार्यालय हैं। शेष भाड़े के मकानों में हैं। भारत, पाकिस्तान तथा बर्मा के एसोसियसनों का मुख्य कार्यालय ५ रसल स्ट्रीट, कलकत्ता में है।

सरक्षक: रीयर एडमिरल लार्ड मौंटबेटेन हैं।

कौंसिल के अध्यक्ष राजा सर महाराजा सिंह, राज्यपाल, बम्बई और प्रधान मन्त्री टी० डी० सन्तवान् ।

यंग वीमेन्स क्रिश्चियन एसोसियेसन—इसकी स्थापना सन् १८७५ में तथा भारत में सन् १८९६ में की गई। इस संस्था का उद्देश्य भारत, बर्मा व पाकिस्तान की महिलाओं व लड़कियों को आध्यात्मिक, बौद्धिक, सांमाजिक तथा शारीरिक विकास के लिए बंधुत्व के सूत्र में आवद्ध कर पारस्परिक सेवा करना है।

हरिजन सेवक संघ, दिल्ली—सितम्बर, १९३२ में महात्मा गाँधी ने रामजे मकडानल्ड द्वारा दलित जातियों को दिये गये प्रथम निर्वाचन के निर्णय के विरोध में पूना की यरवदा जेल में आमरण व्रत रखा। ४–५ दिन के बाद दलित जातियों के नेता डा० भीमराव अम्बेडकर तथा अन्य हिन्दू नेताओं के बीच बम्बई की सभा में समझौता हो गया। इस समझौते को गाँधी जी ने स्वीकार कर लिया तथा सरकार ने भी मान लिया। उसके बाद यह पूना पेक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महात्मा गाँधी ने अपनी पूरी शक्ति हरिजन आन्दोलन में लगाई और जेल में रहते हुए "हरिजन" अंग्रेजी, "हरिजन सेवक" हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में इसी प्रकार के पत्रों का सम्पादन व संचालन किया। भारतीय हरिजन-सेवक-संघ की स्थापना भी इसी समय की गई। इसके अध्यक्ष सेठ घनश्यामदास विड़ला तथा प्रधान-मंत्री श्री अमृतलाल जी ठक्कर हुए। इस संस्था का उद्देश्य सत्यतापूर्ण एवं अहिंसात्मक साधनों द्वारा हिन्दू समाज में से अस्पृश्यता तथा तज्जनित बुराइयों एवं अयोग्यताओं का निवारण है जिनके कारण तथाकथित 'अस्पृश्य' जिन्हें हरिजन कहा गया है पीड़ित हैं, तथा हिन्दू समाज में उन्हें समानता का स्थान दिलाना है।

केन्द्रीय संघ के कार्य की व्यवस्था केन्द्रीय बोर्ड द्वारा की जाती है। इसमें केन्द्रीय संघ के अध्यक्ष, मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त समस्त प्रान्तीय बोर्डों के अध्यक्ष सदस्य हैं।

सघ दलित जातियों में शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, कूप-निर्माण, तथा देवमन्दिरों में प्रवेश के लिए कार्य करता है।

अखिल भारतीय महिला परिषद् (All India Womens Conference)

श्री मती मारगेरेट कज़िन्स के प्रयत्न के फलस्वरूप सन् १६२६ के अन्त में अखिल भारतीय महिला परिषद् की स्थापना हुई। इसका प्रथम अधिवेशन पूना में जनवरी, १६२७ में हुआ। इसके प्रथम अधिवेशन में स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में कई प्रास्ताव स्वीकार किये गये तथा बालविवाह के विरोध में भी प्रस्ताव स्वीकार किया गया। यह परिषद् स्त्रियों की शिक्षा, बालविवाह के विरोध, अस्पृश्यता निवारण, स्त्रियों के लिए वयस्क मताधिकार तथा विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व, ग्राम-सुधार, उत्तराधिकार कानूनों में संशोधन तथा पुत्रियों व विधवाओं के लिए अपने पिता के धन में अधिकार के लिए आन्दोलन करती रही है। यह वास्तव में मार्के की बात है कि भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जिस साम्प्रदायिकता ने इतना प्रचंड विनाश कर डाला, उसका लेश भी महिला परिषद् में नहीं है। इसमें हिन्दू, पारसी, मुसलमान, ईसाई, रानी, महारानी से लेकर साधारण महिलाओं तक ने भाग लिया है। महारानी बड़ौदा, महारानी ग्वालियर, महारानी त्रावणकोर, श्रीमती कजिन्स, राजकुमारी अमृतकौर, बेगम भोपाल, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, श्रीमती कमला देवी आदि इसकी सभानेत्रियाँ रह चुकी हैं।

औद्योगिक तथा वाणिज्य संस्थाएँ

अखिल भारतीय खाद्य संरक्षण सभा (All India Food Preserver's Association):— स्थापना १६४२; कार्यालय १८–ए० औरंगजेब रोड, नई दिल्ली। अध्यक्ष : दीवान चमनलाल; मंत्री कैलाशनाथ। उद्देश्य: भारतीय फल-सरक्षण उद्योग की अभिवृद्धि एवं विकास और स्वास्थ्य तथा स्वच्छता का ध्यान रखते हुए इस उद्योग द्वारा निर्मित खाद्यों का स्तर उच्च बनाना तथा इस उद्योग के संबंध

में आँकड़े संग्रह करना और उनका वितरण करना। इस उद्योग से संबंधित इसके सदस्य बन सकते हैं।

अन्न-तेलहन व्यापारी-मण्डल (Grain and Oil Seeds Merchants Association) :— इसका कार्यालय मसजिद, बन्दररोड, मांडवी, बंबई में है। इसका उद्देश्य अन्न तथा तेलहन के व्यापारियों के हितों की अभिवृद्धि है।

भारतीय केन्द्रीय कपास-समिति—कार्यालय : निकोल रोड, बैलार्ड इस्टेट, बंबई। यह समिति भारत सरकार द्वारा १९२१ में बनाई गई। यह समिति भारतीय रूई के विकास के लिए अनुसंधान आदि करती है। प्रति गाँठ पर चार आना शुल्क लिया जाता है। इससे इस समिति को सहायता मिलती है।

इंडियन न्यूज पेपर सोसायटी लि०—कार्यालय : १३८ मीडोज स्ट्रीट, बंबई। इसकी स्थापना १९४७ में इस उद्देश्य से हुई कि सहकारी ढंग से पत्र-पत्रिकाओं का संचालन किया जाय। इसकी दो लाख रुपये की अधिकृत पूंजी है।

५८ दैनिक, ८९ साप्ताहिक, ६ अर्द्ध साप्ताहिक और ४४ मासिक पत्रों के संचालकों ने इसके हिस्से खरीदे हैं।

मारवाड़ी सभा (एसोसियेसन) १६० ए० चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता—

इसकी स्थापना सन् १८९८ में हुई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य मारवाड़ी जाति के राजनीतिक, नैतिक, बौद्धिक, व्यापारिक, आर्थिक एवं सामाजिक हितों की रक्षा करना तथा उसके हितों का संरक्षण तथा मारवाड़ियों के परस्पर विवादों का पंच-निर्णय द्वारा निपटारा करना है।

अध्यक्ष—श्री छोटेलाल कनोड़िया

मंत्री—श्री बद्रीप्रसाद पोद्दार

मिल-मालिक-सभा, बम्बई—इसकी स्थापना सन् १८७५ में हुई। यह उद्योगपतियों की सबसे महत्त्वपूर्ण और पुरानी संस्था है। सूती वस्त्रों के मिल-मालिक ही इसके सदस्य हैं।

इस सभा में १५६ सदस्य हैं, जिनमें सूती मिलों के अतिरिक्त ६ ऊनी मिल, २ रेशमी मिल, १ रूई धुनने के मिल तथा ३ रँगने के मिल भी सम्मिलित हैं।

सन् १६४६ की प्रबंध-समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी थे:—

अध्यक्ष: सर विठ्ठल चन्द्रवारकर; उपाध्यक्ष: नेविली एन० वाड़िया; मंत्री: एन० एस० बी० अय्यर; मजदूर अफसर: श्री आर० जी० गोखले। सभा का कार्यालय एलफिन्स्टन भवन में चर्चगेट स्ट्रीट, फोर्ट बंबई में हैं।

यार्न (सूत) व्यापारी एसोसियेसन, बम्बई:—

इस संस्था की स्थापना सन् १६३५ में हुई। इसका उद्देश्य सूत के निर्माताओं, वितरकों तथा व्यापिरियों के हितों की रक्षा करना तथा इस संबंध में व्यापार का नियंत्रण तथा व्यापार के संबंध में समुचित सिद्धान्तों तथा नियमोपनियमों की व्यवस्था करना है। यह अखिल भारतीय संस्था है। समस्त देश में इसके सदस्य हैं। इसके ४७६ सदस्य तथा ५१६ दलाल हैं। सन् १६४५ में भारत सरकार ने इस सभा को बंवई में सूत-वितरण का कार्य सौंपा। अध्यक्ष: सेठ एम० आर० भड़चा; मंत्री डी० एम० वोणदिया।

अखिल भारतीय उद्योगपति संघ

(All India Organisation of Industrial Employees)

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारतीय उद्योगपतियों के समुचित रीति से प्रतिनिधित्व और इस दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के समक्ष आनेवाले प्रश्नों के अध्ययन करने के लिए श्री बालचन्द हीराचंद के प्रयत्न से सन् १६३२ में इसकी स्थापना की गई। औद्योगिक संस्थाएँ तथा व्यक्तिगत रूप से उद्योगपति इसके सदस्य हो सकते हैं। संस्था के लिए वार्षिक चन्दा ३००) और व्यक्तिगत मिल के लिए ३०) है।

सन् १९४८-४९ के लिए इसके पदाधिकारी निम्न प्रकार हैं:—

अध्यक्ष : सेठ शान्तिप्रसाद जैन, कलकत्ता।

मंत्री : जी० एल० बंसल।

कार्यालय : २८ फीरोजशाह रोड, नई दिल्ली।

भारत का मिल-मालिक संघ (Employers Federation of India)

सन् १९३८ में इस संघ की स्थापना की गई। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नप्रकार हैं—

(१) भारत में उद्योग-पतियों के व्यापार, वाणिज्य, उद्योग आदि के हितों की अभिवृद्धि।

(२) उद्योग-पतियों के उपयोग की सामग्री, सूचना आदि संग्रह करके उन्हें उनमें वितरण करना।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन के लिए उद्योगपतियों की ओर से प्रतिनिधि मनोनीत करना।

(४) जो प्रश्न ऐसे सम्मेलनों में विचारार्थ आनेवाले हों उनपर विचार करना।

(५) मजदूरों के कल्याण के लिए योजना तैयार करना तथा मजदूरों तथा पूजीपतियों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करना।

अध्यक्ष : सर अर्देशिर दलाल।

इसका कार्यालय एलफिन्स्टन बिल्डिंग, चर्चगेट, फोर्ट, बंबई में है।

भारतीय वाणिज्य मंडल तथा उद्योग संघ

Federation of Indian Chambers of Commerce

यह वाणिज्य-मण्डलों का अखिल भारतीय संघ है। ११२ वाणिज्य-मण्डल तथा व्यापारिक संस्थाएँ इसके सदस्य हैं। इसके दो प्रकार के सदस्य हैं—साधारण सदस्य तथा एसोसियेट सदस्य। इस संघ के उद्देश्य निम्नप्रकार हैं:—

(१) देश के भीतर व्यापार तथा विदेशों के साथ व्यापार, यातायात उद्योग, राजस्व तथा अन्य समस्त आर्थिक विषयों में भारतीय कारोबार की अभिवृद्धि करना।

(२) भारतीय कारोबार संबधी सामान्य मामलों में व्यापारी समाज में एकता तथा मैत्री भाव की अभिवृद्धि करना।

(३) व्यापारियों के हितों की अभिवृद्धि के लिए भारत सरकार, प्रान्तीय सरकार, म्युनिस्पलबोर्ड के साथ कोई समझौता आदि करना।

(४) संघ की किसी सम्पत्ति आदि को बेंचना।

(५) किसी कंपनी में संघ के हिस्से खरीदना।

(६) कोई ट्रस्ट स्थापित करना।

सन् १९४८-४९ के लिए पदाधिकारी—

अध्यक्ष : श्री लाल जी मेहरोत्रा, बंबई।

उपाध्यक्ष : श्री के० डी० जालान, कलकत्ता।

कार्यवाहक मंत्री : श्री जी० एल० बंसल।

कार्यालय—२८ फीरोजशाह रोड, नई दिल्ली।

अध्याय ५०

भारत में शरणार्थी

१५ अगस्त, १९४७ के बाद पश्चिमी पाकिस्तान म जो साम्प्रदायिक उपद्रव हुए, उसके कारण वहाँ के हिन्दू तथा सिक्ख नागरिकों को अपना घरबार त्याग कर भारत में आने के लिए वाध्य होना पड़ा। सरकारी अनुमान के अनुसार, जुलाई १९५० तक भारत में पाकिस्तान (पूर्वी व पश्चिमी) से ८२ लाख ७ हजार नर-नारी व बालक आ चुके हैं। पश्चिमी पाकिस्तान से ५० लाख और पूर्वी पाकिस्तान से ३२ लाख २७ हजार व्यक्ति आये हैं। पूर्वी पाकिस्तान के ढाका आदि से दंगों से पूर्व १२ लाख ५८ हजार व्यक्ति भारत में आये और दंगों के बाद १९ लाख ६९ हजार व्यक्ति जुलाई, १९५० तक आये।

पूर्वी पाकिस्तान से जनवरी से जुलाई, १९५१ तक २६ लाख ४१ हजार हिन्दू भारत में आये हैं और अभी उनका आना जारी है। जो हिन्दू पाकिस्तान को वापस गये हैं, उनकी संख्या ६ लाख ७२ हजार है।

जनवरी से जुलाई, १९५० तक १२ लाख ४४ हजार मुसलमान भारत से पाकिस्तान गये। इनमें से ३ लाख २१ हजार भारत में वापस आ चुके हैं।

जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में देशान्तर गमन करते हैं, उनके लिए सरकार की ओर से शिविरों में आश्रय देने की व्यवस्था की गई है। जब तक उनका पुनर्वास न हो तब तक उन्हें भोजन तथा आश्रय दिया जाता है। २ लाख ३४ हजार व्यक्ति इस समय शिविरों में हैं। १ लाख ५४ हजार पश्चिमी बंगाल मे, १२ हजार आसाम में, ३० हजार त्रिपुरा में, १६ हजार उड़ीसा में और २२ हजार बिहार में हैं।

जुलाई, १९५० तक ३ लाख १३ हजार व्यक्तियों को भोजन मुफ्त दिया जाता था। पूर्वी पाकिस्तान में हाल के दंगों से पूर्व जो शरणार्थी भारत में आये उनमें से ४ लाख ७५ हजार शिविरों में रहते थे।

पश्चिमी पाकिस्तान में निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति

भारत सरकार के पुनर्वास सचिवालय ने यह अनुमान लगाया है कि पश्चिमी पाकिस्तान से जो हिन्दू व सिक्ख भारत में आये हैं, वे ४००० करोड़ रुपये की सम्पत्ति छोड़ आये हैं। भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान गये हैं, वे ४०० करोड़ रुपयों की सम्पत्ति छोड़ गये हैं। इस प्रकार पश्चिमी पाकिस्तान में हिन्दू जो सम्पत्ति छोड़ कर आये हैं, वह भारत में मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति से ६ से १० गुनी अधिक है।

पश्चिमी पंजाब में हिन्दू, सिक्ख ८० लाख एकड़ भूमि छोड़ कर आये हैं। सिंध, सीमाप्रान्त, वहावलपुर, बलूचिस्तान तथा खैरपुर में इसके अतिरिक्त भूमि है। पूर्वी पंजाब तथा पटियाला, नाभा, जिंद, फरिदकोट और कपुरथला में जो मुसलमान भूमि छोड़ गये हैं वह ४० लाख एकड़ है। पर अधिकांश उपजाऊ नहीं है। पश्चिमी पंजाब में छोड़ी गई भूमि बड़ी उपजाऊ है। इस प्रकार भूमि के संबंध में १००० करोड़ रुपये का अन्तर है, जो पाकिस्तान सरकार को अदा करना पड़ेगा।

अभी तक निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति का मामला तय नहीं हुआ है।

अखिल भारतीय शरणार्थी सम्मेलन

२९ तथा ३० जुलाई, १९५० को दिल्ली में उत्तर-प्रदेश की विधान-सभा के उस समय के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास टंडन के सभापतित्व में अखिल भारतीय शरणार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। डा० चोइथराम गिडवानी इस सम्मेलन की स्वागत-

समिति के अध्यक्ष थे। डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने भी इस सम्मेलन में प्रमुख भाग लिया था।

इस सम्मेलन के मुख्य प्रस्तावों का सारांश निम्नप्रकार है:—

बंगाल की समस्या

इस सम्मेलन की यह राय है कि भारत-सरकार ने भारत-पाक समझौते का पालन करने का प्रयत्न किया है; परन्तु पाकिस्तान उसका अमल करने में विफल रहा है। इस समझौते को अमल में लाये ३½ मास हो गये और इसका परिणाम यह है कि भारत में मुसलमानों का जीवन तथा सम्पत्ति सुरक्षा में है और उनमें विश्वास भी पैदा हो गया है। और फलस्वरूप पश्चिमी बंगाल, आसाम, त्रिपुरा आदि से जो मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान चले गये थे उनमें से ८० प्रतिशत वापस आ गये हैं, परन्तु जो हिन्दू पूर्वी बंगाल से भारत में आ गये वे अपने घरों को वापिस नहीं जा सके हैं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने ऐसी स्थितियाँ पैदा करने में सफलता प्राप्त नहीं की जिसमें हिन्दुओं का जीवन व सम्पत्ति सुरक्षित रह सके। दिल्ली समझौता अपने उद्देश्य की प्राप्ति मे विफल रहा है।

जबतक पाकिस्तान इस्लामी राज्य बना रहेगा तबतक वहाँ हिन्दुओं के लिए सुरक्षा संम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित उपायों में से कोई भी उपाय ही सफल हो सकता है:—

(१) दोनों देशों का एकीकरण;
(२) नियोजित रूप में जन-संख्या, भूमि, व सम्पत्ति का विनिमय तथा मुआवजा देने के लिए व्यवस्था।
(३) पाकिस्तान भारत को पर्याप्त भूमि (प्रदेश) दे जिसमें पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को बसाया जा सके।

सम्मेलन ने भारत सरकार से यह आग्रह किया कि पूर्वी बंगाल से अबतक आये हुए ४५ लाख शनणार्थियों के पुनर्वास लिए योजना बना कर कार्य करे।

२. जो शरणार्थी पूर्वी बंगाल से यहाँ आये हैं, उन्हें संविधान के अध्याय २ के अन्तर्गत नागरिकता के अधिकार दिये जायँ।

३. पाकिस्तान सरकार की ओर से आयकर की माँग के लिए भेजी गई नोटिसों पर कोई कार्रवाई न की जाय। केन्द्रीय रेवेन्यू बोर्ड की ओर से जारी किये गये सरक्युलर न० ३ डी० १९५० का तीव्र विरोध किया जाय।

४. विस्थापित लाखों व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सरकार हृदय से प्रयास करे और उनकी निम्नलिखित माँगों को स्वीकार किया जाय:—

(१) जो शरणार्थी अभी तक बेघर हैं, उनके लिए मकान शीघ्रातिशीघ्र बनाने का प्रयत्न किया जाय।

(२) जबतक शरणार्थियों के लिए उपयुक्त मकान न तैयार हो जाँय, उन्हें उन मकानों से अलग न किया जाय, जिनमें इस समय वे रहते हैं।

(३) जहाँ शरणार्थियों के लिए मकानों या भूमि की व्यवस्था की जाय, यह बड़े पैमाने पर की जाय, जिससे प्रान्तीय भेद-भाव न रहें।

(४) जहाँ शरणार्थियों ने अपने जेवर आदि बेंच कर छोटी-मोटी दूकानें बना ली हैं, उन्हें वहाँ से न हटाया जाय।

(५) जो विस्थापित व्यक्ति सरकारी क्वाटर्स के निवासियों की अनुमति से उनके किसी भाग में रहते हैं, उन्हें सरकार नियमित किरायेदार माने और उन्हें वहाँ से उस समय तक न निकाला जाय, जबतक कि उपयुक्त मकानों की व्यवस्था न हो जाय।

५, समस्त विस्थापित व्यक्तियों को अपनी जीविका प्राप्ति में सहायता दी जाय। उन्हें शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षण की सुविधाएँ दी जाँय। विधवाओं तथा अनाथों के लिए आश्रम स्थापित किये जाँय। चल सम्पति से जो वंचित कर दिये

गये हैं, उन्हें तुरन्त मुआवजा दिया जाय। जो व्यक्ति अचल सम्पति से वंचित कर दिये गये हैं, उन सब को भी मुआवजा दिया जाय। पुनर्वास मंत्री शरणार्थियों में से नियुक्त किया जाय जिस पर शरणार्थियों को विश्वास हो और स्टाफ भी यथासंभव उन्हीं में से भर्ती किया जाय।

उपर्युक्त कार्यों की पूर्ति के लिए एक विशेष निधि स्थापित की जाय और एक नया कर लगाया जाय।

६. सम्मेलन भारत सरकार से यह अनुरोध करता है कि उपर्युक्त माँगों की पूर्ति के लिए यथासंभव शीघ्र प्रयत्न करे और चार महीनों में अच्छा परिणाम दृष्टिगत हो।

यह सम्मेलन निम्नलिखित महानुभावों की एक स्थायी समिति नियुक्त करता है, जिसमें १५ सदस्य तक बढ़ाये जा सकेंगे।

(१) डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी, (२) डा० चोइथराम जी गिडवानी, (३) सरदार हुक्म सिंह, (४) ज्ञानी गुरुमुख मुसाफिर, (५) राजजंगबहादुर सिंह (संपादक, टाइम्स आफ इंडिया, दिल्ली)।

७. यह सम्मेलन पूर्वी बंगाल सरकार द्वारा हिन्दू स्त्रियों की रक्षा करने के कार्य में जो उदासीनता दिखलाइ गई है उसकी निन्दा करता है तथा उस पर खेद एवं रोष प्रकट करता है। पूर्वी बंगाल की सरकार अपहृत नारियों की खोज में सहायता करने के बजाय अपराधियों की सहायता कर रही है और उनकी खोज के मार्ग में बाधा डाल रही है।

भारत-सरकार

केन्द्रीय मंत्रि-मंडल में परिवर्तन

अप्रेल, १९५० में हिन्दू-पाकिस्तान-समझौते के प्रश्न पर उद्योग-मंत्री डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी तथा वाणीज्य-मंत्री श्री के० सी० नियोगी तथा वित्त मंत्री श्री जान मथाई के त्यागपत्र दे देने पर मंत्रि-मंडल में निम्नप्रकार नई नियुक्तियाँ की गईं।

वित्त-मंत्री—श्री चिन्तामणि देशमुख
वाणिज्य-मंत्री—श्री श्रीप्रकाश
उद्योगमंत्री—श्री हरकृष्ण महताब।
खाद्यमंत्री—श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी।
आसाम राज्य के गवर्नर—श्री जयरामदास दौलतराम

अध्याय १

पाकिस्तान का जन्म

सन् १९०६ में ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी के संकेत से भारत में आल इंडिया मुस्लिम लीग नामक संस्था की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना तथा उनके लिए राजनीतिक संरक्षणों की माँग करना था। भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड मिण्टो की सेवा में हिज होलीनेस आगा खाँ के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल पहुँचा, जिसने मुसलमानों के लिए अधिकारों की माँग की। ब्रिटिश वायसराय ने उन्हें चुंगी से लेकर धारा सभा तक पृथक् साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व देने का वचन दे दिया। जब सन् १९०९ में मिण्टो-मार्ले शासन-सुधार भारत में लागू किये गये तब सबसे प्रथम बार भारत में मुसलमानों के लिए धारा-सभाओं में प्रथम प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यहीं से भारत में साम्प्रदायिक निर्वाचन-पद्धति का आरम्भ होता है।

सन् १९१९ में मोण्टेग्यू–चेम्सफोर्ड शासन-सुधार लागू किये गये। इसके पूर्व सन् १९१६ में लखनऊ में मुस्लिम लीग तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। इसके अनुसार मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन के आधार पर जगहें नियत कर दी गईं। इस प्रकार कांग्रेस ने साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पर अपनी स्वीकृति दे दी।

सन् १९३५ में भारत का नया विधान ब्रिटिश पार्लमेंट ने स्वीकार किया। इसमें ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए केन्द्र तथा प्रान्तों में धारासभाओं में स्थान उनकी जनसंख्या के अनुपात से भी अधिक दे दिये। ब्रिटिश प्रधान

मंत्री के साम्प्रदायिक निर्णय के संबंध में कांग्रेस ने तटस्थता का रुख अखत्यार किया ।

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अपने जन्म-काल में बहुत ही अमहत्व–पूर्ण संस्था रही । मुसलमानों का उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं था । सन् १९२६ में बंबई में लीग के अधिवेशन के अध्यक्ष श्री मुहम्मद अली जिन्ना चुने गये । उस समय से मुसलमानों का संघटन आरम्भ हो गया । श्री जिन्ना ने सन १९३०-३१ में लन्दन में राउण्ड टेबिल कान्फ्रेन्स में भाग लिया । इस प्रकार देश म मुस्लिम लीग द्वारा साम्प्रदायिकता का प्रचार बढ़ने लगा । मुस्लिम-लीग के इस रुख के कारण लन्दन में महात्मा गांधी से अल्पमत-समिति में समझौता नहीं हो सका ।

जब सन् १९३६-३७ में भारत के नये विधान के अन्तर्गत प्रान्तों में धारा-सभाओं के साधारण चुनाव हुए तब उसमें प्रत्येक प्रान्त में मुस्लिम-लीग के पार्लमेंटरी बोर्ड ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किये । परन्तु मुस्लिम-लीग की इन चुनावों में भारी पराजय हुई । यहाँ तक कि पंजाब तथा बंगाल में भी बहुत ही भारी पराजय हुई। पंजाब में सर सिकन्दर हयात खाँ की युनियनिस्ट पार्टी तथा बंगाल में श्री फजलुल हक की कृषक-प्रजा पार्टी की विजय हुई ।

सन् १९३७ में जब लखनऊ में मुस्लिम-लीग का अधिवेशन श्री मुहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में हुआ तब चुनावों के परिणामों से निराश होकर श्री मुहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ कर दिया । सात प्रान्तों में कांग्रेस के मंत्रि-मण्डल शासन कर रहे थे और एक भी प्रान्त में मुस्लिम-लीगी मंत्रि-मण्डल नहीं था । प्रत्येक कांग्रेस-शासित प्रान्त में मुस्लिम-लीग ने कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों के अधिकारों पर अतिक्रमण की शिकायतें करना आरम्भ कर दिया ।

१ सितम्बर, १९३९ को हिटलर की सेना ने पोलैण्ड के प्रदेश डैंजिग पर हमला कर दिया । यूरोप में द्वितीय विश्व-युद्ध आरम्भ हो गया । भारत में कांग्रेसी मंत्रि-मण्डल ने युद्ध के उद्देश्यों के प्रश्न को लेकर त्यागपत्र दे दिये । नवम्बर, १९३९ में सब कांग्रेसी प्रान्तों में गवर्नरी शासन आरम्भ हो गया । इससे श्री जिन्ना को हार्दिक प्रसन्नता हुई और मुस्लिम-लीग के तत्वावधान में सारे भारत में 'मुक्ति-दिवस' (Day of Deliverance) मनाया गया । इसका तात्पर्य यह था कि मुसलमानों को कांग्रेस के अन्यायी शासन से मुक्ति मिल गई ।

मार्च, १९४० में लाहौर में मुस्लिम-लीग का अधिवेशन श्री जिन्ना की अध्यक्षता में हुआ । इस अधिवेशन का मुस्लिम इतिहास में विशेष महत्त्व है; क्योंकि इसमें पाकिस्तान की स्थापना के लिए माँग पेश की गई थी । कहा जाता है कि पाकिस्तान का विचार सबसे पहले कवि सर मुहम्मद इकबाल ने अपने उस भाषण में प्रकट किया था जो उन्होंने दिसम्बर, १९३० में मुस्लिम-लीग के अधिवेशन में सभापति के रूप में दिया था । परन्तु उनके इस विचार को लीग ने स्वीकार नहीं किया । इसके बाद सन १९३१ में श्री सी० रहमत अली बैरिस्टर ने 'पाकिस्तान' आन्दोलन का जन्म दिया और इस संबंध में अपने विचार पुस्तिकाओं द्वारा संसार के सामने रखे । उसका उद्देश्य भारत को पाकिस्तान और हिन्दुस्तान नामक दो भागों में बाँटने का था । श्री रहमत अली के अनुसार पाकिस्तान म निम्नलिखित प्रान्त व प्रदेश सम्मिलित होना चाहिए ।

(१) पंजाब, (२) उत्तरी पश्चिमी सीमाप्रान्त, (३) काश्मीर, (४) सिंध और (५) बलूचिस्तान ।

श्री जिन्ना का मन्तव्य यह था कि भारत में एक नहीं दो राष्ट्र हैं—मुस्लिम तथा हिन्दू । हिन्दू और मुसलमान जातियाँ नहीं हैं—राष्ट्र हैं । अतः दोनों के लिए दो पृथक् स्वतंत्र

राज्य होने चाहिए। राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी तथा हिन्दू महासभा और देश के सभी नेताओं व दलों ने इस "दो-राष्ट्रों" के राज्य के सिद्धान्त का विरोध किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत एक राष्ट्र है। हिन्दू तथा मुसलमान केवल धार्मिक समुदाय हैं। वे राष्ट्र नहीं हैं। भारत का विभाजन इस आधार पर नहीं किया जा सकता।

जितना ही इस पाकिस्तान आन्दोलन का विरोध किया गया, उतना ही यह अधिक शक्तिशाली होता गया; मगर श्री जिन्ना ने पाकिस्तान आन्दोलन के संबंध में कोई पुस्तिका या ग्रन्थ लिख कर अपने विचारों का प्रतिपादन नहीं किया। लेकिन अन्य विद्वानों ने पाकिस्तान के संबंध में ग्रन्थ लिखे। इनमें डा० भीमराव अम्बेदकर की पुस्तक "पाकिस्तान पर विचार" (Thoughts on Pakistan) तथा डा० राजेन्द्रप्रसाद का "खंडित भारत" (Divided India) प्रसिद्ध हैं।

मई, १९४२ में जब कि क्रिप्स मिशन अपने कार्य में विफल रहा और भारत में राष्ट्रीय सरकार कायम नहीं हो सकी, महात्मा गाँधी ने "भारत-छोड़ो" आन्दोलन का आरम्भ करने के लिए अपना विचार कांग्रेस के सामने रखा। उस समय श्री चक्रवर्ती राजागोपालाचार्य का विचार यह था कि कांग्रेस सबसे पहले मुस्लिम-लीग के साथ समझौता करे, तभी भारत में राष्ट्रीय सरकार बन सकेगी। अतः उन्होंने और उनके कुछ साथियों ने कांग्रेस कार्य-समिति तथा कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिये और वे मुस्लिम-लीग के नेता श्री जिन्ना से मिले। उन्होंने मुस्लिम बहुमत वाले प्रान्तों में मुसलमानो के स्वतंत्र राज्य की स्थापना के विचार का समर्थन किया।

सन् १९४४ में जब महात्मा गांधी जेल से मुक्त कर दिये गये तब वे श्री राजगोपालाचार्य की मंत्रणा से सितम्बर में मालाबार हिल, बम्बई में श्री जिन्ना से १७-१८ दिन तक

बराबर हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर वार्ता करते रहे। परन्तु उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली ।

इसके बाद सन् १९४५ में लार्ड वावेल ने शिमला में जुलाई में एक सम्मेलन आमंत्रित किया जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया, जिससे वे मिलकर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए कोई उपाय करें। परन्तु इसमें भी सफलता नहीं मिली ।

अन्त में मार्च, १९४६ में एटली की सरकार ने एक ब्रिटिश-मंत्रि-मिशन भारत में वैधानिक समस्या का हल करने के लिए भेजा। इसमें तीन सदस्य थे—सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लार्ड पेथिक लायरेंस तथा श्री ए०वी०एलेकजैंडर ।

१६ मई, १९४६ को इन तीनों सदस्यों ने भारत के राजनेताओं के समक्ष एक योजना रखी। इस योजना के दो भाग थे। एक भाग में भारत के भावी विधान की रूपरेखा थी। भारत में संघ विधान के अन्तर्गत तीन उपसंघों की व्यवस्था की गई :—

१ पंजाब, सिंध, बिलूचिस्तान व सीमाप्रान्त ।
२ आसाम व बंगाल ।
३ शेष भारत के प्रान्त ।

प्रान्तों को पूर्ण स्वायत्त शासन का अधिकार दिया गया और उन्हें अपने-अपने उपसंघ बनाने, उनका शासन रचने तथा उनकी सरकार बनाने का भी अधिकार दिया गया। आरम्भ में उपसंघों का निर्माण अनिवार्य कर दिया गया।

श्री जिन्ना ने दिल्ली में जून, १९४६ में अखिल भारतीय मुस्लिम-लीग की कौंसिल के अधिवेशन में उससे यह सिफारिश की कि वह इस मिशन योजना को स्वीकार कर ले; क्योंकि इसमें "पाकिस्तान के बीज हैं।" उनकी सिफारिश पर यह योजना स्वीकार कर ली गई। इस योजना में भारतीय संविधान

सभा की रचना और उसके द्वारा भारत का संविधान बनाने की भी व्यवस्था की गई थी।

किन्तु योजना की दूसरी चीज (भारत में राष्ट्रीय सरकार के निर्माण) के प्रश्न पर मुस्लिम-लीग व कांग्रेस के नताओं के बीच घोर मतभेद पैदा हो गया। अन्त में श्री जिन्ना ने जुलाई, १९४६ में बंबई में लीग कौंसिल के अधिवेशन में लीग कौंसिल के दिल्ली अधिवेशन के निर्णय को रद्द कर अपना ध्येय पाकिस्तान की स्थापना घोषित कर दिया।

दिसम्बर, १९४६ में जब भारत की संविधान सभा का अधिवेशन आरम्भ हुआ तब उस से ४ दिन पूर्व ब्रिटिश प्रधान मंत्री एटली ने लन्दन में एक गोलमेज परिषद् आमंत्रित की जिसमें ब्रिटिश मंत्रियों, श्री लियाकत अली, श्री मुहम्मद अली जिन्ना, सरदार बलदेव सिंह, तथा पं० जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया। १ सितम्बर १९४६ को पं० जवाहरलाल नेहरू को वायसराय ने आमंत्रित किया कि वे मंत्रि-मण्डल निर्माण करें। इसका लीग ने वहिष्कार किया। लन्दन में भी समझौता नहीं हुआ।

३ जून, १९४७ को लार्ड मौंटबैटन ने भारत के विभाजन की घोषणा कर दी। इससे पूर्व उन्होंने सब राजनीतिक दलों के नेताओं को यह योजना दिखला दी थी और सब ने इसे पसंद कर लिया था। इस प्रकार भारत में १५ अगस्त, १९४७ को दो पृथक् स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की गई—एक भारतीय संघ और दूसरा पाकिस्तान।

अध्याय २

भौगोलिक स्थिति तथा जनसंख्या

पाकिस्तान राज्य के दो भाग हैं : एक पश्चिमी पाकिस्तान, जिसमें पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और सीमाप्रान्त ये चार प्रदेश हैं। दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, जिसमें पूर्वी बंगाल तथा आसाम का सिलहट जिला सम्मिलित है। इसमें वे रियासतें भी सम्मिलित हैं, जो इसमें मिल गई हैं। पश्चिमी पाकिस्तान उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान तथा ईरान से मिला हुआ है ;। उत्तर में काश्मीर तथा जम्मू तथा पूर्व में पूर्वी पंजाब (भारतीय संघ) और दक्षिण में अरब सागर है।

पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य में भारतीय संघ का सुविशाल प्रदेश है—पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल को पार करके पूर्वी पाकिस्तान में जाने का मार्ग है। पूर्वी पाकिस्तान के उत्तर में पहाड़ी प्रदेश है—आसाम के भाग तथा दार्जिलिंग—दक्षिण में बंग-खाड़ी, पश्चिम में पश्चिमी बंगाल व बिहार और पूर्व में आसाम प्रान्त हैं।

पश्चिमी पाकिस्तान—पश्चिमी पंजाब में पंचनद हैं—रावी, झेलम, चिनाव, शतलज तथा सिंधु। इन नदों के कारण पंजाब समस्त भारत उपप्रायद्वीप में सबसे हरा-भरा प्रदेश है और गेहूँ तथा कपास के लिए सबसे प्रसिद्ध है।

पाकिस्तान के प्रदेश तथा क्षेत्रफल

प्रदेश	वर्ग मील
पूर्वी बंगाल	४९,२७०
सिलहट जिला	४,६५०
पूर्वी पाकिस्तान	५३,९२०

प्रदेश	वर्गमील
बलूचिस्तान	५४,४६०
पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त	१४,२६०
पश्चिमी पंजाब	६२,०००
सिंध	४८,१४०
बहावलपुर स्टेट	१७,५००
बलूचिस्तान स्टेट	७६,५००
खैरपुर स्टैट	६,०००
सीमाप्रान्त स्टेट	२५,०००
	३०६,८६०

पाकिस्तान राज्य का कुल क्षेत्रफल ३६०,७८० वर्गमील।

पाकिस्तान की जनसंख्या

सन् १९४१ की जनगणना के अनुसार सीमा कमीशन के निर्णय के आधार पर पाकिस्तान की जनसंख्या निम्न-प्रकार है—

प्रदेश	जनसंख्या
पश्चिमी पंजाब	१०,५८०,०००
सिंध	४,०५३,०००
बलूचिस्तान	५०,०००
सीमाप्रान्त	३,००४,०००
पूर्वी बंगाल व सिलहट	४२,००७,०००
बहावलपुर	१०,३४,०००
खैरपुर	३१,०००
मकरान	६,०००
खारन	३,३००
लास वेला	७,०००
कवाइले प्रदेश	२०,३८,०००
	७,००,३३,०००

इस प्रकार पाकिस्तान की जनसंख्या ७ करोड़ ३३ हजार है। किन्तु विगत १० वर्षों में इसमें १^{२} % के अनुसार भी वृद्धि हुई होगी तो ७०,७७००० व्यक्ति बढ़ गये हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के बाद जो उपद्रव आदि हुए और आबादी का आदान-प्रदान हुआ, उसके कारण भी इस जनसंख्या पर प्रभाव पड़ा है।

पाकिस्तान में विभिन्न प्रजातियों (Races) के लोग रहते हैं। पश्चिमी पंजाब के लोग आर्यप्रजाति के हैं। इनकी संख्या १ करोड़ ६० लाख है। सीमाप्रान्त में ३० लाख पठान हैं। बलूचिस्तान में ५० लाख बलूच हैं। सिंध के मुसलमान पठान, बलूच, अरब, जाट और मकरानी हैं। यहाँ १००,००० सैयद भी हैं। पूर्वी बंगाल में मंगोल तथा द्रविण प्रजातियों के लोग हैं।

पाकिस्तान में ८० प्रतिशत लोग मुसलिम हैं और वे इस्लाम के अनुयायी हैं।

पाकिस्तान की भाषाएँ

पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू है; किन्तु उसके प्रदेशों में प्रान्तिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है; जैसे, पंजाब में उर्दू व पंजाबी, सीमाप्रान्त में पश्तो, सिंध में सिंधी तथा बंगाल में बंगला भाषाएँ प्रयोग में आती हैं।

अध्याय ३

पाकिस्तान का नया संविधान-निर्माण

पाकिस्तान राज्य की संविधान-परिषद् अगस्त, १९४७ से ही संविधान-निर्माण का कार्य कर रही है; परन्तु अभी तक वह काफी प्रगति नहीं कर सकी है। उसकी प्रगति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि ७ मार्च, १९४९ को प्रधान-मंत्री (पाकिस्तान) ने ध्येय-प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया।

उद्देश्य प्रस्ताव

पाकिस्तान संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव निम्न प्रकार है—

दयालु एवं परोपकारी अल्लाह के नाम पर—

चूँकि अखिल ब्रह्माण्ड पर सर्वशक्तिमान् अल्लाह का ही प्रभुत्व है और जिस सत्ता को उसने पाकिस्तान राज्य को उसकी जनता द्वारा सौंपा है, जिससे उसका प्रयोग अल्लाह द्वारा निर्धारित मर्यादा के अनुसार किया जा सके, वह एक पवित्र ट्रस्ट है।

यह संविधान-सभा पाकिस्तान की प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हुए सर्वसत्ता-सम्पन्न स्वतंत्र पाकिस्तान राज्य के लिए संविधान की रचना करने का निश्चय करती है।

जिसमें राज्य अपनी सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा करेगा।

जिसमें इस्लाम द्वारा प्रतिपादित प्रजातंत्र, स्वतन्त्रता, समानता, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन किया जायगा।

जिसमें मुसलमानों के अपने व्यक्तिगत व सामूहिक जीवन के इस्लाम की शिक्षाओं के अनुसार, जैसा कि पवित्र कुरान और सुन्ना में उल्लिखित है, निर्माण करने की व्यवस्था होगी।

जिसमें अल्पमतों को निज धर्मों के पालन तथा संस्कृतियों के विकास के लिए पर्याप्त व्यवस्था होगी।

इस संविधान के द्वारा वे सब प्रदेश जो इस समय पाकिस्तान में सम्मिलित हैं या जो बाद में मिलेंगे पाकिस्तान संघ के अंग होंगे। वे स्वशासित इकाईयाँ होंगी। उनकी सीमाएँ आदि निर्धारित की जायँगी ।

संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी रहेगी, जिनमें स्थिति की समानता, सुयोग तथा कानून की दृष्टि में समानता,सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और सभा तथा पूजा की स्वतंत्रता का अधिकार होगा।

संविधान में अल्पमतों, अनुन्नत जातियों तथा दलित वर्गों के वैध हितों की रक्षा के लिए यथेष्ट व्यवस्था होगी।

संविधान में न्याय-व्यवस्था स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होगी।

संविधान में संघ की स्वतंत्रता और उसके भूमि, समुद्र तथा आकाश में अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी।

जिससे पाकिस्तान की जनता ऐश्वर्यशाली बन सके और वह संसार के राष्ट्रों में अपना समुचित व सम्माननीय स्थान प्राप्त कर सके और मानवता की शान्ति, समृद्धि व कल्याण के लिए पूरा-पूरा योगदान दे सके।

अभी तक पाकिस्तान संविधान-सभा की विविधि कमेटियाँ विचार कर रही हैं। संपूर्ण संविधान की रचना में अभी काफी समय लगेगा।

अध्याय ४

पाकिस्तान सरकार के अधिकारी

गवर्नर-जनरल

महामहिम ख्वाजा नज़ीमुद्दीन

व्यक्तिगत स्टाफ

निजी सचिव	एम० एम० यूसुफ
सहायक निजी सचिव	फरूख अमीन
वैयक्तिक सचिव	सैयद साजिद अली
सैनिक सचिव	कर्नल जी० नौवेल्स
सहायक सचिव	खान साहेब शमसुद्दीन अहमद
कंट्रोलर	ए० वेक
ए० डी० कैम्प	लेफ्टेनेंट एस० मज़हर अहमद
,,	कप्तान एन० ए० हुसेन
,,	फ्लाइट लेफ्टीनेंट इम्तिहाज खाँ

मन्त्रि-मंडल

१. श्री लियाक़त अली खाँ, प्रधान मंत्री तथा रक्षामंत्री।
२. सर मुहम्मद जफरुल्ला खां, वैदेशिक मंत्री।
३. श्री गुलाम मुहम्मद, राजस्व तथा अर्थ मंत्री।
४. श्री फजरूल रहमान, मंत्री, शिक्षा, वाणिज्य, उद्योग व निर्माण।
५. श्री ख्वाजा शाहबुद्दीन, मंत्री, सूचना, ब्राडकास्टिंग, पुनवास व सहायता।
६. श्री पीरज़ादा अब्दुर सत्तार, मंत्री, खाद्य, कृषि और स्वास्थ्य।
*७. श्री जोगेन्द्र नाथ मंडल, मंत्री कानून व मजदूर।
८. श्री मुस्ताक अहमद गुरमानी मंत्री, काश्मीर विभाग।

*अक्टूबर १९५० में श्री मण्डल ने त्यागपत्र दे दिया।

९. श्री डा० महमूद हुसेन, उपमंत्री, रक्षा, रियासतें, तथा सीमा, प्रदेश।

पाकिस्तान संविधान सभा के अधिकारी

अध्यक्ष—श्री तामिजुद्दीन खाँ

सचिव—श्री एम० बी० अहमद

उप-सचिव—श्री एस० जी० हसनैन; के० अली अफज़ल।

विदेशों में पाकिस्तान के राजदूत

१.	श्री मिर्जा अब्दुल हसन इस्पाहनी	राजदूत	वाशिंगटन (अमेरिका)
२.	,, हाजी अब्दुर सत्तार सेठ	,,	काहिरा (मिस्र)
३.	,, गजानफर अली खाँ	,,	तेहरान (ईरान)
४.	,, मुहम्मद अली	,,	रंगून (बर्मा)
५.	,, आई० आई० चन्द्रीगर	,,	काबुल (अफगनिस्तान)
६.	,, हबीब रहीमतुल्ला	,,	लन्दन (ब्रिटेन)
७.	,, मुहम्मद इस्माइल	,,	नई दिल्ली (भारत)
८.	,, गुलाम हैदर खाँ	उपराजदूत	जेदा (सऊदी अरब)

प्रांतों के राज्यपाल

१.	सर फीरोज खाँ नून	पूर्वी बंगाल
२.	लेफ्टेनेंट कर्नल मुहम्मद खुरशीद	सीमाप्रान्त
३.	शेख दीन मुहम्मद	सिंध
४.	सरदार अब्दुरराव निस्तर	पश्चिमी पंजाब
५.	श्री अमीन उद्दीन (चीफ कमिश्नर)	बलूचिस्तान

उच्च-न्यायालयों के प्रधान-न्यायाधिपति

१. श्री एस०वी० तैयबजी, बैरिस्टर, चीफ जज, चीफ कोर्ट सिंध।

२. श्री आबू सलेह अकराम, बी० एल० चीफ जस्टिस, न्याय-विभाग, पूर्वी बंगाल।

३. श्री मुहम्मद इब्राहीम, खां, बी० ए०, एल० एल० बी०, जुडिशल कमिशनर, सीमाप्रान्त न्याय विभाग।

४. सर अब्दुल रशीद, चीफ जस्टिस, पश्चिमी पंजाब हाईकोर्ट।

अध्याय ५

औद्योगिक नीति

१ अप्रेल, १९४८ को पाकिस्तान सरकार ने एक वक्तव्य प्रकाशित कर अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस वक्तव्य में उसने यह स्पष्ट रूप से बतलाया है कि पाकिस्तान सरकार औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के लिए विदेशी पूँजी का स्वागत करेगी।

निम्नलिखित २७ उद्योगों के संबंध में सरकार नियोजन करेगी :—

(१) युद्धास्त्र तथा बारूद, (२) सीमेंट, (३) तेल व वनस्पति, (४) विद्युत तथा ब्राडकास्टिंग के सामान, (५) बिजली का सामान, (६) ग्लास, (७) रसायन, (८) लोहा व इस्पात, (९) मशीनों के पुर्जे, (१०) भारी इन्जीनियरिंग उद्योग, (११) खानिज नमक व कोयला, (१२) पीतल, ताँबा, (१३) कागज, (१४) पैट्रोल, (१५) औषधियाँ, (१६) एल्कोहल, (१७) संरक्षित, खाद्य, (१८) कारवोनाइजेसन उद्योग के उत्पादन, (१९) रबड़, (२०) वैज्ञानिक औजार, (२१) समुद्री मछलियाँ, (२२) जलयान, (२३) चीनी, (२४) चमड़ा, (२५) वस्त्र, (२६) जूट, रेशम, ऊन, (२७) तम्बाकू।

पाकिस्तान राज्य कृषिप्रधान देश है। उद्योग-धंधों में यह बहुत ही पिछड़ा है। यद्यपि संसार में जूट के कुल उत्पादन का ७० प्रतिशत भाग पाकिस्तान में होता है, परन्तु पाकिस्तान में एक भी जूट मिल नहीं है। वहाँ प्रतिवर्ष १५००,००० रूई की गाठें पैदा होती हैं, परन्तु सूती मिल बहुत कम हैं।

कृषि के विकास तथा कृषि से संबंधित उद्योगों को पूरा व ग्रामोद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जायगा। व्यक्तिगत

उद्योग को पूरा प्रोत्साहन दिया जायगा। खानों का नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के अधीन रहेगा। उपर्युक्त २७ उद्योगों पर भी केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण रहेगा।

नियोजन सलाहकार बोर्ड

पाकिस्तान सरकार ने एक नियोजन सलाहकार बोर्ड (Planning Advisory Board) भी नियुक्त किया है। इसमें केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकारों, रियासतों की सरकारों तथा विशेष हितों, वाणिज्य, व्यापार, श्रम आदि के प्रतिनिधि हैं। यह बोर्ड सरकार को नियोजन तथा विकास के संबंध में सलाह देता है।

अध्याय ६

पाकिस्तान के समाचार-पत्र

पाकिस्तान में प्रकाशित मुख्य पत्र-पत्रिकाएँ निम्न प्रकार हैं:—

समाचार-पत्र	भाषा	दैनिक या साप्ताहिक	स्थान
१. क्वेटा टाइम्स	अंग्रेजी	साप्ताहिक	क्वेटा
२. अल इस्लाम	उर्दू	,,	,,
३. इस्तिक लाल	उर्दू	,,	,,
४. जमहूर	उर्दू	,,	,,
५. खुरशीद	उर्दू	,,	,,
६. मिज़ान	उर्दू	,,	,,
७. ज़माना	उर्दू	,,	,,
८. पासवन	उर्दू	,,	,,
९. ईस्टर्न स्टार	अंग्रेजी	दैनिक	ढाका
१०. पाकिस्तान आबजर्वर	अंग्रेजी	दैनिक	ढाका
११. आज़ाद	बङ्गला	दैनिक	ढाका
१२. पासवन	उर्दू	दैनिक	ढाका
१३. ईस्ट बंगाल टाइम्स	अंग्रेजी	साप्ताहिक	ढाका
१४. ईस्टन हैराल्ड	अंग्रेजी	साप्ताहिक	सिलहट
१५. सिलहट क्रानिकल	,,	,,	,,
१६. यंग आसाम	,,	,,	,,
१७. जिन्दगी	बंगला	अर्द्ध सा०	ढाका
१८. पाकिस्तान टुडे	अंग्रेजी	साप्ताहिक	ढाका
१९. डेली सरहद	उर्दू	दैनिक	पेशावर
२०. पैगाम	उर्दू	,,	पेशावर

	समाचार-पत्र	भाषा	दैनिक या साप्ताहिक	स्थान
२१.	शाहबाज	उर्दू	दैनिक	पेशावर
२२.	खैबर मेल	अंग्रेजी	साप्ताहिक	,,
२३.	अल प-लाह	उर्दू	,,	,,
२४.	फ्रांन्टियर गज़ट	उर्दू	,,	,,
२५.	तर्जुमाने अफगान	उर्दू	,,	,,
२६.	तर्जुमाने सरहद	उर्दू	,,	,,
२७.	अल जमियत सरहद	उर्दू-पश्तू	,,	,,
२८.	सिविल एन्ड मिलिट्री गजट	अंग्रेजी	दैनिक	कराँची
*२९.	डान	,,	,,	,,
३०.	सिन्ध आवजर्वर	,,	,,	,,
३१.	अल वाहिद	सिंधी	,,	,,
३२.	हिलाले पाकिस्तान	सिंधी	,,	हैदराबाद (सिंध)
३३.	मीना बाजार	अंग्रेजी	पाक्षिक	कराँची
३४.	अलमान	उर्दू	दैनिक	,,
३५.	अंजाम	उर्दू	,,	,,
३६.	बलूचिस्तानी जादिद	उर्दू	,,	,,
३७.	जंग	उर्दू	,,	,,
३८.	खुरशीद	उर्दू	,,	,,
३९.	मन्सूर	उर्दू	,,	,,
४०.	मुसलमान	उर्दू	,,	,,
४१.	सिंध-सेवक	गुजराती	,,	,,
४२.	वतन	गुजराती	,,	,,
४३.	लोकसेवक	ऐंग्लो गुजराती	,,	,,
४४.	अल हेजाज	अंग्रेजी	साप्ताहिक,	,,
४५.	फ्रीडम	अंग्रेजी	,,	,,

*इसके गुजराती व उर्दू के संस्करण भी प्रकाशित होते हैं।

समाचार-पत्र	भाषा	दैनिक या साप्ताहिक	स्थान
४६. इलस्ट्रटेड वीकली आफ पाकिस्तान——	अंग्रेजी	साप्ताहिक	कराँची
४७. न्यू ओरियन्ट	,,	,,	,,
४८. कराँची कामर्स	,,	,,	,,
४९. सिविल एन्ड मिलिट्री गजट	,,	,,	लाहौर
५०. पाकिस्तान टाइम्स	,,	दैनिक	लाहौर

पाकिस्तान मे राजनीतिक दल

पाकिस्तान में मुस्लिम-लीग ही वास्तव में एकमात्र राजनीतिक संस्था है। मुस्लिम-लीग में ही दलबन्दियाँ खड़ी हो गई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम-लीग के अध्यक्ष चौधरी खलीकुज्जमा हैं। यह यू० पी० के मुस्लिम-लीग के नेता थे। भारत से मौका पाकर भाग गये और वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का संघटन किया।

हुसेन शहीद सुहरावर्दी, अविभाजित बंगाल में मुस्लिस लीगी मंत्रि-मण्डल के प्रधान-मंत्री थे और विभाजन के बाद पाकिस्तान संविधान-सभा के सदस्य थे। उन्होंने एक दो अधिवेशनों में भाग भी लिया था। परन्तु उन्हें सभा से इस आधार पर पृथक् कर दिया गया कि पाकिस्तान में उनकी कोई जायदाद नहीं है। श्री सुहरावर्दी चौधरी साहेब के विरुद्ध एक पार्टी बना रहे हैं। सीमाप्रान्त में सुप्रसिद्ध लीगी नेता पीर साहेब मंत्री शरीफ उस प्रान्त में सुहरावर्दी के बड़े समर्थक हैं। पीर साहेब ने सीमाप्रान्त में अवामी मुस्लिम-लीग शुरू कर दी है। खान अब्दुल कयूम की मिनिस्ट्री ने पीर साहेब और उनके सात एम० एल० ए० साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीर साहेब के दल की मुख्य शिकायत यह है कि लीग की सदस्यता के फार्म भी उनको नहीं दिये गये और वे मिनिस्ट्री के समर्थकों से ही भरवाये गये।

पूर्वी बंगाल में भी मुस्लिम-लीग के प्रति इसी प्रकार की शिकायत है।

मुस्लिम-लीग की कार्य-समिति

पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कार्य-समिति के पदाधिकारी तथा सदस्य निम्नप्रकार हैं:—

अध्यक्ष : श्री लियाकत अली खाँ

उपाध्यक्ष : मौ० अब्दुल्ला एलबकी (पूर्वी बंगाल)

प्रधानमंत्री : यूसुफ खटक (सीमाप्रान्त)

उपमंत्री : मीर नबी बख्श (बलूचिस्तान)

कोषाध्यक्ष : ए० एम० कुरेशी।

सदस्य : मुहम्मद अकराम खाँ; नूरूल अमीन; लियाकत अली खाँ; खान इफ्तखार हुसेन खाँ, (मामदौत), मियाँ मुमताज़ मुहम्मद खाँ दौलताना; खान अब्दुल कयूम खाँ, घुकाम नबी खाँ पठान; काज़ी मुहम्मद ईसा खाँ; यूसुफ अब्दुल्ला हसन।

पश्चिमी पाकिस्तान में काँग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। पूर्वी पाकिस्तान में असेम्बली काँग्रेस पार्टी है जिसके पाकिस्तान असेम्बली में १२ सदस्य हैं। श्री श्रीचन्द्र चट्टोपाध्याय इसके नेता हैं।

मार्च, १९४८ में खान अब्दुल्ला गफ्फार खाँ, तथा श्री जी० एम० सैईद ने जनता पार्टी की स्थापना की। परन्तु पाकिस्तान सरकार ने उन्हें नज़रबन्द कर लिया और इसका भी खत्मा हो गया। बाद में उन्हें तीन वर्ष की कठोर कैद की सजा दी गई।

पाकिस्तान मंत्रिमण्डल में गैर-मुस्लिम सदस्य श्री जोगेन्द्रनाथ मण्डल थे जो पाकिस्तान में दलित जातियों के नेता हैं। पाकिस्तान में परिगणित जातीय संघ भी खत्म हो गया। पूर्वी-बंगाल की सरकार में एक सदस्य परिगणित जातियों की ओर से हाल में ले लिया गया है। परन्तु मण्डल महोदय इस

नियुक्ति से खिन्न हैं, क्योंकि उनके परगणित जातीय संघ ने जिस उम्मीदवार को चुना उसे मंत्री नहीं बनाया गया। यहाँ तक कि मंडल महोदय ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र भी दे दिया।

ईसाइयों को अपना संघटन बनाने की स्वतंत्रता है। उनका एक प्रतिनिधि संविधान-सभा में भी ले लिया गया है।

समाजवादी तथा साम्यवादी संस्थाओं पर प्रतिबंध है। इसलिए ये खुले रूप में कार्य नहीं करतीं। पूर्वी बंगाल में साम्यवादी-दल अपना काम गुप्त रूप में कर रहा है।

अध्याय ७

पूर्वी पाकिस्तान में उपद्रव

उपद्रव का मूल कारण :

पूर्वी पाकिस्तान (पूर्वी बंगाल) में जो उपद्रव सन् १९५० के आरम्भ से अधिक वेग के साथ होने लगे, उनका मुख्य कारण पं० जवहरलाल नेहरू ने २३ फरवरी, १९५० को भारतीय संसद् के समक्ष अपने भाषण में इस प्रकार बतलाया—

"इस उत्पात का मुख्य कारण पाकिस्तान में भारत-विरोधी तथा हिन्दू-विरोधी प्रचार है जो जनता को हिन्दुओं के विरुद्ध उत्तेजित कर रहा था। खुलना की घटना हत्याकाण्ड, बलात्कार तथा लूट में परवर्तित हो गई, जिसके कारण २४,२३९ व्यक्तियों को (हिन्दुओं को) भारत आना पड़ा। एक दूसरे स्थान से ७०० संथाल परिवार इन्हीं कारणों से भारत में आ गये।"

इन घटनाओं के कारण मुरशिदाबाद में भी उपद्रव खड़ा हो गया। परन्तु वह दबा दिया गया। इसकी प्रतिक्रिया कलकत्ता में हुई, जहाँ, घायल व्यक्तियों की सूची से प्रकट होता है, पुलिस ने उपद्रवकारियों पर गोलियों से वार किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये घटनाएँ उस समय नगण्य प्रतीत होती हैं, जब इनका पूर्वी बंगाल के उपद्रवों से तुलना की जाती है। केवल ढाका में ६०० से १००० तक व्यक्ति घायल हुए तथा मार डाले गये। ढाका में जो उपद्रव शुरू हुआ वह पूर्वी बंगाल के सचिवालय के कर्मचारियों से शुरू हुआ और हवाई अड्डे पर जो हत्याकाण्ड हुआ वह सैनिकों की उपस्थिति में हुआ। एक सप्ताह में ढाका से कलकत्ता १९,५०० व्यक्ति आये।

पाकिस्तान सरकार ने ढाका में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को यह सलाह दी कि वह अपनी कोठी से बाहर न जायँ

और कई दिनों तक वे नहीं निकले। इसलिए वे स्थिति की सूचना भारत को नहीं भेज सके।

हिन्दू विरोधी-आन्दोलन

पं० जवाहर लाल नेहरू ने २३ फरवरी, १९५०, को भारतीय संसद के समक्ष अपने भाषण में बतलाया—

महीनों से पूर्वी बंगाल में समाचार-पत्रों, सभा-मंचों से भाषणों तथा रेडियो द्वारा भारत-विरोधी तथा हिन्दू-विरोधी प्रचार होता रहा। इससे जनता को पूर्वी बंगाल में हिन्दुओं के विरुद्ध उत्तेजित किया गया। हिन्दुओं को काफिर, पंचम कालम वाले, और राज्य के लिए खतरा कहा गया। इसी प्रकार का विषैला प्रचार पश्चिमी पाकिस्तान में भी किया गया, विशेषकर काश्मीर के संबंध में और धर्म के नाम पर घृणा, हिंसा की भावना तथा युद्ध की भावना का प्रचार किया गया।

पूर्वी बंगाल के खुलना जिले के वागेरहाट परगने में कलशीरा ग्राम में २० दिसम्बर, १९४९ को एक दुर्घटना घटित हुई। पुलिस पार्टी एक तथाकथित साम्यवादी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने गई और उसे अपने घर में न पाकर घरवालों को मारना पीटना आरम्भ कर दिया, इनमें स्त्रियाँ भी थीं। स्त्रियों के रोने-चीखने की आवाज सुनकर गाँव वाले वहाँ आ गये और पुलिस तथा गाववालों में लड़ाई होने लगी। एक पुलिसमैन वहाँ मारा गया, दूसरे को चोट लग गई। वह भी बाद में मर गया। दो दिन के बाद पुलिस पार्टी अंसारों की सहायता से, न केवल उस गाँव पर वरन् पास के २२ ग्रामों पर हमला करने गई। इनमें अधिकांश नामशूद्र समुदाय के लोग रहते थे। इन ग्रामों में अग्निकाण्ड. लूटमार, हत्याकाण्ड, और वलात्कार किये गये। लोगों को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया और हिन्दुओं के पवित्र स्थानों को भ्रष्ट किया गया। पुलिस ने ग्रामों का घेरा डाल दिया। इस कारण ग्रामवासी भाग नहीं सके। वहाँ का कोई समाचार भी नहीं मिल सका।

इस दुर्घटना के तीन सप्ताह बाद इन ग्रामों क पीड़ित लोग घेरे से बाहर होकर पश्चिमी बंगाल (भारत) में भाग आये। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने तुरन्त ही पूर्वी बंगाल की सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया और वहाँ का पूरा विवरण जानने की इच्छा प्रकट की। पूर्वी बंगाल के प्रधान मंत्री को पश्चिमी बंगाल के प्रधान मंत्री ने पत्र भेजा परन्तु उसका कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। खुलना जिले से हिन्दू जनता का देशान्तर-गमन जारी रहा; यद्यपि उनके मार्ग में बाधाएँ डाली गईं। और १४ फरवरी, १९५० तक २४,२३९ पुरुष, स्त्री व बालक इन क्षेत्रों से भारत में आ गये।

इसी प्रकार की घटनाएँ नाकोले (राजशाही जिले) म पूर्वी बंगाल में हुई। इसमें संथाल बड़ी संख्या में रहते हैं। पुलिस व संथालों में झगड़ा हो गया। उसके बाद संथालों के ७०० परिवार पश्चिमी बंगाल में आ गये।

इन पीड़ित व्यक्तियों की कष्ट-कथा को सुन कर पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद तथा निकट के २-३ ग्रामों में भी दुर्घटनाएँ हो गईं। परन्तु स्थिति पर तुरत नियत्रंण किया गया। कोई मृत्यु नहीं हुई। कुछेक व्यक्ति घायल हो गये। कुछ लोग पूर्वी बंगाल को भी चले गये। कितने गये, उनकी संख्या अभी ज्ञात नहीं है।

कलकता में उपद्रव

खुलना के पीड़ितों की कष्ट-गाथा को सुन कर कलकत्ता में भी उत्तेजना पैदा हो गई। ४ फरवरी, १९५० से वहाँ भी दुर्घटनाएँ होने लगीं। कुछ मुसलमानों पर छिटपुट हमले किये गये और कुछ मुस्लिम वस्तियों में अग्निकाण्ड भी हुए। पुलिस ने तत्क्षण कारवाई की और गिरफ्तारियाँ की गई। ६ व ७ फरवरी को स्थिति काबू में आ गई। कोई दुर्घटना नहीं हुई। उत्तरी कलकत्ता में उल्ताडाँगा की मस्जिद के सामने दो हिन्दुओं के छुरे भोंक दिये गये। इसके बाद पुनः दंगे शुरू

हो गये। कुछ मुस्लिम क्षत्रों म लूट-पाट व अग्निकाण्ड भी हुए। मुसलमानों पर छुरों से हमले भी किये गये। पुलिस को आदेश दिया गया कि वह लूट तथा आग लगानेवालों तथा छुरों से हमला करनेवालों पर गोली चला दे। करफ्यू भी इन क्षेत्रों में लाग कर दिया गया; फौजी गश्ती शुरू हो गई। १० फरवरी, १९५० सारे उपद्रव शान्त हो गये। उपद्रवों के कारण लोगों में आतंक छा गया। मुसलमान अपने घरों को छोड़ पार्क सर्कस क्षेत्र में जमा हो गये। २६११२ व्यक्ति इस प्रकार जमा हुए।

कलकत्ता व मुर्शिदाबाद में हताहतों की संख्या निम्न-प्रकार है—

कलकत्ता म (१७, फरवरी, १९५० तक)

	घायल व्यक्तियों की संख्या	मरे हुए की संख्या
हिन्दू	८३	११
मुसलमान	१२३	२०

नोट—हिन्दुओं में जो घायल थे, उनमें १६ पुलिस की गोलियों के कारण घायल हुए थे।

शेष बंगाल म (१९ फरवरी, १९५० तक)

जाति	घायल	मृत
हिन्द	२७	५
मुसलमान	२३	१४

हिन्दुओं में एक की मृत्यु तथा १२ घायल पुलिस की गोलियों के वार से हुए।

कलकत्ता में ६७९ हिन्दू और ९१ मुसलमान गिरफ्तार किये गये। शेष बंगाल में ३६० हिन्दू और ७५ मुसलमान गिरफ्तार किये गये।

देशान्तर-गमन

इन उपद्रवों के कारण जनता में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। फलतः पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं ने देशान्तर

गमन किया। पश्चिमी बंगाल से मुसलमान भी जाने लगे। ८ अप्रेल, १९५० को दिल्ली में नेहरू-लियाकत अली समझौता हो गया; परन्तु फिर भी देशान्तर गमन नहीं रुका।

१ अगस्त, १९५० को भारतीय संसद में पं० जवाहर लाल नेहरू ने श्री एच० बी० कामथ के एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा :—

"मेरे विचार में यह कथन सत्य है कि पूर्वी बंगाल की अल्पसंख्यक जाति के मन में सुरक्षा की भावना नहीं है।"

भारत में आये व्यक्तियों की संख्या

१-भारत-पाक समझौता (८-४-५०) से पूर्व

	हिन्दू	मुसलमान
पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल को (७-२-५० से ८-४-५० तक)	५,४७,०४९	६,८४७
पूर्वी बंगाल से आसाम को (७-२-५० से ८-४-५० तक)	१,९०,५३०	नगण्य
पूर्वी बंगाल से त्रिपुरा को	१,२०,०००	अप्राप्य
	८,५७,५७९	६,८४७

२—समझौते के बाद

	हिन्दू	मुसलमान
पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल को (९-४-५० से २५-७-५० तक)	९,९९,२९०	२,१८,७०८
पूर्वी बंगाल से आसाम को (९-४-५०स २७-७-५० तक)	१,९१,७५१	४६,६१७
पूर्वी बंगाल से त्रिपुरा को	९३,५८२	३२,०८३
	१२,८४,६२६	२,९७,४०३

कुल योग—२१,४२,२०२ ३,०४,२५५

भारत से पूर्वी पाकिस्तान का देशगमन

१—समझौते से पूर्व

	हिन्दू	मुस्लिम
पश्चिमी बंगाल से पूर्वी बंगाल को		
(७-२-५० से ८-४-५० तक)	६५,५७३	२,५४,७१५
आसाम से पूर्वी गाल को	नगण्य	१,२४,०६३
त्रिपुरा से पूर्वी बंगाल को	नगण्य	अप्राप्य
	६५,५७३	३,७८,७७८

उपर्युक्त अंकों में उनलोगों की संख्या सम्मिलित नहीं है जो पूर्वी व पश्चिमी बंगाल के बीच पैदल या नावों द्वारा आये-गये हैं और न इनमें उनकी संख्या सम्मिलित है, जो पूर्वी बंगाल और जलपाईगुरी के बीच रेल द्वारा यात्रा करके गये। एक बड़ी संख्या में लोगों ने पैदल सीमा पार की।

उत्तर-प्रदेश से २,५०.००० मुस्लिम पाकिस्तान को चले गये। इनमें ५००० तो अबतक वापस आगये हैं और शेष लोगों को वापस लाने की व्यवस्था भी विचाराधीन है।

समझौते के बाद

(६ अप्रेल, १६५० से २५ जुलाई, १६५० तक)

पूर्वी बंगाल से भारत को देशान्तरगमन

१. हिन्दू	१२,८४,६२३
२. मुसलमान	२,६७,४०८
योग	१५,८२,०३१

भारत स पूर्वी बंगाल को देशान्तरगमन

१. हिन्दू	५,५१,१५१
२. मुसलमान	४,४६,६६८
योग	६,६१,२१६

पश्चिमी बंगाल में शरणार्थी

२५ सितम्बर, १९५० को पश्चिमी बंगाल के विधान-मण्डल के समक्ष भाषण करते हुए उसके राज्यपाल महामहिम डा० कैलाशनाथ काटज ने कहा:—

"मोटे रूप में अनुमान के अनुसार अगस्त, १९४७ से अब तक पश्चिमी बंगाल में पूर्वी बंगाल से ४० लाख शरणार्थी आये हैं। इनमें से बहुतों ने राज्य के आर्थिक जीवन में अपना स्थान प्राप्त कर लिया है। परन्तु ऐसे भी बहुत से हैं जो संकट में ऐसे सुयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब कि वे पश्चिमी बंगाल में पुनर्वास पा सकें। आप यह जानते हैं कि अप्रेल, मई, जून और जुलाई में पूर्वी बंगाल से देशान्तर-गमन इतनी भारी संख्या में था कि पश्चिमी बंगाल में उनके रखने के लिए जो शिविर बनाये गये थे वे बुरी तरह भर गये थे और यहाँ तक कि सियालदह का स्टेशन व प्लेटफार्म पुरुषों, स्त्रियों तथा बालकों से, जो शरण तथा भोजन की चिन्ता में थे, ठसाठस भर गया था।

भारत-पाकिस्तान समझौता
(८ अप्रेल, १९५०)

भारत के प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू के अथक प्रयास के फलस्वरूप नई दिल्ली में उनके तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री लियाकत अली खाँ के बीच पूर्वी पाकिस्तान के उपद्रवों को शान्ति करने के संबंध में जो समझौता ८ अप्रेल, १९५० को हुआ, उसका पूरा विवरण निम्नप्रकार है।

भाग—'अ'

भारत तथा पाकिस्तान की सरकारें पवित्र भाव से इस बात में सहमत है कि हरेक सरकार अपने क्षेत्र में अल्पसंख्यक जातियों को, धर्म के भेद भाव के बिना, पूर्ण नागरिक समानता, व्यक्तिगत सम्मान, सम्पत्ति, संस्कृति और जीवन के लिए आदर के लिए पूर्ण सुरक्षा की भावना की गारंटी दे ी; प्रत्येक देश में

आवागमन की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता तथा कानून तथा नैतिकता का आदर करते हुए, भाषण तथा पूजा की स्वतत्रंता होगी। अल्पसंख्यक जातियों के सदस्यों को बहुसंख्यक समुदाय के साथ अपने देश के लोक-जीवन में भाग लेने, राजनीतिक या इतर पद-ग्रहण करने का समान सुयोग होगा तथा देश की नागरिक तथा सैनिक व्यवस्था में सेवा करने का भी समान सुयोग होगा। दोनों सरकारें इन अधिकारों को मौलिक घोषित करती हैं और इन्हें अमल में लाने की घोषणा करती हैं। भारत के प्रधान मंत्री ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है कि भारत के संविधान में अन्यसंख्यक जातियों को ये अधिकार प्रदान किये गये हैं। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि पाकिस्तान की संविधान-सभा ने जो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया है, उसमें इसी प्रकार की व्यवस्था है। दोनों सरकारों की यह नीति है कि इन प्रजातांत्रिक अधिकारों के उपभोग के लिए समस्त राष्ट्रियों को बिना किसी भेद-भाव के गारंटी दी जायगी।

दोनों सरकारें इस बात पर जोर देने की इच्छा प्रकट करती हैं कि अल्पसंख्यकों की राजनिष्ठा अपने उस राज्य के प्रति है, जिसके वे नागरिक हैं और उन्हें अपनी शिकायतों के निवारण के लिए अपने राज्य में ही प्रयत्न करना चाहिए।

भाग—'आ'

पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, आसाम और त्रिपुरा में जो सांप्रदायिक उपद्रव हुए हैं, उनके सम्बन्ध में दोनों सरकारों में इस प्रकार समझौता हुआ है:—

(१) देशान्तरगमन की स्वतंत्रता होगी और उस समय उन्हें रक्षण प्राप्त होगा।

(२) देशान्तरगमन-कर्त्ता को चल सम्पत्ति तथा अपना घरेलू सामान उतना ले जाने की स्वतंत्रता होगी जितना वह अपने साथ ले जाना चाहे। चल सम्पत्ति में व्यक्तिगत जवाहिरात भी शामिल हैं।

प्रौढ़ देशान्तरगमन-कर्त्ता अपने साथ १५०) तक और बालक ७५) तक नकद रुपये ले जा सकेगा।

(३) जो देशान्तर-गमन-कर्त्ता अपने नकद धन तथा जवाहिरात को साथ न ले जाना चाहे उसे बैंक में जमा कर सकेगा। इस प्रकार जो वस्तु जमा की जायगी, बैंक उसकी उचित रसीद देगा।

(४) चुंगी के अधिकारी किसी प्रकार लोगों को परेशान नहीं करेंगे। प्रत्येक चुंगी पर दूसरी सरकार का एक सम्पर्क अधिकारी भी रहेगा, जिससे व्यवहार में इस नियम का पालन हो।

(५) देशान्तर-गमन करनेवाले (Migrant) की अचल सम्पत्ति में स्वाम्वाधिकार तथा सम्पत्ति में मौरूसी अधिकार पर अतिक्रमण नहीं होगा। यदि उसकी अनुपस्थिति में ऐसी सम्पत्ति पर दूसरे किसी व्यक्ति का कब्जा हो जायगा, तो वह उसे वापस कर दी जायगी बशर्त्ते कि वह ३१ दिसम्बर, १९५० तक वापस आ जाय। कुछ विशेष मामलों में यदि कोई सरकार यह विचार करती है कि किसी देशान्तर-गमन-कर्त्ता की सम्पत्ति (अचल) उसे वापस नहीं की जा सकती, तो मामला समुचित अल्पमत कमीशन को सलाह के लिए सौंप दिया जायगा।

जो व्यक्ति नियत अवधि के भीतर वापस आ जायँगे और उनकी अचल सम्पत्ति उन्हें देना संभव नहीं पाया जायगा तो संबंधित सरकार उनके पुनर्वास करने के लिए प्रयत्न करेगी।

(६) अगर देशान्तर-गमन करनेवाला वापस नहीं आता तो उसकी समस्त अचल सम्पत्ति का स्वत्वाधिकार उसी में निहित रहेगा और उसे उसके बेंचने या दूसरे देश में निष्क्रमणार्थी के साथ विनिमय करने का निर्वाध अधिकार होगा। अल्पमत जातियों के तीन प्रतिनिधियों की एक कमेटी, जिसका अध्यक्ष सरकार का एक प्रतिनिधि होगा, स्वामी की ओर से

ट्रस्टी की भाँति काम करेगी। कानून के अनुसार कमेटी उस सम्पत्ति का किराया-भाड़ा भी वसूल कर सकेगी।

पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, आसाम व त्रिपुरा की सरकारें इन कमेटियों की स्थापना के लिए आवश्यक कानून बनायेंगी। राज्य या प्रान्त की सरकार स्थानीय या जिलाधीश को यह आदेश देगी कि वे इन कमेटियों के कार्य सम्पादन में सब प्रकार की सहायता दें।

इस भाग की व्यवस्था उन सब देशान्तर करनेवालों के संबंध में लागू होगी जिन्होंने पूर्वी बंगाल से भारत के किसी भी भाग में गमन किया हो या पश्चिमी बंगाल, आसाम व त्रिपुरा से पाकिस्तान के किसी भाग में गमन किया हो; परन्तु हाल के उपद्रवों से पूर्व गमन किया हो और १५ अगस्त, १९४७ के बाद। जो लोग बिहार से पूर्वी बंगाल के उपद्रवों के भय के कारण गये थे उनके लिए भी यह व्यवस्था लागू होगी।

भाग—'इ'

दोनों सरकारें—

(१) अपने-अपने प्रदेश में सधारण स्थिति पैदा करने के लिए प्रयत्न करेंगी और ऐसा यत्न करेंगीं कि फिर से सांप्रदायिक दंगे न हों।

(२) जो अपराध के दोषी पाये जायँगे उन्हें दण्ड देंगी। अपराध चाहे व्यक्ति के विरुद्ध हो या सम्पत्ति के विरुद्ध। जहाँ आवश्यक होगा वहाँ सामूहिक जुर्माना भी किया जायगा। दोषियों को तुरन्त दण्ड मिले, इसके लिए आवश्यकतानुसार विशेष न्यायालय भी स्थापित किये जायँगे।

(३) लूट के माल को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगी।

(४) एक ऐसी व्यवस्था-मूलक कमेटी कायम करेंगी जिसमे अल्पमतों के प्रतिनिधि भी होंगे और जो अपहृत नारियों की खोज का काम करेगी।

(५) बलपूर्वक किये गये धर्म-परिवर्त्तनों को स्वीकार नहीं करेंगी। जो धर्म-परिवर्त्तन उपद्रवों के समय किये गये थे, वे बलपूर्वक माने जायँगे और ऐसे व्यक्तियों को दण्ड दिया दिया जायगा जो इसके लिए दोषी होंगे।

(६) एक जाँच कमीशन तुरन्त ही हाल के उपद्रवों के कारणों तथा विस्तार की जाँच करने के लिए नियुक्त करेगी जो ऐसी सिफारिशें करेगा जिससे भविष्य में ऐसे उपद्रव न हों। कमीशन के सदस्य ऐसे होंगे जो अल्पमतों में विश्वास पैदा कर सकें। उसका अध्यक्ष हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश होगा।

(७) प्रेसों, समाचार-पत्रों, रेडियो, किसी व्यक्ति या संघटन द्वारा ऐसे शरारत-भरे विचारों तथा समाचारों के वितरण पर तुरन्त और प्रभावकारी रोक लगा देंगी जिनसे साम्प्रदायिक भावना को उत्तेजना मिलती है। जो इसके अपराधी होंगे, उन्हें कठोर दण्ड दिया जायगा।

(८) अपने देश में दूसरे देश की स्वतंत्रता के विरुद्ध प्रचार की अथवा ऐसे प्रचार की जिससे दोनों के बीच युद्ध को उभाड़ा जाय आज्ञा नहीं देंगी और जो व्यक्ति या संस्था इस प्रकार के प्रचार के दोषी होंगे, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगी।

भाग—'ई'

इस समझौते के भाग 'इ' के उपखण्ड (१), (२), (३), (४), (५), (७) और (८) साधारण प्रकार के हैं। आवश्यकतानुसार वे भारत व पाकिस्तान के किसी भी भाग में लागू हो सकेंगे।

भाग—'उ'

इस उद्देश्य से कि दोनों देशों में अल्पमतों में विश्वास पैदा हो तथा शरणार्थी अपने-अपने घरों को वापस चले जायँ, दोनों सरकारों ने यह तय किया कि:—

(१) दोनों सरकारें अपने दो मंत्रियों को उपद्रवी क्षेत्रों में जब तक आवश्यक हो, रखें।

(२) पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल व आसाम के मंत्रि-मण्डलों में एक मंत्री अल्पसंख्यकों की ओर से नियुक्त हो। आसाम में तो एक मंत्री नियुक्त है। शेष दो राज्यों में मंत्री नियुक्त किये जायँगे।

भाग—'ऊ'

इस समझौते को अमल में लाने के लिए दोनों सरकारों ने पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल व आसाम में अल्पमत कमीशन नियुक्त करने का निश्चय किया है, जिसके कार्य निम्न प्रकार होंगे—

(१) प्रत्येक कमीशन में एक-एक प्रतिनिधि अल्पमत तथा बहुमत में से होगा; प्रान्तीय या राज्य की सरकार का मंत्री उसका अध्यक्ष होगा।

(२) पाकिस्तान तथा भारत सरकारों के दो मंत्री इस कमीशन की बैठक में भाग ले सकेंगे। जब कोई भी केन्द्रीय मंत्री चाहेगा तब यह कमीशन अपना अधिवेशन करेगा।

(३) प्रत्येक कमीशन अपना आवश्यक स्टाफ नियुक्त करेगा। अपनी कार्य-पद्धति भी वह निश्चित करेगा।

(४) जिलों में जो अल्पमत होंगे, उनके साथ अल्पमत कमीशन संपर्क रखेगा।

(५) केन्द्रीय सरकारों के दो मंत्री समय-समय पर किसी व्यक्ति व संघटन से परामर्श करेंगे।

(६) अल्पमत कमीशन के कार्य निम्नप्रकार के होंगे:—

 (१) इस समझौते के अमल के संबंध में रिपोर्ट देना। समझौते की शर्तों के भंग के संबंध में भी रिपोर्ट देना।

 (२) उनकी सिफरिशों के संबंध में क्या किया जाय, इसके संबंध में राय देगा।

(७) प्रत्येक कमीशन अपनी सरकार को रिपोर्ट देगा। इनकी प्रतियाँ दो केन्द्रीय मंत्रियों को भी दी जायँगी।

(८) जब दो केन्द्रीय मंत्री कोई सिफारिश करेंगे तो पाकिस्तान सरकार, भारत सरकार तथा राज्यों की सरकारें उन पर अमल करेंगी। दोनों मंत्रियों में मतभेद होने पर मामला दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों द्वारा सुलझाया जायगा।

(९) त्रिपुरा के संबंध में दो केन्द्रीय मंत्री मिल कर अल्पमत कमीशन का कार्य करेंगे।

भाग—'ए'

दिसंबर, १९४८ में दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ था, वह वहाँ तक लागू रहेगा, जहाँ तक इसके द्वारा संशोधन नहीं हुआ है।

उपसंहार

देशांतर-गमन के आखिरी आँकड़े

(७ फरवरी, १७५० से २६ अगस्त, १७५० तक)

पूर्वी बंगाल से भारत को—

हिन्दू—	मुसलमान
४१,२२,९४३	११,३५,३३१

पश्चिमी बंगाल से पूर्वी बंगाल को—

हिन्दू	मुसलमान
२७,४६,९४२	१५,१५,७२१

इससे पता चलता है कि गत १८ महीनों के अन्दर लगभग १४ लाख हिन्दू पूर्वी बंगाल से भारत आये।
